चतुर्दश माला, खंड 6, अंक 15

मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2004
30 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc No ......57..........
Dated...... ...8/7/05...

(खण्ड 6 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

परमजीत कौर
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 15, मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2004/30 अग्रहायण, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 283 से 286	2-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 287 से 302	32-79
अतारांकित प्रश्न संख्या 3194 से 3423 .	79-424
सभा पटल पर रखे गए पत्र	425-439
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
पांचवां प्रतिवेदन	439
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
(एक) पहला प्रतिवेदन	439
(दो) अध्ययन दौरों संबंधी प्रतिवेदन . . .	440
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन . . .	440
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन .	440
रेल अभिसमय समिति	
पहला प्रतिवेदन	441
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ तिरेपनवां प्रतिवेदन	441
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा के साथ हुए समझौताा ज्ञापन के बारे में	
श्री शिवराज वि. पाटील	441-442
सदस्यों द्वारा निवेदन	
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा रेल मंत्री रेल मंत्री के विरुद्ध कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के बारे में	442-446, 455-465

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

बिजली की प्रति व्यक्ति मांग और आपूर्ति के बारे में दिनांक 7.12.04 के तारांकित प्रश्न संख्या 87 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

तथा

शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

श्री पी.एम. सईद 447-455

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान (एम्स) में तेजी से बिगड़ रही स्वास्थ्य देख रेख सेवाओं से उत्पन्न स्थिति

श्री अजय माकन 474, 478-480

डा. अंबुमणि रामदास 474-477, 490-493

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 481

डा. करण सिंह यादव 486

श्री शैलेन्द्र कुमार 488

श्रीमती मेनका गांधी 488

श्री गुरुदास दासगुप्त 489

(दो) दिल्ली के एम्स की तरह देश के छह राज्यों में आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने संबंधी निर्णय के कार्यान्वयन की स्थिति

मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी 494, 495-498

डा. अंबुमणि रामदास 494, 508-513

श्री खारबेल स्वाईं 498

श्री पवन कुमार बंसल 500

श्री रघुनाथ झा 503

चौधरी लाल सिंह 504

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई 505

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी. 506

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 507

(तीन) पैट्रोल में 5 प्रतिशत इथनोल मिलाए जाने और इथनोल पर प्रति लीटर 30 पैसे की सब्सिडी दिए जाने को अनिवार्य करने वाले आदेश को वापिस लिए जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील 514, 517

विषय कॉलम

श्री मणिशंकर अय्यर 514, 525

श्री संतोष गंगवार 519

श्री रामजीलाल सुमन 521

श्री वरकला राधकृष्णन 522

श्री अनंत गंगाराम गीते 523

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी 524

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह 524

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 524

सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) सरकारी प्रतिभूति विधेयक, 2004 529

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक, 2004 . . 536-546

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं तथा उनके द्वारा महत्वपूर्ण विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत

डा. मनमोहन सिंह 530-536

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आंध्र प्रदेश में कंपाउंडरों और किसानों के लिए और अधिक संख्या में वेटरिनरी कालेजों, पोलिटेक्निकों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रोत्साहन देने व उनका शुरू किया जाना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री के.एस. राव 546

(दो) रांची-गुमला-छत्तीसगढ़ और कुडडु-गुमला राष्ट्रीय राजमार्गों की समुचित मरम्मत और उनका रखरखाव किए जाने की आवश्यकता

डा. रामेश्वर उरांव 547

(तीन) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ''शेल फिशिंग जोन'' की संख्या बढ़ाकर घरेलू सीप संग्रहण में कार्यरत लोगों को छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त 547

(चार) सी.जी.एच.एस. अंशदाताओं के लाभार्थ गोवा में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता

श्री अलीमाऊ चर्चील 548

विषय		कॉलम
(पांच)	उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को दस्यु आशंकित क्षेत्र घोषित करने तथा इस क्षेत्र में पर्याप्त केन्द्रीय पुलिस बल तैनात किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	549
(छह)	छत्तीसगढ़ में बिजली की आपूर्ति बढ़ाये जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती करूणा शुक्ला	549
(सात)	महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में गोशीखुर्द सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. महादेवराव शिवनकर	550
(आठ)	गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आदिवासियों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के विचार से पर्यावरण और वन संबंधी कानून में छूट दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	550
(नौ)	पश्चिम बंगाल में रानीचक, भोगपुर और पंसकुरा रेलवे स्टेशनों पर रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने तथा इसके निर्माण के लिए दिशानिर्देशों की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री लक्ष्मण सेठ	551
(दस)	उत्तरांचल में रूड़की रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजेन्द्र कुमार	551
(ग्यारह)	उत्तर रेलवे के उन्नाव शहर में समुचित जल निकास प्रणाली के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री ब्रजेश पाठक.	552
(बारह)	तमिलनाडु के करूर में इस क्षेत्र के हैंडलूम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री के.सी. पलनिसामी	553
(तेरह)	महाराष्ट्र में विद्युत आपूर्ति की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे .	553
(चौदह)	असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों के विकास हेतु विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री सानछुमा खुंगुर बैसिमुथियारी	554

विषय	कॉलम
(पन्द्रह) आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में आवासीय क्षेत्र के समीप की रेल पटरी पर रेल उपरीपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री असादुद्दीन ओवेसी	554
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) 2004-2005—*जारी*	
श्री दुष्यंत सिंह	555
श्री पी. राजेन्द्रन	558
श्री किरिप चालिहा	560
श्री ब्रजेश पाठक	563
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	565
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य	567
श्री शैलेन्द्र कुमार	568
श्री बिक्रम केशरी देव	570
प्रो. एम. रामदास	572
श्री पी. चिदम्बरम	575-591
विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2004	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	592
श्री पी. चिदम्बरम	592
खंड 2, 3 और 1	593
पारित करने के लिए प्रस्ताव	593
आधे घंटे की चर्चा	
नए विमानपत्तनों के प्रस्ताव	
श्री वी.के. ठुम्मर	593
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	596
श्री शैलेन्द्र कुमार	597
डा. चिन्ता मोहन	598
श्री वरकला राधाकृष्णन	598
श्री अलीमाऊ चर्चील	600
श्री दुष्यंत सिंह	600

विषय	कॉलम
श्री मधुसूदन मिस्त्री	600
श्री अब्दुल्लाकुट्टी	601
श्री चन्द्रकान्त खैरे	602
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह	602
श्री एस.के. खारवेनथन	603
श्री हरिभाऊ राठौड़	603
श्री पवन कुमार बंसल	603
श्री मंजुनाथ कुन्नुर	604
श्री सी. कुप्पुसामी	604
मोहम्मद सलीम	604
श्री पी. मोहन	604
श्री धनुषकोडी आर. अतिथन	604
श्री जीवाभाई ए. पटेल	505
श्री पी. राजेन्द्रन	605
श्री सांताश्री चटर्जी	605
श्री प्रफुल पटेल	605-612
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	613
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	614-622
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	623-624
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	623-626

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2004/30 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[*अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री लालू प्रसाद जी को इस्तीफा देना चाहिए। उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। ...*(व्यवधान)* कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का, रिश्वत देने के आरोप में उन्हें मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे प्रश्न काल के बाद उठाएं

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, उन्हें मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे 12.00 बजे उठाएं। मैं आपको उस समय मौका दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको 12 बजे बुलाएंगे, अभी आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा, आपका गला ठीक नही है। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग उन्हें इग्नोर कीजिए, हम आपको टाइम देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इतने बड़े लीडर हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या-283- श्री राजनारायण बुधौलिया।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

औषधियों के मूल्य

*283. **श्री राजनरायन बुधौलिया :**
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनियंत्रित औषधियों की उत्पादन लागत नियंत्रित औषधियों की तुलना में कई गुना अधिक होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने कैंसर और ''एड्स'' सहित जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य को कम करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस निर्णय के विरुद्ध कुछ औषधि निर्माता कंपनियों ने उत्पादन बंद करने की धमकी दी है;

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार क्या क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ 95) जीवन रक्षक औषधों और अन्य औषधों के बीच कोई अन्तर नहीं करता है। उक्त आदेश के प्रावधानों के अनुसार, सरकार प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध औषधों और उनपर आधारित सूत्रयोगों की कीमतें निर्धारित करती है। सितम्बर, 1994 में घोषित औषध नीति में संशोधन में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर डी पी सी ओ में मूल्य निर्धारण के अंतर्गत शामिल करने के लिए इन औषधों की पहचान की गई है। इन मानदंडों में विभिन्न औषधों के प्रयोग की सीमा और बाजार प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखा गया है। डी पी सी ओ 1995 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज औषधों में से कोई भी औषध कैन्सर-रोधी अथवा एड्स-रोधी औषधी नहीं है।

गैर-सूचीबद्ध सूत्रयोगों की कीमतें विनिर्माताओं द्वारा विभिन्न बातों जैसे उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री खर्च, आर एंड डी खर्च, ट्रेड कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवनिर्माण, उत्पाद गुणवत्ता आदि को ध्यान में रखते हुए स्वयं निर्धारित की जाती हैं। जहां जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता पाया जाता है, वहां सरकार द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम और विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) सं.(सी) 3668/2003 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में मूल्य नियंत्रण (ट्रेड मार्जिन सहित) के विस्तार की जांच करने तथा उचित मूल्य पर जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपाय सुझाने हेतु संयुक्त सचिव (फार्मा) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति में सरकार को सिर्फ अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी है।

(च) औषध विनिर्माता कंपनियों द्वारा ऐसी कोई धमकी नहीं दी गई है।

(छ) और (ज) उपर्युक्त (च) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री रामनरायन बुधौलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियंत्रित औषधियों के मुकाबले अनियंत्रित औषधियों की उत्पादन लागत अधिक होती है और सभी औषधियों की दर सरकार नियंत्रित करे, जिससे आम जनता को सहूलियत हो सके। सरकार ने इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। क्या सरकार शीघ्र सभी जीवन आवश्यक औषधियों को नियंत्रित सीमा में लाने एवं उनकी दर निर्धारित करने की योजना पर विचार करेगी?

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, दवाईयां दो तरह की हैं। एक दवाई वह है जो सरकार नियंत्रित करती है और उसकी टोटल संख्या 374 है। सरकार जो दवाई नियंत्रण में रखती है, उसी दवाई की कीमत उसके बनाने से लेकर तय करती है और वह दवाई कितने में बेची जा रही है, उसे भी वह तय करती है, बाकी सारी की सारी दवाईयां डिकंट्रोल है। डिकंट्रोल में जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मालूम हो और उसके लिए हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी सहायता ले रहे हैं कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक्साइज ड्यूटी कितनी बढ़ी है, लेकिन स्माल स्केल इंडस्ट्री का टैक्स फ्री है, वे लिखते नहीं हैं। हमारे पास जो कंट्रोल में दवाई है, उसका हमें मालूम है और एक साल में एक प्रतिशत एवरेज मूल्य में वृद्धि होती है, लेकिन जो डिकंट्रोल दवाइयां हैं, उनका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होता है, वह सरकार की नॉलेज में नहीं है, उसका पता लगाने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मालूम नहीं होगा, तब तक जो बहुत सारी दवाइयों के मूल्य हैं, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं, जिनका एवरेज तीन या चार प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन जेनेटिक दवाइयों का मूल्य दस प्रतिशत तक सालाना बढ़ा है।

श्री रामनरायन बुधौलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पहले प्रश्न का जवाब मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर नहीं दिया है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को जानकारी है कि जो यूरोप, अमेरिका की दवाई इन देशों ने बंद कर दी है, उनका बाजार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने उस जगह पर अपना स्थान बना लिया है। इन दवाइयों का मानव स्वास्थ्य पर अत्यधिक कुप्रभाव पड़ता है। सरकार इन दवाइयों के बाजार और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हैल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित है, हमारा काम प्राइसिंग का है। दवाइयां नकली हैं या असली हैं, क्वालिटी का मामला हैल्थ डिपार्टमेंट का है।

श्री रघुराज सिंह शाक्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स समझौते के तहत देश में उत्पादन पेटेंट व्यवस्था सन् 2005 से लागू होने की संभावना है ऐसी स्थिति में जिन दवाइयों के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, इस वृद्धि से क्या सरकार इन दवाइयों के मूल्यों में संभावित बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए, दवाइयों के मूल्यों में नियंत्रण के आदेश में कोई संशोधन करने पर विचार कर रही है?

श्री रामविलास पासवान : यह तो गवर्नमेंट की पालिसी है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को इतना बताना चाहता हूं कि जो पेटेण्ट लॉ है, वह पेटेण्ट 1995 के पहले बनी दवाइयों पर लागू नहीं होता। यदि वह लागू नहीं होता है तो 90 परसेंट दवाइयां पेटेण्ट से बाहर रहेंगी, उन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी जो 10 परसेण्ट हैं, उनके

ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है। जहां उसके असर को रोकने का सवाल है, उसके लिए हमारे मंत्रालय और हमने कई कदम उठाये हैं। एक तो यह है जो नये-नये इम्प्रूवमेंट करके पेटेण्ट लागू करने वाले हैं, एवरग्रीनिंग जिनको कहा जाता है, उसे हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे, हमारे पेटेण्ट की अवधि 20 साल के लिए है और उस अवधि से आगे पेटेप्ट को नही बढ़ाया जाये, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, प्री-ग्राण्ट अपोजीशन का मामला हैं प्री ग्राण्ट अपोजीशन में अभी तक यह नियम था कि आपको किसी का पेटेण्ट करना है तो उसकी पहले सुनवाई होती है, इसकी कोशिश की जा रही थी कि इसे खत्म कर दिया जाये, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने स्ट्रांग व्यू लिया है कि प्री-ग्राण्ट अपोजीशन रहना चाहिए और प्री ही नहीं होना चाहिए, पोस्ट भी रहना चाहिए। उसके बाद भी लोगों को यह अधिकार होना चाहिए।

इसके अलावा हमारा एक प्रयास यह भी है कि जब तक पेटेण्ट तैयार नहीं हो जाता है, आप किसी को एक पेटेण्ट दे देते हैं और ज्यों ही आपने पेटेण्ट दिया, दूसरे का प्रोडक्शन आपने बन्द कर दिया नतीजा है कि मार्केट में उसकी स्केयरसिटी हो जाती है। हमारी यह भी राय है, हमारे डिपाटमेंट का सुझाव है कि जब तक प्रोडक्शन वहां पर शुरू नहीं हो जाये, तब तक इस प्रोडक्शन को बन्द नहीं किया जाये। इस तरह की कई चीजें हैं। जो सरकार की पालिसी है, उस पालिसी के रहते हुए कैसे हम अधिक से अधिक उसके दुष्प्रभाव को रोक सकते हैं, उसके ऊपर हमने विचार किया है।

श्री गणेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश भर में रासायनिक खादों में भारी पैमाने पर मिलावट की शिकायत प्राप्त हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न दवाई के संबंध में है।

श्री गणेश सिंह : मैं तो रासायनिक खाद के बारे में पूछ रहा था।

अध्यक्ष महोदय : रासायनिक खाद के लिए नहीं, यह प्रश्न दवाइयों के दाम के लिए है।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि एक तरफ देश में कैंसर और एड्स की बीमारी फैली, उसी तरह से खास तौर से नवयुवकों ने तरह-तरह के नशे की प्रवृत्ति सीख ली। खास तौर से ओपियम, हैरोइन, चरस, गांजा आदि कई तरह के नशे की आदत अपना ली। जब उसे कोई छोड़ना चाहता है तो उसकी दवाइयां इतनी महंगी हैं कि कोई साधारण आदमी उसे छोड़ नहीं सकता। जो लोग नशे की प्रवृत्ति सीख गये हैं, उसे छोड़ेंगे तो दवाइयां इतना महंगी हैं तो क्या आप उनके कंट्रोल करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री रामविलास पासवान : हम हरसम्भव कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो 1995 का ड्रग प्राइस कंट्रोल आर्डर है, उसके तहत 2-3 चीजें हैं। पहला तो है कि चार करोड़ रुपये से उसका टर्नओवर ज्यादा होना चाहिए, दूसरा है कि 90 परसेंट उसकी मोनोपली मार्केट में होनी चाहिए, उन्हीं दवाइयों को कंट्रोल किया जा सकता है। जब हमने मंत्रालय संभाला था तो हमने कहा कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जिसमें कैंसर और एड्स भी है, ऐसी दवाइयों को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से लाइफ सेविंग ड्रग्स कौन सी हैं, इनकी हैल्थ मिनिस्ट्री के पास में अभी तक कोई सूची नहीं है। यह सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे संसार में लाइफ सेविंग ड्रग्स की सूची नहीं है, इसलिए डाक्टर्स के मुताबिक हर ड्रग लाइफ सेविंग है। यदि सर्दी का ठीक से इलाज नहीं किया जाये तो उससे भी लोग मर जाते हैं, मलेरिया से भी मर जाते है, इसलिए लाइफ सेविंग ड्रग की कोई परिभाषा नहीं है, एसेंशियल ड्रग्स की परिभाषा जरूर है और वे एसेंशियल ड्रग्स 374 हैं। उसके लिए हमने हमारे जोइंट सैक्रटरी मि. सन्धू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की इण्टरिम रिपोर्ट मेरे पास आ गई है, जिसमें हैल्थ डिपार्टमेंट के ड्रग कंट्रोलर और रेवेन्यू के सारे के सारे पदाधिकारी हैं। उसमें उन्होंने दो कैटेगरीज बनाई हैं। उन्होंने कहा है कि जो 374 एसेंशियल ड्रग्स हैं, उनकी दो कैटेगरीज बना दी जायें, एक कैटेगरी को हम कंट्रोल करें और दूसरी की इंसेंटिव मोनेटरिंग करें। लेकिन जहां तक एड्स का सवाल है और कैंसर का सवाल है।

उसके लिए हमने एम्स से उनकी रिपोर्ट मांगी कि आप हमें बताइए इसके लिए कौन-कौन सी दवाइयां हैं जिनको अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने उनमें से कुछ दवाइयों के नाम दिए हैं। लेकिन सरकार की मंशा है कि जो जानलेवा बीमारी है जैसे एड्स, उनकी दवाइयों के दाम ज्यादा नहीं बढ़ें, उन्हें हम कंट्रोल में रखें। उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उस पर हम विचार कर रहे हैं। लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि ज्यों ही कंट्रोल का मामला उठे, बड़े-बड़े लोग कोर्ट में चले जाएं और कोर्ट से आर्डर लेकर उसे रोक दें। उस संभावना को भी देखने की हम कोशिश कर रहे हैं।

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, ड्रग में फार्मुला और साल्ट है। फार्मुला और साल्ट एक जैसा ही है लेकिन दो नामों की कंपनी है। एक कंपनी की दवाई का रेट कम है और दूसरी कंपनी का दवाई का रेट ज्यादा है। एक कंपनी जो ऐडवर्टाइज़मैंट और मीडिया में छाई रहती है, वह कंपनी दवाई के रेट ज्यादा लगा रही है और दूसरी कंपनी जिसका फार्मुला सेम है, उसकी दवाई के रेट कम हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसे ठीक करने के लिए मंत्री जी क्या करेंगे?

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, दवाइयां तीन तरह की होती हैं-एक ब्रांडेड दवाई होती है। दूसरी ब्रांडेड जेनेटिक होती है और तीसरी जेनेटिक जेनेरिक होती है। जो ब्रांडेड दवाई होती हैं, उसकी

अपनी केटेगिरी है और वह डायरेक्ट अपने माध्यम से बेची जाती है। उसमें उनको कम मुनाफा होता है। जो ब्रांडेड जेनेरिक और जेनेरिक वर्सेस जेनेरिक है, वह ट्रेडर्स के माध्यम से बेची जाती है। उनके पास बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। उनको दो हजार-तीन हजार प्रतिशत तक मुनाफा है। जिस दवाई की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 पैसे होगी, वह मार्केट में 30 रुपये, 40 रुपये में बेची जा रही है। मेरे पास ऐसी दवाइयों की सूची है। केडिला दवाई एक रुपये 20 पैसे की है लेकिन वह मार्केट में 34.80 रुपये में बिक रही है। सिट्राजिन का दाम 1.60 रुपये आता है लेकिन वह मार्केट में 23.60 रुपये एमआरपी में बिक रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको माननीय मंत्री की बात सुनने के लिए धैर्य रखना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : यह सवाल बार-बार उठाया गया, मैं भी इसे गंभीरता से ले रहा हूं। इसलिए मैं सदन को बताना चाहता हूं। निमोसलाइड पेनकिलर है। यह रेनबेक्सी कंपनी की दवाई है। इसका दाम 1.50 रुपये है लेकिन वह मार्केट में 23.50 रुपये में बिक रही है। 1.20 रुपये की दवाई 28.80 रुपये में बिक रही है। ये लोग ट्रेडर्स को 1.20 रुपये में दवाई देते हैं और उसमें एमआरपी 28 रुपये लगती है प्लस लोकल टैक्स है। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे भी कम होगी। हालांकि इसकी परसेंटेज मार्केट में ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसी दवाइयों के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि यह कंट्रोल की दवाइयां हैं। जिन दवाइयों का दाम बढ़ता है, उन्हें हम ओवर चार्ज करते हैं। उसमें भी उनके पास 574 करोड़ रुपया बकाया है जिसमें से 474 करोड़ रुपये या 475 करोड़ रुपये एक कंपनी के पास हैं। वह कंपनी बड़े-बड़े वकील रख लेती है लेकिन डिपार्टमेंट की ओर से जो वकील जाता है, उसके बारे में आप सबको मालूम है। नतीजा यह होता है कि वे लोग बच जाते हैं। दूसरा, जो मार्जिन है, उसे हम कैसे कम करें, उसके लिए हमने संधु कमेटी बनाई है। उस कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डयोढ़ा दाम किसी भी दवाई का नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि इससे हाय-तौबा मच जायेगी। इसके लिए हम सदन से प्रोटेक्शन जरूर चाहेंगे लेकिन हम कार्रवाई करेंगे। सरकार निश्चित रूप से देखेगी कि मार्जिन एक-दो हजार गुना न हो। हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसमें हमने कहा है कि हम आम जनता को रिजनेबल प्राइज पर दवाइयां उपलब्ध करायेंगे और उसके लिए सरकार कमिटेड है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, सभी मुद्दों के संबंध में यह बहुत व्यापक जवाब है। धन्यवाद, मंत्री महोदय।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री जे.एम. आरुन रशीद - अनुपस्थित, श्री प्रभुनाथ सिंह जी।

[अनुवाद]

विद्युत कंपनियों द्वारा तेज चलने वाले मीटर लगाना

\+

*284. **श्री प्रभुनाथ सिंह :**
श्री जे.एम. आरुन रशीद :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में, विशेषकर दिल्ली में, एनडीपीएल और बीएसईबी विद्युत कंपनियां आम गति से 30% तेज चलने वाले बिजली मीटर लगाकर और घरेलू खपत के लिए अत्यधिक बढ़े हुए बिजली बिल भेजकर पिछले कई वर्षों से विद्युत उपभोक्ताओं को लूट रही है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में उपभोक्ताओं से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बेईमान विद्युत कंपनियों द्वारा तेज चलने वाले मीटर लगाने के विरूद्ध विद्युत विधेयक, 2003 में कुछ कठोर दंड खंड शामिल करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) अन्य राज्यों से कोई सूचना/रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई

हैं अतएव दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने सूचित किया है कि खराब मीटरों के संबंध में आयोग को प्राप्त विभिन्न शिकायतों की जांच के लिए उन्होंने अगस्त, 2003 में एक समिति गठित की है। इस समिति में डीईआरसी, डिस्काम नामशः बीएसईबी यमुना पावर लि. बीएसईसी, राजधानी पावर लि., नार्थ दिल्ली पावर लि. तथा प्रमुख गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) अर्थात कामन काज के अधिकारी शामिल हैं। समिति ने डिस्काम के स्टोर से यादृच्छिक रूप से चुने गये मीटरों का परीक्षण किया।

समिति ने यह पाया कि 91% से अधिक मीटर भारतीय बिजली नियमों में दिए गए निर्धारित सीमा के अंतर्गत खपत स्तर पर दर्ज थे। करीब 2% मीटर धीमे तथा 0.5% मीटर निर्धारित सीमा से तेज पाए गए। तथापि करीब 5% मीटर त्रुटिपूर्ण पाये गए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार इस संबंध में उपभोक्ताओं से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए इन्हें डिस्काम को भेजा जाता है। मीटरिंग एवं बिलिंग डिस्काम एवं उपभोक्ताओं से संबंधित मुद्दे दिल्ली विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए "दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (निष्पादन मानक, मीटरिंग एवं बिलिंग) विनियम, 2002 द्वारा शासित होते हैं।

बिजली अधिनियम, 2003 के संगत प्रावधानों के अधीन डीईआरसी ने एनडीएमसी सहित प्रत्येक वितरण कंपनी के लिए मंच गठित किया है। ये मंच बिजली की चोरी या बिजली के अप्राधिकृत इस्तेमाल के मामलों के अतिरिक्त उपभोक्ता की शिकायतों से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए विशेष रूप से सृजित किए गए है। फोरम की स्थापना के अतिरिक्त आयोग ने ऑम्बड्समैन की नियुक्ति भी की है ताकि शिकायतों के निवारण न होने की जांच की जा सके।

(ङ) से (छ) बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 55 में यह व्यवस्था है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार बिजली की आपूर्ति ठीक मीटरों की अधिष्ठापना के जरिए की जाए। विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 142 में इस अधिनियम के विनियमों की अनुपालना न करने पर दंड की व्यवस्था है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 146 में अन्य बातों के साथ-साथ नियमों की अनुपालना न करने पर दंड का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 149 में भी किसी कंपनी द्वारा अनुपालना न करने पर दण्ड का प्रावधान है।

अधिनियम की धारा 42 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच की स्थापना करे। इसमें पुनः व्यवस्था की गई है कि कोई उपभोक्ता जो शिकायतों के निवारण न होने से दुखी है, वह राज्य बिजली विनियामक आयोग द्वारा नियुक्त किए गए ऑम्बड्समैन को अभ्यावेदन कर सकता है तथा ऑम्बड्समैन राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय में शिकायतों का निपटारा करेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमको जानकारी है कि दिल्ली में प्रतिदिन 2700 से 2900 मेगावाट बिजली की मांग है। जाड़े के दिनों में यह मांग बढ़कर 3200 मेगावाट हो जाती है जबकि दिल्ली में 2600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाती है। इसको मेकअप करने के लिए दिल्ली में घंटों बिजली की कटौती की जाती है चाहे सरकारी आवास हों या निजी लोगों का आवास हो, वे घंटों अंधेरे में पड़े रहते हैं। दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को गलत बिल आते हैं। हालांकि मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि 5 परसेंट बिल गलत मीटर की वजह से आ रहे हैं। हम आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि ऐसा भी सरकारी मकान है जहां ए.सी. नहीं लगा हुआ है लेकिन उस मकान का दो महीने का बिल 18 लाख 74 हजार रुपये आया है। जब उन्होंने इस बिल का प्रोटेस्ट किया और समय पर उसका भुगतान नहीं किया तो वह बिल बढ़कर 19 लाख 30 हजार रुपये हो चुका है। इस ढंग से शिकायत कर्ता की जो शिकायत है, उन सब चीजों पर गौर करने के लिए आपने कहा है कि हम एक कमेटी बनायेंगे। मेरा कहना है कि उस कमेटी से यह मामला सॉल्व होने वाला नहीं है। हमको लगता है कि कहीं न कहीं उपभोक्ताओं का दोहन करने के लिए इस ढंग का काम किया जा रहा है क्योंकि इस काम को निजी घराने के लोग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन लोगों पर आप किस तरह से नियंत्रण करने जा रहे हैं तथा जिन उपभोक्ताओं को इस तरह के बिल आये हैं, उनकी समस्या का आप किस तरह से समाधान करेंगे, कैसे उन्हें राहत पहुंचायेंगे, इस बारे में आप विस्तार से बताइये।

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद : महोदय, आप इस बात को समझें और माननीय सदस्यगण भी इस बात को समझें कि यह प्रश्न वितरण से संबंधित है। बिजली का वितरण राज्य से संबंधित है, इस प्रश्न को प्राप्त करने के बाद हम अपने इतिहास में जा सकते हैं — भारतीय बिजली अधिनियम 1910, भारतीय बिजली आपूर्ति अधिनियम, 1948, भारतीय बिजली विनियामक अधिनियम 1998 और अब व्यापक बिजली अधिनियम, 2003; यहां इन सभी अधिनियमों में वितरण हिस्सा राज्य के पास है। इसलिए, राज्य को यह देखना है कि आपूर्ति विनियमित हो, नए अधिनियम 2003 के अनुसार, एक विनियामक आयोग होना चाहिए। दिल्ली के पास विनियामक आयोग है। इस प्रश्न को प्राप्त करने के बाद मैंने दिल्ली

सरकार के विशेष सचिव (ऊर्जा) और विनियामक आयोग के अधिकारियों को अपने कक्ष में बुलाया क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से मंत्रालय से संबद्ध नहीं है।

उनकी सूचना के अनुसार, मैंने सभा में उत्तर दिया। दिल्ली बिजली विनियामक आयोग का गठन वर्ष 1999 में किया गया था। अगस्त, 2003 में, दिल्ली विनियामक आयोग ने कुछेक मीटरों की भंडार में और कुछेक मीटरों की उपभोक्ताओं के परिसर में जांच करवाई। इसने मीटरों की समस्या की जांच करने के लिए एक समिति गठित की और मीटरों की 91 प्रतिशत से अधिक की रिकार्डिंग निर्धारित सीमा के भीतर पायी गयी; करीब 2 प्रतिशत रिकार्डिंग धीमी पायी गयी की और करीब 0.5 प्रतिशत निर्धारित सीमा से तेज पायी गयी थी। पांच प्रतिशत मीटर खराब पाए गए थे।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसका उल्लेख अपने जवाब में कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री पी.एम. सईद : अब उन्होंने फरवरी, 2004 में मीटरों और बिलों की समस्याओं के संबंध में स्वप्रेरित कार्रवाई शुरू की है। सुनवाई के आधार पर, आयोग ने वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है।

इन निर्देशों के संबंध में ये परिचालनात्मक भाग हैं कि डिस्कॉम (डी.आई.एस.सी.ओ.एम.) को दो लगातार बिलों से अधिक के लिए अस्थाई बिल बढ़ाकर नहीं देना चाहिए; डिस्कॉम को जाली प्राप्ति को रोकने हेतु कदम उठाना चाहिए; जहां उपभोक्ता को कनेक्शन काट देने के लिए कहा गया है; कोई बिल नहीं बढ़ाया जाएगा; यहां कनेक्शन बकाये का न भुगतान करने के कारण काटा गया हो देय राशि का देर से भुगतान करने/सरचार्ज लगाने के लिए बिल नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

इसलिए, उन्होंने कई कदम उठाए हैं, मैं उनके साथ सम्पर्क में हूं। तब, विनियामक आयोग द्वारा कठोर उपाय किए जाएंगे। प्राप्त शिकायतों पर ध्यान देने के लिए उन्होंने एक मंच गठित किया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक विशेष मामले का उल्लेख किया। आपने इस पर ध्यान दिया होता। माननीय सदस्य कुछ स्रोत दे सकते हैं, मुझे यकीन है, आप इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में गड़बड़ी बहुत ज्यादा हो रही है और चुनाव के समय में हम लोगों की जगह के बिल लाकर यहां दिखाए जाते थे कि इतना रुपया बकाया है, पूरे देश में प्रचारित किया जाता था। माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि यह गड़बड़ी मीटर की खराबी की वजह से हुई है। इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के जिम्मे यह काम सौंपा गया है। हम जानना चाहते हैं कि क्या राज्य सरकार को बुलाकर खासकर, दिल्ली के मामले में...*(व्यवधान)* दिल्ली के मुख्य मंत्री को बुलाकर या संबंधित लोगों को बुलाकर...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई भी माननीय सदस्य अधिकारिक दीर्घा में बैठे अधिकारियों से बात न करें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : इस संबंध में संबंधित लोगों को बुलाकर पहल करके तत्काल स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए क्या आप कोई कारगर कदम उठाने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद : महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक केन्द्रीय विनियामक आयोग है और राज्य स्तर पर राज्य विनियामक आयोग है। हम उनसे यह नहीं कह सकते हैं कि यह काम किया जाना है। यह एक स्वतंत्र संगठन है। इसके साथ-साथ आप यह जानते हैं कि वितरण पूर्णतया समवर्ती सूची का एक विषय है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : एन.डी.एम.सी. भारत सरकार की है।

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद : यहां तक कि एन.डी.एम.सी. का अपना फोरम है जिसे विनियामक आयोग गठित करता है। मान लीजिए कि पीड़ित व्यक्ति संतुष्ट नहीं हैं तो वह लोकपाल के पास जा सकते हैं। यह भी विनियामक आयोग द्वारा नियुक्त होता है। मान लीजिए उन्हें वहां न्याय नहीं मिलता है तो फिर वे विनियामक आयोग के पास जा सकते हैं। मान लीजिए कि उन्हें वहां भी न्याय नहीं मिलता है तो वे अपीलीय न्यायाधिकरण में जा सकते है। इसे व्यापक अधिनियम के अनुसार स्थापित किया जाना है।

[हिन्दी]

डा. तुषार अमर सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि थोड़े समय पहले हमारे गुजरात में भी पुराने मीटर निकालकर सभी ग्राहकों को नये मीटर दिये गये। इसके बाद जिसका बिल 500 रुपये महीना आता था, वह 800

रुपये, 900 रुपये और 1000 रुपये 1500 रुपये, 1600 रुपये महीना आने लगा हैं मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मामला गुजरात सरकार से संबंधित है। आप वहां जाइये। मुझे भरोसा है कि माननीय मंत्री हस्तक्षेप करेंगे।

डा. तुषार अमर सिंह चौधरी : महोदय, मैं केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने का एक सुझाव है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली यूनियन टैरिटरी है और यह जो बिजली को प्राइवेटाइज किया गया, इन पर ऑडीटर जनरल ने भी कहा है कि 4000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। लोगों को दस-दस गुना बिल आ रहे हैं और लाखों आदमियों को दस-दस गुना बिल आ रहे हैं। तेज चलने वाले मीटर लगा दिये गये, उनका पल्स रेट कम कर दिया गया और कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके साथ मिलीभगत है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखेंगे? अभी मन्नु भंडारी जो प्रसिद्ध लेखिका है, उनका 2 लाख रुपये का बिल आ गया और यहां बहुत लोगों के ज्यादा बिल आ गये, एक चीफ सैक्रेटरी को भी 5 लाख रुपये का बिल आ गया। ये जो सारी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, इसमें माननीय मंत्री जी इंटरविन करके रेगुलेटरी ऑथोरिटी से बात करें, मुख्य मंत्री जी और प्राइवेट कंपनियों से बात करें। दिल्ली में इससे हाहाकार मचा हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद : महोदय, मैंने पहले ही यह बताया है कि वितरण पूर्णतया राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

अध्यक्ष महोदय : वे आपकी शुभकामनायें मांग रहे हैं।

श्री पी.एम. सईद : मेरे पास मल्होत्रा जी के लिए काफी शुभकामनाएं हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह 100 प्रतिशत के बारे में है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आपकी सीट कौन सी है?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, माननीय मंत्री जी मेरी सीट पर बैठे हैं। महोदय, उन्होंने मुझे पदच्युत कर दिया है।

श्री पी.एम. सईद : महोदय, मैं दूसरी सभा का हूं। इसलिए मेरे लिए यहां कोई सीट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, भारत सरकार ने सारे देश में शत प्रतिशत मीटरिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है क्योंकि पहले यहां मीटरिंग प्रणाली नहीं थी। क्या हमारे देश में बिजली की चोरी रोकने के लिए शत-प्रतिशत मीटरिंग प्रणाली लागू कर दी गई है?

श्री पी.एम. सईद : महोदय, यह सच है कि वितरण क्षेत्र एक उपेक्षित क्षेत्र है। अत: अब भारत सरकार ने वितरण क्षेत्र को सुधारने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इसमें राज्य सुधारों के बारे में केन्द्र से एक समझौता करते हैं। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है और इसमें सारे देश में शत-प्रतिशत मीटरिंग प्रणाली लागू करना शामिल है। मीटरिंग के बारे में काफी सुधार किए गए हैं। कई राज्यों ने शत-प्रतिशत मीटरिंग का काम भी पूरा कर लिया है किंतु ऐसे 5-6 राज्य हैं जहां यह काम पूरा नहीं हुआ है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनका उल्लेख न करें।

श्री पी.एम. सईद : महोदय, मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मुझे विश्वास है कि उसमें पश्चिम बंगाल का नाम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। किंतु आप यथा संभव कार्यवाही करें।

श्रीमती जयप्रदा : धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय? *[हिन्दी]* मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में पार्ट 'ए' के पैरा तीन में बताया है कि:

[अनुवाद]

"उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों को शीघ्र निवारण हेतु 'डिस्काम' को भेजा जाता है।"

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बिजली के मीटरों को बदला गया है और वे काफी तेज चल रहे हैं जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता वास्तव में जितनी बिजली का प्रयोग कर रहे हैं उसके तीन गुने का भुगतान कर रहे हैं। उपभोक्ताओं के लिए यह बड़ा कष्टकारक है किंतु वे इसका भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी भुगतान किया था और यह उपभोक्ताओं के शोषण का एक स्पष्ट मामला है। अत: मेरा आपसे यह अनुरोध है कि एक ऐसा तंत्र विकसित करे जिससे इस समस्या को सुलझाया जा सके। मैं यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि निजी कंपनियां उपभोक्ताओं की बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं।

दिल्ली में एनडीपीएल और बी एस ई एस ने कई मीटर बदले हैं। क्या सरकार का विचार कंपनियों को शेष मीटरों को न बदलने का निर्देश देने अथवा उपभोक्ताओं को उस राशि जो उन्होंने नए मीटर लगाने हेतु अदा किया है, का पुनर्भुगतान करने हेतु कोई उपबंध बनाने का है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा है कि यह मामला राज्य सरकार से संबंधित हैं। आप यह प्रश्न उनसे करवा सकते हैं।

श्री पी.एम. सईद : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूं।

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय समस्या यह है कि उन्हें निचले तबके तथा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के बारे में भी सोचना होगा क्योंकि वे पहुच नहीं सकते...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो स्वाभाविक है, परन्तु यह एक संघीय देश है।

श्री पी.एम. सईद : महोदय, इस मामले में आयोग ने वास्तव में कुछ कम्पनियों पर अर्थ दण्ड लगाया है और कुछ वितरण कम्पनियों ने थोड़ा अर्थ दण्ड चुकाया भी है। उन्होंने अतिशय भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को रिफंड देने के अलावा उपभोक्ताओं को ब्याज का भुगतान भी किया है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा : मेरा निवेदन है कि उपभोक्ताओं के बीच इतना फर्क नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

उन उपभोक्ताओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो बिल नहीं दे सकते। कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है। मुझे इस बात की जानकारी है क्योंकि हम निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर भी जा रहे हैं। लोगों को तेज चलने वाले इलैक्ट्रिक मीटरों के कारण परेशानी हो रही है। इसलिए इसमें सुधार की कोई व्यवस्था होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या यह समस्या आपके चुनाव क्षेत्र की है?

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय मैं केवल अपने चुनाव क्षेत्र की बात नहीं कर रही हूं बल्कि मैं आम बात कर रही हूं। मैं समग्र रूप से पूरे देश में विद्यमान स्थिति के बारे में बात कर रही हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त कर दिया हैं।

श्री पी.एम. सईद : महोदय, ऐसी शिकायतों को मंच के समक्ष लाया जा सकता है। अधिकांश राज्यों के अपने विनियामक आयोग है और उन्होंने इसे पहले ही अधिसूचित कर दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने पद का भी प्रयोग करें। यहां यही बात कही जा रही है। मेरे विचार से यहां केवल राज्य से संबंधित मामले नहीं आ सकते।

इस प्रश्न पर अंतिम अनुपूरक श्री अजय माकन पूछें।

श्री अजय माकन : सभापति महोदय, जब दिल्ली में विद्युत संबंधी सुधार किया गया तब मैं दिल्ली का विद्युत मंत्री था। मैं दो चीजों के बारे में जानना चाहूंगा। दिल्ली में जबसे विद्युत संबंधी सुधार हुआ हैं चोरी में कमी हुई है। टी एण्ड डी हानियां 55 प्रतिशत तक थीं। अब ये 44 प्रतिशत तक नीचे आ गई हैं। केन्द्र सरकार इन कंपनियों को चोरी कम करने के लिए उचित सुरक्षा, उचित पुलिस व्यवस्था देकर कितनी सहायता दे रही है?

दूसरी बात, दिल्ली सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र पर खर्च की गई सालाना राशि 1400 करोड़ रु. से 1500 करोड़ रु. तक थी। अब उस सालाना खर्च में कितनी कमी की गई है जो कि सरकार विद्युत क्षेत्र पर खर्च के लिए उपयोग में लाती है? इस पैसों का उपयोग कुछ अन्य उत्पादक, सामाजिक कार्यों के लिए किये जाने की बजाय अब उस सालाना खर्च में कितनी कमी की गई है जो सरकार विद्युत क्षेत्र पर खर्च के लिए उपयोग में लाती है।

अध्यक्ष महोदय : यह सूचना देने से अधिक है।

श्री पी.एम. सईद : इस प्रश्न का संबंध खराब मीटरों से है। माननीय सदस्य दिल्ली को उपलब्ध कराई जाने वाली निधियों के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि चोरी अब 45 प्रतिशत है। मेरी जानकारी के अनुसार यह 45 और 50 प्रतिशत के बीच है।

अध्यक्ष महोदय : यह समस्या दिल्ली के भूतपूर्व विद्युत मंत्री तथा वर्तमान केन्द्रीय विद्युत मंत्री के बीच है।

प्रश्न सं. 285 - डा. एम जगन्नाथ।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

***285. डा. एम. जगन्नाथ** :
श्री उदय सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र को प्रतियोगी तथा आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु कई नई नीतिगत पहलों को क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्ववर्ती तीन विद्युत अधिनियमों के स्थान पर नए अधिनियम बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नए अधिनियमों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने विद्युत क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक और अर्थक्षम बनाने के लिए सुधार कार्यों को जारी रखने हेतु अनेक महत्वपूर्ण पहले की हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) राज्य सरकार के साथ करार ज्ञापन हस्ताक्षरित करना जिसमें सहमत सुधार एजेंडे पर संतोषजनक प्रगति करने वाले और पूर्ण निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार गतिविधियां निष्पादित करने वाले राज्यों को केंद्रीय सरकार की सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

(ii) विनियामक आयोग द्वारा टैरिफ का निर्धारण।

(iii) तकनीकी हानियों में कमी करने और विद्युत आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वितरण नेटवर्क में निवेश हेतु तथा नकद अनुदानों के जरिए नकद हानियों में कमी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों की सहायता हेतु त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)।

(iv) सुधार कार्य की प्रगति के मूल्यांकन के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों की आवधिक रेटिंग।

(v) गांवों और ग्रामीण घरों का त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण और हानियों में कटौती हेतु विद्युत चोरी में कमी करने के लिए उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) आरंभ करना।

(vi) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत उत्पादन को लाइसेंस से मुक्त किया गया है और ताप विद्युत संयंत्रों के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(vii) पारेषण में पक्षपात रहित रूप से खुली पहुंच प्रदान की गई है।

(viii) विद्यमान प्रणाली के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन एवं वितरण की एकल प्रणालियों को पूर्णत: लाइसेंस मुक्त किया गया है।

(ix) राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा तैयार विनियमों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से वितरण में खुली पहुंच।

(x) सब्सिडियों के संबंध में पारदर्शी नीतियां।

(xi) राष्ट्रीय ग्रिड का विकास।

(xii) विद्युत उत्पादन परिसंपत्तियों के बेहतर समुपयोजन हेतु विद्युत व्यापार को बढ़ावा देना।

(xiii) विद्युत की चोरी के संबंध में कठोर कानूनी प्रावधान।

(xiv) उच्च हानियों वाले स्थानों का पता लगाने के लिए ऊर्जा लेखांकन एवं ऊर्जा लेखा परीक्षा हेतु उपभोक्ता को की जाने वाली आपूर्ति और फीडरों की मीटरिंग पर बल देना।

(xv) वितरण प्रणाली एवं बिलिंग में सुधार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग।

(xvi) उपभोक्ता की शिकायतों के निपटान के लिए मंचों का गठन तथा इन मंचों द्वारा शिकायतों का समाधान नहीं करने संबंधी मामलों की जांच के लिए ऑम्बडजमैन की नियुक्ति।

(xvii) वितरण में विद्युत उपलब्धता के विश्वसनीय सूचकांक की मॉनीटरिंग।

(xviii) ऊर्जा संरक्षण के उपायों का कार्यान्वयन। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई है।

(xix) जल विद्युत क्षमता के दोहन के लिए 50,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का विकास।

(xx) 100,000 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता का विकास।

(xxi) सस्ती विद्युत के लिए बड़े विद्युत उत्पादक संयंत्रों की त्वरित क्षमता अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए मेगा पावर पॉलिसी।

(xxii) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा नई विद्युत उत्पादक स्कीमों के जरिए क्षमता संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी)।

(ग) और (घ) विद्युत अधिनियम 2003 को अधिनियमित कर दिया गया है और यह प्रभावी हो गया है। इसके तहत पहले के तीन अधिनियमों नामशः भारतीय विद्युत अधिनियम 1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 और विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 को निरस्त किया गया है।

नये अधिनियम में विद्युत उद्योग का विकास करने, उनमें प्रतिस्पर्धा जगाने, उपभोक्ताओं के हितों के सुरक्षा करने व सभी क्षेत्रों को विद्युत को आपूर्ति करने, विद्युत टैरिफ का यौक्तिकरण करने, सब्सिडियों के बारे में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करने, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहित करने, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण व विनियामक आयोगों की स्थापना करने तथा अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए एक उदार कार्यढांचा सृजित किया गया है। यह अधिनियम विद्युत आपूर्ति उद्योग के विभिन्न खण्डों में प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करता है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है तथा इससे दक्षता में सुधार होता है। इसमें टैरिफ का यौक्किरण करने और विद्युत की चोरी से निपटने के लिए कठोर उपाय करने का प्रावधान भी किया गया है। इसमें उपभोक्ता के हितों की रक्षा हेतु विभिन्न प्रावधान किये गये हैं, यथा लाइसेंस धारकों के लिए कार्य निष्पादन हेतु मानक निर्धारित करना, उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण हेतु फोरम बनाना तथा शिकायत का निवारण न होने के मामलों में विचार करने के लिए ऑम्बड्समैन संस्थान की नियुक्ति करना।

डा. एम. जगन्नाथ : महोदय माननीय मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 में कुछ उपबंध हैं। मैं इसमें से उद्धृत करना चाहूंगा क्योंकि यह मेरे अनुपूरक प्रश्न से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : आपको धाराएं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना प्रश्न पूछें।

डा. एम जगन्नाथ : मैं एक नीति का उल्लेख करूंगा। यदि लाइसेंस धारक विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों का पालन नहीं करते तो क्या ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यदि लाइसेंसी विद्युत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपनी वचनबद्धताएं पूरी नहीं करते तो सरकार का इन पर क्या दण्ड लगाने तथा कठोर उपाय करने का प्रस्ताव है। क्या उन लाइसेंसियों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे जो विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों का पालन नहीं करते?

श्री पी.एम. सईद : माननीय सदस्य ने सुधारों के बारे में पूछा है। प्रमुख बात है पांच वर्षों में सभी को बिजली"। इसके लिए वितरण क्षेत्र पर उचित रूप से ध्यान देना होगा। हमने कई योजनाएं शुरू की हैं। मैं केवल उनका उल्लेख कर सकता हूं। हम लगभग 22 उपाय कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने दण्ड के बारे में भी पूछा है। दण्ड संबंधी पहलु पर विचार विनियामक आयोग द्वारा किया जाना है और न कि सरकार द्वारा।

डा. एम. जगन्नाथ : महोदय विद्युत उत्पादन में विभिन्न कम्पनियां है जैसे एन टी पी सी तथा निजी कंपनियां जेनको तथा ट्रांसको हैं। शेयर धारक घरेलू उपभोक्ता, कृषि, उद्योग तथा स्थानीय निकाय हैं। कम्पनियां शेयर धारको को ऊंचे दामों पर बिजली बेच रही हैं मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार का शेयर धारकों जैसे घरेलू उपभोक्ता, कृषि, उद्योग तथा स्थानीय निकायों के लिए पूरे देश में एक समान प्रशुल्क लगाने के लिए एक राष्ट्रीय विद्युत प्रशुल्क नीति बनाने का विचार है?

श्री पी.एम. सईद : विस्तृत विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत नीति बनाए जाने का प्रस्ताव है। हम इसके अंतिम चरणों में हैं।

श्री उदय सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सभा में विद्युत क्षेत्र में सुधारों के संबंध में कई प्रश्न पूछे गए तथा इनके उत्तर दिये गये। परन्तु एक मुख्य प्रश्न का अभी भी उत्तर नहीं दिया गया है। वह यह है कि भारत में विशेष रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कब तक पहुंचेगी।

हम जानते हैं कि राज्य सरकारें बिजली के साथ राजनीति करती है। कृषि क्षेत्र को निःशुल्क और राजसहायता प्राप्त दरों पर विद्युत प्रदान करने के नाम पर, इनके विद्युत बोर्ड दिवालिये होने के निकट पहुंच चुके हैं और उन लोगों को बिजली नहीं दी जा रही है जिन्हें यह बिजली निःशुल्क दी जानी चाहिए थी।

उदाहरण के लिए मेरे राज्य बिहार में, गत दस वर्षों से, बिजली की अनुपलब्धता के कारण महत्वपूर्ण उद्वह सिंचाई परियोजनाएं अप्रयुक्त पड़ी हैं। इसलिए, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है, क्या वह और उनकी सरकार इस संबंध में प्रयास करेगी और राजनैतिक सर्वसम्मति उत्पन्न करेंगे?

यद्यपि विद्युत वितरण समवर्ती सूची में है, तो भी यह राज्य का विषय है, क्या मंत्रालय राजनैतिक हस्तक्षेप को रोकने और विद्युत के निर्बाध वितरण के लिए राजनैतिक सर्वसम्मति और कानून बनाएगा? इसके साथ-साथ, क्या मंत्रालय कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में उचित विद्युत प्रशुल्क को ध्यान में रखकर कृषि मंत्रालय से संपर्क करेगा ताकि कृषि क्षेत्र को राजसहायता प्रदान करने की आवश्यकता समाप्त हो जाए?

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। यह विषय इस प्रश्न में नहीं है। आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जिसका उत्तर केवल राज्य सरकारें दे सकती हैं। क्या मंत्री जी, आप उत्तर देना चाहेंगे? आप यह क्यों नहीं कहते कि आप इसकी जांच करेंगे?

श्री पी.एम. सईद : जी हां, महोदय।

श्री उदय सिंह : महोदय, मैं समझता हूं, मंत्री जी को मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

श्री पी.एम. सईद : राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार, पांच वर्षों के भीतर, गांवों में बिजली पहुंचानी है। यह हमारी प्रतिबद्धता है और यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसे प्राप्त करने के लिए, हमें दसवीं योजना में 41,110 मेगावाट बिजली उत्पन्न करनी होगी। हम इस लक्ष्य तक पहुंचाने वाले मार्ग पर अग्रसर हैं।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आखिरकार हममें कुछ अनुशासन होना चाहिए। आप लगातार प्रश्न नहीं पूछ सकते।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में अनेक पुराने विद्युत उत्पादन केन्द्र है जिन की क्षमता कम होती जा रही है। क्या पुरानी मशीनों का नवीनीकरण करके, उन्हें उच्च क्षमता में लाकर विद्युत उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना या नीति बनायी गई है? खास तौर पर उत्तर प्रदेश ने विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए जिस स्पैशल पैकेज की मांग की है, क्या मंत्री जी उस पर विचार करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न देखें। इसका संबंध विद्युत सुधारों से है। लेकिन आप कुछ चुनिंदा राज्यों से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं।

श्री पी.एम. सईद : महोदय, उनके प्रश्न का सीधा संबंध उनके अपने राज्य से है। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, हमारे पास ए.पी.डी.आर.पी. है जिसके दो घटक हैं। एक घटक निवेश का है, जिसमें 50 प्रतिशत का निवेश है। दूसरा घटक अनुदान घटक है जिसमें 25 प्रतिशत का घटक है। इसलिए, इसका प्रयास उनके उपकेन्द्रों की स्थिति सुधारने और वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए वितरण क्षेत्र का विस्तार करने और उसको आधुनिक बनाना है। यूपीए घोषणा पत्र में भी यही कहा गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमने उन्हें पहले ही ए.पी.डी.आर.पी. की विषय वस्तु उपलब्ध करा दी है। उन्होंने इसका बहुत कम उपयोग किया है। मैं 'कम उपयोग' नहीं कहना चाहता लेकिन वे इसका उपयोग करने के हकदार हैं। वे इस सुविधा का बहुत बढ़िया लाभ उठा सकते हैं। वे इसका सदुपयोग वितरण को सुधारने के लिए कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, इस प्रश्न का संबंध विद्युत सुधारों से है, यह अलग-अलग राज्यों से संबंधित नहीं है। यदि किसी का विद्युत सुधारों से संबंधित कोई प्रश्न है तो वह पूछ सकता है।

डा. सुजान चक्रवर्ती : वर्षों से विद्युत क्षेत्र सुधारों पर चर्चा होती रही है। उत्तर में यह कहा गया है कि 50,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन और एक लाख ताप विद्युत का उत्पादन आरंभ किया गया है। लेकिन माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा: गत पांच से सात वर्षों में ताप विद्युत उत्पादन और जल विद्युत उत्पादन में वास्तव में कितनी वृद्धि की गयी है? महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, संविधान के तिहत्तरवें (संशोधन) अधिनियम में, पंचायते सबसे आगे हैं। सम्पूर्ण विद्युत सुधारों में विशेषरूप से वितरण प्रणाली में पंचायतें वास्तव में किस प्रकार से सम्मिलित हैं? मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसका विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए।

श्री पी.एम. सईद : यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में, हम पंचायतों को शामिल करना चाहते थे ताकि वे ग्रामीण स्तर पर बिजली के वितरण में भली-भांति भाग ले सकें। महोदय, अभी तक हमने गांवों में 44 प्रतिशत परिवारों को शामिल किया है और गांवों में अभी 56 प्रतिशत परिवारों को अभी शामिल किया जाना है। हमने अगले पांच वर्षों के लिए पुनः अपनी पूर्णनीति और योजना तैयार कर ली है।

इसके लिए, इस समय, हमारे पास चालीस प्रतिशत अनुदान है और साठ प्रतिशत ऋण है। हम इसमें वृद्धि करना चाहेंगे। मैं सिर्फ यह नहीं बता सकता कि हम किस सीमा तक यह कार्य करने जा रहे हैं। लेकिन हमारा इरादा यह है कि वर्ष 2009 तक प्रत्येक घर में बिजली होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

डा. सुजान चक्रवर्ती : संवैधानिक प्रावधान यह है कि आपको पंचायतें शामिल करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा है। यही उनका इरादा है।

(व्यवधान)

डा. सुजान चक्रवर्ती : इस सुधार प्रक्रिया से उत्पादन में सही-सही कितनी वृद्धि होगी?

श्री पी.एम. सईद : मैं पहले ही कह चुका हूं कि दसवीं योजना के अंत तक हम 41,110 मेगावाट की वृद्धि कर सकेंगे तथा ग्यारहवीं योजना के अंत तक हमारी 60,000 मेगावाट की और वृद्धि करने का विचार है।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : यह पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वितरण कार्य में निजीकरण से प्राप्त हेतु अनुभव से हमारे द्वारा उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त कर लिये जाने से केन्द्र द्वारा राज्य बोर्डों को सलाह प्रदान करना नीति निर्माण में सहायक होगा। वितरण कार्य के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप निजी लिमिटेड कंपनियों को प्रोत्साहन दे रहें है ताकि विद्युत चोरी एवं अन्य चीजों पर नियंत्रण किया जा सके।

श्री पी.एम. सईद : इस क्षेत्र में एकाधिकार नहीं है क्योंकि अनुपूरक आपूर्ति हेतु हमने केन्द्र से एन टी पी सी, एन एच पी सी तथा कुछ अन्य संगठनों के जरिए विद्युत उत्पादन 1976 में शुरू किया है। वर्तमान में हमारा योगदान 32 प्रतिशत है। दसवीं योजना के अन्त तक अतिरिक्त क्षमता में केन्द्र का स्वयं का योगदान 50 प्रतिशत होगा तथा ग्यारहवीं योजना के अंत तक योगदान 50 प्रतिशत और होगा अत: ग्यारहवीं योजना के अंत तक केन्द्रीय क्षेत्र का स्वयं का योगदान 40 प्रतिशत होगा। अब हम सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की अनुमति दे रहे हैं। उन्हें प्रतिस्पर्धा करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी नीति है।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण कब तक होगा? महाराष्ट्र में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो गया है और इसीलिये महाराष्ट्र बिजली बोर्ड हमेशा उत्पादन एवं ट्रांसमीशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन में आगे है। भारत सरकार...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। जब महाराष्ट्र बिजली बोर्ड को हर वर्ष राष्ट्रपति जी द्वारा पारितोषक मिलता है, तब सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों जा रही है? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे बिजली बोर्ड सक्षम होने के बाद भी सरकार उनका प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहती है?

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद : हम केवल नीति स्वरूप ही निजीकरण नहीं कर रहे हैं। हम सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दे रहे हैं ताकि गुणवत्ता में सुधार हो, विश्वसनीयता बढ़े तथा उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिले। हमारा ध्यान इसी पर है।

श्री एस. के. खारवेनथन : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पूरे देश में किसानों को मुफ्त बिजली देने के उद्देश्य से सरकार का विद्युत अधिनियम में संसोधन किये जाने का विचार है।

श्री पी.एम. सईद : नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : बहादुरी हमेशा ही एक सदगुण होता है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में इस बात को स्वीकार किया है कि विद्युत क्षेत्र में आधुनिकीकरण के जो कार्यक्रम हैं, उस में बिजली उत्पादन को निजी क्षेत्र में कर दिया गया है, यह अच्छी और स्वागत योग्य बात है। जो छोटे पॉवर प्लांट जो 4-5-10 या 15 मेगावाट बिजली बनाते हैं, उन्हें भी अपनी बिजली वितरण के लिये स्टेट पॉवर कारपोरेशन के पास जाना पड़ता है।

उसकी वजह से न तो उनको रिटर्न मिलता है और न वे पावर प्लान्ट बैठाने में कोई रूचि ले रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि एक सीमा तक जैसे 30 मेगावाट तक पावर स्टेशन बनाने की, पावर जनरेशन की जिनकी क्षमता है, उन्हें अपनी उत्पादित बिजली का वितरण करने का अधिकार देने की नीति बनाने पर भी क्या भारत सरकार विचार करेगी?

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद : महोदय, यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री ज़ी से जान सकता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने सुधारों के परिणाम के बारे में कोई मूल्यांकन अध्ययन किया है सुधार प्रक्रिया नब्बे के दशक में आरम्भ हुई थी तथा 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने सुधारों के परिणामस्वरूप हुए लाभ के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है? नब्बे के दशक में वितरण कार्य में सुधार करने वाले राज्यों में उड़ीसा पहला राज्य था। राज्य की खस्ता हालत के बारे में हम सब जानते हैं। विदेशी कंपनियां जा चुकी है तथा अब पूरा भार राज्य सरकार उठा रही है। यदि अब तक इन्होंने कोई मूल्यांकन नहीं करवाया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसी मूल्यांकन कार्य के लिए पहल करेगी।

श्री पी.एम. सईद : महोदय, सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया है। हमने सुधार के लाभ का निर्धारण कर लिया है। उदाहरणार्थ 'प्लांट लोड फैक्टर' को ही लें। यह 57 से 73 हो गया है। जैसा कि आप जानते है कि एक यूनिट की बचत से 4 रुपये की बचत होती है तथा हमारे पास लगभग 23 प्रतिशत उर्जा-संरक्षण की क्षमता है अर्थात् 25,000 मेगावाट। यदि इसे धनराशि में बदला जाए तो यह 100 हजार करोड़ रुपये बैठती है। यह एक पहलू है।

दूसरी बात इन राज्य विद्युत बोर्डों के ऋण तथा उनकी उपयोगिता के बारे में कि उनके घाटे को अब बोन्डों में प्रतिभूतिकरण कर दिया गया है तथा वे नियमित रूप से अपने बकाया का भुगतान कर रहें हैं। कोई चूककर्ता नहीं है तथा सात वर्षों के भीतर इसका पुनर्भुगतान करना होगा। अब विद्युत बोर्डों की स्थिति एवं उपयोगिता काफी सुदृढ़ है। ये सुधारों के परिणाम हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : देश के बहुत बड़े भाग में बिजली-आपूर्ति के विस्तार के लिए प्रशंसनीय वचनबद्धता के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए क्या मैं उनसे यह जान सकता हूं कि चूंकि हो रहे सुधारों की प्रक्रिया के बारे में तथा हो रहे निजीकरण के बारे में तथा इससे लागत में हो रही वृद्धि के संबंध में ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में आलोचना हो रही है, तो क्या माननीय मंत्री जी ट्रेड यूनियनों सहित सभी-सम्बन्धितों से इस विवादास्पद मुद्दे पर आम राय बनाने के लिए बातचीत करेंगे क्योंकि जो प्रयोग चल रहा है वह हमारे लिए बहुत लाभदायक नही रहा है जैसा कि हमें उड़ीसे के अनुभव से ज्ञात हुआ है?

श्री पी.एम. सईद : महोदय, मैं मेरे माननीय मित्र के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। सुधार की सम्भावनाएं हो सकती हैं। मैं उन समेत ट्रेड यूनियनों में उनके मित्रों से बातचीत करने को तैयार हूं लेकिन मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप एक दूसरे को समझाने का प्रयास कीजिए।

श्री सांताश्री चटर्जी : जैसा कि सभा में रखे गए उनके वक्तव्य में उल्लिखित है, माननीय मंत्री महोदय ने विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का गुणगान करने का काफी प्रयास किया है। उड़ीसा के माननीय सदस्य ने अभी-अभी सुधारों के परिणामों का जिक्र किया है। दामोल में एनरॉन तथा उड़ीसा और अन्य राज्यों में प्राप्त अनुभवों के आलोक में, तथा विभिन्न राज्य सरकारों, श्रमिक संघो अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्री जी इस अधिनियम को निरस्त करने अथवा इसे कुछ हद तक संशोधित करने हेतु विचार करने के लिए तैयार है ताकि हम वर्तमान अधिनियम से बुरी तरह प्रभावित साधारण उपभोक्ता की मदद कर सके?

श्री पी.एम. सईद : महोदय, मैं उन्हें वही उत्तर देना चाहूंगा जो मैंने अभी-अभी अपने मित्र को दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, आप उनसे मुलाकात कर लीजिएगा।

श्री पी.एम. सईद : मैं उनसे भी मुलाकात कर लूंगा।

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले शासनकाल में जो पन-बिजली योजनाएं चालू की गई थीं, उन योजनाओं की क्या गति है? वे कब तक पूरी होंगी? मध्य प्रदेश राज्य में बिजली की पहले से ही परेशानी है और उसमें आप कटौती कर देते हैं। अभी आपने कटौती कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न रिफॉर्म्स के बारे में है।

डा. राम लखन सिंह : महोदय, मैं नीति का सवाल पूछ रहा हूं। क्या इसके लिए कोई ऐसी नीति है, जो आप तय करते हैं, सभी राज्यों को समान रूप से बिजली देने के लिए, उसमें जो कटौती करते हैं, इसके बारे में आपकी क्या नीति है? मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बिजली की अत्यधिक आवश्यकता है।

श्री पी.एम. सईद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल है कि हरेक राज्य को एक ही मापदंड से आप देखते हैं या नहीं। मध्य प्रदेश के बारे में भी उनके मुख्य मंत्री आए थे और मुझसे मिले थे। भारत सरकार के पास अनएलोकेटेड 15 फीसदी ऊर्जा होती है। वह 15 फीसदी इसलिए रखी है कि जो डिसट्रैस स्टेट्स हैं, जहां इमरजैन्सी है, उनको देने के लिए रखा है। वहां किसी और बात का कंसिडरेशन नहीं होता। सिर्फ यह देखते हैं कि सबसे ज्यादा ज़रूरत किसको है और वहां पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। अन्यथा किसी भी हालत में हमने न कभी भेदभाव किया, न करेंगे।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती

\+

*286. **श्री जुएल ओराम :**
श्री विजय कृष्ण :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2003-04 में कितना लाभ अर्जित किया;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण को कुछ वित्तीय पैकेज दिये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद भारतीय इस्पात प्राधिकरण तथा इसकी सहायक कंपनियों के जिन कर्मचारियों/अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है/त्यागपत्र दिए हैं उनकी संख्या कितनी है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की बड़ी संख्या में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के नाम पर छंटनी कर दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 2003-04 में 2512 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया जबकि 2002-03 में इसे 304 करोड़ रुपये की हानि हुई थी।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में सेल के लिए एक वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना पैकेज मंजूर किया गया था। वित्तीय पैकेज में सेल को इस्पात विकास निधि (एस डी एफ) से 5073 करोड़ रुपये और भारत सरकार से 381 करोड़ रुपये के ऋण को माफ करने का प्रावधान किया गया था। इसमें सेल द्वारा बाजार से जुटाए जाने वाले ऋणों के लिए सरकारी गारंटी का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के जरिए जन शक्ति में कमी करने की वित्तीय व्यवस्था के लिए 50% ब्याज इमदाद सहित 1,500 करोड़ रुपये की गारंटी और पिछले ऋणों को लौटाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये (ब्याज इमदाद के बिना) की सरकारी गारंटी मंजूर की गई थी।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा निवृत्ति लेने वाले/त्याग पत्र देने वाले कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है:

संयंत्र	2001-02				2002-03				2003-04			
	वीआरएस		त्याग पत्र दिया		वीआरएस		त्याग पत्र दिया		वीआरएस		त्याग पत्र दिया	
	कार्यपालक	गैर कार्यपालक	कार्यपालक	गैर कार्यपालक	कार्यपालक	गैर कार्यपालक	कार्यपालक	गैर कार्यपालक	कार्यपालक	गैर कार्यपालक	कार्यपालक	गैर कार्यपालक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बीएसपी	245	1109	16	12	146	1917	17	10	31	562	22	12
डीएसपी	53	360	14	10	82	586	12	11	21	181	6	4
आरएसपी	166	1085	15	9	102	646	14	6	39	326	8	2
बीएसएल	385	1226	22	16	220	879	13	1	85	447	11	5
एएसपी	41	369	1	0	58	392	1	0	4	52	1	1
एसएसपी	26	43	4	0	44	62	1	1	3	1	2	2
वीआईएसपी	112	888	4	0	32	234	0	0	10	119	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
इकाइयां	161	241	15	2	83	330	23	4	37	82	17	0
सेल	1189	5321	91	49	768	5046	81	33	230	1770	69	26
						सहायक कंपनियां						
इस्को	Nil	Nil	13	8	19	2842	7	6	24	1482	5	1
एमईएल	15	28	1	0	3	13	1	0	0	31	1	0

टिप्पणी: बीएसपी = भिलाई इस्पात संयंत्र, डीएसपी = दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, आरएसपी = राउरकेला इस्पात संयंत्र,
बीएसएल = बोकारो इस्पात संयंत्र, एएसपी = मिश्र इस्पात संयंत्र, एसएसपी = सेलम इस्पात संयंत्र,
वीआईएसपी = विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, इस्को = इंडियन आयरन एंड स्टील कं. लि.,
एमईएल = महाराष्ट्र इलैक्टोस्मैल्ट लि.
इकाइयां = कच्चा माल प्रभाग, केन्द्रीय विपणन संगठन, विकास प्रभाग,
निगमित कार्यालय आदि।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपरोक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

श्री जुएल ओराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। वैसे तो मंत्री जी वरिष्ठ हैं, आप उत्तर में देखें, जो भाग 'डी' में कितने लोगों ने वीआरएस लिया है, उसका ब्यौरा दिया गया है। भाग 'ई' में पूछा गया है कि उसमें एस.सी. और एस.टी. कितने हैं? उसके उत्तर में कहा गया है—जी, नहीं। इसका मतलब क्या है, मंत्री जी बताएं, ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? एस.सी. और एस.टी. कितने हैं, यह स्पष्ट बताना चाहिए।

इसके बाद मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि आपने 2512 करोड़ का प्रॉफिट किया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बाद भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में डिस्प्लेस्ड लोगों को क्यों नौकरी नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में भी बताएं।

श्री रामविलास पासवान : जो टोटल एक्जीक्यूटिव में हैं, उसमें से 2187 लोगों को पिछले तीन सालों में वीआरएस दिया गया। उसमें शैडयूल्ड कास्ट्स के 97 लोग थे और शैडयूल्ड ट्राइब्ज के 64 लोग थे। उसी तरह से नॉन एक्जीक्यूटिव में 12137 लोगों को वीआरएस दिया गया और उसमें से शैडयूल्ड कास्ट्स के 1857 तथा शैडयूल्ड ट्राइब्ज के 1413 लोग थे। मैंने परसैन्टेज देखा है और उस परसैन्टेज में शैडयूल्ड कास्ट्स का एक्जीक्यूटिव में जो प्रतिनिधित्व रहा है, वह 11.18 प्रतिशत है और कुल परसेन्टेज के 4.4 प्रतिशत लोगों को वीआरएस दिया गया है। नॉन-एक्जीक्यूटिव में शैडयूल्ड कास्ट्स के लोगों की कुल संख्या 15.7 प्रतिशत है और उनमें से 15.3 प्रतिशत लोगों को वीआरएस दिया गया हैं शैडयूल्ड ट्राइब्ज की संख्या 4.99 प्रतिशत है और 2.9 प्रतिशत लोगों को वीआरएस दिया गया है।

जो नॉन एग्जीक्यूटिव में हैं, उनकी संख्या 14.1 प्रतिशत है। जो वी.आर.एस. दिया गया है वह 11.6 प्रतिशत लोगों को दिया गया है। मैंने इसे दोनों तरफ से देखने का काम किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शेडयूल्ड कास्ट्स एंड शेडयूल्ड ट्राइब्ज के एम्पलाइज और ऑफीसर्स को उनकी पापुलेशन से अधिक वी.आर.एस. देने का काम किया गया हो, लेकिन मैंने पाया कि ऐसा नहीं है।

महोदय दूसरी बात विस्थापितों की है। यह मामला बहुत गंभीर है, लेकिन डिस्प्लेस्ड परसन्स के लिए एक नियम बना रखा है जिसके अंतर्गत हम राज्य सरकार से मांग करते हैं और राज्य सरकार बताती है कि कौन विस्थापित है और कौन नहीं। जितने लोगों के नाम राज्य सरकार भेजती है उन सभी को शत-प्रति-शत नौकरी या जो भी उनका हक बनता है, वह दिया जाता है।

श्री जुएल ओराम : महोदय, राउरकेला स्टील प्लांट में बोकारो के लोगों की अलग 1098 संख्या है जिनकी सूची राज्य सरकार ने भेजी है और सुप्रीमकोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें नौकरी दी जाए और यह आदेश आज नहीं बल्कि पांच वर्ष पूर्व दिया था, लेकिन

उन्हें आज तक नौकरी नहीं दी गई है। इसके लिए उन्होंने बन्द का आयोजन भी किया था, लेकिन फिर भी नौकरी भी नहीं दी गई। नौकरी नहीं देते हैं, वह अलग बात है, लेकिन स्थिति इतनी बदतर है कि उनसे स्टील प्लांट्स के अधिकारी डिसकस करने भी नहीं जाते हैं। उसमें ज्यादा लोग शेडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि रिपोर्ट आपको आती है कि नहीं। यदि आपके अधिकारी ऐसा करेंगे, तो हम क्या करेंगे। वहां के लोगों की जमीन स्टील प्लांट के लिए 50 साल पहले ली गई और वे आज तक दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। वे लोग क्या करेंगे। यह कोई ला-एंड-आर्डर की सिचुएशन नहीं है अथवा यह राज्य सरकार की बात है, यह कहकर इसे ऐसे नहीं टाला जा सकता है। आप ऐसे दृष्टिकोण को बदलिए।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, हम लोग तो शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि उनका भला हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो नियम हैं, उनके मुताबिक डिसप्लेस्ड परसन्स की लिस्ट आई है, जिसे राज्य सरकार ने भेजा है।...*(व्यवधान)*

श्री जुएल ओराम : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार दोनों ने कह दिया है कि उन्हें नौकरी देनी है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जिस राज्य में प्लांट्स होते हैं, उस राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर हम विस्थापितों की संख्या मानते हैं। हमारे पास कोई एजेंसी नहीं होती जिससे हम बता सकें कि कौन विस्थापित है कौन नहीं। हमें जितने लोगों के बारे में राज्य सरकार द्वारा सूचना दी गई, हमने उतने लोगों को नौकरी दे दी या उनका जो हक उन्हें दिया जाना था, वह दे दिया। यदि राज्य सरकार ने कोई आंकड़ा दिया और उसके मुताबिक नौकरी नहीं दी गई, तो मैं जरूर देखूंगा और देखूंगा ही नहीं बल्कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय कृष्ण। अनुपस्थित।

श्री चंद्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, सेल और उसकी जो अनेक सहयोगी कंपनियां हैं उनमें वी.आर.एस. और रैजिगनेशन बहुत लोगों ने दिए हैं। वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2004 तक, लगभग तीन वर्ष तक कंपनी लॉस में चल रही थीं। अब अपनी कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। इसका मुख्य कारण है कि स्टील की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सेल के आधार पर अनेक निजी कंपनियां पूरे देश में चल रही हैं। मेरे क्षेत्र में भी ऐसी तीन कंपनियां हैं। उनके कर्मचारी भी लगातार बीच में तीन बार स्ट्राइक कर चुके हैं क्योंकि वे भी स्टील के मामले में सेल पर ही आधारित थीं। उन कपंनियों में जितनी स्टील की खपत थी, सेल उतनी स्टील उनको नहीं देता था। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेल का क्या कोई नया प्लांट लगाने अथवा उसका एक्सपैंशन करने का सरकार का क्या कोई विचार है जिससे उसके ऊपर आधारित निजी कंपनियों में लगे लोगों को राहत मिल सके क्योंकि उन्हें राहत तभी मिलेगी जब सेल उन कंपनियों को ज्यादा स्टील सप्लाई करेगी और जब सेल उन्हें ज्यादा स्टील सप्लाई करेगी, तो वे कंपनियां चलेंगी?

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो प्रश्न हैं। कंपनी घाटे में चले या मुनाफे में चले, इस संबंध में मैंने अपने मंत्रालय का कार्य-भार संभालते ही, उसी दिन कह दिया और लोगों को आश्वस्त कर दिया कि जबर्दस्ती न तो किसी को निकाला जाएगा और न ही प्लांट को बन्द किया जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि प्लांट काफी मुनाफे में चल रहा है जिसे आपने भी बतलाया है।

महोदय, जहां तक एक्सपेंशन का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि अभी 36 मिलियन टन उत्पादन होता है। हमने इसका टारगेट बनाया है कि हम 2020 तक 100 मिलियन टन तक ले जाएं और इसके लिए 29 हजार करोड़ की इनवैस्टमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम यह करेंगे, तो जहां-जहां भी नए प्लांट लगाने आवश्यक होंगे, वे लगाएंगे और जहां मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन करने का सवाल आएगा, वह भी हम करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान

*287. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य श्रेणी के कितने उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया और उनका संगत हिस्सा कितना है;

(ग) क्या इन संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का प्रवेश प्रतिशत क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के आरक्षण प्रतिशत से काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का दाखिला सुनिश्चित कराने हेतु क्या नीतिगत उपाय शुरू किए जा रहे हैं; और

(ङ) इन संस्थानों में दाखिले हेतु इन उपायों के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राष्ट्रीय महत्व की ऐसी उच्च शिक्षा संस्थाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दाखिले संबंधी आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिशा-निर्देश/अनुदेश जारी किए है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रतिशतता उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता से कम नहीं होनी चाहिए। वर्तमान समय में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की प्रतिशतता प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कुल भरी गई सीटों का 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत है। तथापि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवारों को, जो विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हक परीक्षा में दाखिल किए गए सामान्य संवर्ग के विद्यार्थियों के स्तर से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, दाखिले के लिए सामान्य योग्यता सूची में शामिल किया जाता है और उन्हें आरक्षण के कोटे में नही गिना जाता है। सामान्य संवर्ग में दाखिल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या संबंधी आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दाखिले के लिए सामान्य आरक्षण और कोटा संबंधी नीति का अनुसरण किया जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सामान्य योग्यता सूची के अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की अलग से योग्यता सूचियां होती हैं। इसी प्रकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के संबंध में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की अलग योग्यता सूचियां होती हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिलों की कुल संख्या तथा आरक्षण कोटा की तुलना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के दाखिलों की प्रतिशतता भी संलग्नक में दी गई है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की मानीटरिंग के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक स्थाई समिति गठित की है। इन विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में आरक्षण नीति के उपयुक्त कार्यान्वयन की देखरेख के लिए अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठों की स्थापना हेतु आयोग विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे विद्यार्थियों को 12 महीने के प्रारंभिक पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जा सकता है और प्रारंभिक पाठ्यक्रम में कार्य-निष्पादन के आधार पर विगत वर्षों की रिक्त सीटों पर अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाता है जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं करते परंतु सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। गैट (जी.ए.टी.ई.) के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में दाखिले के लिए न्यूनतम प्रतिशतता सामान्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम प्रतिशतता की दो तिहाई निर्धारित की गई है।

विवरण

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिलों की कुल संख्या और आरक्षण कोटे की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	शैक्षिक वर्ष	स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों में दाखिल विद्यार्थियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की संख्या	%	अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	2001-02	2348	489	20.83	130	5.53
		2002-03	2388	497	20.81	161	6.74
		2003-04	2477	517	20.87	185	7.47

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	2001-02	8244	4	0.04	48	0.58
		2002-03	11183	11	0.09	80	0.71
		2003-04	13920	23	0.17	210	1.50
3.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर	2001-02	481	48	10.00	8	1.67
		2002-03	585	58	9.91	26	4.44
		2003-04	581	53	9.12	21	3.61
4.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर (असम)	2001-02	271	39	14.39	20	7.38
		2002-03	272	38	13.97	25	9.19
		2003-04	257	32	12.45	23	8.94
5.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र	2001-02	30	1	3.33	0	0
		2002-03	32	7	21.87	3	9.37
		2003-04	41	5	12.19	1	2.43
6.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	2001-02	10186	160	1.57	8223	80.72
		2002-03	11729	167	1.42	9633	82.12
		2003-04	11589	165	1.42	9684	83.56
7.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल	2001-02	6967	80	1.14	6797	97.55
		2002-03	6069	37	0.61	5929	97.70
		2003-04	6569	54	0.82	6412	97.61
8.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	2001-02	8471	28	0.33	83.54	98.61
		2002-03	9014	64	0.71	88.30	97.96
		2003-04	10495	75	0.71	102.64	97.80
9.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस	2001-02	15177	1934	12.74	295	1.94
		2002-03	16105	1777	11.03	321	1.99
		2003-04	14668	1973	13.45	379	2.58
10.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	2001-02	4764	48	1.00	6	0.12
		2002-03	4687	52	1.11	3	0.06
		2003-04	4547	99	2.18	12	0.26

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	2001-02	115	43	37.39	5	4.34
		2002-03	117	52	44.44	7	5.98
		2003-04	106	40	37.74	2	1.89
12.	विश्व-भारती शांतिनिकेतन, कोलकाता पश्चिम बंगाल	2001-02	1432	241	16.82	67	4.67
		2002-03	1505	256	17.00	74	4.91
		2003-04	1568	249	15.88	115	7.33
13.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	2001-02	39027	4499	11.53	1211	3.10
		2002-03	39139	4845	12.38	1237	3.16
		2003-04	39139	5077	12.97	1280	3.27
14.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	2001-02	831	118	14.20	83	9.99
		2002-03	730	105	14.38	63	8.63
		2003-04	780	120	15.38	70	8.97
15.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	2001-02	2225	206	9.25	77	3.46
		2002-03	2717	388	14.28	104	3.82
		2003-04	2987	335	11.21	144	4.82
16.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	2001-02	151427	7586	5.01	4912	3.24
		2002-03	136044	20634	15.17	8443	6.21
		2003-04	178064	17833	10.01	13732	7.71
17.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	2001-02	810	134	16.54	15	1.85
		2002-03	807	162	20.07	18	2.23
		2003-04	807	137	16.97	16	1.98
18.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई	2001-02	1248	106	8.50	35	2.80
		2002-03	1278	90	7.04	18	1.41
		2003-04	1463	133	9.10	37	2.53
19.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	2001-02	1544	143	9.26	26	1.68
		2002-03	1712	162	9.46	23	1.34
		2003-04	1666	177	10.62	40	2.40
20.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	2001-02	2660	252	9.47	59	2.22
		2002-03	2815	316	11.23	69	2.45
		2003-04	3112	288	9.25	65	2.09

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	2001-02	1361	158	11.60	41	3.01
		2002-03	1451	182	12.54	48	3.31
		2003-04	1659	197	11.87	54	3.25
22.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	2001-02	1099	137	12.46	66	6.00
		2002-03	1170	120	10.25	54	4.61
		2003-04	1150	159	13.82	43	3.73
23.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	2001-02	288	27	9.37	9	3.12
		2002-03	355	38	10.70	7	1.97
		2003-04	438	41	9.36	19	4.33
24.	*भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	2001-02	00	00	00	00	00
		2002-03	1134	134	11.81	36	3.17
		2003-04	1273	132	10.36	47	3.69

*भारत सरकार द्वारा 21.9.2001 से रुड़की विश्वविद्यालय को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की में परिवर्तित किया गया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) की स्थापना

*288. श्री सुरेश कुरूप :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं;

(ख) क्या उदीयमान शैक्षिक संस्थाओं का उन्नयन करके देश में नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों ने अपनी कुछ संस्थाओं का उन्नयन कर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तित करने का आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने ऐसे आग्रहों पर क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) देश में सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं अर्थात्:—

क्र. सं.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बाई	महाराष्ट्र
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	दिल्ली
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	उत्तर प्रदेश
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	पश्चिम बंगाल
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	तमिलनाडु
6.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	असम
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	उत्तरांचल

(ख) से (ङ) सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के रूप में स्तरोन्नत करने के लिए उदीयमान शिक्षण संस्थानों की पहचान करने के लिए 5 नवम्बर, 2003 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। सरकार को आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वे विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन हैं। राज्यों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों की एक सूची निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	प्रस्ताव
1.	आंध्र प्रदेश	बसरा, जिला-अदिलाबाद, आंध्र प्रदेश में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
		उस्मानिया विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज का स्तरोन्नयन
2.	बिहार	बिहार में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
3.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
4.	गुजरात	गुजरात में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
5.	झारखंड	झारखंड में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
6.	कर्नाटक	एन.आई.टी. के सुरतखल को आई.आई.टी. के रूप में स्तरोन्नत करना
		धारवाड़, उत्तर कर्नाटक में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
7.	केरल	इंजीनियरिंग कालेज, तिरुअनन्तपुरम का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्तरोन्नयन
8.	उड़ीसा	यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ इंजीनियरिंग (यू.सी.ई.) बुरला, उड़ीसा का स्तरोन्नयन
9.	राजस्थान	राजस्थान में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

बच्चों में कुपोषण संबंधी 'यूनिसेफ' की रिपोर्ट

***289. श्री अब्दुल्लाकुट्टी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में बच्चों की स्थिति संबंधी 'यूनिसेफ' की वर्ष 2004 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के 47 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के मृत्यु-दर सूचकांक में भारत को 53वां स्थान दिया गया है, जहां प्रति 1000 बच्चों पर मृत्यु दर 93 बच्चे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा बाल विकास संबंधी भावी नीतियां तैयार करते समय क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां। तीन वर्ष से कम आयु (न कि पांच वर्ष) के बच्चों में अल्प वजनी बच्चों का प्रतिशत 47 है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार बच्चों में कुपोषण की समस्या से अवगत भी है और इस विषय में चिंतित भी है। सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा अनेक स्कीमें एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों की पोषाहारीय स्थिति और विकास को प्रभावित करते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली स्कीमों और कार्यक्रमों में समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.), प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का पोषण घटक, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषणिक रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम, विटामिन ए की कमी से अंधेपन के निवारण हेतु राष्ट्रीय रोग निरोधन कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम शामिल हैं, जिनमें पोषाहार की दृष्टि से पिछड़े 51 जिलों में कुपोषित लड़कियों, गर्भवती व शिशुवती माताओं को खाद्यान्नों के मुफ्त वितरण की स्कीम भी है। बच्चों में कुपोषण को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्तोदय योजना, खाद्यान्न भण्डार स्कीम आदि शामिल हैं। इसके फलस्वरूप, तीन वर्ष से कम आयु के कम-वजनी बच्चों का प्रतिशत जो 1992-93 में 52 था, 1998-99 में घटकर 47 रह गया है।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए आई.सी.डी.एस. स्कीम का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है, ताकि इस कार्यक्रम में और अधिक बच्चों तथा माताओं को शामिल किया जा सके।

इस बारे में, मौजूदा कार्यनीतियों की समीक्षा करने, नीतिगत निर्देश देने और लोगों की पोषाहारीय स्थिति से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रयासों को कारगर तरीके से समन्वित करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण मिशन स्थापित किया गया है।

उर्वरक नीति

*290. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोई दीर्घकालिक उर्वरक नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति का लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या इस नीति की प्रारूप रूपरेखा तैयार कर ली गयी है और इसे विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है ताकि दावेदारों की टिप्पणी/सुझाव आमन्त्रित किए जा सकें;

(घ) यदि हां, तो क्या किसानों से प्राप्त सुझावों को उक्त नीति में शामिल किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या प्रारूप नीति पर प्रतिक्रिया जानने के लिए गठित की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस नीति को कब तक अंतिम रूप प्रदान किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ज) दीर्घकालिक उर्वरक नीति के प्रारूप की रूपरेखा तैयार की गई थी और इसे उर्वरक उद्योग, किसानों, राज्य सरकारों, अर्थशास्त्रियों आदि जैसे सभी शेयरधारकों में उनके सुझाव और विचार आमंत्रित करने के लिए परिचालित किया गया था। प्रारूप नीति पर देश के विभिन्न भागों में आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भी चर्चा की गई थी। प्रारूप नीति पर काफी सार्थक चर्चा हुई और उर्वरक विभाग को प्रारूप नीति दस्तावेज में किए गए प्रस्तावों पर अनेक सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त हुईं। दीर्घावधि उर्वरक नीति के प्रारूप के संदर्भ में प्राप्त विचारों और सुझावों की जांच करने के लिए सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी सरकार द्वारा यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य-निर्धारण योजना (एनपीएस) जो तत्कालीन इकाई विशिष्ट प्रतिधारण मूल्य योजना के स्थान पर दिनांक 1.4.2003 से प्रभावी हो गई है, तैयार करते समय प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया था। एनपीएस को चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है। चरण-I की अवधि एक वर्ष अर्थात् 1.3.2003 से 31.3.2004 तक थी और चरण-II की अवधि दो वर्ष अर्थात् 1.4.2004 से 31.3.2006 तक है। दीर्घावधि नीति के प्रारूप के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर सरकार द्वारा यूरिया की नई और विस्तार परियोजनाओं, जिन्हें जनवरी, 2004 में घोषित किया गया है, में किए गए निवेश के लिए मूल्य-निर्धारण नीति तैयार करते समय भी विचार किया गया था।

सरकार ने हाल में डॉ वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया है जो यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) के चरण-I और चरण-II की प्रभावकारिता की समीक्षा करने तथा चरण-III अर्थात् 1.4.2006 के बाद नीति निर्धारण करने के अलावा, फीडस्टॉक नीति बनाने से संबंधित मुद्दों की भी जांच करेगा विशेषकर प्रकृति मूल्य तथा उपलब्धता, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक यूरिया की मांग और आपूर्ति, मौजूदा नैफ्था तथा एफओ/एलएसएचएस आधारित इकाइयों को एनजी/एलएनजी में परिवर्तित करने के मानदण्ड निर्धारित करना, निर्धारण पद्धति तथा यूरिया इकाइयों को छूट के भुगतान की कार्यप्रणाली, यूरिया के संचलन तथा वितरण को नियंत्रणमुक्त करना, यूरिया मूल्य-निर्धारण के जरिए संतुलित उर्वरण बनाना आदि। दल को उसके गठन के छह महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

रासायनिक उर्वरकों के मूल्य

*291. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रासायनिक उर्वरकों के मूल्य निर्धारण हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते है;

(ख) क्या सरकार इन वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करते समय किसानों की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसानों को रासायनिक उर्वरक सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ङ) किसानों को उचित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसानों को रासायनिक उर्वरक सांविधिक रूप से अधिसूचित/निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जाता है जो उर्वरकों की उत्पादन लागत से काफी कम होता है।

यूरिया, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), म्यूरियेट ऑफ पोटाश (एमओपी) तथा मिश्रित उर्वरकों जैसे उर्वरकों के मूल्यों को वित्तीय स्थिरता और संतुलित पोषक तत्व के प्रयोग जैसे तथ्यों को ध्यान में रखकर नियत/सूचित किया जाता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) का मूल्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रियायत स्तर तथा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं।

शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी

***292. श्री थावरचन्द गेहलोत :**
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी के कारणों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया है।

(ग) शहरी बेरोजगारों अथवा अल्परोजगार प्राप्त व्यक्तियों के स्वरोजगार उद्यम की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करके या मजदूरी रोजगार के प्रावधान के जरिए लाभप्रद रोजगार मुहैया कराने की दृष्टि से शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय पहले ही स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक केन्द्र प्रायोजित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम 1.12.1997 से अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का वित्तपोषण, केन्द्र और राज्यों द्वारा 75:25 के आधार पर किया जाता है। इसका लक्ष्य योजना आयोग द्वारा समय-समय पर यथा परिभाषित, शहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी गरीबों की स्थिति को बेहतर बनाना है।

इस्पात संयंत्रों की स्थापना

***293. श्री रामदास आठवले :**
श्री तथागत सत्पथी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में इस्पात संयंत्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी, निजी और संयुक्त क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने हेतु राज्यवार लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ग) अभी तक लंबित पड़े आवेदनों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या कुछ विदेशी और निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी देश में इस्पात संयंत्र स्थापित करने में गहरी अभिरुचि दिखाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) घरेलू, अपरिष्कृत इस्पात उत्पादकों की राज्यवार-सूची नीचे दी गई है। इस सूची में मुख्य उत्पादक और इस्पात उत्पादन की ई ए एफ (विद्युत चाप भट्टी) प्रक्रिया और कोरेक्स/एम बी एफ-ई ओ एफ (एम बी एफ - लघु धमन भट्टी, ई ओ एफ - ऊर्जा इष्टतमीकरण भट्टी) प्रक्रिया का उपयोग करने वाले उत्पादक शामिल हैं।

राज्य	संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	1
छत्तीसगढ़	3

1	2
चण्डीगढ़	1
गोवा	1
गुजरात	2
हरियाणा	3
झारखण्ड	5
कर्नाटक	4
केरल	1
महाराष्ट्र	10
उड़ीसा	3
पंजाब	4
राजस्थान	1
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	7
कुल	49

(ख) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार अवस्थिति संबंधी कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर लोहा और इस्पात उद्योग को अनारक्षित और लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। चूंकि अवस्थिति संबंधी प्रतिबंध अभी भी लागू हैं, अत: पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए तीन औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ग) देश में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने के लिए कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

(घ) और (ङ) इस्पात क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति आटोमैटिक रूट के जरिए 100% साम्या तक है। दक्षिण कोरिया की पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी (पोस्को) और आस्ट्रेलिया की बी एच पी बिलिटन ने 8 बिलियन अमेरिकन डालर के निवेश से उड़ीसा राज्य में 100 लाख टन क्षमता का इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त रूप से प्रस्ताव किया है। जहां तक निजी क्षेत्र में निवेश का संबंध है, उद्यमी अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस्पात की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सरकार स्वागत करती है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों पर अत्याचार

***294. श्री असादुद्दीन ओवेसी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान आज की तारीख तक अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक घटना में हुई जान-माल की क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस घटनाओं के जिम्मेदार तत्वों/संगठनों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मामलों में राज्य सरकारों को क्या अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2001, 2002, 2003 और 2004 (30 सितम्बर, तक) सांप्रदायिक घटनाओं और उनमें मारे गए तथा घायल हुए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। इसलिए प्रत्येक सांप्रदायिक घटना में हुई संपत्ति की हानि/क्षति से संबंधित ब्यौरा भारत सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है और ये तत्काल उपलब्ध नहीं है।

देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विभिन्न संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों तथा स्थापित अनेक संस्थागत तंत्रों के अतिरिक्त, इस संबंध में संघ सरकार ने कई प्रकार के प्रशासनिक उपाय और प्रोत्साहन प्रयास किए हैं। इनमें देश में सांप्रदायिक स्थिति की निरंतर समीक्षा करना, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित

करने वाले संगठनों की गतिविधियों पर निरंतर नजर रखना, सतर्क रहने के संदेश भेजना, सूचना का आदान-प्रदान करना, संबंधित राज्य सरकार (रों) के विशिष्ट अनुरोध पर राज्यों को केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल भेजना, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में सहायता आदि करना शामिल है। संघ सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में सांप्रदायिक दंगों को रोकने, इनके शिकार हुए लोगों को राहत/पुनर्वास की व्यवस्था करने, सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के लिए शांति समिति तंत्रों का कारगर उपयोग करने, प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने आदि के संबंध में उठाए जाने वाले कदम दिए गए हैं। प्रोत्साहन प्रयासों में उन संगठनों को अनुदान प्रदान करना जो सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने की गतिविधियों में लगे हैं, वार्षिक सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार और कबीर पुरस्कार प्रदान करना तथा कौमी एकता सप्ताह मनाना शामिल है।

सरकार ने अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने और देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए नई पहलें भी की हैं। इन कदमों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक स्टेटस प्रदान करना और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रबोधन समिति का गठन करना शामिल है।

विवरण

वर्ष 2001, 2002, 2003 और 2004 (सितम्बर तक) के दौरान सांप्रदायिक घटनाओं (हिन्दू-मुस्लिम), मारे गए/घायल व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	2001			2002			2003			2004 (सितम्बर तक)		
	घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–
आंध्र प्रदेश	9	1	37	12	3	20	16	8	68	5	1	32
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–
असम	4	4	27	2	0	0	–	–	–	2	–	1
बिहार	61	36	98	48	21	71	63	32	144	31	17	76
चंडीगढ़	0	0	0	1	0	0				–	–	–
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	2	1	2	–	–	–
दिल्ली	15	2	21	5	0	23	3	1	11	2	–	7
दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–
दमन और दीव	0	0	0				–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गोवा	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
गुजरात	66	19	196	135	977	2378	133	20	392	77	14	196
हरियाणा	2	1	2	2	0	4	1	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	1	1	1	0	0	0	1	—	7	—	—	—
जम्मू और कश्मीर	4	2	7	1	0	0	1	—	12	—	—	—
झारखंड	11	4	23	12	6	69	14	10	41	8	—	21
कर्नाटक	75	11	311	97	13	322	61	8	260	53	6	220
केरल	14	1	40	11	6	47	26	11	69	15	1	41
मध्य प्रदेश	48	12	147	35	10	57	54	18	142	50	11	217
महाराष्ट्र	116	28	600	90	42	746	123	12	573	74	1025	19
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
मेघालय	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	0	0	0				—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	19	3	33	25	3	66	21	4	68	4	1	4
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0				—	—	—
पंजाब	2	0	9	1	0	0	1	—	—	1	—	4
राजस्थान	64	14	184	58	10	253	33	9	62	24	4	91
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	26	7	84	19	3	36	18	2	26	5	—	7
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
उत्तरांचल	1	2	11	1	0	5	5	4	4	1	—	—
उत्तर प्रदेश	95	50	334	82	29	171	91	47	331	91	29	351
पश्चिम बंगाल	28	12	108	13	3	53	12	2	30	8	1	78
कुल	661	210	2273	650	1126	4321	679	189	2242	451	95	1571

वर्ष 2001, 2002, 2003 और 2004 (सितम्बर तक) के दौरान इसाइयों से संबंधित घटनाओं, उनमें मारे गए व्यक्तियों और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	2001			2002			2003			2004 (सितम्बर तक)		
	घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
आंध्र प्रदेश	8	–	–	4	–	–	2	–	3	1	–	–
अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
असम	1	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
बिहार	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–
चंडीगढ़	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	5	1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–
दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दादरा और नागर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गोवा	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
गुजरात	13	–	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–
हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
हिमाचल प्रदेश.	4	–	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
झारखंड	4	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	6	2	1	6	–	9	3	1	–	3	–	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
केरल	19	—	36	5	—	1	6	—	2	4	1	9
मध्य प्रदेश	11	—	9	4	—	2	2	—	—	5	1	8
महाराष्ट्र	3	—	3	5	—	6	2	—	5	—	—	—
मणिपुर	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मिज़ोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	28	1	15	11	—	9	5	—	5	13	—	2
पांडिचेरी	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पंजाब	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राजस्थान	1	—	2	3	1	—	1	—	—	1	—	1
सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	32	1	18	23	2	18	4	1	4	1	—	—
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
उत्तरांचल	1	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	10	1	3	3	—	5	—	—	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—
कुल	161	11	108	72	4	54	32	4	19	32	2	23

विद्युत क्षेत्र के लिए पृथक कोष

*295. श्री बी. विनोद कुमार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक राज्य विद्युत बोर्ड गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए एक पृथक कोष की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा कुछ राज्य विद्युत बोर्डों को धनराशि प्रदान की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) प्राप्त अद्यतन ऑडिट एकाउंट्स के अनुसार राज्य यूटिलिटियों को हुए लाभ/हानि के ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार पहले से ही त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) नामक एक स्कीम चला रही है, जिसके अंतर्गत राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों को कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी करने तथा राज्य विद्युत बोर्डों की वाणिज्यिक अर्थक्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से देश में उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन व सुदृढ़ीकरण के लिए निधि मुहैया कराई जाती है। एपीडीआरपी के अंतर्गत राज्यों को हानियों में कमी करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। सरकार न वर्ष 2004-05 के लिए एपीडीआरपी के अंतर्गत 3500 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं जिसमें 1750 करोड़ रुपये निवेश घटक के अंतर्गत तथा 1750 करोड़ रुपये प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत दिए गए हैं।

(ङ) और (च) राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों के राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों/कंपनियों को विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा आपूर्ति की गई निधियों के ब्यौरे विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	लाभ/हानि (करोड़ रुपये में)	गत तीन वर्षों में वे वर्ष जिसका ऑडिट किया गया
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	261.26	2002-03
2.	अरुणाचल प्रदेश	-117.42	2003-04
3.	असम	-695.54	2002-03
4.	बिहार	उपलब्ध नहीं	
5.	छत्तीसगढ़	उपलब्ध नहीं	
6.	दिल्ली	-1204.79	2001-02
7.	गोवा	150.75	2002-03
8.	गुजरात	-475.79	2002-03
9.	हरियाणा	52.36	2001-02
10.	हिमाचल प्रदेश	-52.24	2002-03
11.	जम्मू व कश्मीर	-1291.06	2003-04
12.	झारखंड	उपलब्ध नहीं	
13.	कर्नाटक	24.77	2001-02
14.	केरल	62.82	2002-03
15.	मध्य प्रदेश	उपलब्ध नहीं	
16.	महाराष्ट्र	-539.46	2001-02
17.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं	
18.	मेघालय	-41.20	2002-03
19.	मिजोरम	-49.07	2003-04
20.	नागालैंड	-50.93	2003-04
21.	उड़ीसा (ग्रिडको)	-588.00	2002-03
22.	पंजाब	-435.99	2002-03
23.	राजस्थान	0.00	2002-03
24.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं	
25.	तमिलनाडु	-4851.89	2001-02
26.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं	
27.	उत्तर प्रदेश	-1608.98	2001-02
28.	उत्तरांचल	उपलब्ध नहीं	
29.	पश्चिम बंगाल	-915.32	2002-03

विवरण-II

राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों के राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों/कंपनियों को विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा आपूर्ति की गई निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना	कार्यान्वयक एजेंसी	वित्तपोषक एजेंसी	संवितरण (करोड़ रुपये में)		
				2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
1.	सिम्हाद्री एवं विज़ाग पारेषण परियोजना	आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (एपीट्रांस्को)	जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोओपरेशन (जेबीआईसी)	237.27	103.02	85.53
2.	श्रीसेलम लेफ्ट बैंक एचईपी	आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कंपनी लि. (एपी जेनको)	जेबीआईसी	125.38	58.84	0.00
3.	श्रीसेलम पावर पारेषण परियोजना	एपीट्रांस्को	जेबीआईसी	26.50	0.00	0.00
4.	कोठागुडम 'ए' का आर एंड एम	एपीजेनको	जेबीआईसी	27.64	2.27	0.00
5.	आंध्र प्रदेश ऊर्जा दक्षता परियोजना	एपीट्रांसको	विश्व विकास विभाग (डीएफआईडी)	5.19	83.35	14.79
6.	आंध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्स्थापन परियोजना	एपीट्रांस्को	इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी)	139.29	189.47	25.64
7.	असम विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं परियोजना	असम राज्य बिजली बोर्ड	एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	0.00	0.00	409.50
8.	गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं परियोजना	गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	एडीबी	1.45	31.57	562.40
9.	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं परियोजना	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	एडीबी	316.55	198.00	452.52
10.	घाटघर पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट	सिंचाई विभाग/महाराष्ट्र सरकार	जेबीआईसी	127.38	163.83	0.00
11.	उमियम एचईपी का आर एंड एम	मेघालय राज्य बिजली बोर्ड	जेबीआईसी	43.08	11.06	1.32
12.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्स्थापन परियोजना	ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा	आईबीआरडी	160.21	146.71	222.78

1	2	3	4	5	6	7
13.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्स्थापन परियोजना	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.	आईबीआरडी	12.61	144.43	182.41
14.	अनपरा "बी" ताप विद्युत चरण-II परियोजना	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	जेबीआईसी	79.23	46.86	0.00
15.	उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्स्थापन परियोजना	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	आईबीआरडी	209.61	227.01	136.03
16.	पुरुलिया पम्प स्टोरेज परियोजना	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (डब्ल्यूबीएसईबी)	जेबीआईसी	90.00	127.62	303.6
17.	पश्चिम बंगाल पारेषण परियोजना	डब्ल्यूबीएसईबी	जेबीआईसी	143.81	109.18	49.38
18.	बक्रेश्वर टीपीपी यूनिट 1,2,3 परियोजना	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	जेबीआईसी	154.10	145.09	43.22
19.	बक्रेश्वर टीपीपी यूनिट 4 व 5 परियोजना	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	जेबीआईसी	0.00	0.00	1.13
	कुल			1899.3	1788.31	2490.18

[हिन्दी]

अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा अपने सहकर्मियों की हत्या

*296. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :**

श्री मुन्शी राम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा चालू वर्ष में आज की तारीख तक अपने सहकर्मियों की हत्या और आत्महत्या करने की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या ऐसी सभी घटनाओं के बल-वार जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी जांचों के क्या परिणाम निकले;

(घ) इस प्रकार की घटनाओं में मारे गए सुरक्षा कार्मिकों के परिजनों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) चालू वर्ष (15.12.2004 तक) के दौरान केन्द्रीय पुलिस बलों के कर्मियों द्वारा अपने सहकर्मियों की हत्या और आत्महत्या की घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है:-

क्र. सं.	बल का नाम	हत्या की घटनाओं की संख्या	आत्महत्याओं की संख्या
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	5	27

1	2	3	4
2.	एस.एस.बी.	3	1
3.	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	—	1
4.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	—	3
5.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	1	6
6.	असम राइफल्स	1	11
7.	सीमा सुरक्षा बल	3	26

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। कोर्ट ऑफ इनक्वाइरीज अभी भी अनिर्णीत है।

(घ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस में मारे गए कार्मिकों के निकटतम संबंधी को अनुग्रह मुआवजे की अदायगी कर दी गई है। अन्य मामलों में, ये अदायगियां कोर्ट ऑफ इन्क्वाइरीज के परिणाम पर निर्भर करती हैं। तथापि, आत्महत्या के मामले में कोई अनुग्रहपूर्वक अदायगी नहीं की गई है।

(ङ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को छोड़कर, फील्ड विरचनाओं (फॉर्मेशन्स) में तैनात केन्द्रीय पुलिस बलों के कार्मिको की डयूटी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, उन्हें स्थैतिक विरचनाओं (स्टेटिक फॉर्मेशन्स) में एक माह की वार्षिक छुट्टी और आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी की तुलना में क्रमशः दो माह की वार्षिक छुट्टी तथा 15 दिनों की आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाती है। रोस्टर डयूटी के अनुसार ऑपरेशनल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और व्यक्तिगत आकस्मिकता के मामले में नियमों के अनुसार छुट्टी प्रदान की जाती है। यह कार्मिकों को पर्याप्त आराम और स्वास्थ्यलाभ सुनिश्चित करने के लिए है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में, तथापि, अधिकांश लोगों को अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति है इसलिए उन्हें एक माह की वार्षिक छुट्टी और एक माह की छुट्टी के बदले एक माह के वेतन की प्रतिपूर्ति की जाती है। सरकार ने केन्द्रीय पुलिस बलों में पारिवारिक आवास का प्राधिकरण भी 14% से बढ़ाकर 25% तक कर दिया है। कार्मिकों को मनोविनोद और मनोरंजन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कार्मिकों को बारी-बारी से प्रशिक्षण देने से उन्हें निरंतर एक ही प्रकार की डयूटी करने से विश्राम मिलता है। कुछ बलों में, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योगा और मेडिटेशन को भी शामिल किया गया है। तथापि, केन्द्रीय पुलिस बलों के कार्मिकों द्वारा गोलीबारी की हाल की कुछेक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बल कर्मियों में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर राष्ट्रीय अपराध-विज्ञान एवं विधि विज्ञान संस्थान से परामर्श करके पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को एक अध्ययन करने का आदेश दिया है।

पवन ऊर्जा उत्पादन

***297. श्री हंसराज जी. अहीर :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों के बिजली संकट से निपटने के लिए पवन ऊर्जा का उत्पादन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) अक्षय ऊर्जा के संवर्धन के उद्देश्य से संभाव्यता वाले राज्यों में अब तक निजी निवेशों के माध्यम से ग्रिड इंटरएक्टिव पवन विद्युत की 2905 मेगावाट की संस्थापित समग्र क्षमता स्थापित की गई है, जैसा कि विवरण नीचे दिया गया है:—

30.11.2004 के अनुसार राज्वार ग्रिड इंटरएक्टिव पवन विद्युत संस्थापित क्षमता

(मेगावाट में)

राज्य	क्षमता
1	2
आंध्र प्रदेश	101.3
गुजरात	216.2
कर्नाटक	266.3
केरल	2.0
मध्य प्रदेश	27.6
महाराष्ट्र	411.2
राजस्थान	240.5

1	2
तमिलनाडु	1638.9
पश्चिम बंगाल	1.10
कुल	2905.1

(ग) और (घ) ग्रिड इंटरएक्टिव पवन विद्युत कार्यक्रम मुख्यतया निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होता है। ऐसी पवन विद्युत को संबंधित राज्यों में अधिमान्य शुल्क दरें दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा पवन टरबाइनों के विनिर्दिष्ट कल-पुर्जों और संघटकों के आयात पर त्वरित मूल्यह्रास, उत्पाद शुल्क से छूट, रियायती सीमा शुल्क जैसे राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं।

[अनुवाद]

"मेगा सिटी" प्रोजेक्ट्स का अवसंरचनात्मक विकास

***298. श्री जी. करूणाकर रेड्डी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न शहरों में "मेगा सिटी प्रोजेक्ट्स" का अवसंरचनात्मक विकास का कार्य नियत समय से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बड़े शहरों की अवसंरचनात्मक विकास योजनाओं के अंतर्गत शहर-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृति और जारी की गई;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत शहर-वार कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई है; और

(च) ऐसी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) बंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई मेगा शहरों की नोडल एजेंसियों ने सूचित किया है कि अवस्थापना विकास की कुछ परियोजनाएं पूर्ति की निर्धारित तारीख से पीछे है।

इन परियोजनाओं के नगर/राज्य-वार विवरण तथा इनके पीछे रहने के कारण संलग्न विवरण । में दिए गए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मेगा शहरों को नियत तथा जारी की गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है:—

(करोड़ रु. में)

मेगा शहर का नाम	2001-02 के दौरान जारी की गई राशि	2002-03 के दौरान जारी की गई राशि	2003-04 के दौरान जारी की गई राशि
मुंबई	23.16	25.32	47.77
कोलकाता	25.70	26.23	41.31
चेन्नई	21.58	22.12	34.82
हैदराबाद	23.80	24.49	38.54
बंगलौर	21.16	21.74	34.23
कुल	115.40	119.90	196.67

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं के संबंध में नोडल एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना विवरण ॥ पर है।

(च) प्रत्येक मेगा शहर में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा चालू परियोजनाओं की मानीटरिंग के अलावा शहरी विकास मंत्रालय प्रत्येक तिमाही में योजना की प्रगति की समीक्षा करता है। इसके अलावा इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की मानीटरिंग के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं।

विवरण I

परियोजनाओं का विवरण जो अपनी पूर्ति की निर्धारित तारीख से पीछे चल रही है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विलंब के कारण
1	2	3
हैदराबाद		
1.	सब्जीमंडी	भूमि विवाद

1	2	3
2.	सीथापालमंडी में आर ओ बी	मैसर्स एन बी सी सी लि. द्वारा कार्य छोड़ना
कोलकाता		
1.	सिरामपुर टी.पी इंटीग्रेशन (फेज-II)	खराब मृदा के कारण संरचना की मजबूती से संबंधित समस्याएं
2.	पदमापुकुर जल शोधन संयंत्र की क्षमता में वृद्धि	राइजिंग मेन बिछाने में अत्यधिक विलंब हुआ क्योंकि वानस्पतिक उद्यान से होते हुए मेन बिछाने की अनुमति प्राप्त करने की समस्या थी।
3.	जी आर टी पी - फेज-II के तहत प्राइमरी ग्रिड का स्थायीकरण और विस्तार	ठेका समझौते पर मुकदमें के कारण। एलाइनमेंट के साथ-साथ भारी यातायात की आवाजाही के कारण धीमी प्रगति हुई।
4.	बी.के.टी.पी. इंटीग्रेशन (अंतरिम चरण)	एक यू जी आर (दो में से) के लिए स्थल उपलब्ध न होने के कारण
5.	कल्याणी में 30 एम जी डी जल शोधन संयंत्र (फेज-I)	शोधन संयंत्र के निविदा समझौते में समस्या तथा इनटेक जेटी के लिए स्थल उपलब्ध न होने के कारण विलंब हुआ।
6.	महेशताला में यू जी आर सह बूस्टिंग स्टेशन	निविदा समझौते पर मुकदमें के कारण विलंब हुआ। कार्य प्रगति पर है।
7.	दन्कुनी क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति	दो ट्यूबवेल स्थल उपलब्ध न होने के कारण।
8.	चन्दननगर जल शोधन संयंत्र की क्षमता वृद्धि (फेज-II)	इनटेक जेटी के साथ-साथ काम पूरा करने के लिए अभी कार्य आरंभ नहीं किया गया है।
9.	जी आर डब्ल्यू डब्ल्यू से महेशताला तक रिंग मेन बनाना	पाइप लगाने के कार्य की प्रगति धीमी है क्योंकि यह कार्य भीड़भाड़ वाले औद्योगिक क्षेत्र में बहुत व्यस्त सड़क पर किया जा रहा है।
10.	सलकिया फ्लाईओवर	सर्वोच्च न्यायालय में भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास संबंधी मुकदमे के कारण। अब सर्वोच्च न्यायाल ने मामला निपटा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।
11.	पी.ए. शाह रोड का निर्माण	भूमि अधिग्रहण संबंधी जटिल समस्याओं के कारण
12.	बोंडेल गेट पर आर.ओ.बी.	छोटे क्षेत्र में पुनर्वास समस्या के कारण
13.	बैरेकपुर दमदम एक्सप्रेसवे	भूमि अधिग्रहण समस्याओं के कारण
14.	ई एम बी पी चौड़ा करना (आर बी रोटरी-कमलगाजी)	एक आर सी सी पुल का निर्माण अलाइनमेंट पर मेट्रो रेल कार्य पर निर्भर है।

1	2	3
15.	ई एम पी बी चौड़ा करना (पीसी-आर बी रोटरी) फेज-II	स्थानीय विवादों के कारण स्थल अधिग्रहण में विलंब
16.	दमदम अंडरपास चौड़ा करना	छोटे क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण
17.	कस्बा में क्षेत्र विकास	जैसे-जैसे जगह खाली हो रही है उसी के अनुसार अवस्थापना निर्माण कार्य चल रहा है। परियोजना तकरीबन पूरी हो चुकी है।
18.	एस बी ब्लाक, सॉल्ट लेक में आवास निर्माण	भूमि अंतरण तथा मौजूदा भूमिगत सुविधा सेवाओं के विस्थापन से संबंधित समस्याओं के कारण
19.	सी एल ब्लाक, साल्ट लेक में आवास निर्माण	भूमि अंतरण से संबंधित समस्याओं के कारण
20.	सियाल्दलदेह में न्यायालय सहवाणिजिक काम्प्लैक्स	कार्य का पूरा होना मार्केटिंग नीति पर निर्भर है।
चेन्नई		
1.	व्यासरपाड़ो, कनगम-तारामणि और कोड्नगैयूर को सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराना	मुकद्दमें के कारण
2.	वाटरमेन शोधन प्लांट को गंगदेश्वर कोयल स्ट्रीट से हैरिस रोड में पुर्नस्थापित करना।	रेलवे के साथ समन्वय में कमी होने के कारण
3.	नगर वाटरवे में सीवरेज के रिसाव को रोकना	रोड कट और यातायात पुलिस के अनुमति न मिलने के कारण। कार्य पूरा होने वाला है।
4.	भूमिगत सीवरेज	निविदा प्रक्रिया प्राथमिक चरण में है।
5.	नन्दम में वाणिज्यिक कार्यालय काम्प्लेक्स का निर्माण	संभावित खरीददारों की पहचान में विलंब के कारण
6.	सब्जी बाजार में सुधार	योजना अनुमति मिलने में विलंब के कारण
7.	बेसिन ब्रिज में आधुनिक ट्रांसफर स्टेशन	निविदा प्रक्रिया में कारण
8.	बरसाती पानी के नाले का निर्माण	अतिक्रमण के मामले में बेदखली के कारण
9.	बरसाती पानी के नाले का निर्माण	मुकद्दमें के कारण
10.	जलापूर्ति में सुधार	निविदा प्रक्रिया के कारण
11.	शापिंग काम्प्लेक्स का निर्माण	निविदा प्रक्रिया के कारण
12.	अलंदूर नगरपालिका की सड़कों में सुधार	भूमिगत सीवरेज निर्माण कार्य के कारण

1	2	3
13.	सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना और पुलिया का निर्माण	निविदा प्रक्रिया के कारण
14.	क्षतिग्रस्त सड़कों में सुधार	निविदा प्रक्रिया के कारण
15.	क्षतिग्रस्त सड़कों में सुधार	निविदा प्रक्रिया के कारण
16.	क्षतिग्रस्त सड़कों में सुधार	निविदा प्रक्रिया के कारण
17.	क्षतिग्रस्त सड़कों में सुधार	निविदा प्रक्रिया के कारण
18.	बरसाती पानी के नालों का निर्माण	निविदा प्रक्रिया के कारण
19.	बरसाती पानी के नालों का निर्माण	अतिक्रमण के कारण
20.	बरसाती पानी के नालों का निर्माण	निविदा प्रक्रिया के कारण
21.	चेन्नई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में बाढ़ उपशमनकारी उपाय और बरसातीपानी के नाले की प्रणाली में सुधार	अतिक्रमण के मामले में बेदखली के कारण
22.	बरसाती पानी के नालों का निर्माण	अतिक्रमण के मामले में बेदखली के कारण
23.	सड़कों और नालों का निर्माण	निविदा प्रक्रिया के कारण
24.	शापिंग काम्प्लेक्स का निर्माण	निविदा प्रक्रिया और मूलरूप से प्रस्तावित स्थल में हाइवे चौड़ा करने के कारण
मुंबई		
1.	डोंबिवली स्टेशन के निकट (एनपी-I) एफ ओ बी और रिक्शा स्टैंड का निर्माण	ठेकेदार के साथ मुकदमेंबाजी के कारण
2.	खरगढ़ (एन पी-II) को जलापूर्ति वितरण	दायरे के पुनर्निधारण और वित्तीय कठिनाइयों के कारण
3.	खारगढ़ (एन पी-II) के लिए सीवरेज प्रणाली	दायरे के पुनर्निधारण और वित्तीय कठिनाइयों के कारण
4.	पूर्वी फ्रीवे की विस्तृत इंजीनियरी	विस्तृत इंजीनियरी अध्ययन में विलंब। कार्य प्रगति पर है।
बंगलौर		
1.	कम्पोस्ट खाद के उत्पादन द्वारा नगर के कूड़े का पर्यावरण अनुकूल शोधन	स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण आर्गेनिक प्लांट की एक उप-परियोजना रोक दी गई है।
2.	वृषभावती नदी के ऊपर दो सड़क पुलों का निर्माण	कार्यान्वयन एर्जेसी राज्य सरकार से प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है।

विवरण II

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	अनुमानित लागत
बैंगलौर		
2001-02	2	27.25
2002-03	8	275.49
2003-04	25	297.89
मुंबई		
2001-02	5	135.23
2002-03	6	125.45
2003-04	1	300.00
चेन्नई		
2001-02	9	53.01
2002-03	23	970.34
2003-04	45	127.68
कोलकाता		
2001-02	10	उपलब्ध नहीं
2002-03	शून्य	उपलब्ध नहीं
2003-04	17	उपलब्ध नहीं
हैदराबाद		
2001-02	—	—
2002-03	22	319.44
2003-04	78	248.00

विस्थापित कश्मीरी पंडितों के घरों पर अवैध कब्जा

*299. **श्री मदन लाल शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित कश्मीरी पंडितों तथा कारगिल युद्ध के दौरान विस्थापित हुए लोगों के द्वारा खाली किए गए अधिकांश घर अनधिकृत लोगों के कब्जे में हैं;

(ख) यदि हां तो कितने अनधिकृत लोगों के कब्जें में हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे घरों को अनधिकृत लोगों के कब्जे से छुड़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) अब तक अनधिकृत लोगों से खाली कराए गए घरों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विस्थापित कश्मीरी पंडितों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रवासी कश्मीर पंडितों द्वारा खाली किए गए 971 मकान अप्राधिकृत लोगों के कब्जें में थे जिनमें से 522 मकानों को खाली करवा लिया गया है और शेष 449 मकानों से अप्राधिकृत लोगों को हटाने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (परिरक्षण, संरक्षण और करस्थम् बिक्री का अवरोध) अधिनियम, 1997 की धारा (3) के तहत बेदखली की कार्रवाई की गई है। कारगिल युद्ध के दौरान प्रवासियों द्वारा खाली किए गए मकानों पर अप्राधिकृत लोगों द्वारा कब्जे किए जाने की कोई सूचना नहीं है।

(ङ) प्रवासी कश्मीरी पंडितों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (परिरक्षण, संरक्षण और करस्थम् बिक्री का अवरोध) अधिनियम, 1997 तथा जम्मू और कश्मीरी प्रवासी (कार्यवाहियों का स्थगन) अधिनियम, 1997 अधिनियमित करना शामिल है।

कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास के लिए योजना तैयार करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी टीम का गठन किया गया है। सरकार, प्रवासी कश्मीरी पंडितों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस्पात संबंधी अनुसंधान और विकास कार्यों पर व्यय

*300. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात संबंधी अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) कार्यों पर सरकारी क्षेत्र में कितना निवेश किया गया और इसके क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या सरकार ने विश्व में इस्पात की गुणवत्ता और किफायती मूल्यों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इस्पात की गुणवत्ता में सुधार हेतु अनुसंधान और विकास कार्यों पर और निवेश करने का कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और सरकार के विचाराधीन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा अपनी स्वयं की निधियों में से अनुसंधान और विकास में किए गए निवेश का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रुपए)

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	49.85	54.82	71.90
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)	2.50	2.50	2.50
योग	52.35	57.32	74.40

उपरोक्त अवधि के दौरान अनुसंधान एवं विकास प्रयासों से इस्पात संयंत्रों के निष्पादन सूचकों में काफी सुधार हुआ है।

(ख) और (ग) जी, हां। लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इस्पात विकास निधि (एस डी एफ) के ब्याज से प्राप्त आय से प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए का खर्च करने का निर्णय लिया है। अब तक 36 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं मंजूर की गई है। 30 नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार एस डी एफ से 78.37 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

(घ) आज की तारीख के अनुसार एस डी एफ की आंशिक वित्तीय सहायता से 13 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं चल रही हैं:

सरकारी क्षेत्र/संस्थान

क्रम सं.	परियोजना का नाम
1.	बहुत खराब से उचित भूमि स्थिति में समृद्ध मैंगनीज अयस्क का खनन करने के लिए भूमि नियंत्रण हेतु नई खनन इंडिया लिमिटेड, नागपुर के सहयोग से नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स द्वारा।
2.	भारतीय लौह असस्क धमन धमन भट्टी की उत्पादकता को अधिकतम करना: राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और आर डी सी आई एस, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा।
3.	डुअल पोरस प्लग से स्टील मेकिंग लैडल स्टीरड में मिक्सिंग तथा मास ट्रांसफर : एक फिजिकल तथा मैथेमेटिकल मॉडल जांच : सामग्री एवं धातुकर्म इंजीनियरी विभाग : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर-208016 द्वारा।
4.	एडवांसड हॉट डिप कोटिड उत्पादों के लिए प्रक्रिया का विकास: आर डी सी आई एस, सेल द्वारा।
5.	प्लेट मिल के डायनामिक तथा एडेप्टिव कंट्रोल के लिए इंटेलिजेंट मिल सैटअप माडल का विकास : आर डी सी आई एस, सेल रांची द्वारा।
6.	नागालैंड के मैग्नेटाइट अयस्कों के संबंध में पायलट स्केल स्मेल्टिंग अध्ययन: राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर द्वारा।
7.	कोटिड स्टील शीटों के लिए स्पोट वैल्डिंग टैक्नीक का डेवलपमेंट एंड करेक्टराइजेशन, जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता द्वारा।
8.	भारत के आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त लौह निर्माण प्रक्रियाओं के डाक्यूमेन्टेशन और विकास के संबंध में परियोजना प्रस्ताव का एक्सटेंशन : राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर।
9.	इंडियन बाक्साइट के मूल्य वर्धित रिफ्रैक्ट्री उत्पादों का विकास: सेन्ट्रल ग्लास एंड सैरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी जी सी आर आई) कोलकाता।
10.	हॉट स्ट्रिप रोलिंग के दौरान माइक्रोस्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल प्रोपर्टीज

की माडलिंग और नियंत्रण : आर डी सी आई एस, सेल रांची और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा।

निजी क्षेत्र

क्रम सं.	परियोजना का नाम
11.	कोरेक्स प्रक्रिया में घरेलू अकोककर कोयले के उपयोग को अधिकतम करने के उद्देश्य से विभिन्न टोलरेबल इंडियन अकोककर कोयले के स्रोतों का अध्ययन : जिन्दल विजयनगर स्टील लिमिटेड द्वारा।
12.	वर्तमान कच्चा लोहा संयंत्रों से सृजित अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए लघु सिन्टर प्लांट स्थापित करना : टाटा मेटालिक्स लिमिटेड, खड़गपुर द्वारा।
13.	अगारिया समुदाय द्वारा परम्परागत आयरन स्मेल्टिंग की डाक्यूमेन्टेशन : बापा राव प्रोडक्शन, नई दिल्ली द्वारा।

उपरोक्त परियोजनाएं पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। एस डी एफ से वित्तीय सहायता के लिए निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के दो प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

एम सी ई एस के विकास हेतु प्रौद्योगिकी

*301. **श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा तरीकों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु विकसित तथा विकासशील देशों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी की तुलनात्मक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में बेहतर और किफायती प्रौद्योगिकी अपनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (घ) जी हां। मंत्रालय प्रौद्योगिकी मैपिंग, वाणिज्यिक बैठकों, द्विपक्षीय विचार-विमर्शों और सेमिनारों/संगोष्ठियों के माध्यम से निरंतर आधार पर विकासशील और विकसित देशों द्वारा अपनाई गई अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। अपारंपरिक ऊर्जा की संस्थापना के संबंध में भारत की उपलब्धियां जापान, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे उन्नत देशों की उपलब्धियों के तुल्य हैं। विशिष्ट प्रौद्योगिकी की संस्थापना संसाधन की उपलब्धता, तकनीकी संभाव्यता और आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवहन, पोर्टेबल, और स्थिर अनुप्रयोगों के लिए हाइड्रोजन और ईंधन सेलों सहित नई और अक्षय प्रौद्योगिकियों का विकास हो रहा है।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किया गया अध्ययन

*302. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यह अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है कि मेट्रो का प्रथम चरण का कार्य पूरा होने के पश्चात कितने सरकारी और निजी वाहनों के बंद होने की संभावना है तथा प्रदूषण पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रथम चरण का कार्य पूरा होने के पश्चात उस क्षेत्र में इससे कितनी मात्रा में ईंधन की बचत होने की संभावना है और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कितनी कमी आएगी;

(घ) वे राज्य सरकारें कौन सी हैं, जिन्होंने अपने राज्यों में इन्हीं सुविधाओं को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ङ) उक्त प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने दिल्ली एम आर टी एस परियोजना के पहले चरण के पूरा होने के बाद सड़कों से हटने वाले सार्वजनिक तथा निजी वाहनों की संभावित संख्या और प्रदूषण स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन के लिए एक अध्ययन कराया था। यह अनुमान लगाया गया है कि बसों, कारों, दोपहिया वाहनों आदि की संख्या में काफी कमी होने के कारण प्रतिदिन प्रदूषण मात्रा में 19% की कमी आयेगी। यह भी अनुमान लगाया गया है कि ईंधन में पर्याप्त बचत के अलावा दुर्घटनाओं की संख्या में लगभग 10% तक की कमी होने की संभावना है।

बंगलौर में मैट्रो रेल प्रणाली शुरू करने के लिए कर्नाटक सरकार

से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने हाल ही में संचालित की गई परियोजना का वित्तीय मूल्यांकन करवा लिया है जिसके ब्यौरे भारत सरकार को भेज दिए गए हैं। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

दूसरा प्रस्ताव, मुम्बई में वरसोवा-अंधेरी-घाटकोपर कोरीडोर में मैट्रो रेल प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ है। तथापि केन्द्र सरकार को अभी तक इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

स्वापक औषधियों का उत्पादन

3194. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में भेषज इकाइयों में स्वापक औषधियों के अवैध उत्पादन का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ऐसी इकाइयों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (घ) राजस्व आसूचना निदेशालय (डी आर आई) ने गत दो वर्षों यथा 2003-2004 और 2004-05 (नवम्बर, 2004 तक) के दौरान भेषज इकाइयों में स्वापक औषधियों के अवैध उत्पादन के तीन मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तथापि, ऐसा कोई मामला स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के ध्यान में नहीं आया है।

[हिन्दी]

सरकारी आवास परिसरों में कटीली तारों की बाड़ लगाना

3195. श्री ब्रजेश पाठक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की नयी दिल्ली में सरकारी आवास परिसरों में कंटिली तारों की बाड़ लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कालोनियों विशेषकर लोदी कालोनी, नयी दिल्ली में सरकारी आवासों के आस-पास लगी कंटिली तारों के बाड़ों की लम्बाई में परिसर-दर-परिसर अंतर है;

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार विशेषकर टाइप-3 श्रेणी के क्वार्टरों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ङ) विभिन्न सरकारी आवास कालोनियों विशेषकर लोदी कालोनी, "टी" डाइवर्जन अंडर जोन-3, नयी दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक किये गये आबंटन और शुरू किये गये कार्यों सहित खर्च की गयी राशियों का सेवा-केन्द्रवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इस प्रकार किये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच महानिदेशक स्तर पर एक तकनीकी समिति गठित कर कराने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) जी हां। 10% धनराशि जमा कराने की स्कीम के तहत आबंटियों के अनुरोध पर भूमि तल के क्वाटरों के लिए ही बाड़ लगायी जाती है बशर्ते कि इसके लिए धनराशि उपलब्ध हो। क्वाटरों के प्रकार/स्थिति के अनुसार बाड़ की लम्बाई भिन्न-भिन्न होती है।

(घ) सामान्यतया, लोदी कालोनी के टाइप-II से IV के क्वाटरों में बाड़ निम्नवत लगायी जाती है:-

टाइप	लम्बाई
IV	25 मीटर (लगभग)
III	25 मीटर (लगभग)
II	15 मीटर (लगभग)

(ङ) सेवा केन्द्र-वार रख-रखाव के लिए धनराशि आबंटित नहीं की जाती है। सेवा केन्द्र-वार व्यय भी संकलित नहीं किया जाता है। "टी" डिविजन में अनुरक्षण के अन्तर्गत आबंटित धनराशि, व्यय की गई राशि तथा किए गए कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) और (छ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

"टी डिविजन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 2216 शीर्ष के अन्तर्गत बजट

(हजार रुपए में)

कार्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05 11/04 तक	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
छोटे मरम्मत कार्य	2000	1938	3000	1799	3110	2444	2000	1078
सामान्य मरम्मत कार्य	16000	15999	18600	17745	20400	21042	18000	14915
विशेष मरम्मत कार्य	6660	6659	7500	6835	9000	8971	9000	5598

अनुरक्षण के तहत किए गए कार्य निम्नवत हैं :

1. **वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण कार्य :** आन्तरिक और बाहय सफेदी, दरवाजों, खिड़कियों, जीने की मरम्मत, छत की मरम्मत, फर्श की मरम्मत, रिसाव की रोक थाम, डब्ल्यू सी वेस्ट पाइप, जी आई पाइप, वाश बेसिन, देखने वाला शीशा, एस सी आई पाइप बदलना, प्लास्टर की मरम्मत आदि जैसे कार्य।

2. **10% धनराशि जमा करने की स्कीम के अंतर्गत परिवर्धन और परिवर्तन :** पीडीजी और लोफ्ट टैंक लगाना, स्टील ग्रिड दरवाजा, कंटीले तार की बाड़ लगाना, पीडीजी और ग्रेज्ड टाइल्स लगाना, किचन में कोटा स्टोन लगाना, चिमनी तोड़ना, ड्रेनिंग बोर्ड के साथ किचन सिंक, वाशबेसिन, ग्लास शेल्फ के साथ लूकिंग मिरर, जीआई पाइप के अतिरिक्त कनेक्शन लगाना आदि।

3. **विशेष मरम्मत कार्य :** रिसाव रोकने के लिए छत की मरम्मत, डब्ल्यू सी एवं बाथरूम के क्षतिग्रस्त दरवाजे और खिड़कियों को बदलना, छज्जों की शीट क्रेटिंग, क्षतिग्रस्त फर्श को बदलना, टूटे हुए लाल मिट्टी के पत्थर को बदलना आदि।

एस्कार्ट अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई

3196. **श्री हितेन बर्मन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बहिरंग विभाग के रोगियों को 40 प्रतिशत नि:शुल्क चिकित्सा देने और गरीबों को 25 प्रतिशत नि:शुल्क बिस्तर देने की शर्त से छूट देने हेतु एस्कार्ट अस्पताल, दिल्ली से 51 करोड़ रुपए लेने का निर्णय लिया है और दतनन्तर सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए) द्वारा एस्कार्ट अस्पताल और अन्य निजी अस्पतालों से भी जिन्होंने डी डी ए से रियायती दर भूमि ली है धनराशि लेने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(घ) क्या सरकार उन अस्पतालों का पट्टा रद्द करने के बारे में सोच रही है जो गरीबों को लाभ देने संबंधी पट्टा संविदा का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार निगरानी तंत्र में कठिनाइयों का सामना कर रही है;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) सरकार निगरानी तंत्र की समीक्षा हेतु क्या कदम उठा रही है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित

किया है कि उसे एस्कोर्ट अस्पताल से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने भूमि के बाजार मूल्य और आबंटन मूल्य के अंतर का भुगतान करने पर निशुल्क बिस्तर उपलब्ध कराने की शर्तों से उन्हें छूट देने का अनुरोध किया है। इस मामले पर कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(घ) से (च) पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के परामर्श से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनके उत्तरों की जांच की गई है। पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने पर अन्य विकल्पों के साथ पट्टे को रद्द करना एक विकल्प है जिन्हें भूमि के स्वामित्व वाले अभिकरण द्वारा लागू किया जा सकता है। यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय की 2002 की सिविल रिट याचिका सं. 2866 तथा 2002 की 6148 में भी विचाराधीन है।

(छ) से (झ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि उसेन प्रश्नाधीन अस्पतालों द्वारा शर्तों की मानीटरिंग अनुपालना में सहायता देने का स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुरोध किया है।

साफ्टवेयर का विकास

3197. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल वितरण पैट्रन का अध्ययन करने हेतु "नार्मलाइज्ड डिफरेंस वेजीटेशन इन्डेक्स" विकासाधीन है; और

(ख) इस साफ्टवेयर के कब तक विकसित होने और कब तक इसके प्रभावी उपयोग किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) नार्मलाइज्ड डिफरेंस वेजीटेशन इन्डेक्स एक मानक और स्थापित पैरामीटर है जिसका प्रयोग भौगोलिक क्षेत्र में, मानचित्रित उपग्रह चित्रों से एक प्रतिपादन के रूप में, वनस्पति सघनता को दर्शाने के लिए किया जाता है। मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक परियोजना के अंतर्गत, भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलूर द्वारा इस सूची के मानों का उपयोग दिए हुए भूमि क्षेत्र में फसल वितरण की पद्धति की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग बायोमास उपलब्धता का अनुमान लगाने और देश के लिए एक बायोमास संसाधन एटलस तैयार करने के लिए किया जाएगा। इस एटलस के मार्च, 2007 तक तैयार हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

नेहरू प्लेस में व्यावसायिक परिसर

3198. **श्री कैलाश बैठा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.डी.ए. द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने नेहरू प्लेस नई दिल्ली स्थित व्यावसायिक परिसर में अवैध कब्जा कर रेहडी-पटरी लगाने वाले विक्रेताओं को बाहर रखने के कोई उपाय नहीं किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परिसर के दुकानदारों ने भी बरामदों का अतिक्रमण कर लिया है जिससे पैदल चलने वालों को परेशानी होती है; और

(घ) यदि हां, तो बाजार आदि में फुटपाथों/बरामदों से अवरोधों को हटाने हेतु दिल्ली पुलिस की नीति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान। दिल्ली पुलिस, उन विशेष परिस्थितियों, जब पुलिस कानून और व्यवस्था के बड़े कार्यों में पहले से व्यस्त होती है, को छोड़ कर अवैध कब्जे हटाने के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मांग पर सिविल/भू स्वामित्व वाली एजेंसियों को हमेशा ही पुलिस सहायता प्रदान करती है। नेहरू प्लेस के कुछ दुकानदार बरामदों में अपना सामान रखते हैं जिसे समय-समय पर पुलिस द्वारा हटा दिया जाता है।

[हिन्दी]

राजनीतिज्ञों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

3199. **श्री सुरेश चन्देल :**
प्रो. चन्द्र कुमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. या किसी अन्य एजेंसी ने केन्द्रीय मंत्री परिषद् के कुछ मंत्रियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मामलों की प्रकृति क्या है और सुनवाई किस चरण में है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार

3200. श्री वाई.जी. महाजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकने हेतु कोई कार्य-योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। तथापि, भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को यह कहती रही है कि वे महिलाओं तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम करने हेतु आवश्यक उपाय करें। 5 मई, 2004 को गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को निम्नलिखित उपाय करने के लिए कहा गया :

(1) अपराध संभावित क्षेत्रों की पहचान करना और स्कूलों/कॉलेजों में लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कानूनों के उल्लंघन के मामलों की निगरानी हेतु तंत्र की स्थापना करना;

(2) महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज करना;

(3) महिलाओं के प्रति अपराध निवारण प्रकोष्ठों के हैल्पलाइन नम्बर सुस्पष्ट तरीके से सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करना;

(4) पुलिस थानों में महिला प्रकोष्ठों की स्थापना करना और जहां आवश्यक हो, महिला पुलिस थानों की स्थापना करना; तथा

(5) महिलाओं के प्रति अपराधों की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को विशेष कानूनों का व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना।

[अनुवाद]

विद्यालयों में अध्यापन गतिविधियां

3201. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालयों में मुख्य धारा अध्यापन गतिविधि के रूप में मानचित्रण को शामिल करने और मानचित्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त मामले पर क्या रवैया अपनाया गया?

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

''स्ट्रीट वेन्डर्स'' संबंधी राष्ट्रीय नीति

3202. श्री हरिहर स्वाईं : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 20 जनवरी, 2004 को ''स्ट्रीट वेन्डर्स'' संबंधी राष्ट्रीय नीति जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इसे कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है;

(ग) क्या कुछ राज्य उक्त नीति का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) भारतीय दंड संहिता की धारा 283 और 431 के उपयुक्त संशोधन हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) इस नीति से राज्यों/संघ शासित राज्य क्षेत्रों को इस प्रावधान के साथ परिचालित किया कि राज्यों/संघ शासित राज्य क्षेत्रों की सरकारें स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखकर तथा इस मुद्दे को प्रमाणित करने वाले किसी अदालती निर्णय का सम्मान करते

हुए शहरी फेरीवालों के समग्र हित में इस नीति को परिवर्तनों के साथ अथवा परिवर्तन किये बिना उचित और समुचित रूप से अपनाएं।

[हिन्दी]

शहरों का विकास

3203. श्री गिरिधारी यादव :
श्री मनसुख भाई डी. वसावा :
श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री काशीराम राणा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष बिहार, गुजरात और झारखंड के विभिन्न शहरों के विकास हेतु योजनाओं और इसके लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिहार, गुजरात और झारखंड ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या विश्व बैंक इसके लिए कोई सहायता दे रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक की सहायता से इन राज्यों में कौन से कार्य शुरू किये गये?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) **छोटे और मझौले कस्बों का समेकित विकास:-**

छोटे और मझौले कस्बों का समेकित विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के तहत वर्तमान वर्ष के दौरान बिहार, गुजरात और झारखंड राज्यों के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय आवंटन क्रमश: 739 लाख रु. 1042.00 लाख रु. और 519.00 लाख रु. किया गया है। वर्तमान वर्ष 2004-05 के दौरान गुजरात से प्राप्त कस्बा-वार प्रस्ताव, अनुमोदित परियोजना लागत और जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। बिहार, झारखंड और गुजरात से प्राप्त विकास संबंधी प्रस्तावों की परियोजना लागत जिनपर कार्रवाई चल रही है और आईडीएसएमटी स्कीम के तहत प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता राशि की प्रथम किस्त का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान बिहार, गुजरात और झारखंड से विचारार्थ प्राप्त जलापूर्ति स्कीमों का ब्यौरा और उनकी मौजूदा स्थिति का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(घ) से (च) फिलहाल बिहार, गुजरात और झारखंड राज्यों में स्थित शहरों के विकास के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता प्राप्त नहीं की जा रही है।

विवरण-I

आईडीएसएमटी स्कीम के तहत वर्तमान वर्ष 2004-05 के दौरान बिहार, गुजरात और झारखंड से प्राप्त प्रस्ताव और जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/कस्बे का नाम	शामिल करने का वर्ष	परियोजना लागत	जारी की गई केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5
गुजरात				
1.	लिंबडी	2001-02	215.45	45.00
2.	धंधुका	2001-02	219.65	45.00
3.	खेड	2001-02	24.36	45.00
4.	प्रांतिज	2001-02	212.74	45.00
5.	बागसारा	2001-02	207.42	45.00
6.	मनसा	2002-03	172.32	58.00
7.	खेरालू	2003-04	203.14	24.00
8.	शिहोर	2003-04	203.09	45.00
9.	मंगरोल	2003-04	209.86	20.00
10.	जसदान	2003-04	200.20	20.00
11.	लूनावाडा	2003-04	210.95	20.00

1	2	3	4	5
12.	राजुला	2003-04	200.68	20.00
13.	धारी	2003-04	195.53	19.00
14.	गधाड़ा	2003-04	201.63	20.00
15.	कलोल	2003-04	88.61	11.00
16.	जमजोधपुर	2003-04	205.02	20.00
17.	सलया	2003-04	127.75	9.00
18.	थराड़	2003-04	113.70	9.00
19.	तलजा	2003-04	150.03	9.00
20.	देवगढ़बारिया	2003-04	91.59	12.00
21.	कुटियाना	2003-04	118.49	9.00
22.	खदब्रह्मा	2003-04	98.95	8.75
23.	धर्मपुर	2003-04	103.04	9.00
24.	चनसमा	2003-04	131.31	9.00
25.	तालोड़	2003-04	106.43	9.00
26.	उना	1999-2000	216.04	60.00
27.	उमरेठ	1999-2000	216.81	60.00
28.	धोलका	1999-2000	183.95	62.40
29.	ध्रंगध्रा	2000-01	336.27	102.00
30.	राजपीपला	2004-05	219.41	45.00
31.	व्यारा	2004-05	229.56	45.00
32.	राधनपुर	2004-05	204.12	45.00
33.	मानवदर	2004-05	207.00	36.85
	कुल		5825.10	1042.00

नोट: वर्तमान वर्ष के दौरान 15 दिसम्बर, 2004 तक बिहार और झारखंड के लिए कोई केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की गई है।

विवरण-II

बिहार, झारखंड और गुजरात से प्राप्त प्रस्ताव जिनके लिए केन्द्रीय सहायता जारी करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/कस्बे का नाम	परियोजना लागत	प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता की प्रथम किस्त
	बिहार		
1.	दलसिंह सराय	100.00	24.00
2.	रोसड़ा	199.40	24.00
	उप योग	299.40	48.00
	झारखंड		
1.	मांगी	503.35	98.15
	उपयोग	503.35	98.15
	गुजरात		
1.	हलवाड़	126.37	24.00
2.	राणावाव	102.91	24.00
3.	करजन	125.91	24.00
4.	जाफराबाद	109.85	24.00
5.	हारिज	132.23	24.00
6.	लाठी	99.46	23.75
7.	छलाला	100.04	24.00
8.	सोनगढ़	120.14	24.00
9.	आदित्याना	120.36	24.00
10.	बंतवा	103.96	24.00
11.	नवसारी	587.82	93.50
	उप योग	1728.05	333.25
	कुल योग	2530.80	479.40

विवरण-III

राज्य : बिहार स्थिति 14.12.2004

विचाराधीन स्कीमें वार्षिक आवंटन 413.63 लाख रु.

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	आबादी	परियोजना लागत	टिप्पणियां
1.	शाहपुर	भोजपुर	1196	183.72	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
2.	बरियानुर	मुंगेर	10384	172.33	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
3.	मनिहय	कटिहार	17248	271.74	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
4.	ठाकुरगंज	पूर्णिया	13588	167.80	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
5.	कोलवाड़	भोजपुर	10246	187.5	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
6.	टेकरी	गया	14247	217.94	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
7.	असरगंज	मुंगेर	4926	78.86	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
			29419	1279.89	

राज्य : गुजरात स्थिति 14.12.2004

सीपीएचईईओ में संविक्षाधीन स्कीमें वार्षिक आवंटन 772.19 लाख रु.

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	आबादी	परियोजना लागत	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	मालपुर	सबरंकथा	5325	79.13	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
2.	कटपर	भावनगर	7088	59.61	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

1	2	3	4	5	6
3.	जाफराबाद	अमरेली	17539	503.97	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
4.	वनसडा	नवसारी	9728	126.75	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
5.	सारूबुजगंज	नवसारी	6899	55.46	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
6.	देवसर	नवसारी	7626	126.20	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
7.	उमरगांव	नलसाड	15481	31.19	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
8.	महुवर	नवसारी	8129	66.65	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
9.	पवितेजपुर	बदोदरा	6466	68.80	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
10.	उमराला	भावनगर	9091	53.41	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
11.	गरियाधार	भावनगर	19723	515.67	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
12.	मेघराज	सबरकंथा	8287	146.64	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
13.	तलज	भावनगर	17965	321.42	जांच की गई, टिप्पणियां 30.11.04 को भेजी गई। उत्तर प्रतीक्षित है।
14.	बेचारजी	मेहसाना	8177	152.75	जांच की गई, टिप्पणियां 30.11.04 को भेजी गई। उत्तर प्रतीक्षित है।
15.	लखतार	सुरेन्द्रनगर	11139	110.00	जांच की गई, टिप्पणियां 30.11.04 को भेजी गई। उत्तर प्रतीक्षित है।
16.	पटदी	सुरेन्द्रनगर	14098	314.54	जांच की गई, टिप्पणियां 30.11.04 को भेजी गई। उत्तर प्रतीक्षित है।
17.	खराघोड़ा	सुरेन्द्रनगर	10034	222.88	जांच की गई, टिप्पणियां 30.11.04 को भेजी गई। उत्तर प्रतीक्षित है।

1	2	3	4	5	6
18.	धरड्	बनसकांथा	18053	167.80	जांच की गई, टिप्पणियां 30.11.04 को भेजी गई। उत्तर प्रतीक्षित है।
19.	टंकारा	राजकोट	7790	61.90	जांच की गई, टिप्पणियां 30.11.04 को भेजी गई। उत्तर प्रतीक्षित है।
			208638	3184.77	

राज्य : झारखंड

(क) विचाराधीन स्कीमें — वार्षिक आवंटन 307.75 लाख रु.

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	आबादी	परियोजना लागत	टिप्पणियां
1.	दुग्धा	बोकारो	15204	215.63	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
2.	हुसैनाबाद	दलटनगंज	17294	277.45	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
3.	मनोहरपुर	पश्चिम सिंघम	9947	152.00	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
4.	बासुकिनाथ	दुमका	11988	553.77	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
5.	मेरू	हजारीबाद	6434	72.85	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
			60867	1271.70	

(ख) राज्यों को लौटाई गई स्कीमें

1.	गलफड़बाड़ो	धनबाद	15507	330.13	नवम्बर 2004 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में संशोधन हेतु राज्य को वापस भेजी गई।
2.	पंचेट	धनबाद	14289	238.22	नवम्बर 2004 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में संशोधन हेतु राज्य को वापस भेजी गई।
3.	बलियापुर	धनबाद	9513	186.03	नवम्बर 2004 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में संशोधन हेतु राज्य को वापस भेजी गई।
			39309	754.38	

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय

3204. श्री अनन्त नायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नवोदय विद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थियों का नामांकन प्रतिशत राज्य-वार कितना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नवोदय विद्यालयों में अन्य विद्यालयों की तुलना में अ.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थियों का राज्य-वार कार्य-प्रदर्शन कैसा रहा;

(ग) क्या नवोदय विद्यालयों में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अ.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के कार्य-प्रदर्शन का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने इस मामले में किसी प्रतिष्ठित संगठन द्वारा अध्ययन कराने का निर्णय लिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के नामांकन का प्रतिशत विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार नवोदय विद्यालयों में कक्षा x और कक्षा xii की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में अन्य छात्रों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों का निष्पादन विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) नवोदय विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। प्रवेश के पश्चात नवोदय विद्यालय के सभी छात्रों को एक समान माना जाता है तथा उनकी जाति पर ध्यान दिए बिना सभी छात्रों को समान शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाती है। नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के निष्पादन की तुलना सामान्यत: अन्य छात्रों से की जाती है इसी कारण नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के निष्पादन का कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया जाता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की दाखिला प्रतिशतता का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	2003-2004				2002-2003				2001-2002			
		अजा	%	अजजा	%	अजा	%	अजजा	%	अजा	%	अजजा	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	114	22.44	119	23.43	12	2.22	142	26.30	15	2.52	155	26.01
2.	आंध्र प्रदेश	2232	23.49	1066	11.22	2103	22.98	981	10.72	2128	23.16	977	10.63
3.	अरूणाचल प्रदेश	42	2.17	1575	81.35	35	1.90	1474	80.15	43	2.30	1465	78.22
4.	असम	1064	17.00	1795	28.68	893	16.07	1566	28.19	800	15.34	1383	26.52
5.	बिहार	2463	21.08	456	3.902	2405	21.35	595	5.28	2477	22.30	423	3.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	चंडीगढ़	141	31.06	2	0.441	113	28.61	2	0.51	113	30.13	10	2.67
7.	छत्तीसगढ़	677	19.87	1051	30.85	568	17.97	984	31.13	634	20.79	966	31.67
8.	दादरा और नागर हवेली (सीली)	14	10.45	57	42.54	10	9.90	52	51.49	7	6.54	66	61.68
9.	दमन और दीव	23	6.67	6	17.39	23	6.99	3	0.91	17	5.54	6	1.95
10.	दिल्ली	227	27.22	18	21.58	204	27.35	16	2.14	196	26.85	14	1.92
11.	गोवा	15	2.84	3	05.68	18	3.61	0	0.00	13	3.14	0	0.00
12.	गुजरात	1097	20.48	749	13.98	940	20.67	615	13.52	862	21.06	551	13.46
13.	हरियाणा	1635	31.50	45	08.67	1618	30.61	53	1.00	1545	31.07	143	2.88
14.	हिमाचल प्रदेश	1471	34.44	546	12.78	1417	34.49	516	12.56	1428	36.08	455	11.50
15.	जम्मू और कश्मीर	592	15.60	796	20.98	554	14.75	752	20.03	545	14.23	724	18.91
16.	झारखंड	1000	18.88	1570	29.64	890	18.23	1488	30.48	827	18.39	1438	31.98
17.	कर्नाटक	2148	20.34	974	92.22	1992	20.41	862	8.83	1859	19.83	814	8.68
18.	केरल	1304	21.19	193	31.37	1278	21.41	151	2.53	1305	21.67	141	2.34
19.	लक्षद्वीप	2	0.90	210	95.02	2	1.08	178	96.22	1	0.51	186	95.38
20.	मध्य प्रदेश	3945	24.46	2624	16.27	3620	24.07	2717	18.07	3500	25.04	2170	15.53
21.	महाराष्ट्र	2716	25.10	1167	10.78	2562	25.21	1096	10.78	2498	25.70	1065	10.96
22.	मणिपुर	352	11.06	1569	49.29	313	10.93	1378	48.13	308	10.68	1446	50.12
23.	मेघालय	22	1.79	1082	88.04	14	1.46	855	89.44	24	2.07	1002	86.53
24.	मिजोरम	0	0.00	211	99.53	1	0.56	176	98.32	0	0.00	240	99.17
25.	नागालैंड	7	1.09	610	95.16	0	0.00	507	98.26	0	0.00	451	98.26
26.	उड़ीसा	1521	22.26	1799	26.33	1422	22.42	1694	26.71	1313	22.84	1604	27.91
27.	पांडिचेरी	236	18.90	26	20.82	356	32.07	3	0.27	269	29.63	4	0.44
28.	पंजाब	2447	46.24	35	06.61	2190	43.81	30	0.60	2069	44.49	14	0.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	राजस्थान	2933	24.83	1950	16.51	2684	24.42	1842	16.76	2600	25.14	1727	16.70
30.	सिक्किम	63	8.49	336	45.28	54	8.87	250	41.05	40	7.05	245	43.21
31.	त्रिपुरा	259	25.75	418	41.55	241	25.48	397	41.97	230	26.93	342	40.05
32.	उत्तर प्रदेश	6681	32.56	189	09.21	6053	32.95	182	0.99	5582	32.26	146	0.84
33.	उत्तरांचल	661	25.52	145	55.98	625	26.64	133	5.67	534	25.71	111	5.34
34.	पश्चिम बंगाल	57	28.79	22	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	कुल	38161	24.02	23414	14.74	35210	23.87	21690	14.70	33782	23.99	20484	14.55

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा X में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का प्रदर्शन (राज्यवार)

क्र. सं.	राज्य	कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता			उत्तीर्ण अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की प्रतिशतता			उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिशतता		
		2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	65.68	54.70	82.00	एन.ए.	एन.ए.	100.00	66.50	58.50	90.50
2.	आंध्र प्रदेश	96.17	95.68	97.72	94.48	91.27	97.28	97.04	94.27	99.16
3.	अरूणाचल प्रदेश	66.16	60.88	76.37	43.40	50.00	28.57	61.60	60.60	44.30
4.	असम	87.77	86.54	88.51	68.50	71.02	65.21	88.33	85.42	91.80
5.	बिहार	90.12	88.57	90.24	83.10	68.54	77.37	64.10	72.30	98.30
6.	चंडीगढ़	90.40	89.60	96.60	78.50	83.30	94.40	75.00	100.00	एन.ए.
7.	छत्तीसगढ़	91.71	88.86	97.39	87.70	85.30	98.85	87.40	79.30	96.71
8.	दादरा और नागर हवेली (सीली)	87.50	75.00	78.67	56.00	62.00	63.00	54.33	69.00	58.00
9.	दमन और दीव	62.50	98.75	83.34	50.00	100.00	50.00	0	100.00	0
10.	दिल्ली	94.05	96.59	92.31	95.65	90.00	85.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	गोवा	94.87	90.44	89.58	96.00	87.50	86.50	83.00	80.00	82.00
12.	गुजरात	94.31	91.21	92.86	89.19	80.74	92.02	74.00	78.00	78.19
13.	हरियाणा	95.29	88.59	88.53	93.14	85.63	82.24	एन.ए.	75.00	एन.ए.
14.	हिमाचल प्रदेश	88.50	89.40	88.80	84.00	90.20	88.60	72.30	76.00	68.00
15.	जम्मू और कश्मीर	83.60	71.00	83.60	78.30	79.40	80.80	81.00	68.10	78.40
16.	झारखंड	83.54	84.00	88.16	86.20	77.00	84.46	70.00	77.77	82.56
17.	कर्नाटक	93.34	94.47	97.68	91.78	91.81	95.62	92.35	86.69	95.47
18.	केरल	96.47	95.99	98.68	94.76	91.85	98.55	90.52	92.38	100.00
19.	लक्षद्वीप	77.77	91.70	71.42	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	76.92	90.90	70.00
20.	मध्य प्रदेश	83.30	84.42	90.00	85.40	81.40	89.22	66.70	67.70	82.31
21.	महाराष्ट्र	95.89	93.68	97.95	92.05	89.03	93.08	88.00	85.64	89.60
22.	मणिपुर	74.66	92.32	94.30	73.40	90.20	91.89	92.40	91.90	87.22
23.	मेघालय	86.45	93.02	88.33	100.00	100.00	100.00	86.12	93.10	86.60
24.	मिजोरम	15.60	88.23	81.25	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	15.60	88.23	81.25
25.	नागालैंड	100.00	70.83	46.99	एन.ए.	0	एन.ए.	100.00	70.50	46.34
26.	उड़ीसा	88.79	90.06	91.95	78.30	83.40	87.33	85.80	83.40	87.33
27.	पांडिचेरी	78.25	74.45	82.56	83.33	39.53	80.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
28.	पंजाब	86.10	74.10	84.30	80.60	77.40	78.30	100.00	100.00	100.00
29.	राजस्थान	92.80	88.70	89.52	90.99	87.19	85.75	91.75	85.44	86.58
30.	सिक्किम	60.87	93.75	88.76	55.12	75.00	100.00	60.44	94.44	100.00
31.	त्रिपुरा	54.46	88.53	75.26	48.62	74.07	64.00	50.50	51.51	65.11
32.	उत्तर प्रदेश	84.26	91.10	90.16	82.78	87.57	87.22	94.73	87.17	77.77
33.	उत्तरांचल	91.85	92.00	91.64	88.33	84.05	88.31	100.00	78.94	80.00
34.	पश्चिम बंगाल	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.

एन.ए. — किसी विद्यार्थी ने भाग नहीं लिया।

पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा XII में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का प्रदर्शन (राज्यवार)

क्र. सं.	राज्य	कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता			उत्तीर्ण अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की प्रतिशतता			उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिशतता		
		2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	96.00	94.00	90.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	100.00	100.00	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	92.47	92.94	93.62	91.84	92.60	92.30	95.45	93.93	89.58
3.	अरूणाचल प्रदेश	55.81	58.42	89.29	57.42	60.70	66.67	55	56.41	79.69
4.	असम	73.33	77.16	83.66	70.34	75.00	78.00	91.31	94.43	99.33
5.	बिहार	71.81	72.62	81.32	72.29	64.05	77.04	65.21	58.33	71.79
6.	चंडीगढ़	65.70	70.00	98.00	57.10	73.00	100.00	75	100.00	100.00
7.	छत्तीसगढ़	83.70	90.33	90.07	77.40	72.71	95.14	73.7	74.57	89.57
8.	दादरा व नगर हवेली (सीली)	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
9.	दमन और दीव	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
10.	दिल्ली	92.54	96.34	94.59	89.47	95.83	95.45	100	एन.ए.	एन.ए.
11.	गोवा	100.00	100.00	98.87	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	97.00
12.	गुजरात	85.48	95.27	86.08	55.36	95.95	67.86	68.33	85.71	63.33
13.	हरियाणा	90.12	81.69	82.18	87.10	74.39	73.52	0	50.00	0
14.	हिमाचल प्रदेश	88.50	86.30	91.40	80.30	64.30	65.20	76.30	77.20	66.60
15.	जम्मू व कश्मीर	79.50	79.20	77.60	71.40	80.00	63.00	60.00	80.20	76.60
16.	झारखंड	77.99	78.55	84.81	73.33	79.00	85.93	69.52	73.00	83.33
17.	कर्नाटक	95.73	95.89	95.93	92.89	94.46	95.00	100.00	95.09	100.00
18.	केरल	97.17	96.28	98.22	97.48	93.12	99.33	95.83	100.00	90.00
19.	लक्षद्वीप	74.40	94.00	100.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	74.40	94.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	मध्य प्रदेश	88.04	82.18	85.58	76.60	74.53	77.45	56.80	68.00	67.63
21.	महाराष्ट्र	88.89	91.03	96.81	79.86	90.90	86.22	75.83	86.60	75.45
22.	मणिपुर	68.51	76.5	92.03	78.64	83.00	82.35	65.14	73.15	88.37
23.	मेघालय	86.91	92.1	91.80	एन.ए.	एन.ए.	100.00	84.92	91.30	90.20
24.	मिजोरम	0	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
25.	नागालैंड	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
26.	उड़ीसा	85.84	83.63	89.81	68.60	68.93	82.21	65.40	63.71	87.35
27.	पांडिचेरी	58.54	89.34	97.36	73.57	91.00	96.88	100.00	एन.ए.	एन.ए.
28.	पंजाब	78.60	86.7	79.90	76.20	72.00	69.60	100.00	एन.ए.	0
29.	राजस्थान	80.86	90.9	88.58	69.60	91.07	85.07	76.19	90.00	71.76
30.	सिक्किम	78.97	100	73.17	एन.ए.	एन.ए.	50.00	75.00	100.00	80.95
31.	त्रिपुरा	60.66	47.58	77.08	एन.ए.	एन.ए.	80.95	60.00	50.15	80.39
32.	उत्तर प्रदेश	76.09	81.00	86.56	71.77	73.68	83.37	83.33	88.00	77.77
33.	उत्तरांचल	81.08	86.00	85.40	69.23	82.00	79.62	100.00	100.00	90.00
34.	पश्चिम बंगाल	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.

एन.ए. – किसी विद्यार्थी ने भाग नहीं लिया।

औषधियों के मूल्य निर्धारण हेतु मानदंड

3205. **श्री अधीर चौधरी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा डी पी सी ओ, 1995 के अंतर्गत नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों श्रेणियों की औषधियों के मूल्यों की गणना हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) उत्पादों का उनके कारोबार सहित ब्यौरा क्या है जहां नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों श्रेणियों की औषधियों में इन मानदंडों का पालन नहीं किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि देश में उपलब्ध दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी)सरकार के घोषित मानदंडों के अनुसार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए) ने 11 अगस्त, 2004 को परिवर्तन लागत, पैकिंग प्रभार और प्रसंस्करण हानि से संबंधित मानदंडों और 19 अगस्त 2004 को पैकिंग सामग्री मानदंडों को अधिसूचित किया है। एन पी पी ए द्वारा ये मानदंड डीपीसीओ की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित प्रपुंज औषधों और उनपर आधारित सूत्रयोगों की कीमतें निर्धारित/संशोधित करते समय लागू किए जाते हैं। मूल्य निर्धारण/संशोधन के किसी उल्लंघन के लिए डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

डीपीसीओ 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचीबद्ध और गैर-अनुसूचीबद्ध दोनों सूत्रयोगों की कीमतें "खुदरा मूल्य.................. से अधिक नहीं, स्थानीय कर अतिरिक्त" के रूप में मुद्रित होती है।

फार्म हाउस

3206. **श्री रघुनाथ झा : क्या शहरी विकास मंत्री** 13.7.2004 के अतारांकित प्रश्न सं. 932 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चेयरमैन (डी टी एफ), जिला दक्षिण दिल्ली द्वारा फार्म हाऊसों से अवैध/अनधिकृत निर्माण हटाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को इस बारे में स्मरण कराया गया है।

सरकारी आवासों का कब्जा

3207. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :**
श्री आलोक कुमार मेहता :
श्री सीता राम यादव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भूतपूर्व मंत्रियों और भूतपूर्व संसद सदस्यों के नाम क्या हैं जो अनधिकृत रूप से दिल्ली में सरकारी आवासों पर अभी कब्जा जमाए हुए हैं तथा उनको आबंटित सरकारी आवासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके कब्जे को कब से अवैध घोषित किया गया है;

(ग) प्रत्येक मामले में कितना किराया बकाया है;

(घ) क्या वर्तमान सरकार की मंत्रिपरिषद के अनेक मंत्री सरकारी आवासों के आबंटन का इंतजार कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मकानों को खाली करवाने और किराया वसूलने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कुशलता उन्नयन योजना हेतु केन्द्रीय अनुदान सहायता

3208. **श्री चन्द्रभान सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए कुशलता उन्नयन योजना चलाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान सहायता के लिए कौन-से प्रावधान बनाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जी, हां। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए "प्रतिभा उन्नयन" की योजना चलाई जा रही है।

(ख) यह केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को 100% अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के लिए 99 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं।

घाटघर विद्युत परियोजना

3209. **श्री देविदास पिंगले : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घाटघर विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है और इस परियोजना के पूरा करने में कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) घाटघर विद्युत परियोजना (2x 125 मे.वा.) को सिचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा निष्पादित किया जा रहा है जिसने सूचित किया है कि 3 रोलर कम्पेक्टिव कंकरीट

(आरसीसी) बांधों में से दो बांधों का कार्य पूरा हो चुका है तथा तीसरे का कार्य चल रहा है। बिजली घर की 2 उत्पादन यूनिटों में से एक लगभग पूरी हो चुकी है तथा अन्य का कार्य चल रहा है। अन्य संबद्ध कार्य, जैसे विभिन्न सुरंगे, इनटेक ढांचा, स्विचयार्ड केबल टनल पूरे हो चुके हैं। प्रेसर साफ्ट का 90% कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना के जनू, 2006 में चालू होने का कार्यक्रम है।

(ख) अक्टूबर, 2004 तक परियोजना पर कुल 824.17 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं तथा परियोजना के पूरा होने में कुल 1184.60 करोड़ रुपए (1999-2000 का मूल्य स्तर) खर्च होने की संभावना है।

(ग) और (घ) विदेशी सहायता के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, जेबीआईसी, जापान ने 11414 मिलियन जापानी येन लगभग 441.75 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है जिसमें से 11393 मिलियन जापानी येन (लगभग 441.75 करोड़ रुपये) दिनांक 20.1.2003 को ऋण की समाप्ति की तारीख पर संवितरित किए जा चुके हैं।

मध्य प्रदेश की लंबित योजनाएं

3210. श्री गणेश सिंह : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार की कोई योजना केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो ये योजनाएं कब से लंबित है;

(ग) लंबित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त योजनाओं को अब तक स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त योजनाओ को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के तहत भारत सरकार सब्सिडी जारी करने के लिए वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान प्राप्त सात स्कीमें लंबित है क्योंकि राज्य द्वारा वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान जारी भारत सरकार सब्सिडी के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को वाम्बे दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बार-बार अनुस्मरण कराया गया है। प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त लंबित वाम्बे स्कीमों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	स्कीम का नाम	एजेंसी का नाम	रिहायशी यूनिट	शौचालय यूनिट	भारत सब्सिडी (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	मध्य प्रदेश	हारदा, मध्य प्रदेश में वाम्बे स्कीम	नगर परिषद हारदा	421	0	84.200
2.	मध्य प्रदेश	बाग मुगालिया/जाट खेड़ी, भोपाल मध्य प्रदेश वाम्बे स्कीम	भोपाल विकास प्राधिकरण	583	0	145.750
3.	मध्य प्रदेश	ऊमरावाई खुर्द, भोपाल में वाम्बे स्कीम	भोपाल विकास प्राधिकरण	321	0	80.250
4.	मध्य प्रदेश	वाम्बे के तहत चन्द्र प्रभास शेकर नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश के लिए पुनर्वास स्कीम	भोपाल विकास प्राधिकरण	572	0	143.000
5.	मध्य प्रदेश	ईश्वर नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश में वाम्बे स्कीम	इंदौर विकास प्राधिकरण	459	0	114.750

1	2	3	4	5	6	7
6.	मध्य प्रदेश	वाम्बे के तहत मूसाखेड़ी, इंदौर में शांतिनगर का पुनर्वास	इंदौर विकास प्राधिकरण	1147	80	302.750
7.	मध्य प्रदेश	सतना, मध्य प्रदेश में वाम्बे स्कीम	सतना नगर परिषद	339	0	67.800
		कुल		3842	80	983.500

भारत-चीन सहयोग

3211. **श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन ने दोनों देशों के पुलिस बलों के बीच सहयोग करने के संबंध में वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी हां,।

(ख) और (ग) यह वार्ता दोनों देशों के सशस्त्र पुलिस बलों के संगठन और कार्यकरण तथा पुलिस प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग की गुंजाइश पर केन्द्रित रही।

[अनुवाद]

पावरग्रिड कारपोरेशन का मुख्यालय

3212. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के द्वितीय पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में पश्चिम बंगाल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने पटना में विद्यमान क्षेत्रीय मुख्यालय के अतिरिक्त, कोलकाता में एक और क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना करके पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पी जी सी आई एल) के पूर्वी क्षेत्र के दो शाखाओं में विभाजित करने का सुझाव दिया है। खराब भू-भाग, पारेषण प्रणाली का आकार और सब-स्टेशनों की संख्या सहित भौगोलिक विस्तार जैसे मानदंडों (पैरामीटर) को देखते हुए पी जी सी आई एल ने सूचित किया है कि इस समय पूर्वी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

3213. **श्री मोहन रावले :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तकनीकी संस्थानों के लिए पृथक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की तकनीकी शिक्षा के उन्नयन को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विभिन्न स्कीमों जैसे अनुसंधान प्रोत्साहन, आधुनिकीकरण और अप्रचलनों को हटाना, उद्योग-संस्थान साझेदारी, औद्योगिक सहयोग सहित इंजीनियरी और

प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय सहायता, राष्ट्रीय समेकित परियोजनाएं उद्यमशीलता प्रबंधन विकास, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, अर्ली फेकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, संकाय विकास कार्यक्रम, इमेरिट्स फेलोशिप, विजिटिंग प्रोफेसरशिप, कैरियर अवार्ड स्कीम, सेमिनार, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान, विख्यात विजिटिंग प्रोफेसरशिप, राष्ट्रीय डॉक्टरल फेलोशिप के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपने-अपने क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा पद्धति की गुणवत्ता में सुधार के लिए अग्रणी भूमिका निभाने हेतु केन्द्रक के रूप में कार्य कर रहे है। सरकार ने पूर्ववर्ती क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों का स्तरोन्नयन करके उन्हें सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में परिवर्तित किया है और ये केन्द्र सरकार की पूर्णतः वित्त पोषित संस्थाएं हैं। भारत सरकार ने देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम शुरू किया है।

एच एस सी एल के कर्मचारियों को 'वर्क अवार्ड'

3214. श्री सुनील खां : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण का विचार हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड (एच.एस.सी.एल.) के कर्मचारियों को 'वर्क अवार्ड' देने का है;

(ख) यदि हां, तो (एच.एस.सी.एल.) को आज की तारीख तक कितना 'वर्क अवार्ड' दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) एच एस सी एल द्वारा सेल की निविदाओं के लिए आवेदन किए जाने पर सेल इस पर प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर विचार कर सकता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सेल द्वारा एच एस सी एल को दिया गया कार्य निम्नानुसार है:

(मूल्यः करोड़ रुपए)

2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (31.10.2004 तक)
45.09	49.60	59.35	70.59

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण

3215. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा कुल कितनी भूमि अधिग्रहित की गयी और इसका क्या उद्देश्य था;

(ख) क्या स्थानीय विस्थापितों को वैकल्पिक आवासीय प्लॉट दिए बिना ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय गृहों का भी अधिग्रह किया गया है या अधिग्रहण किया जाना है; और

(ग) क्या यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय गतिविधि को बढ़ावा देने और सुविधाएं प्रदान करने के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कथित उद्देश्य के विपरीत है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) पिछले तीन वर्षों में, विभिन्न विकास कार्यों के लिए वर्ष-वार अधिग्रहित भूमि का कुल क्षेत्र नीचे दिया गया है:—

1.	2002-2003	519.186 एकड़
2.	2003-2004	386.95 एकड़
3.	2004-2005	58.037 एकड़

(ख) नीति के रूप में, गांव के लाल डोरे के भीतर कोई अधिग्रहण नहीं किया जाता है। तथापि, आपवादिक मामलों में, यह लोकहित में और जन सुविधाएं प्रदान करने के लिए, किया जाता है। चंडीगढ़ में कहीं भी अधिग्रहित भूमि के लिए, विस्थापितों का पुनर्वास "चंडीगढ़ के विस्थापितों के लिए रिहायशी इकाईयों का आबंटन योजना, 1976" नामक योजना के अन्तर्गत किया जाता है।

(ग) जी नहीं, चंडीगढ़ राजधानी अधिनियम, 1952 के तहत बनाया गया एक योजनाबद्ध शहर है और शहर को सुन्दर बनाने के लिए इसकी परिधि की इसके फेफड़े के रूप में देख-रेख करने के लिए, मुख्य शहर से सटे हुए सीमित ग्रामीण क्षेत्र को पंजाब परिधि नियंत्रण अधिनियम के अधीन नियंत्रित किया जाता है जो कि कृषि भूमि पर निर्माण और भूमि प्रयोग के बदलाव को रोकता है।

स्वचालित रेलगाड़ी प्रचालन प्रणाली शुरू करना

3216. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने भूमिगत मेट्रो लाइन में स्वचालित रेलगाड़ी प्रचालन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने मेट्रो रेलवे संरक्षा आयुक्त से संरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस नयी प्रणाली के कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) ऑटोमेटिक ट्रेन आपरेशन (ए टी ओ) प्रणाली एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है, जो मैट्रो लाइन पर गाड़ियों को स्वचालित प्रचालन में सक्षम बनाती है। ए टी ओ प्रणाली में रेलगाड़ी के ड्राइवर को उसके सामान्य कार्यों से मुक्त कर दिया गया है और उसका कार्य रेलगाड़ी के दरवाजों को बंद करने तथा रेलगाड़ी को चलाने के लिए "स्टार्ट बटन" को दबाने तक सीमित रखा गया है।

(ग) जी हां।

(घ) निर्धारित तारीख 19 दिसम्बर, 2004 है।

पूर्वोत्तर दौरा

3217. **श्री मणी कुमार सुब्बा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने और उसकी समीक्षा करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रतिनिधि संगठनों के साथ राज्यवार किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) केन्द्रीय गृह मंत्री ने 4 से 6 सितम्बर, 2004 तक मेघालय और मणिपुर का दौरा किया। इन्होंने अक्तूबर, 2004 के पहले सप्ताह में नागालैण्ड और असम का भी दौरा किया।

(ख) दौरे के दौरान, गृह मंत्री ने राज्य सरकारों और सुरक्षा/आसूचना एजेन्सियों के साथ सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। इन्होंने बहुत से प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की।

(ग) पूर्वोत्तर में कुल मिलाकर हिंसा, पिछले वर्ष से इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष कम हुई है और सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में है।

[अनुवाद]

दीव और दमण क्षेत्र में विकास योजना

3218. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दीव-दमन क्षेत्र में विकास कार्य शुरू किया है/करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में महिला और बाल विकास, सामाजिक रूप से अलाभान्वित ग्रुपों, रोजगार और गरीबी उन्मूलन तथा विद्युत जैसे क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विकास योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। इसका 2005-06 के दौरान भी माध्यमिक शिक्षा; महिला और बाल विकास; रोजगार; व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास, सामाजिक रूप से अलाभान्वित ग्रुपों शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन, शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं; पर्यटन, सिंचाई; विद्युत; परिवहन; पर्यावरण एवं वन; और खेल-कूद जैसे क्षेत्रों से संबंधित कुछ नई विकास योजनायें कार्यान्वित करने का भी प्रस्ताव है। उपरिलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष में लगभग 1327 लाख रुपए बजट आवंटन वाली 40 अन्य बड़ी विकास योजनाएँ भी कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर

3219. **डा. पी.पी. कोया :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं के लिए भगवान दास रोड पर चैम्बरों का औने पौने दाम के स्थान पर मानक लाइसेंस शुल्क लेकर आबंटन करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे चैम्बरों के आबंटन की तिथि से अब तक प्रत्येक आबंटी से कितनी राशि वसूली गयी है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि बकाया राशि की वसूली होने अथवा आबंटियों से स्थान खाली कराये जाने तक किसी एडवोकेट हेतु आगे कोई आबंटन/पैनल तैयार नहीं किया जाए?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्काई बस परियोजनायें

3220. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई - इन चारों महानगरों में स्काई बस परियोजना हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में किसी कंपनी से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस परियोजना की प्रति किलोमीटर विनिर्माण लागत परिवहन के किसी भी अन्य माध्यम से कम है;

(च) यदि हां, तो क्या कोई सर्वेक्षण कार्य किया गया है;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन चारों महानगरों में इस परियोजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ज) जी, नहीं। तथापि, कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड द्वारा विकसित स्काई बस मेट्रो प्रणाली की तकनीकी-आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता की जांच करने हेतु एक समिति गठित की गई है। इस अवस्था में अन्य ब्यौरों का प्रश्न नहीं उठता है।

स्वयंसेवी संगठन

3221. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास का आधार माने जाने वाले क्षेत्रों यथा पानी, स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा इत्यादि में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को अनुदानो से वंचित रखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किस आधार पर यह निर्णय लिया गया था;

(ग) इस संबंध में जारी आदेश के अनुपालन में इन संगठनों के कार्य रुकने के परिणामत: प्रभावित होने वाली योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) यदि मूल प्रणाली प्रभावित होती है तो उक्त क्षेत्रों में चल रहे कार्य को जारी रखने के लिए सरकार द्वारा कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (घ) जल, स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजनाएं अब भी चालू हैं। मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास हेतु निम्न साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षणिक परिसर एवं जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को सहायता अनुदान योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा करने का निर्णय लिया है, जिसके मानदण्ड नीचे दर्शाए गए हैं:–

"(1) रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ जैसे प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों को स्वीकृत परियोजनाएं चूंकि जनजातीय क्षेत्रों में चल रही हैं और इन क्षेत्रों में इनका जारी रहना जरूरी समझा गया, इसलिए इन प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों को परियोजनाएं जारी रहेंगी।

(2) उन क्षेत्रों की जारी परियोजनाओं को बंद करना जो या तो आई.टी.डी.पी./माडा/क्लस्टर क्षेत्रों में स्थित नहीं हैं या ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां राज्य/केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से ऐसी सुविधाएं पहले से ही विद्यमान हैं।

(3) ऐसी चालू परियोजनाओं को बंद करना, जिनकी राज्य-सरकार से निरीक्षण रिपोर्ट अथवा गैर सरकारी संगठनों से तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से प्राप्त नहीं होती।

(4) ऐसी परियोजनाओं को बंद करना, जिनका संचालन राज्य सरकार अथवा मंत्रालय के अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार संतोषजनक नहीं पाया गया।

(5) ऐसे संगठन जो मंत्रालय की किसी एक योजना अथवा विभिन्न योजनाओ के तहत एक से अधिक परियोजनाएं चला रहे हैं, उन्हें वरीयता के आधार पर केवल एक ऐसी परियोजना जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, जो उस क्षेत्र के लिए सर्वथा उपयुक्त हो।

(6) जो संगठन जनजातीय कार्य मंत्रालय की परियोजनाओं के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों की योजनाएं भी चला रहे हैं, उन्हें हतोत्साहित किया जाए।

(7) जनजातीय क्षेत्रों एवं ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां राज्य/केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/कायक्रमों के माध्यम से इन परियोजनाओं के अंतर्गत ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती, संतोषजनक रूप से परियोजनाएं चला रहे संगठन अपनी परियोजनाएं जारी रखेंगे।''

यह समीक्षा जरूरी थी, क्योंकि यह देखा गया कि बहुत से संगठन कई परियोजनाएं चला रहे थे, जिनमें बहुत सी योजनाएं गैर जनजातीय क्षेत्रों में चल रही थी और अक्सर सरकार की योजनाओं को दोहरा रहे थे और जनजातियों को आनुपातिक रूप से लाभ नहीं हो रहा था।

परियोजना जांच समिति ने 08.11.2004 को आयोजित अपनी बैठक में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की और 235 स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाई जा रही 518 परियोजनाओं को जारी रखने की अनुशंसा की। मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

3222. श्री के.एस. राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्यों से विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के भार को मिल कर उठाने का कहा है चूंकि सुरक्षाकर्मियों की आंतरिक सुरक्षा कार्य में तैनाती के कारण गृह मंत्रालय में कर्मियों की भारी कमी महसूस की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्यों के साथ कोई बैठक आयोजित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

नबीनगर में ताप विद्युत परियोजना

3223. श्री निखिल कुमार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नबीनगर, बिहार में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) माननीय रेल मंत्री और माननीय विद्युत मंत्री के बीच 2 जनवरी, 2002 को आयोजित बैठक में यह सहमति हुई थी कि रेलवे अपनी विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में 1000 मे.वा. का एक विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकता हैं तद्नुसार, दिनांक 18.02.2002 को रेलवे और एनटीपीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। अभी तक सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी) ने 13.02.2004 को आयोजित अपनी बैठक में संयुक्त् उद्यम कंपनी (जे वी सी) की स्थापना करने और 1000 मे.वा. (4 x 250 मे.वा.) क्षमता की नवीनगर टीपीपी की स्थापना हेतु जे वी सी में रेलवे और एन टी पी सी द्वारा निवेश किए जाने के प्रस्ताव मात्र को ही स्वीकृति प्रदान की है।

गैर सरकारी संगठन

3224. श्री डी. नरबुला : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों को दी गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुदान सहायता हेतु प्रावधान के लिए गैर सरकारी संगठनों के चयन के मानदंड क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में गैर सरकारी संगठनों को दी गई अनुदान सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार दार्जिलिंग सहित देश के पर्वतीय क्षेत्रों के जनजातीय लोगों के लिए कुछ विशेष योजनाएं तैयार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो मैदानी क्षेत्र के जनजातीय लोगों की तुलना पर्वतीय क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के लोगों का जीवन अधिक दुष्कर है, इस तथ्य के मद्देनजर इसके क्या कारण है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) गैर सरकारी संगठनों को स्वीकृत योजनाएं हैं : (1) स्वयंसेवी संगठनों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कोचिंग एवं संबद्ध कार्य हेतु अनुदान एवं गैर-सरकारी संगठनों को उनके अनुकरणीय कार्य हेतु विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार; (2) जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दरों में वृद्धि हेतु निम्न साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर; (3) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र: (4) आदिम जनजातीय समूहों का विकास। इन योजनाओं के विस्तृत विवरण मंत्रालय की वर्ष 2003-04 की वार्शिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को वर्तमान परियोजनाओं के अनुरक्षण-कार्यान्वयन हेतु धनराशि की निर्मुक्ति जिला कलेक्टर के निरीक्षण रिपोर्ट तथा राज्य सरकार के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर की जाती है। इन संगठनों द्वारा मंत्रालय को आवेदन के साथ लेखा परीक्षित लेखे तथा पूर्व वर्ष का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं संगठन की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित है।

नई परियोजना के आरंभ तथा कार्यान्वयन हेतु अनुदान परियोजना जांच समिति, जो एनजीओ की नई परियोजनाओं की पहचान करती है एवं स्वीकृति हेतु अनुशंसा करती है, की संस्तुति के आधार पर दिया जाता है।

(ग) संगठन हैं, सेलसियन सिस्टर्स, मार्फत ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल, न्यू चुमता-पो., सुकना-वाया दार्जिलिंग जिला। पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 2002-03 के दौरान 100 अनुसूचित जनजातीय छात्रों हेतु छात्रावासों की स्थापना के लिए 2,74,410/- रुपए निर्मुक्त किए गए। वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान परियोजना जारी रखने हेतु उक्त संगठन से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) से (च) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाएं मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली सभी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए हैं।

जनजातीय लोगों के उत्थान हेतु योजनाएं

3225. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-2005 के दौरान देश में जनजातीय लोगों की बेहतरी और उत्थान हेतु शुरू की गई योजनाओं का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में उक्त अवधि के दौरान राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं का जनजातीय लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) आने वाले वर्षों में इन योजनाओं द्वारा राज्यवार कितने जनजातीय लोगों को लाभ मिलने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की/केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाएं/कार्यक्रम चलाता है। मंत्रालय की योजनाएं आय एवं रोजगार सृजन, ढांचागत सुविधाओं के विकास, शैक्षणिक विकास एवं सभी जनजातियों में साक्षरता-सुधार से संबंधित हैं। कुछ योजनाएं जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त लघु वन्य उत्पादों के लिए उचित मूल्य दिलाने और जनजातियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाएं/कार्यक्रम के ब्यौरे मंत्रालय की वर्ष 2003-04 की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वर्ष 2004-05 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में सुधार हुआ है किन्तु अभी बहुत कुछ किया जाना है।

(घ) मंत्रालय की योजनाओं के अधीन निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजातीय कल्याण विभागों को निर्मुक्त की जाती हैं, जिनसे यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि योजनाओं के लाभ लक्षित समूहों/ क्षेत्रों तक पहुंचे। सूचना संबंधी ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम	अनुसूचित जनजातीय लड़कियों/लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (राज्य सरकारें)	अनुसूचित जनजातीय छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना	अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (एनजीओ)	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	गैर-सरकारी संगठनों को विशेष प्रोत्साहन	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए टू टीएसपी)	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	300	0	0	0	0	623	103.69	19.48	0	0	0	60	388.18	2442.69
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	130.93	0	0	0	0	0	220	0
3.	असम	0	0	0	0	62.54	0	24.85	0	0	0	0	0	574.54	1376.54
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	250.45
5.	छत्तीसगढ़	144	0	0	134.55	0	71.45	11.27	0	0	0	0	40	1870	3665.93
6.	गुजरात	0	67.6	0	48.21	0	119	56.17	18.29	0	0	0	25	2049	2542.02
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	4.81	25.34	0	0	0	0	0	88	579.18
8.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	197.66	0	0	0	0	70	681.74	2641.61
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0	0	196.07	35.02	0	0	0	0	0	4	508.44
10.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	51.07	0	6.99	0	0	10	646.33	625.55
11.	केरल	0	0	0	0	0	0	58.58	0	0	0	0	2.5	129.8	123.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	मध्य प्रदेश	0	300	300	0	0	899.04	44.94	48.87	0	0	0	100	1719.46	7049.9
13.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	1042.86	0	0	0	0	0	82	1.5	1675.72
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	489	49.07	0	0	0	0	10	0	342.88
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	926.28	145.29	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	214	27.48	0	0	0	0	0	264	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	507	0	0	0	0	0	0	325	0
18.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	98.62	50.49	0	0	0	12.5	0	5845.77
19.	राजस्थान	0	0	0	0	0	1792.62	31.75	19.22	0	0	0	12.5	2200	2834.69
20.	सिक्किम	0	0	0	0	2.25	15.01	0	0	0	0	0	0	36.3	97.22
21.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	49.05	17.11	0	0	0	0	40	3.48	145.49
22.	त्रिपुरा	0	0	0	0	2.4	121.35	8.96	0	0	0	0	25	309.3	883.16
23.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	137.5	11.26	0	0	0	0	0	29.41	41.81
24.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	3.91	25.8	0	0	0	2.5	0	14.44
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	345.3	136.39	14.75	0	0	0	15	0	991.15
26.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	83.7	16.94	0	8.31	0	0	0	0
27.	पंजाब विश्वविद्यालय	0	62.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	444	429.72	300	182.76	67.19	7553.34	1353.06	213.84	6.99	8.31	0	512	11540.04	34677.81

[अनुवाद]

पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियां

3226. श्री मुन्शी राम :
श्री मोहन सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब के कुछ प्रतिक्रियावादी आतंकवादी समूहों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को पंजाब से वापस भेजने का मुद्दा उठाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पंजाब में कार्यरत उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार मूल के उन लोगों की संख्या के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए हैं जो जीविकोपार्जन हेतु प्रति वर्ष अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या उदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) पंजाब के किसी आतंकवादी/प्रतिक्रियावादी ग्रुप द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को पंजाब से वापस भेजने संबंधी मुद्दा उठाने का कोई मामला अभी तक ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (ङ) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। इसलिए यह संबंधित राज्य सरकारों का काम है कि वे इस बारे में उचित उपाय करें। जब कभी राज्य सरकारों को जरूरत होती है तो केन्द्र सरकार उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करने वाले लोगों के आंकड़े बदलते रहते हैं और इन्हें नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों की पहचान

3227. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों की श्रेणी पहचान हेतु मानदंड निर्धारित करते समय उनकी संख्या बहुत कम दिखाई जाती है जिसके कारण अपने निर्वाह हेतु वास्तविक गरीब लोग वांछित सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं और वे कई योजनाओं के लाभों से वंचित हैं तथा जीवन में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों की श्रेणी में लोगों के चयन के संबंध में अब तक कितने मसौदे तैयार किए गए हैं;

(घ) इनके कार्यान्वयन की तिथियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गरीबों का संबंध चल और अचल संपत्तियों से है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में मानदंड क्या है; और

(छ) गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की आय क्षमता निर्धारित करते समय किस प्रकार के व्ययों को ध्यान में रखा जाता है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (छ) योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के विस्तार का अनुमान लगाया जाता है इसके लिए गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ समूह (लकड़वाला समिति) की रिपोर्ट में दी गई कार्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है तथा इसे उपभोक्ता व्यय पर किए गए बड़े नमूना सर्वेक्षण से लिए गए खपत व्यय आंकड़ों पर लागू किया जाता है। आयोग प्रतिव्यक्ति औसत खपत व्यय के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए मानदण्ड निर्धारित करता है, जो न्यूनतम गैर-खाद्यान्न व्यय के साथ-साथ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की विशिष्ट केलोरी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। केलोरी मानक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 किलो केलोरी प्रति व्यक्ति प्रति डाइम तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 किलो केलोरी नियत किए गए थे। इस तरीके से निर्धारित गरीबी लाइन में खाद्यान्न और गैर-खाद्यान्न मदों (जैसे ईंधन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवाएं) पर होने वाला व्यय शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर, वर्ष 1999-2000 के लिए शहरी क्षेत्रों में अपनायी गई औसत गरीबी लाइन 454.11 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह है यद्यपि, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग राज्य विशिष्ट गरीबी लाइन हैं। तथापि, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीम

कार्यान्वित की जा रही है। कुछ आर्थिक और गैर-आर्थिक पैरामीटरों के आधार पर इन गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के घर-घर जाकर सर्वेक्षण करके लाभार्थियों की पहचान की जाती है।

उर्वरक की कीमतें

3228. **श्री रनेन बर्मन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में उर्वरक की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्य में कुछ कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों द्वारा उर्वरक की राशनिंग कीमतों के खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वयंसेवी संगठनों का वित्तपोषण तथा उनके कार्यकलाप

3229. **श्री गिरिधर गमांग : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में स्वयंसेवी संगठनों के वित्तपोषण तथा कार्यकलापों की जांच करने के लिए गठित समीक्षा समिति से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष है और दोषी स्वयंसेवी संगठनों के विरुद्ध अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) स्वयंसेवी संगठनों को मान्यता देने तथा ऐसे कार्यकलापों विशेषत: जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु वित्तपोषण के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा गठित परियोजना जांच समिति को गैर-सरकारी संगठनों की स्वीकृत चालू परियोजनाओं की समीक्षा करने और वर्ष 2004-05 के दौरान उन्हें जारी रखने/बंद करने और नई परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है। परियोजना जांच समिति ने दिनांक 8.11.2004 को हुई अपनी बैठक में नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार चालू परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की :

"(1) रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ जैसे प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों को स्वीकृत परियोजनाएं चूंकि जनजातीय क्षेत्रों में चल रही हैं और इन क्षेत्रों में इनका जारी रहना जरूरी समझा गया, इसलिए इन प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों की परियोजनाएं जारी रहेंगी।

(2) उन क्षेत्रों की जारी परियोजनाओं को बंद करना जो या तो आई.टी.डी.पी./माडा/क्लस्टर क्षेत्रों में स्थित नहीं हैं या ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां राज्य/केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से ऐसी सुविधाएं पहले से ही विद्यमान हैं।

(3) ऐसी चालू परियोजनाओं को बंद करना, जिनकी राज्य सरकार से, निरीक्षण रिपोर्ट अथवा गैर-सरकार संगठनों से तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से प्राप्त नहीं होती।

(4) ऐसी परियोजनाओं को बंद करना, जिनका संचालन राज्य सरकार अथवा मंत्रालय के अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार संतोषजनक नहीं पाया गया।

(5) ऐसे संगठन जो मंत्रालय की किसी एक योजना अथवा विभिन्न योजनाओं के तहत एक से अधिक परियोजनाएं चला रहे हैं, उन्हें वरीयता के आधार पर केवल एक ऐसी परियोजना जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, जो उस क्षेत्र के लिए सर्वथा उपयुक्त हो।

(6) जो संगठन जनजातीय कार्य मंत्रालय की परियोजनाओं के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों की योजनाएं भी चला रहे हैं, उन्हें हतोत्साहित किया जाए।

(7) जनजातीय क्षेत्रों एवं ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां राज्य/केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से इन परियोजनाओं के अंतर्गत ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती, संतोषजनक रूप से परियोजनाएं चला रहे संगठन अपनी परियोजनाएं जारी रखेंगे।"

पुलिस आयुक्त के खिलाफ सीबीआई जांच

3230. श्री बीर सिंह महतो :
श्री इलियास आजमी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के वर्तमान पुलिस आयुक्त अवैद्य तरीके से भूमि हड़पने में कथित रूप से सहायता पहुंचाने के आरोप में सीबीआई की जांच के घेरे में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) कथित रूप से गैरकानूनी ढंग से भूमि हड़पने के संबंध में वर्तमान पुलिस आयुक्त के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कोई मामला नहीं है। एक गैर सरकार व्यक्ति ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (आपराधिक) सं. 1050/2002 दायर की थी जिसमें यह आरोप लगाए गए थे कि वर्तमान पुलिस आयुक्त, जब संयुक्त पुलिस आयुक्त थे, तब वे भूमि हड़पने संबंधी एक मामले की जांच-पड़ताल में हस्तक्षेप कर रहे थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आरोप सही साबित नहीं हो सके।

सामुदायिक केन्द्र का निर्माण

3231. श्री तथागत सत्पथी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 फरवरी, 2004 को संतनगर (गढ़ी अमृतपुरी, ईस्ट ऑफ कैलाश) में इस क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए पुस्तकालय की सुविधायुक्त एक सामुदायिक केन्द्र की आधारशिला रखी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक उक्त सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त केन्द्र का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने और पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) जी हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि 2400 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर आस्था कुंज के पीछे पुस्तकालय एवं सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करने का प्रस्ताव है। यह कार्य शुरू नहीं किया गया। प्रारंभ में, 726 वर्गमीटर के स्थल पर सामुदायिक हाल का निर्माण करने का प्रस्ताव था। बाद में, निवासियों के अनुरोध पर स्थल के क्षेत्र को संशोधित किया गया तथा संशोधित प्रस्ताव तैयार किया जाना था। उसके बाद निविदाएं कम प्राप्त होने के कारण, इन्हें दोबारा मंगाया जाना था, जिन्हें मंगाया गया है।

पाठ्य पुस्तक नीति

3232. प्रो. एम. रामदास : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में व्यावसायिक शिक्षा की कथित असफलता के मद्देनजर पाठ्य पुस्तक नीति शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकता और स्थानीय संदर्भ के अनुसार अपनी पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की अनुमति देने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का पुस्तक सहित परीक्षा प्रणाली, आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली, एक ही कक्षा में नहीं रोके रखने की नीति तथा उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने की प्रथा को समाप्त करना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इनके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सभी राज्य सरकारें अपने-अपने विद्यालयों में प्रयोग में आने वाली पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए अपनी ही पाठ्यपुस्तक नीतियों का अनुसरण कर रही है प्रत्येक राज्य का पाठ्यपुस्तक ब्यूरो, राज्य बोर्ड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद आदि के माध्यम से पाठ्यपुस्तक तैयार करने का अपना तंत्र है।

(घ) और (ङ) मुक्त पुस्तक परीक्षा प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक स्तरीय परिक्षाओं

पर विज्ञान, कार्य शिक्षा, कला शिक्षा तथा शारीरिक तथा स्वास्थ्य शिक्षा में प्रायोगिक कार्य हेतु आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली पहले से ही शुरू कर चुका है। यह सतत् और विस्तृत मूल्यांकन पर आधारित शिक्षार्थियों की समग्र रूपरेखा दर्शाने हेतु कक्षा 1 से 5 तक के लिए उपलब्धि रिकार्ड प्रणाली भी शुरू कर चुका है। कक्षा 9-10 तक के छात्रों के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्राधिकारी के तहत विद्यालय विषयों का उल्लेख करके छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन दर्शाते हुए एक अलग प्रमाण-पत्र जारी करते हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्लास्टिक के कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि

3233. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड द्वारा कच्चे माल के मूल्यों में मनमानी वृद्धि के कारण देश में विशेषकर फरीदाबाद में प्लास्टिक इकाइयां बंद होने की स्थिति में हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार लघु प्लास्टिक उत्पादक इकाइयों को बचाने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्लास्टिक इकाइयों के कच्चे माल की लागत में बेतहाशा वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या गदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (घ) कच्चे माल में मूल्य वृद्धि के चलते प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाइयां कठिनाइयों का सामना कर रही थीं। तथापि, हरियाणा में कोई प्लास्टिक इकाई कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण बंद नहीं हुई। प्लास्टिक कच्चे माल, नामत:, पॉलीमर, मुक्त व्यापार वाले पदार्थ हैं और उनका आयात ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत होता है। अत: पॉलीमर सामग्रियों के मूल्य सामान्यत: अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्तियों से शासित होते हैं। पॉलीमरों के मूल्य सरकार विनियमित नहीं करती है। पिछले कुछ महीनों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई, जिससे प्लास्टिक इकाइयों के लिए कच्चे माल की कीमतें भी प्रभावित हुई। पॉलीमर विनिर्माताओं द्वारा सामना किए जा रहे समस्याओं को कम करने तथा उनकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पॉलीमरों के विनिर्माता के लिए नेफ्था पर आयात शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया। साथ ही 30 सितम्बर, 2004 की एक अधिसूचना द्वारा पॉलीमरों पर शुल्क 20% से घटाकर 15% कर दिया गया।

मुक्त आकाश नीति

3234. मो. मुकीम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीतियां मुक्त आकाश की हैं और आप्रवास केन्द्र पर समाप्त न होने वाली कतारें लगी रहती है जिसके कारण स्वचालित सीढ़ियों का प्रयोग भी अवरुद्ध हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार के पास कुछ योजनाएं हैं चूंकि उपयुक्त अवसंरचना का सृजन न हो जाने तक इस वजह से देश की छवि खराब हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी हां, श्रीमान, सरकार ने 1.12.2004 से 31.3.2005 तक मुक्त आकाश नीति की घोषणा की है। तथापि, आप्रवास केन्द्र पर समाप्त न होने वाली कतारों के संबंध में कोई शिकायत/रिपोर्ट नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा आप्रवास केन्द्र पर क्लियरेंस के समय को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर पासपोर्ट रीडिंग मशीनों (पी आर एम) की शुरुआत करना;

(ii) आगमन स्थल पर भारतीयों और विदेशियों के लिए अलग-अलग काउंटर पर सर्पेन्टाइन कतारें लगाना;

(iii) महत्वपूर्ण आप्रवासन जांच चौकियों (आई सी पी) का आधुनिकीकरण; और

(iv) जहाज से उतरने/और चढ़ने संबंधी सरल कार्डों की शुरूआत करना।

कर्नाटक को वित्तीय सहायता

3235. श्री एम. शिवन्ना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बंगलौर में सड़कों की खस्ता हालत के बारे में शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार प्राथमिकता के आधार पर शहर में सड़कों का मरम्मत कार्य कर रही है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अधिकार क्षेत्र में अस्पष्टता

3236. श्री टी.के. हमज़ा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.एड. और एम.एड. शिक्षा/उपाधि के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई भूमिका निभाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बी.एड. और एम.एड. उपाधियों के संदर्भ में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) को क्या जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं;

(ग) क्या बी.एड. और एम.एड. शिक्षा को लेकर यू.जी.सी. और ए.आई.सी.टी.ई. के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यू.जी.सी. तथा ए.आई.सी.टी.ई. के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) बी.एड. और एम.एड. की शिक्षा 'राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद' के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। बी.एड. और एम.एड. की डिग्रियों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका केवल इन डिग्रियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट डिग्रियों की सूची में शामिल करने तक ही सीमित है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का बी.एड. और एम.एड. की डिग्रियों के मामलों से कोई संबंध नहीं है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिनियमों में बी. एड. और एम.एड. डिग्रियों के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान

3237. श्री वी.के. ठुम्मर :
श्री मधुसूदन मिस्त्री :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 4 नए राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान स्थापित करने की बजाए कतिपय विद्यमान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन नए संस्थानों की स्थापना पर कितना खर्च आएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चार राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक नहीं माना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत इस प्रकार की संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तथापि, विभिन्न स्थानों पर मूल विज्ञानों में शिक्षण और अनुसंधान के उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ दल को आमंत्रित किया गया है।

खुदरा बिक्री केन्द्र को नयी जगह पर ले जाना

3238. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पेट्रोल पंपों और एलपीजी गोदामों को नयी जगह पर ले जाने की अपनी स्वयं की नीति है;

(ख) यदि हां, तो क्या डीडीए उक्त मंत्रालय द्वारा सिफारिश किये जाने के बाद नयी जगह पर ले जाने की अनुमति दे रहा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त मंत्रालय द्वारा कितने मामलों की सिफारिश की गयी तथा कितने मामलों में वैकल्पिक भूमि प्रदान की गयी है;

(घ) क्या मंत्रालय से अनुमोदन मिलने के बाद मैसर्स एचपीसीएल द्वारा फरवरी, 2002 में नेहरू प्लेस स्थित अपने खुदरा बिक्री केन्द्र को नयी जगह ले जाने के लिए अनुरोध किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो अनुरोध को लंबित रखने के क्या कारण हैं;

(च) क्या डीडीए ने खुदरा बिक्री केन्द्र को नयी जगह ले जाने के लिए फरवरी, 2002 के बाद प्राप्त अनुरोधों पर कार्यवाही की है;

(छ) यदि हां, तो क्या दिल्ली अग्निशमन सेवा ने भी उपरिलिखित खुदरा बिक्री केन्द्र के फायर लाइसेंस के नवीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) दिल्ली अग्निशमन सेवा से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्र को नयी जगह ले जाने के कितने मामले प्राप्त हुए हैं; और

(ञ) उक्त बिक्री केन्द्र को नयी जगह पर कब तक ले जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सूचित किया है कि पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप को नई जगह पर ले जाना स्वीकार्य है बशर्तें कि नए स्थलों की व्यवहार्यता, नए स्थल पर सुविधाएं शुरू करने से पूर्व पुराने स्थलों से सुविधाएं बंद करना, दूरस्थ/निम्न सेवा क्षेत्रों के हित आदि जैसी कुछ शर्तों को पूरा किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्किटिंग कंपनियों (ओएमसी) को वाणिज्यिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऑयल मार्किटिंग कंपनियों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा परामर्श दिए गए पैरामीटरों के आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्रों के नई जगहों पर ले जाने हेतु अपने दिशानिर्देश तैयार करने के लिए प्राधिकृत किया है।

(ख) और (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि वे दिल्ली विकास प्राधिकरण से खुदरा बिक्री केन्द्रों को नई जगह पर ले जाने के संबंध में सिफारिश नहीं करते हैं किन्तु विशेषरूप से विचार किए जाने वाले असाधारण अनुरोधों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित करते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनायी गई मौजूदा नीति जिसे प्राधिकरण द्वारा 20.6.2003 को अनुमोदित कर दिया गया है, के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्रों को नई जगह पर केवल तभी ले जाया जायेगा यदि प्रश्नाधीन भूमि का किसी नियोजित परियोजना/स्कीम के लिए उपयोग किया जा रहा है जिसके लिए पेट्रोल पंप को बंद करना प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक हो। किसी अन्य आधार पर पेट्रोल पंप को किसी नई जगह पर नहीं ले जाया जायेगा।

(घ) से (ञ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि:-

1. मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) का अनुरोध दिल्ली विकास प्राधिकरण में 28.2.2002 को प्राप्त हुआ था। अनुरोध पत्र में केवल यह उल्लेख किया गया था कि खुदरा बिक्री केन्द्रों को इस प्रकार नई जगह पर ले जाने की अनुमति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कोई विशेष अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था।

2. डीलर ने अपने अनुरोध में यह उल्लेख किया था कि दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) नहीं दिया था। दिल्ली अग्नि शमन सेवा से अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किसी खुदरा बिक्री केन्द्र को नई जगह पर नहीं ले जाया गया है।

3. तेल कंपनी के अनुरोध की जांच की गई थी तथा इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सितम्बर 2003 में अस्वीकार कर दिया गया था।

[हिन्दी]

हैरिटेज सिटी

3239. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हेरिटेज सिटी" की संकल्पना क्या है;

(ख) "हेरिटेज सिटी" के रूप में अधिसूचित और अधिूसचित किये जाने वाले शहरों का राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य को दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जहां तक शहरी विकास मंत्रालय का संबंध है अभी तक "हेरिटेज सिटी" की संकल्पना को परिभाषित नहीं किया है। तथापि, संस्कृति मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी हेरिटेज सिटी की कोई संकल्पना नहीं है, जिनके अंतर्गत संस्मारकों को कुछ विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर "केन्द्रीय संरक्षणप्राप्त" घोषित किया जाता है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) लागू नहीं।

[हिन्दी]

पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण

3240. श्री इलियास आजमी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे के पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण और तैनाती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस समय स्थानान्तरण और तैनाती में अपनाए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थानान्तरण नीति को पारदर्शी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान। दिल्ली पुलिस पहले ही अपने कार्मिकों के तबादलों/तैनाती के मामले में सुपरिभाषित नीति का अनुकरण कर रही है जिसका मूल उद्देश्य सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन करना है ताकि जनशक्ति संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सकें। स्टेशन हाउस अफसरों और एडिशनल स्टेशन हाउस अफसरों की तैनाती के लिए सुपरिभाषित मानदंडों के आधार पर पैनल तैयार करने के लिए विशेष पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है। स्थानान्तरण नीति पारदर्शी है और वर्ष 2002 में जारी स्थायी आदेशों में विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

प्रतिबंधित संगठन को विदेशी सहायता

3241. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कतिपय प्रतिबंधित संगठन बड़े पैमाने पर निरन्तर विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार 'विदेशी' सहायता प्राप्त करने वाले ऐसे प्रतिबंधित संगठनों के नाम क्या हैं;

(घ) कौन-कौन सी एजेंसियां ऐसी सहायता प्रदान कर रही हैं;

(ङ) ऐसे संगठनों द्वारा किन प्रयोजनों हेतु ऐसी सहायता का उपयोग किया जा रहा है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि पाक आई एस आई, देश के कुछ भागों में सक्रिय लश्कर-ए-तैयब्बा (एल ई टी), जैश-ए-मोहम्मद (जे ई एम), हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एच यू एम), युनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) आदि जैसे कुछ आतंकवादी संगठनों को हथियारों के प्रशिक्षण, हथियार/गोलाबारूद, वित्तीय सहायता आदि के रूप में सहायता प्रदान कर रही है।

(च) पाक आई एस आई समर्थित आतंकवादी गतिविधियों को काबू करने के लिए सरकार ने बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, केन्द्र और राज्यों दोनों में सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियारों और उपस्करों की व्यवस्था करना, सुसमन्वित आसूचना पर आधारित अभियानों के जरिए आतंकवादी ग्रुपों/राष्ट्र

विरोधी तत्वों/आई एस आई एजेंटों की योजनाओं को विफल करना शामिल है।

[हिन्दी]

नवोदय/केन्द्रीय विद्यालय

3242. श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री पारसनाथ यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से नवोदय विद्यालय तथा केन्द्रीय विद्यालयों के भवनों को 'अग्निरोधी' बनाने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने संबंधी महत्वपूर्ण बातों का पता लगाने के लिए, अग्नि से छात्रों, शिक्षकों और इमारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के परिसर की जांच करने हेतु अपनी सेवाओं की पेशकश की है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के साथ परामर्श करके आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित कर दिया है।

[अनुवाद]

भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षाबल की तैनाती

3243. श्री रामजीलाल सुमन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षाबल ने और अधिक बांग्लादेशियों को उनके देश में भेजने हेतु सीमा पर न भेजने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी हां। सीमा सुरक्षा बल ने 10 नवम्बर, 2004 को दिल्ली पुलिस से, पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वापिस बांग्लादेश भेजने का काम, अस्थायी उपाय के रूप में कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया था। तथापि, सीमा सुरक्षा बल ने दिल्ली पुलिस सहित सभी राज्य सरकारों को सूचित किया है कि 1 दिसम्बर, 2004 से इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू कर दें।

दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के यहां सी.बी.आई. के छापे

324. श्री कैलाश मेघवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. ने हाल ही में दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के यहां छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने अधिकारियों के पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति पाई गई है;

(घ) उनसे कुल कितनी राशि/संपत्तियां जब्त की गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने चालू वर्ष के दौरान दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ चार मामलों में छापा मारा जिसमें एक अधिकारी के पास उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पतियां पाई गई है।

(घ) इस अवस्था में, इन छापों के दौरान की गई जब्ती का ब्यौरा प्रकट करना जांच के हित में नहीं है।

(ङ) संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जांच के परिणाम पर निर्भर करती है।

बच्चों तथा अभिभावकों का साक्षात्कार

3245. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री ब्रजेश पाठक :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री पारसनाथ यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पब्लिक स्कूल नर्सरी तथा प्री-नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश के समय बच्चों की लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बच्चों के साथ अभिभावकों का भी साक्षात्कार लिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने प्रवेश की वर्तमान प्रणाली का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो सरकार बच्चों को मानसिक यंत्रणा से मुक्ति दिलाने हेतु क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) नर्सरी अथवा प्री-नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश हेतु केन्द्र सरकार ने कोई प्रक्रिया तय नहीं की है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा-I से विद्यालयों को सम्बद्धन प्रदान करता है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

ई.आर.डब्ल्यू. पाइप संयंत्र का आधुनिकीकरण

3246. **श्री चन्द्र शेखर दूबे : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला स्थित ई.आर.डब्ल्यू. पाइप संयंत्र के आधुनिकीकरण हेतु अप्रैल, 2002 में आधारशिला रखी गई थी;

(ख) क्या उक्त संयंत्र के आधुनिकीकरण का कार्य निर्धारित अवधि में पूरा कर लिया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त संयंत्र की लागत में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(ङ) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। विलंब का प्रमुख कारण प्रमुख ठेकेदार ''मैसर्स सालजीटर इंटरनेशनल, गंभ, जर्मनी'' के स्थानीय सहयोगी ''मैसर्स ओटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड'' द्वारा कार्य न किया जाना था।

(घ) अनुमानित लागत में अभी तक वृद्धि नहीं हुई है।

(ङ) यह परियोजना मई, 2005 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

बिहार अलॉय स्टील कारपोरेशन का पुनरुद्धार

3247. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झारखंड में पतरातू स्थित बिहार अलॉय स्टील कारपोरेशन को उसके पुनरुद्धार हेतु अनेक सरकारी एजेंसियों द्वारा वर्ष 1994 से 2003 के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस राशि को अन्यत्र खर्च कर दिया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार अलॉय स्टील अभी भी बंद पड़ा है और हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं तथा पचास से अधिक श्रमिक भुखमरी तथा बीमारी के कारण मर गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कंपनी के प्रबंधन तथा राशि देने वाले प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत सरकार ने मैसर्स यूएमआई स्पेशल स्टील लि. (पहले मै. बिहार अलॉय स्टील लि.) के पुनरुद्धार के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

(ग) और (घ) झारखण्ड सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कार्यचालन पूंजी की कमी, उत्पादन की उच्च लागत तथा इस्पात उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण वर्ष 1996-97 में इस इकाई का उत्पादन कार्य बंद कर दिया गया था। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत बीआईएफआर

ने जनवरी, 1998 में मामला दर्ज कर लिया और मार्च 1998 में इसे रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया। चूंकि कंपनी को बंद करने के लिए निदेश दे दिए गए हैं और सरकारी परिसमापक ने कंपनी का कब्जा ले लिया है, इसलिए संयंत्र को पुनः चालू करना संभव नहीं है। यह सूचित किया गया है कि 2122 कामगारों में से 1814 कामगारों को उनकी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया तथा शेष कामगारों के संबंध में झारखंड के सरकारी परिसमापक द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) और (च) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पी.डी.आई.एल. को बंद करना

3248. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रोजेक्ट्स एंड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) के अनुसंधान और विकास (आर.एंड.डी.) स्कंध तथा इंजीनियरिंग और सलाहकार प्रभाग को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बंद करने की लागत सहित उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में उर्वरक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन अनुसंधान संस्थानों ने अनेक उपलब्धियां हासिल की थी;

(घ) क्या किसी समिति ने इन संस्थाओं को बंद करने का सुझाव देते हुए कोई रिपोर्ट दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) सरकार ने प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान और विकास प्रभाग तथा ई एंड सी प्रभाग की सिंदरी इकाई को उनकी अव्यवहार्यता के कारण बंद करने का निर्णय लिया है। इन दोनों प्रभागों के बंद होने की कुल लागत 31.3.2004 को 181.28 करोड़ रुपए थी।

(घ) और (ङ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) ने दिनांक 1.7.1997 और 28.3.2004 को पीडीआईएल के पुनरुद्धार पैकेजों को स्वीकृत करते समय यह पाया कि पीडीआईएल का अनुसंधान और विकास प्रभाग स्वयं अपना प्रबंधन करने में सक्षम नहीं था और इसके महंगे प्रचालन के कारण बोर्ड ने सिंदरी के ई. एंड सी. प्रभाग को बंद करने का प्रस्ताव किया था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) ने भी अनुसंधान और विकास प्रभाग का अधिग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के साथ बातचीत

3249. डा. टोकचोम मैन्या : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के साथ होने वाली अगले दौर की बातचीत में मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुलाए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) बृहत नगालिम नागालैंड की अपनी मांग पर अभी भी अडिग है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) अभी तक, नागा शांति वार्ता के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि के अलावा किसी भी पार्टी ने एन.एस.सी.एन. (आई/एम) नेताओं के साथ वार्ता में हिस्सा नहीं लिया है।

(ख) और (ग) नागा शांति वार्ता के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि और एन.एस.सी.एन. (आई/एम) नेताओं के बीच वार्ता के तीस दौर पहले ही हो चुके हैं। ये मुद्दे बहुत जटिल हैं। आगे और ब्यौरे प्रकट करना जनहित में वांछनीय नहीं होगा।

[हिन्दी]

जैमरों का फेल होना

3250. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्फोटों को निष्क्रिय करने वाले सुरक्षा जैमरों के अचानक फेल हो जाने के कारण कई दुर्घटनाएं हो रही हैं जिनमें सीमा सुरक्षा बल के कई जवानों की जानें गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सुरक्षा जैमरों के फेल होने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जैमरों के फेल हो जाने के संबंध में सीमा सुरक्षा बल द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

आतंकवादी हमलों को रोकने हेतु बी.डी.ओ.एस./ एस.पी.ओ.एस. का उपयोग

3251. **चौधरी लाल सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के विभिन्न भागों में हो रहे आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए बी.डी.ओ.एस./एस.पी.ओ.एस. की सेवाएं ली जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे हमलों में कितने व्यक्ति मारे गए हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें किस प्रकार के हथियार उपलब्ध कराए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उनके पुनर्वास हेतु कोई अलग राशि आवंटित की है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है तथा उनके वेतन, भत्तों, वर्दी और अनुकम्पा के आधार पर रोजगार देने की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें ऐसी सभी सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विशेष पुलिस अधिकारी (एस पी ओ) की अनुमोदित संख्या 23200 है और विशेष पुलिस अधिकारी ग्रेड-I जो भूतपूर्व सैनिक हैं, की संख्या 2274 है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1996 और 30 नवम्बर, 2004 के बीच हुई आतंकवादी हिंसा में ग्राम रक्षा समिति (वी डी सी) के 106 सदस्य और 371 विशेष पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार, सिविलियन स्वयंसेवकों सहित 2 या 3 विशेष पुलिस अधिकारियों वाली हरेक ग्राम रक्षा समिति को .303 राइफल/ 7.62 एम एम बोल्ट-एक्शन राइफलें और गोलाबारूद के अपेक्षित राउंड उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछेक मामलों में, वहां की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय पुलिस द्वारा निर्धारित क्षेत्र की संवेदनशीलता के आधार पर, उन्नत किस्म के हथियार और गोलाबारूद के साथ ही साथ संचार उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी के मानदेय, प्रशिक्षण आदि के लिए 20,000/- रु. (केवल बीस हजार रुपये), हरेक विशेष पुलिस अधिकारी (ग्रेड-I) के लिए 24,000/- रु. (केवल चौबीस हजार रुपये) तथा आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में मारे गए हरेक विशेष पुलिस अधिकारी (विशेष पुलिस अधिकारी ग्रेड-I सहित) के निकटतम संबंधी को अनुग्रह राशि अदायगी के रूप में 2.00 लाख रुपये (केवल दो लाख रुपये) की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को करती है।

मेघालय, मिजोरम और नागालैंड का सृजन

3252. **श्री मणि चारेनामै :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों के सृजन का क्या आधार है;

(ख) क्या मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में नगा आबादी नागालैंड राज्य से सटी हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को मणिपुर के नगा लोगों से नगा क्षेत्रों के एकीकरण हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 और नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 के आधार पर क्रमशः मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों का सृजन किया गया था।

(ख) और (ग) नागालैंड राज्य की सीमाओं से सटे दूसरे राज्यों में कुछ नागा लोग रहते हैं।

(घ) और (ङ) मणिपुर के नागा आदिवासी संगठन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सटे हुए अन्य नागा क्षेत्रों के साथ मणिपुर में सभी नागा क्षेत्रों का एकीकरण करने संबंधी अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। मणिपुर के नागाओं के शीर्ष संगठन युनाइटेड नागा काउंसिल ने 23 अक्टूबर, 2001 को इस बारे में एक ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया था। नागा पीपुल्स आर्गनाइजेशन जैसे अन्य नागा आदिवासी संगठनों ने

भी समय-समय पर मणिपुर के राज्यपाल को इस आशय के अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।

लौह अयस्क का उत्पादन

3253. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश में गुणवत्तावार तथा मूल्यवार कितने लौह अयस्क का उत्पादन किया गया;

(ख) देश में घरेलू उद्योग हेतु लौह अयस्क की कुल कितनी मांग है;

(ग) क्या सरकार घरेलू खपत हेतु लौह अयस्क की आपूर्ति को बनाए रखने में सक्षम है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने देश में लौह अयस्क के उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क (सांद्रण सहित) का उत्पादन और वर्ष 2004-05 के लिए अनुमानित उत्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन	
	मात्रा (मिलियन टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
2001-02	86.22	2496.92
2002-03	99.07	2964.86
2003-04 (अनंतिम)	120.60	3698.74
अप्रैल-जुलाई, 2004	41.81	1594.80
2004-05 (अनुमानित)	140	5379.56

स्रोत : भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के घरेलू उद्योग की लौह अयस्क की मांग निम्नानुसार है:

वर्ष	लौह अयस्क की घरेलू आवश्यकता
2001-02	44.74 मिलियन टन
2002-03	48.71 मिलियन टन
2003-04	51.62 मिलियन टन

स्रोत : फैडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल्स इंडस्ट्रीज

(ग) सरकारी क्षेत्र का संबंधित उपक्रम नामतः नेशनल मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन घरेलू खपत के लिए लौह अयस्क की आपूर्ति करता है। तथापि, घरेलू खपत हेतु लौह अयस्क की आपूर्ति बनाए रखने के लिए देश में पर्याप्त भंडार और उत्पादन क्षमता है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान

3254. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्रीमती अनुराधा चौधरी :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सर्व शिक्षा अभियान की निगरानी और जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति या एक राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) इस समिति में राज्य के किन संगठनों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है और इस उद्देश्य के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कितनी प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) इस कार्यक्रम को एक मिशन के रूप में कार्यान्वित करने

के लिए एक राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन की स्थापना करने संबंधी एक संकल्प दिनांक 2 जून, 2004 को अधिसूचित किया गया था।

इस राष्ट्रीय मिशन की शासी परिषद और कार्यकारी समिति का गठन दिनांक 3 दिसम्बर, 2004 को किया गया है। 6 राज्यों के प्रारंभिक शिक्षा के उत्तरदायी शिक्षा मंत्रियों को आम परिषद में और चार राज्यों के शिक्षा सचिवों को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया है।

(ङ) केंद्र सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नवम्बर, 2004 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 3025.76 करोड़ रु. की राशि जारी की है जो इस वर्ष के बजट का 99% है।

[अनुवाद]

राज्यों की राजधानियों हेतु सार्वजनिक परिवहन सुविधायें

3255. **श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की राज्यों की राजधानियों की सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में सुधार करने की कोई योजना/प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा यातायात और परिवहन संबंधी समस्याओं पर कराए गए अध्ययनों की लागत के 40% तक वित्तपोषण के लिए जब कभी भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो भारत सरकार वित्तीय सहायता हेतु किए गए अनुरोधों पर विचार करती है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा सामाजिक संगठनों को वित्तीय सहायता

3256. **श्री रमाकान्त यादव :**
श्री रामचन्द्र पासवान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड राज्य सरकारों को परिवार परामर्श केन्द्रों को चलाने हेतु अनुदान के रूप में सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद तक ऐसे केन्द्रों को चलाने हेतु राज्य-वार कितने संगठनों को सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या कुछ मामलों में सामाजिक संगठनों को सहायता के रूप में दी गई राशि को रोक लिय गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिक्षा प्रदान करने में लैंगिक समानता

3257. **श्री गुरुदास कामत :**
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री फ्रान्सिस फैन्थम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने तथा लैंगिक भेदभाव समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान करने तथा स्त्री-पुरुष समानता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछेक पहलों की सूची नीचे दी गई है:—

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992 में यथा संशोधित) के तहत शिक्षा में असमानता को दूर करने तथा महिला समानता का प्रावधान है।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने अपनी पाठ्यचर्या संरचना में गुणवत्तामूलक एवं स्त्री-पुरुष मुद्दों पर ध्यान दिया है तथा यह शिक्षा क्षेत्र में नीतियों एवं कार्यक्रमों के निष्पादन में केंद्र/राज्य सरकारों की मदद करती है।

– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता में सुधार करने तथा स्त्री-पुरुष समानता के सुनिश्चय के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की हैं।

– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विभिन्न अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने में अध्यापिकाओं को वरीयता देती है।

– ''बालिका शिक्षा और साझी स्कूल प्रणाली'' विषय पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की एक समिति गठित की गई है, जो सतत् रूप से जारी प्रक्रिया के रूप में शिक्षा के सभी क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष असमानता घटाने तथा बालिकाओं की भागीदारी एवं अवधारण बढ़ाने से संबंधित विद्यमान योजनाओं, प्रोत्साहनों तथा विशेष उपायों की जांच करेगी।

– देश में स्थित विभिन्न स्कूल बोर्डों ने स्कूलों में गुणवत्तामूलक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन उपायों में पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता एवं अध्यापन में सुधार लाना, शिक्षक अधिकारिता तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षुओं के समग्र प्रोफाइल का मूल्यांकन करना शामिल है।

– पाठ्यपुस्तक अभिकल्पन तथा अन्य सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों में स्त्री-पुरुष समानता के मुद्दे पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया गया है, जो बालिकाओं के बेहतर निष्पादन के रूप में परिलक्षित होता है।

– सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय स्तर का सरकारी कार्यक्रम है जिसके तहत प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी एवं प्रासंगिक शिक्षा का सुनिश्चय करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

– महिलाओं की साक्षरता एवं अधिकारिता में सुधार के लिए चयनित जिलों में महिला समाख्या योजना चलाई जा रही है।

– उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की बालिकाओं को नि:शुल्क बोर्डिंग एवं लॉजिंग सुविधा प्रदान करने के लिए 1993 से बालिका छात्रावास योजना चल रही है।

– गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज पदाधिकारियों एवं महिला स्वयंसेवियों के माध्यम से विशेष महिला साक्षरता अभियान चलाकर कम महिला साक्षरता वाले जिलों में साक्षरता के लिए विशेष अभियान, जिसके तहत 15-35 आयु-वर्ग की 25 लाख निरक्षर महिलाओं को शामिल किया जा रहा है।

– महिला एवं बाल विकास विभाग गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं की उत्तरजीविता तथा विकास के लिए ''बालिका समृद्धि योजना'' नामक एक योजना चला रहा है, जिसे 15 अगस्त, 1997 को शुरू किया गया था।

जाली पासपोर्ट

3258. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री विजय कृष्ण :
श्री पंकज चौधरी :
श्री जुएल ओराम :
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री महेश कनोडीया :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में जाली वीसा और पासपोर्ट रैकेट में माफिया के संलिप्त होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तारीख के अनुसार राज्य-वार कितने जाली वीसा और पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ और कितने व्यक्ति पकड़े गए तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जाली पासपोर्ट जारी करने के मामले में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के संलिप्त होने का दावा किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं पर काबू पाने तथा अवैध दुर्व्यापार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नाफ्था क्रैकर परियोजना की स्थापना

3259. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को सागर, मध्य प्रदेश में इथाइलीन की 3,00,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली नाफ्था क्रैकर परियोजना स्थापित करने के लिए आशय पत्र दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 3 अप्रैल 1996 को एक आशय पत्र जारी किया गया था जिसे आगे 2 अप्रैल, 2001 तक के लिए नवीकृत किया गया। परियोजना, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एम पी एस आई डी सी) तथा इंडो रामा सिंथेटिक्स इंडिया लिमिटेड के एक संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित की जानी थी। 10 दिसंबर 1997 को एम पी एस आई डी सी और इंडो रामा सिंथेटिक्स (इं.) लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) संपन्न हुआ। परियोजना की क्षमता 3,00,000 टन प्रतिवर्ष इथाइलीन की थी। एम ओ यू के तहत भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड (बी ओ आर एल) को नेफ्था उपलब्ध कराना था। चूंकि बी ओ आर एल स्थापित नहीं की गई और नेफ्था उपलब्ध नहीं थी तथा 3,00,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता व्यवहार्य नहीं थी, अतः परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी।

सामान्य पूल के क्वार्टर

3260. श्री डी. विट्‌टल राव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपदा निदेशालय द्वारा दिल्ली में सरकारी विभागों के लिए सामान्य पूल के क्वार्टरों की इकाई कोटा तथा पूल के आकार में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रावधानों तथा नियमों सहित प्रत्येक विभाग को दिए गये क्वार्टरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इकाई, कोटा तथा पूल के रूप में विभिन्न संगठनों में रखे जाने के बाद सामान्य पूल के इन क्वार्टरों की पहचान बनी रहती है और इन्हें सामान्य पूल के ही क्वार्टर समझा जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस प्रक्रिया से सामान्य पूल क्वार्टरों के आवंटन हेतु कतार में लगे सरकारी कर्मचारी बिना किसी मान्य कारण के गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। ये क्वार्टर विभिन्न विभागों, जिनमें से अधिकांश सामान्य पूल आवास के लिए अपात्र हैं, को उनकी तात्कालिक आवश्यकता के लिए सौंपे गए हैं। एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी हां।

(ङ) और (च) वर्तमान व्यवस्था का उक्त प्रतीक्षा सूची पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा है।

विवरण-I

दिल्ली में विभिन्न संगठनों को सौंपे गए सामान्य पूल रिहायशी आवास का विवरण

क्र. सं.	राज्य	टाइप I	टाइप II	टाइप III	टाइप IV	टाइप IV (विशेष)	टाइप V	टाइप VI व ऊपर	होस्टल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ऑल इंडिया रेडियो	07	01	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	परमाणु ऊर्जा मंत्रालय	—	—	—	—	—	—	—	02
3.	सीमा सुरक्षा बल	—	04	05	06	12	03	—	—
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय	09	20	20	22	—	10	—	02
5.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	01	02	—	—	—	—	—	12
6.	केन्द्र सरकारी स्वास्थ्य सेवा	17	17	52	—	—	14	—	—
7.	सी जी एम एन टी आर	—	01	—	—	—	—	—	—
8.	सी आई एस एफ	—	02	45	—	—	—	—	—
9.	सिविल सेवा अधिकारी संस्थान	—	—	—	—	—	—	—	01
10.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	43	50	53	—	03	11	01	05
11.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	24	07	10	03	04	—	—	—
12.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	—	—	03	13	—	—	—	—
13.	रक्षा	179	171	110	43	—	79	92	87
14.	दिल्ली सरकार	—	10	23	38	—	15	—	01
15.	दिल्ली पुलिस	95	140	105	09	—	01	—	—
16.	डी जी सी ए	13	06	—	08	—	—	—	—
17.	डी जी एच एस	—	09	—	69	—	05	—	—
18.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	01	—	02	01	—	01	01	—
19.	विदेश मंत्रालय	05	—	—	—	—	—	—	43
20.	गृह कल्याण केन्द्र	03	—	—	—	—	—	—	—
21.	स्वास्थ्य मंत्रालय	38	02	—	—	—	—	—	—
22.	उच्च न्यायालय	10	—	—	—	—	—	32	—
23.	हडको	—	—	—	—	—	08	—	—
24.	आई जी एन सी ए	—	—	—	—	—	15	—	—
25.	आई एफ एस	—	—	—	—	—	09	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	आयकर विभाग	—	—	—	05	—	—	01	—
27.	आसूचना ब्यूरो	—	01	—	—	—	—	02	—
28.	भारत तिब्बत सीमा पुलिस	113	60	28	05	—	05	02	—
29.	आई टी डी सी	12	—	—	—	—	—	—	—
30.	न्यायिक पूल	—	—	—	04	—	02	—	—
31.	केन्द्रीय भण्डार	03	10	12	—	—	—	—	—
32.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अल्पादमी	—	—	—	—	—	—	—	01
33.	लोक सभा	112	181	217	88	—	12	23	—
34.	दिल्ली नगर निगम	03	02	06	—	—	02	—	—
35.	एम सी ई एफ	02	—	—	—	—	—	—	—
36.	गृह मंत्रालय	07	—	18	—	—	02	—	29
37.	मोबाइल एंड सिविल इंजीनियरिंग	—	01	—	—	—	—	—	—
38.	एम टी एन एल	—	02	07	—	01	07	01	—
39.	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्	08	06	12	01	—	02	—	—
40.	एन एस जी	—	56	—	11	—	08	—	—
41.	संसद पूल	—	—	—	—	—	01	—	—
42.	प्रधानमंत्री कार्यालय	—	—	—	01	—	—	—	—
43.	डाक व तार विभाग	13	09	14	74	—	07	—	02
44.	प्रेजिडेन्ट इस्टेट	03	—	27	35	—	09	02	—
45.	प्रेस पूल	57	281	193	49	—	—	01	—
46.	रेलवे	—	—	—	02	—	01	—	—
47.	राज्य सभा	32	96	88	—	—	02	06	—
48.	राजभाषा विभाग	—	—	15	—	—	—	—	—
49.	राजस्व विभाग	—	—	01	—	—	02	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	एस पी जी	23	90	—	—	—	—	—	—
51.	अंतरिक्ष विभाग	04	06	—	—	—	—	—	—
52.	भारतीय खेल प्राधिकरण	—	—	—	—	—	01	—	—
53.	उच्चतम न्यायालय	—	—	—	—	—	—	29	—
54.	दूरसंचार मंत्रालय	—	—	—	—	—	04	—	—
55.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	—	01	—	—	—	—	—	—
56.	राज्य सरकारें	प्रत्येक राज्य सरकार को 6 क्वार्टर							
57.	संघ शासित प्रदेश	प्रत्येक संघ शासित प्रदेश को 3 क्वार्टर							
58.	आकस्मिक चिकित्सा राहत यूनिट	कुल 59 क्वार्टर							

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

3261. **श्री ए. साई प्रताप : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कार्य कर रहे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) नए क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थापित करने के लिए क्या मानदंड बनाए गए हैं; और

(ग) देश में विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में ऐसे कार्यालयों की स्थापना हेतु कौन-कौन से स्थानों की पहचान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) देश भर में छ: क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने संबंधी मुख्य शर्त यह है कि संबंधित क्षेत्र में बोर्ड के साथ सम्बद्ध विद्यालयों की संख्या कितनी है और बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है।

(ग) हाल ही में, पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने हेतु भुवनेश्वर को चुना गया है। चेन्नई में पहले से मौजूद क्षेत्रीय कार्यालय के अलावा दक्षिणी राज्यों में कोई अन्य क्षेत्रीय कार्यालय खोलने हेतु किसी भी स्थान का अभिनिर्धारण नहीं किया गया है।

रोहिणी में प्रमुख प्लॉटों की नीलामी

3262. **श्री आलोक कुमार मेहता : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान रोहिणी में नीलामी के लिए रखे गये 38 प्रमुख प्लॉट वैकल्पिक नीति के कारण कुछ पार्टियों को आबंटित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रमुख प्लाटों के ब्यौरे सहित उन पार्टियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें ये प्लॉट आबंटित किये गये और इसके कारण कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई विभागीय कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि सेक्टर 25, पाकेट 7, रोहिणी में 38 भूखंड काटे गए थे तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सिफारिश

किए गए लोगों को उनकी भूमि अधिग्रहण किए जाने की एवज में वैकल्पिक आवंटन करने हेतु आवंटित कर दिए गए। पहले इस स्थल पर छोटे आकार के भूखंडों को नीलामी के जरिये निपटान करने का प्रस्ताव किया गया था। चूंकि विन्यास योजना में परिवर्तन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था, इसलिए आवंटनों को रद्द कर दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना विन्यास योजना में परिवर्तन करने की जिम्मेवारी नियत करने के मामले में सतर्कता जांच का आदेश दिया गया है जिसकी वजह से नीलामी के बजाय आवंटन करके भूखंड का निपटान किया गया था।

औषधि मूल्य संबंधी समिति

3263. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री सुकदेव पासवान :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों के मूल्य के विनियमन तथा मूल्य नियंत्रण के अधीन रखे जाने वाली आवश्यक औषधियों की पहचान करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस समिति से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या समय अवधि निर्धारित की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम और विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) सं.(सी) 3668/2003 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में मूल्य नियंत्रण (ट्रेड मार्जिन सहित) के विस्तार की जांच करने तथा उचित मूल्य पर जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपाय सुझाने हेतु संयुक्त सचिव (फार्मा) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति में सरकार को सिर्फ अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी है।

नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड की स्थापना

3264. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बोर्ड ने सरकार को अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/संस्थाओं के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक सहयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) जी हां। आगामी वर्षों में प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड में सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्थाओं और विशेषज्ञों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व है। बोर्ड राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप और कार्यक्रम, जिसमें हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, आपूर्ति, सुरक्षा और उपयोग सहित इसके विभिन्न पहलू शामिल होंगे, की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध कराएगा।

(ग) और (घ) उद्योग, संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों, अनुसंधाने समूहों और अन्य संबंधितों के साथ हाइड्रोजन ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने लिए बोर्ड की नियमित रूप से बैठकें हो रही हैं। तथापि, बोर्ड द्वारा अभी कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गई हैं।

(ङ) सरकार हाइड्रोजन ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और द्वि-पक्षीय एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श कर रही है। तथापि, इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पुलिस स्टेशन में कम्प्यूटरीकृत अपराध रिकार्ड

3265. श्री परसुराम माझी :
श्री अनन्त नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अपराधों के रिकार्ड को कम्प्यूटरीकृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) क्या इसके लिए कोई समय अवधि विहित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) भारत सरकार ने नेशनल इन्फारमेटिक्स सैंटर (एन आई सी) के माध्यम से पूरे देश के 10% पुलिस स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने के लिए वर्ष 2004-2005 में एक पायलट कार्यक्रम अर्थात् कामन इन्टीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन (सी आई पी ए) शुरू किया है। पहले चरण में पुलिस स्टेशन की जांच-पड़ताल से संबंधित गतिविधियों का कंप्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है। शेष पुलिस स्टेशनों को अगले तीन वर्षों में शामिल किए जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति

3266. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री पंकज चौधरी :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, इसके कब तक बनाए तथा कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) पेट्रोरसायन पर गठित टास्कफोर्स ने इस सेक्टर के विकास के लिए कुछ सिफारिशें की थीं। पेट्रोरसायन पर नीति तैयार करने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

फ्लाई एश का उपयोग

3267. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यकलापों में फ्लाई एश के उचित उपयोग के संबंध में राज्य विद्युत बोर्डों को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के सामने यह बात आई है कि राज्य विद्युत बोर्ड न्यायालय के निदेशों को लागू नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, ने राज्य विद्युत बोर्डों अथवा सार्वजनिक यूटिलिटियों अथवा निजी यूटिलिटियों द्वारा संचालित सभी ताप विद्युत स्टेशनों को उडन राख के सदुपयोग के बारे में निर्देशित किया है।

(ख) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने 5 अगस्त 2004 के आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया है कि उड़न राख की ईंटों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने जिसमें संग्रहण की सुविधा, सीमेंट यूनिटों के साथ व्यवस्था, भण्डारण सुविधा इत्यादि शामिल है तथा प्रोत्साहन उपाय करने के लिए सभी ताप विद्युत स्टेशनों को सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसके लिए समयबद्ध वचनबद्धता होनी चाहिए।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विद्युत परियोजनाओं के लिए ब्रिटिश गैस की सहायता

3268. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश गैस भारतीय विद्युत क्षेत्र की सहायता करने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और यदि कोई समझौता किया गया है तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार गैस, पानी तथा विद्युत जैसी यूटिलिटियों को कई प्रकार की व्यावसायिक सहायता सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सहयोगी कंपनी की स्थापना की दृष्टि से मेसर्स ब्रिटिश गैस को 9 जून, 1999 को विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफ आई पी बी) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। मैसर्स बी जी एनर्जी होल्डिंग्स लि., यूनाइटेड किंग्डम, बी.जी. ग्रुप की सहायक कंपनी ने भी भारत में विद्युत ट्रेडिंग व्यवसाय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) हेतु एफ आई पी बी अनुमति के लिए आवेदन किया है। विद्युत व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) अनुमति की नीति विचाराधीन है।

[हिन्दी]

छात्रों को राज सहायता

3269. योगी आदित्यनाथ : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को राज सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनको दी गई राज सहायता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सीपीडब्ल्यूडी केन्द्र

3270. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने सीपीडब्ल्यूडी सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं और इनमें कार्यरत कर्मचारियों की सं. कितनी है;

(ख) सेवा केन्द्रों में शिकायतों के निपटान की निगरानी रखने के लए कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इन सेवा केन्द्रों के समुचित ढंग से कार्य न करने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है; और

(ङ) प्राप्त शिकायतों के आधार पर कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ) दिल्ली में 303 सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों में 6732 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन सेवा केन्द्रों में शिकायतों के निपटान की निगरानी कनिष्ठ इंजीनियर/सहायक इंजीनियर/कार्यपालक इंजीनियर अपने वरिष्ठ अधिकारियों की समग्र देखरेख में करते हैं।

निवासियों द्वारा कार्यों के लिए विलंब की शिकायतें सेवा केन्द्रों में दर्ज की जाती है जिनके संबंध में तत्काल उनके दूर किए जाने सहित सुधारात्मक कार्रवाई की जानी होती है। अधिक कार्यदक्षता और बेहतर सेवा के प्रयास जारी हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा अत्याचार

3271. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए गए हैं जैसा कि 21 सितम्बर, 2004 के 'पायनीर' तथा 19-20 सितम्बर, 2004 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली पुलिस ने अपने अपराधी साथियों को बचाने का प्रयास किया है;

(ङ) यदि हां, तो गलती करने वाले पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) दिल्ली पुलिस कर्मियों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) 19 सितम्बर, 2004 को दैनिक जागरण में यथा प्रकाशित गोलीबारी की घटना में संलिप्त दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के विरुद्ध 17 सितम्बर, 2004 को मयूर विहार पुलिस स्टेशन में भा. दं. सं. की धारा 307 के अधीन एफ आई आर सं. 311 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। इस कांस्टेबल को 18.9.2004 को गिरफ्तार किया गया था। जहां तक 21 सितम्बर, 2004 को पायनियर में यथा प्रकाशित तिलक नगर पुलिस स्टेशन द्वारा मामला दर्ज न करने संबंधी आरोप का संबंध है, इसकी सतर्कता जांच की गई थी। सतर्कता जांच के बाद 21 सितम्बर, 2004 को तिलक नगर पुलिस स्टेशन में भा. दं. सं. की धारा 147/149/323/452/506 के अधीन एफ आई आर सं. 724 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मामला दर्ज न करने के लिए जिम्मेदार दो सहायक उप-निरीक्षकों का तबादला गैर-संवेदनशील स्थानों में कर दिया गया है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर में यथा उल्लिखित चूककर्ता पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

(च) दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए की गई कार्रवाई में, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, व्यवहार संबंधी विशेषज्ञों और एन जी ओ के व्याख्यान आयोजित करना ताकि उन्हें उनकी भूमिका और जनता के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया जा सके; उन्हें जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें जनता के प्रति शिष्ट, विनम्र और जिम्मेदार होने के प्रति पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से ब्रीफ करना शामिल है।

विदेश भेजे गए अधिकारी

3272. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों तथा विषयों में उनकी अकादमिक प्रबंध, तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षमताओं को सुधारने हेतु जनता के पैसे तथा प्रयोजन के द्वारा प्रख्यात विदेशी संस्थान में प्रशिक्षण हेतु नामनिर्दिष्ट करती है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय से दोनों लघु अवधि तथा दीर्घावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए विदेश भेजे गए व्यक्तियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(ग) इन व्यक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या कितनी है और कुल भेजे गए व्यक्तियों में ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में अकादमिक, प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं को सुधारने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विश्व की विभिन्न संस्थाओं में अधिकारियों का नामांकन कार्मिक लोकशिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा किया जाता है। जहां तक रसायन और उर्वरक मंत्रालय का संबंध है, विगत पांच वर्षों के दौरान अल्पावधि और दीर्घावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों दोनों के लिए नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार केवल 5 व्यक्तियों को विदेश भेजा गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं किया गया था:

वर्ष	नामित व्यक्तियों की संख्या
2000	—
2001	2
2002	1
2003	1
2004	1

उर्वरकों का मूल्य/उर्वरकों हेतु राज सहायता

3273. **श्री सुशील कुमार मोदी :**
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :
श्री कुलदीप बिश्नोई :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री सुरेश कलमाडी :
श्री तुकाराम गंगाधर गडाख :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में उर्वरकों के मूल्यों को कम करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या छूट मानकों का पालन करते हुए उर्वरकों के मूल्य में हाल ही में परिवर्तन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्तमान में विभिन्न उर्वरकों पर किसानों को कितनी राज सहायता दी जा रही है;

(च) क्या राज सहायता देने की वर्तमान लागत को बढ़ाने वाली प्रणाली के स्थान पर नई कम लागत वाली प्रणाली के कब तक आने की संभावना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार आयातित उर्वरकों की तुलना में विभिन्न उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादकों को अधिक राज सहायता प्रदान कर रही है; और

(झ) यदि हां, तो इस निर्णय से घरेलू उर्वरकों पर राज सहायता किस सीमा तक कम हो पाएगी?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) रासायनिक उर्वरकों के मूल्य में कमी करने के लिए विभिन्न संगठनों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। रासायनिक उर्वरकों के मूल्य में दिनांक 28.2.2002 से कोई वृद्धि नहीं की गई है। रासायनिक उर्वरकों के मूल्य में दिनांक 28.2.2003 को घोषित वृद्धि को दिनांक 12.3.2003 को वापस ले लिया गया था। मुख्य रासायनिक उर्वरको के मूल्य निम्नानुसार हैं:—

(रुपए/मी. टन)

क्र. सं.	उर्वरक का नाम	दिनांक 28.2.2002 से 27.2.2003 तक अधिकतम खुदरा मूल्य/निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य	दिनांक 28.2.2003 से 11.3.2003 तक की अवधि के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य/निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य	दिनांक 12.3.2003 से प्रभावी वर्तमान अधिकतम खुदरा मूल्य/निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य
1	2	3	4	5
1.	यूरिया	4830	5070	4830
2.	डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)	9350	9550	9350
3.	म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी)	4455	4655	4455

(ग) से (छ) यूरिया इकाईयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) तत्कालीन इकाई विशिष्ट और कॉस्ट प्लस प्रतिधारण मूल्य योजना (आरपीएस) के स्थान पर दिनांक 1.4.2003 से शुरू की गई है। एनपीएस का उद्देश्य यूरिया इकाईयों को राजसहायता के वितरण में अधिक पारदर्शिता, दक्षता और एकरूपता लाना तथा प्रतिस्पर्धी बनने के लिए लागत में कमी करने के उपाय स्वयं करने के लिए प्रेरित करना है।

देश में डीएपी के उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन होने के कारण उर्वरक विभाग ने वर्ष 2001 में टैरिफ कमीशन को डीएपी और एमओपी का लागत मूल्य अध्ययन करने का कार्य सौंपा था। टैरिफ कमीशन ने सरकार को अपनी रिपोर्ट फरवरी, 2003 में प्रस्तुत कर दी थी। टैरिफ कमीशन की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने दिनांक 1.4.2003 से स्वदेशी डीएपी की रियायत दरें तय करने की संशोधित कार्यप्रणाली को लागू किया है। फॉस्फोरिक एसिड के उपयोग के आधार पर संशोधित कार्यप्रणाली के अंतर्गत डीएपी के उत्पादकों को दो समूहों में बांटा गया है। स्वदेश में उत्पादित फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करने वाले उत्पादकों को समूह-I में रखा गया है तथा आयातित फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करने वाले उत्पादकों को समूह-II में रखा गया है। इस संशोधित नीति से उत्पादकों को उचित मानकीय मूल्य मिलता है तथा अपने ही समूह के बीच प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

वर्ष 2003-04 के दौरान यूरिया पर 8521/- करोड़ रुपए तथा नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर 3326/- करोड़ रुपए की राजसहायता/रियायत प्रदान की गई थी।

(ज) और (झ) स्वदेश में उत्पादित उर्वरकों तथा आयातित उर्वरकों पर राजसहायता/रियायत की मात्रा उर्वरकों के उत्पादन में प्रयुक्त फीडस्टॉक और ईंधन सहित आदानों की लागत तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान उर्वरकों के मूल्यों पर निर्भर करती है।

अधिक दाम लेने के लिए औषधि इकाइयों को नोटिस

3274. **श्री पी.एस. गढ़वी :**
श्री वी.के. ठुम्मुर :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथोरिटी ने अधिक दाम लेने के लिए औषधि उत्पादन करने वाली कंपनियों विशेष रूप से मैसर्स रेनबेक्सी को नोटिस भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो भेजे गए नोटिसों का ब्यौरा क्या है और औषधियों के नाम सहित प्रत्येक उत्पादक द्वारा कितना अधिक दाम लिया गया; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा अलग-अलग रूप से सरकार के पास जमा कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) सरकार द्वारा अगस्त, 1997 में स्थापित किया गया था। इसे अन्य बातों के साथ-साथ औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के तहत प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारण करने और उनमें परिवर्तनों को, यदि कोई हो, समय-समय पर अधिसूचित करने का काम सौंपा गया है।

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की अगस्त, 1997 में शुरूआत से नवम्बर, 2004 तक अधिप्रभार के 246 मामलों में 593 करोड़ रुपए की मांग उठाई गई है। इनमें से लगभग 67 प्रतिशत यानि 165 मामलों में कंपनियों ने आंशिक या पूर्ण रूप से बकाये का भुगतान कर दिया है। अब तक लगभग 80 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं।

आई.आई.एस.सी.ओ. के कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान

3275. **श्री विकास चौधरी :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.आई.एस.सी.ओ. के कुल्टी वर्क्स के सैकड़ों पूर्व कर्मचारियों को उनकी सेवाएं समाप्त करते समय देय धनराशि की बड़ी मात्रा नहीं दी गई है;

(ख) क्या प्रबंधन ने इन कर्मचारियों को उनकी विधिसम्मत बकाया राशि न देने के लिए इन कर्मचारियों की सेवा अवधि कम कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या श्रम आयुक्त ने प्रबंधन को पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर भुगतान करने का निदेश दिया है परन्तु प्रबंधन ने अभी तक इसे कार्यान्वित नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को उनकी कुल सेवा के लिए पूरा भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), रानीगंज ने केवल 16 कर्मचारियों के मामले में प्रशिक्षु अधिनियम के तहत "प्रशिक्षु" के रूप में बिताई गई अवधि के लिए उपदान का भुगतान करने के लिए इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) के प्रबंधन को निदेश देते हुए आदेश पारित किया है। प्रबंधन ने उपरोक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकरण के समक्ष इस आधार पर अपील की है कि यह उपदान अधिनियम की संबंधित धारा का उल्लंघन है और मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

भोपाल वाटर आग्मेंटेशन स्कीम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

3276. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री राकेश सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल शहर की जल संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए भोपाल शहर को जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए नर्मदा नदी के जल पर आधारित भोपाल वाटर आग्मेंटेशन स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की जा रही है; और

(ख) राज्य को उक्त धनराशि कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

संसदीय मंत्री तथा कार्य शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने शाहगंज में नर्मदा से पानी प्राप्त करने पर आधारित भोपाल जल आपूर्ति स्कीम के लिए 100 करोड़ रु. की विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु योजना आयोग से अनुरोध किया है। योजना आयोग ने इस अनुरोध पर कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 2005-06 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

संसाधन पर अभी तक 53 करोड़ रुपए (लगभग) व्यय किए गए हैं।

(ग) से (ङ) जनगणना 2001 के आधार पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रकाशनों को कोष्ठकों में दर्शित वर्ष में पहले ही प्रकाशित किया गया है:—

(i) जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े पेपर। (2001)

(ii) जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े : भारत अनुपूरक - जिलों के आंकड़े (2001)

(iii) मकानों, परिवार में उपलब्ध सुविधाओं और परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित सारणियां (2003)

(iv) जनसंख्या के अन्तिम आंकड़े (2003)

(v) प्राथमिक जनगणना सार (2004)

(vi) भारत में नि:शक्तता से संबंधित प्रथम रिपोर्ट (2004)

(vii) धर्म के आंकड़ों पर प्रथम प्रतिवेदन (2004)

(viii) आयु से सम्बन्धित रिपोर्ट और सारणियां (2004)

महत्वपूर्ण आंकड़ो सैटों में मातृभाषा, शैक्षिक स्तर तथा प्रवास से संबंधित आंकड़ों को संसाधित किया जा रहा है।

1991 की जनगणना की तुलना में 2001 की जनगणना के अधिकांश प्रकाशनों को तेजी से प्रकाशित किया गया है।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

3283. डा. राजेश मिश्रा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय विद्यालयों में लिपिकीय भूल के कारण लगभग 1000 बच्चों का नामांकन नहीं हो पाया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं और सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इन रिक्त 1000 सीटों में प्रवेश की अनुमति प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी/किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले की संख्या, जिन पर अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जा सकता है, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में एक हजार तक सीमित होती है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अधिकतम सीमा से अधिक संख्या में छात्रों के दाखिले के संबंध में एक और सूची असावधानीवश जारी कर दी थी और उसे इसलिए रद्द करना पड़ा। यह सही नहीं है कि इसे रद्द करने की वजह से 1000 सीटें खाली हो गई। चूंकि यह सूची असावधानी से जारी की गई थी और उसे तुरन्त संशोधित कर दिया गया था, इस पर कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया।

[हिन्दी]

फ्लैटों की कीमतों में गिरावट

3284. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नरेला आवास योजना में कर्मचारी आवास योजना (ईएचएस) के अंतर्गत फ्लैटों की कीमतें हाल ही में घटा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पहले ही निर्धारित धनराशि का भुगतान कर चुके आवेदकों को अभी तक शेष धनराशि प्राप्त नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि सेक्टर ए-6, पॉकेट-7, नरेला आवास योजना में एक्सपेंडेबल हाउसिंग स्कीम (ई एच एस) की लागत कुरसी क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कम की गई है।

(ख) से (घ) नरेला में ई एच एस फ्लैटों का मूल्य कम हो जाने के कारण जिन मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिक राशि ली गई है, उन मामलों में धनराशि लौटाने की कार्रवाई की गई है।

पासपोर्ट/वीजा जारी किया जाना

3285. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट/वीजा जारी करने के नियम क्या है;

(ख) भारत में कितनी अवधि तक विदेशी नागरिक ठहर सकते है;

(ग) क्या कुछ देशों के नागरिक अपने ठहरने की अवधि समाप्त होने के बाद अपने-अपने देश वापस नहीं लौटते है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में इस समय राज्य-वार कितने विदेशी नागरिक हैं;

(च) क्या देश में बांग्लादेशी नागरिकों को बसाये जाने का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) विदेशी राष्ट्रिकों को पासपोर्ट उनके अपने-अपने देशों द्वारा जारी किए जाते हैं। विदेशियों को वीजा, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के प्रावधानों के तहत, जारी किया जाता है। विदेशी राष्ट्रिकों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए चौदह तरह के वीजा जारी किए जाते हैं।

(ख) एक विदेशी, वीजा की वैध अवधि तक भारत में रह सकता है।

(ग) और (घ) कुछ विदेशी राष्ट्रिक देश में अलग-अलग कारणों से स्वीकृत अवधि से अधिक रुकते हैं। ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

(च) जी नहीं, श्रीमान।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

31.12.2003 की स्थिति के अनुसार, राज्य-वार (पाकिस्तानियों के अतिरिक्त) भारत में रह रहे पंजीकृत विदेशी

राज्य	संख्या
1	2
अंडमान एवं निकोबार	28
आंध्र प्रदेश	3603
अरूणाचल प्रदेश	45006
असम	563
बिहार	413
चंडीगढ़	1616
छत्तीसगढ़	3039
दादर एवं नागर हवेली	5
दिल्ली	47419
गोवा	3446
गुजरात	11970
हरियाणा	2316
हिमाचल प्रदेश	21147
जम्मू कश्मीर	6979
झारखण्ड	278
कर्नाटक	56952
केरल	5125
मध्य प्रदेश	726
महाराष्ट्र	12652
मणिपुर	43
मेघालय	828
मिजोरम	218
नागालैंड	7
उड़ीसा	3225
पांडिचेरी	4974

[अनुवाद]

संघ राज्य क्षेत्र में लकड़ी आधारित लघु उद्योग का बंद होना

3277. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिनांक 7 मई, 2004 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी आधारित लघु उद्योगों के बंद होने के बाद बेरोजगार हुए लोगों को बचाने के लिए कोई कदम उठाया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी आधारित कई उद्योग, जिनके लाइसेंसों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 7 मई, 2002 के आदेश के अनुसरण में नवीकरण नहीं किया गया था और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह लकड़ी आधारित लघु उद्योग संघ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति में दायर कई आवेदनों के माध्यम से आदेश में संशोधन करने की मांग की है। केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति द्वारा इन आवेदनों की सुनवाई के दौरान अंडमान और निकोबार प्रशासन ने भी इमारती लकड़ी की स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन के नियंत्रणाधीन औद्योगिक संपदा को उन्हें फिर निर्धारित करने के बाद इन उद्योगों को कार्य करने की अनुमति देने की सिफारिश की है।

(ग) उपर्युक्त स्थिति के मद्दे नजर प्रश्न नहीं उठता है।

झुग्गी-झोंपड़ी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता

3278. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई के झुग्गी-झोंपड़ी वासियों के लिए नवम्बर, 1995 में ही झुग्गी-झोंपड़ी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार से स्वीकृति मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की संबद्ध भूमि दर्शाते हुए भेजी गई योजना का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इसमें धारावी स्लम क्लियरेंस परियोजना शामिल है;

(घ) यदि हां, तो कार्यक्रम की परियोजना-वार लागत कितनी है; और

(ङ) इसमें शामिल लवण-पटल भूमियों का ब्यौरा क्या है और क्या इस भूमि को झुग्गी-झोंपड़ी पुनर्वास प्रयोजनों के लिए देने अथवा इस प्रयोजनार्थ ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' देने का निर्णय लिया गया है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) शहरी विकास मंत्रालय ने यह बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने नवंबर, 1995 में प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र भिजवाया था जिसमें स्लम पुनर्विकास तथा सुधार योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ एजेंसियों की भूमि, जिस पर स्लमों का कब्जा है, अंतरित करने का प्रस्ताव था।

(ग) और (घ) इस प्रकार के कोई ब्यौरे शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि मुंबई में आधिक्य सॉल्प पैन भूमि के अंतरण के बारे में औद्योगिक नीति एवं सवर्द्धन विभाग से प्राप्त एक प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मई, 2001 में स्वीकृत किया गया था। भूमि का कब्जा अब तक नहीं लिया गया है। सॉल्ट पैन भूमि के उपयोग के मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति

3279. **श्री सुनिल कुमार महतो :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध संस्थाओं से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रबंध किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय शैक्षिक संस्थाओं को सम्बद्धन प्रदान नहीं करता है। शैक्षिक संस्थाओं में विद्यार्थियों को विभिन्न स्रोतों द्वारा छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं जिनमें केन्द्र तथा राज्य सरकार शामिल हैं।

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय स्तर पर कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) में दर्ज मामले

3280. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कितने मामलों में आंतकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोपी व्यक्तियों के हित में कार्यवाही की है;

(ग) आयोर्ग में सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए; और

(घ) आयोग ने कितने मामलों में अंतिम निर्णय दे दिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और 15.12.2004 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) में दर्ज किए गए मामलों की संख्या 2,65,229 हैं। इसी अवधि के दौरान एन एच आर सी में आतंकवादी गतिविधियों के अभियुक्त व्यक्तियों से संबंधित दर्ज मामलों की संख्या 34 हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और 15.12.2004 तक, सेना, अर्द्ध सैनिक बल और पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध एन एच आर सी में दर्ज किए गए मामलों की संख्या नीचे दी गई है।

(i)	सेना	756
(ii)	अर्द्ध सैनिक बल	172
(iii)	पुलिस	1,06,902

एन एच आर सी ने इसी अवधि के दौरान 86,303 मामले निपटाए हैं।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) के लिए आवास सुविधाओं का अभाव

3281. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के समक्ष सबसे बड़ी समस्या अपने कार्मिकों के लिए आवास सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने इस संबंध में सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की अतिरिक्त बटालियनें गठित करने के परिणामस्वरूप और अन्य रैंकों के लिए पारिवारिक आवास के प्राधिकरण को 14% से बढ़ा कर 25% कर देने से कार्मिकों के लिए आवास की जरूरत बढ़ गई है। 25574 पारिवारिक क्वार्टरों का निर्माण पहले ही हो चुका है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार आवास का निर्माण करना एक सतत प्रक्रिया है।

जनसंख्या पर किया गया व्यय

3282. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000 की जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लगभग चार वर्षों की समाप्ति के बाद भी भारत के महापंजीयक द्वारा वर्ष 2000 की जनगणना संबंधी केवल कुछ ही प्रकाशन निकाले गए हैं;

(घ) क्या आरंभिक जनगणना सार, धर्म, प्रवास तथा भारत के राज्यों की जिला जनगणना संबंधी आंकड़ों वाली पुस्तिका का अभी प्रकाशन किया जाना शेष है; और

(ङ) यदि हां, तो इन महत्वपूर्ण जनगणना आंकड़ों के प्रकाशन में इतना विलंब होने के क्या कारण हैं और इसे कब तक प्रकाशित किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। केवल जनगणना 2001 के आंकड़ों के संसाधन के कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। आंकड़ों के

(ङ) और (च) उदारीकरण के दौर में सरकार मूल्य निर्धारण जैसे वाणिज्यिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। मूल्य, बाजार शक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित किए जाते हैं।

(छ) से (झ) राष्ट्रीय इस्पात उपभोक्ता परिषद की जून, 2004 में हुई 18वीं बैठक में कुछ उपभोक्ताओं ने इस्पात के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए राष्ट्रीय इस्पात विनियामक आयोग का गठन करने का सुझाव दिया था। मूल्यों में उतार-चढ़ाव पर निर्भर करते हुए और शेयर धारकों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार एक विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेने के बारे में विचार करेगी। सरकार मूल्यों की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और आवश्यक होने पर हस्तक्षेप कर सकती है।

[हिन्दी]

कुटीर ज्योति योजना

3290. श्री महावीर भगोरा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में कुटीर ज्योति योजना आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में कितने जनजातीय परिवारों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव था;

(ग) प्रस्तावित परिवारों में से कितने परिवारों को इस योजना के अंतर्गत अभी तक शामिल किया गया है और तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में अभी तक कितने जनजातीय परिवारों को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है और इसके लिए कौन-कौन से व्यक्ति जिम्मेदार हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना को क्रियान्वित न करने में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का था/है; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में अभी तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

संयुक्त गश्त

3291. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश से सटी हुई सीमाओं पर संयुक्त गश्त के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सितम्बर, 2004 में गृह सचिव स्तर की वार्ता में दोनों देशों ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि सीमा पर तैनात दोनों देशों के सुरक्षा बल एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुए समझौतों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश राइफल्स के बीच महानिदेशक स्तरीय वार्ता के दौरान महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल ने, बांग्लादेश राइफल्स के सामने, सीमा पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ समन्वित/संयुक्त गश्त लगाने का प्रस्ताव रखा। भारत सरकार द्वारा इसके तौर-तरीकों का मसौदा अनुमोदित कर देने के पश्चात, इसे जून, 2003 में बांग्लादेश राइफल्स को भेज दिया गया था। भारतीय पक्ष ने सितम्बर, 2004 में आयोजित गृह सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान भी इस मुद्दे को दोहराया। बांग्लादेश सरकार का यह मत है कि संबंधित सुरक्षा बलों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में गश्त लगाई जाएगी और दोनों बल एक-दूसरे के साथ ताल-मेल रखें।

विद्युत क्षेत्र में चीन की कंपनियों की भागीदारी

3292. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन की कुछ कंपनियों ने भारत में विद्युत क्षेत्र में कार्य करने की अपनी इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें चीन की फर्मों ने कार्य करने की पेशकश की है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित चाइनीज विद्युत कंपनियों को यूटिलिटियों द्वारा आदेश सौंप दिए गए हैं—

विद्युत स्टेशन का नाम	कार्यान्वयक एजेंसी	क्षमता	दिए गए आदेश
सागरडिग्घी टीपीएस (पश्चिम बंगाल)	वेस्ट बंगाल पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि.	2x300 मेगावाट	डांग फंग इलेक्ट्रिक, चाइना
दुर्गापुर पावर टीपीएस (पश्चिम बंगाल)	हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.	1x300 मेगावाट	डांग फंग इलेक्ट्रिक, चाइना
यमुना नगर टीपीएस (हरियाणा)	हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.	2x300 मेगावाट	रिलायंस एनर्जी लि. (मै. डांग फंग इलेक्ट्रिक, चाइना के उपस्करों की पेशकश)
बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट (कोरबा छत्तीसगढ़)	भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.	4x135 मेगावाट	मै. सैप्को इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, चाइना
प्रियदर्शिनी जुराला जल विद्युत परियोजन	एपीजेनको	6x39 मेगावाट	मै. सीएमईसी, चाइना

गैस आधारित रासायनिक संयंत्रों की स्थापना

3293. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में तरल गैस आधारित रासायनिक संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे संयंत्रों ने अपने संयंत्रों में तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए टर्मिनल स्थापित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे संयंत्रों की अनुमानित लागत कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर परिषद् में बांस की खेती की योजना

3294. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना में शामिल किये गये पूर्वोत्तर परिषद के क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और राज्यवार कितना क्षेत्रीय परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर परिषद ने बांस खेती के लिए कोई विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार कितना आबंटन किया गया है और इसे आरम्भ किये जाने का निर्धारित कार्यक्रम क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित स्कीमवार दसवीं योजना परिव्यय का विवरण संलग्न है। एन.ई.सी. के पास राज्यवार कोई अनुमोदित परिव्यय नहीं है।

(ख) मौजूदा पूर्वोत्तर परिषद के पास बांस की खेती के लिए कोई विशेष अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, गंगटोक सिक्किम में 11 सितम्बर, 2003 को हुई 48 वीं बैठक में परिषद ने बांस के विकास की महत्वपूर्ण थ्रस्ट एरिया के रूप में पहचान की है।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

1	2
पंजाब	4748
राजस्थान	1061
सिक्किम	2588
तमिलनाडु	72773
त्रिपुरा	22
उत्तर प्रदेश	2917
उत्तरांचल	9761
पश्चिम बंगाल	8126
कुल	3,34574

[अनुवाद]

गांधीवादी अध्ययन

3286. श्री सुरेश कलमाडी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गांधी गांधीवादी अध्ययन का पुनरुत्थान करने और उसे फिर से जीवंत बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मौजूदा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अलावा और भी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को गांधीवादी अध्ययन में और अनुसंधान संबंधी उनके प्रयासों में मदद करने का भी निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दसवीं योजना के दौरान निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालयों में 8 नए गांधीवादी अध्ययन केन्द्रों को अनुमोदित किया है;

(i) भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर

(ii) आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम

(iii) शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

(iv) कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

(v) जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

(vi) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

(vii) मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर

(viii) बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

ये केन्द्र 14 अन्य विश्वविद्यालयों में वर्तमान गांधीवादी अध्ययन केन्द्रों में अतिरिक्त हैं।

प्रत्येक केन्द्र के लिए आवर्ती अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष 4.70 लाख रुपए की राशि और एककालिक अनावर्ती अनुदान के रूप में 3.50 लाख रुपए की राशि अनुमोदित की गई है।

वसुंधरा एन्कलेव का दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरण

3287. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसुंधरा एन्कलेव को अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र के निवासी इसके परिणामस्वरूप दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रदत्त विभिन्न नागरिक सुविधाओं से वंचित हैं; और

(ग) यदि हां, तो वसुंधरा एन्कलेव के दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित करने और सुविधायें प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि वसुंधरा एंक्लेव में सड़क, बरसाती पानी नालियां, सीवर, जल आपूर्ति, सड़क बिजली और पार्क जैसी सभी नागरिक सुविधाएं पहले ही मुहैया कर दी गई हैं और ये सुविधाएं चल रही हैं। इसलिए, निवासियों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। बरसाती पानी नालियां, पार्क और सड़क सेवाएं दिल्ली नगर निगम को सौंपने तथा सीवर

सेवाएं दिल्ली जल बोर्ड को सौंपने के लिए दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है। सीवरेज पंपिंग स्टेशन पहले ही दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया गया है।

गोधरा कांड के पश्चात् हुई हिंसा

3288. **श्री मधुसूदन मिस्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार वर्ष 2002 की हिंसा में शिकार हुए लोगों को मुआवजा नहीं देना चाहती;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से मारे गये लोगों के परिवारों को तत्काल एक लाख रुपये की अंतरिम राहत राशि का भुगतान करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गुजरात में 2002 को सांप्रदायिक हिंसा के दौरान जिन 1168 लोगों की मृत्यु हो गई थी उनके निकट संबंधियों को मृत्यु राहत मंजूर करने पर 17.50 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अतिरिक्त 2,548 मामलों में, घायल हुए व्यक्तियों को सहायता अनुदान मंजूर करने पर 2.21 करोड़ रुपए खर्च हुए। राज्य सरकार ने घरेलु वस्तुओ, आवास आय अर्जित करने वाली आस्तियों की बहाली, छोटे/बड़े व्यवसाय के लिए सहायता प्रदान करने, खाद्यान्न वितरण करने, महिलाओं और बच्चों का पुनर्वास करने, विधवा गृहों, स्वास्थ्य एवं सफाई आदि जैसे राहत/पुनर्वास के अन्य उपायों पर भी 184.73 करोड़ रुपए खर्च किए।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिनांक 1.4.2002 की अपनी कार्यवाहियों के माध्यम से सिफारिश की कि उन व्यक्तियों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए जिन्होंने दंगों के दौरान यातना भोगी है। राज्य सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज दी है जिसमें दंगों में मारे गए, घायल हुए व्यक्तियों और दंगा पीड़ितों को हुई क्षति के लिए दी गई अनुग्रह सहायता का ब्यौरा दिया गया है।

इस्पात के मूल्य का निर्माण परियोजना पर प्रभाव

3289. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री एल. राजगोपाल :
श्री कालेश्वर यादव :
श्री राजेश कुमार मांझी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के बढ़ते मूल्यों के प्रभाव की निगरानी के लिए और परियोजनाओं की निर्माण लागत में कमी लाने के तरीके सुझाने के लिए उच्च स्तरीय विपणन समूह बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समूह ने अपनी सिफारिशें दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने इनमें से कितने सुझाव स्वीकार किये हैं;

(ङ) क्या इस्पात के दुगुने मूल्य से कोल्ड रोल्ड उत्पादक भी अत्यधिक प्रभावित होंगे;

(च) यदि हां, तो सरकार ने देश में इस्पात के कोल्ड रोल्ड उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(छ) क्या सरकार इस्पात के मूल्यों पर नियंत्रण रखने हेतु एक नियामक प्राधिकरण के गठन की योजना बना रही है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इसका गठन कब तक किये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (घ) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बल्क निर्माण सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि से निपटने हेतु एक जेनेरिक ट्रिगर मैकेनिजम विकसित करने और निर्माण परियोजनाओं में समय और लागत बढ़ने की घटना को कम करने के लिए ठेकागत प्रावधान करने के लिए एक विशेषज्ञ कार्यकारी समूह गठित किया है। विशेषज्ञ कार्यकारी समूह अभी भी अध्ययन कर रहा है तथा ठेकागत प्रावधानों एवं भारी निर्माण सामग्री के मूल्य में वृद्धि के अन्य पहलुओं के विभिन्न प्राचलों का विश्लेषण कर रहा है।

विवरण

पूर्वोत्तर परिषद-दसवीं पंचवर्षी योजना (2002-07) के लिए दर्शाए गये स्कीमवार परिव्यय

क्र.सं.	स्कीम का नाम	परिव्यय
1	2	3
I.	**कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र**	
I. क	**कृषि**	
	1. एन ई आर में एकीकृत कृषि विकास	7000.00
	2. एन ई आर में कोल्ड स्टोरेज इकाईयों की स्थापना	2000.00
I. ख	**बागवानी**	
	1. एन ई आर में कृषि बागवानी उत्पादों की विपणन सहायता	1400.00
	2. माओ, मणिपुर में आलू ब्रीडिंग क्षेत्रीय फार्म का विस्तार	660.00
	3. एन ई आर में रोपण फसलों का नवीकरण/विकास	800.00
I. ग	**वन और वनस्पति संसाधन**	
	1. सामुदायिक जैव विविधता संरक्षण परियोजना	1350.00
	2. उत्तर पूर्वी जैव विविधता अनुसंधान सैल, नेहू	150.00
	3. लोकटक लेक, मणिपुर का परिरक्षण	3800.00
I. घ	**पशु पालन और पशु चिकित्सा**	
	1. एन ई राज्यों में एकीकृत पशुपालन परियोजना (दूध, मांस इत्यादि का उत्पादन और बूचड़ खाना)	2270.00
I. ङ	**मछली पालन**	
	1. एन ई आर में एकीकृत मछली पालन विकास	400.00
	कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का जोड़ (I)	19830.00
II.	**जल, विद्युत विकास और आर आर ई**	
II. क	**विद्युत विकास**	
1.	**विद्युत उत्पाद**	
	(i) बारामूला गैस परियोजना विस्तार (1X21 मैगावाट)	5075.00

1	2	3
	(ii) लकवा वेस्ट हीट रिकवरी परियोजना (1X38 मैगावाट), असम	10000.00
	(iii) मिनतदु-लेश्का एच ई पी (2X42 मैगावाट), मेघालय	14500.00
	(iv) कारबी लांगपी एचईपी (2X50 मैगावाट)	10000.00
	(v) बैराबी एचईपी (240 मैगावाट), मिजोरम	
	(vi) बारामुरा, त्रिपुरा (न्यू) में 21 मैगावाट गैस थर्मल परियोजना	
2.	प्रणालियों का सुधार	
	विद्युत संचार और वितरण लाइनों (132X11 केवी ए और 133X11 के वी ए) का उन्नयन/सुधार/निर्माण)	15000.00
3.	उमियाम लेक की सिल्टेशन का नियंत्रण	1750.00
	कुल III. क विद्युत विकास	56325.00
II. ख	जल विकास	
	1. नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट आफ वाटर एण्ड लैण्ड मैनेजमैंट, तेजपुर	2000.00
	2. एच ई पी एवं एम पी पी का सर्वेक्षण एवं जांच	1085.21
	3. सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन (जीरी एवं दजुजा)	7130.00
	4. एफ सी ओर आर एम की स्कीमों का कार्यान्वयन (चेथे नदी किनारा सुरक्षा, जियाखोल, चुनपुरा सुरक्षा और पथेरकंडी सुरक्षा कार्य)	1875.51
	5. छोटी परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं जांच	1176.50
	कुल II ख जल विकास	13267.22
II. ग	आर आर ई	50.00
	कुल (II) विद्युत, जल विकास और आर आर ई:	69642.22
III.	उद्योग और खनिज	
III. क	उद्योग	
1.	एन ई आर में उद्योग एवं व्यापार का संवर्धन	
	(i) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम एवं दक्षता उन्नयन	792.00
	(ii) नए उद्योग विपणन अनुसंधान, बांस विकास, खाद्य प्रसंस्करण, चाय प्रसंस्करण इत्यादि स्थापित करने के लिए नई प्रोत्साहन स्कीमें	6548.00

1	2	3
	(iii) चमड़ा उत्पादन विकास केन्द्र	1750.00
	(iv) रबड़ की लकड़ी का विकास केन्द्र त्रिपुरा	250.00
	(v) डाईमेंशन स्टोन का विकास और खनन, नागालैण्ड	185.00
	(vi) रबड़ विकास के लिए प्रक्रिया और उत्पादन, त्रिपुरा	75.00
	(vii) एन ई आर में एस ई जेड व्यापार और वाणिज्य	5400.00
	पर्यटन	
2.	एन ई आर में पर्यटन का विकास	1000.00
3.	एन ई आर में वन संरक्षण हेतु समुदाय आधारित पारि-पर्यटन	200.00
	कुल III क औद्योगिक और पर्यटन	**16200.00**
III. ख	**खनिज :**	
1.	खानों और खनिज संसाधनों का विकास	100.00
	III ख का योग	**100.00**
	उद्योगों, पर्यटन और खनिजों का योग	**16300.00**
IV.	**परिवहन और संचार**	
1.	पूर्वोत्तर राज्यों में हवाई अड्डों का सुदृढ़ीकरण (क+ख)	8500.00
	(क) ए ए आई	7500.00
	(ख) लंगपुई एयरपोर्ट का विकास	1000.00
2.	अन्तर्देशीय जल परिवहन	2600.00
3.	सर्वेक्षण और जांच	1000.00
	(क) राज्य सरकार द्वारा	
	(ख) व्यवसाय के माध्यम से एन ई सी द्वारा	
4.	**सड़कें और पुल (क+ख+ग+घ)**	**111700.00**
	(क) राज्य लोक निर्माण विभाग	92700.00
	(ख) सीमा सड़क संगठन	

1	2	3
	(ग) लकड़ी के पुलों को स्थायी पुलों में बदलना	4000.00
	(घ) सड़कों का रखरखाव	15000.00
5.	पूर्वोत्तर राज्यों में अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण	8432.00
6.	पूर्वोत्तर राज्यों में हवाई सम्पर्क	10500.00
7.	एन ई सी के कर्मचारियों और कार्यालय के लिए आवास	2000.00
	कुल (IV) परिवहन और संचार	144732.00
V. 1	चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र	
1.	एन ई सी द्वारा प्रशासित स्वास्थ्य संस्थानों को सहायता (आर आई एम एस, आर आई पी ए एन, एल जी बी आर आई एम एच)	39814.55
2.	पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को सहायता	14391.00
	कुल V.1 चिकित्सा और स्वास्थ्य	54205.55
VI.	जनशक्ति विकास	
1.	उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (नेपा), उमसा, मेघालय	2500.00
2.	पूर्वोत्तर राज्यों में जनशक्ति विकास	3000.00
3.	एन ई. आर की एच आर डी रिपोर्ट तैयार करना	100.00
4.	पूर्वोत्तर राज्यों में खेल और युवा क्रियाकलापों का विकास और उन्नयन	6000.00
	कुल (VI) जनशक्ति विकास	11600.00
VII.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	
	ऊंचे क्षेत्रों में सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना	14833.00
	कुल (VII) सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	14833.00
VIII.	विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्र	
1.	क्षेत्रीय प्रबंधन और सूचना प्रणाली	200.00
2.	एन ई एस ए सी, रिमोट सेन्सिंग और संचार संबंधी कार्यक्रमों का विकास	4500.00
3.	आर एण्ड डी कार्यक्रम (परामर्शदात्री, प्रशिक्षण, एस एण्ड डी एप्लीकेशन, ओरिएन्टेड कार्यक्रम)	550.00

1	2	3
4.	एस एण्ड टी (सैल, डी एम एस और भूकम्प संबंधी कार्यक्रम)	1350.00
	(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्ष एन ई सी	
	(ख) पूर्वोत्तर राज्यों (एन ई सी-डी और एस) के लिए आपदा प्रबंधन प्रणाली और भूकम्प संभावना मूल्यांकन/जागरूकता अध्ययन	
5.	आई टी एप्लीकेशन ओरिएन्टेड कार्यक्रम	1500.00
6.	पूर्वोत्तर राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा कार्यक्रम	4700.00
7.	पूर्वोत्तर राज्यों में तकनीकी संस्थानों को अवसंरचनात्मक सहायता	1400.00
8.	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए टेलिमेडिसन सहित संचार नेटवर्क	3000.00
	कुल (VIII) विज्ञान और प्रौद्योगिकी	**17200.00**
IX.	**सूचना, प्रचार और जन सम्पर्क**	
1.	क्षेत्रीय प्रलेखन और सूचना केन्द्र	195.00
2.	सूचना और जन सम्पर्क	462.23
	कुल (IX) सूचना, प्रचार और जन सम्पर्क	**657.23**
X.	**मूल्यांकन और निगरानी कक्ष**	
1.	क्षेत्रीय सर्वेक्षण/जांच अध्ययन	200.00
2.	सेमिनारों और सिम्पोजियम आदि को सहायता	200.00
3.	एन ई सी स्कीमों की निगरानी और मूल्यांकन	600.00
	कुल (X) मूल्यांकन और निगरानी सैल :	**1000.00**
	महा योग	**350000.00**

स्रोत : पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग।

मथुरा लभान समुदाय

3295. **श्री मधुसूदन मिस्त्री :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को लबाड़ा बंजारा समुदाय के पर्यायवाची मथुरा लभान समुदाय को तेलंगाना क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में मथुरा लभान समुदाय को शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) प्रस्ताव पर स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की गई है।

अतिरिक्त धनराशि का आवंटन

3296. **श्री हरिभाऊ राठौड़** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए और अधिक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करने हेतु हाल ही में अधिक धनराशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) आवंटन योजना आयोग द्वारा आवंटित निधियों के अनुसार किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) मंत्रालय राज्य को उनकी पात्रता के अनुसार निधियां निर्मुक्त करने की प्रक्रियाधीन है।

केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट)

3297. **श्री दुष्यंत सिंह** :
प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) इनमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का हिस्सा, अंशदान और राजस्व व्यय कितना है;

(ग) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(च) लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है;

(छ) क्या सरकार का विचार पिछड़े राज्यों में ऐसे केन्द्र खोलने में शत-प्रतिशत सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) सिपेट ने आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में अपने केन्द्र स्थापित किए हैं।

(ख) गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा पंजाब राज्यों में सिपेट केन्द्रों को 7वीं तथा 8वीं योजनावधि में दौरान केन्द्र तथा राज्य के बीच 50 : 50 अनुपात में लागत भागीदारी के आधार पर प्रारंभिक परियोजना स्तर पर स्थापित किया गया है, जबकि बिहार, असम, मणिपुर तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में केन्द्रों को इक्विटी भागीदारी आधार पर नौवीं तथा 10वीं योजनावधि के दौरान स्थापित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी प्रदान किए जाने और राज्य सरकारों द्वारा भूमि एवं भवन प्रदान किए जाने के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी गई है। केन्द्र सरकार द्वारा सभी केन्द्रों की प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए योजनागत निधियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके सहयोग दिया जाता रहा है तथा इसके द्वारा राजस्व व्यय को पूरा करने हेतु गैर-योजना अनुदान भी प्रदान किए जाते रहे हैं। संबंधित राज्य सरकारें केन्द्रों के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान नहीं करती हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से उनके यहां सिपेट केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

तथापि, चूंकि योजना आयोग ने 10वीं योजना में 50 : 50 अनुपात आधार पर किसी सिपेट केन्द्र की स्थापना हेतु अनुमति नहीं दी है, इसलिए किसी राज्य में किसी नए सिपेट केन्द्र की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली नगर निगम और अन्य निकायों द्वारा दिशानिर्देशों का उल्लंघन

3298. **श्री पारसनाथ यादव : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम और अन्य ऐसे निकायों को कतिपय अभियंता निविदायें देने में कतिपय ठेकेदारों को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता देकर इस संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया और कितने अभियंता दोषी पाये गये;

(ग) क्या सरकार ने दोषी अभियंताओं और ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने भविष्य में दिशानिर्देशों के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम और अन्य एजेंसियों यथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग (रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार) और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके कुछ ठेकेदारों को प्राथमिकता देने का कोई मामला उनके नोटिस में नहीं आया है।

वास्ती गृह निर्माण योजना

3299. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को कामकाजी महिलाओं के लिए वास्ती गृह निर्माण योजना के अंतर्गत प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों हेतु दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवनों के निर्माण/विस्तार हेतु वित्तीय सहायता स्कीम के अंतर्गत 300 लाभार्थियों के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल का एक प्रस्ताव भेजा है।

(ग) और (घ) स्कीम के मानकों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रस्ताव को मंजूरी देने पर विचार किया जा रहा है।

कोचिंग योजना के अंतर्गत धनराशि जारी किया जाना

3300. **श्री कैलाश जोशी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से वर्ष 2003-2004 के लिए अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग संबंधी योजनाओं के अंतर्गत धनराशि जारी करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) वर्ष 2004-2005 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से वर्ष 2003-04 के लिए 48.12 लाख रुपए की निर्मुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परियोजना जांच समिति ने दिनांक 19.11.2004 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया। चयन समिति ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु 1200 अनुसूचित जनजाति छात्रों को कोचिंग देने के लिए 32.26 लाख रुपए (योजना के मानदंड के अनुसार) स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत धनराशि के प्रति केन्द्रीय अंश की दिसम्बर, 2004 की समाप्ति तक निर्मुक्ति की संभावना है।

[अनुवाद]

दिल्ली में महिला छात्रावास

3301. श्री लालमणि प्रसाद :
श्री गुरूदास कामत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में महिला छात्रावासों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने छात्रावासों के निर्माण हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अथवा मार्गनिर्देश दिए हैं;

(ग). यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिनांक 1 अक्तूबर, 2004 को "आल इंडिया एसोसिएशन फॉर एस.सी./एस.टी. एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपुल्स अपलिफ्टमेंट (पंजीकृत)" ने दिल्ली में बालिका/महिला/विधवा छात्रावास निर्मित करने हेतु परियोजना से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और क्या सहायता दिए जाने की संभावना है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या दिल्ली में छात्रावासों में रह रही महिलाओं को उनके छात्रावासों से निकाला गया है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य एन.सी.सी. प्रशिक्षण

3302. श्री जी.वी हर्ष कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य एन.सी.सी. प्रशिक्षण के कार्यान्वयन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दो वर्षों के इस अनिवार्य प्रशिक्षण को आवश्यक घोषित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह परिकल्पना की गई है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, सभी छात्रों के शारीरिक विकास, खेलों तथा सांस्कृतिक विकास के लिए स्कूलों में उपयुक्त बुनियादी सुविधाएं सृजित की जाएंगी। स्कूलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर की संख्या बढ़ाने हेतु एक कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

3303. श्री सनत कुमार मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत चयनित स्थानों की राज्य-वार, स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन विद्यालयों को गैर-सरकारी संगठनों के जरिए भी स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा,

हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत संबंधित राज्यों द्वारा चिन्हित शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में 750 आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने हैं। योजना के तहत प्रतिष्ठित एवं विश्वसनीय गैर-सरकारी संगठनों एवं मुनाफा न कमाने वाली अन्य संस्थाओं को ऐसे स्कूल शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रमों में बदलाव

3304. **श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आगामी अकादमिक सत्र से बदलाव के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर अध्यापकों तथा छात्रों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) पाठ्यक्रमों में क्या संभावित बदलाव किये जाएंगे तथा इसका विद्यार्थियों तथा रोजगार के भावी अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या नए बदले हुए पाठ्यक्रमों के अनुसार विद्यमान अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एम.एस.सी., वनस्पति शास्त्र, बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र और बी.ए. तथा बी.एस.सी. कार्यक्रमों में कई पाठ्यक्रमों को पुन: तैयार/संशोधित किया गया है जिन्हें शैक्षिक सत्र 2005-2006 से लागू किया जाएगा।

(ख) चूंकि लम्बे समय के बाद इन पाठ्यक्रमों में फेरबदल करके संशोधित किया गया है, अत: शिक्षकों तथा विद्यार्थियों ने इन संशोधित पाठ्यक्रमों का बढ़-चढ़कर स्वागत किया है।

(ग) पुन: तैयार किए गए तथा संशोधित इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों का कैरियर उन्नयन तथा विकास करना; उनमें सामाजिक जागरूकता सृजित करना और विवेक शक्ति, भाषायी कौशल तथा कुछ कार्यक्षेत्रों में उचित ज्ञान रूपी बुनियादी बौद्धिक साधन संपन्नता हासिल करने हेतु उन्हें सक्षम बनाना है।

(घ) और (ङ) सभी विभाग विश्वविद्यालय के व्यावसायिक विकास तथा उच्चतर शिक्षा केन्द्र के माध्यम से शिक्षकों के लिए सभी प्रासंगिक विषयों में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करते रहे हैं।

पुलिस थानों में महिला डेस्क

3305. **श्रीमती करूणा शुक्ला : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में कितने प्रतिशत महिलाओं की पुलिस बल में भर्ती की गई;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए पुलिस थानों पर महिला डेस्क की स्थापना करने सहित कार्यवाही की अनुशंसाएं की हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, देश में महिलाओं के प्रति सूचित अपराधों की घटनाओं की संख्या वर्ष 2000, 2001 और 2002 में क्रमश: 141373, 143795 और 147678 थी।

(ख) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 01.01.2003 की स्थिति के अनुसार राज्य पुलिस की नफरी, महिला पुलिस की नफरी और महिला पुलिस की प्रतिशतता का राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी हां, महोदया।

(घ) 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय है। तथापि, भारत सरकार समय-समय पर, राज्य सरकारों को पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिस प्रकोष्ठ और जहां आवश्यक हो, अनन्य महिला पुलिस स्टेशनों, की स्थापना करने सहित महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराध की रोकथाम यथावश्यक उपाय करने की सलाह देती रही है।

विवरण

01.01.2003 की स्थिति के अनुसार पुलिस बल में महिलाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राज्य पुलिस की कुल नफरी (सिविल+ सशस्त्र)	महिला पुलिस की कुल नफरी	पुलिस की कुल नफरी में महिला पुलिस की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	86094	1412	1.64
2.	अरूणाचल प्रदेश	5719	65	1.14
3.	असम	54372	332	0.61
4.	बिहार	86801	893	1.03
5.	छत्तीसगढ़	22843	175	0.77
6.	गोवा	4472	235	5.25
7.	गुजरात	63488	2311	3.64
8.	हरियाणा	44113	510	1.16
9.	हिमाचल प्रदेश	14039	151	1.08
10.	जम्मू-कश्मीर	60332	1486	2.46
11.	झारखंड	33581	10	0.03.
12.	कर्नाटक	67163	1592	2.37
13.	केरल	52775	2168	4.11
14.	मध्य प्रदेश	71358	1018	1.43
15.	महाराष्ट्र	150176	3507	2.34
16.	मणिपुर	14760	255	1.73
17.	मेघालय	13290	44	0.33
18.	मिजोरम	7981	153	1.92
19.	नागालैंड	19194	264	1.38
20.	उड़ीसा	38180	342	0.90
21.	पंजाब	69094	2210	3.20
22.	राजस्थान	70528	720	1.02
23.	सिक्किम	3439	116	3.37
24.	तमिलनाडु	94583	7369	7.79
25.	त्रिपुरा	19592	215	1.10
26.	उत्तरांचल	156031	1907	1.22
27.	उत्तर प्रदेश	12451	200	1.61
28.	पश्चिम बंगाल	64837	803	1.24
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	2900	16	0.55
30.	चंडीगढ़	4628	35	0.76
31.	दादरा और नागर हवेली	213	21	9.86
32.	दमन और दीव	244	12	4.92
33.	संघ शासित दिल्ली	57203	1852	3.24
34.	लक्षद्वीप	349	8	2.29
30.	पांडिचेरी	1953	74	3.79
	अखिल भारत	1468776	32481	2.21

स्रोत: '01.01.2003 की स्थिति के अनुसार भारत में पुलिस संगठनों पर आंकड़े।'

भारतीय दंड संहिता की धारा 498क का दुरुपयोग

3306. श्री चंद्रशेखर साहु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दहेज की मांग के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 498क का वधू/उसके माता-पिता द्वारा बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी समिति ने सरकार को उपर्युक्त धारा के दुरुपयोग के मद्देनजर इसमें परिवर्तन करने या इसे समाप्त करने की अनुशंसा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे मामले में शिकायत प्राप्त होने पर मामला दर्ज करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों/मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2004 के दौरन आज तक दिल्ली में विशेषकर मंगोलपुरी पुलिस थाना में उक्त धारा के तहत दर्ज किये गए मामलों की पुलिस थाना-वार संख्या कितनी है; और

(च) प्रभावित व्यक्ति के लिए उपबंध/उपाय क्या हैं तथा झूठी शिकायत तथा गलत आरोप लगाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) अपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार संबंधी मलिमथ समिति और भारत के विधि आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के उपबंधों की समीक्षा की है। मलिमथ समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों तथा विधि आयोग द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 पर अपनी 154वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य सभा में 22 अगस्त, 2003 को प्रस्तुत दाण्डिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 में आई पी सी की धारा 498-क के तहत किसी अपराध को समाधेय अपराध बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) धारा 498-क के तहत मामला दर्ज करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड/दिशानिर्देश भी वही हैं जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में यथा निर्धारित किसी अन्य संज्ञेय अपराध के तहत मामला दर्ज करने के लिए होते हैं।

(ङ) एक विवरण संलग्न है। इस अवधि के दौरान मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन में 17 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। सामान्यतया आई पी सी की धारा 498-क के तहत शिकायत, आई पी सी की धारा 406 के साथ दर्ज की जाती है।

(च) आई पी सी की धारा 182 और 211 में गलत शिकायत करने और अपराध का झूठा आरोप लगाने के लिए दंड का प्रावधान है। इसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 358 में आधारहीन गिरफ्तारियों के मामलों से निपटने की व्यवस्था है।

विवरण

वर्ष 2004 (30.11.2004 तक) के दौरान आई पी सी की धारा 406/498-क सहित आई पी सी की धारा 498-क के तहत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा (पुलिस स्टेशन वार)

क्रम सं.	पुलिस स्टेशन का नाम	सूचित किए गए	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	मुक्त किए गए	दोषी पाए गए	विचारण के लिए लंबित	जांच-पड़ताल के लिए लंबित	पता न लगाए गए	गिरफ्तार किए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	पूर्वी जिला											
1.	कल्याण पुरी	15	0	15	9	5	0	0	5	10	0	37
2.	न्यू अशोक नगर	12	0	12	5	3	0	0	3	9	0	23
3.	पांडव नगर	10	0	10	6	4	0	0	4	6	0	20
4.	मयूर विहार	14	0	14	8	3	0	0	3	11	0	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	मंडावली	16	1	15	6	1	0	0	1	14	0	23
6.	विवेक विहार	11	0	11	9	5	0	0	4	7	0	39
7.	फरास बाजार	16	0	16	9	3	0	0	3	13	0	32
8.	आनंद विहार	9	0	9	3	2	0	0	2	7	0	12
9.	प्रीत विहार	17	0	17	11	6	0	0	6	11	0	54
10.	शकरपुर	23	0	23	12	6	0	0	6	17	0	89
11.	गांधी नगर	14	0	14	6	1	0	0	1	13	0	28
12.	कृष्णा नगर	27	0	27	18	3	0	0	3	24	0	55
13.	गीता कालोनी	11	0	11	6	4	0	0	4	7	0	34
	कुल	195	1	194	108	46	0	0	45	149	0	468
	नई दिल्ली जिला											
14.	पंडित मार्ग	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	5
15.	मंदिर मार्ग	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
16.	चाणक्य पुरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	तुगलक रोड	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
18.	कनाट प्लेस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	तिलक मार्ग	4	0	4	1	1	0	0	1	3	0	2
	कुल	10	0	10	2	1	0	0	1	9	0	7
	उत्तर पूर्वी जिला											
20.	सीलम पुर	18	0	18	10	4	0	0	4	14	0	25
21.	न्यू उसमानपुर	7	0	7	5	1	0	0	1	6	0	19
22.	भजनपुरा	15	0	15	14	3	0	0	3	11	0	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	गोकलपुरी	21	1	20	14	0	0	0	0	20	0	67
24.	खजूरी खास	12	0	12	12	2	0	0	1	11	0	18
25.	शाहदरा	9	0	9	5	0	0	0	0	9	0	16
26.	वेलकम	8	0	8	5	0	0	0	2	6	0	25
27.	एम.एस. पार्क	11	0	11	7	3	0	0	3	8	0	24
28.	सीमा पुरी	9	0	9	2	0	0	0	0	9	0	10
29.	नन्द नगरी	15	0	15	10	1	0	0	1	14	0	28
30.	दिलशाद गार्डन	4	0	4	3	2	0	0	2	2	0	12
	कुल	129	1	128	87	16	0	0	17	110	0	270
	मध्य जिला											
31.	दरियागंज	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
32.	चा. महल	7	0	7	4	2	1	0	1	5	0	10
33.	जामा मस्जिद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	कमला मार्किट	5	0	5	5	0	0	0	0	5	0	21
35.	हौज काजी	8	0	8	6	2	0	0	2	6	0	38
36.	आई पी स्टेट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	पहाड़गंज	5	0	5	3	1	0	0	1	4	0	12
38.	नबी करीम	5	0	5	5	1	0	0	2	3	0	16
39.	डी बी जी रोड	4	0	4	3	2	0	0	2	2	0	9
40.	करोल बाग	4	0	4	2	3	0	0	3	1	0	13
41.	प्रसाद नगर	3	0	3	1	0	0	0	0	3	0	9
42.	राजेन्द्र नगर	4	0	4	4	4	0	0	4	0	0	5
	कुल	46	0	46	35	16	1	0	16	29	0	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	उत्तरी जिला											
43.	सिविल लाइंस	2	0	2	1	1	0	0	1	1	0	6
44.	तिमारपुर	11	0	11	9	4	0	0	4	7	0	23
45.	रूप नगर	2	0	2	1	0	0	0	0	2	0	5
46.	मौरीस नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	सब्जी मंडी	5	0	5	2	2	0	0	2	3	0	6
48.	गुलाबी बाग	3	0	3	1	1	0	0	1	2	0	8
49.	सराय रोहिल्ला	13	0	13	10	5	0	0	5	8	0	38
50.	सदर बाजार	3	0	1	1	0	0	0	0	3	0	1
51.	बाड़ा हिन्दू राव	3	0	2	2	2	0	0	2	1	0	15
52.	कश्मीरी गेट	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	10
53.	कोतवाली	3	0	3	3	1	0	0	1	2	0	10
54.	लाहौरी गेट	2	0	2	1	1	0	0	1	1	0	7
55.	चांदनी चौक	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	कुल	49	0	45	32	17	0	0	18	31	0	129
	उत्तर-पश्चिम जिला											
56.	अशोक विहार	15	0	15	6	2	0	0	2	13	0	14
57.	केशव पुरम	10	0	10	3	1	0	0	1	9	0	7
58.	सरस्वती विहार	18	1	17	6	0	0	0	0	17	0	12
59.	मॉडल टाउन	8	0	8	7	2	0	0	1	7	0	21
60.	आदर्श नगर	8	0	8	6	0	0	0	0	8	0	20
61.	मुखर्जी नगर	9	2	7	6	2	0	0	2	5	0	27
62.	नरेला इंडस्ट्रियल एरिया	10	0	10	9	2	0	0	2	8	0	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63.	अलीपुर	4	0	4	2	0	0	0	0	4	0	11
64.	समयपुर बादली	13	0	13	7	3	0	0	3	10	0	23
65.	बवाना	10	0	10	8	3	0	0	3	7	0	19
66.	जहांगीरपुरी	17	0	17	9	2	0	0	2	15	0	29
67.	शालीमार बाग	22	0	22	9	0	0	0	0	22	0	19
68.	रोहिणी	32	0	32	15	5	0	0	3	29	0	36
69.	प्रशांत विहार	19	0	19	8	2	0	0	2	17	0	30
70.	सुल्तानपुरी	26	0	26	23	1	0	0	1	25	0	58
71.	मंगोलपुरी	17	1	16	11	0	0	0	0	16	0	29
72.	कंझावला	5	0	5	4	2	0	0	1	4	0	13
	कुल	243	4	239	139	27	0	0	23	216	0	399
	दक्षिण जिला											
73.	हौज खास	4	0	4	1	0	0	0	0	4	0	4
74.	मालवीय नगर	22	1	21	12	2	0	0	2	19	0	37
75.	महरौली	13	1	12	8	0	0	0	0	12	0	38
76.	डिफेंस कालोनी	10	0	10	6	6	0	0	6	4	0	25
77.	लोधी कालोनी	5	0	5	1	1	0	0	1	4	0	1
78.	कोटला मुबारकपुर	7	0	7	1	0	0	0	0	7	0	7
79.	लाजपतनगर	8	1	7	2	1	0	0	1	6	0	4
80.	श्रीनिवासपुरी	8	0	8	7	2	0	0	0	0	0	9
81.	हजरत निजामुद्दीन	5	0	5	2	0	0	0	0	5	0	7
82.	न्यू फ्रेंडस कालोनी	11	0	11	4	1	0	0	1	10	0	9
83.	ग्रेटर कैलाश	4	0	4	3	2	0	0	2	2	0	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84.	चितरंजन पार्क	5	0	5	2	0	0	0	0	5	0	4
85.	अम्बेडकर नगर	14	0	14	13	3	0	0	3	14	0	36
86.	संगम विहार	2	0	2	2	2	0	0	2	0	0	6
87.	कालकाजी	2	0	2	2	1	0	0	1	1	0	4
98.	बदरपुर	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
89.	ओखला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	सरिता विहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	121	3	118	67	21	0	0	19	94	8	198
	दक्षिण-पश्चिम जिला											
91.	वसंत विहार	2	0	2	1	1	0	0	1	1	0	3
92.	आर.के. पुरम	14	0	14	7	2	0	0	2	12	0	22
93.	सरोजनी नगर	12	0	12	8	0	0	0	0	12	0	21
94.	दिल्ली कैंट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.	वसंत कुंज	7	0	7	3	0	0	0	0	7	0	12
96.	नारायणा	3	0	3	3	2	0	0	2	1	0	8
97.	मायापुरी	2	0	2	2	0	0	0	0	2	0	4
98.	इन्द्रपुरी	3	0	3	2	1	0	0	1	2	0	10
99.	नजफगढ़	21	0	21	12	4	0	0	4	17	0	29
100.	कापसहेड़ा	8	0	8	5	2	0	0	2	6	0	29
101.	डाबरी	26	0	26	17	5	0	0	5	21	0	52
102.	जफरपुर कलां	7	0	7	7	0	0	0	0	7	0	25
103.	द्वारका	15	0	15	4	0	0	0	0	15	0	12
	कुल	120	0	120	71	17	0	0	17	103	0	227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	पश्चिमी जिला											
104.	पटेल नगर	17	0	17	9	2	0	0	2	15	0	29
105.	आनंद पर्वत	2	0	2	1	1	0	0	1	1	0	4
106.	मोती नगर	8	0	8	4	0	0	0	0	8	0	13
107.	तिलक नगर	24	0	24	8	3	0	0	2	22	0	26
108.	जनकपुरी	10	0	6	6	1	0	0	1	9	0	17
109.	विकासपुरी	10	0	10	5	0	0	0	0	10	0	13
110.	उत्तम नगर	40	0	40	17	4	0	0	4	37	0	41
111.	पंजाबी बाग	7	0	7	3	2	0	0	2	5	0	8
112.	पश्चिम विहार	19	0	9	14	4	0	0	3	16	0	46
113.	नांगलोई	16	0	16	9	2	0	0	2	14	0	38
114.	राजौरी गार्डन	25	0	25	12	2	0	0	2	23	0	30
115.	हरी नगर	16	0	16	4	3	0	0	3	13	0	18
116.	कीर्ति नगर	4	0	4	3	1	0	0	1	3	0	11
	कुल	198	0	184	95	25	0	0	23	176	0	294
	रेलवे											
117.	न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

औषधियों तथा अस्पताल उपकरणों की अधिक कीमत

3307. **श्रीमती मेनका गांधी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई औषधियों तथा अस्पताल उपकरणों को बाजार में अधिक कीमतों पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

1	2	3	4
02.11.04	नेबसराय	82, 83, 84, 85	10-00
03.11.04	डेरा मांडी	157, 158, 188, 193	
04.11.04	आया नगर	703, 704	
06.11.04	छत्तरपुर	97, 110, 133, 134, 136, 139	

[अनुवाद]

औषधि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास

3309. श्री जुएल ओराम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औषधि तथा भेषज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कार्य कौन से विभाग को सौंपा गया है; और

(घ) वर्ष 2004-05 के लिए औषधि तथा भेषज क्षेत्र में कौन सा विशेष अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम बनाया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (घ) फार्मास्युटिकल अनुसंधान एवं विकास समिति की सिफारिशों के आधार पर 150 करोड़ रु. के प्रारंभिक कार्पस के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक फार्मास्युटिकल अनुसंधान एवं विकास सहायता निधि (पी आर डी एस एफ) स्थापित की गई है। पी आर डी एस एफ पर उपार्जित ब्याज का उद्योगों/शैक्षणिक संस्थानों/प्रयोगशालाओं द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास परियोजना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने और देश में आधुनिक सुविधाओं के सृजन के लिए समुपयोजन किया जाएगा। सरकार ने पी आर डी एस एफ के प्रचालन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत औषध विकास संवर्धन बोर्ड का भी गठन किया है। वित्तीय सहायता हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति द्वारा बोर्ड की सहायता की जाती है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

3310. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायक सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायकों को सेवानिवृत्ति लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा ऐसी मनमानी कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) चूंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और सहायिकाएं सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि अवैतनिक कार्यकर्त्रियां हैं, इसलिए उनकी सेवा-निवृत्ति का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, अवैतनिक कार्यकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

[अनुवाद]

आदिवासियों का उत्पीड़न

3311. श्री अनन्त नायक : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में आबकारी विभाग द्वारा आदिवासियों के बढ़ते हुए उत्पीड़न की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में आए उड़ीसा, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के कर्मचारीवृन्दों द्वारा उत्पीड़न के मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों के संबंधित विभागों को केन्द्रीय निदेश जारी कर दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर प्रत्येक राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) ऐसी कोई घटना मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है।

(ग) और (घ) मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों में अनुसरण हेतु उत्पाद-नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करता रहा है। राज्यों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आधारभूत बिंदु हैं:-

(1) जनजातीय क्षेत्रों में मादक पेय के वाणिज्यिक विक्रय पर रोक लगानी चाहिए।

(2) अनुसूचित जनजातियों को अपने घरों में और धार्मिक एवं सामाजिक अनुष्ठानों पर उपभोग हेतु पारंपरिक पेयों का उत्पादन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(3) अनुसूचित जनजातियों को मादक पेयों की लत से निजात दिलाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकारी एवं इस गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों को जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

सभी राज्यों को समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं एवं आग्रह किया गया है कि जनजातीय हितों की रक्षा हेतु इनका अक्षरशः अनुपालन किया जाए।

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड द्वारा केन्द्रीय स्टॉक योजना

3312. श्री बी. विनोद कुमार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने अपने डीलरों को केन्द्रीय स्टॉक योजना उपलब्ध करवायी है/करवा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के तहत डीलरों को उपलब्ध करायी जा रही टन कमीशन की दर क्या है;

(ग) डीलरों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गए है;

(घ) क्या उक्त योजना की यह सुविधा सभी डीलरों को उपलब्ध करवायी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी हां, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड विगत दो वर्षों से अपने डीलरों को केन्द्रीय स्टॉक योजना की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

(ख) डीलरों को ऋण अवधि के एवज में नकद छूट के अलावा प्रति मी.टन 180/- रुपए का वितरण मार्जिन मिलता है। सीएसएस डीलरों को मौसम/वर्ष के दौरान प्रतिबद्ध मात्रा और उठाई गई मात्रा के आधार पर प्रतिबद्धता छूट भी दी जाती है।

(ग) (i) पार्टी एन.एफ.एल. की मौजूदा डीलर होनी चाहिए।

(ii) पार्टी ने सम्मत शर्तों के अनुसार एनएफएल को भुगतान करने में कोई चूक नहीं की हो।

(iii) पार्टी की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का आकलन पार्टी की निजी निधियों और नकद ऋण सीमा के आधार पर किया जाएगा।

(iv) स्पष्ट और विलंगम-रहित भण्डारण सुविधा।

(v) डीलर की ऋण रेटिंग।

(घ) और (ङ) यह सुविधा विद्यमान सभी डीलरों को प्रदान की जाती है बशर्ते कि वे शर्तों को पूरा करते हों।

दिल्ली-भूमि सुधार अधिनियम 1954

3313. श्री रघुनाथ झा : क्या शहरी विकास मंत्री 17.8.2004 के अतारांकित प्रश्न सं. 2865 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचनायें एकत्रित कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र के लिए रूस की सहायता

3314. श्री वाई.जी. महाजन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने विद्युत क्षेत्र में भारत को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रस्ताव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) जी हां। रूस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी हेतु 57 मिलियन अमेरीकी डालर समेत अधिकतम 2.6 बिलियन डालर तक के डालर मूल्य वाले ऋण के संबंध में कुडनकुलम एटोमिक विद्युत परियोजना (1000 मे.वा.) के लिए सहायता प्रदान करने हेतु सहमत हो गया है।

उर्वरक बिक्री केन्द्र

3315. **श्री देविदास पिंगले** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में इफको तथा कृभको के उर्वरक बिक्री केन्द्रों तथा किसान सेवा केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 2004-2005 के दौरान खोले जाने वाले नए बिक्री केन्द्रों की स्थान-वार संख्या कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) इफको अपने उर्वरक उत्पादों को सहकारी समितियों और संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से वितरित करता है। आज की तारीख तक देश में इफको उर्वरक की बिक्री में 37,385 सहकारी समितियां लगी हैं जिनमें महाराष्ट्र राज्य की 1699 समितियां शामिल हैं। इफको अपने उर्वरकों का वितरण देश में अपने 158 किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से भी करता है। महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान में कोई भी किसान सेवा केंद्र कार्यरत नहीं है। इसी प्रकार, कृभको वर्तमान में देश में 62 कृषक भारती सेवा केंद्रों (केबीएसके) के माध्यम से प्रचालन कर रहा है। महाराष्ट्र राज्य में समिति का कोई केबीएस केन्द्र कार्यरत नहीं है। इफको और कृभको के उर्वरक बिक्री केंद्रों तथा किसान सेवा केंद्रों का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) वर्तमान में इफको और कृभको द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान महाराष्ट्र में सहकारी समितियों/संस्थागत एजेंसियों का कोई नया विक्रय केंद्र स्थापित करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण

इफको और कृभको के उर्वरक बिक्री केन्द्रों तथा किसान सेवा केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य	इफको		कृभको
		समितियां	किसान सेवा	(केबीएसके)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1913	—	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	—	—
3.	असम	20	—	—
4.	बिहार	2508	2	—
5.	चंडीगढ़	1	—	—
6.	छत्तीसगढ़	1018	—	—
7.	दिल्ली	24	—	—
8.	गोवा	9	—	—
9.	गुजरात	4362	—	—
10.	हरियाणा	2125	33	13
11.	हिमाचल प्रदेश	742	5	—
12.	जम्मू-कश्मीर	30	—	—
13.	झारखण्ड	394	—	—
14.	कर्नाटक	2015	—	1
15.	केरल	365	—	—
16.	मध्य प्रदेश	3215	6	—
17.	महाराष्ट्र	1699	—	—
18.	मणिपुर	1	—	—
19.	मेघालय	1	—	—

1	2	3	4	5
20.	मिजोरम	6	—	—
21.	उड़ीसा	407	1	—
22.	पाण्डेचेरी	2	—	—
23.	पंजाब	3235	40	11
24.	राजस्थान	3626	1	—
25.	तमिलनाडु	2705	—	—
26.	त्रिपुरा	1	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	5630	61	36
28.	उत्तरांचल	192	3	1
29.	पश्चिम बंगाल	1138	6	—
	कुल	37,385	158	62

अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम विद्यालय

3316. श्री सुरेश चन्देल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम विद्यालय खोलने के बारे में योजना क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक खोले गए ऐसे विद्यालयों की, विशेषकर, हिमाचल प्रदेश में, राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) इन विद्यालयों से लाभान्वित हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना की योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण के अनुकूल वातावरण में आवासीय विद्यालयों जैसी सुविधाओं का विस्तार करना है। राज्यों को इस योजना के अंतर्गत निधियां (50 : 50) मैचिंग आधार पर दी जाती है, जबकि संघ शासित प्रदेशों में शत प्रतिशत सहायता दी जाती है। केंद्रीय सहायता आश्रम स्कूल भवनों, छात्रावासों एवं कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जाती है। भूमि संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में प्राइमरी, सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की शिक्षा शामिल है।

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्कूलों की संख्या	सीटों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	82	9065
2.	असम	2	100
3.	गुजरात	88	10560
4.	हिमाचल प्रदेश	0	0
5.	दमन व दीव	1	50
6.	केरल	22	3590
7.	मध्य प्रदेश	292	8980
8.	मणिपुर	1	30
9.	उड़ीसा	28	1600
10.	राजस्थान	2	200
11.	तमिलनाडु	21	1050
12.	त्रिपुरा	9	1300
13.	उत्तर प्रदेश	10	820
14.	कर्नाटक	19	1775
15.	महाराष्ट्र	183	47950
16.	छत्तीसगढ़	46	2430
17.	उत्तरांचल	10	500

ग्रामीण विद्युतीकरण

3317 श्री मोहन रावले : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कार्य-योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने इस योजना की समीक्षा के लिए इसे संबंधित मंत्रालय को भेजा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) यह कार्य योजना कब तक स्वीकृत हो जाने तथा क्रियान्वित हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय साधारण न्यूनतम कार्यक्रम में की गई परिकल्पना के अनुसार पांच वर्षों में सभी घरों तक विद्युत पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक योजना तैयार की गई है जो अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण विद्युत वितरण आधार और ग्रामीण विद्युतीकरण ढांचे के निर्माण की व्यवस्था करती है। इसमें 16000 करोड़ रु. का व्यय होने की संभावना है और इस उद्देश्य के लिए सरकार की ओर से कैपीटल सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम जो योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होगी, ने अपने अनुमोदन पर योजना के शीघ्र कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए अग्रिम कार्यवाही की है।

अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण निधि

3318. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण निधि बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी वित्तीय संस्थान से योजना के वित्त पोषण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) जी नहीं। वर्ष 2000-01 में प्रारंभ की गई "अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण निधि" नामक योजना अब बंद हो गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा सहकारी समिति पंजीयक के विरुद्ध आरोप

3319. श्री ब्रजेश पाठक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा सहकारी समिति पंजीयक के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं जैसा कि 27 सितम्बर, 2004 के "नवभारत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है/कारवाई की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)/रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटीज (आरसीएस) ने यह सूचित किया है कि सिविल रिट याचिका संख्या 10066/04 योगी राज कृष्णा को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाम डीडीए तथा अन्य में याचिकाकर्ता ने रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटीज (आरसीएस)/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 35 समूह आवास सोसाइटियों को डीडीए से भूमि आबंटन की सिफारिश पर आपत्ति की है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसाइटीज द्वारा भूमि आबंटन के लिए डीडीए को भेजी गई विभिन्न समूह आवास समितियों के

खिलाफ शिकायतों के कारण डीडीए ने रिट याचिका में उल्लिखित 35 सोसाइटियों सहित ऐसी 135 समूह आवास सोसाइटियों की पूरी सूची को (i) सदस्यों तथा पदाधिकारियों, दोनों की सत्यता की दृष्टि से पुनः पुष्टि करने; (ii) यह जांच करने कि किसी भी मामले में वरिष्ठता नजरअंदाज तो नहीं की गई है; और (iii) विशिष्ट आरोप वाले कुछ मामलों की सी.बी.आई. अथवा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसी उपयुक्त एजेंसी के जरिए कराने के मुद्दे पर विचार आदि के लिए रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटीज को वापस भेजने का निर्णय लिया है। यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में सिसिल रिट याचिका संख्या 10066/2004 के तहत न्यायाधीन भी है। को-आपरेटिव क्षेत्र में बिल्डर्स माफिया की दखलंदाजी की रोकथाम करने के लिए दिल्ली सहकारी समिति, 1973 के नियम 77 के अधीन रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटीज ने क्रमशः दिनांक 15.10.2004, 25.10.2004, 9.11.2004 तथा 1.11.2004 को विभिन्न निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। इसने समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की है जिसमें सदस्यों की पुष्टि और इन समितियों में प्रबंध समिति सदस्यों की सत्यता की पहचान तथा परस्पर संबंध की पुष्टि के लिए इन समितियों के सदस्यों तथा प्रबंध समितियों से सूचना आमंत्रित की गई है।

चंडीगढ़ में सरकारी आवास

3320. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में, श्रेणीवार/प्रकार-वार सरकारी आवासों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या अपर्याप्त मरम्मत के कारण इन अधिकांश आवासों की स्थिति बहुत खराब हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इन आवासों की मरम्मत के लिए क्या मानदंड, यदि कोई हैं, निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष श्रेणीवार/प्रकार-वार मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) संबंधित ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

सामान्यतः मकान अच्छी हालत में है।

विवरण

(क) से (घ) सामान्यत पूल रिहायशी आवास का टाइपवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं

क्षेत्र	टाइप-I	टाइप-II	टाइप-III	टाइप-IV	टाइप-V	टाइप-VI
सेक्टर-7	434	576	362	58	8	2
सेक्टर-46	244	498	186	53	34	0
कुल	678	1074	548	111	42	2

रिहायशी आवासों के मरम्मत संबंधी मानदण्ड निम्नलिखित हैं :

क्र. सं.	मद	वर्ष
1.	सफेदी / रंगाई	2 वर्ष
2.	ड्राई डिस्टेंपर लगाना	2 वर्ष
3.	प्लास्टर, पेंट, सिंथेटिक इनैमल पेंट, आयल-बाउंड डिस्टेंपर, एक्रिलिक पेंट, एक्रिलिक डिस्टेंपर से पेंट करना।	3 वर्ष 3 वर्ष
4.	वाटर-प्रूफ सीमेंट पेंट से बाहरी दिवारों को पेंट करना।	3 वर्ष
5.	पानी भंडारण/ वितरण टैंकों, पानी के मीटरों को साफ करना और उनको विसंक्रमित करना	6 महीने

गत तीन वर्षों के दौरान मरम्मत और विशेष मरम्मत पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(लाख रु.)

वर्ष	कुल
2001-2002	61.92
2002-2003	59.62
2003-2004	74.14

लघु वन उत्पादों के लिए स्वामित्व अधिकार

3321. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में आदिवासियों को लघु वन उत्पादों (एमएफवी) विशेषकर तेंदू पत्तों के लिए स्वामित्व अधिकार देने का वचन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कई राज्यों ने तेंदू पत्तों के अलावा लघु वन उत्पादों के लिए स्वामित्व अधिकार देने के लिए नीति बदली है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने तेंदू पत्तों के लिए आदिवासियों को स्वामित्व अधिकार देने में राज्यों को राजी करने के लिए मामला पर्यावरण और वन मंत्रालय के समक्ष उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) तेंदू पत्तों के लिए आदिवासियों को स्वामित्व अधिकार देने से राज्य सरकारों को कुल कितना संभावित घाटा होगा; और

(छ) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने आगे क्या कदम उठाए हैं या उठा रही हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) संयुक्त प्रगतिशील मोर्चे (यूपीए) के 27.05.2004 को घोषित न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार व्यवस्था है :

> "संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा तेंदू पत्ता सहित लघु वन उत्पाद के संबंध में कमजोर वर्गों के उन सभी लोगों को जो वनों में काम करते हैं, स्वामित्व-अधिकार देने के लिए राज्यों को कानून बनाने के लिए कहेगा"।

(ख) से (ङ) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातियों को तेंदू पत्ता सहित लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के संबंध में स्वामित्व अधिकार देने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और राज्य सरकारों दोनों के साथ मामला उठाया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी राज्य सरकारों को वनों में काम कर रहे कमजोर वर्गों के लोगों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व अधिकार देने के लिए एक कानून लाने की सलाह दी है।

वनों और उसके आसपास रहने वाले लोग पहले ही अपने घरेलू खपत हेतु लघु वन उत्पाद (एमएफपी)/गैर-काष्ठ वन उत्पाद (एनटीएफपी) के संग्रहण के संबंध में मुफ्त भोगाधिकार का लाभ उठा रहे हैं। तथापि, लघु वन उत्पाद के संबंध में उनका स्पष्ट स्वामित्व अधिकार नहीं है जोकि राज्य का विषय है। तथापि, राज्य राजस्व में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी सहित लघु वन उत्पादों के संग्रहण एवं व्यापार में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के विभिन्न प्रतिमान इजाद करने की प्रक्रिया में हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों में लघु वन उत्पादों से प्राप्त कुल राजस्व का एक हिस्सा प्रमुख उत्पादों को संग्रहित करने वालों को भी दिया जाता है।

(च) और (छ) यह सूचना केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

असम के जातीय समूहों को आदिवासी दर्जा दिया जाना

3322. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम विधान सभा अध्यक्ष के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने असम के जातीय समूहों को आदिवासी दर्जा दिए जाने हेतु 23 अगस्त, 2004 को या इसके आसपास जनजातीय कार्य मंत्री से मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने विशेष मांग क्या की है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार का निर्णय क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया है कि असम के विभिन्न जातीय समूहों को जनजातीय स्तर प्रदान किया जाए।

(ग) प्रस्ताव पर स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

3323. डा. बाबू राव मिडियम : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में जी.सी.सी. (गिरिजा सहकारी-संघ) द्वारा लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य राज्यों में लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है;

(घ) क्या गिरिराज सहकारी संघ ट्राइफेड के नियंत्रणाधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) आज की तिथि में देश में लघु वन उत्पादों हेतु कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। सभी राज्य अपने यहां के लघु वन उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र हैं।

(घ) और (ङ) जी.सी.सी. (गिरिजन सहकारी निगम), आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का एक स्वतंत्र संगठन है एवं यह ट्राइफेड के अधीन कार्य नहीं करता।

यू.पी.डी.पी.एल. द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को भुगतान में हुए विलंब पर ब्याज

3324. श्री अधीर चौधरी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री 6.7.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 183 उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश ड्रग तथा फार्मास्युटिकल लिमिटेड (यूपीडीपीएल) ने हाल ही में लघु उद्योग इकाइयों को ब्याज का भुगतान नहीं है जैसा कि पुराने बकायों का भुगतान करने और लघु उद्योग इकाइयों से विबाध्यता शपथपत्र प्राप्त करने तथा घोषणा करते समय "इन्टरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट टु स्मॉल स्केल एंड एंसिलियरी इंडस्ट्रीयल अंडरटेकिंग्स एक्ट, 1993" के तहत आवश्यक है;

(ख) क्या यू.पी.डी.पी.एल. के खातों के वार्षिक लेखाजोखों में उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत बकाया ब्याज के भुगतान का अनुपालन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो यू.पी.डी.पी.एल. द्वारा बकाया ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) यू.पी.डी.पी.एल. से वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और यू.पी.डी.पी.एल. से इसकी प्राप्ति होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई.एस.आई. एजेन्टों की गिरफ्तारी

3325. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में गिरफ्तार किए गए आई.एस.आई. एजेन्टों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आई एस आई समर्थित जासूसी एजेन्टों के राज्य-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

क्र. सं.	राज्य	2001	2002	2003	2004 (15.12.2004 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	1	—	2
2.	असम	—	1	—	—
3.	दिल्ली	8	6	3	4
4.	गुजरात	—	2	5	—
5.	हरियाणा	—	6	1	—
6.	हिमाचल प्रदेश	1	—	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	—	1	—	1
8.	मध्य प्रदेश	—	11	—	1
9.	मेघालय	—	1	—	—
10.	पंजाब	4	1	4	1
11.	राजस्थान	13	14	—	5
12.	सिक्किम	—	—	1	—

1	2	3	4	5	6
13.	उत्तर प्रदेश	3	31	4	4
14.	उत्तरांचल	—	—	—	2
15.	पश्चिम बंगाल	2	16	1	7

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निधियां

3326. श्री गिरिधर गमांग : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2000 से 2004 तक संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों को मुहय्या कराई गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी अनुदान राशि जारी की गई है तथा अनुदान मुहय्या कराने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों से निधियों का उपयोग करके अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के कार्य किए गए हैं जैसा कि संविधान के प्रावधानों में अभिकल्पित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (घ) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन राज्य सरकारों को एक विनिर्दिष्ट आधारभूत ढांचे हेतु, जिसका लक्ष्य अनुसूचित जनजाति का कल्याण एवं अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक स्तर को सुदृढ़ करना है, धनराशि निर्मुक्त की जाती है। राज्य सरकारों को अनुदान संपूर्ण देश में जनजातीय जनसंख्या और प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आनुपातिक आधार पर उनकी पात्रता के अनुसार दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु राज्य सरकारों के विशिष्ट प्रस्तावों के अनुसार परियोजनाओं की स्वीकृति दी जाती है।

विवरण

अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत वर्ष 2000-01 से 2003-04 तक की गई निर्मुक्तियां दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	2000-2001 निर्मुक्त धनराशि	2001-2002 निर्मुक्त धनराशि	2002-2003 निर्मुक्त धनराशि	2003-2004 निर्मुक्त धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	460.50	2715.35	2160.30	1785.00
2.	छत्तीसगढ़	1530.62	2086.77	2689.50	2089.00
3.	गुजरात	2250.00	3050.00	2250.00	2280.00
4.	हिमाचल प्रदेश	99.50	78.00	80.00	80.00
5.	झारखंड	1320.00	2208.15	2808.00	2208.00
6.	मध्य प्रदेश	2057.84	4346.06	4052.32	3821.58
7.	महाराष्ट्र	1603.50	2672.50	2925.00	2672.00
8.	उड़ीसा	2957.10	4104.91	3641.60	2830.00
9.	राजस्थान	1700.00	2550.00	2224.48	2070.00
	जोड़	13979.06	23811.74	22831.20	19835.58

गुजरात में केन्द्र सरकार के फ्लैट

3327. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में केन्द्र सरकार के फ्लैटों की स्थानवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को फ्लैट आबंटित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की टाइप-वार संख्या कितनी है जिन्हें आबंटन किए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकारी फ्लैटों के आबंटन हेतु प्रतीक्षारत कर्मचारियों को फ्लैट कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सामान्य पूल रिहायशी वास गुजरात में केवल राजकोट में ही उपलब्ध है। उपलब्ध फ्लैटों का टाइपवार ब्यौरा इस प्रकार है:–

टाइप-I	48
टाइप-II	48
टाइप-III	36
टाइप-IV	8
कुल	140

(ख) ये फ्लैट पात्र कर्मचारियों को आबंटित किए गए हैं।

(ग) जिन कर्मचारियों को सामान्य पूल रिहायशी वास आबंटित किए गए हैं, उनके ब्यौरे इस प्रकार हैं–

टाइप-I	37
टाइप-II	39
टाइप-III	28
टाइप-IV	7
कुल	111

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस समय सामान्य पूल रिहायशी वास के आबंटन हेतु कोई पात्र कर्मचारी इस वास के आबंटन के लिए प्रतीक्षारत नहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों को बंद किया जाना

3328. श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री पंकज चौधरी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मानदंडों का अनुसरण किए बगैर खोले गए/स्थापित केन्द्रीय विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी है अथवा समाप्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1999 से 2004 के दौरान देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में स्थापित कुछ केन्द्रीय विद्यालयों को बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त केन्द्रीय विद्यालयों को उन्हीं स्थानों पर पुनः खोलने/स्थापित करने का है;

(च) यदि हां, तो इन विद्यालयों को कब तक पुनः खोलने/स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में आर.डब्ल्यू.ए. को अनुदान

3329. मो. मुकीम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर.डब्ल्यू.ए. फेडरेशन और अन्य वरिष्ठ अनुभवी नागरिकों के विरोध के बावजूद दिल्ली में रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों को अनुदान मुहैया करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अनुदानों के समुचित उपयोग हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली

विकास प्राधिकरण तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने यह सूचित किया है कि वर्तमान में दिल्ली में रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को अनुदान मुहैया कराने की कोई स्कीम नहीं है। दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 120-बी के अंतर्गत रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को अनुदान देने का एक प्रावधान है, लेकिन इसके लिए कोई मानदंड तय नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

शहरों का विकास

3330. श्री रामदास आठवले : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों को नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के प्रावधान के अंतर्गत विकसित किए गए शहरों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां खर्च की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित निधियों का शहरवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कार्यों का शहरवार तथा हासिल किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) यह मंत्रालय आदिवासी क्षेत्रों, विशेष रूप से निर्धन व्यक्तियों को नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने की कोई योजना नहीं चला रहा।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पशुओं हेतु नकली दवाएं

3331. श्री मुन्शी राम : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक पशुओं हेतु नकली दवाओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नकली दवाओं की कालाबाजारी और उत्पादन रोकने हेतु कोई नीति तैयार करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में औषधि अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इन दवाओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है;

(च) क्या वेट डिक्लोफेनाक नामक पशुओं की दवा को गिद्धों को समाप्ति के कगार पर लाने के लिए दोषी ठहराया गया है;

(छ) क्या सरकार ने इस दवा और गिद्धों पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई अनुसंधान कराया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसके तहत बने नियमों के उपबन्धों के अंतर्गत राज्य सरकारों को उनके औषध नियंत्रक संगठनों के माध्यम से नकली औषधों के प्रचलन पर निगाह रखने के साथ-साथ औषधों की बिक्री और विनिर्माण को विनियमित करना होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय को नकली पशु औषधों के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज औषध और उनपर आधारित सूत्रयोग मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं और उनके मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं।

गैर-सूचीबद्ध सूत्रयोगों की कीमतें विनिर्माताओं द्वारा विभिन्न बातों जैसे उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री खर्च, आर एंड डी खर्च, ट्रेड कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवनिर्माण, उत्पाद गुणवत्ता आदि को ध्यान में रखते हुए स्वयं निर्धारित की जाती हैं। जहां जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता पाया जाता है, वहां सरकार द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(च) से (ज) मृत पशुओं के शरीर में डिक्लोफेनेक अवशेषों की उपस्थिति का देश में गिद्धों की आबादी विलुप्त होने के साथ तथाकथित संबंध के मामले पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय कार्रवाई कर रहा है। पशुओं की दवाओं में डिक्लोफेनेक के लगातार के प्रयोग के मद्देनजर इस मामले पर पशुपालन विभाग भी कार्रवाई कर रहा है।

कैंसर की दवाओं का मूल्य

3332. श्री वी.के. ठुम्मर : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने 6 अगस्त, 2004 को कैंसर की दवा हेतु विशेष विपणन अधिकार (ई.एम.आर.) प्राप्त एक स्विस फर्म मल्टीनेशनल नोवार्टिस ए.जी. द्वारा

व्यापक स्तर पर प्रयोग की जाने वाली कैंसर की एक दवा का अत्यधिक मूल्य निर्धारण किए जाने के विरुद्ध कैंसर पेसेण्ट्स ऐड एसोसिएशन की एक याचिका पर केन्द्र, भारतीय औषधि नियंत्रक तथा पेटेण्ट महानियंत्रक को नोटिस जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो इस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की मूल्य निर्धारण नीति को जाने बगैर इसे विशेष विपणन अधिकार दिए जाने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार जीवन रक्षक दवाओं के लिए विशेष विपणन अधिकार दिए जाने की अपनी नीति की समीक्षा करेगी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत सरकार मुद्रणालय का समुचित प्रबंधन

3333. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत सरकार मुद्रणालय के समुचित प्रबंधन तथा मुद्रणालय के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु नेशनल फेडरेशन ऑफ प्रिंटिंग, स्टेशनरी और प्रकाशन कर्मचारियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस मुद्रणालय के आधुनिकीकरण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने दिनांक 16.8.2002 के अपने निर्णय के तहत 11 भारत सरकार मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण तथा भुवनेश्वर, मैसूर व चंडीगढ़ स्थित 3 पाठ्यपुस्तक मुद्रणालयों, शिमला व गंगतोक स्थित भारत सरकार मुद्रणालयों, भारत सरकार फार्म्स स्टोर, कोलकाता तथा सहायक निदेशक (बाह्यमुद्रण) कार्यालय, कोलकाता को हस्तांतरित/बंद करने का निर्णय पहले ही ले लिया है। बंद/हस्तांतरित करने संबंधी उपर्युक्त निर्णय वर्तमान में सरकार द्वारा समीक्षाधीन है।

भारत सरकार मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण पहले ही शुरू हो गया है। आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित मशीनरी हासिल करने का कार्य चल रहा है। इन मशीनों की संस्थापना के लिए सिविल तथा वैद्युत कार्य पहले से चल रहे हैं और अधिकांश मुद्रणालयों में पूर्ण होने की स्थिति में हैं। आधुनिक गठन की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए श्रेणी ग तथा घ औद्योगिक और गैर औद्योगिक स्टाफ के लिए भर्ती नियमावली संशोधित और अधिसूचित कर दिए गए हैं। पहले, बंद किए जाने के लिए निर्धारित अन्य मुद्रणालयों को बनाए रखने के बारे में सरकार द्वारा अंतिम रूप से निर्णय लिए जाने के पश्चात स्टाफ का पुनर्गठन, उनका प्रशिक्षण और पुनः तैनाती की जाएगी। आधुनिकीकरण की स्कीम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सरकार के प्रस्तावित समीक्षा निर्णय से जुड़ी है।

विवरण

(क) निर्धारित मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण का कार्य पूरा होने तक सभी मौजूदा प्रिंटिंग प्रैसों/यूनिटों को, उनकी 30.9.2002 से पूर्व की यथा स्थिति बनाए रखते हुए, कार्य करने दिया जाए और लैटर प्रैसों के स्टाफ को भर्ती तथा प्रोन्नति नियमावली में एक बार की छूट देकर प्रशिक्षण तथा आमेलन के लिए आधुनिकीकृत मुद्रणालयों में समायोजित किया जाए;

(ख) भारत सरकार फार्म्स स्टोर, कोलकाता में किसी तरह की तब्दीली न की जाए;

(ग) भुवनेश्वर, चंडीगढ़ तथा मैसूर स्थित 3 पाठ्यपुस्तक मुद्रणालयों को चालू रखा जाए। इन मुद्रणालयों को कार्य देते रहने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध किया जाए;

(घ) पूर्ण प्रचालन स्थिति में मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण के पश्चात् कर्मचारियों तथा कामगारों के संबंधित संगठन, मुद्रण, लेखन सामग्री तथा प्रकाशन कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ, नई दिल्ली के विश्वास में लेते हुए पूरी स्थिति की समीक्षा की जाए।

[हिन्दी]

पासपोर्ट हेतु पुलिस सत्यापन

3334. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवेदकों को पासपोर्ट जारी करने हेतु पुलिस जांच की जाती है तथा आवेदन में दिए गए तथ्यों का सत्यापन कार्य पूरा होने तक कोई पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो देश में प्रतिवर्ष हजारों नकली पासपोर्ट जारी किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सत्यापन कार्य में पुलिस की ओर से की जाने वाली चूकों को दूर करने हेतु कोई कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) छूट प्राप्त कुछ वर्गों को छोड़कर पासपोर्ट जारी करने से पहले राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा पुलिस सत्यापन किया जाता है।

(ख) सरकार कोई नकली पासपोर्ट जारी नहीं करती है। कपटपूर्वक या नकली कागजों के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं।

(ग) और (घ) संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन

3335. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री कैलाश जोशी :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के उत्तरी बालाघाट वन डिविजन में जनजातीय बहुल वन ग्रामों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना में संपर्क सड़कों, पुलों-पुलियों, पेयजल की आपूर्ति, कृषि भूमि के उन्नयन, भूमि और जल संरक्षण संबंधी कार्यों तथा चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस योजना में वन ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव शामिल है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इसको इस योजना में शामिल किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त योजना को स्वीकृति तथा विलंब के क्या कारण हैं; और

(छ) उक्त येजना को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (ङ) जी, हां। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जनजातीय बहुल वन्य ग्रामों में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन के लिए इस मंत्रालय को मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में पहुंच मार्गों, पुलों एवं पुलियों का निर्माण, पेयजल की आपूर्ति, कृषि भूमि का उन्नयन, भूमि एवं जल संरक्षण संबंधी कार्य तथा चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। प्रस्ताव में वन्य गावों का विद्युतीकरण भी शामिल है।

(च) और (छ) राज्य सरकार की पात्रता की सीमा में राज्य सरकार से जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत परियोजना के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ सितम्बर, 2004 में आयोजित संयुक्त बैठक में उसे अनुमोदित किया गया। तथापि, संदर्भाधीन प्रस्ताव दिसम्बर, 2004 में अर्थात् राज्य सरकार द्वारा पूर्व में प्रस्तुत परियोजनाओं के अनुमोदित होने के बाद जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्य की पात्रता से अतिरिक्त निधियों के लिए प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

फ्लैटों/भूमि के आवंटन में अनियमितताएं

3336. **श्री निखिल कुमार :**
श्री कैलाश बैठा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनः सत्यापन हेतु वापस भेजी गई आवासीय इकाइयों से संबंधित अनियमितताओं की जांच में सहकारी समितियों पंजीयक को सी.बी.आई. या भ्रष्टाचार की शाखा की सहायता लेने का सुझाव दिया गया है जैसा कि 1 अक्तूबर, 2004 के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राजधानी के भू-माफियों ने डीडीए की मिलीभगत से फ्लैटों के आवंटन में अनियमितताएं पैदा की हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सी.बी.आई./भ्रष्टाचार शाखा से भूमि/फ्लैट आवंटन मामलों की जांच करने हेतु कहा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि भूमि के आवंटन के लिए कापरेटिव सोसाइटियों के रजिस्ट्रार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजी गई विभिन्न ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित के लिए कापरेटिव सोसाइटियों के रजिस्ट्रार को ऐसी 135 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों की समग्र सूची वापिस भेजने का निर्णय लिया है:- (i) सदस्यों के साथ-साथ पदाधिकारियों आदि दोनों की प्रमाणिकता की दृष्टि से पुन: जांच करने (ii) यह जांच करने कि क्या किसी मामले में वरीयता पर ध्यान नहीं दिया गया है और (iii) कुछ मामले प्राप्त करने के मुद्दे पर विचार करने जहां विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं, सीबीआई अथवा भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो जैसी उपयुक्त एजेंसी के माध्यम से जांच करायी गई है। यह मामला सिविल रिट याचिका सं. 10066/2004 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कापरेटिव सोसाइटियों के रजिस्ट्रार ने कापरेटिव क्षेत्र में बिल्डर माफिया के खतरे से बचने के लिए दिल्ली कापरेटिव सोसाइटी नियमावली, 1973 के नियम-77 के अंतर्गत क्रमश: दिनांक 15.10.2004, 25.10.2004, 09.11.2004 और 01.11.2004 को विभिन्न निदेश पहले ही जारी किए हैं। उसने समाचार पत्रों से सार्वजनिक सूचना भी जारी की है, जिसमें सदस्यता की पुन: जांच करने तथा इन सोसाइटियों में प्रबंधन समितियों के सदस्यों की पहचान/प्रमाणिकता और उनके बीच आपसी संबंधों का पता लगाने हेतु इन सोसाइटियों के सदस्यों के साथ-साथ प्रबंधन समितियों से सूचना मांगी गई है।

लोक सभा अध्यक्ष के पति/पत्नी को आजीवन बंगला

3337. डा. एम. जगन्नाथ :
श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या **शहरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद के अधिकारी (कार्यकाल के दौरान मरने वाले लोक सभा अध्यक्ष के पति/पत्नी को पेंशन, आवास, चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2002 के अंतर्गत कार्यकाल के दौरान मरने वाले अध्यक्ष के पति/पत्नी को भारत में कहीं भी आजीवन एक बंगला देने हेतु निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यकाल के दौरान मरने वाले लोक सभा अध्यक्ष के पति/पत्नी को बंगला आवंटित करने हेतु लंबित मामले को स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) तक लोक सभा अध्यक्ष, जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हो गया था उनकी पत्नी को आवास खाली होने के आधार पर कई बार आबंटन किया गया है। तथापि, अभी तक आवास मुहैया करना संभव नहीं हो पाया है।

त्रि-भाषा सूत्र का क्रियान्वयन

3338. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रि-भाषा सूत्र कक्षा 10 तक देश के सभी विद्यालयों, विशेषकर महाराष्ट्र में क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सी.बी.एस.ई. तथा आई.सी.एस.ई. से विद्यार्थी दो भाषाओं से और एक भी भारतीय भाषा पढ़े बिना सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी विद्यालयों में त्रि-भाषा सूत्र समान रूप से अनिवार्य है परन्तु सी.बी.एस.ई. तथा आई.सी.एस.ई. संस्थाओं के छात्र दो भाषाओं के साथ ही एस.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं;

(घ) क्या सी.बी.एस.ई. तथा आई.सी.एस.ई. द्वारा ली जा रही एस.एस.सी. परीक्षाएं राज्य बोर्डों द्वारा ली जा रही एस.एस.सी. परीक्षाओं के समतुल्य हैं और आगे प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जाता है;

(ङ) क्या राज्य बोर्ड से एस.एस.सी. परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त भाषा पढ़नी आवश्यक है;

(च) क्या विभिन्न सरकारों ने केन्द्र सरकार से देश में समान त्रि-भाषा सूत्र के क्रियान्वयन के लिए अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) भारतीय विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध सभी स्कूलों ने त्रि-भाषा सूत्र पहले ही कार्यान्वित कर लिया है जिसमें हिन्दी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल है, हिन्दी भाषी राज्यों में दक्षिणी भाषाओं में से किसी एक को तथा हिन्दीतर भाषी राज्यों में प्रादेशिक भाषा, हिन्दी तथा अंग्रेजी को वरीयता दी जाती है।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा अनुशंसित त्रि-भाषा सूत्र को संसद ने अनुमोदित किया था। चूंकि यह एक नीतिगत निर्णय है, स्कूल पाठ्यचर्या में इस सूत्र को कार्यान्वित करना केन्द्र सरकार और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दायित्व है। त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के मामले में केन्द्र सरकार की भूमिका अनुशंसात्मक है। इस सूत्र के कार्यान्वयन का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है।

(घ) जी, हां।

(ङ) त्रि-भाषा सूत्र अपर प्राइमरी स्तर पर लागू होता है और यह माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा X तक जारी रहता है। इसके लिए हिन्दी, अंग्रेजी, तथा एक आधुनिक भारतीय भाषा, वरीयत: हिन्दी भाषी राज्यों में दक्षिणी भाषाओं में से एक और हिन्दीतर भाषी राज्यों में प्रदेशिक भाषाओं में से किसी एक हिन्दी तथा अंग्रेजी का अध्ययन अपेक्षित होता हैं त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित करने का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

दवाओं का मूल्य

3339. श्री कीर्ति वर्धन सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दवा निर्माताओं को दवाओं की निर्माण लागत का ब्यौरा प्रदर्शित करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दवा निर्माताओं पर अंकुश लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात राज्य मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी नहीं,

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज औषध और उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं, तथापि, जहां सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता पाया जाता हैं, वहां सरकार द्वारा उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. द्वारा जन संपर्क एजेंसी की नियुक्ति

3340. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी छवि सुधारने हेतु एक जन संपर्क एजेंसी नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किराए पर ली गयी जन संपर्क एजेंसी की अपने कार्यकाल के प्रथम तीन महीनों में डी.डी.ए. की छवि सुधारने के संबंध में उपलब्धियां क्या हैं तथा इस अविधि हेतु उक्त एजेंसी द्वारा कितनी धनराशि वसूली गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि उन्होंने अपने व्यावसायिक परामर्शदाता के रूप से कार्य करने के लिए एक जनसंपर्क एजेंसी नियुक्त की है। यह एजेंसी दिल्ली विकास प्राधिकरण को उनकी सार्वजनिक छवि सुधारने एवं संबंधित कार्यकलापों के लिए आंतरिक एवं बाह्य संचार व्यवस्था से संबंधित प्रणाली विकसित करने हेतु सलाह/ सहायता देती है।

एजेंसी द्वारा किये गये कार्य की दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। एजेंसी को अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

दामोदर घाटी परियोजनाओं में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को रोजगार

3341. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चन्द्रपुरा, बोकारो ताप विद्युत स्टेशन तथा छह बांध अर्थात् दामोदर घाटी निगम के तिलैया और माइथन बांध झारखंड में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान दामोदर घाटी निगम में अन्य पदों के अलावा श्रेणी III और IV में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नाम पर सैकड़ों लोगों की भर्ती की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त भर्ती में झारखंड को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है और यहां तक कि 10 प्रतिशत झारखंड के लोगों की भी भर्ती नहीं की गयी है तथा 90 प्रतिशत से अधिक पश्चिम बंगाल के लोगों की भर्ती की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) झारखंड राज्य में दो ताप विद्युत केन्द्र है, जिसमें एक चंद्रपुरा में तथा दूसरा बोकारो में स्थित है तथा केवल चार बांध हैं, जो तिलैया, कोनार, मायथन और पंचेट में स्थित है।

(ख) से (ङ) विभिन्न पदों हेतु भर्ती करते समय दामोदर कार्पोरेशन (डीवीसी) अनु. जाति/अनु. जनजाति के संबंध में भारत सरकार की विभिन्न आरक्षण नीतियों का पालन करता है। वर्ष 2002-2004 की अवधि के दौरान डीवीसी में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप सी और डी) में कुल मिलाकर 280 लोगों की भर्ती की गई है। भर्ती किए गए लोगों का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	संख्या
2002	4
2003	192
2004	84

उपर्युक्त में से 226 लोगों की भर्ती ग्रुप "सी" में तथा 54 लोगों की भर्ती ग्रुप "डी" में की गई है। भर्ती किए गए 280 लोगों में से 147 लोग पश्चिम बंगाल के, 78 झारखंड के, 46 बिहार के तथा 9 अन्य राज्यों के हैं। वर्ष 2003-04 में डीवीसी ने अनु. जाति/अनु. जनजाति समूह में खाली पदों को भरने के लिए अखिल भारतीय आधार पर ग्रुप "सी" में जूनियर ऑपरेटर (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) के पद की भर्ती हेतु एक खुली प्रतियोगिता आयोजित की। यह भर्ती एक बाहरी एजेंसी द्वारा कराई गई। भर्ती किए गए 280 लोगों में से 177 लोग अनु. जाति/अनु. जनजाति के हैं।

दिल्ली में काले शीशे वाले वाहन

3342. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 2-3 वर्षों में दिल्ली में विभिन्न अपराध काले शीशे वाले वाहनों में किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस द्वारा काले शीशे वाले वाहनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक ऐसे कुल कितने वाहनों का चालान किया गया है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार दिल्ली की सड़कों पर काले शीशे वाले कितने वाहन चल रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा शेष वाहनों से काले शीशे हटाने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा केवल एक ऐसा मामला दर्ज किया गया है जिसमें काले शीशे लगे वाहन में अपराध किया गया था।

(ख) ऐसे वाहन मालिकों/चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के तहत दंडनीय केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 100(2) के उपबंधों के तहत मुकदमा चलाया जाता है जो अपने वाहनों में काले शीशों का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं।

(ग) वर्ष 2001, 2002, 2003 और 30 नवम्बर, 2004 तक के दौरान काले शीशे का इस्तेमाल करने के लिए जिन वाहनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया गया, उनकी कुल संख्या नीचे दर्शाई गई है :-

वाहनों की श्रेणी	वर्ष			
	2001	2002	2003	2004 (30 नवम्बर तक
टैक्सी	307	20	59	132
कार/जीप	33812	32369	31688	16209
अन्य	1	0	26	0
कुल	34,120	32,389	31,773	16,641

(घ) काले शीशों का इस्तेमाल करने वाले वाहनों की सही-सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ङ) वाहनों से काले शीशे हटाने के लिए की गई कार्रवाई में, काले शीशे लगे वाहनों के मालिकों/चालकों पर मुकदमा चलाना; उन्हें कानूनी प्रावधानों का पालन करने की सलाह देना तथा उन्हें इस संबंध में प्रेस और इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से शिक्षित करना शामिल है।

रसायनों का उत्पादन/खपत

3343. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में रसायनों की कितनी मांग/उत्पादन और खपत है;

(ख) क्या रसायनों की खपत उत्पादन की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रसायनों की खपत बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अप्रैल-सितम्बर, 2004 तक पेट्रोरसायन एवं फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को छोड़कर प्रमुख रसायनों का उत्पादन एवं खपत निम्नानुसार है:—

(आंकड़े मी. टन में)

वर्ष	उत्पादन*	खपत*
2001-02	593276	6428845
2002-03	6612626	6902138
2003-04	7061742	7514139
2004-05 (अप्रैल-सितम्बर)	3592576	(उपलब्ध नहीं)

*इसमें केवल मध्यम एवं बड़े एकक शामिल हैं और लघु उद्योग तथा असंगठित क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय महिलाओं हेतु कार्यक्रम

3344. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री परसुराम माझी :
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय महिलाओं के लिए क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में उन अनुसूचित जिलों की पहचान की है जहां जनजातियों के बीच महिला साक्षरता अत्यंत न्यून है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन राज्यों में ऐसे अनुसूचित जिलों में महिला साक्षरता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने धनराशि आबंटन को अंतिम रूप दे दिया है और चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की शिक्षा के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की शिक्षा के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक कितनी उपलब्धि हासिल की गई है;

(ज) अब तक राज्यवार कितनी जनजातीय लड़कियां लाभान्वित हुई है; और

(झ) गुजरात से ऐसे कितने संस्थान और गैर-सरकारी संगठन हैं जिनको उक्त अवधि के दौरान अनुदान प्रदान किया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (झ) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनजातियों का विस्थापन

3345. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम के बाक्साइट खनन क्षेत्रों द्वारा विस्थापित भूमिहीन निर्धन जनजातीय लोगों की सहायता हेतु पर्याप्त उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ताकि आदिवासी अपने इलाकों में अपने अधिकारों से वंचित न रहें?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचनानुसार विशाखापत्तनम में बैक्साइट पट्ट पर लेने की व्यवस्था नहीं है, परिणामस्वरूप जनजातियों का विस्थापन नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनः स्थापना हेतु एक राष्ट्रीय नीति परिचालित की गई है, जो कि जनजातियों सहित विस्थापित लोगों के लिए न्यूनतम लाभ सुनिश्चित करती है।

अनिवार्य विद्युत लेखापरीक्षा

3346. श्री अप्पलराव पाटील शिवाजीराव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में विद्युत लेखापरीक्षा को अनिवार्य बनाने के संबंध में केंद्र सरकार की घोषित नीति का क्रियान्वयन किया है;

(ख) क्या राज्य अनिवार्य विद्युत लेखापरीक्षा के संबंध में धीमी प्रगति कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन विद्युत लेखा-परीक्षाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ङ) 03 मार्च 2001 को मुख्य मंत्रियों/ राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान पारित प्रस्ताव के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि सभी 11 के.वी. फीडरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा छः माह के भीतर प्रभावी हो जानी चाहिए। राज्यों को सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से सलाह प्रदान की गई है। एक निश्चित अवधि के लिए राज्यों के साथ करार ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गये थे जिसके अनुसार वे सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखांकन/ लेखा परीक्षा आरम्भ करेंगे। 20 राज्यों ने ऊर्जा लेखांकन/ लेखा परीक्षा आरम्भ कर दी है।

महिला/बाल कल्याण योजनाओं हेतु गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्ताव

3347. श्री जी. करूणाकर रेड्डी :
श्री कृष्णा मुरारी मोघे :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में महिला एवं बाल कल्याण के लिए कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक राज्यवार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है;

(ग) शेष प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने में हुए विलंब के राज्यवार क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में आज

तक प्राप्त और अनुमोदित का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह ब्यौरा विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में भी उपलब्ध है।

(ग) और (घ) प्रस्तावों का निपटान करने में होने वाले विलम्ब के कारण इस प्रकार हैं :

(i) गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना न मिलना।

(ii) अधूरे प्रस्तावों को राज्य सरकारों को लौटा दिया जाता है।

(iii) कार्यविधिक अपेक्षा के अनुसार, चूंकि इसमें राज्य सरकार और तकनीकी विभाग शामिल होता है; इसलिए प्रस्तावों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(iv) जिन प्रस्तावों पर पिछले वर्ष विचार नहीं किया जा सका होता, उन पर अगले वर्ष विचार किया जाता है।

(v) धनराशि की कमी।

(vi) स्कीमों के मानकों में संशोधन।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज तक प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

स्कीम का नाम : कामकाजी महिला होस्टल

क्र. सं.	राज्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	–	(1)	1	(1)	2	1	2 (1)	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	1	–	4	(2)	1 (2)	6	10 (3)	(1)
4.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	1	–
5.	हरियाणा	2	1	–	–	1	1	–	–
6.	जम्मू व कश्मीर	1	–	2	–	–	–	–	–
7.	कर्नाटक	(1)	(1)	1 (1)	(1)	3 (4)	2	3	(2)
8.	केरल	2 (2)	1 (8)	3 (3)	1 (8)	4 (1)	3 (10)	(2)	(9)
9.	मध्य प्रदेश	2	–	3 (18)	–	(2)	(4)	2	1(1)
10.	महाराष्ट्र	–	–	6	–	12	1	–	–
11.	मणिपुर	–	–	–	(2)	(4)	(6)	14 (25)	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	मेघालय	1	–	--	–	–	–	–	–
13.	मिजोरम	–	–	2	1	–	–	–	–
14.	नागालैंड	–	–	–	–	1	–	29	–
15.	उड़ीसा	–	(1)	–	–	(2)	(1)	1	(1)
16.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	राजस्थान	1	–	3	–	–	–	–	–
18.	तमिलनाडु	3 (7)	(11)	4 (2)	(7)	10 (4)	3(10)	5(5)	(6)
19.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	1	–
20.	उत्तर प्रदेश	2	1	1	–	–	–	2	1
21.	पश्चिम बंगाल	(12)	(12)	(2)	(10)	1 (5)	(13)	3(3)	1(7)
22.	अण्डमान व निकोबार	–	–	–	–	–	–	(1)	–
23.	चण्डीगढ़	1	1	–	–	–	–	–	–
24.	पांडिचेरी	1	–	1	–	–	–	–	–
	कुल	17 (22)	4 (33)	30 (27)	2 (31)	35 (24)	10 (50)	73 (4)	3 (27)

स्कीम का नाम : स्वावलम्बन

क्र. सं.	राज्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	231(66)	189(31)	190	190	6	2	84	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	(13)	(8)	–	–	–	–	(23)	–
3.	असम	9(35)	6(18)	3(111)	3(8)	(99)	–	4(113)	(2)
4.	बिहार	(68)	(56)	27(17)	–	–	–	13	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	(8)		26(1)	6	6	2	5	—
6.	गोवा	(3)	(1)	—	—	—	—	—	—
7.	गुजरात	9(40)	1 (20)	103(25)	92	16	4	82	3
8.	हरियाणा	31(37)	10(14)	18(25)	2	28	17	44	12
9.	हिमाचल प्रदेश	14(26)	2(21)	(14)	—	4	—	13	1
10.	जम्मू व कश्मीर	137(24)	50(9)	22(23)	2	79	18	—	—
11.	झारखंड	—	—	(5)	—	—	—	—	—
12.	कर्नाटक	22 (53)	5(32)	6(11)	2	25	9	228	6
13.	केरल	10(46)	1(18)	(43)	—	30	14	102	2
14.	मध्य प्रदेश	79(115)	22(57)	181(80)	40	10	1	28	1
15.	महाराष्ट्र	118(72)	26(31)	57(41)	12	84	24	45	12
16.	मणिपुर	75	4	80(32)	34	95	21	327	6
17.	मेघालय	18	10	(1)	—	(9)	(1)	(1)	(2)
18.	मिजोरम	(47)	(4)	(38)	—	—	—	(49)	(1)
19.	नागालैंड	12(64)	6(60)	(51)	—	(1)	—	(98)	—
20.	उड़ीसा	40(38)	18(28)	107(24)	24	16	9	45	27
21.	पंजाब	5(33)	2(23)	6(36)	—	(17)	(6)	(44)	—
22.	राजस्थान	24(63)	7(20)	(47)	—	46	3	111	—
23.	सिक्किम	(4)	(1)	(3)	—	—	—	(4)	—
24.	तमिलनाडु	9(54)	6(36)	26(37)	9	62	12	60	—
25.	त्रिपुरा	(27)	(21)	(5)				(8)	—
26.	उत्तर प्रदेश	519(164)	163(48)	375(125)	54	208	66	7	—
27.	उत्तरांचल	13	2	26(17)	1(1)	3(35)	2(4)	(62)	(7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	पश्चिम बंगाल	26(57)	15(26)	87(43)	66	26	13	289	12
29.	अण्डमान व निकाबार	(13)	(5)	(7)	—	—	—	—	—
30.	चण्डीगढ़	4(11)	1(6)	2(7)	—	4	—	4	—
31.	रा. रा. क्षेत्र दिल्ली	7(30)	3(18)	5(27)	3	2	2	12	5
32.	पांडिचेरी	(13)	(4)	(11)	—	—	—	—	—
	कुल	1394 (1224)	539 (573)	1347 (686)	540 (19)	750 (161)	215 (11)	1503 (402)	87 (12)

स्कीम का नाम : प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता

क्र. सं.	राज्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3	2	2		10		5	
2.	अरूणाचल प्रदेश	39		3		8		12	
3.	असम	7	2	16	3	33	2	6	
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	1	1	1	1	5	—	—	—
6.	गोवा	—	—	—	—	—	—	1	—
7.	गुजरात	—	—	3		3		34	—
8.	हरियाणा	—	—	1		2	—	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	3	—	4	—	14	—
10.	जम्मू वं कश्मीर	1	1	2	—	1	—	—	—
11.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	कर्नाटक	2	2	2	1	5	2	35	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	केरल	—	—	3	1	4	—	32	1
14.	मध्य प्रदेश	5	—	2	—	2	—	8	—
15.	महाराष्ट्र	16	1	7	—	3	3	2	—
16.	मणिपुर	10	2	8	—	25	1	43	—
17.	मेघालय	1	1	—	—	—	—	—	—
18.	मिजोरम	—	—	1	—	7	—	—	—
19.	नागालैंड	3	3	8	1	13	2	76	—
20.	उड़ीसा	—	2	7	3	2	—	5	—
21.	पंजाब	—	—	3	2	2	—	—	—
22.	राजस्थान	—	—	2	2	10	1	33	—
23.	सिक्किम	1	1	1	—	1	—	—	—
24.	तमिलनाडु	1	1	4	—	—	—	2	—
25.	त्रिपुरा	1	1	7	—	4	—	2	—
26.	उत्तर प्रदेश	8	5	10	3	3	—	2	—
27.	उत्तरांचल	2	1	3	1	5	—	5	—
28.	पश्चिम बंगाल	2	2	1	1	5	—	21	—
	कुल	110	30	100	20	157	11	336	1

स्कीम का नाम : अल्पावास गृह

क्र. सं.	राज्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	—	3	15	1	24	1	35	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	4	2	14	1	4	1	30	—
4.	बिहार	27	13	47	9	—	—	—	—
5.	गुजरात	3	—	—	—	—	—	5	—
6.	हरियाणा	2	—	—	1	3	—	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	4	—	1	1	—	—	—	—
8.	जम्मू व कश्मीर	—	—	2	—	2	—	2	—
9.	कर्नाटक	8	4	3	—	13	3	17	3
10.	केरल	2	—	—	—	—	—	—	—
11.	मध्य प्रदेश	8	6	18	6	15	5	—	—
12.	महाराष्ट्र	14	6	17	2	26	5	1	1
13.	मणिपुर	13	—	1	—	3	—	19	2
14.	मेघालय	1	—	—	—	—	—	—	—
15.	मिजोरम	1	—	1	1	2	—	2	—
16.	नागालैंड	3	—	2	1	1	—	8	—
17.	उड़ीसा	31	5	5	1	4	—	10	2
18.	पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	राजस्थान	4	6	4	—	12	—	22	1
20.	सिक्किम	1	—	—	—	—	—	—	—
21.	तमिलनाडु	4	1	22	12	27	11	1	—
22.	त्रिपुरा	1	—	1	—	1	—	—	—
23.	उत्तर प्रदेश	41	32	62	5	4	—	3	1
24.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	पश्चिम बंगाल	5	2	3	—	7	5	—	10
26.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	1	—	—	—
27.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	3	—	2	—	—	—	—	—
28.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	2	—
	कुल	224	80	220	41	149	32	167	16

स्कीम का नाम : शिशुगृह

क्र. सं.	राज्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	8	5	11	—	32	—	27	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	2	—	—	—
3.	असम	8	—	16	—	15	—	5	—
4.	बिहार	5	2	—	—	2	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	9	—	—	—
6.	गुजरात	3	2	1	—	2	—	2	—
7.	हरियाणा	6	1	4	—	8	—	16	—
8.	हिमाचल प्रदेश	3	—	—	—	1	—	—	—
9.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	1	—
10.	कर्नाटक	2	2	—	—	11	—	4	—
11.	केरल	1	—	—	—	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	8	2	1	—	4	—	1	—
13.	महाराष्ट्र	13	—	7	—	9	—	3	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मणिपुर	2	—	—	—	2	—	15	—
15.	नागालैंड	2	—	—	—	—	—	—	—
16.	उड़ीसा	4	1	—	—	2	—	—	—
17.	राजस्थान	4	—	—	—	—	—	—	—
18.	तमिलनाडु	22	7	4	—	25	—	7	—
19.	त्रिपुरा	1	—	—	—	3	—	—	—
20.	उत्तर प्रदेश	18	3	3	—	12	—	—	—
21.	उत्तरांचल	4	2	1	—		—	2	—
22.	पश्चिम बंगाल	20	9	8	—	30	—	8	—
23.	चण्डीगढ़	1	—	—	—	2	—	—	—
24.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	2	—	—	—	3	—	5	—
	कुल	137	36	56	—	174	—	66	—

स्कीम में संशोधन के कारण पिछले दो वर्षों में नये प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया।

स्कीम का नाम : स्वाधार

क्र. सं.	राज्य का नाम	2001-02*		2002-03		2003-04		2004-05	
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	3	1	4	—	4	1
2.	असम	—	—	12	—	3	—	12	—
3.	बिहार	—	—	—	—	1	—	1	—
4.	छत्तीसगढ़	—	—	1	—	3	—	5	—
5.	गुजरात	—	—	6	4	—	—	5	—

स्कीम का नाम : महिलाओं तथा बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण हेतु अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रायोगिक परियोजना

क्र. सं.	राज्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
1.	आंध्र प्रदेश			3	2		1		
2.	असम							6	0
3.	गोवा			1					
4.	हरियाणा			1	1	1	1		
5.	कर्नाटक			1	1				
6.	महाराष्ट्र			11	1	7		1	2
7.	मणिपुर					1			
8.	तमिलनाडु			1	1				
9.	पश्चिम बंगाल			1	1				
10.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	1	1	1	1				
11.	पांडिचेरी			1	1				
	कुल	1	1	21	9	9	2	7	2

केन्द्रीय समाज कल्याण द्वारा वित्त पोषित स्कीमें

स्कीम का नाम : स्वाधार स्कीम

क्र. सं.	राज्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश							5	
2.	बिहार	1	1	2	3	5	4	4	3
3.	चण्डीगढ़							1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	छत्तीसगढ़							1	
5.	दिल्ली	2	2	3	2	4	4	1	2
6.	हिमाचल प्रदेश							1	
7.	जम्मू							1	
8.	कर्नाटक					1	1		
9.	मध्य प्रदेश	2	—	3	1	4	4	2	2
10.	महाराष्ट्र	2	2	2	2	3	3	3	3
11.	मणिपुर					1			
12.	मिज़ोरम					1		1	1
13.	नागालैंड					1			
14.	उड़ीसा					1	1	2	1
15.	राजस्थान					1			
16.	उत्तर प्रदेश	2	2	2	2	3	3	4	2
17.	पश्चिम बंगाल					1	1	4	1
	कुल	9	7	12	10	26	21	30	15

स्कीम का नाम : जागरूकता विकास कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरूणाचल प्रदेश			7	2				
2.	असम	14	10	14	11	24	20	7	
3.	बिहार	28	18	30	20	24	23	10	1
4.	छत्तीसगढ़			6	6	32	30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	दिल्ली	7	3	11	10	17	11		
6.	गोवा	1	1						
7.	गुजरात	23	13	23	21	30	27	22	
8.	हरियाणा			5	2	6	5	13	
9.	हिमाचल प्रदेश	19	11	8	2				
10.	जम्मू व कश्मीर	7	1					5	
11.	कर्नाटक	20	1	14	10	11	7	1	
12.	केरल	18	15	22	21	33	25	7	
13.	मध्य प्रदेश	99	89	180	163	88	78	24	7
14.	महाराष्ट्र	19	9	20	19	50	45	38	10
15.	मणिपुर			16	6	13	10	6	
16.	मेघालय							8	2
17.	मिजोरम	1	1	2		5	3		
18.	नागालैण्ड	5	1	3		3	3	6	
19.	उड़ीसा	19	9			30	24	19	9
20.	पंजाब	8	6	7	2	18	8		
21.	राजस्थान	24	14	6	1	19	18	4	
22.	तमिलनाडु			7	6	33	32	4	2
23.	उत्तर प्रदेश	22	12	48	46	36	31	54	
24.	उत्तरांचल							5	
25.	पश्चिम बंगाल	9	1	12	2	41	37	49	
26.	अण्डमान व निकोबार							3	
27.	पॉण्डिचेरी							11	
	कुल	343	215	441	350	513	437	296	32

स्कीम का नाम : महिलाओं हेतु शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम

क्र. सं.	राज्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	लम्बित*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	19	14		15	20	15	10	
2.	अरूणाचल प्रदेश	7	6	19		13	8	15	8
3.	असम	31	12	47		75	18	25	25
4.	बिहार	20	29	17	2	53	67	51	32**
5.	छत्तीसगढ़					23	17	7	
6.	दिल्ली	7	28	1	2	3	7	5	
7.	गोवा	2	1			2	2	1	
8.	गुजरात	2	4	1	1	18	8	19	13
9.	हरियाणा	4	3			8	6	11	5
10.	हिमाचल प्रदेश	3	3	5	1	9	6	5	3
11.	जम्मू व कश्मीर	8	7					4	1
12.	झारखण्ड							11	11
13.	कर्नाटक	58	10	58	10	48	15	23	15
14.	केरल	24	12	15	16	20	13	37	15
15.	मध्य प्रदेश	112	66	128	47	68	35	33	13
16.	महाराष्ट्र	14	8	6	5	22	24	32	12
17.	मणिपुर	23		23		17	7	1	
18.	मेघालय	9	10			40	7	50	42
19.	मिजोरम	11	8	3	2	27	12	26	16
20.	नागालैण्ड	2				9	5	11	6
21.	उड़ीसा	6	5			19	16	3	3
22.	पंजाब	8	7	2		7	7	12	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	राजस्थान	17	14	5	1	11	18	12	6
24.	सिक्किम	4	1	2		3	3	4	1
25.	तमिलनाडु	25	20	12	8	15	15	29	14
26.	त्रिपुरा	5	5	7		8	7	3	1
27.	उत्तर प्रदेश	129	92	91	15	37	35	76	60
28.	उत्तरांचल							4	3
29.	पश्चिम बंगाल	38	12	37	11	24	13	26	14
30.	अण्डमान व निकोबार			1		1	1	2	
31.	चण्डीगढ़	1	1	1		3	3	3	2
32.	लक्षद्वीप	1	1	2		2	2		
33.	पाण्डिचेरी	3	2	1	1	3		5	5
	कुल	593	481	484	137	608	392	546	336

*ये प्रस्ताव राज्य बोर्डों से सूचना न मिलने के कारण लंबित हैं अथवा स्कीम के लिए आबंटन चालू वर्ष के दौरान पूरा किया गया है।

**झारखंड सहित।

स्कीम का नाम : परिवार परामर्श केन्द्र

क्र. सं.	राज्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	लम्बित*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	5	1	33	3	2	18		1
2.	अरूणाचल प्रदेश			2	2				
3.	असम	11	6	10	1	2	4	1	
4.	बिहार	37	18	5	10	23	17		2
5.	छत्तीसगढ़						1	5	
6.	दिल्ली	3	3	2	1			5	1
7.	गोवा			1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	गुजरात	5	1	8	5	8	9	8	
9.	हरियाणा	2	2	3	2	6	3	3	
10.	हिमाचल प्रदेश	3	2	3	1		3	4	
11.	जम्मू व कश्मीर					9	4	1	
12.	कर्नाटक	18	4	6	9	27	12	10	
13.	केरल	6	1	2	1	5	1	3	
14.	मध्य प्रदेश	16	14	50	13		16	1	
15.	महाराष्ट्र	10	10	13	5	22	11	7	1
16.	मणिपुर			4	1	11	5		
17.	मेघालय	3				1		7	
18.	मिजोरम			4				4	
19.	नागालैण्ड	1	1	2	1	1		2	2
20.	उड़ीसा	6	5		1	19	15	7	1
21.	पंजाब	3	2	4	2		1	1	2
22.	राजस्थान	2	3	9	8	18	9	7	1
23.	सिक्किम				1				
24.	तमिलनाडु	9	7	6	3	11	9	10	
25.	त्रिपुरा	2	1	3	1		2	3	
26.	उत्तर प्रदेश	7	4	16	10	24	13	11	2
27.	उत्तरांचल					3	3		
28.	पश्चिम बंगाल	4	3	12	2	7	5	4	
29.	अण्डमान व निकोबार					2		3	
30.	चण्डीगढ़	1	1			1	1		
31.	लक्षद्वीप	1		1					
32.	पाण्डिचेरी					1			
	कुल	155	89	199	83	206	163	107	13

*ये प्रस्ताव राज्य बोर्डों से सूचना न मिलने के कारण लंबित हैं अथवा स्कीम के लिए आवंटन चालू वर्ष के दौरान पूरा किया गया है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा धन का दुर्विनियोजन

3348. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 से एनटीपीसी प्रबंधन ने भविष्य निधि मद में करोड़ों रुपयों का दुर्विनियोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या एनटीपीसी प्रबंधन 500 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत इकाई के संचालन को आरंभ करने में विलंब कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

एनटीपीसी कहलगांव विद्युत परियोजना

3349. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनटीपीसी की 860 मेगावाट क्षमता वाली कहलगांव परियोजना के दूसरे चरण का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो दूसरे चरण के कार्य को कौन सी कंपनियां पूरा कर रही हैं और इनके द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है और उनको दिए गए टेंडर में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ग) दूसरे चरण के कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां। 1500 मे.वा. की कहलगांव परियोजना चरण-II क्रियान्वयन सूची के अनुसार प्रगति पर है। कहलगांव परियोजना चरण-II में चरण-I तथा चरण-II शामिल है। चरण-I में प्रत्येक 500 मे.वा. की दो यूनिटें शामिल है तथा चरण-II में 500 मे.वा. की एक यूनिट शामिल है।

(ख) कहलगांव चरण-I के प्रथम फेज के लिए मुख्य संयंत्र पैकेज में स्टीम जनरेटर पैकेज तथा टरबाइन जनरेटर पैकेज शामिल है। ये दोनों पैकेज क्रमशः 856.18 करोड़ रु. और 557.77 करोड़ रु. की कुल अनुबंध कीमत पर भेल को दिए गए हैं।

कहलगांव चरण-II के दूसरे चरण के लिए मुख्य संयंत्र पैकेज में इ.एस.पी. पैकेज के साथ स्टीम जनरेटर और स्टीम टरबाइन जनरेटर पैकेज शामिल है। ये दोनों पैकेज क्रमशः 463.73 करोड़ रु. और 284.42 करोड़ रु. की कुल अनुबंध कीमत पर भेल को दिये गये हैं।

(ग) दूसरा चरण पूर्ण होने की क्रियान्वयन सूची निम्नानुसार है—

कहलगांव चरण-II	यूनिट	क्रियान्वयन सूची
फेस-I (2 x 500 मे.वा.)	यूनिट-5	नवम्बर, 2006
	यूनिट-6	मई, 2007
फेस-II (1 x 500 मे.वा.)	यूनिट-7	मार्च, 2007

[अनुवाद]

एम.ए.पी.एल. में अनियमितताएं

3350. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफ डी ए) एवं कुछ अन्य एजेंसियों ने भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, महाराष्ट्र एंटिबायोटिक एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड (एम ए पी एल) में अनेकों अनियमितताएं पाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने कथित अनियमितताओं की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), 1995 के प्रावधानों के उल्लंघन करने के लिए एम ए पी एल के कार्मिकों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु खाद्य और औषध प्रशासन (एफडीए), महाराष्ट्र से एक सन्दर्भ प्राप्त हुआ है।

(ग) से (ङ) जी, हां। एक प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है और उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के विरुद्ध स्थगन प्राप्त कर लिया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

3351. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मध्य प्रदेश के कितने विद्यालयों से सम्बद्धता दिए जाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने आवेदनों पर सरकार/बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है; और

(ग) शेष अनुरोधों पर कब तक विचार किया जाएगा और इनको कब तक सम्बद्धता दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित विद्यालयों से सम्बद्धन हेतु बोर्ड को 152 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 71 विद्यालयों को सम्बद्धन प्रदान किया गया, 46 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया और शेष 35 आवेदनों पर विभिन्न स्तरों पर जांच चल रही है।

(ग) विभिन्न औपचारिकताओं का अनुपालन करने के बाद ही इन आवेदनों पर कोई निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या-दर

3352. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून 2004 और अगस्त 2004 में सर्व शिक्षा अभियान पर कार्य कर रहे संगठन द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण और योजना आयोग को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में यह दर्शाया गया है कि देश में 18% छात्राएं 14 वर्ष की आयु तक बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं और विद्यालय जाने वाले औसतन 25% बच्चे उस आयु तक श्रुतिलेख वाक्य नहीं लिख सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है और सांख्यिकीय रिपोर्ट में अन्य किन बातों का उल्लेख किया गया है;

(ग) सरकार ने सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कितना विचार किया है; और

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को हासिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पर कार्य कर रहे एक संगठन ने जून-अगस्त, 2004 में उक्त संगठन द्वारा "अधिगम निष्कर्षों के शीघ्र आकलन" (रेपिड एसेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स) के बारे में किए गए एक नमूना सर्वेक्षण के संबंध में उसे एक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया था। इस सर्वेक्षण में 17 राज्यों और लगभग 13,500 बच्चों को शामिल किया गया। इस सर्वेक्षण के परिणाम प्रारंभिक विश्लेषणों पर आधारित थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्शाया गया था कि 11-14 वर्ष के आयु-वर्ग में 8% बालक तथा 18% बालिकाएं स्कूल नहीं जाते और सरकारी स्कूलों में 11-14 वर्ष के आयु-वर्ग के 25% बच्चे तथा गैर सरकारी स्कूलों में 14% बच्चे एक श्रुतलिखित वाक्य लिखने में असमर्थ थे। योजना आयोग को इस संगठन की पूर्ण रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान नामक एक व्यापक कार्यक्रम के तहत राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है।

इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा विवरण में दर्शाया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अतिरिक्त सरकारी, स्थानीय निकायों तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों और शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केंद्रों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है। आशा है कि इससे प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

विवरण

वे महत्वपूर्ण कार्य जिनके लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है

- नये प्राथमिक स्कूल खोलना/वैकल्पिक स्कूली शिक्षा संबंधी सुविधा प्रदान करना ताकि उसे प्रत्येक बस्ती के एक कि.मी. की दूरी के अंदर प्रदान किया जा सके।
- आवश्यकतानुसार नये उच्च प्राथमिक स्कूल खोलना।
- शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति।
- भवन रहित स्कूलों के लिए भवनों और अपर्याप्त आवास वाले स्कूलों के लिए अतिरिक्त अध्ययन कक्षों का निर्माण।
- स्कूलों में शौचालयों तथा पेयजल की व्यवस्था।
- 500/- रु. प्रति शिक्षक प्रति वर्ष की दर से शिक्षण-अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए शिक्षकों को वार्षिक अनुदान का प्रावधान।
- (i) भवनों के रख-रखाव, तथा (ii) उपस्कर के प्रतिस्थापन के लिए क्रमशः 5000/- रु. तथा 2000/- रु. प्रति वर्ष की दर से स्कूलों को वार्षिक अनुदानों का प्रावधान।
- प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक वर्ष 20 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण।
- शिक्षकों को सतत् शैक्षिक सहयोग प्रदान करने के लिए ब्लॉक तथा कलस्टर स्तर पर संसाधन केंद्रों की स्थापना।
- बालिकाओं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति।
- स्कूल न जाने वाले बच्चों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों तथा बालिकाओं के लिए कार्यक्रम।
- वंचित बस्तियों में शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक स्कूलों, सेतु पाठ्यक्रमों, उपचारी पाठ्यक्रमों तथा स्कूल में वापसी शिविरों (बैक टु स्कूल कैम्प्स) की स्थापना। इसमें स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा (इन्क्लुसिव एजुकेशन) के लिए प्रति विकलांग बालक प्रति वर्ष 1200 रु. की दर से विशेष प्रावधान।

अपराध दर

3353. श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002 और 2003 के दौरान देश में अपराध दर का अपराध-वार राष्ट्रीय औसत कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के अनुसार राज्यों में अपराध-वार और राज्य-वार अद्यतन अपराध दर कितनी है; और

(ग) देश में अपराध-नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2002 और 2003 के लिए देश में औसत अपराध दर, अपराध-वार और राज्य-वार का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न हैं। वर्ष 2003 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

(ग) संविधान के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और अपराध का पता लगाने, दर्ज करने, जांच-पड़ताल करने और अभियोजन के साथ-साथ रोकथाम करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। गृह मंत्रालय, तथापि, समय-समय पर, राज्य सरकारों को दांडिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने पर तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचारों का निवारण सुनिश्चित करने पर और ज्यादा ध्यान केन्द्रित करने की सलाह देता रहा है।

विवरण

वर्ष 2002 के दौरान विभिन्न भारतीय दंड संहिता संबंधी संज्ञेय अपराधों की दर

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	हत्या का प्रयास	हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण कुल	अपहरण और व्यपहरण महिलाओं और लड़कियों का	अपहरण और व्यपहरण अन्य का	डकैती	डकैती के लिए तैयारी करना	लूटपाट	सेंधमारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3.3	2.1	0.2	1.3	1.7	1.1	0.6	0.3	0.0	0.8	9.9
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.5	3.4	0.5	3.4	5.1	3.4	1.7	2.0	0.0	8.6	22.3
3.	असम	4.6	1.8	0.2	3.6	5.9	4.7	1.2	1.7	0.1	2.2	9.2
4.	बिहार	4.4	4.1	0.5	1.2	2.8	0.9	1.9	1.5	0.2	2.7	3.7
5.	छत्तीसगढ़	4.0	2.1	0.1	4.7	0.8	0.7	0.1	0.7	0.0	1.5	17.5
6.	गोवा	2.2	1.4	0.3	0.9	0.6	0.4	0.3	0.4	0.0	1.7	27.1
7.	गुजरात	3.0	1.5	0.0	0.5	2.0	1.6	0.4	1.6	0.0	2.1	10.3
8.	हरियाणा	3.5	2.3	0.4	1.7	2.0	1.3	0.6	0.3	0.7	1.5	14.1
9.	हिमाचल प्रदेश	2.0	1.4	0.1	2.2	2.2	1.9	0.4	0.0	0.0	0.3	11.5
10.	जम्मू-कश्मीर	10.0	11.9	0.3	1.8	6.5	5.7	0.7	0.4	0.0	1.6	12.7
11.	झारखंड	5.4	4.1	0.4	2.9	1.7	0.6	1.1	2.1	0.2	2.8	5.2
12.	कर्नाटक	3.0	2.9	0.1	0.5	1.2	0.6	0.6	0.3	0.1	1.8	12.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	केरल	1.4	1.7	0.7	1.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.0	1.9	14.3
14.	मध्य प्रदेश	3.9	4.6	0.3	4.7	1.6	1.0	0.5	0.2	0.2	2.9	21.5
15.	महाराष्ट्र	2.8	1.5	0.1	1.4	1.0	0.7	0.3	0.6	0.3	2.2	14.6
16.	मणिपुर	6.8	6.5	0.1	0.6	6.4	3.4	3.1	0.1	0.3	0.2	1.8
17.	मेघालय	7.1	2.5	0.1	1.6	2.2	0.4	1.8	2.7	0.1	4.6	6.5
18.	मिजोरम	3.2	2.9	0.5	8.4	0.8	0.2	0.5	0.5	0.0	0.8	49.0
19.	नागालैंड	4.9	1.7	0.2	0.8	1.3	0.2	1.1	1.0	0.0	5.4	6.3
20.	उड़ीसा	2.9	3.7	0.2	1.9	1.4	1.2	0.2	0.7	0.1	2.5	7.7
21.	पंजाब	3.0	2.9	0.3	1.2	2.2	1.4	0.8	0.2	0.3	0.4	7.8
22.	राजस्थान	2.2	3.5	0.1	1.8	4.5	3.5	1.0	0.1	0.1	1.3	11.5
23.	सिक्किम	2.4	0.9	0.4	1.1	1.6	0.4	1.3	0.0	0.0	0.9	11.9
24.	तमिलनाडु	2.7	3.4	0.1	0.8	1.6	1.1	0.5	0.3	0.0	1.0	8.8
25.	त्रिपुरा	6.2	1.2	0.0	3.3	3.9	1.5	2.5	0.9	0.0	1.7	5.9
26.	उत्तर प्रदेश	4.0	3.7	0.7	0.8	2.0	1.3	0.7	0.3	0.0	1.7	3.6
27.	उत्तरांचल	3.4	2.9	0.5	1.0	2.3	1.8	0.5	0.4	0.1	2.0	6.4
28.	पश्चिम बंगाल	1.8	0.5	0.7	0.9	1.0	0.8	0.2	0.2	0.8	0.7	0.4
	कुल (राज्य)	3.4	2.9	0.3	1.5	2.0	1.3	0.7	0.6	0.2	1.8	9.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.7	0.8	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.0	1.9	13.4
30.	चंडीगढ़	3.3	3.8	0.8	1.9	5.8	5.0	0.8	0.1	0.1	2.8	36.1
31.	दादरा और नागर हवेली	4.8	0.9	0.0	1.8	3.9	2.2	1.8	1.3	0.0	0.4	16.7
32.	दमन और दीव	4.9	1.8	0.0	0.0	1.8	1.2	0.6	1.2	0.0	0.6	34.1
33.	दिल्ली	3.7	3.1	0.5	2.8	9.2	6.2	3.0	0.3	0.5	3.5	16.4
34.	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5
35.	पांडिचेरी	2.9	4.3	0.2	0.6	1.0	0.6	0.4	0.2	0.0	0.6	13.0
	कुल संघ शासित क्षेत्र)	3.7	3.1	0.5	2.5	8.2	5.6	2.6	0.3	0.4	3.2	17.4
	कुल (अखिल भारत)	3.4	2.9	0.3	1.6	2.1	1.4	0.7	0.6	0.2	1.8	9.2

वर्ष 2002 के दौरान विभिन्न भारतीय दंड संहिता संबंधी संज्ञेय अपराधों की दर (समाप्त)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चोरी	दंगे	आपराधिक न्यास भंग	धोखा-धड़ी	जालसाजी	आगजनी	चोट पहुंचाना	दहेज संबंधी मृत्यु	छेड़छाड़	यौन उत्पीड़न	यातना	लड़कियों का आयात	लापरवाही के कारण मृत्यु	अन्य भारतीय दंड संहिता संबंधी अपराध	भारतीय दंड संहिता के तहत कुल संज्ञेय अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	25.0	2.8	1.4	8.8	0.2	1.3	51.8	0.6	4.9	2.6	9.1	0.0	11.3	47.3	186.7
2.	अरूणाचल प्रदेश	35.4	1.9	2.1	2.6	0.4	1.8	36.0	0.0	6.1	0.2	1.2	0.0	0.0	61.3	199.8
3.	असम	20.4	11.1	2.0	2.6	0.2	1.6	17.5	0.3	3.6	0.0	6.2	0.0	7.2	31.5	133.4
4.	बिहार	11.9	10.2	1.4	2.1	0.1	0.7	10.3	1.1	0.7	0.0	1.9	0.0	2.9	46.0	110.4
5.	छत्तीसगढ़	20.2	3.8	0.5	1.8	0.1	1.1	21.0	0.4	7.0	0.7	3.1	0.0	4.5	82.5	178.1
6.	गोवा	35.7	5.7	1.9	5.6	0.2	1.8	17.0	0.1	1.3	0.4	0.6	0.0	14.6	56.2	175.8
7.	गुजरात	30.4	7.1	2.7	2.8	0.1	3.7	26.1	0.1	1.4	0.2	6.4	0.0	6.3	97.7	206.0
8.	हरियाणा	27.5	3.2	2.7	4.3	0.1	0.9	20.9	1.2	2.1	6.6	7.2	0.0	4.4	77.9	185.5
9.	हिमाचल प्रदेश	9.1	10.5	1.2	2.2	0.0	2.3	23.9	0.1	5.3	0.2	3.8	0.0	7.8	112.0	198.2
10.	जम्मू-कश्मीर	19.3	9.5	0.9	3.7	0.2	3.7	3.5	0.2	7.5	3.5	0.5	0.0	3.6	89.9	191.3
11.	झारखंड	15.9	8.3	1.2	1.6	0.0	0.6	8.3	1.0	1.5	0.0	2.1	0.1	1.5	47.1	114.1
12.	कर्नाटक	25.7	12.7	0.9	5.1	0.3	0.8	42.5	0.4	3.1	0.2	3.4	0.0	0.3	94.1	211.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.	केरल	17.8	25.1	1.1	9.1	0.4	1.4	59.0	0.1	6.6	0.3	8.8	0.0	0.1	170.7	322.9
14.	मध्य प्रदेश	33.4	5.1	0.8	2.0	0.1	1.7	48.3	1.1	11.5	1.3	5.0	0.0	5.9	152.9	309.0
15.	महाराष्ट्र	38.1	6.4	1.5	4.2	0.2	1.3	29.6	0.3	2.7	0.8	5.4	0.0	9.5	43.1	167.4
16.	मणिपुर	10.4	2.6	1.1	2.9	0.5	2.0	15.5	0.0	2.4	0.0	0.4	0.0	1.0	44.0	105.8
17.	मेघालय	16.6	0.4	0.4	1.4	0.3	1.0	3.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	17.8	70.6
18.	मिजोरम	109.8	0.1	2.9	9.3	1.8	3.0	12.3	0.0	8.0	0.0	0.3	0.0	1.4	94.9	309.9
19.	नागालैंड	12.6	0.2	0.5	1.0	0.1	0.3	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	14.3	54.4
20.	उड़ीसा	14.1	4.3	0.7	2.1	0.0	1.1	13.2	0.7	4.3	0.5	3.1	0.0	7.2	55.6	127.8
21.	पंजाब	12.0	0.0	1.5	11.0	0.2	0.3	18.0	0.7	1.4	0.6	3.8	0.0	9.3	39.2	116.2
22.	राजस्थान	28.1	12.3	1.6	12.5	0.1	1.9	45.6	0.7	4.7	0.1	9.8	0.0	8.0	109.7	260.2
23.	सिक्किम	11.6	2.7	0.5	8.7	0.0	0.4	9.0	0.0	3.1	0.0	0.5	0.0	1.2	30.7	87.7
24.	तमिलनाडु	29.8	6.8	0.5	3.2	0.2	1.4	40.0	0.4	3.0	2.7	1.7	0.0	16.1	140.9	265.2
25.	त्रिपुरा	8.3	5.5	0.4	0.6	0.2	1.2	16.2	0.5	3.9	0.0	7.3	0.0	1.4	26.1	94.7
26.	उत्तर प्रदेश	13.1	2.9	1.6	2.9	0.1	0.4	8.2	1.1	1.3	1.1	3.3	0.0	4.3	28.4	85.5
27.	उत्तरांचल	15.7	3.9	1.7	3.6	0.1	0.5	8.8	0.8	1.7	1.1	3.6	0.0	5.1	26.5	91.9
28.	पश्चिम बंगाल	15.2	3.0	0.6	1.6	0.1	0.1	3.8	0.3	1.2	0.0	5.0	0.0	3.3	30.8	72.2
	कुल (राज्य)	23.1	6.6	1.3	4.3	0.1	1.1	25.3	0.6	3.2	1.0	4.7	0.0	6.1	68.3	166.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13.4	3.0	1.1	3.0	0.0	0.5	26.6	0.0	4.7	0.8	1.1	0.0	0.0	89.9	166.6
30.	चंडीगढ़	176.7	8.4	3.8	19.4	0.5	0.5	11.5	0.1	3.9	3.0	6.0	0.0	0.8	119.2	408.4
31.	दादरा और नागर हवेली	32.9	2.2	5.3	4.4	0.0	0.9	12.7	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	62.3	153.1
32.	दमन और दीव	34.1	9.8	3.0	6.1	0.0	1.2	11.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	47.6	159.1
33.	दिल्ली	115.6	1.0	3.1	14.6	0.3	0.4	12.9	0.9	3.1	0.9	0.9	0.0	2.9	145.1	341.6
34.	लक्षद्वीप	19.4	29.0	0.0	0.0	0.0	3.2	8.1	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	85.5
35.	पांडिचेरी	53.1	19.5	1.1	3.1	0.3	2.2	110.3	0.5	6.0	2.6	0.9	0.0	19.2	206.1	447.7
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	110.9	2.7	3.0	13.7	0.3	0.5	18.7	0.8	3.3	1.1	1.2	0.0	3.6	143.5	342.5
	कुल (अखिल भारत)	23.6	6.6	1.3	4.4	0.1	1.1	25.2	0.6	3.2	1.0	4.7	0.0	6.1	69.5	169.5

स्रोत : भारत में अपराध

वर्ष 2003 के दौरान विभिन्न भारतीय दंड संहिता संबंधी संज्ञेय अपराधों की दर

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	हत्या का प्रयास	हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण			डकैती	डकैती के लिए तैयारी करना	लूटपाट	सेंधमारी
						कुल	महिलाओं और लड़कियों का	अन्य का				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3.4	2.2	0.2	1.2	1.9	1.2	0.7	0.2	0.0	0.8	11.6
2.	अरूणाचल प्रदेश	6.8	1.8	0.3	2.7	6.0	4.5	1.5	3.3	0.0	5.3	22.4
3.	असम	4.3	1.7	0.2	3.9	5.9	4.9	1.0	1.7	0.1	1.9	9.4
4.	बिहार	4.3	4.1	0.3	1.1	2.8	0.8	2.0	1.4	0.1	2.8	3.4
5.	छत्तीसगढ़	3.6	2.4	0.2	4.1	0.8	0.7	0.1	0.6	0.1	1.5	16.7
6.	गोवा	2.4	1.8	0.4	2.2	1.0	0.9	0.1	0.4	0.0	1.5	18.0
7.	गुजरात	2.1	0.9	0.1	0.4	2.0	1.6	0.4	0.6	0.0	2.4	11.1
8.	हरियाणा	3.2	2.0	0.3	1.6	1.8	1.2	0.5	0.3	0.9	1.3	13.5
9.	हिमाचल प्रदेश	2.0	1.2	0.1	2.0	1.8	1.5	0.3	0.1	0.0	0.3	11.3
10.	जम्मू-कश्मीर	8.7	11.3	0.3	2.0	6.6	5.7	0.9	0.2	0.0	1.4	14.2
11.	झारखंड	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
12.	कर्नाटक	2.8	2.3	0.1	0.6	1.0	0.4	0.5	0.4	0.1	1.6	11.1
13.	केरल	1.3	1.4	1.1	1.2	0.6	0.3	0.3	0.4	0.1	1.9	13.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	मध्य प्रदेश	3.5	3.8	0.3	4.3	1.4	1.0	0.4	0.2	0.2	2.5	20.3
15.	महाराष्ट्र	2.8	1.4	0.1	1.3	0.9	0.6	0.3	0.5	0.2	2.1	13.8
16.	मणिपुर	6.1	8.0	0.2	0.7	4.8	2.9	2.0	0.1	0.0	0.2	2.7
17.	मेघालय	7.3	2.5	0.7	1.7	2.1	0.4	1.6	3.5	0.0	5.6	6.7
18.	मिजोरम	5.0	3.9	0.3	5.9	0.9	0.2	0.7	0.5	0.0	2.3	52.8
19.	नागालैंड	4.4	1.6	0.4	0.7	1.8	0.1	1.7	0.9	0.0	4.4	4.6
20.	उड़ीसा	2.8	3.2	0.5	1.9	1.3	1.0	0.3	0.5	0.1	2.3	7.8
21.	पंजाब	2.9	2.6	0.4	1.5	1.8	1.2	0.7	0.1	0.5	0.4	8.3
22.	राजस्थान	2.1	3.3	0.1	1.8	3.8	2.9	0.8	0.1	0.1	1.1	10.2
23.	सिक्किम	2.5	1.2	0.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5	8.6
24.	तमिलनाडु	2.5	2.9	0.0	0.9	1.4	1.0	0.4	0.1	0.1	0.8	7.6
25.	त्रिपुरा	7.7	2.6	0.0	3.5	4.4	0.9	3.6	1.1	0.0	2.1	5.1
26.	उत्तर प्रदेश	3.0	2.2	0.9	0.5	1.3	0.9	0.4	0.2	0.1	1.1	2.3
27.	उत्तरांचल	3.0	2.7	0.4	1.2	1.9	1.5	0.4	0.3	0.0	1.8	6.3
28.	पश्चिम बंगाल	1.7	0.5	0.6	1.2	1.1	1.0	0.1	0.3	1.1	0.7	0.4
	कुल (राज्य)	2.9	2.3	0.4	1.4	1.7	1.2	0.6	0.4	0.2	1.5	8.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.6	1.1	0.3	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	1.9	15.0
30.	चंडीगढ़	2.2	1.6	0.2	1.9	3.4	2.9	0.4	0.3	0.1	1.3	21.4
31.	दादरा और नागर हवेली	4.7	2.1	0.0	0.4	3.0	1.7	1.3	1.7	0.0	2.6	17.6
32.	दमन और दीव	3.6	1.8	0.0	3.0	0.6	0.6	0.0	2.4	0.0	0.6	24.4
33.	दिल्ली	3.3	2.7	0.4	3.3	7.8	5.4	2.4	0.2	0.7	3.0	12.8
34.	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
35.	पांडिचेरी	2.9	3.2	0.0	0.2	1.8	1.3	0.5	0.2	0.0	1.1	12.5
	कुल संघ शासित क्षेत्र)	3.3	2.6	0.4	3.0	6.9	4.8	2.1	0.2	0.6	2.7	13.5
	कुल (अखिल भारत)	2.9	2.3	0.4	1.4	1.8	1.2	0.6	0.4	0.2	1.6	8.6

वर्ष 2003 के दौरान विभिन्न भारतीय दंड संहिता संबंधी संज्ञेय अपराधों की दर (समाप्त)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चोरी	दंगे	आपराधिक न्यास भंग	धोखा-धड़ी	जालसाजी	आगजनी	चोट पहुंचाना	दहेज संबंधी मृत्यु	छेड़छाड़	यौन उत्पीड़न	यातना	लड़कियों का आयात	लापरवाही के कारण मृत्यु	अन्य भारतीय दंड संहिता संबंधी अपराध	भारतीय दंड संहिता के तहत कुल संज्ञेय अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	30.1	3.0	1.4	9.7	0.4	1.3	53.3	0.6	5.3	2.9	10.5	0.0	10.9	50.4	201.5
2.	अरूणाचल प्रदेश	32.7	0.6	2.5	1.9	0.6	0.9	37.8	0.0	3.8	0.0	1.2	0.0	0.0	51.8	182.4
3.	असम	19.9	12.0	2.2	3.2	0.2	2.4	17.9	0.2	3.2	0.0	6.5	0.0	7.5	33.3	137.8
4.	बिहार	11.7	9.3	1.3	2.2	0.1	0.8	10.2	1.0	0.8	0.0	2.2	0.0	3.0	43.0	106.1
5.	छत्तीसगढ़	19.2	3.2	0.3	1.9	0.1	0.7	16.8	0.4	6.8	0.5	2.8	0.0	5.3	88.9	177.0
6.	गोवा	32.6	3.3	4.2	7.4	0.2	1.3	13.9	0.1	1.3	0.5	1.7	0.0	11.5	51.9	157.5
7.	गुजरात	36.7	3.5	3.6	3.8	0.5	1.0	24.0	0.1	1.4	0.2	7.0	0.0	6.7	89.1	197.0
8.	हरियाणा	25.4	2.9	2.7	4.1	0.1	0.6	18.8	1.0	1.6	5.9	7.3	0.0	4.4	75.6	175.2
9.	हिमाचल प्रदेश	10.0	9.8	1.0	2.1	0.0	1.9	22.2	0.1	4.0	0.3	3.5	0.0	7.4	111.0	192.2
10.	जम्मू-कश्मीर	18.2	10.9	1.1	3.8	0.2	3.1	2.9	0.1	8.2	3.5	0.7	0.0	3.5	97.1	197.8
11.	झारखंड	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
12.	कर्नाटक	26.1	10.6	0.9	5.1	0.2	0.8	40.3	0.4	2.9	0.2	3.1	0.0	0.3	95.9	206.7
13.	केरल	15.0	20.8	1.0	9.4	0.4	1.3	54.2	0.1	6.0	0.2	9.0	0.0	0.1	164.0	303.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	मध्य प्रदेश	32.2	4.3	0.9	1.9	0.1	1.4	46.3	1.0	10.8	1.1	4.6	0.0	6.0	154.3	301.5
15.	महाराष्ट्र	37.0	5.7	1.6	5.0	0.3	1.2	29.1	0.4	2.7	0.7	5.4	0.0	9.3	42.4	163.8
16.	मणिपुर	10.2	2.9	0.6	3.1	0.3	1.9	13.1	0.0	1.8	0.0	0.2	0.0	0.2	45.2	102.4
17.	मेघालय	15.1	0.2	0.5	1.4	0.2	0.7	4.4	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	1.7	14.9	69.8
18.	मिजोरम	141.2	0.3	2.1	6.5	1.3	2.5	15.4	0.0	9.5	0.0	0.3	0.0	1.2	122.6	374.4
19.	नागालैंड	10.7	0.4	0.1	0.5	0.3	0.2	2.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	2.0	11.3	47.0
20.	उड़ीसा	14.2	3.7	0.7	2.5	0.0	0.9	12.6	0.7	4.4	0.5	3.4	0.0	6.6	54.5	125.0
21.	पंजाब	12.7	0.0	1.4	12.4	0.2	0.3	16.4	0.4	1.4	0.8	3.9	0.0	8.9	37.1	114.5
22.	राजस्थान	27.7	6.8	1.5	12.2	0.1	1.3	44.1	0.7	4.6	0.1	9.7	0.0	8.6	105.5	245.4
23.	सिक्किम	11.6	1.8	1.2	2.1	0.5	0.4	10.0	0.0	4.5	0.0	0.2	0.0	3.2	28.0	79.0
24.	तमिलनाडु	28.6	5.8	0.5	3.0	0.1	1.2	47.5	0.3	3.2	1.4	2.4	0.0	14.3	122.3	247.2
25.	त्रिपुरा	8.4	8.3	0.1	0.8	0.1	2.5	16.2	0.6	3.9	0.0	7.5	0.0	3.3	28.5	106.7
26.	उत्तर प्रदेश	9.0	1.3	1.0	1.7	0.1	0.2	4.5	0.8	0.6	2.9	1.5	0.0	2.5	16.9	54.5
27.	उत्तरांचल	15.5	4.4	1.6	4.3	0.1	0.4	7.8	1.1	1.5	1.1	3.6	0.0	4.1	26.7	89.8
28.	पश्चिम बंगाल	15.2	3.1	0.5	1.9	0.2	0.1	5.0	0.4	1.4	0.1	6.0	0.0	2.8	29.6	73.9
	कुल (राज्य)	21.3	5.2	1.2	4.2	0.2	0.9	24.3	0.6	3.0	1.2	4.6	0.0	5.7	63.2	154.9
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.1	5.1	0.8	3.5	0.0	2.1	29.5	0.0	2.4	0.5	1.9	0.0	0.0	85.3	172.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30.	चंडीगढ़	129.6	4.8	3.4	21.9	0.2	0.4	7.4	0.1	1.2	0.4	9.7	0.0	0.8	81.6	293.8
31.	दादरा और नागर हवेली	26.2	7.3	3.4	5.6	0.9	1.7	9.4	0.0	1.7	0.0	0.9	0.0	0.0	55.4	145.1
32.	दमन और दीव	27.4	18.5	4.8	4.8	3.6	0.6	8.3	0.6	1.8	0.0	0.0	0.0	3.6	50.0	160.1
33.	दिल्ली	104.8	0.5	2.9	14.0	0.3	0.4	11.5	0.9	3.3	0.7	8.2	0.0	2.7	135.2	319.7
34.	लक्षद्वीप	12.7	6.3	0.0	0.0	0.0	3.2	1.6	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	9.5	49.2
35.	पांडिचेरी	56.4	15.8	1.2	3.2	0.1	1.8	104.8	0.1	5.6	2.7	0.4	0.0	18.1	217.4	449.5
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	99.4	2.0	2.8	13.4	0.3	0.6	16.9	0.8	3.3	0.8	7.5	0.0	3.4	133.6	317.8
	कुल (अखिल भारत)	22.6	5.1	1.2	4.4	0.2	0.9	24.2	0.6	3.0	1.2	4.7	0.0	5.6	64.3	157.6

स्रोत : भारत में अपराध

नोट (1) एन.ए. - झारखंड राज्य के मामले में वर्ष 2003 के लिए आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं।

(2) आंकड़े अनंतिम हैं।

[हिन्दी]

केमिकल पार्क

3354. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसायन उद्योग में निवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में केमिकल पार्क स्थापित करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (घ) एक बृहत् रासायनिक औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने हेतु व्यवहार्यता अध्ययन आरंभ कर दिया गया है। यह अध्ययन सितंबर, 2004 में शुरू किया गया है और इसके पूरा होने में लगभग 12 महीने लग सकते हैं। प्राप्त रिपोर्ट को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु उद्योग जगत तथा विभिन्न राज्य सरकारों के ध्यान में लाया जाएगा।

एन.एस.डी.पी. के अंतर्गत निधियां जारी करना

3355. श्री गणेश सिंह : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद नेशनल स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2004-2005 हेतु मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत 1673.00 लाख रुपए जारी न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) उक्त धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए मध्य प्रदेश को 2519.25 लाख रुपए का भुगतान करने की स्वीकृति/प्रदान करने के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में मारे गए
सी.आर.पी.एफ. कर्मी

3356. श्री सुग्रीव सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद जम्मू-कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा अर्द्ध सैनिक बल-वार कितने अर्द्ध सैनिक बल कर्मी/अधिकारी मारे गए;

(ख) क्या कार्मिकों के संबंधियों को किसी मुआवजे का भुगतान किया गया; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बल-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) केन्द्रीय पुलिस बलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान और नवम्बर, 2004 तक जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा मारे गए अर्द्ध सैनिक बल कर्मियों/अधिकारियों की संख्या और अभी तक उनके निकटतम संबंधियों को किया गया भुगतान निम्न प्रकार है:-

अर्द्ध सैनिक बल	2001	2002	2003	2004 (11/04 तक)	मुआवजे की राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
सीमा सुरक्षा बल	75	70	38	33	1575.00
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	28	45	09	26	695.00

1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	—	01	—	-	7.50
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	04	08	04	02	102.50
एस.एस.बी.	—	05	—	01	40.00
कुल	107	129	51	62	2420.00

ड्यूटी पर मारे गए केन्द्रीय पुलिस बल कर्मी के पात्र निकटतम संबंधी को नियमों के अंतर्गत निर्धारित अनुग्रहपूर्वक अदायगी की जाती है। ऐसे मुआवजे की अदायगी हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात् बल निकटतम संबंधी को अदायगी करते हैं।

अस्त्रों में सुधार की योजना

3357. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपने हथियारों, उपकरणों, सचल संचार-प्रणाली एवं प्रशिक्षण को उन्नत बनाने हेतु एक पंचवर्षीय योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कुल कितनी बटालियनों का गठन किया है;

(घ) क्या आवश्यक मांग को पूरा करने हेतु केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा 65 नई बटालियनों का गठन किया जाना अपेक्षित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी, हां श्रीमान। सरकार ने 542.75 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए, उनकी आपरेशनल कार्यक्षमता बढ़ाने और बढ़े हुए उग्रवाद तथा आतंकवाद की चुनौती से निपटने की दृष्टि से भी, हथियार, मशीनरी और उपस्कर, परिवहन संचार और निगरानी प्रणालियों एवं प्रशिक्षण उपस्करों के आधुनिकीकरण के लिए एक पंचवर्षीय भावी योजना (2002-2007) का अनुमोदन किया है। इसमें मुख्य रूप से आधुनिक हथियारों और गोला बारूद, विशेष संरक्षी उपकरणों संरक्षी वाहनों, उन्नत संचार उपकरण और प्रशिक्षण संबंधी आधुनिक उपकरण इत्यादि प्राप्त करने पर जोर दिया गया है।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान खड़ी की गई बटालियनों की संख्या निम्नलिखित है:

2002-03	13
2003-04	22

(घ) और (ङ) गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए 64 नई बटालियनें मंजूर की हैं जिन्हें वर्ष 2001 से शुरू करके 5 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से खड़ा किया जाना है और इन बटालियनों के लिए बटालियन मुख्यालय/कंपनी साईट हेतु समुचित भूमि की आवश्यकता होगी।

अनधिकृत एवं अधिकृत कालोनियां

3358. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में, विशेषकर दिल्ली में अनधिकृत और अधिकृत कालोनियों को सूची तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत कालोनियों की बढ़ती संख्या को रोकने हेतु कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने फरवरी, 2004 में दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को विनियमित करने के लिए संशोधित

दिशानिर्देश जारी किए थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी एन सी टी डी) से उन पात्र अनधिकृत कालोनियों की सूची तैयार करने का अनुरोध किया गया था जिनपर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित करने हेतु विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पंजाबी बाग कापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम एम सी डी एवं अन्य नामक सी डब्ल्यू पी सं. 8487/2003 में दिनांक 29.9.2004 के आदेश के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के उत्तर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उन अनधिकृत कालोनियों की रेजीडेन्ट कल्याण एसोसिएशनों/रेजीडेन्ट सोसाइटियों/रेजीडेन्ट कापरेटिव सोसाइटियों से 30.12.2004 तक स्थान/स्थल योजना आदि के साथ आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना जारी की है जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शर्तों और निबन्धनों के अनुसार विनियमित किए जाने हेतु विचारार्थ 31.3.2002 को मौजूद थीं। तथापि, सोसाइटियों/एसोसिएशनों द्वारा ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने से विनियमन हेतु कोई अधिकार अथवा वचनबद्धता नहीं हो जाती है।

(ग) और (घ) सरकार दिल्ली में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमणों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु समय-समय पर डी.डी.ए. सहित सभी स्थानीय निकायों पर दबाब डालती रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि उसने अनधिकृत कालोनियों में और निर्माण रोकने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पुलिस और राजस्व प्राधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं।

इस्पात का निर्यात

3359. श्री सुरेश कलमाड़ी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सेल द्वारा अपने निर्यात बाजार को सुदृढ़ करने हेतु क्या रणनीति तैयार की गई है;

(घ) क्या इंडियन स्टील एलायंस ने सरकार से पाकिस्तान को किए जाने वाले इस्पात के निर्यात को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) अप्रैल-नवंबर, 2004 के दौरान इस्पात का निर्यात 24 लाख टन हुआ जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 28.7 लाख टन इस्पात का निर्यात हुआ था अर्थात निर्यात में 16.3% कमी हुई। निर्यात में कमी, घरेलू मांग में वृद्धि तथा घरेलू बिक्री से अच्छी निवल प्राप्ति के कारण हुई।

(ग) पड़ोसी निर्यात बाजारों में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सेल ने एक नीति तैयार की है। अप्रैल-नवंबर, 2004 की अवधि के दौरान पड़ोसी बाजारों में (अर्थात नेपाल, बांग्ला देश, म्यांमार तथा श्रीलंका) कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 41% हो गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान इसकी हिस्सेदारी 31% थी।

(घ) से (च) इंडियन स्टील एलायंस (आईएसए) ने सिफारिश की है कि वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से इस्पात मंत्रालय, पाकिस्तान को निर्यात करने के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार करे।

[हिन्दी]

भूमि अर्जन अधिनियम

3360. श्री सज्जन कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली भूमि अर्जन अधिनियम में किसानों की भूमि हेतु मुआवजे का निर्धारण करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में भूमि का मुआवजा दरों को कब निर्धारित किया गया था और दरों का अगला निर्धारण कब तक किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने यह सूचित किया है कि उनके द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली में भूमि अर्जित की जा रही है। इस अधिनियम की धारा 11-ए के अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर कलेक्टर अधिनिर्णय (अवार्ड) देगा। दिल्ली सरकार ने मुआवजे के निर्धारण के लिए कृषि भूमि/नदी तल में स्थित भूमि की न्यूनतम कीमत निर्धारित कर दी हैं। दिनांक 1.4.2001 से ये दरें सामान्य कृषि भूमि के लिए 15.70 लाख रुपये प्रति एकड़ तथा नदी तल वाली भूमि के लिए 5.05 लाख रुपये प्रति एकड़ हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर इन दरों की समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

नागरिकता अधिनियम में संशोधन

3361. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नागरिकता चाहने वाले पाकिस्तान से विस्थापित अनेक लोगों द्वारा नागरिकता अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन का विरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) इन विस्थापित लोगों को कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और सरकार द्वारा उनकी समस्याओं का किस प्रकार समाधान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता हैं।

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु परियोजनाएं

3362. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से पूर्व शुरू की जाने वाली मुख्य परियोजनाएं कौन-कौन सी है;

(ख) इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है;

(ग) इनको कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) वर्तमान में फ्लाई ओवर जैसे कितने मुख्य निर्माण क्रियाकलाप चल रहे हैं और इनके कब तक पूरी तरह संचालन-योग्य होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) और दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि वर्तमान में कामनवेल्थ खेल, 2010 के लिए विशिष्ट रूप से कोई परियोजना नहीं ली गई है। तथापि, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केलोनिवि) ने यह सूचित किया है कि यमुना वेलोड्रम तथा तुगलकाबाद में कर्णी सिंह फायरिंग रेंज सहित पांच स्टेडियमों अर्थात जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियमों की केलोनिवि के जरिए री-मॉडलिंग की संकल्पना युवा तथा खेल मंत्रालय ने की है। इसकी लागत 1.31 करोड़ रु. आएगी। इसी प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास खेल गांव के निर्माण तथा बाक्सिंग, कुश्ती, रगबी, बैडमिन्टन तथा स्क्वाश हेतु स्थलों के लिए योजनाएं हैं। तथापि, योजनाएं अभी भी प्रारंभिक अवस्था में हैं और इसके लिए विस्तृत डिजाइन अपेक्षित हैं जिनके बिना लागत और निर्माण के लिए अपेक्षित समय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(घ) विभिन्न एजेंसियों द्वारा निर्माणाधीन फ्लाईओवरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न एजेंसियों द्वारा निर्माणाधीन फ्लाईओवरों/ अन्य कार्यों का ब्यौरा

डीडीए

क्र. सं.	फ्लाई ओवर का नाम	पूर्ण होने की तारीख
1.	पंखा रोड में रेवाडी लाइन लेवल क्रासिंग पर रेलवे ओवरब्रिज और स्टेशन रोड—पंखा रोड के इंटरसेक्सन पर आधा फ्लाईओवर	31.3.2005
2.	जीटी रोड सं. 66 के इंटरसेक्सन पर सब्वे सहित आधा फ्लाईओवर	31.3.2005
3.	गाजीपुर फ्रेट कंप्लेक्स के निकट रा. राजमार्ग-24 बाईपास पर ग्रेड सेपरेटर	31.3.2005
4.	जोसिफ ब्रॉज टिटो मार्ग—लाला लाजपत राय मार्ग के इंटरसेक्सन पर ग्रेड सेपरेटर	31.3.2005

लोनिवि (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)

क्र. सं.	फ्लाईओवर/कार्य का नाम	पूर्ण होने की तारीख
1.	खेलगांव इंटरसेक्सन पर फ्लाईओवर	28.12.2004
2.	मोती नगर इंटरसेक्सन तथा पंजाबी बाग क्लब इंटरसेक्सन रिंग रोड पर फ्लाईओवर	31.08.2005
3.	पूर्वी दिल्ली में डिस्यूज्ड केनाल के ऊपर मास्टर प्लान रोड	28.02.2007
4.	गीता कालोनी के निकट यमुना नदी के आरपार पुल	31.12.2007
5.	रिंग रोड में बी-एवन्यू पर फ्लाईओवर	31.01.2005
एमसीडी		
1.	मोती नगर में फ्लाईओवर	31.12.2005
2.	श्यामलाल कालेज (जीटी रोड, शाहदरा) के निकट शाहदरा सहारनपुर रेलवे लाइन पर फ्लाईओवर के लिए स्लिप रोड	31.03.2006

नि:शक्तों हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना

3363. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार की नि:शक्तों हेतु एक पृथक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विश्वविद्यालय को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में चित्रकूटधाम में जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय नामक एक विश्वविद्यालय पहले से ही अस्तित्व में है। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत छह राष्ट्र-स्तरीय संस्थाओं को 'सम विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने संबंधी एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्राप्त हुआ है। चूंकि केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श पर ही 'सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करती है अतएव इस संबंध में कोई निश्चित समय-अवधि बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

अभियंताओं हेतु लाइसेंस

3364. श्री कुलदीप बिश्नोई :
श्री हंसराज जी. अहीर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से गैट समझौते के प्रावधान के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सेवाओं से जुड़े पेशेवर लोगों को किसी अधिकृत प्रमाणन संस्थान से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में अभियंताओं को उक्त लाइसेंस उपलब्ध कराने हेतु कोई संस्था है; और

(ग) अभियंताओं को लाइसेंस जारी करने हेतु अधिकृत प्रमाणन संस्थान स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या तत्काल कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसिज (गैट्स) की प्रस्तावना के अनुसार, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को अपने राष्ट्रीय नीति के उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से अपने क्षेत्रों में सेवाओं की आपूर्ति विनियमित करने का अधिकार है। तथापि, गैट्स के अनुच्छेद 1/1:4 में यह प्रावधान है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि "ऐसी आवश्यकता से संबंधित उपाय व्यापार सेवाओं में अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न न करें, काउसिंल फॉर ट्रेड इन सर्विसिज में कोई भी आवश्यक विषय विकसित कर सकता है।" जहां तक देश में इंजीनियरों के पंजीकरण का संबंध है, इस समय देश में इसके लिए कोई सांविधिक निकाय नहीं है। इंजीनियरों के पंजीकरण संबंधी कार्य शुरू करने हेतु व्यावसायिक निकाय स्थापित करने के लिए परामर्श किए गए है।

[अनुवाद]

संयुक्त संगोष्ठी

3365. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में सितंबर, 2004 में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें 30 देशों से आए प्रतिनिधियों ने आम सुरक्षा चुनौतियों और उनके विरुद्ध चलाए जाने वाले अभियानों पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संयुक्त संगोष्ठी का आयोजन भारत और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा किया गया था;

(ग) यदि हां, तो संगोष्ठी में किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई;

(घ) क्या कोई ठोस निर्णय लिए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है; और

(च) भारतीय दृष्टिकोण से यह कितना मददगार रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। भारतीय सेना और यू एस आर्मी पेसिफिक ने 6-10 सितम्बर, 2004 के दौरान पेसिफिक आर्मीज मैनजमैंट सेमिनार (पी ए एम एस) XXVIII की संयुक्त रूप से मेजबानी की।

(ग) यद्यपि, सेमिनार का मुख्य विषय "बदलते वातावरण में क्षेत्रीय सहयोग" था, लेकिन निम्नलिखित विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ:

(i) आगामी दशक में सुरक्षा वातावरण को परिभाषित करना।

(ii) सेनाओं पर विषम और गैर-परंपरागत खतरों के प्रभाव का पता लगाना।

(iii) सुरक्षा की समान चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग करना।

(iv) भविष्य की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने के सहयोगात्मक विकल्पों का पता लगाना।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) और (च) यह सेमिनार सुरक्षा की समान चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने तथा समालोचना करने और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहने में सहायक हुआ।

अ.जा./अ.ज.जा. की महिलाओं पर अत्याचार

3366. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. की महिलाओं पर किए गए अत्याचार के राज्य-वार मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसे अत्याचारों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) ऐसे अत्याचारों के लिए कुल कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने मामले दर्ज किए गए और कुल कितने मामले निपटाए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्डस ब्यूरो के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000-2002 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाली महिलाओं के साथ बलात्कार के सूचित मामलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के अन्य मामलों से संबंधित सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। तथापि, गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों को उनकी दांडिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने पर और ज्यादा ध्यान केन्द्रित करने तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों; महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचार की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सलाह देती रही है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्डस ब्यूरो के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000-2002 की अवधि के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार के कुल दर्ज मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के मामलों की कुल संख्या जिसमें वर्ष 2001 में विचारण पूरा कर लिया गया था, 776 थी और दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या 329 थी। वर्ष 2002 में, ये आंकड़े क्रमशः 1130 और 509 थे।

विवरण

वर्ष 2000-2002 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के साथ हुई बलात्कार की घटनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुसूचित जातियों			अनुसूचित जनजातियों		
		2000	2001	2002	2000	2001	2002
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	53	69	98	17	21	24
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	5	2
3.	असम	0	0	0	0	0	2
4.	बिहार	17	35	36	10	4	5
5.	छत्तीसगढ़	उ.न.	52	64	उ.न.	87	67
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	15	15	17	24	23	18
8.	हरियाणा	20	25	26	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	6	7	12	1	0	1
10.	जम्मू-कश्मीर	3	1	4	2	0	0
11.	झारखंड	उ.न.	11	9	उ.न.	22	13
12.	कर्नाटक	16	20	22	2	2	5
13.	केरल	65	75	48	28	23	21
14.	महाराष्ट्र	49	51	64	26	60	48
15.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0	0	0	1
17.	मिजोरम	0	0	0	0	2	9
18.	मध्य प्रदेश	289	305	412	244	238	312
19.	नागालैंड	0	0	3	0	6	8

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	उड़ीसा	17	44	38	6	28	14
21.	पंजाब	8	10	12	2	0	0
22.	राजस्थान	128	151	123	38	45	39
23.	सिक्किम	1	0	.1	0	0	2
24.	तमिलनाडु	17	27	33	0	2	1
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	379	412	305	3	3	0
27.	उत्तरांचल	उ.न.	2	3	उ.न.	1	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	3	1	0	1	4
	कुल (राज्य)	1083	1315	1331	403	573	596
29.	अ. और नि. द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	1	0	0	0	0
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	1
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	0	1	0	0	0	1
	कुल (अखिल भारत)	1083	1316	1331	403	573	597

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: उ.न. का अभिप्राय है उपलब्ध नहीं।

लोअर सुभनसिरी हाइड्रो पावर परियोजना

3367. **डा. अरूण कुमार शर्मा :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोअर सुभनसिरी हाइड्रो पावर परियोजना का कुल परिव्यय, अधिष्ठापित क्षमता, आरंभ होने की समय-सारण और लाभ की दर कितनी है;

(ख) क्षतिपूर्ति के रूप में किए जाने वाले वनरोपण, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम, आस-पास रहने वाली जनसंख्या के सामाजिक विकास और प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु कितना आबंटन किया गया

है और इससे संबंधित वर्षवार लक्ष्य कितना है और कार्य-निष्पादन एजेंसी कौन सी है तथा अब तक इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई;

(ग) क्या बडे ठेकेदारों से भी क्षेत्र के लिए उनके सामाजिक दायित्वों के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एनएचपीसी) की केन्द्रीय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुभनसिरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (2000 मे.वा.) के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 9.9.2003 को भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, जिसकी अनुमानित लागत 6285.33 करोड़ रुपये है, जिसमें दिसंबर, 2002 के मूल्य स्तर पर रु. 670.92 करोड़ की आईडीसी, एवं 70:30 का ऋण इक्विटी अनुपात, जिसमें चरण-2 के क्रिया कलापों हेतु 40.91 करोड़ रुपये की राशि भी है, शामिल है। इससे 11.95% के लाभ-दर का अनुमान लगाया गया है। इस परियोजना के वर्ष 2010 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) क्षतिपूर्ति के रूप में किए जाने वाले वनरोपण सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम, आस-पास रहने वाली जनसंख्या के सामाजिक विकास तथा प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु किए गए आबंटन का ब्यौरा वर्ष-वार लक्ष्य, कार्य निष्पादन एजेंसी तथा उपलब्धियां विवरण-I एवं II पर दर्शाए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) ऊपर (ग) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

संख्या	प्लान	आबंटित लागत (रुपये लाख में)	निष्पादन एजेंसी	वर्ष-वार लक्ष्य, यदि कोई हो	उपलब्धि/खर्च की गई निधि (लाख रुपये में)
1.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	4928.19	अरुणाचल प्रदेश एवं असम का राज्य वन विभाग	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा औपचारिक वन स्वीकृति से पहले इसके लिए सुनिश्चित संपूर्ण राशि का भुगतान। वर्ष 2003 में राशि का पहले से ही भुगतान किया जा चुका है।	8094.78 (अरुणाचल प्रदेश के राज्य वन विभाग को 6942.68 लाख रुपये का भुगतान तथा असम के राज्य वन विभाग को 1152.10 लाख रुपये का भुगतान किया गया) राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों में परिवर्तन के कारण, मूल-प्रस्तावित राशि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत में बढ़ोतरी।
2.	सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम	आर एण्ड आर पैकेज में शामिल	अरुणाचल प्रदेश सरकार	पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है एनएचपीसी के द्वारा सामाजिक दायित्व के रूप में, जिसमें परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र सामुदायिक केन्द्र एवं प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण शामिल है, के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय जल संख्या के लिए परियोजना के अस्पताल, स्कूल एवं डाकघर की सुविधा भी उपलब्ध होगी। प्रभावित परिवारों के लिए आर एण्ड आर पैकेज अनुलग्नक-II पर दिया गया है। इसे अतिरिक्त स्थानीय लोगों के अधिकारियों एवं विशेषाधिकारों के बदले में एनएचपीसी द्वारा रु. 313.98 लाख की राशि का भुगतान उपायुक्त (जीरो) लोअर सुभानसिरी जिला को किया गया है। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश राज्य को परियोजना से उत्पादित बिजली में से 12% बिजली मुफ्त दी जाएगी। व्यय परियोजना की प्रगति एवं अपेक्षा के साथ अनुपातिक होगा।	
3.	आस-पास की जनसंख्या का सामाजिक विकास				
4.	प्रभावित लोगों का पुनर्वास	306.75	अरुणाचल प्रदेश सरकार		

विवरण-II

सुभानसिरी लोअर परियोजना के लिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आर एण्ड आर) पैकेज

1. सुभानसिरी लोअर परियोजना के जलाशय में कृषि भूमि के जलमग्न होने के कारण दोनों गांवों के ग्रामवासियों द्वारा अपने गांवों से जिला/राज्य-प्रशासन द्वारा निर्धारित नए स्थान पर जाने का निर्णय किया गया।

2. कृषि योग्य भूमि: यह निर्णय लिया गया है कि एनएचपीसी प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) (कुल 38 पीएएफ) को एक-एक हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराएगा तथा जलप्लावन के अंतर्गत आने वाली शेष कृषि योग्य भूमि के लिए क्षतिपूर्ति करेगा।

3. घर एवं घर के बदले भूमि: प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को 150 वर्ग मीटर घर के बदले भूमि तथा अन्न भंडार एवं पशुओं के लिए पेड़ के निर्माण हेतु अतिरिक्त 50 वर्ग मीटर भूमि दी जाएगी।

4. एनएचपीसी द्वारा प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को अनुदान/सहायता, एक हेक्टेयर भूमि के विकास तथा बीज एवं खाद की लागत, घर-निर्माण एवं प्लाट विकास, पुनर्वास अनुदान जैसे पशु, मुर्गी एवं सुअर पालन इत्यादि की अप-कीपिंग के लिए जीवन-निर्वाह। रख-रखाव भत्ते के रूप में रु. 2,50,000 (केवल दो लाख पचास हजार रुपये) की राशि की सब्सिडी का एक-मुश्त भुगतान किया जाएगा।

5. उपरोक्त एक-मुश्त सहायता राशि का भुगतान जहां पुनर्वास किया जाना है, वहां भूमि को कब्जा लेने पर तथा पूरी भूमि की फैंसिंग के छ: माह के बाद किया जाएगा।

6. परियोजना प्रभावित परिवार को अपने मूल घर से उठाने योग्य सामग्री को ले जाने की अनुमति होगी। एचएचपीसी घर से संबंधित सामान एवं अन्य उठाने योग्य सामग्री को नए स्थान पर शिफ्ट करने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगा।

7. एनएचपीसी द्वारा अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के जिला पदाधिकारी द्वारा मूल्यांकन/सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद भूस्वामियों को भूमि, पेड़ एवं अन्य अचल संपत्ति के मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

8. सड़क एवं जलस्रोत के नजदीक लगभग 40 हेक्टेयर भूमि, दोनों गांवों (प्रत्येक गांव के लिए 20.0 हेक्टेयर भूमि) के पुनर्वास हेतु अपेक्षित होगी, जिसे एनएचपीसी को अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। दो गांवों के परियोजना प्रभावित परिवारों को दो विभिन्न साइटों पर उनकी प्राथमिकता के अनुसार पुनर्वासित किया जाएगा।

9. सेनेटरी सुविधाएं:- प्रत्येक घर को निम्न लागत सेनेटरी शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए एक कॉमन सेप्टिक टैंक या सोक पिट बनाया जाएगा जो घरों की आवश्यकता को पूरा करेगा।

10. स्कूल भवन: पुनर्वास कॉलोनी में एनएचपीसी द्वारा खेल के मैदान सहित प्राइमरी स्कूल उपलब्ध कराया जाएगा।

11. वोकेशनल ट्रेनिंग: गांव के युवाओं की पशुपालन बागवानी, बुनाई तथा अन्य गतिविधियों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

12. पुनर्वास कॉलोनी में अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी:-

    — सामुदायिक केन्द्र के लिए एक छोटा भवन।

    — प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के लिए एक छोटा भवन।

    — नए पुन: स्थापन स्थल को सड़क से जोड़ना।

    — पानी आपूर्ति हेतु पाइप लाइन प्रवासी।

13. परियोजना में जब भी सेवा के लिए रिक्तियां उपलब्ध होंगी, परियोजना से प्रभावित परिवारों के पात्र सदस्यों को सेवा में प्राथमिकता देने के ग्रामवासियों के अनुरोध पर विचार करने के लिए एनएचपीसी सहमत हो गया है।

14. परियोजना के छोटे कार्यों के लिए ठेके देने में भी पीएएफ के एक पात्र सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी।

[हिन्दी]

महिलाओं की सुरक्षा और उनका पुनर्वास

3368. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकारों, विशेषकर मध्य प्रदेश सरकार से महिलाओं की सुरक्षा और उनके पुनर्वास से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) इनको कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार की राज्य-स्तरीय अधिकार-प्राप्त समिति के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु परियोजना संस्वीकृति समिति को प्रस्तुत किए जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अल्पावास गृह तथा स्वाधार के अंतर्गत प्राप्त/संस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या											
		अल्पावास गृह						स्वाधार					
		2002-03		2003-04		2004-05		2002-03		2003-04		2004-05	
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	15.12.04 तक अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	15	1	24	1	35	6	3	1	4	–	4	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	14	1	4	1	30	–	12	–	3	–	12	–
4.	बिहार	47	9	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	5	–
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	–	–	–	–	5	–	6	4	–	–	5	–
8.	हरियाणा	–	1	3	–	–	–	3	1	6	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
10.	जम्मू-कश्मीर	2	–	2	–	2	–	2	2	1	–	–	–
11.	झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	3	–	13	3	17	3	6	1	16	3	7	7
13.	केरल	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3	–
14.	मध्य प्रदेश	18	6	15	5	–	–	2	–	1	–	3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	महाराष्ट्र	17	2	26	5	1	1	9	1	20	—	—	—
16.	मणिपुर	1	—	3	—	19	2	1	—	24	1	10	2
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
18.	मिजोरम	1	1	2 •	—	2	—	1	—	1	1	1	—
19.	नागालैंड	2	1	1	—	8	—	—	—	1	—	2	—
20.	उड़ीसा	5	1	4	—	10	2	9	—	12	1	36	11
21.	पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	राजस्थान	4	—	12	—	22	1	2	1	3	1	—	—
23.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	तमिलनाडु	22	12	27	11	1	—	30	4	2	—	10	—
25.	त्रिपुरा	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
26.	उत्तर प्रदेश	62	5	4	—	3	1	7	1	2	—	1	—
27.	उत्तरांचल	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1 हैल्प लाइन	—	—
28.	पश्चिम बंगाल	3	—	7	5	10	—	8	1	7	3	1	—
29.	अंडमान और निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	चंडीगढ़	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
31.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2	—	—	—	—	—	1	2+1 हैल्प लाइन	3	—	—	—
32.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	पांडिचेरी	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
36.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड								हैल्प लाइन				

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

3369. श्री रूप चन्द मुर्मू : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2012 तक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करके ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को वर्ष 2012 तक प्राप्त किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो चालू योजनावधि के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु क्या योजनाएं बनाई गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वहनीय समाधान के रूप में प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रौद्योगिकी (आर ई एस टी मिशन) का गठन पहले ही किया जा चुका है। इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार है:-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन एवं वितरण हेतु कम लागत प्रौद्योगिकी पर आधारित कार्यनीति विकसित करना।

(ii) विकेन्द्रीयकृत वितरित उत्पादन एवं आपूर्ति प्रणालियों के लिए व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों को पहचान करना और सुझाव देना।

(ग) और (घ) आर ई एस टी मिशन राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए प्रावधानों के अनुसार पांच वर्षों में सभी ग्रामीण घरों को विद्युत उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सहायक उपकरण है।

तदनुसार, एक नई कार्यनीति बनाई गई है जो निम्नानुसार है–

(i) 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों के ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आर ई डी बी) का प्रावधान, जिसमें से प्रत्येक ब्लॉक में एक ऐसा सबस्टेशन, जो राज्य पारेषण प्रणाली से भली-भांति सम्बद्ध हो।

(ii) प्रत्येक गांव में कम से कम एक ट्रांसफार्मर के साथ वितरण ट्रांसफार्मर प्रदान करके ग्रामीण विद्युत ढांचे (वी ई आई) का निर्माण।

(iii) ग्रामीण वितरण ट्रांसफार्मर से गैर-विद्युतीकृत ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण।

(iv) ऐसे गांवों के लिए विकेन्द्रीयकृत वितरण उत्पादन प्रणाली जहां ग्रिड सम्बद्धता या तो व्यवहार्य नहीं है या किफायती नहीं है।

लक्षद्वीप में डिग्री कालेज

3370. डा. पी.पी. कोया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप में कितने डिग्री कालेज है;

(ख) लक्षद्वीप में डिग्री कालेजों की स्थापना करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त अध्ययन समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या आगामी शैक्षिक वर्ष के दौरान डिग्री कालेजों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) लक्षद्वीप में कोई डिग्री कालेज नहीं है।

(ख) लक्षद्वी में डिग्री कालेज खोलने के प्रस्ताव पर सलाह देने के लिए भूत-पूर्व शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति की सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

(i) संघ राज्य क्षेत्र में 100 की क्षमता वाला स्नातक स्तर का एक संस्थान खोलने की जरूरत है;

(ii) जरूरी नहीं है कि यह कला स्नातक/विज्ञान स्नातक का परंपरागत डिग्री कालेज हो;

(iii) जरूरी यह है कि यह व्यवसाय उन्मुख संस्थान हो जिसमें मुख्य रूप से अध्यापकों के प्रशिक्षण और समुद्री मछली पालन पर जोर दिया जाए;

(iv) अध्यापन और अध्यापकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान दो संस्थानों का उन्नयन करने के बजाए एक नये संस्थान की योजना बनाई जाए;

(v) गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र/कालेज का अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम और इसी तरह के अन्य पाठ्यक्रमों के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, मैसूर के साथ समझौता ज्ञापन होना चाहिए; और

(vi) वर्तमान आवास का एक हिस्सा उपलब्ध कराया जा सकता है और शेष जरूरतें बाद में पूरी की जा सकती हैं।

(ग) से (ङ) लक्षद्वीप में डिग्री कालेज खोलने के लिए लक्षद्वीप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव समिति की उपरिलिखित सिफारिशों के अनुसार नहीं पाया गया था इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया। लक्षद्वीप प्रशासन को समिति की सिफारिशों के अनुसार नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

मेट्रो स्टेशनों पर दुकानें

3371. **श्री विजय कृष्ण :**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर दुकानों के आबंटन का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक आबंटित दुकानों को स्टेशनवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त दुकानों के आबंटन हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) स्टेशनों पर स्थित दुकानें खुली निविदा के जरिए अधिकतम बोली लगाने वालों को आवंटित की जाती हैं। उन मामलों में जिनके लिए खुली निविदा के लिए कम बोलियां लगती हैं उनके लिए दुकानों के आवंटन हेतु समाचारपत्रों में तत्काल आवंटन की स्कीम का विज्ञापन दिया जाता है और उन आवेदनकर्ताओं को जो दिल्ली मेट्रो रेल निगम से संपर्क करेंगे उन्हें "पहले आओ-पहले पाओ" आधार पर मासित नियत किराये पर दुकानें आवंटित की जाती हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	आवंटित दुकानों की संख्या
1.	शाहदरा	35
2.	वेलकम	7
3.	सीलमपुर	7
4.	शास्त्रीपार्क	5
5.	कश्मीरी गेट	13
6.	तीस हजारी	7
7.	पुलबंगश	23
8.	प्रताप नगर	8
9.	शास्त्री पार्क	3
10.	इंद्रलोक	5
11.	कन्हैया नगर	2
12.	केशव पुरम	2
13.	नेताजी सुभाष प्लेस	3
14.	कोहाट एन्क्लेव	2
15.	पीतमपुरा	2
16.	रोहिणी ईस्ट	2
17.	रोहिणी वेस्ट	2
18.	रिठाला	2
	कुल	130

तमिलनाडु में बंधुआ मजदूरों पर राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट

3372. **श्रीमती करुणा शुक्ला :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के थिरूवल्लुर जिले के रेडहिल क्षेत्रों के चावल मिलों द्वारा बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग की जन सुनवाई संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन महिलाओं और बच्चों को रिहा कराने और उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। इस संबंध में अगस्त-सितम्बर, 2004 के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) तमिलनाडु सरकार से श्रम और रोजगार मंत्रालय को प्राप्त सूचना के अनुसार, 1997 से 30 सितम्बर, 2004 तक रेडहिल क्षेत्र के तिरूट्टनी और पोन्नेरी सहित तिरूवल्लूर जिले के 372 मजदूरों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया। इनमें चालू वर्ष के दौरान मुक्त कराए गए 113 मजदूर शामिल हैं। राज्य सरकार भी कारखाना अधिनियम आदि को लागू करके रेडहिल क्षेत्र में सभी चावल मिलों के कार्यकरण पर निगरानी रख रही है, ताकि कर्मियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके तथा कारखाना मालिक ऋण के एवज में मजदूरों को बंधुआ न बना लें।

विवरण

रैडहिल्स, तिरूवल्लूर, तमिलनाडु की चावल मिलों में बंधुआ मजदूरों की स्थिति पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जन-सुनवाई की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

1. उन बंधुआ मजदूर परिवारों को तुरंत मुक्त कराना, जिन्होंने आर.डी.ओ. के समक्ष पहले से ही शिकायतें दर्ज करा रखी हैं तथा उनका एक पखवाड़े के भीतर पुनर्वास करना। दो सप्ताह के भीतर रैडहिल्स की चावल मिलों में अन्य बंधुआ मजदूरों का पता लगाना तथा उन्हें मुक्त कराना। इन अन्य मजदूरों का दो माह के भीतर पुनर्वास।

2. दो माह के भीतर पूरे राज्य की चावल मिलों में बंधुआ मजदूरों का पता लगाना तथा उनको मुक्त कराना। तीन माह के भीतर राज्य के सभी बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास।

3. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियोजकों के खिलाफ मुकदमा चलाना तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत चावल मिलों के स्वामियों द्वारा मजदूरों को देय बकाया राशि का इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित जुर्माने सहित भुगतान करवाना।

4. ऐसे जिला अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना, जो बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम का कार्यान्वयन करने में असफल रहे हैं।

5. दो माह के भीतर आवास, दुधारू पशुओं तथा कृषि योग्य भूमि के प्रावधान के माध्यम से बंधुआ मजदूर परिवारों का पुनर्वास करना।

6. रैड हिल्स के चावल मिल कामगारों के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।

7. कारखाना अधिनियम (अर्थात् 8 घण्टे की पाली पद्धति, सुरक्षा, बाल श्रम का निषेध), अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से कार्यान्वयन।

8. ऐसे नियोजकों तथा उनके अनुचरों के खिलाफ मुकदमा चलाना, जिन्होंने महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया है तथा बच्चों एवं वयस्क कामगारों को पीटा है। वाल्ली की अप्राकृतिक मौत के जिम्मेदार मिल मालिकों पर बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, (1976 के 19), अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारक) अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत मुकदमा चलाना चाहिए। बालू तथा मारी नामक कामगारों से संबंधित इसी तरह के मामले में आवश्यक शिकायत दर्ज करना तथा उसकी जांच करना।

9. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम के अनुसार उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन के प्रबोधन के लिए तिरूवल्लूर जिले में सतर्कता समितियों का गठन करना, जिनमें जिला अधिकारी, श्रम विभाग के अधिकारी, सरपम इरूलर थोझिलालर संगम तथा बंधुआ मजदूरों के प्रतिनिधि शामिल हों।

[हिन्दी]

इंजीनियरिंग कालेजों में शुल्क रियायत

3373. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेज समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्रवेश और शुल्क में रियायत देते हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त संस्थानों के इस पहलू की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इन शैक्षिक संस्थानों का राज्यवार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन संस्थानों द्वारा केवल समाज के प्रभावित वर्ग के छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता है; और

(ङ) ऐसे कुल कितने मामले हैं जो प्रकाश में आए हैं तथा सरकार द्वारा इन संस्थानों को पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्रवेश देने हेतु क्या निदेश जारी किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डीडीए द्वारा एमआईजी फ्लैटों का आबंटन

3374. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जून, 2004 में 1500 एमआईजी फ्लैटों के आबंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राधिकरण द्वारा इस योजना का ड्रा 12 अगस्त, 2004 को निकाला गया था;

(ग) यदि हां, तो उक्त ड्रा में भाग लेने वाले अधिकारियों तथा उनके पदनाम का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आवेदन पत्र 1500 फ्लैटों के लिए आमंत्रित किए गए थे लेकिन ड्रा 2300 फ्लैटों के लिए निकाला गया था;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार का विचार इस संबंध में जांच कराने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) ड्रा निम्नलिखित निष्पक्ष व्यक्तियों की उपस्थिति में निकाला गया;

(i) श्री ए.के. सिंघल, निदेशक (वित्त), वित्त मंत्रालय

(ii) श्री सुदिप्तो रॉय, रेजीडेन्ट कमिश्नर, हिमाचल भवन, नई दिल्ली

(iii) प्रोफेसर ए.के. अरोड़ा (सेवानिवृत) इमरिटस, आईआईटी, दिल्ली

(iv) श्रीमती प्रिया अजीत सिंह, उप सचिव, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली।

(घ) से (छ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि 1500 फ्लैटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिनके लिए 93,775 आवेदन प्राप्त हुए थे। तथापि, ब्रॉशर के खण्ड 23(बी) के अनुसार डी डी ए ने स्कीम में दिए जाने वाले फ्लैटों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी करने का अधिकार सुरक्षित रखा। चूंकि ड्रा से पहले उतनी ही कीमत वाली श्रेणी तथा वैसे ही स्थानों पर और फ्लैट उपलब्ध हो गए थे इसलिए उन्हें भी आम ड्रा में शामिल कर लिया गया था। इसलिए, इस बारे में जांच कराने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

अवैध निर्माण

3375. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री दिनांक 20.7.2004 के अतारांकित प्रश्न सं. 1746 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) और दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.) से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को इस बारे में स्मरण कराया गया है।

[हिन्दी]

चंडीगढ़ में वासगृह के आबंटन से संबंधित कंप्यूटरीकृत अभिलेख

3376. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने वासगृहों, मकानों आदि से संबंधित अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनता इन अभिलेखों की जानकारी प्राप्त कर सकती है;

(ग) क्या अनेक मामलों से संबंधित अभिलेख संपदा कार्यालय में उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण और तत्संबंधी परिणाम क्या हैं तथा अभिलेख को पुनः तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मकानों/वासगृहों के आबंटन के संबंध में 71 मामलों के रिकार्ड संपदा कार्यालय, चंडीगढ़ में गायब हैं।

(घ) रिकार्ड को ढूढ़ने हेतु किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, अभी तक 28 फ़ाइलें मिल गई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चंडीगढ़ से भी अलग से, इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। आवेदनकर्ताओं और दावेदारों को संपदा कार्यालय में बुलाकर और उनसे नए सिरे से सूचना प्राप्त करके रिकार्ड पुनः तैयार करने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं।

तेजपुर विश्वविद्यालय

3377. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेजपुर विश्वविद्यालय परिसर के जिया भराली नदी से संरक्षण से संबंधित कोई परियोजना प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त विश्वविद्यालय को पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए कोई राशि आवंटित की है;

(घ) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत निधियां

3378. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय ने एपीडीआरपी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 448.65 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अंतर्गत राज्य को मार्च, 2004 तक केवल 265.10 करोड़ रुपये ही जारी किए गए हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश ने शेष धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है/लिया जाना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ) राज्य को दिये जाने वाले प्रोत्साहन की मात्रा का निर्धारण वर्ष 2000-01 को आधार वर्ष मानते हुये संबंधित राज्य द्वारा नकद हानि में अर्जित वास्तविक कमी के आधार पर किया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य को त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य द्वारा वर्ष 2001-02 के दौरान नकद हानि में अर्जित वास्तविक कमी के लिए 265.10 करोड़ रु. का एक प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में नियोजित अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति

3379. डा. बाबू राव मेडियम : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम में राज्यवार अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति नियोजित हैं;

(ख) रिक्त पदों का राज्यवार और विभागवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन केवल एक ही सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसका नाम है (एनएसटीएफडीसी) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम। वर्तमान में, कुल 45 पदधारियों में से 8 अनुसूचित जनजाति के हैं।

(ख) और (ग) फिलहाल, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई बकाया रिक्ति नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली में खुले हुए मेनहोल

3380. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में खुले हुए मेनहोल में गिरने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) इन मृत्युओं के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) दिल्ली में किसी भी समय किसी भी स्थान पर मेनहोल खुला न रहने देना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में ऐसी कोई घटना जानकारी में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली में कोई भी मेनहोल खुला न रहे, संबंधित एजेंसियों के फील्ड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों का निरीक्षण करते हैं और जहां कहीं मेनहोलों के ढक्कन गायब/क्षतिग्रस्त पाए जाते हैं वहां वे नए ढक्कनों की व्यवस्था करते हैं।

"अर्बन हैट प्रोजेक्ट्स"

3381. श्री अनन्त नायक : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य में "अर्बन हैट प्रोजेक्ट" स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में ऐसी कितनी "अर्बन हैट प्रोजेक्ट" स्थापित की गई;

(ग) ऐसी प्रोजेक्टों का वित्तपोषण किस प्रकार किया जाता है;

(घ) क्या वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान कोई ऐसी अर्बन हैट प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास

3382. श्री ब्रजेश पाठक : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करने तथा इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए उठाए गए, कदमों के बाद ऐसे व्यक्तियों की संख्या में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उनके पुनर्वास पर खर्च की गई धनराशि का मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार का कितना अंशदान है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) मैला ढोनेवालों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम के तहत वर्ष 1992 में स्कीम के शुरू किए जाने से अब तक शामिल किए गए लाभग्राहियों की राज्यवार संचयी संख्या विवरण-II में दी गई है। उत्तर प्रदेश में 40227 मैला ढोनेवालों में से 2354 मैला ढोने वालों का पुनर्वास हो गया है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मैला ढोनेवालों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास स्कीम के तहत मैला ढोने वालों के प्रशिक्षण और पुनर्वास हेतु 74.42 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(ङ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और कम आय वर्गों (एलआईजी) को शुष्क शौचालयों को जल प्रवाही शौचालयों में तब्दील करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराना तथा मैला ढोनेवालों के पुनर्वास हेतु सब्सिडी मुहैया कराना।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्र में मैला ढोनेवालों और उनके आश्रितों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम@	मैला ढोनेवालों तथा आश्रित
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	30921
2.	असम	40413
3.	बिहार*	12226
4.	हरियाणा	36362
5.	हिमाचल प्रदेश	4757
6.	जम्मू-कश्मीर	4150
7.	कर्नाटक	14555
8.	मध्य प्रदेश*	93394
9.	महाराष्ट्र	64785
10.	पंजाब	531
11.	राजस्थान	57736
12.	तमिलनाडु	35561
13.	उत्तर प्रदेश*	40227
14.	पश्चिम बंगाल	23852
15.	नागालैंड	1800
16.	मेघालय	607
17.	पांडिचेरी	476

*बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की सूचना में क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल से संबंधित सूचना भी शामिल है।

@जो राज्य मैला ढोनेवालों से मुक्त घोषित हैं उनके संबंध में सूचना शामिल नहीं है।

विवरण-II

वर्ष 1992 में स्कीम शुरू किए जाने से अब तक मैला ढोनेवालों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम के तहत शामिल किए गए लाभग्राहियों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम@	सहायता प्राप्त लाभग्राहियों की कुल संख्या	
		प्रशिक्षण	पुनर्वास
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8056	28167

1	2	3	4
2.	असम	5891	1894
3.	बिहार	425	285
4.	हरियाणा	5747	15684
5.	हिमाचल प्रदेश	4502	2716
6.	जम्मू-कश्मीर	936	211
7.	कर्नाटक	1313	13656
8.	मध्य प्रदेश	49930	77512
9.	महाराष्ट्र	12976	19838
10.	पंजाब	0	531
11.	राजस्थान	11152	14169
12.	तमिलनाडु	9583	23687
13.	उत्तर प्रदेश	0	2354
14.	पश्चिम बंगाल	830	2979
15.	नागालैंड	0	0
16.	मेघालय	0	0
17.	पांडिचेरी	18	129
18.	छत्तीसगढ़	2153	879

नोट:- झारखंड और उत्तरांचल राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

@मैला ढोनेवालों से मुक्त घोषित राज्यों से संबंधित सूचना शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु विश्व बैंक सहायता

3383. श्री जुएल ओराम : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत क्षेत्र में सुधार उपायों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों को विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त अनुदानों/सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन राज्यों में क्या सुधार उपाय कार्यान्वित किए गए हैं; और

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) विद्युत सुधारों के क्रियान्वयन हेतु विश्व बैंक द्वारा विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्नवत है:-

(मिलियन अमेरीकी डालर में राशि)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	ऋण राशि	31.10.2004 तक समुपयोजन
1.	आंध्रप्रदेश	210.00	169.84
2.	हरियाणा	60.00	47.21
3.	उड़ीसा	237.67	231.73
4.	राजस्थान	180.00	99.77
5.	उत्तर प्रदेश	150.00	140.45

यह सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (30% अनुदान और 70% ऋण) के रूप में राज्यों को प्रदान की गई थी।

(ख) आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम, आंध्र प्रदेश पारेषण निगम और बाद में चार वितरण कंपनियों की स्थापना करके वर्ष 1999 में अपने राज्य विद्युत बोर्ड (रा.वि. बोर्ड) का पुर्नगठन किया था। राज्य ने विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना जुलाई, 1999 में की है। भारत सरकार ने राज्य को हानियों में कमी करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 265.11 करोड़ रु. प्रदान किये हैं।

हरियाणा ने हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लि. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि., दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. की स्थापना करके अगस्त, 1999 में अपने राज्य विद्युत बोर्डों का निगमीकरण कर लिया था। यहां रा. वि. विनियामक आयोग की स्थापना अगस्त 1998 में हुई थी।

भारत सरकार ने हरियाणा को हानियों में कमी करने के लिए 105.49 करोड़ रु. दिये हैं।

उड़ीसा विद्युत सुधार शुरू करने वाला पहला राज्य है। उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड का विकेन्द्रिकरण अप्रैल 1996 में उड़ीसा हाइडल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा को तथा 4 वितरण कंपनियों, यथा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लि., वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लि., सदर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लि. और नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लि. को मिलाकर किया गया। उड़ीसा विद्युत उत्पादन कंपनी पहले से अस्तित्व में थी। राज्य में वितरण क्षेत्र का वर्ष 1999 में ही निजीकरण कर दिया गया था। यहां राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना 1996 में की गई। आरंभिक सुधारों के कारण उड़ीसा में वर्ष 2003-04 में वित्तीय सुदृढ़ीकरण की स्थिति विकसित हो गई है।

राजस्थान में राज्य विद्युत बोर्ड का विकेन्द्रीकरण जुलाई, 2000 में किया गया। राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर विद्युत वितरण लि. अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. की स्थापना की है। राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना दिसम्बर, 1999 में की गई थी। भारत सरकार ने राजस्थान को हानियों में कमी करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 137.71 करोड़ रु. दिये हैं।

उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत बोर्ड का विकेन्द्रीकरण जनवरी, 2000 में किया गया। इसकी पश्चातवर्ती इकाइयों का नाम उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लि. (यू.पी.पी.सी.एल.), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि. है। तत्पश्चात् यूपीपीसीएल को चार वितरण कंपनियों में विभाजित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना सितम्बर, 1999 में की गई थी। उ.प्र. सरकार की विद्युत नीति के अंतर्गत वितरण व्यवसाय का प्राथमिकता आधार पर निजीकरण किया जाना विचाराधीन है।

(ग) भारत सरकार त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) चला रही है जिसके अंतर्गत राज्य विद्युत बोर्ड/यूटिलिटियों को कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी करने तथा रा. वि. बोर्डों की वाणिज्यिक अर्थक्षमता में सुधार करने के लिए निधि मुहैया कराई जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों को हानियों में कमी करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में अनुदान दी जाती है। एपीडीआरपी स्कीम के अंतर्गत राज्यों को 31.10.2004 तक भारत सरकार द्वारा निवेश घटक के तहत उपलब्ध कराई गई सहायता निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	निवेश (जारी की गई धनराशि)
1.	आंध्र प्रदेश	566.76
2.	हरियाणा	168.99
3.	उड़ीसा	54.35
4.	राजस्थान	345.34
5.	उत्तर प्रदेश	80.12

दिल्ली में झुग्गी बस्ती में आग

3384. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में आग लगने की घटनाएं आम बात हो गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान झुग्गी बस्तियों में कितनी बार आग लगने की घटनाएं हुई और इससे जान और माल का कितना नुकसान हुआ;

(ग) आग लगने की घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) आग लगने की घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा आग लगने की प्रत्येक ऐसी घटना की जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आग लगने की घटनाओं के कारणों में शोर्ट-सर्किट, लूज-वायर कनैक्शन, खुले चुल्हों से निकली ज्वाला और चिंगारिया तथा लोगों द्वारा निहित स्वार्थ के लिए झुग्गी बस्तियों में जान बूझकर आग लगाना शामिल है।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी, समय-समय पर यथा संशोधित, दिशानिर्देशों के अनुसार झुग्गियों में आग के शिकार लोगों को राहत सहायता दी जाती है।

(ङ) और (च) दिल्ली पुलिस ऐसी घटनाओं में, मामले दर्ज करने के बाद जांच करती है और जहां अपराध के प्रमाण उपलब्ध होते हैं वहां मामलों को विचारण के लिए भेजा जाता है।

विवरण

वर्ष	आग लगने की कुल घटनाएं	नष्ट झुग्गियों की कुल संख्या	अनुमानित हानि (रुपये लाखों में)	घायल व्यक्तियों की संख्या	मौतों की संख्या
2001-02	126	3765	1556	11	05
2002-03	145	3510	1224	45	26
2003-04	70	1100	456	03	02
कुल	341	8375	3236	59	33

बायोमास आधारित शीतागार

3385. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई ने ग्रामीण क्षेत्र के अनुप्रयोगों के लिए कम लागत वाले बायो-मास आधारित शीतागार प्रणाली को विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा आविष्कार की गई प्रौद्योगिकी का ग्रामीण क्षेत्रों में शीतागार सुविधा के लिए प्रयोग करने का है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ङ) मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना के अंतर्गत ऊर्जा अध्ययन संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई द्वारा बायोमास आधारित शीतागार प्रणाली के प्रयोगशाला पैमाने के मॉडल का विकास किया गया है। इसके प्रत्याशित अपेक्षाकृत कम विद्युत खपत के कारण, इस प्रौद्योगिकी का ग्रामीण क्षेत्रों में भी फलों एवं सब्जियों के भंडारण के लिए अनुप्रयोग किया जा सकता है। वाणिज्यिक स्तर पर उसकी पूर्ण तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध होने के पश्चात ही इस प्रौद्योगिकी की आगे और प्रतिकृति संभव होगी।

राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

3386. **श्री बी. विनोद कुमार :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान आज तक राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए राज्यों को निधियां जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्यों द्वारा विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में निष्पादित कार्य का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम नामक कोई योजना नहीं है अतएव इस कार्यक्रम के तहत किसी भी राज्य को निधियां जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

झारखंड में विद्युत परियोजना के विस्थापितों को रोजगार

3387. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड में तिलैया, कोणार्क बांध, बोकारो और चंद्रपुरा ताप विद्युत परियोजनाओं के विस्थापितों को अब तक रोजगार नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जानी है; और

(घ) इन परियोजनाओं के विस्थापितों को कब तक रोजगार दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ) तिलैया बांध, कोनार बांध, बोकारो ताप विद्युत परियोजना और चन्दपुरा ताप विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण भूमि खोने वालों को दिए रोजगार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

	परियोजना	सूचीबद्ध किये गये	रोजगार पाने वाले	शेष	अभ्युक्ति
1.	चंद्रपुरा टी.पी.एस.	61	31	–	30 आवेदकों को अयोग्य पाया गया और इसलिए उन्हें रोजगार नहीं दिया जा सका।
2.	बोकारो टी.पी.एस.	264	264	–	–
3.	तिलैया बांध	15	12	–	3 आवेदकों को अयोग्य पाया गया क्योंकि वे बिहार सरकार में कार्यरत थे।
4.	कोनार	12	12	–	–

राजसहायता में संशोधन

3388. **श्री चंद्रकांत खैरे :**
श्री ए.के. मूर्ति :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 110 सिंगल सुपर फास्फेट मैनुफैक्चरिंग यूनिटों में से केवल 64 यूनिटें चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सिंगल सुपर फास्फेट उत्पादकों ने राजसहायता में संशोधन किए जाने तक तदर्थ राहत की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) उर्वरक विभाग द्वारा दिनांक 17.5.2001 को जारी नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी एंड के) उर्वरकों की बिक्री संबंधी रियायत योजना के दिशा-निर्देशों में सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) उत्पादन इकाइयों के पहली बार और छमाही निरीक्षण कराने के लिए एक तकनीकी लेखा परीक्षा और निरीक्षण प्रकोष्ठ (टीएसी) का गठन करने का प्रावधान है। टीएसी को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (एफसीओ), 1985 में निर्धारित विशिष्टियों को पूरा करने के लिए एसएसपी के उत्पादन के लिए उपयुक्त रॉक फास्फेट की विशिष्ट श्रेणियों की पहचान करने का कार्य भी सौंपा गया था। टीएसी का गठन प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान में किया गया था। टीएसी ने एफसीओ की विशिष्टियों के अनुसार एसएसपी का उत्पादन करने में अपनी तकनीकी क्षमता की जांच करने के लिए वर्ष 2001 में पहली बार तकनीकी निरीक्षण किए थे। टीएसी की निरीक्षण रिपोर्टों की जांच करने के बाद केवल 56 इकाइयों को रियायत योजना के अंतर्गत बने रहने के योग्य पाया गया था। अन्य 10 इकाइयां, जो टीएसी के निरीक्षण के समय प्रचालन में नहीं थीं, को इस योजना के अंतर्गत बने रहने दिया गया बशर्ते कि वे उत्पादन प्रचालनों को फिर से शुरू करें। टीएसी की रिपोर्टों के अनुसार उस समय बकाया इकाइयों को तकनीकी आधार पर एफसीओ मानदंडों को पूरा करते हुए एसएसपी का उत्पादन

करने के लिए गैर-मौजूद/स्क्रैप कर बेची गई/जीर्ण-शीर्ण अवस्था/व्यापक मरम्मत की आवश्यकता/अक्षम पाई गईं। तत्पश्चात् दिनांक 5.8.2002 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत टीएसी द्वारा आवधिक (छमाही) निरीक्षणों की स्थितियों तथा उर्वरक विभाग द्वारा अधिसूचित रॉक फॉस्फेट की विशिष्ट श्रेणियों के प्रयोग को योजना के अंतर्गत रियायत दावा करने के योग्य बनाने हेतु एसएसपी इकाइयों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। योजना के अंतर्गत शामिल एसएसपी इकाइयों की संख्या में टीएसी की छमाही प्रौद्यो-वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों तथा नई एसएसपी इकाइयों की तकनीकी निरीक्षण रिपोर्टों, जिनमें योजना में शामिल करने का अनुरोध किया जाता है, के आधार पर लगातार संशोधन किया जाता है। वर्तमान में, योजना के अंतर्गत 65 इकाइयों को शामिल किया गया है और अन्य तीन इकाइयों ने रियायत योजना में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है।

(ख) एसएसपी उद्योग में कदाचार को रोकने तथा साथ ही एफसीओ मानदंडों के अनुरूप एसएसपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने टीएसी द्वारा निरीक्षण करने की आवश्यकता तथा रॉक फॉस्फेट की विशिष्ट श्रेणियों की अधिसूचना को लागू किया। टीएसी की निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर एफसीओ मानदंडों के अनुसार एसएसपी का उत्पादन करने में अक्षम इकाइयों को योजना की सूची से निकाल दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 29 एसएसपी इकाइयों के खिलाफ जांच करने के उपरांत 19 इकाइयों को योजना की सूची से निकाल दिया गया। इसके अलावा, पुनः उत्पादन शुरू करने वाली 10 इकाइयों में से केवल 6 इकाइयों को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसी प्रकार, पंजाब में स्थित 6 इकाइयों, जिनके खिलाफ राज्य सतर्कता विभाग ने जांच शुरू की थी, में से किसी भी इकाई को योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, दो इकाइयों के खिलाफ सीबीआई द्वारा न्यायिक कार्यवाही की जा रही है और इसलिए उन्हें योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा (सीएबी) ने एसएसपी के लागत मूल्य अध्ययन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सीएबी की सिफारिशों की उर्वरक विभाग द्वारा जांच की जा रही है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा एसएसपी के कुछ उत्पादकों ने रियायत में तदर्थ वृद्धि करने का अनुरोध किया है। भारत सरकार एसएसपी पर उचित रियायत देने के लिए एक कारगर कार्यप्रणाली तैयार कर रही है।

इंजीनियरिंग कालेजों का आधुनिकीकरण

3389. श्री बी. करुणाकर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों को उनके यहां स्थित इंजीनियरिंग कालेजों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार, कॉलेज-वार विशेषकर कर्नाटक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त उद्देश्य के लिए कुछ अन्य राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) आधुनिकीकरण और अप्रचलन निवारण योजना के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विभिन्न राज्यों की कतिपय श्रेणियों के तकनीकी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2003-04 के दौरान राज्यवार प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा विवरण-I में तथा कर्नाटक के मामले में संस्थानवार सहायता का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2003-04 के दौरान 'माडराब' योजना के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा कतिपय तकनीकी संस्थानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता

राज्य	राशि (लाख रु. में)
1	2
आंध्र प्रदेश	439
असम	52
छत्तीसगढ़	11
गोवा	28
गुजरात	186
हरियाणा	65
हिमाचल प्रदेश	15
कर्नाटक	720.46
केरल	76

1	2
मध्य प्रदेश	77
महाराष्ट्र	475
मणिपुर	11
उड़ीसा	126
पांडिचेरी	5
पंजाब	53
राजस्थान	31
तमिलनाडु	551
उत्तर प्रदेश	64
उत्तरांचल	10
पश्चिम बंगाल	205
कुल	3200.46

विवरण-II

वर्ष 2003-04 के दौरान 'माडराब' योजना के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा कर्नाटक के तकनीकी संस्थानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता

क्र. सं.	संस्थान का नाम	राशि (लाख रु. में)
1	2	3
1.	बी.एम.एस. कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, बैंगलोर	2.20
2.	बी.वी.वी.एस. पालिटेक्निक, बैंगलोर	31.20
3.	बी.वी.वी. संघ, एस.आर. वस्त्राद रूरल पालिटेक्निक, गुलेडगुड्ड	5.00
4.	बापूजी पालिटेक्निक, देवनगीर	15.00
5.	बी.वी.बी. कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, हुबली	17.00
6.	सी.वी.सी. रूरल पालिटेक्निक, हुंगुंड	13.00
7.	डी. बेनुमय्या पालिटेक्निक, मैसूर	12.40
8.	डी.आर.आर. गवर्नमेंट पालिटेक्निक, देवनगीर	18.60
9.	डी.ए.सी.जी. गवर्नमेंट पालिटेक्निक, चिकमगलूर	16.75
10.	डा. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, बैंगलोर	24.00
11.	जी.आर. इंस्टीट्यूट ऑफ कमर्शियल प्रेक्टिस, बैंगलोर	4.70
12.	गोमतेश पालिटेक्निक, बेलगांव	7.40
13.	गवर्नमेंट सीपीसी पालिटेक्निक, मैसूर	11.00
14.	गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलाजी, बैंगलोर	27.00
15.	गवर्नमेंट पालिटेक्निक, कामराजनगर	111.80
16.	गवर्नमेंट पालिटेक्निक फार वूमेन, हुबली	32.50
17.	गवर्नमेंट रेजीडेंशियल वूमेनस पालिटेक्निक, मंगलोर	8.00
18.	गवर्नमेंट वूमेनस पालिटेक्निक, गुलबर्गा	7.00
19.	जे.एस.एस. पालिटेक्निक, मैसूर	4.00
20.	जे.एस.एस. पालिटेक्निक फार फिजीकली हैंडीकेप्ड, मैसूर	18.50
21.	जे.एस.एस. पालिटेक्निक फार वूमेन, मैसूर	7.50
22.	के.एच. कबूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, धारवाड़	17.86
23.	एम.वी. पीठ्रज रूरल पालिटेक्निक, हॉसभावी	12.00
24.	मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, मणिपाल	6.00
25.	एम.ई.आई. पालिटेक्निक, बैंगलौर	6.30

1	2	3
26.	मोतीचंद लेंगड़े भारतेश पालिटेक्निक	7.00
27.	एन.आर.ए.एम. पालिटेक्निक, मीति	5.00
28.	पी.ई.एस. कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, मांड्या	40.00
29.	पी.वी.पी. पालिटेक्निक, बैंगलोर	18.25
30.	पूज्य डोडप्पापा कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, गुलबर्गा	22.00
31.	आर.एन. सेट्टी पालिटेक्निक, सिरसे	4.50
32.	रामनारायण चेलाराम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बैंगलोर	1.35
33.	एस.जी.ई.ई.एस. रूरल पालिटेक्निक, हुबली	5.00
34.	एस.जे. गर्वनमेंट पालिटेक्निक, बैंगलोर	25.00
35.	एस.जे.एम. पालिटेक्निक, चित्रदुर्ग	5.00
36.	सहयाद्री पालिटेक्निक	9.85
37.	संजय मेमोरियल पालिटेक्निक, सागर	12.00
38.	श्रीमती एल.वी. गर्वनमेंट पालिटेक्निक, रायचूर	10.00
39.	श्री बी.वी.वी.एस. बश्वेश्वर इंजीनियरिंग कालेज, बागलकोट	26.00
40.	टीपू शहीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी (पालिटेक्निक), हुबली	11.00
41.	टीएमएईएस पालिटेक्निक, होसपेट	19.80
42.	यूनिवर्सिटी बीडीटी कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, देवनगीर	25.40
43.	यूनिवर्सिटी बिश्वेश्वरैया कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, बैंगलोर	13.10
44.	वी.आई.एस.एस.जे. गवर्नमेंट पालिटेक्निक, भद्रावती	10.10
45.	वीएमवीवीएससीवी चरनथिमात रूरल पालिटेक्निक, चरनथिमात	13.50
	कुल योग	720.46

लश्कर-ए-तैय्यबा द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण

3390. श्री मोहन रावले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोधरा घटना से प्रभावित युवाओं को लश्कर-ए-तैय्यबा द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

बाढ़ सुपर ताप विद्युत परियोजना

3391. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बाढ़ सुपर ताप विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना की 660 मेगावाट की तीन इकाईयों को स्थापित किए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है; और

(घ) परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ) बिहार के पटना जिले में बाढ़ सुपर ताप विद्युत परियोजना (एस टी पी पी) की 1980 मे.वा. की उत्पादन क्षमता हेतु योजना बनाई गई है, जिसमें 660 मे.वा. प्रत्येक के तीन यूनिट होंगे। कोयले का जुड़ाव, रेल द्वारा ढुलाई की सहमति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति सहित परियोजना हेतु विभिन्न प्रतिबद्धताएं/स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। भूमि अधिग्रहण, स्थल को समतल करने, और अवसंरचनात्मक विकास के कार्यकलाप प्रगति पर हैं। 80% प्लांट लोड फैक्टर में 1980 मे.वा. की सभी तीन यूनिटों के सफल प्रचालन से 13876 मिलियन यूनिट

विद्युत का उत्पादन होगा। परियोजना को 11वीं योजना कार्य अवधि में आरंभ करने का कार्यक्रम है।

एकेडमिक स्टाफ कॉलेज

3392. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में चल रहे ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, जहां एकेडमिक स्टाफ कालेज चलाए जा रहे हैं;

(ख) शेष विश्वविद्यालय में इस प्रकार के कालेज खोलने के संबंध में क्या योजनाएं हैं; और

(ग) उक्त कॉलेजों के कब तक खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) देश के 51 विश्वविद्यालयों में एकेडमिक स्टाफ कालेज संचालित किए जा रहे है। इनमें से निम्नलिखित चार एकेडमिक स्टाफ कालेज मध्य प्रदेश राज्य में संचालित किए जा रहे हैं:-

(i) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

(ii) डॉ. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर

(iii) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

(iv) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर (सम-विश्वविद्यालय)

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2004-05 के दौरान पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए 76 विश्वविद्यालय विभागों/संस्थाओं को अभिनिर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) एकेडमिक स्टाफ कालेजों के कार्यकरण की समीक्षा की जा रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नए एकेडमिक स्टाफ कालेज स्थापित करने के संबंध में निर्णय भी लिया जाएगा। तथापि कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

सघन जनसंख्या वाले राज्य

3393. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार देश में सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) सबसे अधिक सघन जनसंख्या के राज्य होने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार लोगो की बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने में असमर्थ रहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) 2001 की जनगणना के अनुसार दिल्ली सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है जिसका घनत्व प्रति वर्ग कि.मी. 9340 व्यक्ति है। इसका मुख्य कारण यहां रोजगार के अवसरों की उपलब्धता है जिससे विशेषकर दिल्ली में स्थान परिवर्तन होता है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में 12,370,79 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया है। यह निवेश, विद्युत, परिवहन, जल आपूर्ति, शहरी विकास, शिक्षा, चिकित्सा और जनस्वास्थ्य क्षेत्रों में किया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों के लिए अनुमोदित परिव्यय 20,210,56 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के कारण हुई हानि

3394. श्री गणेश सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विभाजन ने राज्य विद्युत बोर्ड को प्रभावित किया है, जिससे कि मध्य प्रदेश के हिस्से की 1692 मेगावाट बिजली कम हो गई और इससे राज्य का नुकसान दोगुना होकर 2100 करोड़ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 37 तथा 75 के अंतर्गत राज्य को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 58 में राज्य विद्युत बोर्ड से संबंधित

प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 58(3) के अनुसार भारत सरकार एक तारीख नियुक्त करेगी जिससे वर्तमान राज्य विद्युत बोर्ड कार्य करना बंद कर देगा और समाप्त हुआ माना जाएगा। यह इस बात की भी व्यवस्था करता है कि यदि उत्तरवर्ती राज्यों के बची कोई समझौता नहीं होता है तो केंद्र सरकार आदेश द्वारा उस विधि को निर्धारित कर सकती है जिससे बोर्ड की परिसंपत्तियों का आबंटन उत्तरवर्ती राज्यों के बीच किया जाएगा।

भारत सरकार ने दोनों राज्यों की सुनवाई के पश्चात् और सभी उपयुक्त कारकों पर विचार करते हुए दिनांक 4 नवंबर, 2004 की अपनी अधिसूचना द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों के बीच एमपीइबी की परिसंपत्तियों और देयताओं के आबंटन के लिए आदेश जारी किए हैं।

अधिनियम की धारा 75(2) प्रबंध करती है कि केंद्र सरकार आदेश द्वारा संभाव्य हानि वाले केंद्र सरकार के उपक्रमों द्वारा उत्पादित विद्युत के लिए वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्य के अधिकार में उत्तरवर्ती राज्यों का हिस्सा भी निर्धारित करेगी जिन्हें इलेक्ट्रिक विद्युत के उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु संशोधित व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप किसी उत्तरवर्ती राज्य के लिए उत्पन्न किए जाने की संभावना है।

केंद्र सरकार ने दिनांक 31 जनवरी, 2001 के अपने आदेश के माध्यम से अस्थायी आधार पर उत्तरवर्ती राज्यों का हिस्सा निर्धारित किया है। सभी उपयुक्त कारकों और उत्तरवर्ती राज्यों को होने वाली हानि को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अंत में दिनांक 3 नवंबर, 2004 के आदेश के माध्यम से केंद्र सरकार के उपक्रमों द्वारा उत्पादित विद्युत के लिए वर्तमान मध्य प्रदेश के अधिकार में उत्तरवर्ती राज्यों का हिस्सा निर्धारित किया है।

पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण

3395. **श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पुलिसकर्मियों विशेषकर दिल्ली पुलिस का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुत से पुलिसकर्मियों को विभिन्न बिमारियों से पीड़ित पाया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे पुलिसकर्मियों को अवकाश पर भेजने अथवा उन्हें सेवा से हटाने का निर्णय किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने ऐसे पुलिसकर्मियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस सहित पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण निरंतर चलने वाला मामला है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय पुलिस बलों के सदस्यों की वार्षिक चिकित्सा जांच और बल के कार्मिकों के स्वास्थ्य और स्वस्थता से संबंधित अन्य मुद्दों के दिशानिर्देशों का अनुमोदन कर दिया है।

दिल्ली में जब्त की गई नकली सीडी और वीसीडी

3396. **श्री अधीर चौधरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने (आई पी आर) ने राजधानी में भारी मात्रा में करोड़ों रुपये की नकली सीडी/वीसीडी जब्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नकली सीडी/वीसीडी बनाने का उद्योग देश में कुटीर उद्योग की तरह फैल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रकार के उद्योगों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नकली कांपैक्ट डेस्कों के निर्माण में लिप्त 11 यूनिटों का पर्दाफाश किया है और लगभग 45 करोड़ रुपए मूल्य की पायरेटिड/नकली कांपैक्ट डिस्क, वीडियो

कांपैक्ट डिस्क, डिजिटल कांपैक्ट डिस्क और एम पी 3 जब्त किए हैं; और चालू वर्ष के दौरान 15 दिसम्बर तक इस संबंध में दिल्ली में 74 मामले दर्ज किए हैं।

(ङ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नकली/पायरेटिड सी डी, वी सी डी आदि के निर्माण और बिक्री के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, कापी राइट अधिनियम, 1957 और अन्य स्थानीय कानूनों के संगत उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

3397. **श्री सज्जन कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शहरी आवास विकास निगम लिमिटेड (हडको) जैसे एक महत्वपूर्ण संस्थान के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का विचार दिल्ली को हडको के कार्यक्षेत्र में लाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित सारे देश में विभिन्न आवास योजनाओं का वित्तपोषण करता है। हडको ने अपनी स्थापना से लेकर 31.10.2004 तक दिल्ली में 64 आवास एवं शहरी विकास परियोजनाएं स्वीकृत की हैं जिनके पूरा होने पर 17421 रिहायशी मकान उपलब्ध होंगे।

मंत्रालय के अन्तर्गत बैठक

3398. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य और वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव सामने आया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ङ) अन्य बातों के साथ-साथ दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य के मुद्दे पर विचार करने के लिए 18.8.2004 को सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों की एक बैठक थी। तथापि, चूंकि राज्य सामान्यत: दवाओं को बिक्री कर से मुक्त करने या समान स्तर तक दवाओं पर बिक्री कर घटाने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए, अत: बैठक में इस मुद्दे पर कोई अंतिम समाधान नहीं ढूंढा जा सका।

स्वायत्त कालेजों को सहायता

3399. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे स्वायत्त कालेजों को पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार देश में स्वायत्त कालेजों को और वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार देश के 11 राज्यों के 35 विश्वविद्यालयों के 165 कालेजों को स्वायत्त कालेज योजना के तहत स्वयत्तता प्रदान की गई है। इन कालेजों का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन स्वायत्त कालेजों को वर्ष 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान क्रमश: 121 लाख रु. 423.27 लाख रु. तथा 186.26 लाख रु. की राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षकों के प्रबोधन तथा पुन: प्रबोधन पाठ्यक्रमों की पुन: रूपरेखा तैयार करने तथा शिक्षण/अध्ययन सामग्री विकसित करने, परीक्षा सुधार और उपस्करों, फर्नीचर, पुस्तकों, तथा पत्रिकाओं की खरीद आदि के लिए स्वायत्त कालेज को प्रति वर्ष 12.00 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विवरण

स्वायत्त कालेजों का राज्य-वार/विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम		विश्वविद्यालय का नाम	स्वायत्त कालेजों की संख्या
1	2		3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	i.	आन्ध्र विश्वविद्यालय	8
		ii.	नागार्जुन विश्वविद्यालय	4
		iii.	उस्मानिया विश्वविद्यालय	9
2.	छत्तीसगढ़	i.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	4
		ii.	पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय	7
3.	गुजरात	i.	गुजरात विश्वविद्यालय	1
4.	हिमाचल प्रदेश	i.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	5
5.	कर्नाटक	i.	बंगलौर विश्वविद्यालय	5
		ii.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय	3
6.	मध्य प्रदेश	i.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय	4
		ii.	बरकातुल्लाह विश्वविद्यालय	2
		iii.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	6
		iv.	डा. हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय	4
		v.	जीवाजी विश्वविद्यालय	3
		vi.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	5
		vii.	विक्रम विश्वविद्यालय	1
7.	महाराष्ट्र	i.	डा. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	1
		ii.	पुणे विश्वविद्यालय	1
		iii.	शिवाजी विश्वविद्यालय	1
		iv.	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय	1
8.	उड़ीसा	i.	बहरामपुर विश्वविद्यालय	4
		ii.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय	5
		iii.	उत्कल विश्वविद्यालय	9
		iv.	उत्तरी उड़ीसा विश्वविद्यालय	1
9.	पांडिचेरी	i.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	1
10.	तमिलनाडु	ii.	भरतियार विश्वविद्यालय	16
		iii.	भारती दसन विश्वविद्यालय	16
		iv.	मद्रास विश्वविद्यालय	18
		v.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	10
		vi.	मैननमणियम सुन्दरनार विश्वविद्यालय	2
		vii.	पेरियार विश्वविद्यालय	2
		viii.	मदर टैरेसा महिला विश्वविद्यालय	2
11.	उत्तर प्रदेश	i.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1
		ii.	कानपुर विश्वविद्यालय	1
		iii.	पूर्वांचल विश्वविद्यालय	2

डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफेन के उच्च खपत के मानदंड

3400. श्री वी.के. तुम्मर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी मात्रा में डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफेन हाइड्रोक्लोराइड दवाई को निर्मित करने के लिए वोरखार्द को उच्च खपत मानदंड तथा संघटकों का उच्च मूल्य दिया गया है;

(ख) क्या नेशनल फार्मेस्यूटिकल प्राइसिंग अथोरिटी (एनपीपीए) के कुछ अधिकारियों ने अभिलेखों के सत्यापन हेतु इन कंपनियों का दौरा किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) एन.पी.पी.ए ने प्रपुज औषध डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सीफेन हाइड्रोक्लोराइड के लिए अपने पिछले प्रचलन के अनुरूप कोई विचलन बगैर खपत मानदंडो को 2004 में निर्धारित किया। चूंकि वोकहार्ट प्रपुंज औषध का निर्माण मूल स्तर से करता है, अत: मध्यवर्तियों के लिए अधिक कीमत देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कंपनी द्वारा भेजे गए आंकड़ों के सत्यापन के लिए एन.पी.पी.ए. के अधिकारियों ने नवम्बर, 2003 और मई 2004 में मेसर्स वोकहार्ट का दौरा किया।

पश्चिमी बंगाल में शहरों और कस्बों का विकास

3401. **श्री रूपचन्द्र मुर्मू :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न शहरों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सौंपी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत /अस्वीकृत /लंबित योजनाओं का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) योजना के दायरे में लाए गए शहरों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) लंबित योजनाओं को स्वीकृत करने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) लंबित योजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : छोटे तथा मझौले कस्बों का एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी)

(क) से (घ) छोटे तथा मझौले कस्बों का एकीकृत विकास स्कीम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता हेतु 36 कस्बों की परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। सभी परियोजना रिपोर्टें अनुमोदित कर दी गई हैं तथा कोई भी लंबित नहीं है। कस्बा-वार जारी केन्द्रीय सहायता विवरण I में दी गई है।

(ङ) और (च) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त कोई परियोजना रिपोर्ट लंबित नहीं है।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

(क) और (ख) 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले छोटे कस्बों में जल आपूर्ति स्कीमें कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता हेतु त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के नाम से एक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम है। केन्द्र और राज्य के बीच 50 : 50 के अनुपात में वित्तपोषण किया जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य से गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति/ब्यौरे विवरण II में दिए गए हैं।

(ग) वर्तमान वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार को जारी केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

वर्ष	धनराशि (लाख रु. में)
2001-02	180.43
2002-03	184.95
2003-04	417.62
2004-05	69.44

(घ) और (ङ) ब्यौरा विवरण II में दिए गए हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

पश्चिम बंगाल के लिए आईडीएसएमटी स्कीम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कस्बों के लिए अनुमोदित परियोजनाएं तथा हर वर्ष जारी केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	कस्बे	शामिल करने का वर्ष	परियोजना लागत	जारी केन्द्रीय सहायता			कुल केन्द्रीय सहायता
				2001-02	2002-03	2003-04	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सेथिया.	1996-97	140.00	42.00	—	—	42.00
2.	दीनहटा	1996-97	100.00	16.50	—	—	16.50
3.	बदुरिया	1996-97	200.00	14.50	—	—	14.00
4.	धुलियान	1996-97	200.00	35.00	—	—	35.00
5.	जोयनगर	1998-99	183.00	—	—	59.85	59.85
6.	डुबराजपुर	1998-99	200.00	58.50	—	—	58.50
7.	देनहाट	99-2000	100.00	67.00	—	—	67.00
8.	टाकी	99-2000	200.00	30.00	—	—	30.00
9.	इगरा	99-2000	202.50	51.00	—	—	51.00
10.	दुर्गापुर	99-2000	75.67	—	—	202.00	202.00
11.	रामजीवनपुर	2000-01	100.00	—	—	32.00	32.00
12.	खरार	2000-01	100.00	—	—	27.09	27.09
13.	खिरपाल	2000-01	90.00	—	—	34.00	34.00
14.	तहेरपुर	2001-02	161.57	13.50	7.00	—	20.50
15.	बेलडंगा	2001-02	200.16	15.00	—	—	15.00
16.	जमुरिया	2001-02	416.55	79.00	—	—	79.00
17.	जियागंज-अजीमगंज	2001-02	200.35	32.00	—	—	32.00
18.	कुपर्सकैंप	2001-02	93.00	22.00	—	—	22.00
19.	नलहाटी	2001-02	177.78	40.00	—	—	40.00

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	दार्जिलिंग	2002-03	353.70	—	50.00	—	50.00
21.	रायगंज	2002-03	500.76	—	65.00	—	65.00
22.	जलपाईगुड़ी	2002-03	351.96	—	50.00	—	50.00
23.	बेलूरघाट	2002-03	543.29	—	70.00	—	70.00
24.	पुरुलिया	2002-03	390.00	—	50.00	—	50.00
25.	कलना	2002-03	217.80	—	25.00	23.50	48.50
26.	कटवा	2002-03	358.12	—	50.00	—	50.00
27.	हल्दिया	2002-03	1061.80	—	83.00	—	83.00
28.	बहरामपुर	2002-03	818.82	—	105.00	—	105.00
29.	सिलीगुड़ी	2002-03	725.00	—	130.50	—	130.50
30.	हावड़ा	2003-04	141.14	—	—	84.00	84.00
31.	इंग्लिशबाजार	2003-04	147.85	—	—	88.50	88.50
32.	तारकेश्वर	2003-04	163.76	—	—	45.00	45.00
33.	धूपगुडी	2003-04	171.18	—	—	45.00	45.00
34.	कूचविहार	2003-04	409.06	—	—	75.00	75.00
35.	बासीरहाट	2003-04	687.10	—	—	85.00	85.00
36.	मिदनापुर	2003-04	950.00	—	—	95.40	95.40
	कुल		11131.92	515.50	685.50	896.34	2097.34

विवरण II

राज्य : पश्चिम बंगाल **स्थिति 5.12.2004**

क. पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुमोदित स्कीमें (लाख रुपये में)

क्र. सं.	कस्बे का नाम	जिला	आबादी (1991 की जनगणना)	मंजूरी की तारीख माह/वर्ष	परियोजना लागत	जून, 2004 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर लटवारी	जलपाईगुडी	12170	मार्च, 2002	128-84	32.03

1	2	3	4	5	6	7
2.	खटरा	बांकुरा	13265	सितम्बर, 2002	480-52	150.25
3.	उत्तर कामख्या-गुरी	जलपाईगुडी	9092	सितम्बर, 2003	130-40	0.00
4.	शाहजादपुर	मुर्शिदाबाद	13605	दिसम्बर, 2003	200.15	सूचित नहीं
5.	धूसरीपारा	मुर्शिदाबाद	9702	दिसम्बर, 2003	157.22	सूचित नहीं
6.	सेरपुर	मुर्शिदाबाद	5570	फरवरी, 2004	109.69	सूचित नहीं
7.	चाचंदा	मुर्शिदाबाद	7358	फरवरी, 2004	131.91	सूचित नहीं
8.	झालदा	पुरुलिया	17217	फरवरी, 2004	241.03	सूचित नहीं
9.	मिरिख	दार्जिलिंग	7023	मार्च, 2004	278.08	सूचित नहीं
10.	दारापुर	नाडिया	6607	मार्च, 2004	130.85	सूचित नहीं
11.	उत्तर बागडोगरा	दार्जिलिंग	12064	मार्च, 2004	88.40	सूचित नहीं
	कुल		113673		2077.1	182.28

ख. राज्य को वापस की गई स्कीमें

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	आबादी	परियोजना लागत	अभ्युक्ति
1.	दालखोला	उत्तर दीनाजपुर	10675 (1991)	114.45	जल आपूर्ति पर्याप्त है।

ग. विचाराधीन स्कीमें

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	आबादी	परियोजना लागत	अभ्युक्ति
1.	बंगन	हावड़ा	14465	61.69	तकनीकी रूप से अनुमोदित, वित्तीय मंजूरी अपेक्षित।
2.	बेलियाचख	मेदिनीपुर	10321	70.42	तकनीकी रूप से अनुमोदित, वित्तीय मंजूरी अपेक्षित।
				132.11	

एन.एस.सी.एन. नेताओं के साथ वार्ता

3402. श्री विजय कृष्ण :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के वार्ताकार ने 2004 के दौरान बैकाक में एन एस सी एन (आई एम) के नेताओं से भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो वार्ता का क्या ब्यौरा है;

(ग) बैठक का क्या परिणाम निकला; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस रघुपति) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) आयोजित विचार-विमर्श के अनुसरण में एन.एस.सी.एन (आई/एम) के साथ आपसी सहमति से वर्तमान संघर्ष विराम को 31 जुलाई, 2005 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि शांति-वार्ता निरंतर आधार पर जारी रखने के लिए एन.एस.सी.एन (आई/एम) के नेता दिल्ली आएंगे। एन.एस.सी.एन. (आई/एम) के नेता श्री स्वू और श्री मुइवाह, दिल्ली में आए और प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री से मिले तथा अनौपचारिक विचार-विमर्श किया।

(घ) राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ बातचीत करना, सामाजिक-आर्थिक आधारभूत ढांचे का विकास करना, सही प्रकार के कानून बनाना, पुलिस/सुरक्षा बलों को आधुनिक और मजबूत करना, समाज के निर्दोष लोगों की संपत्ति और जान-माल की रक्षा करने के लिए सुरक्षा बलों की सहायता से उग्रवादियों की गतिविधियों का मुकाबला करना शामिल है।

जनजातियों के लिए शैक्षणिक योजनाएं

3403. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जनजातीय शिक्षा के लिए प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र के जनजातीय जिलों में लंबित तथा प्रस्तावित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा जनजातीय लोगों के लिए शैक्षणिक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या जनजातीय लोगों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो जनजातीय युवा लड़कों तथा लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय को वर्ष 2004-05 के दौरान जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:–

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अपेक्षित राशि (लाख रु. में)
1.	थाणे, नासिक, अमरावती तथा नागपुर जिलों में शैड, हाल, बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण, जल आपूर्ति योजना, बाथरूम तथा शौचालयों की व्यवस्था, वैद्युतीकरण तथा सरकारी आश्रम स्कूलों की मरम्मत करना।	1200.00
2.	थाणे, नासिक, अमरावती तथा नागपुर जिलों में आंगनवाड़ियों/बस्ती स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण	86.00
3.	थाणे, नासिक, अमरावती तथा नागपुर जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए गुरुकुलों का निर्माण	207.00
4.	एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए आवर्ती अनुदान	366.51
5.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	1042.86 (जारी की गई)
6.	योग्यता का स्तरोन्नयन	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ

(घ) जी नहीं।

(ङ) जनजातीय शिक्षा हेतु बालकों के लिए छात्रावास, बालिकाओं के छात्रावास, आश्रम स्कूल, छात्रवृत्तियां पुस्तक-बैंक, योग्यता के स्तरोन्नयन, शैक्षिक परिसर, जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कम साक्षरता पाकेट, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, नि:शुल्क शिक्षा आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं। मौजूदा कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दाखिले में सीटों का आरक्षण, स्कूलों की स्थापना के मामले में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को प्राथमिकता, जनजातीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें तैयार करना, उपचारात्मक तथा विशेष कोचिंग, कट-आफ अंकों में छूट 'जीरो रिजैक्शन पालिसी' जैसे कार्यक्रम/प्रावधान हैं।

कोलकाता मेगा सिटी परियोजना का क्रियान्वयन

3404. श्री बसुदेव आचार्य : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कोलकाता मेगा सिटी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक इस परियोजना के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जारी धनराशि और पश्चिम बंगाल द्वारा मांग की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान कोलकाता महानगरीय क्षेत्र में शहरी पर्यावरण की ओर दिलाया गया है जिसे कि व्यापक उन्नयन की बहुत आवश्यकता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी वार्षिक अनुदान को बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/ की जानी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1993-94 से प्रचालित मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम कोलकाता सहित पांच मेगा शहरों पर लागू है। कोलकाता मेगा सिटी की अवस्थापनात्मक विकास परियोजनाएं कोलकाता मेगा सिटी की राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा मंजूर की जाती हैं।

(ख) जी हां।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार तथा प. बंगाल सरकार द्वारा कोलकाता मेगा सिटी की नोडल एजेंसी को जारी धनराशि इस प्रकार है :—

(करोड़ रु. में

वर्ष	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी राशि	राज्य सरकार द्वारा जारी राशि
1	2	3
2001-02	25.70	20.00
2002-03	26.23	20.00
2003-04	41.30	6.50
कुल	93.23	46.50

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान भी कोलकाता मेगा सिटी के लिए 46.17 करोड़ रु. जारी किए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) प. बंगाल सरकार ने मेगा शहरों में अवस्थाना विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अन्तर्गत धनराशि में वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

(च) कोलकाता में सीवरेज, जल निकासी, कचरा प्रबंधन तथा शहरी परिवहन सहित बुनियादी शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 350 मिलियन यूएस डालर की अनुमानित लागत पर एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से सहायता प्राप्त कोलकाता पर्यावरणीय सुधार परियोजना (एल एल 1813 : आईएनडी) का कार्य पं. बंगाल सरकार द्वारा आरम्भ किया गया है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) 220 मिलियन यू एस डालर तक का ऋण मुहैया कराएगा। परियोजना कोलकाता नगर निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

मेगा सिटी स्कीम के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध बजट प्रावधान तथा 5 मेगा शहरों के बीच उपलब्ध धनराशि के नियतन के लिए तर्कसंगत फार्मूला के अनुसार जारी की जाती है। हाल ही में कोलकाता मेगा शहर के लिए नियतन में पर्याप्त वृद्धि की गई है। जैसाकि 2001-02 तथा आगे के वर्षों के केन्द्रीय नियतन से स्पष्ट है।

[हिन्दी]

साक्षरता कार्यक्रम को सुचारु बनाना

3405. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्री मुन्शी राम :
श्री फुरकान अंसारी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को साक्षरता कार्यक्रम को सुचारु बनाने, प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए भवन के प्रावधान, गांवों

में प्राथमिक विद्यालयों के उन्नयन तथा शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव कई राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है तथा कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान गोवा राज्य को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की साझेदारी में प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता के सर्वसुलभीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 2004-05 के दौरान जिला/राज्य वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के अंग के रूप में प्राथमिक स्कूल खोलने तथा उच्च प्राथमिक स्कूल के रूप में स्तरोन्नयन के लिए प्रस्ताव भेजा था तथा इन सभी प्रस्तावों को केंद्र सरकार द्वारा 16 सितम्बर, 2004 तक अनुमोदित कर दिया गयां भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगभग 3025.766 करोड़ रु. तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत लगभग 338.00 करोड़ रु. की राशि जारी की है जिनमें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के अनुसार नए प्राथमिक स्कूलों तथा उच्च प्राथमिक स्कूल के रूप में प्राथमिक स्कूलों के स्तरोन्नयन के लिए निधियां शामिल हैं।

20.12.2004 की स्थिति के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अधीन अनुमोदित परिव्यय तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किये गये अनुदान को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत 30.11.2004 की स्थिति के अनुसार राज्यों को जारी/संस्वीकृत किये गये अनुदान को दर्शाने वाला एक अन्य ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन (क्लास) की संशोधित योजना के तहत जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, उत्तरांचल, चंडीगढ़, केरल, नागालैंड और राजस्थान से कम्प्यूटर शिक्षा योजनाएं प्राप्त हुई हैं। क्लास योजना बंद हो चुकी है। ऊपर उल्लिखित प्रस्तावों पर सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना तैयार करने के पश्चात विचार किया जाएगा।

विवरण-I

वर्ष 2004-05 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुमोदित परिव्यय और जारी अनुदानों को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	20.12.2004 की स्थिति के अनुसार	
		वर्ष 2004-05 के दौरान अनुमोदित परिव्यय (रु. लाख में)	वर्ष 2004-05 के दौरान जारी राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	57010.81	17000
2.	अरूणाचल प्रदेश	6403.34	1504.5
3.	असम	31746.45	11654
4.	बिहार	88482.78	31970.56
5.	छत्तीसगढ़	39396.35	9597
6.	गोवा	0	0
7.	गुजरात	29184.05	7872
8.	हरियाणा	22918.55	5196.55
9.	हिमाचल प्रदेश	12156.45	3615
10.	जम्मू और कश्मीर	20703.5	6848.28
11.	झारखंड	44696.15	7809.93
12.	कर्नाटक	43532.62	15868.46
13.	केरल	16789.72	5939
14.	मध्य प्रदेश	125043.89	25411
15.	महाराष्ट्र	85602.18	20489.79
16.	मणिपुर	4601.13	500
17.	मेघालय	5427.12	1926
18.	मिजोरम	4670.57	1650.12
19.	नागालैंड	3439.7	1288.49
20.	उड़ीसा	64004.24	7307.27

1	2	3	4
21.	पंजाब	20034.92	0
22.	राजस्थान	64089.92	11000
23.	सिक्किम	1600.68	600.25
24.	तमिलनाडु	43330.26	11217
25.	त्रिपुरा	6255.74	2332.25
26.	उत्तर प्रदेश	160446.44	57761
27.	उत्तरांचल	13039.61	4413.33
28.	पश्चिम बंगाल	87773.91	31024.36
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	589.9	107
30.	चंडीगढ़	1401.31	447.95
31.	दादरा और नगर हवेली	877.66	0
32.	दमन और दीव	271.18	0
33.	दिल्ली	4224.68	0
34.	लक्षद्वीप	80.38	0
35.	पांडिचेरी	1059.7	225.53
	कुल	1110937.58	302576.62

विवरण II

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्यों को जारी/संस्वीकृत अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण (30.11.2004 की स्थिति के अनुसार)

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	जारी/संस्वीकृत अनुदान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4500.00
2.	बिहार	2800.00
3.	झारखंड	6145.00
4.	गुजरात	795.10
5.	उड़ीसा	2991.03
6.	राजस्थान	5000.00
7.	उत्तर प्रदेश	6469.00
8.	उत्तरांचल	1310.12
9.	पश्चिम बंगाल	3790.00
	कुल	33800.25

[अनुवाद]

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी के शुल्क में वृद्धि

3406. मो. मुकीम :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली में पानी के शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 3-4 वर्ष पहले दिल्ली जल बोर्ड ने भुगतान पर नए मीटर लगाए थे, जिनका कि रख-रखाव उसे ही करना था परन्तु इनमें से अधिकतर मीटर खराब हो गए हैं तथा दिल्ली जल बोर्ड पिछले कई वर्षों से किसी रीडिंग के बिना तदर्थ बिल भेज रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली जल बोर्ड का विचार मूल व्यवस्था के अनुसार उन मीटरों को बदलने/मरम्मत करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या स्वयं अधिभोगी कई मकानों में एक से अधिक मीटर हैं हालांकि वहां केवल एक ही परिवार है और एक ही पानी की टंकी है;

(छ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है; और

(ज) पानी की लीकेज को रोकने, जल संवितरण ट्रांसमिशन प्रणाली को सुधारने, घरेलू जल आपूर्ति के इस्तेमाल पर निगरानी तथा दिल्ली में पानी की कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि जल शुल्क अंतिम बार वर्ष 1998-99 के दौरान संशोधित किए गए थे। तब से जल व सीवरेज संयंत्रों, अवस्थापना, बिछाने की लागत, कच्चे पानी तथा विद्युत की परिचालन व रखरखाव लागत में वृद्धि हुई है। इसे तर्कसंगत बनाने, मांग प्रबंधन प्रारंभ करने तथा कुछ हद तक व्यय और आय के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए शुल्क संशोधित किए गए हैं।

(ग) से (ङ) दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं को नए जल मीटर मुहैया कराए थे, जिनका रखरखाव उन्हीं के द्वारा किया जाता है। जल मीटरों की मरम्मत की एक सतत प्रक्रिया है और जल मीटरों की आवधिक मरम्मत/बदली की जाती है। कार्य नहीं कर रहे मीटरों के मामले में दिल्ली जल बोर्ड औसत खपत के आधार पर जल प्रभार की गणना करता है।

(च) और (छ) दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि एक मकान में एक से अधिक मीटर लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ज) दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली में पानी की कमी की पूर्ति के लिए पानी के रिसाव को रोकने, जल संवितरण प्रणाली में सुधार करने, घरेलू जल आपूर्ति के उपयोग की जांच रखने तथा पानी में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) दिल्ली जल बोर्ड में प्रणाली में रिसावों का पता लगाने में पहले से सक्रिय रहने हेतु एक रिसाव संसूचक प्रकोष्ट है।

(2) दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में जन जागृति अभियान/प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(3) पुरानी पानी की लाइनों की बदली।

(4) वास्तविक बिल की तुलना में वास्तविक जल आपूर्ति का पता लगाने के लिए विभिन्न पंपिंग मेन/वितरण मेन पर भारी मात्रा में जल मीटर लगाए जा रहे हैं।

(5) दिल्ली में जल आपूर्ति में वृद्धि के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(i) सोनिया विहार में 140 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) जल शोधन संयंत्र की निर्माण।

(ii) नांगलोई में 40 एमजीडी जल शोधन संयंत्र प्रारंभ किया गया है।

(iii) मुनक (हरियाणा) से हैदरपुर जल शोधन संयंत्र तक समानांतर लाइन चैनल का निर्माण, जिससे करीब 80 एमजीडी पानी की बचत होगी।

(iv) बवाना में 20 एमजीडी संयंत्र का निर्माण।

(v) ओखला में 20 एमजीडी संयंत्र तथा द्वारका में 40 एमजीडी संयंत्र की योजना बनाई गई है।

(6) दिल्ली जल बोर्ड अप्रवाही जल को पुनःशोधित करने तथा पीने के प्रयोजनार्थ शोधित करने के लिए भी प्रस्ताव कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत 45 एमजीडी जल प्राप्त किया जा सकेगा।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

3407. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशभर के विभिन्न कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने, देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तथा सेवा शर्तो के विरोध में एक संयुक्त मार्च निकाला था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा सौंपी गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) पूरे देश के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने अखिल भारतीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षक संगठन परिसंघ तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक संगठन परिसंघ के संयुक्त बैनर तले 6 दिसम्बर, 2004 को संसद तक संयुक्त मार्च किया। इन संघों द्वारा प्रस्तुत मांगों में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:– कालेजों में प्रोफेसर के पद की बहाली, 1 जनवरी, 1996 से जीविका तरक्की योजना (सीएएस) को लागू करना, सीएएस के लिए पिछले सेवा की परिगणना, सीपीएफ के स्थान पर जीपीएफ अपनाने के लिए एक और विकल्प देना, पुस्तकालयध्यक्षों तथा शारीरिक शिक्षा निदेशकों की शिक्षकों के साथ समतुल्यता की बहाली।

इस मंत्रालय में आयोजित बैठकों में संघों द्वारा प्रस्तुत मांगों पर उनके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई है तथा फिलहाल ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से जांच के अधीन हैं।

[हिन्दी]

चंडीगढ़ में सेवानिवृत्ति लाभ योजना का आरम्भ

3408. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर पंजाब के वेतनमान, सेवा शर्तें लागू होती हैं;

(ख) क्या पंजाब प्राइवेटली मैनेजड रिकोग-नाइज्ड एडेड स्कूल्स सेवानिवृत्ति लाभ योजना 1992 की तर्ज पर चंडीगढ़ में सेवानिवृत्ति लाभ की एक योजना आरंभ करने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसे लागू न करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) पंजाब प्राइवेटली मैनेज्ड रिकाग्नाइज्ड एडेड स्कूल्स सेवानिवृत्ति लाभ योजना, 1992 की तर्ज पर चंडीगढ़ प्रशासन सेवानिवृत्ति लाभ योजना, 1998 को लागू करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था लेकिन इसे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधार पर नामंजूर कर दिया गया था:–

(क) सी सी एस पेंशन योजना लागू करने की लागत सी पी एफ योजना से कहीं अधिक है।

(ख) किसी पेंशन योजना को लागू करने के लिए एक पेंशन कोष स्थापित करना तथा एक ट्रस्ट द्वारा उसका प्रबंध किया जाना अपेक्षित है। इस कोष के विवेकसम्मत प्रशासन में कठिनाइयां आ सकती हैं और यदि यह कोष अक्षम हो जाता है तो सरकार को इस कमी को पूरा करना पड़ेगा तथा पेंशन की जिम्मेदारी लेनी होगी।

तुगलकाबाद किले की भूमि पर अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण

3409. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** दिनांक 19 अगस्त, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3490 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित 2002 की एस.एल.पी. संख्या-4821 की स्थिति क्या है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने तुगलकाबाद किले की भूमि से सभी अवैध अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु कोई आदेश/निदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशों/निर्देशों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) मामला न्यायाधीन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"इब थर्मल पॉवर परियोजना का विस्तार

3410. श्री जुएल ओराम : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में इब थर्मल पॉवर प्लांट की तृतीय और चतुर्थ इकाइयों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है और इन दोनों इकाइयों के पूरा होने के बाद कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, और

(ग) इन एककों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने हेतु निर्धारित लक्षित तिथि क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की निर्माण दौरान ब्याज (आईडीसी) समेत अनुमानित लागत 1542 करोड़ रु. है। इन यूनिटों को पूरा करने पर इनसे 80% संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) प्रतिदिन की दर से 420 मेगा वाट विद्युत (8.06 मिलियन यूनिट) उत्पादन किया जाएगा। अभी परियोजना की वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख तय नहीं की गई है।

[हिन्दी]

बी एस एन एल पर बकाया राशि

3411. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का भारत संचार निगम लिमिटेड पर कालीबाड़ी मार्ग, नई दिल्ली के टाइप-एक, से टाइप-पांच के सरकारी क्वार्टरों को जलापूर्ति करने हेतु कोई बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तथ्य के बावजूद एन.डी.एम.सी. पानी के बिलों पर अधिभार लगा रहा है कि 1984 से ये बिल भारत संचार निगम लिमिटेड अथवा दूरसंचार विभाग को कभी भेजे ही नहीं गए;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या तर्काधार है और बी.एस.एन.एल. पानी के उन बिलों पर अधिभार का भुगतान क्यों करे जो उसे कभी प्राप्त ही नहीं हुए थे;

(ङ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि बी.एस.एन.एल. को पानी के संशोधित बिल भेजे जाएं तथा एन.डी.एम.सी. द्वारा ऐसे बिल कब तक भेजे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी हा. श्रीमान। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के दिसम्बर, 2004 तक के बिलिंग चक्र के बिजली/जल प्रभार की कुल 1,67,16,888/रु. की राशि भारत संचार निगम लिमिटेड पर बकाया है।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने भुगतान न किए गए उन बिलों, जो भारत संचार निगम लिमिटेड के पंजीकृत पतों पर भेजे गए हैं, पर अधिभार लगाया है।

(घ) चूकिं बिल नियमित रूप से भारत संचार निगम लिमिटेड के पंजीकृत पतों पर भेजे जा रहे हैं, इसलिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा अपनाए गए संकल्प सं. 17 दिनांक 17 सितम्बर, 1993 के अनुसार भुगतान न किए गए बिलों पर अधिभार लगाना न्यायोचित है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बिलों को संशोधित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) उपभोक्ताओं को इस समय उपलब्ध अधिभार में एक बारगी छूट की योजना का लाभ उठा सकती है।

[अनुवाद]

पुलिस बलों की बेहतरी के लिए समिति का गठन

3412. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आतंकवाद से लड़ने और आंतरिक सुरक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु पुलिस बलों की बेहतरी के लिए समिति गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

पी.एफ.ए. अधिकारियों की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति

3413. श्री ए.एफ.जी. ओसमानी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पी.एफ.ए. अधिकारियों के पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति से संबंधित मामले लंबे समय से केंद्रीय अन्वेषण ब्यौरों के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाद्य पदार्थ मिलावट निवारण विभाग के एक खाद्य निरीक्षक के विरुद्ध ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के संबंध में 2001 में एक मामला दर्ज किया गया था और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा इस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। इस मामले में फील्ड जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है और इसकी अब कानूनी छानबीन की जा रही है।

जल संवितरण और स्वच्छता कार्यों का निजीकरण

3414. श्री मोहन रावले :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के मुंबई और अन्य शहरों में जल संवितरण और स्वच्छता कार्यों का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी क्षेत्र की भागीदारी से शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता के कार्यों में किस सीमा तक सुधार आएगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) शहरी जल आपूर्ति और सफाई राज्य विषय होने के कारण इस मुद्दे पर राज्य सरकारों को निर्णय लेना है। केन्द्र सरकार मददगार की भूमिका अदा करती है तथा इसने भारत में शहरी जल आपूर्ति और सफाई सेवाओं के क्षेत्रों में सुधार तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

मुंबई के संबंध में, ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम ने मुंबई के (पूर्व) वार्ड में पेयजल के वितरण के लिए पायलट निजी क्षेत्र भागीदारी (पीएसपी) माडल के डिजाइन और विकास के लिए सार्वजनिक निजी अवसंरचना परामर्शी सुविधा (पीपीआईएएफ) के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मांग की थी। पीपीआईएआर ने जुलाई, 2004 में इस गतिविधि के लिए 692,500 अमेरीकी डालर के वित्तपोषण हेतु अनुमोदन प्रदान किया है तथा इस गतिविधि के लिए विश्व बैंक के सीनियर सेनिटरी इंजीनियर को कार्यबल प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ग) शहरी जल आपूर्ति और सफाई में निजी क्षेत्र की भागीदारी उस सीमा तक मददगार साबित हो सकती है जब तक कि यह क्षेत्र में सुधारों के साथ जुड़ी हो तथा संसाधन अन्तराल को कम करें।

[हिन्दी]

मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

3415. श्री रामदास आठवले : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मलिन बस्तियों में रहने वाले दलितों की महानगरवार अनुमानित संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान के लिए कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान मलिन बस्तियों के विकास हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) स्लम बस्तियों मे रह रहे लोगों की संख्या में वृद्धि के मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में बेहतर रोजगार अवसर, शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएं आदि हैं जिनके कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को लोगों के प्रवसन के साथ-साथ आबादी में प्राकृतिक वृद्धि होती है।

(ग) स्लम बस्तियों में रह रहे दलितों की संख्या के बारे में महानगर-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) स्लम विकास एक राज्य विषय है। तथापि, स्लम वासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा शहरी स्लमों के विकास हेतु अगस्त, 1996 में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि स्लम आबादी के यथानुपात

आधार पर विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में आबंटित की जाती है।

इसके अलावा, बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम 2.12.2001 को शुरू की गई थी ताकि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे शहरी स्लम वासियों, जिनके पास पर्याप्त शेल्टर नहीं है, की स्थित में सुधार लाया जा सके। इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य स्लम वासियों के लिए रिहायशी इकाईयों का निर्माण करना और उनका उन्नयन करना तथा इस स्कीम के एक घटक निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के जरिये एक स्वस्थ और उपयुक्त शहरी पर्यावरण उपलब्ध कराना है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) और बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नवत है:-

(करोड़ रुपये में)

स्कीम का नाम	वर्ष			
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
एनएसडीपी	282.40	333.44	335.08	295.42
वाम्बे	73.56	217.60	230.61	92.07

[अनुवाद]

बौद्धिक संपदा अधिकार

3416. श्री सुरेश कलमाडी :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संगीत उद्योग ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस विभाग के अंतर्गत एक प्रवर्तन एजेंसी गठित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में विद्यमान सांविधिक प्रबंध क्या होंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय संगीत उद्योग जो भारत में संगीत उद्योग के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, से बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षणार्थ पुलिस विभाग के अधीन किसी प्रवर्तन एजेंसी के गठन के लिए कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारतीय संगीत उद्योग द्वारा कॉपीराइट सोसाइटियों के सुदृढ़ीकरण के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसके अंतर्गत कॉपीराईट अधिनियम के अंतर्गत मामलों का पता लगाने के लिए इस मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष प्रकोष्ठ के सृजन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था। उन्होंने इस संबंध में कोई ब्यौरा नहीं दिया है।

(ग) कॉपीराईट अधिनियम, 1957 में कॉपीराइट से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए सिविल तथा अपराधिक उपायों का प्रावधान किया गया है। राज्य के सामान्य न्यायिक तथा पुलिस तंत्र को ऐसे मामलों से निपटने के अधिकार सौंपे गए हैं।

[हिन्दी]

यूनेस्को द्वारा पुरस्कार

3417. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनेस्को ने आज की तिथि तक कितने भारतीय लोगों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किया है;

(ख) क्या सरकार ने यूनेस्को द्वारा पुरस्कार वितरण के किसी मामले में आपत्ति जताई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यूनेस्को की इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) महोदय, यूनेस्को द्वारा अब तक 49 भारतीयों/भारतीय संगठनों (प्रो. जे.एस. राजपूत को छोड़कर) को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने यूनेस्को द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए पुरस्कारों के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई है। तथापि, जब श्री जे.एस. राजपूत, पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, को वर्ष 2004 हेतु ''जन आमोस कोमिनियस मेडल'' नामक पुरस्कार (शैक्षिक अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु चेक गणराज्य तथा यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाला संयुक्त पुरस्कार) दिए

जाने की घोषणा की गई, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूनेस्को से केवल यही अनुरोध किया था कि चूंकि उनके खिलाफ कई मामलों की जांच चल रही है, अत: उन्हें दिए जाने वाले पुरस्कार को आस्थगित रखने पर वह विचार करे। तद्नुसार, श्री जे.एस. राजपूत को पुरस्कार के रूप में दिए जाने वाले मेडल को यूनेस्को ने आस्थगित रखा है।

[अनुवाद]

अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात

3418. श्री सी.के. चन्द्रप्पन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन सी टी ई) ने अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से तीन वर्षों के लिए शर्तों में छूट हेतु अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने क्या निर्णय लिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2002 में कतिपय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए मानकों एवं मानदण्डों में संशोधन किया गया था। बी.एड. पाठ्यक्रम, जिसके लिए केरल सरकार ने छूट हेतु अनुरोध किया था, के लिए वर्ष 2002 में शिक्षक-छात्र अनुपात को 1:12 से बढ़ाकर 1:12.5 कर दिया गया था।

केरल सरकार ने अतिरिक्त पदों के सृजन में अपनी असमर्थता के आधार पर राज्य के 21 सहायता प्राप्त बी.एड. कालेजों के लिए मौजूदा शिक्षक छात्र अनुपात में 3 वर्ष की अवधि के लिए 1:12.5 के उपर्युक्त मानदण्ड में छूट देने की अनुमति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से संपर्क स्थापित किया था।

परिषद् ने उपर्युक्त अनुरोध को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता की सूचना मार्च, 2004 में राज्य सरकार को दे दी थी।

गाजीपुर में बूचड़खाना निर्माण

3419. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री विजय कृष्ण :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसूचना एजेंसियों ने सरकार को यह सूचित किया है कि विदेशी एजेंसियां गाजीपुर में बूचड़खाने के निर्माण में अभिरुचि दिखा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सी.एन.जी. पाइपलाइन और हिंडन वायु सेना केन्द्र इत्यादि जैसी सरकारी स्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते है।

[हिन्दी]

हुडको द्वारा आवास ऋण

3420. श्री सज्जन कुमार : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) जरूरतमंद लोगों को आवास ऋण उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो आवास ऋण देने के लिए क्या मानदंड है;

(ग) क्या यह ऋण सुविधा पुनर्वास कालोनियों के निवासियों के लिए भी उपलब्ध है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पुनर्वास कालोनियों के निवासियों को ऋण सुविधा देने का है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हडको निवास योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आवास ऋण उसकी पुनर्भुगतान क्षमता तथा आय, आयु, अर्हता, आश्रितों की संख्या, पति/पत्नी की आय, परिसंपत्तियां, देयताएं, पेशे के स्थायित्व और जारी रहने तथा बचत आदि जैसे तथ्यों के आधार पर दिया जाता है।

(घ) से (च) उपर्युक्त को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

3421. श्री पी.पी. कोया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए किस दर से छात्रवृत्ति दी जाती है;

(ख) ये दरें कब निर्धारित की गई थीं;

(ग) क्या इन छात्रवृत्ति दरों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कितना और इन दरों को कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार छात्रवृत्ति को बढ़ाकर केरल के उन अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के बराबर करने का है जिनके साथ वे अध्ययन कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातीय छात्रों हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। पाठ्यक्रमानुसार छात्रवृत्ति की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं। ये दरें लक्षद्वीप समेत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से लागू हैं। तथापि, लक्षद्वीप ने इस योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय से अब तक कोई अनुदान नहीं लिया है।

(ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की दरें हाल ही में इस मंत्रालय के दिनांक 19 फरवरी, 2004 के आदेश के तहत उर्ध्वगामी रूप से संशोधित की गई है और ये दरें 1.4.2004 से प्रभावी होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, नहीं। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति की दरें केरल एवं लक्षद्वीप समेत सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में समान रूप से लागू हैं।

विवरण

पाठ्यक्रम समूह	पाठ्यक्रम का नाम	प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ते की दर	
		छात्रावासों में रहने वालों के लिए	दिवा छात्रों के के लिए
1	2	3	4
समूह-1	चिकित्सा (एलोपैथिक, भारतीय एवं अन्य मान्यताप्राप्त चिकित्सा शास्त्र) इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कृषि, चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान में तथा प्रबंधन, व्यापार वित्त, वाणिज्य प्रशासन एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान (हेलीकाप्टर पायलेट और मल्टी इंजन रेटिंग सहित) कमर्शियल पायलट लाइसेंस पाठयक्रम में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठयक्रम, जिसमें एम.फिल., पीएचडी एवं पोस्ट डाक्टोरल रिसर्च शामिल हैं।	740	330
समूह-2	अन्य व्यावसायिक एवं तकनीकी स्नातक एवं स्नातकोत्तर (एम.फिल. एवं पीएचडी एवं पोस्ट डाक्टोरल रिसर्च सहित) स्तर के पाठयक्रम, जो ऊपर	510	330

1	2	3	4
	समूह-1 में शामिल नहीं हैं। सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस. इत्यादि पाठ्यक्रमों हेतु सभी स्नातकोत्तर, स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम सभी सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रम।		
समूह-3	स्नातक एवं इससे ऊपर की डिग्री के लिए ऐसे सभी प्रकार के पाठ्यक्रम, जो समूह 1 एवं 2 में शामिल नहीं हैं।	355	185
समूह-4	सभी मैट्रिक स्तर के पाठ्यक्रम जो स्नातक पूर्व यथा 10+2 प्रणाली में कक्षा-11 एवं कक्षा-12, जो समूह-2 अथवा 3 में शामिल नहीं है। आईटीआई पाठ्यक्रम एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम (यदि अध्ययन हेतु न्यूनतम अर्हता मैट्रिक उत्तीर्ण है)।	235	140

वर्षा जल संचयन

3422. श्री सुरेश चन्देल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जल की कमी के मद्देनजर राज्यों में घरों की छतों पर वर्षा जल के संचयन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वर्षा जल को समुद्र में जाने से रोकने और अन्य उद्देश्यों के लिए इसे उपयोगी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण तथा वर्षा जल एकत्रीकरण हेतु एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की है। इसमें विभिन्न राज्यों में छत का वर्षा जल एकत्र करने वाली प्रणालियों सहित विभिन्न प्रकार की वर्षाजल एकत्रीकरण और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम को अभी केंद्र सरकार का अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त स्कीम में भूजल भंडारण के पुनर्भरण और इसमें वृद्धि करने के लिए अधिशेष मानसून जल का उपयोग करने की भी बात कही गई है। इससे वर्षा जल के समुद्र में प्रवाह को कम करने में मदद मिलेगी। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने सूचित किया है कि उसने नौंवीं योजना के दौरान ''वर्षा जल एकत्रीकरण और भूजल कृत्रिम पुनर्भरण'' नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित की है। कार्यान्वित की गई इस स्कीम तथा प्रदान की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

शहरी विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्षा जल एकत्रीकरण के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय/केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया साहित्य/दिशानिर्देश उन क्षेत्रों में अपनाने के लिए भेजा है जहां भूजल स्तर में तीव्र गिरावट आयी है। राज्य सरकारों को मौजूदा सरकारी कार्यालयों/भवनों तथा आवासीय परिसरों में इसकी शुरूआत करने और भवन उपनियमों में संशोधन करके सभी नये भवनों के लिए इसे अनिवार्य बनाये जाने हेतु भी परामर्श दिया गया है। इस मंत्रालय ने 28.7.01 को दिल्ली एकीकृत भवन उपनियम, 1983 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना भी जारी की है जो 100 वर्ग मीटर और इससे बड़े भूखंडों पर बनने वाले सभी नए भवनों में वर्षा जल सहित बहने वाले जल का भंडारण करके जल एकत्रीकरण को अनिवार्य बनाती है। इसी प्रकार 10,000 लीटर और इससे अधिक जल प्रतिदिन प्रवाहित करने वाले सभी भवनों में जल रीसाइक्लिंग प्रणाली शामिल की जायेगी। रीसाइकिल किया गया जल का बागवानी प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान कार्यान्वित "भूजल कृत्रिम पुनर्भरण" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत कृत्रिम पुनर्भरण परियोजना का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत स्कीमों की संख्या	अनुमोदित स्कीमों की लागत लाख रुपए में	पूर्ण स्कीमों की संख्या	चालू स्कीमों की संख्या	छोड़ी गई स्कीमों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	10	54.55	10	0	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	20.00	1	0	0
3.	असम	1	63.50	1	0	0
4.	बिहार	2	10.52	1	0	1
5.	चंडीगढ़	7	64.23	7	0	0
6.	दिल्ली	18	96.07	15	1	2
7.	गुजरात	3	20.05	3	0	0
8.	हरियाणा	8	107.17	4	4	0
9.	हिमाचल प्रदेश	6	81.65	6	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	8	78.96	7	1	0
11.	झारखंड	5	25.73	3	0	2
12.	कर्नाटक	2	43.30	2	0	0
13.	केरल	13	88.18	13	0	0
14.	मध्य प्रदेश	5	53.85	5	0	0
15.	महाराष्ट्र	4	126.63	3	0	1
16.	मेघालय	1	20.32	1	0	0
17.	मिजोरम	1	28.00	1	0	0
18.	नागालैंड	3	116.43	3	0	0
19.	उड़ीसा	8	1508.29	3	4	1
20.	पंजाब	17	361.92	17	0	0

1	2	3	4	5	6	7
21.	राजस्थान	18	122.80	18	0	0
22.	तमिलनाडु	10	161.14	10	0	0
23.	उत्तर प्रदेश	10	139.07	7	2	1
24.	उत्तरांचल	1	2.00	1	0	0
25.	पश्चिम बंगाल	7	154.09	4	2	1
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	12.92	1	2	0
27.	लक्षद्वीप	2	19.85	2	0	0
	कुल	174	3581.22	149	16	9

मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति

3423. **श्री असादुद्दीन आवेसी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 2001 की जनगणना ने मुस्लिमों की स्थिति पर प्रकाश डालने की अपेक्षा विवाद उत्पन्न किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुस्लिम, साक्षरता, जनसंख्या, रोजगार और समग्र आर्थिक स्थिति जैसे प्रत्येक क्षेत्र में पीछे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में मुस्लिमों की स्थिति पर एक श्वेत पत्र लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार मुस्लिमों से संबंधित अपने प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कल्याण उद्देश्यों से जोड़ने का है जैसा कि संयुक्त राष्ट्र-मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स घोषणा में अपेक्षित हैं;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई विस्तृत रणनीति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) 2001 की जनसंख्या के अनुसार संपूर्ण देश में मुसलमानों की साक्षरता और कार्य सहभागिता दर क्रमशः 59.1 प्रतिशत और 31.3 प्रतिशत है।

1991 -2001 में मुसलमानों की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) 29.3 प्रतिशत है।

यदि अन्य प्रमुख धार्मिक समुदायों से तुलना की जाए तो मुसलमानों की जनसंख्या में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर दर्ज हुई है। तथापि, उनकी साक्षरता और कार्य सहभागिता दर कम है।

(ग) से (ङ) सरकार, अल्पसंख्यकों जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, के कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम गरीबी रेखा से दुगुना नीचे रह रहे अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार के लिए रियायती वित्त उपलब्ध करा रहा है। 1994 में अपने गठन के समय से अब तक इस निगम ने 2.20 लाख लाभार्थियों में 610 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के कल्याण के उपायों जिनमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना भी शामिल है, की सिफारिश करने हेतु अक्तूबर, 2004 में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है।

(च) और (छ) यू.एन. मिलेनियम डेवलेपमेंट गोल देश के सभी लोगों के कल्याण के लिए है तथा इसका उद्देश्य देश में किसी विशिष्ट श्रेणी/वर्ग के कल्याण तक सीमित नहीं है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदनों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1308/04]

(2) (एक) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड (आरईपीसीओ बैंक), चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड (आरईपीसीओ बैंक), चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1309/04]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनलूर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनलूर के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1310/04]

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड (इसके अनुषंगी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड सहित), के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड (इसके अनुषंगी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड सहित), का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1311/04]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1312/04]

(ग) (एक) स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003-2004 का

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1313/04]

(घ) (एक) बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1314/04]

(ङ) (एक) बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1315/04]

(च) (एक) मेकन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1316/04]

(छ) (एक) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1317/04]

(2) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, चेन्नाई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, चेन्नाई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1318/04]

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नाजुल भूमि का निपटान) संशोधन नियम, 2004 जो 9 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 801(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1319/04]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) राष्ट्रीय भवन निर्माण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1320/04]

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1321/04]

(ख) (एक) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1322/04]

(ग) (एक) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, न्य शिमला के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, न्य शिमला का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1323/04]

(घ) (एक) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1324/04]

(2) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1325/04]

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 101 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1326/04]

(4) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इन्क्वायरी बाई एडजुकेटिंग आफिसर नियम, 2004 जो 2 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 563 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी सैलरी, एलाउंसेज एंड अदर कंडिशन्स ऑफ सर्विस ऑफ द ऑफिसर्स एंड इम्प्लाइज नियम, 2004 जो 30 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 721(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ओपेन एक्सेस इन इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन) विनियम, 2004 जो 6 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(4)-2003 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रोसिजर फॉर मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ टैरिफ, पब्लिकेशम ऑफ द एप्लीकेशन एंड अदर रिलेटेड मैटर्स) विनियम, 2004 जो 3 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(5)-2003-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2004 जो 9 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या एल-7/25(5)-2003-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1327/04]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्दिक) : महोदय, मैं कुमारी शैलजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1328/04]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1329/04]

(4) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1330/04]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : अध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दी के प्रसार और विकास तथा संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए इसके प्रगामी प्रयोग में तेजी लाने के कार्यक्रम और उसके कार्यान्वयन के बारे में वर्ष 2002-2003 के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1331/04]

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्दिक) : महोदय, मैं मो. अली अशरफ फातमी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1332/04]

(3) (एक) महिला सामख्य उत्तरांचल, देहरादून के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला सामख्य उत्तरांचल, देहरादून के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1333/04]

(4) (क) (एक) राजस्थान काउंसिल आफ प्राइमरी एजुकेशन (सर्व शिक्षा अभियान), जयपुर के वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान काउंसिल आफ प्राइमरी एजुकेशन (सर्व शिक्षा अभियान), जयपुर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) राजस्थान काउंसिल आफ प्राइमरी एजुकेशन (सर्व शिक्षा अभियान), जयपुर के वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के कार्यकरण तथा वर्ष 2002-2003 के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1334/04]

(6) (एक) पश्चिम बंग राज्य प्रारंभिक शिक्षा उन्नयन संस्था (पश्चिम बंगाल जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम), कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग राज्य प्रारंभिक शिक्षा उन्नयन संस्था (पश्चिम बंगाल जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम), कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1335/04]

(8) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1336/04]

(10) (एक) असम महिला समता सोसाइटी, गुवाहाटी के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) असम महिला समता सोसाइटी, गुवाहाटी के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1337/04]

(11) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1338/04]

(13) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1339/04]

(15) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1340/04]

(17) (एक) केंद्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केंद्रीय हिन्दी संस्थान), आगरा के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केंद्रीय हिन्दी संस्थान), आगरा के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केंद्रीय हिन्दी संस्थान), आगरा के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) केंद्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केंद्रीय हिन्दी संस्थान), आगरा के वर्ष 2001-2002 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1341/04]

(19) (एक) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1342/04]

(21) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1343/04]

(23) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे प्रतिवेदन।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1344/04]

(25) (एक) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1345/04]

(27) (एक) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1346/04]

(29) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1997-1998 से 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1347/04]

(31) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1348/04]

(33) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1349/04]

(35) (एक) हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा समिति, शिमला के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा समिति, शिमला के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1350/04]

(37) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1351/04]

(39) (एक) असम विश्वविद्यालय सिल्चर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1352/04]

[अनुवाद]

अपराह्न 12.01 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संबंधी समिति का पांचवा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(एक) पहला प्रतिवेदन

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय मैं "एयर इंडिया लिमिटेड-निदेशक मंडल का पुनर्गठन" विषय पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही के बारे में समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) अध्ययन दौरों संबंधी प्रतिवेदन

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित अध्ययन दौरा प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में पहला अध्ययन दौरा प्रतिवेदन; और

(2) स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में दूसरा अध्ययन दौरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02½ बजे

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : महोदय, मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में रसायन और उर्वरकों संबंधी स्थायी समिति (2004-05) के पहले प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं "विदेशों में स्थित सांस्कृतिक केन्द्रों के विशेष संदर्भ में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् का कार्यकरण" विषय पर तेरहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही उत्तरों के संबंध में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

[अनुवाद]

रेल अभिसमय समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री चिन्जी एन रामचन्द्रन (वन्डावासी) : महोदय, मैं 'वर्ष 2004-2005 के लिए लाभांश की दर और अन्य अनुषंगी विषय' पर रेल अभिसमय समिति (2004) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ तिरेपनवां प्रतिवेदन

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं 'लिंग आधारित बजट विश्लेषण' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 153वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा के साथ हुए समझौता ज्ञापन के बारे में

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : महोदय, 17 दिसम्बर, 2004 को भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिब्रेशन फ्रंट असम त्रिपुरा (नयन बासी ग्रुप) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस करार में यह प्रावधान किया गया है कि एन एल टफ टी (एन बी) हिंसा त्याग देगी अपने हथियार सौंप देगी और 25 दिसम्बर, 2004 तक मुख्य धारा में शामिल हो जाएगी। सरकार, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष निधियां और एन एल एफ टी (एन बी) के हिंसा त्यागने वाले सभी लोगों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज व्यवस्था करने पर सहमत हो गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या-18- श्री पी.एम. सईद जी-वह यहां मौजूद नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि आप अवगत हैं, सामान्यत: ध्यानाकर्षण पर पहले विचार किया जाता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : परन्तु, अब मैं आपको अनुमति दूंगा। हम विशेष उल्लेखों के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

अपराह्न 12.06 बजे

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा रेल मंत्री के विरुद्ध कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के बारे में

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, कालिंग अटेंशन से पहले सारे देश का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो रहा है कि एक केबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ इलैक्शन कमीशन ने एफ.आई.आर. लाज की है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)* एक दागी मंत्री के बारे में बात अलग है और दागी मंत्रियों को रखकर सारी सरकार दागी बनी हुई है, वह बात अलग है। परन्तु यहां पर इलैक्शन कमीशन किसी एक मंत्री के खिलाफ एफ.आई.आर. लाज करे और वह मंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वहां पर इम्यूनिटी के साथ इसका उल्लंघन कर रहे हैं और अंहकार के साथ कह रहे हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह बहुत ही गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

कि वे ऐसे मंत्री को कब तक रखेंगे, कैसे रखेंगे, क्या कार्रवाई उन्होंने की है...*(व्यवधान)* या प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप एक-एक करके बोलिये। आप बैठिये। *[अनुवाद]* आपके उपनेता बोल रहे है। उन्हें बोलने दीजिए। उन्होंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके उप-नेता बोल रहे हैं, कृपया अब अपनी सीट से अब न उठें। हमें इसे पूरा करने दीजिए। मैने प्रो. मल्होत्रा को अनुमति दी है। कृपया बीच में बाधा उत्पन्न न करें, *[हिन्दी]* उनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैं यह बात कह रहा था कि किसी एक मंत्री के खिलाफ इलैक्शन कमीशन एफ.आई.आर. लाज कर रहा है और उनको अपराधी घोषित कर दिया है तो क्या ऐसे अपराधी मंत्रिमंडल में बने रहेंगे, क्या मंत्रिमंडल से उनको यहां से हटाया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यहां पर लीडर ऑफ दि हाउस बैठे हैं, प्रधानमंत्री को आकर इसके बारे में बताना चाहिए कि इस मंत्री को कब तक वे बर्दाश्त करेंगे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? जब तक यहां पर यह नहीं होता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप एक-एक करके बोलिये। उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में आंमत्रित करूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार अनप्रीसिडेंटिड बात हुई है और इतनी बड़ी बात पर भी सब लोग मौन साध कर बैठ जायें, सब इसके ऊपर चुप्पी साध लें, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आकर इसके बारे में स्पष्टीकरण करें कि उनको कब हटाएंगे और अभी तक उनका त्याग-पत्र क्यों नहीं लिया गया?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य से यह अनुरोध कर रहा हूं कि जो कुछ भी कोई माननीय सदस्य कहता है वह सभी पर लागू नही होता है। आप, बाद में उसका खन्डन कर सकते हैं। मैं भी सुशील कुमार मोदी को फिर बुलाऊंगा, मैंने उन्हें आश्वस्त किया है। मैं उन्हें बुलाउंगा। मैं श्री प्रभुनाथ सिंह को बुलाऊंगा, मैं आपको भी बुलाऊंगा। हमें कार्यवाही आगे बढ़ानी चाहिए। हमें एक दूसरे को सुनना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम एक-दूसरे से सहमत हों, लेकिन हमें हर एक को सुनना चाहिए, यह मेरी आपसे अपील है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया है, आपके लीडर बोले हैं। मैं एक-एक करके बुलाऊंगा। सुशील मोदी जी, क्या क्या बात है, मैं आपको जरूर सुनूंगा। मैंने यह तो नहीं बोला कि आपको नहीं सुनूंगा।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी : इन्होंने नोटिस दिया है क्या?...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : हां, दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हाउस को थोड़ा कंट्रोल करने दीजिए। आप भी थोड़ा ब्रीफ में बोलिये।

श्री रघुनाथ झा : जी हां, ब्रीफ में बोलूंगा। महोदय, यह बात सही है कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने, जो आ रहे थे, तो गरीबों ने और विशेषकर गरीब महिलाओं ने घेरा और उनसे मांग की कि हमें मिठाई खाने के लिए पैसा दीजिए। उन्होंने गरीबों को

पैसा दिया। उन्होंने बंगारू लक्ष्मण की तरह पैसा लिया नहीं। महोदय, लालजी टंडन जी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इलैक्शन एजेण्ट थे, इलैक्शन डिक्लेयर हो चुका था, लेकिन वे इलैक्शन के टाइम पर साड़ियों का वितरण कर रहे थे। इन सारी चीजों पर क्या कार्रवाई हुई। इस तरह से जो बात हुई, जो केस हुआ है, उसकी जांच हो रही है। जांच होगी, बात होगी, उसका फैसला होगा, उससे कौन घबराता है। घबराते तो आप हैं कि आपका जनसमर्थन गया है, आप सदा के लिए खत्म हो गये हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में बोलिये, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं हर एक को अवसर दे रहा हूं। हमें पहले दूसरों को भी सुनने की आदत डालनी चाहिए और यदि आप चाहें तो बाद में खण्डन कर सकते हैं।

अब, श्री सुशील कुमार मोदी बोलेंगें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने सहयोगियों को बाधित न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, मैंने कहा है कि मै आपको बुलाऊंगा, कृपया अपनी सीट में बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, संसदीय इतिहास में यह पहली घटना है कि किसी केन्द्रीय मंत्री पर 171 (बी) के तहत मामला दर्ज किया जाए यानी यह कोई मुकदमा नहीं है, रिश्वत देने के आरोप में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरी दुनिया ने देखा कि नोटों की गड्डियों को गोद में रखकर किस तरह श्री राम विलास पासवान के समर्थक, जो दलित थे, उनके द्वारा वोट खरीदने के लिए पैसा बांटा गया।...*(व्यवधान)* अभी तक लालू जी को केवल कैमरे पर पैसा बांटते हुए पकड़ा गया है। कल अगर उनको पैसा लेते हुए भी पकड़ा जाएगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।

मैं मांग करूंगा कि प्रधान मंत्री जी ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से तत्काल बरखास्त करें। लालू जी जो ड्रामा कर रहे हैं कि मिठाई खाने के लिए पैसा दे रहे थे, वे बताएं कि क्या वे अपनी तनख्वाह से पैसा बांट रहे थे?...*(व्यवधान)* वे पैसा कहां से लाए? बिहार के गरीब लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है और लालू जी मिठाई खाने के लिए पैसा बांट रहे हैं।...*(व्यवधान)* लालू जी ने डर के मारे रैली स्थगित कर दी क्योंकि भीड़ नहीं जुटेगी। रेल को रोक दिया।...*(व्यवधान)* अब आपकी पोल खुल गई है कि भीड़ नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए आपने रैली स्थगित करने का नाटक किया।...*(व्यवधान)* हमारी मांग है कि लालू जी को मंत्रिमंडल से अविलम्ब बरखास्त किया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया है।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सुशील मोदी जी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन संसदीय इतिहास का जिक्र करने से पहले मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी का संसदीय जीवन कितने दिन का है? पूरे एनडीए कार्यकाल में कितने ही मंत्री थे जिन पर एफआईआर दर्ज हुई। माननीय वाजपेयी जी यहां बैठे हुए हैं। क्या इनका इस्तीफा हुआ? एफआईआर होना ही सफिशिएंट नहीं है। उसकी जांच होगी। यहां तक कि आडवाणी जी पर भी चार्जशीट थी...*(व्यवधान)* वे देश के गृह मंत्री रह चुके हैं। यह नए प्रिसिडैंस की बात नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि एनडीए में जो मंत्री चार्जशीटेड थे या जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया था?...*(व्यवधान)* यह देश देख रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात रख दी है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : ये लोग हताशा में हैं। गरीब किसान, मजदूर गोलबंद हुए हैं। उनकी हताशा में यह लोग जी रहे हैं। इनके ऐसे जीने से वोट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एफआईआर की जांच हो जाए। हम लोग चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं, आचार-संहिता का सम्मान करते हैं। रैली को इसलिए स्थगित किया गया है ताकि आचार-संहिता का पूरी तरह पालन हो सके। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हरेन पाठक, कृपया, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

माननीय विद्युत मंत्री को दूसरी सभा में जाना है, वह एक वक्तव्य देना चाहते हैं। इसलिए, मैं उन्हें अब अनुमति दे रहा हूं।

अपराह्न 12.14 बजे

[अनुवाद]

बिजली की प्रति व्यक्ति मांग और आपूर्ति के बारे में दिनांक 7.12.04 के तारांकित प्रश्न संख्या 87 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

तथा

शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : महोदय, विवरण एक (क) से एक (ग) तथा विवरण-II जो कि तारांकित प्रश्न संख्या 87 के उत्तर में सभापटल पर रखे गए विवरण से संबंधित है और इसे भाग (क) में कुछ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में प्रकाशित त्रुटियों को संशोधित विवरण I (क) से 1(ग) तक तथा संशोधित विवरण II को को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। इन विवरणों की अधिप्रमाणित प्रतियां संलग्न है।

उक्त विवरणों में त्रृटि भूलवश और कम्प्यूटर में साफ्टवेयर से संबंधित समस्या के कारण हुई।

त्रृटि के लिए खेद है।

विवरण I (क)

वर्ष 2001-02 के लिए प्रति व्यक्ति बिजली उत्पादन और उसकी खपत में अंतर दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा (पुरानी परिभाषा के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रति व्यक्ति उत्पादन* किलोवाट घंटा	प्रति व्यक्ति खपत किलोवाट घंटा	प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा खपत का अंतर किलोवाट घंटा
1	2	3	4
हरियाणा	924.37	532.90	391.47
हिमाचल प्रदेश	540.35	397.66	142.69
जम्मू कश्मीर	604.33	292.82	311.51
पंजाब	1253.27	835.69	417.58
राजस्थान	517.41	284.71	232.69
उत्तर प्रदेश	311.28	189.02	122.26
उत्तरांचल	418.24	284.05	134.19
चंडीगढ़	637.01	815.45	-178.43
दिल्ली	1341.61	696.54	645.07
उप-जोड़	530.16	316.13	214.02
गुजरात	1094.23	817.18	277.05
मध्य प्रदेश	495.48	273.04	222.44
छत्तीसगढ़	622.90	394.51	228.39
महाराष्ट्र	851.24	507.90	343.34
गोवा	1806.01	1067.89	738.13
दमन और दीव	7388.06	4622.88	2765.19
दादरा और नगर हवेली	3993.39	3722.13	271.26
उप-जोड़	804.03	513.45	290.58
आंध्र प्रदेश	699.74	494.13	205.60
कर्नाटक	638.03	427.76	210.27
केरल	427.73	280.80	143.94
तमिलनाडु	782.12	623.25	158.88
लक्षद्वीप	331.00	1624.87	-1293.87
पांडिचेरी	1676.61	290.50	1386.11
उप-जोड़	673.04	488.81	184.23
बिहार	76.13	36.29	39.84
झारखंड	517.66	363.67	153.99
उड़ीसा	546.40	324.55	221.84

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	343.07	218.10	124.96
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	319.44	253.19	66.25
सिक्किम	222.11	224.22	2.11
उप-जोड़	298.34	185.94	112.40
असम	159.17	99.42	59.75
मणिपुर	198.28	69.43	128.85
मेघालय	354.06	235.35	118.71
नागालैंड	129.85	57.19	72.66
त्रिपुरा	208.72	108.75	99.97
अरुणाचल प्रदेश	155.10	68.33	86.77
मिजोरम	277.08	147.09	129.99
उप-जोड़	178.50	104.49	74.00
कुल (अखिल भारत)	557.95	360.97	196.97

*1285.83 मिलियन किलोवाट घंटा निवल आयात सहित

विवरण I (ख)

वर्ष 2002-03 के लिए प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन और उसकी खपत में अंतर दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा (पुरानी परिभाषा के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रति व्यक्ति उत्पादन* किलोवाट घंटा	प्रति व्यक्ति खपत किलोवाट घंटा	प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा खपत का अंतर किलोवाट घंटा
1	2	3	4
हरियाणा	997.08	580.05	417.04
हिमाचल प्रदेश	598.71	420.38	178.33
जम्मू-कश्मीर	592.41	316.42	275.99
पंजाब	1227.39	870.39	357.00
राजस्थान	566.14	290.91	275.24
उत्तर प्रदेश	316.13	187.73	128.40
उत्तरांचल	472.08	311.68	160.40
चंडीगढ़	648.46	858.82	-210.36
दिल्ली	1426.17	739.00	687.17
उप-जोड़	550.65	326.35	224.30
गुजरात	1192.87	837.99	354.88
मध्य प्रदेश	520.35	278.16	242.19
छत्तीसगढ़	675.86	515.80	160.06
महाराष्ट्र	848.02	538.53	309.49
गोवा	1842.70	1160.60	682.10
दमन और दीव	7375.94	4830.71	2545.23
दादरा और नगर हवेली	4135.15	4078.70	56.46
उप-जोड़	835.61	543.83	291.78
आंध्र प्रदेश	672.64	468.02	204.62
कर्नाटक	611.16	462.80	148.36
केरल	377.54	284.53	93.01
तमिलनाडु	815.26	645.44	169.82
लक्षद्वीप	348.17	1605.16	-1256.99
पांडिचेरी	1761.24	303.83	1457.41
उप-जोड़	660.32	494.80	165.52
बिहार	77.78	44.91	32.87
झारखंड	461.68	310.01	151.67

1	2	3	4
उड़ीसा	463.64	345.97	117.68
पश्चिम बंगाल	358.38	224.57	133.81
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	375.14	292.54	82.59
सिक्किम	216.83	130.84	86.00
उप-जोड़	284.39	188.2	96.17
असम	159.97	105.54	54.44
मणिपुर	206.37	72.88	133.49
मेघालय	335.86	300.84	35.02
नागालैंड	139.11	61.42	77.69
त्रिपुरा	227.26	111.34	115.92
अरुणाचल प्रदेश	132.45	70.72	61.73
मिजोरम	299.85	162.25	137.60
उप-जोड़	180.29	113.72	66.57
कुल (अखिल भारत)	565.42	37300	192.42

*1344.60 मिलियन किलोवाट घंटा निवल आयात सहित

विवरण I (ग)

वर्ष 2002-03 के लिए प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन और उसकी खपत में अंतर दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा (पुरानी परिभाषा के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रति व्यक्ति उत्पादन किलोवाट घंटा	प्रति व्यक्ति खपत किलोवाट घंटा	प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा खपत का अंतर किलोवाट घंटा
1	2	3	4
हरियाणा	937.44	618.98	318.46
हिमाचल प्रदेश	753.00	445.45	307.55
जम्मू-कश्मीर	647.46	327.04	320.42
पंजाब	1300.64	902.76	397.88
राजस्थान	537.95	294.08	244.87
उत्तर प्रदेश	299.63	188.83	110.80
उत्तरांचल	831.68	342.05	489.63
चंडीगढ़	878.90	853.34	25.56
दिल्ली	1542.04	796.85	745.19
उप-जोड़ (उ.क्षे.)	558.97	336.85	222.12
गुजरात	1175.23	917.96	257.27
मध्य प्रदेश	474.78	283.54	191.24
छत्तीसगढ़	677.66	404.51	273.15
महाराष्ट्र	878.7	559.35	319.22
गोवा	2178.47	1067.35	1111.12
दमन और द्वीव	7037.98	5428.11	1609.87
दादरा और नगर हवेली	7496.78	6631.49	865.29
उप-जोड़ (प.क्षे.)	837.20	563.43	273.77
आंध्र प्रदेश	718.84	495.30	223.54
कर्नाटक	642.26	481.73	160.53
केरल	386.20	291.11	95.09
तमिलनाडु	866.43	677.37	189.06
लक्षद्वीप	1133.75	296.25	837.50
पांडिचेरी	1844.16	1828.55	15.61
उप-जोड़ (द.क्षे.)	699.34	519.27	180.07

1	2	3	4
बिहार	70.01	44.85	25.16
झारखंड	558.76	394.87	163.89
उड़ीसा	688.79	373.45	315.34
पश्चिम बंगाल	400.13	237.47	162.66
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	420.29	301.89	118.40
सिक्किम	707.07	323.69	383.38
उप-जोड़	344.58	207.41	137.7
असम	160.08	105.34	54.74
मणिपुर	218.37	70.55	147.82
मेघालय	416.02	332.37	83.65
नागालैंड	155.91	65.47	90.44
त्रिपुरा	263.65	125.34	138.31
अरुणाचल प्रदेश	224.64	110.33	114.31
मिजोरम	300.76	140.28	160.48
उप-जोड़	192.33	117.27	75.06
कुल (अखिल भारत)	590.42	390.03	200.39

विवरण-II

नयी परिभाषा के अनुसार प्रति व्यक्ति बिजली उत्पादन और उसकी खपत दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रति व्यक्ति खपत (उत्पादन) (किलोवाट घंटा)		
	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
चंडीगढ़	637.01	648.46	676.90
दिल्ली	1341.61	1426.17	1542.04
हरियाणा	924.37	997.08	937.44
हिमाचल प्रदेश	540.35	598.71	753.00
जम्मू-कश्मीर	604.33	592.41	647.46
पंजाब	1253.27	1227.39	1300.64
राजस्थान	517.41	566.14	538.64
उत्तर प्रदेश	311.28	316.13	299.63
उत्तरांचल	412.72	468.70	825.10
छत्तीसगढ़	622.90	675.86	677.66
गुजरात	1094.23	1192.87	1175.23
मध्य प्रदेश	495.48	520.35	474.78
महाराष्ट्र	851.24	848.02	878.57
दमन और द्वीव	7388.06	7375.94	7037.98
दादर नगर हवेली	3993.39	4135.15	7496.78
गोवा	1806.01	1842.76	2178.47
आंध्र प्रदेश	699.74	672.64	718.84
कर्नाटक	638.03	611.16	642.26
केरल	424.73	377.54	386.20
तमिल नाडु	782.12	815.26	866.43
पांडिचेरी	1676.61	1761.24	1844.16
लक्षद्वीप	331.00	348.17	1133.75
बिहार	81.50	81.55	75.44
झारखंड	521.09	467.70	564.26
उड़ीसा	550.02	470.18	695.42

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	351.10	366.50	410.19
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	319.44	375.14	420.29
सिक्किम	230.47	246.87	765.68
आंध्र प्रदेश	155.10	132.45	224.64
असम	159.17	159.97	160.08
मणिपुर	198.28	206.37	218.37
मेघालय	354.06	335.86	416.02
मिजोरम	277.08	299.85	300.76
नागालैंड	129.85	139.11	155.91
त्रिपुरा	208.72	227.26	263.65
अखिल भारत	559.18	566.69	592.00

अपराह्न 12.15 बजे

[हिन्दी]

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा रेल मंत्री के विरुद्ध कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बारे में—जारी

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि आपकी बात सुनूंगा लेकिन आप सुनते नहीं हैं। आप थोड़ा धीरज रखिए। मैंने प्रभुनाथ सिंह जी को कहने के बाद उनको बुलाया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विषय समाप्त नहीं हुआ है। यही मुद्दा चल रहा है। मैंने इसे समाप्त नहीं किया है। श्री प्रभुनाथ सिंह।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, हमने रेल पटरी उजड़ने के संबंध में नोटिस दिया था और यह आग्रह भी किया था कि हमें बोलने के लिए पहला नम्बर दिया जाये। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस इश्यू के बाद हमें वह विषय उठाने के लिए बुलाया जाये।

अध्यक्ष महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आचार-संहिता को तोड़ने के लिए श्री लालू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्यों सुनते?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें दूसरे को सुनने की आदत डालनी चाहिए। हम सबको

[हिन्दी]

बोलने का मौका देंगे लेकिन आप पहले कोआपरेट कीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, टी.वी. पर श्री लालू यादव को दस हजार रुपये की गड्डी में से सौ-सौ रुपये के नोट बांटते हुए दिखाया गया है। चुनाव आयोग ने पूरे बिन्दुओं पर समीक्षा करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया और श्री लालू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि वह पैसे ले नहीं रहे थे बल्कि दे रहे थे। मेरा कहना है कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना, दोनों अपराध हैं। चुनाव आयोग की पूर्ण समीक्षा के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। माननीय सदस्य कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। इस बारे में बिहार पुलिस जांच कर रही है। चुनाव के बाद चुनाव आयोग अपना काम करेगा और बिहार पुलिस श्री लालू यादव के इशारे पर उस केस को फाइनल करेगी, यह हम आपको बता देना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने जो नोटिस जारी किया है, पूरे बिहार में जितने भी सरकारी होर्डिंग लगे हुए थे, उन सबको मिटाकर श्री लालू यादव ने अपने बैनर लगा दिये हैं, होर्डिंग लगा दिये हैं। अगर सही ढंग से चुनाव आयोग जांच करे तो बिहार के हर प्रखंड में श्री लालू यादव और राजद के लोगों पर एफआईआर

दर्ज करनी पड़ेगी। श्री लालू यादव ही रुपया नहीं बांट रहे थे।...*(व्यवधान)* बिहार के जितने भी मंत्री हैं, वे सब अपने-अपने इलाके में रुपया बांटकर लोगों को लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन संयोग से मीडिया के सामने श्री लालू यादव ही पड़ गये। इस नोटिस के आधार पर हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से निवेदन करना चाहेंगे कि श्री लालू यादव की राष्ट्रीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाये ताकि वह चुनाव न लड़ सकें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने इस मामले को बहुत जोर-शोर से उठाया है और इसे उठाने के लिए मैंने आपको अनुमति दी थी। परन्तु आपने स्वयं यह स्वीकार किया है कि इस मामले पर चुनाव आयोग को निर्णय लेना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अगर रजिस्ट्रेशन वाला मामला है तो ठीक है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के माध्यम से निवेदन किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने निवेदन किया, ठीक है, लेकिन यह उनका अधिकार है।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, इसमें दो बहुत ही गंभीर मुद्दे शामिल हैं। पहला यह कि उस आरोप और स्वाकारोक्ति के बाद हम सभी के सिर शर्म से झुक गए हैं कि बिहार में चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद रुपया बांटा गया। यह पहली बात है। यह रिश्वत देने और कदाचार का मामला है।

दूसरे, एक अन्य मुद्दा यह भी है कि माननीय रेल मंत्री ने यह स्वीकार किया है और कहा है कि दलितों को रुपया देना रिश्वत नहीं है। मेरा मानना है कि यह भारत के पूरे दलित समुदाय के लिए अपमानजनक है। दलितों को रुपया देना रिश्वत नहीं है तो और क्या है?...*(व्यवधान)* इसे इस प्रकार अलग करके भी देखा जाना चाहिए। यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसका एक और बहुत गंभीर पहलू है कि...*(व्यवधान)* यदि आप दूसरे समुदाय को रुपया दे रहे हैं तो यह रिश्वत है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्य यह कह चुके हैं।

श्री पी.सी. थामस : यह दोनों बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। यह मामला सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी से संबंधित है। माननीय प्रधानमंत्री को आना चाहिए और इसका उत्तर देना चाहिए। यह ऐसा मामला है जहां प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि सभी मामलों, विशेषाधिकार प्रस्ताव, सामने आए सभी आरोपों तथा स्वीकारोक्तियों के बावजूद उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद में इस मंत्री को क्यों बनाए हुए है। मुझे यहां बहुत शर्म आ रही है क्योंकि कुछ सदस्य खुले तौर पर कह चुके है कि, ''हां, हमने रुपया बांटा है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत सशक्त रूप में अपनी बात रखी है।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री इस सभा में आएं और इस मुद्दे पर बयान दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : चुनाव प्रक्रिया सही ढंग से हो, इसके लिए संवैधानिक तौर पर चुनाव आयोग है। इस देश के लोक तंत्र में और इस सदन में जब चुनकर आते हैं, इस चुनाव प्रक्रिया को सही तरीके से सम्पन्न करने के लिए चुनाव आयोग है। मैं बार-बार कहता हूं कि एक के मामले में दूसरा अगर दखलंदाजी करता है तो इससे लोकतांत्रिक परम्परा में बाधा पड़ेगी। चाहे साड़ी बांटना हो, चाहे कम्बल बांटना हो, या मशीन बांटना हो या रुपये बांटना हो, हम वामपंथी इसके विरोध में हैं। लेकिन चुनाव आयोग को इसके बारे में फैसला लेना चाहिए और सदन को गुमराह करने के लिए या इसको बिहार असैम्बली बनाने के लिए हमको किसी को इस मौके का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए क्योंकि बिहार में अभी चुनाव होने हैं। संसद में और बहुत से मुद्दे हैं।...*(व्यवधान)* उनसे हटकर हम बिहार के चुनाव में इसका इस्तेमाल करें, यह गलत है।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके मैम्बर को बुलाते हैं तब भी आप डिसटर्ब करते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई। उसी दिन चुनाव आयोग ने यह भी तय कर लिया कि आचार संहिता लागू होगी। यहां पर प्रश्न यह है कि इस कांड के दो हिस्से हैं। एक यह है कि चुनाव आयोग ने प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर एफ.आई.आर. दर्ज की, वह चुनाव आयोग का काम है। दूसरी बात यह है कि इस हाउस का सदस्य तथा केन्द्र सरकार का एक मंत्री है जो कि उसी के राज्य में चुनाव है, वह खुद पैसा बांटे, इस सदन की गरिमा और इस सदन की परम्परा और सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हम चुनाव आयोग से यह कहेंगे कि चुनाव आयोग अपना काम करे मगर केन्द्र सरकार के मुखिया के नाते प्रधान मंत्री का यह दायित्व है कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : प्रधान मंत्री का यह दायित्व है कि वह अपने मंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से एफ.आई.आर. दर्ज की है, वह सदन में आकर इतने गंभीर अपराध के बारे में अपना बयान दें और उस मंत्री को तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहें।...*(व्यवधान)* देवेन्द्र यादव जी ने मेरे नाम का उल्लेख किया। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, प्रधान मंत्री...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुनाथ झा जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, मेरे नाम का उल्लेख देवेन्द्र यादव जी ने एन.डी.ए. के मंत्री नाते किया। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एक आंदोलन के केस में मुझे तत्कालीन सरकार ने झूठा फंसाया था। मुझ पर जब चार्जशीट फ्रेम हुई, जब मैं मंत्री था, ...*(व्यवधान)* चार्ज होना और चार्जशीट फ्रेम होना,...*(व्यवधान)* मुझ पर जब चार्जशीट फ्रेम हुई, मैंने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया था। आपके जो दागी मंत्री हैं।...*(व्यवधान)* उन सभी दागी मंत्रियों पर चार्ज फ्रेम हो चुका है। अदालत ने उस पर कार्रवाई की है, कुछ बेल पर हैं, कुछ को अदालत ने सजा भी दी है। हम उन्हीं का आज इस्तीफा मांगते हैं। मैंने तो इस्तीफा दे दिया था।...*(व्यवधान)* वे इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेरे मामले में न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए। जब आरोप तय किए गए मैंने तुरन्त ही त्याग-पत्र दे दिया था। जब उच्च न्यायालय ने सभी आरापों को निरस्त कर दिया तब मुझे दोबारा शामिल किया गया। न्यायालय द्वारा जिन मंत्रियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं, वह उनमें से एक हैं। उन्होंने अभी तक त्यागपत्र नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को कुछ कहना है? मैं किसी को विवश नहीं कर सकता परन्तु यदि सरकार कुछ कहना चाहती है तो कह सकती है। अनिश्चितकाल तक ऐसा नहीं चल सकता।

सभा के माननीय नेता कुछ कहना चाहते हैं।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध दर्ज एफ आई आर के संबंध में प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा तथा अन्य माननीय सदस्य अपनी बात कह चुके हैं।

महोदय, जैसा कि स्वयं आपने कहा है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो मामला निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है, जोकि एक संवैधानिक निकाय है, यह निर्णय निर्वाचन आयोग को करना होता है कि क्या किसी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है तथा निर्वाचन आयोग को क्या उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इसका निर्णय निर्वाचन आयोग को करना है। केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति केन्द्रीय मंत्री है, यह संसद का विषय नहीं बन जाता। वह एक महत्वपूर्ण और मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल के नेता भी हैं, जिसका यहां प्रतिनिधित्व है तथा जो एक राज्य सरकार चला रहे है। इसका निर्णय निर्वाचन आयोग को करना है, न कि प्रधानमंत्री को और न ही किसी और को इस बारे में निर्णय करना है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : मैंने अभी तक अपनी बात समाप्त नहीं की है।

कृपया धैर्य रखें। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, सामूहिक जिम्मेदारी, अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी के आचरण के बारे में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि निर्वाचन आयोग ने निष्कर्षतः किसी को दोषी नहीं पाया है और जब निर्वाचन आयोग किसी को दोषी पाएगा, तब यह मामला आएगा, इस समय यह प्रश्न नहीं उठता।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा हर समय नहीं चल सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे उठाने के लिए मैंने आपको अनुमति दी थी।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, हम उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, प्रधानमंत्री को यहां आना चाहिए और बयान देना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी जी कुछ कहना चाहते हैं। उनकी बात सुनिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : प्रधान मंत्री जी को यहां आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : यह सदन की गरिमा के साथ-साथ देश की भी गरिमा का सवाल है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें एक-दूसरे की बात सुननी चाहिए जब वरिष्ठ नेता बोल रहे हों तो आपको उन्हें आदर देते हुए उनकी बात सुननी चाहिए। *[हिन्दी]* आप लोग बैठिए। वाजपेयी जी बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में कुछ तथ्य हैं। उन तथ्यों पर विचार होना चाहिए। कुछ निष्कर्ष हैं, जिनके अनुसार काम होना चाहिए। अभी सदन के नेता बोल रहे थे। उन्होंने माना कि कुछ गड़बड़ हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कथन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप उनका कुछ आदर कीजिए। श्री वाजपेयी जी बोल रहे हैं। कृपया उन्हें कुछ सम्मान दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वहां मिठाई बांटी गई थी।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : कभी साड़ियां भी बांटी गई थीं।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मिठाई कौन सी थी इस पर मतभेद हो सकता है, लेकिन यह माना गया है कि वहां मिठाई बांटी गई थी। चुनाव के दिनों में इस तरह से मिठाई बांटना और फिर उसका समर्थन करना और यह कहना कि कलेक्टिव रिसपॉसिबिलिटी की बात नहीं है, एक मंत्री द्वारा ऐसा किया जा रहा है। उसने कानून का उल्लंघन किया है। उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। क्या यह नैतिकता का तकाजा नहीं है कि ऐसे मंत्री को छुट्टी दे दी जाए। अध्यक्ष महोदय, आप स्वीकार करेंगे कि कानून अपनी जगह है, मगर आचरण में नैतिकता का एक अलग स्थान है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं और हाथ जोड़ कर कोशिश कर रहे हैं कि कृपया बीच में न बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी बोल रहे है, आप उन्हें सुनिए।

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग) : वाजपेयी जी को ठीक बोलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इतनी अधीरता क्यों है? मैं कह रहा हूं कि कोई भी सदस्य, अन्य माननीय सदस्य से वह नहीं बुलवा सकता जो वह चाहता है। यदि आप इससे सहमत नहीं है तो, जब आपकी बारी

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आएगी तब आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। कृपया रनिंग कमेंटरी न दें और व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी जी, यदि आप कुछ कहना चाहते है तो कह सकते है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी जी, आप अपनी बात पूरी करे। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह आपकी बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बात स्वीकार की जा चुकी है कि वहां एक सौ रुपए के नोट बांटे गए।...*(व्यवधान)* क्या कोई मंत्री महोदय या सदन के नेता इसको चुनौती देते हैं कि वहां एक सौ रुपए के नोट नहीं बांटे गए।

श्री रघुनाथ झा : उन्होंने तो खुद स्वीकार किया है। उससे इनकार करने की क्या जरूरत है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित की जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। केवल आपके वक्तव्य को ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वहां नोट बांटे गये, यह बात स्वीकार कर ली गयी है। नोटों का वितरण किस भले काम के लिए हुआ, कौन सा शुभ काम लालू जी करने जा रहे थे, जो नोटों का बांटना जरूरी था। कोई उत्तर आपके पास है?

श्री रघुनाथ झा : वहां पर लालू जी को औरतों ने घेरा और कहा कि आप रेल मंत्री बन गये हैं, मिठाई खिलाओ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे है। मैं इन्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहता हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

आप लोग बैठिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं, जब आपके नेता बोल रहे है हम लोग उनको भी बोल रहे हैं

[अनुवाद]

कृपया मेरे साथ अन्याय न करें। मैं अनसे कह रहा हूं कि बैठ जाएं। मैं कह रहा हूं कि जब तक वह बोल रहे तब तक उनके वक्तव्य के अतिरिक्त और किसी बात को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूं? क्या मैं कहो जाकर कूद जाऊं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। हमें इनका आदर करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे आपके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए मजबूर कर रहे है। मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। मैं आपको चेतावनी देता हूं। यह एक फैशन सा बन गया हैं।

[हिंदी]

आप चेयर की बात सुनने को राजी नहीं है, किसी लीडर की बात सुनने को राजी नहीं हैं। क्या इसके लिए चेयर की जरूरत नहीं है, स्पीकर की जरूरत नहीं है। इस रनिंग कमेंटरी की क्या जरूरत है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, आप ऐसा मत कहिये कि स्पीकर की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये, हम आपको सुनना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, एक मामला उठाया गया, सार्वजनिक महत्व का मामला है। चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में एक आचार-संहिता लागू हो गयी है। अब अगर नोट बांटे जाते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कौन बात कर रहा है? ऐसा कहने का साहस किसमें है? वह खड़ा हो जाए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर नोट बांटे जाते हैं तो गरीबी दूर करने के लिए नोट नहीं बांटे जा रहे हैं, चुनाव को ध्यान में रखकर नोट बांटे जा रहे हैं। यह गंभीर आरोप हैं जिस मंत्री ने यह काम किया है वह इसको बुरा नहीं मान रहा है। वह इसके लिए लज्जित

नहीं है। वह कहता है कि अगर गरीब लोगों को खाने के लिए, मिठाई के लिए पैसे दे दिये तो इसमें कौन सी बुराई है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप बोल सकते है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो फिर चुनाव में कोई आचार-संहिता नहीं चलेगी...*(व्यवधान)* यह गलत है। इसलिए हम प्रधान मंत्री जी से उम्मीद करते हैं, नेता सदन ने तो हमें निराश किया है लेकिन अभी हमें थोड़ी सी आशा प्रधान मंत्री जी से है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि हम पूर्ण चर्चा कर चुके है। क्या आप कुछ और कहना चाहते है।

श्री प्रणब मुखर्जी : श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कुछ भी कहा हैं मैं उस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं। वह एक वरिष्ठ आदरणीय नेता है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि यह मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का है जो एक संवैधानिक प्राधिकरण है। इसलिए संसद को चुनाव आयोग जैसे सवैधानिक प्राधिकरण के न्यायोचित कार्यों में दखल नहीं देना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम यहां पर पूर्ण चर्चा कर चुके है। इसमें आधे घंटे से अधिक समय लिया गया हैं मैंने पूर्ण चर्चा की अनुमति दी है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी बात कह चुके है। सभा के नेता भी अपनी बात कह चुके हैं। मैं निर्णय नहीं ले सकता। केवल चुनाव आयोग ही ऐसा कर सकता है। इसलिए अब हमें अन्य कार्य करने चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री पी. मोहन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हमें अन्य कार्य करने चाहिए। कृपया बैठ जाए।

अब श्री पी. मोहन।

[अनुवाद]

***श्री पी. मोहन** (मदुरै) : महोदय, केन्द्र की उदार आयात नीति के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में आयात किया गया है और इलायची और चाय जैसी कृषि उत्पादों की भरमार हो गई है। इससे हमारे किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश में विशेषकर तमिलनाडु में और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आस-पास के जिलों के किसान व्यापक रूप से प्रभावित हुए है क्योंकि उन्हें अपने उत्पादो का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। हाल ही तफथेनी जिले के किसानों को प्रतिकिलो ग्राम पर 500 रुपए मिल रहे थे। अब वे इस मूल्य का आधा मूल्य ही प्राप्त कर रहे है। हरी चाय (ग्रीन टी) 15 रुपए प्रतिकिलो बिक रही थी अब यह घटकर 5 रुपए प्रतिकिलो रह गई है।

अत: मैं केन्द्र सरकार और उसके वाणिज्य तथा कृषि मंत्रालय से यह अनुरोध करता हूं कि वह इलायची और चाय का उत्पादन करने वाले किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए। इलायची और चाय पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाए और केन्द्र सरकार इलायची पर एक प्रतिशत उपकर वापस लें। मैं वाणिज्य मंत्रालय से भी यह अनुरोध करता हूं कि जब तक हमारे किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलता तब तक भारत में इलायची और चाय के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, यहां पर दो पहलू है। पहला आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में है। चुनाव आयोग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दूसरा पहलू रिश्वत का है जिसके संबंध में सभा के माननीय नेता ने कुछ नहीं कहा है। मैं बीजू जनता दल की तरफ से अपना विरोध दर्ज कराते हुए यह कहता हूं कि मैं सभा के माननीय नेता के वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हूं।

अपराह्न 12.35 बजे

(इस समय श्री बृज किशोर त्रिपाठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इसलिए हम इसके विरोध से सदन से वाकआउट कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.35¼ बजे

(इस समय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

(व्यवधान)

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों कृपया शांत हो जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री पी. मोहन के वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए और इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी एक ऑनरेबल मैम्बर बोल रहे हैं। आप किए लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक नोटिस है। मुझे बोलने का समय दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ध्यान न देने वाले सदस्यगण! मैं आपका नाम पुकारना चाहता था लेकिन अब मैं आपका नाम नहीं पुकारूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको उचित व्यवहार करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी को इस कक्ष से शीघ्र बाहर जाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : मान्यवर मैं माफी चाहता हूं। मैं अपनी बात वापस लेता हूं।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मित्रसेन यादव, कृपया उस विषय पर बोलें जिसके लिए आपने सूचना दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया काना-फूंसी न करें। जो बाहर जाना चाहते हैं, कृपया शांतिपूर्वक बाहर जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सूचना दी है, वह हमारे माननीय सदस्यों की पीड़ा का है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में कुछ व्यवस्था तो बनी रहने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे छोड़िए। आपको इसमें क्या है? ...*(व्यवधान)* आप क्यों परेशान हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : मान्यवर, सम्पूर्ण देश में ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं। भारत सरकार अरबों रुपया ग्रामीण विकास पर खर्च कर रही है। गांवों के विकास के लिए ये योजनाएं लागू की गईं। इन योजनाओं में पेय जल योजना, इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, काम के बदले अनाज योजनाएं हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं पर भारत सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह यहां अकेले पड़ गए हैं।...*(व्यवधान)* स्थिति बहुत खराब है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसके बाद कॉलिंग अटैंशन आना है। उसमें

और भी विषय उठाए जा रहे हैं जिन की इस समय आवश्यकता नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने आपकी बात सुनी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य से बात की है। कोई परेशानी नहीं होगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, हम इस बात को जानते हैं।

श्री मित्रसेन यादव : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए भारत सरकार प्रदेश सरकारों को 80 परसैंट पैसा देती है लेकिन सदन के माननीय सदस्यों की उसमें कोई भूमिका नही रहती है। उसमें उनकी किसी प्रकार की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई है। हमारे माननीय सदस्यों में इस बात को लेकर असंतोष है। भारत सरकार के पैसे में उनका कहीं कोई दखल नहीं है। हम कहीं भी हैंड पाइप लगा नहीं सकते हैं और न ही इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत किसी को आवास दे सकते हैं। हमारी मांग है कि भारत सरकार के पैसे में से माननीय सदस्यों की दखलअन्दाजी और भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अनिश्चितकाल तक के लिए अपना भाषण जारी नहीं रख सकते। अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्रीय स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो नवम्बर 2004, को पहली बार 222 जीडीएमओ डाक्टरों का सामूहिक स्थानांतरण किया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यक्ति विशेष के नाम लेने की अनुमति नहीं दूंगा।

नाम को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीरियल नम्बर 42 में स्वैच्छिक सेवा निवृत्त हो चुके डॉक्टर का भी स्थानांतरण हो चुका हैं मैं मांग करना चाहूंगा कि जो 15 डॉक्टर केन्द्र सरकार के थे, उनको दिल्ली सरकार में इस समय सेवा का मौका दिया गया है। जो 15 छोटे अस्पतालों में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की हैसियत के हैं, उन्हें सीजीएचएस में मरीज देखने के लिए भेजा जा रहा है। सामूहिक स्थानांतरण में एक कैडर के लोगों का ही स्थानांतरण किया गया है जबकि सामूहिक कैडर के लोगों को लिया जाना चाहिए था। स्थानांतरण की कोई नीति नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सीजीएचएस के डॉक्टरों का स्थानातरण सीजीएचएस में किया जाए और गलत सूची में संशोधन किया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अवसर का दुरुपयोग न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि सभा के भीतर व्यक्ति विशेष का मामला न उठाए। यदि वह चाहते हैं तो जाकर माननीय मंत्री से मिल सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हज़ारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड में कल-कारखाने खुलने से 14 प्रतिशत लोग विस्थापित हुये हैं। बोकारो स्टील प्लांट, कोल इंडिया लि. या डी.वी.सी. वगैरह जितने पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर में कल-कारखाने खुले हैं, उनमें लाखों लोग विस्थापित हुये हैं। उन लोगों को न तो मुआवजा मिला है, न नौकरी मिलती है। वे लोग भटक रहे हैं। खासकर आदिवासी, गरीब दलित लोग पूरे झारखंड में कहां चले गये हैं, उनका कोई अता-पता नहीं है। वे रोजगार खोजने के लिये इधर-उधर भटक रहे हैं। झारखंड तो क्या पूरे भारत देश में विस्थापितों के लिये कोई नीति नहीं है। यहां तक कि डी.वी.सी., कोल इंडिया कंपनियों की अलग-अलग नीति

[श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता]

है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो विस्थापित हैं, वे दर-दर भटक रहे हैं, भिखमंगे हो गये हैं, उन विस्थापितों के लिये नई नीति बननी चाहिये अन्यथा जब तक नई नीति विस्थापितों के लिये नहीं बनती, तब तक झारखंड में कल-कारखाने न खोले जायें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : इसलिये, मैं कह रहा था कि विस्थापितों के लिये नई नीति बननी चाहिये। जो विस्थापित लोग हैं, उनके पुनर्वास के लिये और नौकरी के लिये, उनके मुआवजे के लिये सरकार व्यवस्था करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी को मार्गदर्शन के लिए कहूंगा। 43 नाम हैं। कृपया देखें कि तरीका क्या है मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा-से-ज्यादा दलों को शामिल किया जाए। मैं अपनी ओर से बेहतर प्रयास कर रहा हूं। लेकिन सदस्यों को भी सहयोग करना चाहिए। अपने मुद्दे उठाते समय उन्हें संक्षेप में अपनी बात कहनी चाहिए। मैं सबको कैसे संतुष्ट कर सकता हूं?

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, आपने पहले ही निर्णय ले लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे अगले सत्र से कार्यान्वित किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, 19.12.2004 को सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में रात्रि को हमारी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़, संसदीय बोर्ड के नेता श्री शरद यादव, संसदीय दल खए नेता श्री नीतीश कुमार, पार्टी के नेता तथा पूर्व रेल राज्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह तथा पार्टी के प्रवक्ता श्री शिव कुमार आ रहे थे। जैसे डई गया-मुगलसराय रेलवे सैक्शन में राजधानी पार हुई, अचानक बम विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की घटना आज अखबारों में आई है। यह भी पता चला है कि उसमें कुछ पर्चे मिले हैं जो एम.सी.सी. से संबंधित हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को यह अंदेशा है कि जब हमारे नेता झारखंड में रैली को संबोधित करके आ रहे थे और बिहार में चुनाव होने वाले हैं, हमारी पार्टी के नेताओं की हत्या करने की साजिश की गई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच में ये पर्चे एम.सी.सी. वालों के हैं या किन्ही दूसरे लोगों का इस में हाथ है। हमें तो यह शंका है कि*...* *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा बोलना ठीक नहीं है। *[अनुवाद]* कृपया इसे मुझे दिखाएं। मैं इस बारे में निर्णय लूंगा। आप उचित जांच के लिए कह सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, इस गंभीर सवाल को सी.बी.आई. द्वारा जांच की जानी चाहिये ताकि जांच से पता चल सके कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। आखिर उस सैक्शन पर राजधानी के पार करते ही अचानक विस्फोट हो गया। चुनाव के समय एक तरह से इस तरह नेताओं की हत्या की साजिश की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना की सी.बी.आई. द्वारा जांच कराये जाने की कार्यवाही की जाये।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* इतने बड़े-बड़े नेताओं की हत्या की साजिश की जा रही है।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : उनका नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार के आसन्न चुनावों को देखते हुये और उन रैलियों में न जाने देने के लिये कुछ उग्रवादी संगठनों द्वारा पर्चे बांटे गये थे। इस तरह के पर्चे पूरे बिहार में बांटे गये थे। यह बात समाचार-पत्रों में छपी है जिसमें लिखा है कि रैली में भाग न लेने के लिये पर्चे बांटे गये। हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की सी.बी.आई. द्वारा जांच कराई जाये...*(व्यवधान)* इस तरह की घटना की जांच, चाहे जिस एजेंसी से करायें, हम तैयार हैं ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : असली व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जो लोग राजनीति के नाम पर रोटी सेंक रहे हैं उनकी मंशा चूर-चूर हो जायेगी,...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : इसकी जांच हो जाये...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, राजनीति की रोटी न सेंकी जाये, इसकी जांच करवाई जाये...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष निर्णय नहीं ले सकता। मैं सिर्फ आपको अपनी बात रखने की अनुमति दे सकता हूं। मैं आप सबको अनुमति देने की कोशिश कर रहा हूं। आपने समान मामले पर सूचना दी है। उन्होंने भी सूचना दी है। इसलिए, मैंने उनका नाम पुकारा है। आप अपनी बात रखें। आप दोनों उचित जांच चाहते हैं। इसके लिए सरकार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार को निर्णय करना है, मैं निर्णय नहीं ले सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है मेरे पास भी कुछ निर्मुक्ति करने का अधिकार होता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सर, कॉलिंग अटैन्शन तो लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : वह भी लेंगे।

[अनुवाद]

तब आप उन अन्य सदस्यों को नियंत्रित करें जिन्हें मौका नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक हैं, अब हम मद संख्या-19. ध्यानाकर्षण पर विचार करेंगे, श्री अजय माकन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्य कल के लिए सूचना दे सकते हैं।

अपराह्न 12.46 बजे

[अनुवाद]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान (एम्स) में तेजी से बिगड़ रही स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं से उत्पन्न स्थिति

श्री अजय माकन (नई दिल्ली) : महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि वह इसपर एक वक्तव्य दें:

> "देश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान अर्थात् एम्स में तेजी से बिगड़ रही स्वास्थ्य देख-देख सेवाओं से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : महोदय, दिनांक 24.11.2004 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

[डा. अंबुमणि रामदास]

के एक कर्मचारी के रोगी पुत्र सोनू सागर, जो बहु औषध प्रतिरोधक क्षयरोग का एक पुराना रोगी था, को उल्टी और पेशाब के रुकने की शिकायत के साथ कैजुअल्टी में लाया गया। स्क्रीनिंग कैजुअल्टी एरिया में डा. मोहम्मद अयाज खान द्वारा उसकी जांच की गई। जांच के बाद, रोगी के लिए औषधों की सलाह दी गई। तथापि, श्री सोनू सागर को और उल्टियां हुईं और उसे लगभग 6.30 बजे सायं मुख्य कैजुअल्टी एरिया के अन्दर वापिस लाया गया जहां जूनियर रेजीडेंट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी पुन: जांच की गई। रोगी को पेशाब करने में कठिनाई हो रही थी और वह बाद में गिर गया। ड्यूटी पर तैनात डाक्टरों ने रिसस्सीटेशन क्रियाविधि शुरू की और रोगी के मुंह में ट्यूब डाली, आई.वी. लाइन भी लगाई गई और फ्लूड इन्फ्यूजन शुरू किया गया। उसे एक डीसी शॉक और उपयुक्त चिकित्सा भी प्रदान की गई। सायं 7.20 बजे, इस क्रियाविधि के परिणामस्वरूप, रोगी के हृदय की धड़कन ईसीजी मानीटर पर रिकार्ड करने योग्य हुई और छूने से स्पष्ट भी थी यद्यपि रक्तचाप रिकार्ड करने योग्य नहीं था। रात को लगभग 8.00 बजे जब रोगी की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ तो रोगी की चिकित्सीय हिस्ट्री की पुन: समीक्षा की गई। शारीरिक जांच पुन: की गई और रक्त के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए।

रात को लगभग 8.20 बजे रोगी को पुन: दिल का दौरा पड़ा रोगी को डीसी शॉक सहित कार्डियो-पल्मोनरी रिसस्सीटेशन (सीपीआर) तथा समुचित दवाएं दी गईं। रोगी की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास 25 मिनट तक अर्थात 8.45 बजे रात्रि तक चलता रहा। सीपीआर की ओर से कोई प्रतिक्रिया न होने के कारण रोगी को मृत घोषित कर दिया गया।

मामले की जांच के लिए तीन वरिष्ठ संकाय सदस्यों की एक समिति गठित की गई। जांच पूरी होने तक के लिए उपचारकर्ता डाक्टर को हटा दिया गया। जांच समिति की पहली बैठक 25.11.2004 को ही हो सकी। जांच कार्य अब भी चल रहा है तथा जांच समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं ओर इसकी रिपोर्ट एक पखवाड़े में प्रस्तुत होने की संभावना है।

रोगी के पिता ने जांच समिति के अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में बताया कि उसे एम्स के कैजुअल्टी विभाग के डाक्टरों द्वारा किसी भी तरह की लापरवाही अथवा समुचित उपचार न किए जाने संबंधी कोई शिकायत नहीं है।

जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत 1956 में की गई थी। इस संस्थान में रोगी परिचर्या, शिक्षण तथा अनुसंधान के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर चिकित्सा तथा परा चिकित्सा पाठ्यक्रम चलाता है और अपनी स्वयं की डिग्री प्रदान करता है। चार अति-विशिष्टता वाले केन्द्रों सहित 25 नैदानिक विभाग पूर्व-नैदानिक तथा परा-नैदानिक विभागों की सहायता से सभी तरह की रोग संबंधी स्थितियों का व्यावहारिक रूप से प्रबंधन करते हैं। इस संस्थान में कुल 1,853 पलंग हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान किए गए दाखिलों की कुल संख्या 1,25,197 थी और बहिरंग रोगी विभाग के रोगियों की संख्या 19,56,535 थी।

यह कहना सही नहीं है कि एम्स की कैजुअल्टी/आपातकालीन सेवाओं के लिए अप्रशिक्षित डाक्टरों को लगाया जाता है। वर्तमान में कैजुअल्टी विभाग में वरिष्ठ रेजीडेंट डाक्टरों के 23 स्वीकृत पद (काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, आर्थोपेडिक्स, बालरोग चिकित्सा और संज्ञाहरण विज्ञान आदि में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी डाक्टर) हैं। कार्यचिकित्सा और शल्य चिकित्सा विभाग से 8 और वरिष्ठ रेजिडेंट डाकटरों को कैजुअल्टी विभाग में बारी-बारी से भेजा जाता है।

इसके अलावा कैजुअल्टी में 53 जूनियर रेजिडेंट डाक्टर (अर्हताप्राप्त एम बी बी एस डिग्री धारक) तैनात किए। यह सच है कि इनमें से 13 जूनियर रेजिडेंट डाक्टर रूस के मेडिकल कालेजों से अर्हता प्राप्त हैं। तथापि, वे सभी भारतीय चिकित्सा परिषद अथवा दिल्ली चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत हैं। पंजीकरण से पहले उन सभी ने एक वर्ष की अपनी इंटरनशिप की है यह भी उल्लेखनीय है कि जूनियर रेजिडेंटों का चयन हमेशा मेरिट अर्थात् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम.डी. प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर किया जाता है। किसी भी जूनियर रेजिडेंट को स्वत: दूसरी अवधि के लिए एक्सटेंशन नहीं दी जाती है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : यह क्या कह रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेटमैन्ट है, इसमें हम क्या करेंगे? हम एडिट थोड़े ही करेंगे। किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, अभी खत्म होने दीजिए।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों के निलम्बन के संबंध में यह सच नहीं है कि उनका निलम्बन

दुखद घटना के बाद डाक्टरों की उपलब्धता के मुद्दे पर उत्तेजित होने के कारण किया गया था जैसाकि मैंने अभी-अभी बताया है। सच यह है कि कर्मचारियों को शान्त करने के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रयासों के बावजूद इस घटना के तुरन्त बाद, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की कर्मचारी यूनियन ने अपने पदाधिकारियों के नेतृत्व में अवैध हड़ताल का सहारा लिया। इसके बावजूद उन्होंने न केवल सभी रोगी परिचर्या सेवाओं में बाधा डाली बल्कि दूसरे कर्मचारियों को भी हड़ताल में शामिल होने के लिए मजबूर किया जिसके कारण पूरे अस्पताल का कार्यकरण रुक गया। उन्होंने संस्थान के निदेशक और उप निदेशक (प्रशासन) के विरुद्ध अपमानजनक भाषा और संकेतों का प्रयोग किया। ये गतिविधियां 27 नवम्बर, 2004 तक जारी रहीं।

ऐसी स्थिति में संस्थान के पास अवमानना का मामला दायर करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था क्योंकि ये गतिविधियां दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 2 सितम्बर, 2002 के आदेश के उल्लंघन में थीं, जिसके अन्तर्गत सभी कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्य भंग करने, कार्य रोकने में सहायता करने तथा उकसाने, नारे लगाने, प्रदर्शन करने, कैम्पस के भीतर धरना देने, कैम्पस में तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की परिसीमा के 500 मी. के दायरे के भीतर किसी भी तरह की सभाएं करने, विरोध सभाएं आयोजित करने की मनाही की गई है।

[अनुवाद]

सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्रशासन ने 17 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया तथा दो अस्थायी पद वाले कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दीं। निलंबन दो चरणों में किया गया। 25.11.2004 के पहले चरण में सात कर्मचारी शामिल थे तथा 27.11.2004 के दूसरे चरण में शेष दस कर्मचारी शामिल थे।

निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नियुक्ति को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया है। इस समय उप निदेशक (प्रशासन) का पद रिक्त है। कार्य की देखरेख संस्थान के वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार द्वारा की जा रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माकन जी यह एक स्पष्टत: समझ में आने वाला वक्तव्य है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि किसी भी व्यक्ति के आचरण को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए।

श्री अजय माकन : जी हां, ऐसा नहीं होगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इनकी बात सुन लेते हैं। इतना इनपेशेन्ट क्यों होते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अजय माकन (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, 'एम्स' 1956 के पार्लियामैंट्री एक्ट के तहत सैटअप किया गया था और इसका एक प्राइम मोटिव रिसर्च के लिए था और रिसर्च के क्षेत्र के अंदर, ट्रेनिंग के क्षेत्र के अंदर 'एम्स' की क्या स्थिति है, यह सी एंड ए जी की 2001 की रिपोर्ट में कहा गया है:—

[अनुवाद]

"हालांकि चिकित्सा अनुसंधान इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य था यह इस पर प्रमुखता से ध्यान देने में असफल रहा है। संस्थान को आबंटित निधियों का केवल एक या दो प्रतिशत ही अनुसंधान हेतु निर्धारित किया जा रहा है।"

[हिन्दी]

600 करोड़ रुपये के टोटल बजट में से 7 से 12 करोड़ रुपये का खर्च सिर्फ रिसर्च पर किया जा रहा है। यह नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि बेकार के इक्विपमैंट्स और बेकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर, जिसकी कोई युटिलाइज़ेशन नहीं होती है, उस पर करोड़ों रुपये खर्च किया जाता है और जब कोई पेशेंट वहां दवाई के लिए कहता है तो छोटी-छोटी और सस्ती दवाइयों के लिए भी उसको वहां से भेज दिया जाता है कि बाज़ार से खरीदकर लाएं। जब कोई सर्जरी के लिए जाता है तो छोटे-छोटे और सस्ते से सस्ते सर्जिकल इक्विपमैंट्स के लिए भी उसे कहा जाता है कि आप बाज़ार से खरीदकर लाएं, जबकि करोड़ों रुपये उस पर खर्च किये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पिछले साल 5 अक्तूबर, 2003 को तत्कालीन प्रधान मंत्री जी इंडोर फैसिलिटीज़ कैंसर हॉस्पिटल का इनॉगरेशन किया था। इस पर 20 करोड़ रुपये की लागत आई थी। पांच मंजिला बिल्डिंग उसके लिए बनाई गई लेकिन हैरानी की बात है कि इनॉगरेशन के बाद अभी तक उस पर ताला लगा हुआ है। उन पांच फ्लोर्स पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह से 30 करोड़ रुपये की लागत से ट्रॉमा सैंटर के लिए भी खूब बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है। वह बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक उसमें काम शुरू नहीं हुआ है। पांच करोड़ रुपये का इक्विपमैंट इन्होंने रोबोटिक हार्ट सर्जरी के लिए खरीदा। ऐसा ही इक्विपमैंट एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल ने भी खरीदा। एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल ने अभी तक उस पांच

[श्री अजय माकन]

करोड़ रुपये के रोबोटिक इंस्ट्रूमैंट से 200 से ज्यादा लोगों की सक्सैसफुल हार्ट सर्जरी की है। 'एम्स' ने यह इक्विपमैंट इसी टैन्योर में खरीदा मगर 'एम्स' ने केवल पांच सर्जरी कंडक्ट की हैं जिनमें से दो अनसक्सैसफुल हो गईं। कैसे हम कंपीट कर रहे हैं? हमारे देश के सबसे बड़े प्रीमियर हैल्थ केयर इंस्टीटयूट में न रिसर्च हो रही है, न वहां पेशैंट के लिए ठीक से इंतजाम किये जाते हैं, फिर कैसे हम कह सकते हैं कि यह फ्लैगशिप इंस्टीटयूशन है और दूसरे इंस्टीटयूट्स को रास्ता दिखाएगा? इन्हीं एनॉमलीज को दूर करने के लिए 1997 में एक संसदीय समिति ने सुझाव दिया था कि फाइनैन्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दोनों अलग-अलग होने चाहिए। हैरानी की बात है कि इस समय 'एम्स' में एक ऐसे डायरैक्टर हैं जो बहुत काबिल हैं, ईमानदार हैं और पूरी दुनिया में रिनाउंड हार्ट सर्जन हैं। वह बहुत ही काबिल और ईमानदार डॉक्टर हैं, इसमें किसी को शक और शुबहा नहीं है। लेकिन ऐसे डॉक्टर और डायरैक्टर के नीचे फाइनैन्शियल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और विजिलैन्स कंट्रोल दे रखा है। हम कैसे ट्रांसपेरेन्सी एक्सपैक्ट करेंगे जबकि एक ही व्यक्ति तीनों का काम देख रहा है और उसको एक्सटैन्शन पर एक्सटैन्शन दी जा रही है? इन सब चीजों को ठीक करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, कैजुअलिटी का अभी माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया। एक कर्मचारी का बेटा कैजुअलिटी में गया। रशिया से मैडिकल की डिग्री लेकर आए हुए डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया और उसके ट्रीटमैंट के बाद उसकी डैथ हो गई।

अध्यक्ष महोदय, जैसे ही कर्मचारी के बेटे की डैथ हुई, वहां सब के सब कर्मचारी इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहां पर जिन लोगों ने ऐसे डाक्टर को भर्ती किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और 17 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 17 कर्मचारियों को क्यों सस्पेंड किया गया? वे कहते हैं कि वे स्ट्राइक पर थे। यदि ऐसा है, तो क्या उनका कोई चार्टर आफ डिमांड था, यदि वे स्ट्राइक पर गए थे, तो क्या उन्होंने कोई डिमांड रखी थीं? मैं बताना चाहता हूं कि उनकी कोई डिमांड नहीं थी और न वे स्ट्राइक पर गए। अपने अस्पताल के अंदर, अपने ही कर्मचारी के बच्चे की डाक्टर की नैगलीजेंस के कारण मौत हो गई थी, इसलिए वे इकट्ठे हुए थे। वे स्ट्राइक नहीं कर सकते, क्योंकि हाइकोर्ट ने एम्स में स्ट्राइक करने पर रोक लगा रखी है। अभी भी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उनके ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। इससे ज्यादा शर्म और निन्दा की बात कोई नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक चिट्ठी है। वहां के सी.एम.ओ. ने खुद अपने ही अस्पताल के सिनियर्स को लिखा है कि दिनांक 2 नवम्बर, 2004 को रात्रि 9.00 बजे केजुअलटी में डाक्टरों की नैगलीजेंस की वजह से दो पेशेंट की डैथ हो गई है। इसको कौन देखेगा। मैं अन्त में पूछना चाहता हूं कि क्या इन सब गड़बड़ियों के लिए किसी के ऊपर एक्शन लिया गया अथवा जिन 17 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, उन्हें वापस लिया गया अथवा ऐसा करने का इरादा है? वहां के डायरैक्टर एक अच्छे व ईमानदार हैं, उनके नीचे ये सब गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं, इन्हीं बातों के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर के बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्हें अच्छा सर्टिफिकेट दिया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, पहले सारे सदस्यों को अपने-अपने प्रश्न पूछने का अवसर दे दीजिए उसके बाद मंत्री जी जवाब दे दें, तो अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मैने नोटिस दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैने भी इस मुद्दे पर एक नोटिस दिया है।

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मैंने भी इस मुद्दे पर एक नोटिस दिया है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय माननीय मंत्री सभी प्रश्नो के बाद उत्तर दे सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री जी के बोलने की बारी है।

डा. अंबुमणि रामदास : धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अजय माकन : अध्यक्ष महोदय, एम्स मेरी कांस्टीटयूएंसी में आता है। मैं मंत्री महोदय से एक महीने से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हैल्थ मिनिस्टर साहब मुझे नहीं मिल पाए। मैं इसका भी जवाब चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों द्वारा उनसे पूछे गए सभी प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी को अवसर नहीं दे सकता। श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या आप अभी बोलना चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्यों द्वारा सभी प्रश्नों के पूछे जाने के पश्चात उत्तर दे सकते हैं। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अन्य माननीय सदस्यों को इस मुद्दे पर प्रश्न पूछने दें।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस पर सदन में डिसकशन रखना चाहिए और इसके लिए समय निर्धारित करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके सुझाव के लिए धन्यवाद।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, मैने सोचा कि माननीय मंत्री उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने वाले थे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी हां यह सच है परन्तु अन्य माननीय सदस्यों ने मुझे याद दिलाया कि माननीय मंत्री जी विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाने के बाद ही उत्तर देते हैं।

(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मेरे पास भी प्रश्न हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। अभी यहीं से बोला गया है।

[अनुवाद]

ऐसा सुझाव दिया गया है कि सभी प्रश्न एक साथ पूछे जाएं। सामान्यत: ऐसा ही किया जाता है और हम इसका अनुसरण करेंगें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने जो सवाल खड़े किए, उनका उत्तर अभी आना है। वे कांग्रेस पार्टी के हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका जवाब नहीं दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस कालिंग अटेंशन पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। आल इंडिया इंस्टीटयूट आफ मैडीकल साइंसेस से मेरा गहरा रिश्ता है। बीमारी के नाते भी और संसद में उसका प्रतिनिधि होने के नाते भी। श्री माकन ने एम्स के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनकी तारीफ की है। अभी तक तो उनको हटाने की मांग होती थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब तारीफ हो रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब तारीफ हो रही है। यह बहुत अच्छा है।

उन्होंने एम्स के कर्मचारी के बच्चे की मृत्यु का सवाल उठाया। जो मृत्यु हुई, उसकी जांच हुई और जांच के बाद बच्चे के पिता संतुष्ट थे और सभी लोग संतुष्ट हैं। अगर दूसरी जांच चाहिए, तो आपके मंत्री हैं, जो चाहे आप करा सकते हैं, लेकिन बच्चे की मृत्यु की जांच के सवाल को लेकर आप पूरे इंस्टीटयूट को बदनाम मत करिए।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। उन्होंने एक या दो विभागों का उल्लेख किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अजय माकन : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसका जवाब दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। वह आपकी बात नहीं मान रहे हैं। वह एन.डी.ए. के अध्यक्ष हैं। वह हमारे आदरणीय नेता हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, एम्स के डायरेक्टर एक ऐसे डाक्टर हैं...*(व्यवधान)* वह सदन उनकी प्रशंसा कर चुका है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने भी कहा है कि वह काफी मशहूर है और काफी आदरणीय डाक्टर हैं। उन्होंने कहा कि इस निदेशक के नीचे कुछ लोग कुछ कार्य कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह एक कुशल डाक्टर है एक कुशल निदेशक हैं।

एक माननीय सदस्य : वामपक्षीय प्रशंसा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसमें से कुछ अर्थ क्यों निकाल रहे हैं? हम सभी को इसका आदर करना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसीलिए तो मैं खड़ा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है। कृपया आगे चलें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, आप जो बोलना चाहते हैं, वह बोलिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि डाक्टरों और दवा के मामले में राजनीति ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री अजय माकन : अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर यह एलीगेशन है कि राजनीति कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* हम वहां के पेशेंट्स की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : इसमें राजनीति की बात कहां से आ गई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि हमें लगता है कि हम किसी भी बारे में फैसला करने के लिए सक्षम हैं। कृपया बैठ जाएं। जब अध्यक्ष खड़े हों तो अनुशासन का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जहां तक मैं समझ पाया हूं श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि इस तरह के मामलों में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इससे कौन इनकार करेगा?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया हैं आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक या दो सदस्यो को और बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वहां कर्मचारियों का जो विवाद था, उस विवाद में कार्यवाही की गई। वहां कुछ कर्मचारी नौकरी से हटा दिए गए, उससे कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और यह फैसला हुआ कि जो कर्मचारी अनुशासनहीनता दिखाते हैं, उनके लिए इंस्टीटयूट में कोई स्थान नहीं होगा। अब अगर ऐसे कर्मचारियों की वकालत की जाएगी। जो अस्पताल में हड़ताल करते है। वहां हड़ताल नहीं होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* मरीज़ कैसे बचेगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। उन्होंने निदेशक के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोला है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अजय माकन : अध्यक्ष महोदय, किसी का बेटा मर गया है और उनकी कोई डिमांड भी नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनकी रैस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बार-बार खड़े हो जाते हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बातचीत क्यों कर रहे हैं? आप नाम लिख लीजिए। मैं अनिश्चित काल के लिए इसकी अनुमति नहीं दे सकता। इसकी भी सीमा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का कोई हक नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी इस विषय पर बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से यही अपील कर रहे हैं कि पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जो कर्मचारी अनुशासनहीनता के कारण निकाल दिए गए हैं, उन्हें फिर से वापस लेने की वकालत नहीं होनी चाहिए। इससे अनुशासन बिगड़ेगा और इंस्टीटयूट का वातावरण खराब होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें राजनीति मत लाइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दीजिए। आपको बोलने के लिए नहीं कहा गया हैं आप बैठकर अपनी बात नहीं कह सकते है। आप यहां पर शिक्षक नहीं हैं।

(व्यवधान)

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका संबंध विद्युत क्षेत्र से है...*(व्यवधान)* उड़ीसा एक प्रमुख राज्य है जो गरीबी रेखा से नीचे भी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. पाटसाणी, आप मामलों को पेचीदा मत बनाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बात करते हैं, बैठ जाइये।

[अनुवाद]

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : *[हिन्दी]* दिल्ली में जो नेता हैं, वे लेसर हो जाएंगे। आप अधिक धन मंजूर करने वाले है...*(व्यवधान)* इसलिए, मैं मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक डाक्टर होने के नाते और एक बड़े चिकित्सा संस्थान को मैंने अपनी जिंदगी में चलाया है, उसके आधार पर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं दो-तीन पाइण्टेड क्वैश्चन पूछना चाहूंगा कि ट्रेड यूनियन के नाम पर बहुत सारे कर्मचारी अपने हितों के स्वार्थ के लिए किसी एक घटना को आधार बनाकर ऑल इंडिया इंस्टीटयूट जैसी महान संस्था को बदनाम करने की कोशिश करें तो उसे रोका जाना चाहिए। ऑल इंडिया इंस्टीटयूट के जो वर्तमान में डायरेक्टर हैं, यहां कहा गया कि

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. करण सिंह यादव]

रोबोटिक सर्जरी इक्विपमेंट काम में नहीं आ रहा, लेकिन हमें ध्यान में रखना होगा कि ये वही डायरैक्टर हैं, जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया और वहां पर आज तक 200 ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। देश के किसी प्राइवेट अस्पताल में आज तक एक भी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। आज जितना काम ऑल इंडिया इंस्टीटयूट के 7 ऑपरेशन थियेटर्स में हो रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको कोई प्रश्न है तो पूछिये। *[अनुवाद]* आपका क्या प्रश्न है?

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव : मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि ऐसा आदमी, जिनको हमने पद्मभूषण दिया है, उनके घर पर जाकर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी नहीं कहा गया है। आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए। *[हिन्दी]* उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला है।

डा. करण सिंह यादव : मैं यह कह रहा हूं कि उनके घर पर जाकर अगर तोड़-फोड़ करने वाले लोग हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछना है आप अपना प्रश्न पूछिए *[हिन्दी]* क्या बात है, जूनियर को बोला है *[अनुवाद]* आपका प्रश्न क्या है *[हिन्दी]* बिल्कुल नहीं बोला है।

एक माननीय सदस्य : नहीं बोला है।

अध्यक्ष महोदय : हमने ध्यान से सुना है, नहीं बोला है।

डा. करण सिंह यादव : मेरा पाइण्टेड क्वैश्चन है कि उनके घर पर जाकर तोड़-फोड़ करने वाले लोगों के खिलाफ, आई.सी.यू. में जाकर उनका घेराव करने वाले लोगों के खिलाफ...*(व्यवधान)* मैं यही पूछ रहा हूं कि उनके घर पर जाकर तोड़-फोड़ करने वाले कर्मचारी अस्पताल में 12 घंटे तक, 24 घंटे तक काम को पैरेलाइज करने वाले कर्मचारियों को हम सजा देंगे या नहीं देंगे, इतना ही मेरा क्वश्चन है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। केवल प्रश्न पूछें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय अजय माकन जी ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने जो प्रश्न रखा है, यह बड़ा गम्भीर मामला है, क्योंकि मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ यह सवाल है। आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की अपनी एक गरिमा है और पूरे देश में जो ज्यादातर मरीज हैं, वे आस लगाकर बैठे हैं कि हम देश के सबसे सर्वोच्च अस्पताल में अपना इलाज कराएंगे, लेकिन यहां पर ऐसे भी हॉस्पीटल्स हैं, जहां पर ज्यादा पैसे लगते हैं, इस प्रकार के जो आरोप-प्रत्यारोप हो रहे है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं क्वैश्चन पर आ रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कहूंगा नहीं, पूछूंगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार : कि आयुर्विज्ञान संस्थान की एक गरिमा है, उस गरिमा को बनाये रखने के लिए वहां जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, उन पर आपको रोक लगानी चाहिए और उस हॉस्पीटल की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। इसमें न तो किसी डाक्टर का कोई सवाल है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप सुझाव दे रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : और मरीजों के हितों की भी रक्षा होनी चाहिए, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कृपया स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछिए। यह भाषण देने का अवसर नहीं है। केवल एक नोटिस है। कुछ अवसरों पर अध्यक्षपीठ इसकी अनुमति देती है। मैंने इसकी अनुमति दी है लेकिन कृपया इसका दुरुपयोग मत कीजिए और इसे पूर्व उदाहरण मत बनाइए। प्रश्न पूछिए।

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। माननीय सदस्य ने एम्स में

बिगड़ती स्थिति को आपके ध्यान में लाकर अच्छा कार्य किया है मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि एम्स में बिगड़ी हुई स्थिति निदेशक अथवा उनके चिकित्सकों अथवा उनके दल की वजह से नहीं है अपितु यह इस कारण से है कि गत वर्ष से गैर-योजनागत व्यय में अत्यधिक कमी कर दी गयी है जबकि रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। गत वर्ष, इस अकेले संस्थान में 19.56 लाख रोगी थे। कैजुअल्टी में ही, 1.53 लाख रोगी थे।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए। आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं?

श्रीमती मेनका गांधी : मैं पूछ रही हूं। गत वर्ष, उन्होंने गैर-योजना में 260 करोड़ रुपये खर्च किए थे लेकिन उन्हें 280 करोड़ रुपये दिये गये थे। इस वर्ष क्या यह सच नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्रालय से 300 करोड़ रुपये मांगने के बावजूद उन्हें केवल 170 करोड़ रुपये दिये गये हैं?

और सच्चाई यह है कि इस वर्ष अभी चार महीने बाकी है संस्थान पहले ही 199 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है और उन्हें और धन नहीं प्रदान किया गया है। उनके पास दवाइयों के लिए पैसा नहीं है। उनका सारा धन बेडशीट और उनकी आपूर्ति में खर्च हो जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न है : क्या वे धन प्रदान करने वाले हैं? अब श्री गुरुदास दासगुप्त बोलेंगे। आप सिर्फ एक प्रश्न पूछ सकते हैं। अन्यथा मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मैं निश्चित रूप से दो ही वाक्य बोलूंगा। मैं इस तर्क को नहीं मानता कि एम्स में स्थिति बिगड़ी हुई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है? कोई पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं है। मैं इसके लिए अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि हाल की अवधि में ऐमरजेन्सी में रोगियों के उपचार के स्तर में अव्यवस्था और गिरावट आयी है? क्या माननीय मंत्री जी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने वाले माननीय सदस्य द्वारा दिये गये तर्क से सहमत होंगे? दूसरे, हम सदैव मजदूर संघों के आंदोलनों का साथ देते हैं। हम सभी मजदूरों के संघर्ष का साथ देते हैं। लेकिन मजदूर संघों की भी लोगों के प्रति उत्तर दायित्व होता है, रोगियों, चिकित्सकों और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। सामाजिक दायित्वों के बिना मजदूर संघ नहीं हो सकते। इसलिए मेरा मुख्य प्रश्न है: क्या माननीय मंत्री जी यह बात मानेंगे कि क्या अधिकांश कर्मचारियों द्वारा एक दिन के लिए काम रोक देना चाहिए? यह एक अलग मुद्दा है कि चार्टर था या नहीं था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बहुत ही अनुभवी सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इससे ऐमरजेन्सी सहित अन्य विभागों में रोगियों का उपचार प्रभावित हुआ है। इससे वहां जो कुछ किया जा रहा है, उसे सहायता मिलेगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक विदेशी शिष्टमंडल से मिलना है। अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

अपराह्न 1.12 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए]*

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : सभापति महोदय, मैं भी इस संबंध में सवाल पूछना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : निश्चित रूप से माननीय सदस्य श्री अजय माकन की चिंता को मैं भी बराबर महसूस करता हूं। मैं इस संस्था के बारे में कतिपय तथ्य उजागर करना चाहूंगा और मैं सभी माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा।

श्री माकन के पहले प्रश्न के बारे में कि इस संस्था को पहले अनुसंधान संस्था के रूप में आरंभ किया गया था, कि कोई खास अनुसंधान कार्य नहीं चल रहा है, मैं इस कथन का खंडन करना चाहूंगा।

यह हमारे देश का प्रमुख और विश्व का प्रतिष्ठित संस्थान है। यह विशेष रूप से अनुसंधान कार्य के लिए स्थापित किया गया था। इस संस्थान में बहुत से अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। इसके लिए न केवल योजनागत बजट से ही कुछ धनराशि आबंटित की जाती है अपितु सरकारी सहायता सहित विश्व भर से अन्य न्यूरल वित्तपोषण

[डा. अंबुमणि रामदास]

एजेंसियों से वार्षिक 20 से 30 करोड़ रुपये तक की धनराशि प्राप्त होती है।

कुछ खराब पड़े उपस्करों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। इन उपस्करों को कुछ वर्षों से उपयोग नहीं किया गया था। लम्बे समय से उपस्करों का उपयोग नहीं करने के बारे में हमने जांच के आदेश दे दिए हैं।

यह शिकायत की गई है कि मरीजों को दवाईयां खरीदने के लिए कहा जाता है। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभागों में पैकेज योजना है जिसके अंतर्गत दवाइयां और अन्य सामान आपरेशन के लिए शामिल होता है। मरीजों के लिए इनकी खरीद करना आसान रहता है। हम पूरे एम्स में इस प्रक्रिया को लागू करने का विचार कर रहे हैं जो सभी विभागों के लिए लागू होगी। यह शिकायत की गई है कि मरीजों को दवाईयां खरीदने के लिए कहा जाता है। यह योजना एक चालू योजना है। हम सभी के हितों को देख रहे है। हम इसका वैकल्पिक व्यवहार्य समाधान निकाल लेंगे।

कैंसर संस्थान में कुछ समस्याएं हैं। अब, हमने व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) का गठन कर लिया है। जब हमें इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएंगी तो वहां काम फिर से शुरू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कैंसर खण्ड की सभी मंजिले कार्यरत नहीं है।

ट्रॉमा केन्द्र कुछ समय से कार्यशील है। इस मामले के फिर से व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) को भेज दिया गया है। वस्तुत: इससे कुछ सिफारिशें प्राप्त हो गई है तथा कुछ प्रक्रिया अभी भी जारी है। इस समिति से स्वीकृति प्राप्त होने क पश्चात हम ट्रॉमा केन्द्र बनाने का प्रयास करेंगे।

रोबोटिक हार्ट सर्जरी के संबंध में माननीय सदस्य ने कहा है कि इन मशीनों द्वारा अनेक आपरेशन किये गए हैं। वास्तव में उपनिदेशक (प्रशासन) का पद अभी रिक्त है। इस संबंध में एक पैनल मेरे पास आया है और हम उसकी जांच कर रहे हैं।

एम्स के निदेशक हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। वे बहुत ही काबिल चिकित्सक हैं। श्री माकन ने कहा है कि वह वित्तीय कार्य के साथ-साथ सतर्कता कार्य भी देख रहे थे। लेकिन इसके लिए हमने अन्य व्यक्तियों को लगाया हुआ है। वहां वित्तीय सहायक है तथा प्रशासनिक कार्य के लिए शीघ्र ही उप-निदेशक (प्रशासन) की नियुक्ति की जाएगी।

एक मामला जिसमें एक कर्मचारी के बेटे की मृत्यु हुई है, चाहे वह किसी कर्मचारी का बेटा है या कोई और रोगी है स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी, चिकित्सक तथा अर्द्ध- चिकित्सा कर्मचारी दोनों की चिकित्सा लापरवाही से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। हम ऐसी घटना नहीं होने देंगे। यह कोई मायने नहीं रखता है कि वह एक कर्मचारी का बेटा है या किसी गरीब आदमी का बेटा है। इस घटना विशेष के बारे में मैने एक व्याख्यात्मक बयान दिया था जिसमें मैने उस दिन हुई घटना के तथ्यों की जानकारी दी थी। उसी दिन अर्ध-रात्रि में उस रोगी का उपचार करने वाले चिकित्सक पर अस्पताल में आगे काम करने पर रोक लगा दी थी। तीन चिकित्सकों का एक जांच दल जांच कर रहा है। सम्भवत: एक पखवाड़े में जांच पूरी हो जाए। इसलिए, हम जांच दल की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

कर्मचारियों के विरोध के संबंध में यह कोई कारखाना नहीं है जहां कर्मचारी एक दिन के लिए उत्पादन रोक सके। यदि कर्मचारी काम करना बंद कर देते है तो इससे लोगो की जान जा सकती हैं। इससे केवल एक दिन के उत्पादन की हानि नहीं होती हैं। लेकिन इस प्रकार से हम एक भी जान नहीं जाने देंगें। हम इस पर कड़ा रुख अपनाएंगे चाहे वह कर्मचारी संघ हो या चिकित्सक संघ। हम उनके साथ भी वही व्यवहार करेंगे। कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के हड़ताल नहीं कर सकता हैं। वस्तुत: उच्च न्यायालय ने सितम्बर, 2002 में एक निर्णय दिया था कि संस्थान की 500 मीटर की परिधि में कोई भी बैठक या विरोध या ऐसी गतिविधि नहीं की जा सकती है जिसे मैने अपने बयान में भी पढ़ा है। कर्मचारी संघ द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाना गलत है। श्री माकन ने कहा है कि विरोध में उन्हें कोई शिकायत या मांग नहीं की है। फिर भी यदि उनकी कोई मांग है तो विश्वभर में प्रसिद्ध एक बहुत ही प्रख्यात संस्थान ने इस प्रकार विरोध जताना सही नहीं था। वहां तो एक घंटे का भी विरोध नहीं होना चाहिए था क्योंकि वहां जान दावं पर लगी होती है। देश के सुदूर क्षेत्रों से इलाज कराने के लिए लोग वहां आते हैं।

कर्मचारियों के निलंबन तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में विवरण में बताया गया है कि 19 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उनमें से दो कर्मचारी अस्थाई कर्मचारी हैं। उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है तथा शेष 17 कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की जा रही है। इस संबंध में जांच दल की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक मामले के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हम निलंबन वापस लेने या अन्यथा करने के बारे में तदनुसार रवैया अपनाएंगे।

माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, श्री वाजपेयी निदेशक की प्रशंसा कर रहे थे। निदेशक को हटाने की कोई मांग नहीं है। किसी ने ऐसी मांग नहीं की है।

श्री करण सिंह यादव ने रोबोटिक केन्द्र के बारे में और जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल के कार्यकरण के लिए कर्मचारियों को सहज वातावरण बनाना चाहिए। श्री शैलेन्द्र कुमार ने संस्थान की प्रतिष्ठता के बारे में चिंतित हैं। निश्चित रूप से हम भी इस बारे में चिंतित हैं। हम इसकी प्रतिष्ठा को किंचित मात्र भी कम नहीं होने देंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : एक व्यक्ति तीन पदों पर बैठा हुआ है। उसके बारे में क्या किया जा रहा है?

डा. अंबुमणि रामदास : इन पद पर कार्य करने के लिए उनके अधीन व्यक्तियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। फिर भी कोई बात नहीं हम इसे देख लेंगे।

श्री अजय माकन : प्रशासन, वित्त तथा सतर्कता का कार्य देखने के लिए एक उप-निदेशक है।

डा. अंबुमणि रामदास : उप-निदेशक के पद के संबंध में एक पैनल मेरे विचाराधीन आया हैं तथा उपनिदेशक (प्रशासन) को तैनात करने के बारे में हम निर्णय लेंगे।

श्रीमती मेनका गांधी ने इस वर्ष 300 करोड़ रुपये की आवश्यकता की तुलना में गैर योजना शीर्ष में 170 करोड़ रुपये आबंटन किये जाने के बारे में चिंता जताई है। उनकी चिंता वाजिब है। मंत्रालय संशोधित आकलनों के अंतर्गत और धन आबंटित कर रहा है ताकि एम्स के स्तर को बचाएं रखने के लिए बजटीय सहायता को बढ़ाया जा सके।

वस्तुत:, एम्स में होने वाले सभी अनुसंधान क्रियाकलापों की आवधिक समीक्षा करने हेतु एक अनुसंधान समीक्षा समिति का गठन किया गया है। वहां काफी अनुसंधान कार्य हो रहे हैं। मैंने उनसे इस संस्थान में विशेषकर स्टेम शेल्स के संबंध में और अधिक अनुसंधान कार्य करने का अनुरोध किया है। हम इस कार्य में लगे हुए हैं। हम एम्स की प्रतिष्ठा को थोड़ा भी कम नहीं होने देंगे।

महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को इस मुद्दे पर अपने प्रश्न पूछने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा अपराह्न 2.20 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.21 बजे

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.20 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.22 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.20 बजे पुन: समवेत हुई

[**श्री अजय माकन** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मद सं. 20 पर चर्चा करेगी। मैं मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूडी, ए.वी.एस.एम. से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करें।

[हिन्दी]

(दो) दिल्ली के एम्स की तरह देश के छह राज्यों में आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने संबंधी निर्णय के कार्यान्वयन की स्थिति

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल) : सभापति जी, मै स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

"दिल्ली के 'एम्स' की तरह छह राज्यों में आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना हेतु लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डां अंबुमणि रामदास) : सभापति महोदय, वर्ष 2003 में शुरू की गयी प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई.) में चिकित्सा की कम सुविधा वाले राज्यों में स्पेशलिटीज् और सुपर स्पेशलिटीज् चिकित्सा सुविधा तथा

[डा. अंबुमणि रामदास]

उत्तम चिकित्सा शिक्षा मुहैय्या कराने पर विचार किया गया था। प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ बिहार (पटना) छत्तीसगढ़ (रामपुर), मध्य प्रदेश (भोपाल), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर) तथा उत्तरांचल (ऋषिकेश) में एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

आशा है कि ये संस्थान स्वीकृति की तिथि से तीन वर्षों के बाद कार्य करना प्रारंभ कर देंगे।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव व्यय वित्तपोषण समिति द्वारा स्वीकृत हो चुका है तथा अब इसे स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इन स्वीकृतियों के अभी लम्बित होने के बावजूद, एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना के शुरूआती क्रियाकलाप जैसे चहरदीवारी का निर्माण-कार्य, व्यापक परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु परियोजना सलाहकार के चयन की प्रक्रिया तथा वास्तुशिल्पीय अवधारणाओं/डिजाइनों के चयन का कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उससे मुझे बहुत दुःख हुआ है। मुझे काफी खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने कार्यान्वयन के संबंध में आपका वक्तव्य पढ़ा है। ये छह अस्पताल 'एम्स' की तरह छह राज्यों में बनने हैं, लेकिन उनके बारे में मुझे कहते हुए बड़ी पीड़ा और कष्ट हो रहा है कि उनकी प्रगति बहुत धीमी है। वह अकर्मण्यता के हद तक धीमी है। मई, 2004 से, जब से यह सरकार बनी है, तब से इन्होंने एक ही काम अभी तक किया है और वह है व्यय वित्त समिति के पास जाकर इन्होंने स्वीकृति ली है। उसके अलावा इन्होंने इन 6-7 महीनों में कुछ काम नहीं किया है। एम्स के लिए जो 6 जगह बनी थीं, उनकी कितनी आवश्यकता है, आज इससे पहले कालिंग-अटेंशन में आपने उसका एक मुद्दा उठाया था और सांसदों की राय थी वहां पर ओवर-लोडिंग इतनी ज्यादा है कि लोगों की ठीक तरह से देखभाल नहीं हो रही है। माननीय मंत्री जी, आप खुद एक डाक्टर हैं और हम आशा करते थे कि इस काम को आप तेजी मे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमें निराशा हाथ लगी है और तेजी से काम करने के बदले, लगता यह है कि जानबूझकर इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, यह बड़ी चिंता की बात है। पहले कालिंग-अटेंशन में भी इस पर बात की गयी थी। मुझे मालूम नहीं है कि माननीय मंत्री जी एम्स में कभी विस्तार से गये हैं। पूरे भारत से वहां पर मरीज आते हैं और वहां की जो इंटरनल सड़कें हैं, बीमार लोग वहां पड़े रहते हैं, सर्दी में ठिठुरते रहते हैं, एडमीशन के लिए वहां जगह नहीं है। चारों तरफ होस्टल टाइप जगह बन गयी हैं जहां ये मरीज एडमीशन से पहले रहने के लिए मजबूर हैं। माननीय मंत्री जी खुद एक डाक्टर हैं, वे इसकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था करेंगे और ओवर-लोडिंग को विकेन्द्रित करके पूरे देश में फैलाएंगे। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब के पैरा तीन में कहा है कि योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृति दे दी गयी है और इसे अब अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। अब इसे स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आपने आगे कहा है और मैं इसे कोट करता हूं, "इस बीच, इन स्वीकृतियों के मिलने तक चारदीवारी का निर्माण, व्यापक परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना परामर्शदाता के चयन की प्रक्रिया और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी संस्था के लिए संरचनात्मक संकल्पनाओं, डिजाइनों के चयन जैसे शुरूआदी कार्यकलाप शुरू कर दिए गए हैं।" माननीय मंत्री जी, ये सब काम तो एनडीए के समय में हो गये थे, सात महीने पहले हो गये थे। लेकिन इन सात महीनों में ईएफसी की सैंक्शन देने के अलावा आपने कौन सा काम किया है, वह बताएं? एनडीए सरकार ने इन कामों को योजनाबद्ध शुरू नहीं किया, जैसा आपके जवाब में भी है, लेकिन प्लानिंग कमीशन से उन्होंने अप्रूवल ले ली थी और सैद्धांतिक रूप से 4,148 करोड़ रुपये की स्वीकृति ले ली गयी थी। एक करोड़ रुपया, प्रत्येक एम्स के हिसाब से दे दिया गया था और कई स्थानों पर तो चारदीवारियां भी बन गयी हैं। जितनी जमीनें प्रदेशों को चाहिए थी, वह छांटी गयीं और उनके ऊपर काम भी शुरू किया गया और प्रत्येक को एक करोड़ रुपया दिया गया, लेकिन पिछले सात महीनों से काम रुका पड़ा है। इस साल के अंतरिम बजट में 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी, तो कम से कम उतना पैसा तो उनको उपलब्ध होना चाहिए था ताकि दस-दस करोड़ रुपया सबको मिल जाता और काम आगे बढ़ता। इन सात महीनों में आपने क्या किया है वह बताएं? हम आपको सुनना चाहते हैं।

[अनुवाद]

हम आपसे कतिपय आश्वासन तथा कतिपय निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी चाहते हैं।

[हिन्दी]

इसलिए मैं आपसे निम्नलिखित सवालों के जवाब चाहता हूं।

पहला सवाल यह है कि सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति कब तक लेंगे? आप इसे स्पष्ट कीजिए। उन्हें एक दिन में लेंगे, एक महीने में लेंगे या एक साल में लेंगे। यह स्वीकृति कब तक होगी? दूसरा सवाल, इन 6 एम्स अस्पताल खोलने पर कितनी लागत आने वाली है? क्या पहले एस्टिमेट का रिवाइज या रिफाइन किया गया है? कृपया यह बताएं कि इस वित्तीय वर्ष 2004-05 में कितने धन का प्रावधान किया है?

[अनुवाद]

आप इस वित्तीय वर्ष के लिए कितने धन की व्यवस्था कर रहे है?

[हिन्दी]

मेरा तीसरा सवाल यह है कि स्टेटमैंट में कहा गया है कि कॉम्पीटैंट एथॉरटी के एप्रूवल के बाद इसके पूरा होने में तीन वर्ष लगेंगे। जो भी एस्टिमेट है, उसका वर्षवार कितना एलोकेशन किया है?

[अनुवाद]

यदि आप हमें वर्षवार आबंटन के बारे में बताए तो सहूलियत होगी।

[हिन्दी]

हम प्रेज्यूम कर रहे हैं कि दिसम्बर में इसका एप्रूवल मिल जाएगा। दिसम्बर 2007 में ये 6 के 6 फंक्शनल होने चाहिए। आपने वर्षवार कितने पैसे की व्यवस्था की है?

मेरा चौथा सवाल यह है कि एम्स की सह-संस्था बनी थी और उसका सर्टेन स्कोप ऑफ वर्क था। उदाहरण के तौर पर 500 बैड का अस्तापल और 35 स्पैशलाइजेशन का बंदोबस्त करने की व्यवस्था की गई थी। मेडिकल कालेज में 100 लड़के हर वर्ष हों, उसकी व्यवस्था थी। पीजी डॉक्ट्रेट और स्पैशलिस्ट डॉक्टरों की व्यवस्था थी। क्या उनको स्कीम में शामिल किया गया है या उसमें कोई परिवर्तन किया गया है या कमी की गई है?

मेरा अगला सवाल मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में है। ऋषिकेश में एम्स की तरह का अस्पताल बनना था। उसकी चारदीवारी बनी है। उसके लिए वर्षवार कितना एलोकेशन किया है और कब तक यह काम पूरा होने वाला है? यह कृपया बताएं।

अंत में मैं 6 स्टेट्स की तरफ से दोबारा रिकवैस्ट कर रहा हूं। ये क्यों बने, यह आप भी जानते हैं। इन 6 स्टेट्स से बहुत से लोग यहां आते हैं लेकिन उनके रहने की व्यवस्था नहीं होती है। सांसद होने के नाते हमें इंस्टीटयूशन से रिकवैस्ट करनी पड़ती है। अनेकों दफा, अनेकों प्रकार के लोगों के सामने प्रार्थना और, निवेदन करना पड़ता हैं। तब किसी को एक हफ्ते के बाद, किसी को एक महीने के बाद और किसी को तीन महीने के बाद एडमिशन की डेट दी जाती है।

[अनुवाद]

इसलिए, मै माननीय मंत्री महोदय से, जो स्वयं एक डाक्टर हैं, इसे शीघ्र करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

आपसे प्रार्थना है कि इसे जितनी जल्दी कर सकें, देश हित में करें और संतोषजनक उत्तर दें। आशा है कि आप स्पैसिफिक माइल स्टोन लगाएंगे।

सभापति महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कॉलिंग अटैंशन के ऊपर एज पर रूल्स केवल पांच सदस्य क्लैरिफिकेटरी क्वैश्चन पूछ सकते हैं लेकिन बहुत सारे सदस्यों ने इसके ऊपर बोलने की इच्छा जाहिर की है। यदि माननीय सदस्य अपने आप को कनफाइन कर सकें और दो मिनट में क्लैरिफिकेटरी क्वैश्चन पूछें तो इस पर सब लोग बोल पाएंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन हो पाएगा। मेरा माननीय सदस्यों से यही अनुरोध है कि वे कम समय लें और क्लैरिफिकेटरी क्वैश्चन फॉर्म में ही प्रश्न पूछें।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : इस योजना पर दसवीं योजना में विचार किया गया था तथा राजग सरकार ने एम्स, दिल्ली की तर्ज पर पूरे देश में छह चिकित्सा संस्थानों की स्थापना करने का निर्णय लिया था। यहां तक कि तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वर्ष पहले भुवनेश्वर के निकट सिजुआ नामक स्थान पर ऐसे एक संसीान का शिलान्यास किया था। इससे उड़ीसा के लोगों के हृदय में काफी उत्साह का संचार हुआ था क्योंकि बेहतर चिकित्सीय इलाज उड़ीसा में उपलब्ध नहीं होने की वजह से उन्हें प्रायः इसके लिए काफी संख्या में दिल्ली आना पड़ता है। परन्तु दुर्भाग्यवश, एम्स भुवनेश्वर के संबंध में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है।

माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया है कि स्वीकृति की तिथि से तीन वषो के पश्चात् इन संस्थानों द्वारा कार्य करना

[श्री खारबेल स्वाईं]

प्रारंभ कर देने की संभावना है। सभी उड़िया समाचार पत्रों में लगातार यह खबर छप रही है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के समय से भुवनेश्वर में एम्स अस्पताल के निर्माण हेतु एक रुपए की भी धनराशि आबंटित नहीं की गयी हैं मेरी समझ से भी संभवत: धन आबंटित नहीं किया गया है। अब मुझे माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से पता चला है कि इसे यहां तक कि स्वीकृति हेतु भी सक्षम प्राधिकारी के पास नहीं भेजा गया है।

यह अत्यंत आश्चर्य की बात है क्योंकि उनका कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने में स्वीकृति मिलने की तिथि से तीन वर्षों का समय लग जाएगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि सक्षम अधिकारी से स्वीकृति कब ली जाएगी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का कहना है कि वे सुधारों को माननीय दृष्टिकोण से क्रियान्वित करेंगे। यदि वे भारत के नागरिकों को यहां तक कि न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैय्या नहीं करा पाते है तो इस मानवीय दृष्टि कोण का क्या अर्थ है? सरकार एक सतत सत्ता है। आगामी सरकार को अपने से पिछली सरकार द्वारा देश की जनता के लाभार्थ लिए गए निर्णय को लागू करना चाहिए।

महोदय, मैं इस मामले पर स्पष्टीकरण की मांग करने वाले दो अथवा तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा प्रथम प्रश्न है : क्या सरकार का इरादा इस परियोजना को आगे बढ़ाने का है। अथवा इसे ताक पर रखने का है?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि, क्या सरकार की मंशा भुवनेश्वर में परियोजना हेतु धन आवंटित करने की है? क्या सरकार के पास परियोजना को पूरा करने का कोई लक्ष्य है? सरकार को यह नहीं कहना चाहिए कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा मंजूरी प्रदान करने पश्चात तीन वर्ष के अन्दर इसे पूरा किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी कब तक मंजूरी प्रदान करेगा? यह विचारनीय मुद्दा है, क्योंकि मंजूरी देने के बाद भी परियोजना को पूरा करने में तीन वर्ष लगेंगे।

महोदय, कई माननीय सदस्यगण स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्नों को पूछने में इच्छुक है। इसका तात्पर्य है कि वे इसपर विचार करने को भी इच्छुक हैं कि दिल्ली में भीड़-भाड़ नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि दिल्ली स्थित हमारे घर रोगियों से भरे होतें हैं। जब एक रोगी उपचार हेतु दिल्ली आता है, तो उसके साथ तीन या चार परिचारक भी उसके साथ आते हैं। यदि भुवनेश्वर, ऋषिकेश, भोपाल, रायपुर, पटना और जोधपुर जैसी छोटी जगहों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली जैसे संस्थान हों, तो एम्स, दिल्ली में हो रही भीड़ में कमी आएगी।

महोदय, आपने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान एक बहुत ही संगत बिन्दु का उल्लेख किया है कि एम्स, दिल्ली में अनुसंधान और विकास कार्य को ज्यादा महत्व देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यदि और जगहों पर और संस्थान खोले जातें हैं तो एम्स, दिल्ली भी अनुसंधान और विकास कार्य पर अपना ध्यान केन्द्रित कर पाएगा।

मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री कब तक धन का आबंटन करेंगे और वह भुवनेश्वर की परियोजना को कब तक पूरा करने वालें है?

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, देश में अर्प्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के कारण हम इससे इंकार नहीं कर सकते कि पूरे देश में बड़ी संख्या में अच्छे अस्पतालों की आवश्यकता है। बल्कि मुझे यह कहने की अनुमति दें कि जब हम एम्स जैसे छह संस्थानों की बात करते हैं, तो, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इस संकल्पना में ही प्रारंभिक कमी थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का गठन संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा किया गया था जैसा कि यही स्थिति चंडीगढ़ स्थित पीजी आई के संबंध में भी है। इस प्रकार जब हम एम्स जैसे संस्थानों की बात करतें हैं, तो हम यह बात भूल जाते है।

महोदय, इस तरह के मामले पर, मैं दलीय मत के आधार पर नहीं बोलना चाहता हूं। परन्तु, चूंकि इसपर अन्य पक्ष से जनरल खंडूडी द्वारा काफी जोर दिया गया है, मानो राजग सरकार ने विस्मयकारी काम किया हो, जैसाकि उन्होंने ब्रह्मांड से कुछ अवतरित किया हो तथा मानो उन्होंनें लोगों के लिए चन्द्रमा से कुछ लाया हो, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि.....

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : मैने इसमें कोई राजनीति नहीं की है।

श्री पवन कुमार बंसल : चूंकि यह घोषणा चुनाव की पूर्व-संध्या पर कार्यकाल के अंत में की गई थी, हमें यह स्पष्टत: ज्ञात होना चाहिए कि मात्र छह करोड़ रुपए का आबंटन अपर्याप्त है और इस धनराशि से कुछ भी नहीं किया जा सकता था। यदि सरकार गंभीर थी, तो तब संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया होता और इसके अन्तर्गत सरकार को जनादेश दिया गया होता अ‌ौर सरकार को इन छह संस्थानों को समयबद्ध तरीके से स्थापित करने का कार्य स्वयं करना चाहिए।

परन्तु, इसके बावजूद, तथ्य यह है कि यह एक स्वागतयोग्य कदम है। बल्कि मैं तो उन्हें धन्यवाद दूंगा। परन्तु साथ ही, मुझे श्री खंडूडी जी के इस वक्तव्य पर थोड़ी हंसी भी आती है कि पूर्व में छह करोड़ रुपए दिए जाने के बाद भी इस अवधि के दौरान कुछ भी नहीं किया गया है, जिसे मैनें पूर्णतः अर्प्याप्त धनराशि बताया था। यह मुझे निजी परिसर से कतिपय सड़कों को चार लेनों वाला बनाने के कार्य के शिलान्यास की याद दिलाता है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : महोदय, क्या हम इन सड़कों के संबंध में आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं? मैं उनके प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया एक साथ न बोलें। बंसल जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, वह यह जानते हैं कि मैं किसका संदर्भ दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया विषय पर बोलिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बंसल जी, कृपया विषय पर बोलिए।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बाधित न करें।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : अगर आपने मेरी बात पर मामूली सा भी गौर किया होता तो ऐसा न कहती। मैं कहता हूं कि 'एम्स' टाइप अस्पताल चाहिए। उनके लिए कानून बना लिया था या कानून नहीं बनाया, इन सारी बातों पर आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि हम 'एम्स' टाइप इंस्टीटयूट दे रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही थी कि 'एम्स' टाइप इंस्टीटयूट दे रहे हैं। अस्पताल चाहिए और आपको उस वक्त भी कहना चाहिए था कि हम अच्छे अस्पताल दे रहे हैं।

[अनुवाद]

मेरा यह आरोप है कि तत्कालीन सरकार ने एम्स जैसा कोई संस्थान स्थापित करने का कभी प्रयास नहीं किया।

श्री खारबेल स्वाईं : यदि हमने नहीं किया, तो आपने भी नहीं किया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बाधित न करें। वह विषय पर बोल रहें हैं। उन्हें बोलने दीजिए। आपको एक अवसर मिला और आपने अपनी बात कही। श्री बंसल जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन छह संस्थानों को स्थापित करने की घोषणा के समय प्रारंभ में कितना आबंटन किया गया था। कितना आबंटन किया गया था? क्या यह मात्र 6 करोड़ रुपए ही था? इसका मतलब हुआ एक संस्थान के लिए मात्र एक करोड़ रुपए। मेरी समझ से, आप एक करोड़ रुपए में कुछ भी नहीं कर सकते, यहां तक कि आप चारदीवारी तक खड़ी नहीं कर सकते जिसकी हम बात कर रहें हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से और अनुरोध करूंगा और उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या इन छह संस्थानों - जिनके बारे में भी खंडूडी ने हमें अवगत कराया है कि ये 500 बिस्तरों और 35 विशेषज्ञता सहित एक मेडिकल कॉलेज युक्त होगें जो कि काफी स्वागत योग्य कदम है के अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज पर कुछ अभिघात केन्द्र होंगे। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमें देश में बड़ी संख्या में मेडिकल संस्थानों की अति आवश्यकता है।

इस समय मैं 'अनुसंधान' तक सीमित नहीं हूं जैसा कि हमने सुबह किया था। यह 'एम्स' का आदेश था और यही कारण था कि मैंने पहले ही इस बात का जिक्र क्यों किया था कि मे संस्थान 'एम्स' की तरह नहीं होगा क्योंकि यहां बाल चिकित्सा देखरेख, और उन दुर्घटनाओं पर दिया गया है जो कि हमारी व्यस्त सड़कों पर बड़ी संख्या में होती रहती हैं, संक्षेप में मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे अभिघात केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पवन कुमार बंसल]

मैं जानना चाहता हूं इन संस्थानों को कब खोला जाएगा या गत सात वर्षों से पूर्व की अवधि में बड़ी संख्या में संस्थान स्थापित किए गए है। मुझे इस बात को इस तरह स्पष्ट करना चाहिए जैसे, लखनऊ में संजय गांधी संस्थान, हैदराबाद में निजाम संस्थान और अन्य संस्थान क्या राष्ट्रीय महत्व के इन सभी महत्वपूर्ण संस्थानों को जोड़ने के लिए व्यस्था तैयार की जाएगी। वास्तव में, राष्ट्रीय महत्व के दो ही संस्थान है यथा 'एम्स' और पी.जी.आई चंडीगढ़...*(व्यवधान)*, यह महत्वपूर्ण है। क्या ये सभी संस्थान एक दूसरे से जोड़े जाएगें और क्या दूर-चिकित्सा (रेली मेडिसियन) या ई-मेडिसियन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? इस संबंध में क्या किया जाएगा ताकि एक संस्थान से आने वाले व्यक्ति यानि देहरादून से आने वाले व्यक्ति को 'एम्स' या पी.जी.आई. चडीगढ़ से भी डाक्टरों की सलाह मिल सके? मैं जानना चाहूंगा कि क्या वहां के डाक्टर और जिला मुख्यालयों में विभिन्न चिकित्सालयों में डाक्टर मरीजों को अतिआवश्यक महत्वपूर्ण चिकित्सा स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराने के लिए 'एम्स' के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर सकेंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इसके बाद श्री रघुनाथ झा बोलेंगे। उससे पहले मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन तीन माननीय सदस्यों ने क्लैरिफिकेटरी प्रश्न पूछे थे, उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था। बाकी जो सदस्य प्रश्न पूछें, वे अपनी बात केवल प्रश्न तक ही सीमित रखें।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : माननीय सभापति जी, कोई सरकार अगर अच्छा काम करे तो उसे सराहा जाना चाहिए। जो छः 'एम्स' खोलने का फैसला पूर्ववर्ती सरकार ने लिया था, उसमें बिहार में भी एक 'एम्स' खोलना था। किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, बल्कि देश के उपराष्ट्रपति जी ने वहां जाकर उसका शिलान्यास किया था और उसके लिए सैकड़ों एकड़ कीमती ज़मीन राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण स्थान पर दी थी। लेकिन आश्चर्य है कि वर्तमान सरकार और माननीय मंत्री जी पालथी मारकर बैठ गए हैं। इसका क्या मकसद है? चाहे गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल रोड बनाने की बात हो या अन्य कोई बात हो। अब ये उस जगह पर ट्रॉमा सैन्टर खुलवा रहे हैं। वहां के लोगों को इस 'एम्स' की आवश्यकता थी लेकिन अगर इसकी कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, तो कैसे प्रधान मंत्री जी को वहां ले जाया गया, उपराष्ट्रपति जी गए और शिलान्यास किया। क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है कि आज हम उसे पूरा करें। भारत की जनसंख्या का दस प्रतिशत बिहार में रहता है और उनके जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इसे जल्दी से जल्दी कब तक पूरा करेंगे यह बताइए और यहां उसकी घोषणा कीजिए।

एक बात पर मैं इनसे सहमत हूं, जैसा इन्होंने कहा कि छः 'एम्स' बनाने का निर्णय जल्दबाजी में हुआ होगा। पार्लियामैंट के एक्ट के तहत 'एम्स' बना था। सरकार इनके लिए भी बिल लाए, जिसे हम जल्दी से जल्दी पास कर दें। जो कमी है उसे पूरा कीजिए और उसको जल्दी चालू करने की घोषणा कीजिए।

सभापति महोदय : श्री लाल सिंह। आप जल्दी से अपना प्रश्न पूछें।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : सभापति जी, कुछ बातें हैं जो प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।

सभापति महोदय : रूल्स परमिट नहीं करते हैं। आप प्रश्न पूछें।

चौधरी लाल सिंह : सभापति जी, आप बेहतर जानते हैं और मंत्री जी भी जानते हैं कि हमारे पूरे हिन्दुस्तान के लोग और खासकर मेरी रियासत जम्मू-कश्मीर के लोग यहां आकर कई महीनों सड़ते रहते हैं, 'एम्स' में लाइनों में खड़े रहते हैं मगर उनका नंबर ही नहीं आता। इतने ऑपरेशन वहां पर होते हैं कि जिनको कैंसर की बीमारी है, उन्हें पांच महीने का समय दिया जाता है जबकि उसने 15 दिन बाद ही मर जाना होता है। आपने एक प्रश्न किया था और मैं उससे मुत्तफिक हूं कि वाकई सिचुएशन बहुत खराब है। अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको पाप लगेगा। वाजपेयी जी ने ठीक कहा कि मेरा दोतरफा रिश्ता है। वह डैफिनेट है। उम्र में होता है, लेकिन डिफैन्ड करना और किसी के क्वेश्चन की तबाही करना, यह अच्छा तरीका नहीं है।

मेरी रिक्वैस्ट है कि कोई तरीका बनाया जाए कि किसको प्रायॉरिटी देनी है। जो बड़े आदमी का होगा, किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी का होगा, उसे तो जगह मिल जाएगी और गरीब को नहीं मिलेगी। इसके लिए आपने क्या सोचा है?

इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो, चाहे पहले की सरकार हो, या हमारी आए, हम कोई कमिटमैंट करके जाएं, तो उसमें कौन सी बुरी बात कर गए हैं? अगर उनके बनाने से हॉस्पिटल बन जाता, तो आज वहां 50 लाख आदमी, जो जम्मू प्रोविन्स के हैं, कम से कम वे आदमी रोते तो नहीं। वहां स्टोन लगा दिया गया,

सब कुछ हो गया। हमें कौन सी परेशानी है? क्या हमारे पास पैसे खत्म हो गए? हैल्थ सबसे इंपॉर्टेन्ट है और उसके साथ एजुकेशन भी है। हैल्थ के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इसके लिए पैसे आपको कहां से लाने हैं और कहां खर्च करने हैं, इसे देखें। हमारे यहां अगर जम्मू से किसी को डोडा जाना है तो उस लास्ट के एरिया में पहुंचने के लिए दो दिन लगते हैं।

सभापति महोदय : जल्दी अपनी बात खत्म करें। आज बहुत बिजनैस है।

चौधरी लाल सिंह : मैं क्या करूं, मसला ही ऐसा है। मैंने पर्सनली देखा है।

सभापति महोदय : स्पीच नहीं होनी चाहिए।

चौधरी लाल सिंह : यह स्पीच नहीं हैं मैं आपसे कह रहा हूं कि मेहरबानी करके उन 50 लाख आदमियों का ध्यान रखें। हमें इन्होंने 'एम्स' दिया। वह अपग्रेडेशन का था। हम पर इतना खर्चा नहीं था। शायद 95 करोड़ या 100 करोड़ रुपये का था। वहां एक पत्थर लगा हुआ है। पता नहीं, उसमें क्या हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि आपके पास भी वही कुर्सी है जो पहले के मंत्री के पास थी। यह कुर्सी वही काम करे, बल्कि उससे बढ़कर काम करे।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : सभापति महोदय, हमारे मारवाड़ में कहावत है कि हाकम बदल जाता है लेकिन हुकम नहीं बदलता। राजा बदल जाता है लेकिन राजा ने जो आदेश दिया, वह कभी नहीं बदलता। अगर हम देखें तो राजस्थान के जोधपुर में एम्स का शिलान्यास हुआ, जैसे अभी श्री झा बता रहे थे। महामहिम उपराष्ट्रपति ने पटना में एम्स का शिलान्यास किया। इसी तरह जोधपुर में एम्स के शिलान्यास में देश के वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और राजस्थान के सारे प्रमुख लोग थे। जब वहां महामहिम उपराष्ट्रपति गये· तो उन्होंने पहले सारी जानकारी ली होगी कि जमीन का डिस्प्यूट या और कोई बात तो नहीं हैं इसके लिए पहले कलैक्टर से एनओसी जाता है तब जाकर कोई शिलान्यास होता हैं अब अडंगा लगा दिया गया कि पटना और जोधपुर में जमीन सरेंडर नहीं हुई, जमीन नहीं मिली जबकि जोधपुर की जमीन के बारे में मुझे जानकारी है कि वह काजरी की जमीन थी। उसे हैंडओवर कर दिया गया और उस पर तीन तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई है।

मैं स्पेसीफिक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जिस जमीन का पोजेशन कागज में हो गया, भौतिक रूप से वह जमीन ट्रांसफर हो गयी, उस पर बाउंड्री वॉल क्यों नहीं शुरू हुई? जोधपुर का एम्स सिर्फ जोधपुर के लिए नहीं है। पश्चिम राजस्थान और राजस्थान, जहां हर वर्ष अकाल पड़ता है, गरीब लोग हैं, उनको यहां इलाज कराने में बहुत खर्चा करना पड़ता हैं जितना खर्चा उनको यहां आकर रहने में लगता है, उतने खर्चे में उनका इलाज वहीं हो सकता है, यह सोचकर सरकार ने जोधपुर में एम्स का शिलान्यास किया था। मैं खास तौर से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह मानवता का प्रश्न है। इसमें किसी प्रकार की राजनीति न हो और मानवता के प्रश्न पर जोधपुर, पटना या ऋषिकेश में एम्स का शिलान्यास किया जाये और उसके कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाये।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी एक और कालिंग अटैंशन भी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्रीजी की बारी है।

(व्यवधान)

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : महोदय, मैने नोटिस दिया है। कृपया मुझे इस महत्वपूर्ण मामले पर बोलने की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : महोदय, कृपया मुझे इस मामले पर बोलने का मौका दें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब, डा. प्रसन्न कुमार पारसाणी की बारी है, कृपया, प्रश्न पूछिए।

जो कुछ डा. पाटसाणी कहते हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : महोदय, जब हर पेड़ हरा होगा तो सारा जंगल हरा होगा, जब समाज में हर व्यक्ति स्वस्थ्य रहेगा तो पूरा देश स्वस्थ्य होगा, इसलिए, महोदय, 'एम्स' में नौ लाख मरीज भर्ती किए जाते हैं आप देख सकते है कि कहीं भी विश्व में इतने मरीज नहीं होते हैं। 'एम्स' दिल्ली में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम करने के लिए तत्कालीन केन्द्र सरकार ने छह ऐसे

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी]

केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है और उनमें से एक उड़ीसा में है। रजिस्ट्रार के सत्यापन के बाद उन्होंने इन केन्द्रों को चुना है, यह तत्कालीन सरकार का नूतन विचार था। तब सरकार ने सोचा कि भुवनेश्वर में 'एम्स' की तरह का चिकित्सालय होना चाहिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र और मेरे राज्य से अधिकतर मरीज इलाज के लिए दिल्ली आते है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप कृपया मुझे किसी राज्य की कोई ऐसी राजधानी बताएंगे जहां एक भी चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज नहीं है?

हमारे राज्य में महाचक्रवात आया था, हमारे राज्य में यहां सूखा पड़ा हमारे राज्य में अत्यधिक गरीबी है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : धन्यवाद, आपके इस अच्छी दखल के लिए!

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : महोदय सरकार को और धन आवंटित करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से अपने राज्य विशेषकर भुवनेश्वर में 'एम्स' की तरह का चिकित्सालय स्थापित करने के लिए और धन आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री भृतुहरी महताब, कृपया, एक प्रश्न पूछिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : सभापति महोदय, इस मामले पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए अपका बहुत धन्यवाद, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं बहुत ही उपेक्षित और भेदभाव वाले क्षेत्र जिसे असम में बोडोलैन्ड कहा जाता है, और इस 'बोडोलैन्ड क्षेत्र को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। जिसे कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में यह दर्जा प्राप्त है, भारत सरकार, असम सरकार और एक विशेष बोर्डोलैन्ड उग्रवादी समूह जिसे 'बोडोलैंड लिबरेशन टाइगरस्' कहा जाता है के बीच हस्ताक्षरित दूसरे राजनीतिक समझौते के परिणाम स्वरूप 2003 में बोडोलैन्ड का सृजन किया गया था।

इस क्षेत्र में कोई अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं है। मलेरिया और कुछ आम बीमारियों की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है।

हमारे यहां लोग न्यूनतम स्वास्थ्य देखभाल सुविधा से भी वंचित हैं। यह बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र है। अत: माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न यह है कि किन राज्यों में इन छह 'एम्स' जैसे संस्थानों की स्थापना प्रस्तावित है? आदिवासी बहुल पिछड़े क्षेत्र विशेषकर असम में बोडोलैंड क्षेत्र तथा संविधान द्वारा मान्यताप्राप्त देश के अन्य जनजातीय क्षेत्रों को 'एम्स' जैसे अस्पताल अथवा संस्थान से क्यों वंचित रखा गया है? क्या आदिवासियों के प्रति यह बड़ा भेदभाव नहीं है। मेरा भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि बोडोलैंड क्षेत्र सहित उन क्षेत्रों में, आदिवासियों के लाभ के लिए बहुत जल्द कुछ और 'एम्स' जैसे संस्थान स्थापित किए जाएं। अन्यथा, मैं आपको बताऊंगा महोदय कि यह सरकार भी आदिवासियों के प्रति भेदभाव करने जा रही है। अत: मैं यह पुरजोर मांग करता हूं कि बोडोलैंड क्षेत्र सहित जनजातीय क्षेत्रों में और 'एम्स' जैसे संस्थानों की स्थापना की जाए।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे

(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, सदस्यों की ही तरह मैं भी बहुत चिंतित हूं। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि यह परियोजना पिछले वर्ष के अंत में अथवा इस वर्ष चुनाव से थोड़ा पहले तैयार की गई थी। इसकी घोषणा की गई और छह राज्यों में आधारशिला रखी गई। मैंने वक्तव्य में राज्यों की संख्या बताई है। 'एम्स' जैसे छह संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस समय 6 करोड़ रु. का बजटीय आवंटन किया गया था।

महोदय, माननीय सदस्य मेजर जनरल खंडूडी ने कार्य की धीमी गति के बारे में ये प्रश्न पूछे थे। उन्होंने कहा था कि आज की तारीख तक कुछ नहीं किया गया। उन्होंने पूछा था कि क्या कार्य में देरी जानबूझकर की जा रही है तथा क्या सरकार इस परियोजना को बंद करना चाहती है। मैं यह बताना चाहता हूं कि उस समय जिन छह राज्यों को चुना गया था वे इन छह एम्स संस्थानों के लिए सुपात्र थे क्योंकि ये छह राज्य मानव अनुक्रमणिका पैरामीटर के सबसे निचले स्तर पर आ गए थे। इन छह राज्यों में शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, अपरिष्कृत जन्मदर तथा अपरिष्कृत मृत्यु दर उच्चतम है। इसलिए, इन संस्थानों की बहुत आवश्यकता थी...*(व्यवधान)* मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं। मानव अनुक्रमणिका पैरामीटर के कारण इनकी बहुत आवश्यकता थी। इसके लिए हम इन राज्यों में ये संस्थान आरम्भ करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त दिल्ली में बहुत भीड़-भाड़ है। पूरे देश, उड़ीसा, पूर्वोत्तर, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से मरीज दिल्ली आते हैं। हम पर बहुत दबाव है। मरीजों की अधिक संख्या भी एक कारण है जिसके कारण दिल्ली के एम्स संस्थान में अनुसंधान कार्यों में भी कमी आ गई है।

महोदय, यह परियोजना तैयार करते समय जल्दबाजी में कई प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। हम एक अथवा दो माह में 4200 करोड़ रु. की बड़ी परियोजना आरम्भ नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास धन कहां से आएगा? इसलिए, हम एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। केवल आधारशिला रखने से न तो यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और न ही ये संस्थान आरंभ हो जाएंगे। जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं, यह एक विस्तृत प्रक्रिया है ओर हम इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

संसद में पिछली बार जब प्रश्न उठा था तो, मैंने उत्तर दिया था कि हम विशेष वित्त समिति (ई.एफ.सी.) की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हम उस पर विचार कर रहे हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

आज ई.एफ़.सी. ने परियोजना को मंजूरी दे दी है। ऐसा नहीं है कि हम केवल बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं इस परियोजना को आगे बढ़ाने के पक्ष में हूं। इस परियोजना की बहुत आवश्यकता थी और ये राज्य इसके लिए सुपात्र हैं। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ई.एफ़.सी की मंजूरी के बाद हम सक्षम प्राधिकारी सी.सी.ई.ए. से बात करेंगे। यह आगे ही बढ़ रही है।

मैं बताना चाहूंगा कि दसवीं और ग्यारहवीं योजना में परियोजना की कुछ लागत लगभग 3,904 करोड़ रु. है। इसमें से दसवीं योजना में यह लगभग 2,526 करोड़ रु. है तथा ग्यारहवीं योजना में यह 1,377 करोड़ रु. है। इस वर्ष मार्च तक 150 करोड़ रु. का संशोधित अनुमान है तथा अगले वर्ष में 1,024 करोड़ रु. का बजट प्रस्ताव है।

एम्स जैसे इन छह अस्पतालों के बनाने पर प्रत्येक पर 280 करोड़ रु. का खर्च आने का अनुमान हैं यहां 500 के स्थान पर 850 बिस्तर होंगे तथा अंडरग्रेज्युएट पाठ्यक्रमों में लगभग सौ छात्रों को लिया जाएगा। 35 विभागों में स्पेशलिटी तथा सुपर स्पेशलिटी पाठयक्रम चलाए जाएंगे। इन छह राज्यों में सरकारी और निजी मैडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत कम है। इसलिए हम इन संस्थानों में भी अंडरग्रेज्यूएट पाठ्यक्रम आरंभ करना चाहते है।

माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या मैंने विद्यमान अखिल भारतीय संस्थान का दौरा किया है। मैं संस्थान के विश्रामग्रह में तीन से चार माह तक ठहरा हुआ हूं। इसलिए, मैं जानता हूं कि वहां क्या हो रहा है। हम उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य भी जानते हैं कि वहां की स्थिति क्या हैं हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि यह टीम का कार्य है और हरेक को उसकी चिंता है। हम सुविधाओं में सुधार करने जा रहे हैं क्योंकि दूर-दराज से बहुत से मरीज यहां आ रहे हैं। चारदीवारी के निर्माण का भी प्रश्न है। पिछले वर्ष 6 करोड़ रु. आवंटित किए गए थे तथा इस वर्ष लगभग 60 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।

छह राज्यों में से केवल चार राज्यों - उड़ीसा, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ को ही पूरी भूमि दी गई है। बिहार में पटना संस्थान के लिए उन्होंने प्रस्तावित 100 एकड़ में से केवल 37 एकड़ भूमि ही दी है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रस्ताव के अनुसार अतिरिक्त भूमि भी दी जाए। राजस्थान में जोधपुर में केन्द्र सरकार ने अभी तक भूमि नही दी हैं वहां एक छोटी सी समस्या है, मुझे लगता है कि जल्द ही आसानी से उसका समाधान हो जाएगा। अतः प्रक्रिया जारी है।

एक प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या ये 2007 में पूरी हो जाएगी। जो उत्तर मैंने दिया, उसके अनुसार प्रक्रिया से गुजरने के बाद परियोजना आरंभ होने की तारीख से तीन वर्ष लगेंगे। अब, पहले ही एक सलाहकार को चुना जा चुका है और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अस्पताल सेवा निगम को सलाहकारों तथा डिजाइन पर कार्य करने वाले सक्षम लोगों को चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ये सभी चीजें हो रही हैं। ऐसा नही है कि जब हमें अन्तिम अनुमति मिलेगी तभी हम ऐसा करेंगे। यह एक सतत वाली प्रक्रिया हैं जैसे ही हमें अनुमति मिलेगी हम इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का भार कम हो जाए।

ऋषिकेश के मामले में भी यही स्थिति है। यही चल रहा है और हम इसे शीघ्रातिशीघ्र बनाने की कोशिश करेंगे। श्री स्वाईं ने बताया है कि इस कार्य को दसवी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाना है इससे अतिरिक्त श्री स्वाई, भुवनेश्वर के संस्थान की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। हमने उनसे 150 एकड़ भूमि मांगी है। राज्य सरकार इसमें बहुत रुचि ले रही हैं जैसाकि मैंने कहा है इसे सक्षम प्राधिकरण को भेजा गया है अर्थात सी.सी.ई.ए. के पास भेजा गया है। हम इस प्रक्रिया से गुजर रहे है। मैं इसे जल्दी से जल्दी शुरू करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री खारबेल स्वाईं : आपके अनुसार सी.सी.ई.ए से कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

डा. अंबुमणि रामदास : मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्री खारबेल स्वाईं : कृपया इसे जल्दी से जल्दी करने का प्रयत्न करें।

डा. अंबुमणि रामदास : मैं यही तो कह रहा हूं। मैं इसे जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आपने ठीक कहा है कि दिल्ली में बहुत भीड हो गयी है जिसके कारण हम ऐसा कर रहे है।

श्री बंसल बहुत विद्वान सहयोगी है। इन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं है। जैसाकि मैने पहले ही कहा है कि वर्ष 20.03.04 के लिए 150 करोड़ रुपए आबंटित किए गए है। मैं आगामी वर्ष के आबंटन के संबंध में भी पहले ही बता चुका हूं।

वस्तुत: श्री पवन कुमार बंसल ने अभिघात केन्द्रों के बारे में एक और प्रश्न पूछा है ऐसा स्वर्ण चतुर्भुज योजना को शुरू करते समय नही सोचा गया था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, इन्हें अपनी बात समाप्त करने दें। यह उचित नहीं हैं इन्हें अपना वक्तव्य समाप्त करने दो।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : क्या, मैं आपकी बात में सुधार कर सकता हूं? क्या आप मुझे थोड़ा सा समय दे सकते है?...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास : सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें होती है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पहले इन्हें अपना वक्तव्य समाप्त करने दे।

(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास : यद्यपि इस मामले को इस विषय के अंतर्गत नही उठाया गया था। परन्तु सड़क दुर्घटनाओं के कारण अधिसंख्य लोगों की मृत्यु होती है। इसलिए हमें सभी राजमार्गों पर और अधिक अभिघात केन्द्रों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राजमार्गों पर अभिघात केन्द्रों की स्थापना के लिए कुछ धनराशि जारी की है लेकिन यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। हम माननीय प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अभिघात केन्द्रों की स्थापना और इन संख्याओं को टेली मेडीसिन्स के माध्यम से जोड़ने के लिए और अधिक धनराशि देने हेतु बातचीत कर रहे है। मुझे पूरा विश्वास है जैसे ही इन संस्थाओं को स्थापित किया जाएगा, हम इन्हें आपस में जोड़ देगें।

दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पी.जी.आई, चंडीगढ़ को कुछ अन्य संस्थानो से जोड़ा गया है इन सभी संस्थानों को आपस में जोड़ा जाएगा ताकि देश की संपूर्ण आबादी को टेली-मेडीसिन के माध्यम से जोड़ा जा सके।

यह सही है कि जम्मू और कश्मीर से एम्स जैसे नए संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन हम जम्मू और कश्मीर में विद्यमुक्ति एम्स जैसे संस्थानों का उन्नयन कर रहे हैं।

जहां तक राजस्थान के जोधपुर का संबंध है जैसाकि मैंने पहले ही बताया है कि हमें अभी तक भूमि नहीं दी गई है...*(व्यवधान)*

अब मैं असम पर आता हूं...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : कृपया आप इसके बारे में बताइए...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास : स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन सभी वर्षों में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनदेखी की गई है। इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने 20 वर्ष पूर्व शिलांग में एम्स जैसे संस्थान की स्थापना की आधारशिला रखी थी। इस संस्थान को ''नीग्रिम्स'' के नाम से भी जाना जाता है। इस अस्पताल के लिए 22 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। इस अस्पताल से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है और यहां असम से मात्र 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। हम वहां पर बहुत से सुपर विशेषज्ञ, विशेषज्ञ और स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर लोगों को ला रहे हैं। यह अस्पताल जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की जा रही है, में अस्पताल की स्वतंत्र प्राधिकरण और गवर्निंग काउंसिल हैं जैसे ही यह अस्पताल कार्य करना शुरू करेगा, वैसे ही पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। ...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं ...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : इन्हें अपनी बात समाप्त करने दें। माननीय मंत्री के वक्तव्य के अतिरिक्त और किसी बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. अंबुमणि रामदास : मैं समझता हूं कि मैं इन छ: संस्थानों के बारे में माननीय सदस्यों के प्रश्नों का पर्याप्त उत्तर दे चुका हूं। मैं भी इस बारे में चिंतित हूं। हम इन संस्थानों को शीघ्रतिशीघ्र स्थापित करेंगे ताकि आई.एम.आर. और एम.एम.आर. और अन्य सभी पैरामीटरों पर राष्ट्रीय औसत को कम किया जा सके। मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन छ: राज्यों में कम विकास हुआ है और इन संस्थानों की स्थापना के लिए हम सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : मैं माननीय मंत्री को इस वर्ष आवंटन की राशि को 60 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि करीब 25 करोड़ रु. प्रति वर्ष की दर से अगले तीन महीने में इस राशि को किस तरह से खर्च किया जाएगा। क्या आप वास्तव में इसे देना चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास : हमने अनुमानित राशि-प्रदान की है। ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : मैं सहमत हूं कि यह अनुमानित राशि है लेकिन इसे 31 मार्च के पूर्व व्यय करना है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेजर जनरल खंडूडी, आप कृपया 31 माच के बाद पूछें कि क्या होगा।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : मंत्री महोदय, आप अभिघात केन्द्रों की बात कर रहे थे। भूतल परिवहन मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की एक संयुक्त समिति थी जिसने इस पर काम किया था। स्वर्ण चतुर्भुज के बारे में ठोस कार्य किया गया। वस्तुत: यदि 6 फरवरी तक चुनाव नहीं शुरू होते तो हम बड़ी संख्या में अभिघात केन्द्रों की स्थापना कर चुके होते। तमिलनाडु में एक संस्थान है जिससे हमने सम्पर्क किया था। आप कृपया सड़क परिवहन मंत्रालय से पूर्ण ब्यौरा देने के लिए कहें।

डा. अंबुमणि रामदास : सूचना देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 3.10 बजे

(तीन) पैट्रोल में 5 प्रतिशत इथनोल मिलाए जाने और इथनोल पर प्रति लीटर 30 पैसे की सब्सिडी दिए जाने को अनिवार्य करने वाले आदेश को वापिस लिए जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील (इरन्दोल) : महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें:

"पेट्रोल में पांच प्रतिशत इथनोल मिलाए जाने और प्रति लीटर 30 पैसे की सब्सिडी दिए जाने को अनिवार्य करने वाले आदेश को वापस लिए जाने से उत्पनन स्थिति।"

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : माननीय सभापति महोदय, वक्तव्य की प्रति वितरित कर दी गयी है। यह ध्यान में रखते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री 4 बजे अपना वक्तव्य देने यहां आ रहे है, मैं पूरा वक्तव्य पढ़ने की बजाय वक्तव्य की ठोस बातों को संक्षेप में पढ़ने की अनुमति चाहता हूं।

महोदय, सरकार वैकल्पिक ईंधनों, विशेष रूप से पुन: प्रयोज्य प्रकृति के ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है और यह कुछ सीमा तक जीवाश्म ईंधनों का प्रतिस्थापन कर सकती है। हम एक चरणबद्ध तरीके से जैव ईंधनों द्वारा जीवाश्म ईंधनों के आंशिक प्रतिस्थापन की नीति लागू कर रहे हैं।

प्रायोगिक परियोजनाओं की सफलता के आधार पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1.1.2003 से इथनोल मिश्रित पेट्रोल (ई.बी.पी.) कार्यक्रम आरंभ किया जिसमें पहले चरण में चुनिंदा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 5 प्रतिशत इथनोल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति परिकल्पित थी। दिनांक 27.10.2004 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 705(ङ) के संदर्भ में ई.बी.पी. कार्यक्रम अनिवार्य बनाया हुआ है। कृपया यह नोट किया जाए कि यह अनिवार्य बना रहेगा।

30 पैसे की राजसहायता वापस लिए जाने के संबंध में स्थिति यह है कि जब यह कार्यक्रम शुरू किया गया था तो यह देखा गया कि इथनोल मिश्रित पेट्रोल की संभावित सुपुर्दगी लागत पेट्रोल की सुपुर्दगी लागत से अधिक थी। तेल विपणन कंपनियों को सार्वजनिक निविदाओं के माध्यम से इथनोल उठाना होता था। राज्यों में स्थित मिश्रण डिपुओं में पेट्रोल में इथनोल का मिश्रण करना होता था और इसके बाद इसकी खुदरा बिक्री केन्द्रों की आपूर्ति करनी होती थी।

[श्री मणि शंकर अय्यर]

इसलिए, सरकार ने प्रोत्साहन देने के लिए इथनोल में मिश्रण के लिए निर्धारित पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में कमी करके राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय लिया। तदनुसार पेट्रोल पर उद्ग्रहणीय 6 रु. प्रति लीटर का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भारत सरकार द्वारा इथनोल मिश्रित पेट्रोल में उपयोग के लिए निर्धारित पेट्रोल के मामले में 30 पैसे प्रति लीटर कम कर दिया गया। यह छूट 30-6-2004 तक वैध थी।

तदनन्तर, हमने यह जानने के लिए वित्त मंत्रालय से सम्पर्क किया कि क्या यह छूट जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय ने यह महसूस किया कि हमें रूटीन की तरह इसे नहीं बढ़ाना चाहिए। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से पांच प्रतिशत इथनोल मिश्रित पेट्रोल पर भी भुगतान से छूट दी थी। यह व्यवस्था जारी है, यद्यपि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट 30-6-2004 के बाद नहीं दी गई थी।

जिस वक्तव्य की प्रति मैंने वितरित की है उसमें उन राज्यों और क्षेत्रों की सूची है जिनमें ये कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं इथनोल उपलब्धता के प्रश्न पर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वर्ष 2003-2004 में इथनोल की आवश्यकता करीब 363 मिलियन लीटर प्रतिवर्ष थी। लेकिन तेल शोधक कंपनियों द्वारा खरीद के लिए मात्र 196 मिलियन लीटर उपलब्ध थी। वर्ष 2003 में और पुन: वर्ष 2004 में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इथनोल के स्रोतों के बारे में कठिनाइयों का पता चला। गन्ने की कम पैदावार और सूखे की स्थिति के कारण गन्ने के कम उत्पादन के परिणाम स्वरूप शीरे की अनुपलब्धता के कारण इथनोल की नियमित आपूर्ति प्रभावित हुई है।

[अनुवाद]

अत:, एथेनोल अधिप्राप्ति हेतु संविदा की समाप्ति पर हमारी तेल विपणन कंपनियों द्वारा नई सार्वजनिक निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। वर्ष 2004-2005 के दौरान तेल विपणन कंपनियों ने उत्तर-प्रदेश, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दमन एवं दीव और दादरा तथा नागर हवेली राज्यों के लिए 353547 कि.ली. एथेनोल की कुल मात्रा हेतु समय-समय पर निविदाएं जारी की थी। इन निविदाओं के बावजूद पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में एथेनाल स्त्रोतीकरण के बारे में काफी कठिनाइयों के कारण तेल विनिर्माण कंपनियों ने सरकार से 1.8.2004 से 8 माह के लिए यह कार्यक्रम निलंबित करने और आगामी गन्ना सीजन अर्थात अक्तूबर, 2004-सितम्बर, 2005 के दौरान नया निर्णय लेने का अनुरोध किया था।

इस स्थिति तथा तथ्य को देखते हुए कि पांच प्रतिशत ईबीपी को लागू करने के लिए पर्याप्त एथेनोल उपलब्ध नहीं है, मेरे पास मूल राजपत्रित अधिसूचना के उपबंधों को संशोधित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। किंतु मैंने यह काम ऐसे तरीके से किया कि सरकार ने मिश्रण हेतु जरूरी अधिदेशात्मक आदेश को रद्द नहीं किया है। सरकार एथेनोल मिश्रित कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध है, क्योंकि इससे देशी गन्ना किसानों को सहायता मिलती है। हमें इस बात की भी जानकारी है कि एल्कोहल आधारित रसायन उद्योग को वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अत: हमने दिनांक 27 अक्तूबर, 2004 की नई अधिसूचना में यह कहा है कि जब तक एथेनोल का मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक और तर्क संगत रहते है और एथेनोल की आपूर्ति पर्याप्त होती है तब तक तेल विपणन कंपनियों से सांविधिक दृष्टि से यह अपेक्षा बनी रहेगी कि वे अधिसूचित क्षेत्रों में एथेनोल और एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति करें और उसे ऊपर उठाएं।

हमें यह सुनिश्चित करना है कि—

(क) एथेनोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत एथेनोल का देशी मूल्य, वैकल्पिक प्रयोगों के लिए देशी एथेनोल उद्योग द्वारा प्रस्तुत मूल्य के समतुल्य हो; (ख) किसी विशेष स्थल पर एथेनोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत एथेनोल का देशी सुपुर्दगी मूल्य उस स्थल पर पेट्रोल के आयात समता मूल्य के समतुल्य हो, और (ग) एथेनोल की पर्याप्त आपूर्ति हो।

इस नई अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में, तेल विपणन कंपनियों ने वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरूप एथेनोल प्रापण हेतु नई निविदाएं मंगाने का निर्णय लिया है। तेल विपणन कंपनियां बाजार मूल्यों पर आधारित एक बेहतर वाणिज्यिक निर्णय लेने में सक्षम होंगी। उन्हें ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि सरकारी निदेश के अधीन उन्हें पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में, जब वह संशोधन हेतु देय हों, संशोधन न करने के कारण हुई कम वसूली को बार-बार हिसाब में मिलाना पड़ता है।

इस मुद्दे पर अत्यधिक ध्यान देने के महत्व को देखते हुए मैंने कल एक बैठक की थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कृषि मंत्रालय, खाद्य विभाग, रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अगुवाई में एक अन्तर्मंत्रालयीय कार्य दल का गठन किया जाएगा जो एथेनोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के निर्बाध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सभी पहलुओं पर ध्यान देगा।

श्री अन्ना साहेब एम.के. पाटील : महोदय, सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है। इसके महत्व के कारण ही भारत सरकार ने भारत में इस कार्यक्रम को स्थापित करने के लिए काफी रचनात्मक कदम उठाया है।

जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यक्रम संसार के 35 से अधिक देशों में जोर शोर से चल रहा है जिसमें पेट्रोल में केवल 5 प्रतिशत एथेनोल ही नहीं अपितु 25 प्रतिशत तक एथेनोल मिलाया जाता है। अत: तीन पहलुओं के मद्देनजर यह काफी महत्वपूर्ण है। एक, हम विदेश से काफी मात्रा में कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं जिसके लिए हम लगभग 90,000 करोड़ रुपये अदा कर रहे हैं। दूसरे, अन्य ईंधनों से प्रदूषण की काफी समस्या उत्पन्न होती है जिसकी एथेनोल से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि एथेनोल पर्यावरणानुकूल है और इससे प्रदूषण समाप्त होता है, और तीसरे यह एक कृषक उत्पाद है और इसके कारण यह देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

इसके अतिरिक्त, इसके महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1 जनवरी, 2003 से इस कार्यक्रम को लागू किया है। काफी बैठकें हुई और काफी कठिनाइयां आई, ये कठिनाइयां न केवल सरकार की ओर से अपितु तेल कंपनियों की ओर से भी हैं जो सदैव यह महसूस करती है कि यदि हमारे देश में इसका उत्पादन शुरू हो जाता है तो उनके बीच में प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। आपको यह पता होगा कि समिति की कई बैठकें हुई और यह जानने के लिए अन्य चर्चाएं हुई कि यह व्यवहार्य है अथवा नहीं और क्या इसे लागू किया जाएगा अथवा नहीं तथा ये सभी शंकाएं तेल कंपनियों और कुछ सरकारी अधिकारियों द्वारा पैदा की गई थी। राजग सरकार किसी प्रकार से इन सभी कठिनाइयों पर काबू पा सकी और उसने लगभग आठ राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को शुरू किया। यह शुरूआत काफी अच्छी थी। जैसा कि मंत्री जी ने सही कहा है कि जिन तीन प्रायोगिक परियोजनाओं की जरूरत नहीं थी उन्हें किसी प्रकार से शुरू किया गया और फिर उन्हें दस राज्यों में शुरू किया गया।

लगभग 363 मिलियन लीटर एथेनोल की आवश्यकता की तुलना में वर्ष 2003-2004 में 190 या 200 मिलियन लीटर का उत्पादन किया जा चुका है। यह वर्ष 2003-2004 में स्थापित देश की अपेक्षित क्षमतागत उपयोग का लगभग 55 प्रतिशत है। किंतु वर्ष 2004 में जब यूपीए सरकार सत्ता में आई तो क्या हुआ? पहले दिन से ही इस कार्यक्रम में गंभीर बाधा आ रही हैं केवल यही नहीं इसने इसकी गति धीमी करने और स्वत: दम तोड़ देने हेतु कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

जहां तक एथेनोल की उपलब्धता का प्रश्न है, यह कोई समस्या नहीं है। इस देश में तेरह बिलियनलीटर एथेनोल का उत्पादन होता है और उसमें से केवल रसायन और उर्वरक उद्योग को 65 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है और 15-20 प्रतिशत का पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। आज भी देश की चीनी मिलों के गोदामों में 20 प्रतिशत से अधिक एथेनोल उपलब्ध है। यह अभी भी जारी है। उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल सरकार, नौकरशाही और सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के बीच समन्वय की है। अत: सरकार के लिए समन्वय कायम करना काफी जरूरी है और मुझे खुशी है कि मंत्रीजी ने यह कहा है कि उन्होंने कल ही एक समीक्षा बैठक की है जिसमें उन्होंने हर 15 दिन में कार्यक्रम की निगरानी करने का निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि कम से कम इस कार्यक्रम को लागू करने हेतु यह एक काफी सफल कदम होगा।

महोदय इस कार्यक्रम से मुझे विश्वास है कि विभिन्न संगठनों, जिसमें शर्करा उद्योग न केवल शर्करा उद्योग बल्कि एथेनोल का उत्पादन करने वाले स्टार्चयुक्त पदार्थ जैसे आलु, सोरगा, तथा मक्का जैसे किसानों के अन्य गैर परम्परागत पदार्थ भी शामिल हैं- द्वारा किये गए निवेश का उपयोग किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह उद्योग, विदेशों की तुलना में बड़े स्तर पर आगे आना चाहिए।

पेट्रोलियम विभाग ने इस कार्यक्रम की जांच करने के लिंग विश्व के विभिन्न देशों का दौरा करने के लिए एक दल भेजा था। वे इससे काफी संतुष्ट और खुश थे। हमें यह क्यों नहीं करना चाहिए? भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इस एथेनोल कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की कोशिश की थी। विश्व के दूसरे देशों की तुलना में हम पीछे हैं। अत: जब हम अपने उपयोग में लाए जाने वाले कुल तेल में से 78 प्रतिशत भाग के लिए विदेशों से आयातित तेल पर निर्भर हैं। जब दूसरों की तुलना में एथेनोल उत्पादित करने वाले गन्ना तथा अन्य वस्तुओं की हमारी अच्छी फसल हो रही है, तो इस कार्यक्रम पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

मंत्री जी एथेनोल ही उपलब्धता के बारे में अपना वक्तव्य दे चुके हैं। मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि एथेनोल की कोई समस्या नहीं है। जहां तक 27 अक्तूबर, 2004 को निकाली गई राजपत्रित अधिसूचना का सवाल है मुझे लगता है कि सभी सुधारों और संशोधनों की आवश्यकता नहीं हैं इस सुधारों से निश्चित तौर पर नौकरशाही तथा अन्य लोगों को इस कार्यक्रम के कार्यानवयन को रोकने का मौका मिल जाएगा। अत: मुझे संदेह है कि क्या यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाने वाला है क्योंकि इस सरकार के आने से लेकर अब तक इस कार्यक्रम का

[श्री अन्ना साहेब एम.के. पाटील]

कोई उपयोग या कार्यान्वयन नही किया गया हैं हम महसूस करते है कि अधिसूचना के इन सुधारों से ध्यान कहीं और चला जाएगा। अतः मुझे लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं हैं हम इसकी तुलना आयातित पेट्रोल या आयातित एथेनोल के साथ क्यों करें जब हम हमारे किसानों तथा अन्य लोगों की मदद से अपने खेतों में स्वयं इसका उत्पादन कर रहें हैं। मेरे विचार से यह आवश्यक नहीं है। मै मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि इस तुलना अन्यों के साथ न की जाए। संयुक्त राज्य अमरीका में भी एक योजना है। वे एथेनोल पर राज सहायता दे रहे हैं। हालांकि हमें राज सहायता की अपेक्षा नहीं है परन्तु इसका मूल्य सही होना चाहिए। यह 17.5 रु. नहीं हो सकता परन्तु पेट्रोल के वर्तमान मूल्य की तुलना में यह 22 या 23 रुपये तो हो सकता है। अत: मेरे विचार से ऐसा किया जाना चाहिए।

अंत में मैं यह कहूंगा कि इस कार्यक्रम के बारे में कम से कम यथास्थिति तो बनाए रखी जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से इसे सही तरीके से कार्यान्वित करने तथा न केवल विदेशी मुद्रा बचाने, न केवल प्रदूषण खत्म करने बल्कि किसानो के मनोबल को बढ़ाने तथा समाज की कार्य कुशलता बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 3.28 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी ने जिस ढंग से अपनी बात रखी, उससे लगता है कि उन्हें बहुत चिंता है और पूरी रुचि के साथ वह इस काम में लगे हुए हैं, परंतु ऐसा नहीं हैं आजादी के बाद से लगातार इस दिशा में प्रयास होता रहा है और जब एन.डी.ए. की सरकार आई तब उसे लगा कि इसकी आवश्यकता है और इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो प्रयास किये गये, उसके परिणाम सामने आए। तब तत्काल हम लोगों ने फैसला लिया और उस फैसले के हिसाब से काम करना शुरू किया। परंतु दुर्भाग्य यह रहा कि सरकार बदलने के बाद फिर इसमें उल्टी दिशा चलने लगी। मैं माननीय मंत्री जी से कोई लम्बी बात नहीं कहना चाहूंगा। मेरा उनसे केवल इतना निवेदन है कि जो वक्तव्य आपने दिया है, इसी रूचि के हिसाब से आप इसमें लगें। क्योंकि खाली गन्ना, गन्ने का रस या शीरे से ही इथनोल नहीं बनता है, इसके अलावा मक्का, अनाज, गेहूं, जौ, आलू, शकरकंद और बायोमास इन सबसे भी इथनोल बनता है, यह आप सबकी जानकारी में है।

इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इथेनॉल हमें नहीं मिल रहा है। मैं चीनी उत्पादन क्षेत्र से आता हूं। मुझे खुद चीनी मिल के लोग कहते हैं कि सरकार की नीयत नहीं है कि इथेनॉल की ब्लैन्डिंग पैट्रोल में की जाए। मेरा आग्रह है कि अगर ऐसी कोई बात सामने आ रही है तो उसे दूर करने का प्रयास करें और सही दिशा में काम करें। हम लोगों ने फेज्ड मैनर में काम करना शुरू किया था। जिस समय पिछली सरकार ने काम करना प्रारंभ किया, उस समय भी समस्याएं थीं। उस समय बहुत सी ऐसी बातें सामने आ रही थीं जो संदेह व्यक्त कर रही थीं, पर फैसला लिया गया कि चरणों में काम होगा। आज उस फेज्ड मैनर के हिसाब से 2005 तक 10 प्रतिशत इथेनॉल की ब्लैन्डिंग पैट्रोल में होनी चाहिए थी, परंतु दुर्भाग्य की बात है, जैसा आपने कहा कि 5 प्रतिशत भी मिल नहीं रहा है, इसलिए नहीं मिलाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। मंत्री जी सरकारी अधिकारी भी रहे हैं, राजनैतिक रूप से एक अच्छे मंत्रालय को देख रहे हैं और उन्हें पूरी जानकारी हैं मेरा उनसे आग्रह है कि सरकारी अधिकारियों के कहने में न आएं। आप खुद फैसला लें।

मैं अधिक न कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बात मंत्री जी ने बताई कि इस समय नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको रोका जा रहा है, ऐसा नहीं है। इस दिशा में सही दृष्टिकोण अपनाते हुए काम करें। मुझे नहीं लगता कि अब क्रूड आइल का भाव 25 डालर प्रति बैरल से कम होगा और इससे ऊपर जाने पर इथेनॉल आपको महंगा नहीं पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि इसे गंभीरता से लेकर आप फैसला कीजिए। चरणबद्ध तरीके से इसको करना कोई राजनीतिक फैसला नहीं था। यह फैसला देश के हित में था और तब जब 80-90 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हर वर्ष हमारा विदेशी मुद्रा में व्यय होगा तो कैसे हमारी अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी? अभी तो बात भी आ रही थी कि इथेनॉल की ब्लैन्डिंग हम डीजल में भी कर सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार जो कर रही है, उसके इस फैसले से हर दिशा में फर्क पड़ेगा और जो प्रयास हमने शुरू किये थे, वे रूक जाएंगे। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें और अपनी इच्छाशक्ति को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण फैसला लें कि जो पिछली सरकार ने फैसला लिया था, उसके हिसाब इसे अगले वर्ष की 1 तारीख से 10 प्रतिशत इथेनॉल की ब्लैन्डिंग पैट्रोल में करें।

आज चीनी मिल के लोग इथेनॉल के बारे में संशय कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दूसरा आरोप लग रहा है। कुछ ऐसे निहित स्वार्थ हैं जो नहीं चाहते कि यह काम हो और इसलिए इसमें अवरोध पैदा कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप चीनी मिल मालिकों को बुलाकर बात करेंगे तो आपको जितनी भी क्वांटिटी इथेनॉल की चाहिए, उसमें कमी नहीं आएगी। इसके आल्टरनेटिव सोर्सेज़ भी आप पैदा कर सकते हैं।

मैं अधिक न कहते हुए इसी आग्रह के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि हम इस पर कोई भाषण नहीं सुनना चाहते हैं, आपसे कैटेगरिकल उत्तर चाहते हैं कि आप इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं कि कैसे विदेशी मुद्रा बचे और कैसे देश के अंदर किसान की स्थिति मज़बूत हो। आप किसान की स्थिति से परिचित हैं। दिक्कत यह है कि जब किसान को गन्ने का मूलय कम मिलता है तो वह अगले साल गन्ने की पैदावार कम कर देता है। अगर यह सुनिश्चित हो जाए कि इतना गन्ना हर हालत में बिकेगा तो किसान की हालत में भी सुधार होगा। मैं चाहूंगा कि इसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाते हुए आप घोषणा करें कि हमने यह प्लान बनाया है और उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीव सदस्यों इस ध्यानाकर्षण पर प्रश्न पूछने के लिए मुझे माननीय सदस्यों से अनुरोध प्राप्त हुआ हैं। अत: मैं उनसे भाषण न देने का अनुरोध करूंगा। उन्हें केवल स्पष्टीकरण के लिए ही प्रश्न पूछना चाहिए।

सर्वप्रथम मैं श्री रामजीलाल सुमन को आमंत्रित करता हूं। मैं आपसे केवल प्रश्न पूछने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जब अटल जी की सरकार थी तो सरकार ने फैसला लिया कि पैट्रोल में पांच प्रतिशत इथेनॉल का मिश्रण किया जाए और उसे कानूनी रूप दे दिया। अभी कहा गया और यह बात सही है कि न सिर्फ हिन्दुस्तान में यह काम शुरू हुआ बल्कि दुनिया के तमाम देश पैट्रोल में इथेनॉल मिलाकर बेचने का काम कर रहे हैं। 35-36 देश इस तरह के हैं, खास तौर से ब्राज़ील जैसे देश में पिछले 70 वर्षों से पैट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनौल मिलाने का सफल प्रयोग चल रहा है।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही माननीय सदस्यों से केवल एक प्रश्न पूछने तथा भाषण न देने का अनुरोध कर चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : मैं एक सैकिंड में समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार ने फैसला लिया तो उसके बाद पूरे हिन्दुस्तान में 122 उद्योग लगे और उत्तर प्रदेश में भी इसके 14 प्लांट लगाए गए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिन लोगों ने इथेनौल बनाने के उद्योग लगाए, उनका क्या होगा। इसमें पांच हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता था। यह किसानों के हित का काम था। जैसे मंत्री जी ने कहा कि संकट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गन्ने का, चीनी का कोई संकट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इससे हमारी विदेशी मुद्रा बचती, किसानों को राहत मिलती और जो लोग बेरोजगार थे, उनको काम मिलता। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और मैं समझता हूं कि इसे स्वैच्छिक बनाना किसी भी कीमत पर सरकार का न्यायसंगत कदम नहीं है।

मैं आपके मार्फत मंत्री जी से दरखास्त करना चाहूंगा कि सरकार ने जो अव्यावहारिक निर्णय लिया है, उस पर वह पुन: विचार करे और इस काम को यथावत चलने दे।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मैं उपभोक्ताओं के लिए बोल रहा हूं। मैं उपभोक्ताओं से जुड़ा हूं और वे किसानो से जुड़े हैं। मैं उनसे सहमत हूं। परन्तु आजकल पेट्रोल के एथेनोल मिलाने की बजाय कुछ और मिलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 100 मीटर पर पेट्रोल पम्प बने हुए हैं। हालांकि वह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं फिर भी अन्धाधुन्ध रूप से राजमार्गों पर नए पम्प खोले जा रहे है। पहले प्रत्येक चार या पांच किलोमीटर पर पेट्रोल पम्प होते थे परन्तु आजकल हर 100 मीटर पर पेट्रोल पम्प हैं। मुझे नहीं पता उन्हें पेट्रोल कहां से मिल रहा है। जहां भी नए पेट्रोल पम्प खुल रहे हैं ऐसा ही हो रहा है।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पेट्रोल में एथेनोल ही डाला जाए तथा कुछ और नहीं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष जी, सारे नेशनल हाईवेज पर पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा, विशेषकर कंपनियों के बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इस प्रकार का प्रचार किया जाता है कि यदि आप एक बूंद भी तेल का निर्माण नहीं करते तो आपको उसे वेस्ट करने का अधिकार नहीं है। आप उसे बचाइए। तेल बचाना ही निर्माण के बराबर है। इस प्रकार सारी पैट्रोलियम कंपनियों के ऐडवर्टाइजमैंट सारे नेशनल हाईवेज पर हमें पढ़ने को मिलते हैं। जब यह फैसला एनडीए की सरकार ने किया, तब इसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे - एक, आज पैट्रोल की खपत में यदि 5 प्रतिशत इथेनौल मिलाते हैं तो इससे 5 प्रतिशत पैट्रोल की बचत होती है। इससे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि जो इथनौल का निर्माण करने वाले हैं, वह गन्ने के, चीनी के कारखाने में होता है। चीनी मिल का सीधा संबंध किसानों से है। आज चीनी उद्योग भी मुसीबत में है। महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में पूरा उद्योग कोआपरेटिव में है और उसमें 50 प्रतिशत से अधिक किसान गन्ने का उत्पादन करते हैं।

इसलिए इथनोल का यूज करने से चीनी उद्योग की हालत सुधरेगी। इसके साथ-साथ चीनी उद्योग की सहायता करने वाले जो किसान हैं, उन्हें भी इससे लाभ मिलेगा। आज सारी दुनिया में इसे लेकर चिंता है। अमेरिका जैसा विकसित देश भी अब पेट्रोल और डीजल के ऑल्टरनेटिव्स की तलाश में है। इसके लिए जांच की जा रही है, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि पिछली सरकार ने एक अच्छे उद्देश्य से पेट्रोल में पांच परसेंट इथनोल मिक्स करने का निर्णय किया, जिससे पेट्रोल की बचत होगी तथा वह किसानों के लिए भी लाभदायक होगा। अब सरकार बदलने से क्या हुआ, यह मुझे पता नहीं लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से विशेषकर मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि केवल सरकार बदलने से जो नीतियां बदलती हैं, उसके बुरे परिणाम जनता को भुगतने पड़ते हैं जिसका उदाहरण श्री राम जी लाल सुमन ने यहां दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि इथनोल मिक्स करने का निर्णय होने पर जिन कंपनियों ने इथनोल का उद्योग लगाया, उनका क्या कसूर है? उन्होंने उसमें निवेश किया है। आप उन्हें राहत देने के लिए मिनिस्टीरियल कमेटी की बात कर रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या पूर्व की सरकार ने जो निर्णय किया था, उसी निर्णय को कायम करते हुए, आप इथनोल के लिए जो हमने 5 परसेंट निर्धारित किया था, उसे क्या 10 परसेंट बढ़ाने की कार्यवाई तुरंत करेंगे?

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला) : महोदय सबसे पहले मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं माननीय मंत्री जी से पेट्रोल में पांच प्रतिशत एथेनोल न मिलाने के बारे में अपने निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध करूंगा।

मेरा राज्य पिछले चार से पांच वर्षों से सूखे की परिस्थितियों से प्रभावित है। हम अपने किसानो को कृषि के वैकल्पिक तरीके सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से एक तरीका है कि हम मीठी मक्का, जो कि एथेनोल का काफी अच्छा स्रोत है, उगाने को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। हम जेट्रोफा तथा पोंगेमिया, जो कि काफी अच्छे बायो-डीजल पौधे हैं, में बायो-डीजल के प्रयोग की प्रणाली का प्रसार करने का भी प्रयास कर रहे हैं।

महोदय माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और पेट्रोल में पांच प्रतिशत एथेनोल मिलाने को बढ़ावा देकर हम किसानों के हितों की रक्षा कर रहे है, जो कि बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हमें अफ्रीकी देशों का उदाहरण लेना चाहिए जहां बायो डीजल व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। वास्तव में उन्होंने यहां से बीज लिए और वहां गन्दे पानी से उन्हें उगाया। अत: हम ऐसा उदाहरण ले सकते हैं और इन्हें अपने देश में कार्यान्वित कर सकते हैं। मैं पुन: माननीय मंत्री जी से इस मामले में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करना चाहूंगी।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : महोदय मूल रूप से मुद्दा यह है कि यदि एथेनोल हानिकारक है, तो इसे वापस लिया जाना चाहिए। परन्तु अध्ययनों से पता चला है- यहां तक कि पिछली सरकार ने भी इस पर कार्य किया था कि यह इंजनों के लिए हानिकारक नहीं है। तो, इसे वापस क्यों लिया जाना चाहिए? क्या इससे किसानों को भी मदद नहीं मिलती? दूसरी ओर से माननीय महिला सदस्य का भी यही कहना था कि एथेनोल की ऐसी मिलावट से किसानों को अधिक पैसे कमाने में मदद मिलेगी। फिर इसे वापस क्यों लिया गया? क्या केवल राजनैतिक कारणों से ऐसा किया गया? यदि राजनैतिक कारण भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि माननीय मंत्री इस बात से प्रभावित हैं कि चूंकि यह पिछली सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया था इसलिए इसे अब वापस लिया जाना चाहिए तो माननीय मंत्री वहां पर ऐसा कहें।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : महोदय पेट्रोल में इस विशेष एथेनोल की मिलावट से गैसों का उत्सर्जन कम होता है। ऐसा समाचार है जो वास्तव में इसे बढ़ावा देता है। अत: एक स्वच्छ विकास

प्रणाली का सहारा लिया जा सकता है। क्या सरकार ऐसा करने पर विचार कर रही है?

दूसरी बात यह है कि पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है। अब अर्थ व्यवस्था में यदि मांग होती है तो साथ में आपूर्ति भी होगी। यदि कानून के माध्यम से इसे लागू किया जाए और इसे आवश्यक बना दिया जाए, तो स्वत: ही किसान इसकी आपूर्ति कर सकेंगे। क्या सरकार इसे आवश्यक बनाने पर विचार कर रही है?

तीसरी बात, सरकार विभिन्न उपायों द्वारा चीनी उद्योग की सहायता कर रही है। वस्तुत:, चीनी उद्योग के लिए बहुत बड़ा पैकेज था। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री रोजगार की गारन्टी के लिए इस संबंध में विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं। रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और इथनोल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के लिए चीनी विकास कोष से कुछ धनराशि का उपयोग किया जा सकता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं श्री सुरेश प्रभु को समस्या की जड़ का उल्लेख करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने यह कहा कि समस्या अपर्याप्त आपूर्ति की है। यही मौलिक वास्तविक सच्चाई है। सभा में उनकी ओर के सदस्य हमें यह बताते रहे हैं कि इथनोल पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इस इथनोल की मांग नहीं कर रहे थे अथवा हम राजनैतिक उद्देश्यों के लिए इन अधिसूचनाओं में परिवर्तन कर रहे थे कि हम इसकी खरीद नहीं कर रहे हैं। नहीं। सच्चाई यह है कि श्री सुरेश प्रभु बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। समस्या की जड़ अपर्याप्त आपूर्ति है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसका संबंध तो इस प्रश्न से है कि क्या पिछली सरकार ने उस समय जब यह अधिसूचना जारी की थी...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : मैं माननीय मंत्री जी को उनकी इस बात के लिए अवश्य धन्यवाद दूंगा। लेकिन उन्होंने मेरे दूसरे वक्तव्य को नहीं सुना है। मैंने कहा था कि यदि आप इसे अनिवार्य करें तो आपूर्ति की जाएगी।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं इस विषय पर बोलूंगा। मामले की सच्चाई यह है। मैं पिछली सरकार पर राजनैतिक उद्देश्यों के लिए यह निर्णय लेने का दोष नहीं लगा रहा हूं। लेकिन इस ओर मैं संकेत कर रहा हूं। इसने यह निर्णय लिया था कि वे उस वर्ष पांच प्रतिशत एथेनोल मिलाने वाले हैं जब गन्ना, और चीनी, और सीरा और एथेनोल का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था।

अपराह्न 3.46

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं ऐसे विषयों पर बोलने का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहता जो विषय कृषि मंत्रालय और खाद्य विभाग के अन्तर्गत आते हैं। इसलिए, मैं आपके समक्ष खाद्य विभाग द्वारा गठित चीनी उद्योग के पुनरुद्धार संबंधी रिपोर्ट से उद्धृत करना चाहूंगा। यह इसी महीने उपलब्ध हुई है। इसलिए, इस समिति की जानकारी पर आधारित, मैं निम्नलिखित अंश पढ़ना चाहता हूं :

> "महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक चीनी का उत्पादन करने वाले अन्य कुछ राज्य हैं। ये राज्य चीनी के राष्ट्रीय उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2002-03 और 2003-04 में सूखे और वूली एफीड कीड़ों के आक्रमण ने इन राज्यों में चीनी उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है यह अनुमान है कि वर्ष 2002-2003 में तमिलनाडु में चीनी की उपलब्धता 165 लाख टन से घटकर 2003-2004 में 121 लाख टन, आंध्र प्रदेश में 120 लाख टन से घटकर 86 लाख टन, कर्नाटक में 172 लाख टन से घटकर 100 लाख टन और महाराष्ट्र में वर्ष 2002-03 में 535 लाख टन से घटकर मात्र 290 लाख टन रह जाएगी। दूसरी ओर, लगातार बाढ़ आने के कारण, बिहार में गत चार वर्षों से चीनी का उत्पादन लगातार घट रहा है इसके परिणामस्वरूप, देश में चीनी का उत्पादन वर्ष 2002-03 में 201 लाख मीट्रिक टन से वर्ष 2003-2004 में 140 लाख मीट्रिक टन रह गया है।"

अध्यक्ष महोदय, इन्हें राजपत्र अधिसूचनाओं में शामिल करना सरल है किन्तु इन की निगरानी करना अधिक कठिन है। चीनी का लगातार घटती उपलब्धता की स्थिति में और इसीलिए एथेनोल की कम उपलब्धता के कारण हमारे समक्ष या तो सच्चाई का सामना करने का प्रश्न है या राजपत्र अधिसूचनाओं के पीछे छिपने का प्रश्न है। मेरे गुरू महात्मा गांधी हैं इसलिए मैंने सच्चाई के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया था। मैंने तो सच्चाई ही बताई है। 27 अक्तूबर, 2004 को जब हमने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि पेट्रोल में एथेनोल मिलाया जाना अनिवार्य होगा लेकिन हम किस सीमा तक पांच प्रतिशत के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पायेंगे, दो महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर होगा। एक उपलब्धता है और दूसरा उचित मूल्य है। उपलब्धता के बारे में, श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील, श्री संतोष गंगवार और अन्य सदस्यों के सामने मैं एक सामान्य चुनौती रखता हूं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि गन्ने की पैदावार बहुत हुई है और शुगर की कोई कमी नहीं है।...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी सच नहीं कह रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। यदि वह अपनी बात पूरी नहीं करेंगे तो आप नहीं बोलेंगे।

श्री चन्द्रप्पन जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : अभी-अभी मैंने इसी महीने प्रस्तुत चीनी उद्योग पुनरुद्धार संबंधी समिति के कुछ अंश उद्धृत किये हैं। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित वाक्य शामिल है, जिसे मैंने पहले नहीं पढ़ा था और इसे मैं अब पढ़ना चाहता हूं। पैरा 5.1.4 में यह इस प्रकार है:

> "चीनी की कम उपलब्धता और कम क्षमता के उपयोग की समस्या वर्ष 2004-05 के चीनी मौसम में भी जारी रहने की संभावना है।"

अब, मुझे इस बात से सरोकार नहीं है कि यह उपलब्ध हो पायेगा अथवा यह उपलब्ध नहीं हो पायेगा। मुझे इस बात की चिंता है कि जो निविदा हम देने वाले हैं और सारा तेल उद्योग दिसम्बर, के अंत तक अथवा जनवरी के प्रथम सप्ताह तक मुसीबत में रहेगा क्योंकि 3,67,000 किलोमीटर तेल की पूर्ति होगी या नहीं। हमारा पिछला अनुभव, जैसा कि मैं पहले ही वक्तव्य में कह चुका हूं, यह था कि हम उतनी मात्रा नहीं खरीद पायेंगे जितनी हमने सोची थी। अब हम इसकी निविदा दे रहे हैं। यदि, वास्तव में, उपलब्धता हुई तो हम इतने खुश हो जायेंगे कि हम इसे खरीद नहीं पायेंगे। लेकिन इसे खरीदने में, हमें यह देखना होगा कि इसका मूल्य उचित होना चाहिए। उचित मूल्यों से मेरा क्या अभिप्राय है? श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील से यह जानकर मैं बहुत खुश हूं कि उचित मूल्य 22 रुपए अथवा 23 रुपए प्रति लीटर है। यदि वह 22 अथवा 23 रु. प्रति लीटर उपलब्ध होगा तो मैं नहीं सोचता कि इसे खरीदने में हमें कोई दिक्कत होगी।

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : इसे आप 17.40 रुपए पर खरीद रहे हो। इसलिए, यदि आप इसे 22 अथवा 23 रुपए पर देते हैं तो निश्चित रूप में यह उद्योग आपके प्रस्ताव का स्वागत करेगा। वे आपके प्रस्ताव का स्वागत करेंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर : मुझे उनके द्वारा निविदा में मूल्य देने पर कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार जैसा कि मैंने कहा हम उचित मूल्यों पर, इस मात्रा को खरीदने की निविदाएं दे रहे हैं। अब, उचित मूल्य क्या हैं, यह बताना चाहता हूं।

यह कच्चे तेल के मनमाने मूल्य पर आधारित नहीं होता है। मैं 16 दिसम्बर, 2004 के आंकड़ों के बारे में बता रहा हूं। मेरे पास अद्यतन आंकड़े यही हैं। तेल शोधक हस्तांतरण मूल्य जिससे हमें न अंडर रिकवरी और न ही ओवर रिकवरी मिलेगी, प्रति किलोलीटर इथिनोल मिश्रित पेट्रोल की कीमत वास्को में न्यूनतम 24,072.80 प्रति किलोलीटर से उत्तर प्रदेश में औसत अधिकतम 25804.71 प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। श्री पाटील अच्छी तरह से जानते है कि डिलीवरी प्वांइट भी मूल्य को प्रभावित करता है। परन्तु यह एक अनुमानित सीमा है जिसमें हम इथिनोल मिश्रित पेट्रोल को वाजिब कीमत पर उपलब्ध करवा सकेंगे। ऐसा होने पर, हम इन आंकड़ों पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम आयात समानता मूल्य क्यों ले रहे हैं। यह पूछने की कोई बात नहीं है। आयात समानता मूल्य लेने का केवल एक ही कारण है। यह इसलिए कि महाराष्ट्र से चुने गए एक मंत्री ने हमारे मूल्य नियंत्रण तंत्र को रद्द करते हुए निर्णय लिया था कि 1 अप्रैल, 2002 से हमारी कीमतों का निर्धारण आयात समानता के आधार पर होगा। जब यह आपकी सरकार द्वारा किया गया था तथा आपके राज्य के मंत्री द्वारा ही किया गया था, कृपया यह प्रश्न मुझसे न पूछे, कृपया यह प्रश्न अपने आप से पूछें। हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं मेरे मित्र, श्री रामजी लाल सुमन से अपील करता हूं कि इस अव्यवहारिक निर्णय न कहें। निर्णय कठिन वास्तविकताओं के मद्देनजर लिया गया था।

मैं, श्री अनंत गीते से अपील करता हूं कि वे इसमें राजनीति करें क्योंकि वे कई अन्य चीजों में भी राजनीति करते आए हैं। वस्तु स्थिति यह है कि जब आप महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों जहां इसकी उपलब्धता है, से 367,000 किलोलीटर की आपूर्ति करने में सक्षम हैं तथा यह वाजिब मूल्य पर मिल रहा है तो इसे लेने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन, भविष्य में, यह पूर्णतया अनिवार्य है कि राज्य सरकारें उपयुक्त कदम उठाएं।

महोदय, कृपया ध्यान रहे कि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की खपत ज्यादा होती है। लेकिन देश में गन्ना उगाए जाने वाली कुल भूमि के केवल तीन प्रतिशत में ही सिंचाई होती है। इसलिए,

हम पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर हैं 60 प्रतिशत चीनी कारखाने सहकारी क्षेत्र में हैं। ऐसी स्थिति में उचित मूल्यों पर आवश्यक मात्रा में इथेनोल की उपलब्धता पूर्णतया राज्य सरकारों पर निर्भर करेगी जिन्हें ज्यादा सक्रिय होकर तथा राज्य स्तर पर गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित करना तथा बुआई के मौसम में इस प्रयोजनार्थ पहले से ही पानी की उपलब्धता का भी आश्वासन देना चाहिए ताकि इथिनोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को जारी रखने के लिए इथिनोल उत्पादकों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सके।

यह हम ईमानदारी से कर रहे हैं। हम कार्यक्रम को जारी रखना चाहते हैं। यदि यह तकनीकी रूप से 5 प्रतिशत से भी ज्यादा मिश्रण तकनीकी रूप से संभव हो लेकिन अमेरिका या किसी अन्य देश का उदाहरण देने की कोई बात नहीं हैं हमें वास्तविक स्थितियों पर भी ध्यान देना होगा तथा वास्तविक स्थिति यह है कि जब मेरे मित्र, आपने वर्ष 2001 में यह निर्णय लिया था तो आपने न तो ए.पी.एम. को रद्द करने के मामले में और न ही इस मामले में इस वस्तु स्थिति की ओर ध्यान दिया कि इसके उत्पादन में एक बूंद की कमी भी नहीं होगी। इसलिए ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए जो बाजार में असामान्य तेजी की अवस्था में लिया गया हो, बाजार की इस असामान्य तेजी को सामान्य स्थिति मानना तथा फिर अत्यधिक कमी की स्थिति को हमारे ऊपर डालना तथा यह कहें कि हम इसमें राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं।

वाजिब निर्णय लेने के लिए इस देश की स्थिति की सही समझ होनी चाहिए। इस देश की स्थिति की सही समझ की कमी का परिणाम भारत उदय रहा था। संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार ही इस देश की सही प्रकृति को समझती है। इसलिए, हमारे निर्णय वास्तविक स्थितियों पर आधारित हैं।

अपराह्न 3.57 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित*

(एक) सरकारी प्रतिभूति विधेयक*, 2004

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं सरकारी, प्रतिभूतियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके प्रबंध से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों से संबंधित विधेयक को पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सरकारी प्रतिभूतियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके प्रबंध से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं** विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.58 बजे

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं तथा उनके द्वारा महत्वपूर्ण विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत

प्रधान मंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : संसद के पिछले सत्र के बाद, मुझे लंदन, न्यूयार्क, हेग और वियनशेन की अपनी यात्राओं के दौरान विश्व के कई नेताओं से बातचीत करने का मौका मिला है।

महोदय, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयार्क जाते हुए मैंने 19-20 सितम्बर को प्रधानमंत्री श्री ब्लेयर के आमंत्रण पर लंदन की यात्रा की। बातचीत करने के बाद हमने "भारत-ब्रिटेन : एक नई और गतिशील भागीदारी की ओर" पर एक संयुक्त घोषणा-पत्र जारी किया। इस घोषणा-पत्र में विदेश तथा रक्षा नीति में हमारी भागीदारी को सुदृढ़ करने, सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने, आर्थिक संबंधों का विस्तार करने और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के संबंध में हमारे सामरिक महत्व के संबंधों में भावी सहयोग के क्षेत्रों की रूपरेखा दी गई है। प्रधानमंत्री श्री ब्लेयर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए ब्रिटेन का समर्थन दोहराया।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 21.12.2004 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[डा. मनमोहन सिंह]

अपराह्न 4.00 बजे

ब्रिटेन, जो कि हमारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक भागीदारों में से एक है, के साथ हमारे संबंधों पर सन् 2005 में उस समय विशेष बल दिया जाएगा जब ब्रिटेन जी-8 का अध्यक्ष पद संभालेगा। यह सन् 2005 के उत्तरार्ध में जब हमें भारत- यूरोपीय संघ की छठी शिखर बैठक नई दिल्ली में होने की आशा है, यूरोपीय संघ की अध्यक्षता भी करेगा।

मैंने 23 सितम्बर, 2004 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। मेरे संबोधन में ये मुख्य विषय शामिल थे : विश्व के समक्ष चुनौतियों का वैश्विक तथा पार-राष्ट्रीय स्वरूप, आम-सहमति पर आधारित व्यापक प्रतिक्रिया की जरूरत और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई को दृढ़ता तथा विश्वसनीयता प्रदान करने की आवश्यकता। मैंने बहुपक्षवाद और इसके मूर्त रूप- संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, समय के साथ प्रासंगिक बने रहने की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ को स्वयं में बदलाव लाने के लिए सुधारों की जरूरत पर बल दिया। मैंने उन कारणों पर प्रकाश डाला कि हम ऐसा क्यों समझते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य होना चाहिए।

इस संदर्भ में, ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान, जिसे अब ''चार उम्मीदवारों का समूह'' कहा जाता है, के नेताओं की शिखर बैठक 21 सितम्बर, 2004 को न्यूयार्क में हुई थी। यह सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे को समर्थन देने हेतु परस्पर समझ-बूझ के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की सुधार प्रक्रिया में भाग लेने की हमारी मंशा की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति थी। हमने सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की जरूरत पर भी प्रकाश डाला ताकि इसे ज्यादा प्रतिनिधित्व-सम्पन्न और प्रभावी बनाया जा सके।

न्यूयार्क में मैंने अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की थीं।

राष्ट्रपति श्री जार्ज बुश के साथ हुई मेरी बैठक भारत-अमेरिका के बीच सामरिक भागीदारी को आगे बढ़ाने हेतु दिशा तय करने में काफी सकारात्मक रही। हमने सामरिक भागीदारी में अगले कदम के चरण-1 के हाल के कार्यान्वयन का स्वागत किया। हम आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए। हमने आतंकवाद और व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होकर कार्य करने के महत्व को भी समझा है।

राष्ट्रपति मुशर्रफ के साथ हुई बैठक के दौरान मैंने पाकिस्तान के साथ सुव्यवस्थित तरीके से और सतत् आधार पर बातचीत जारी रखने की हमारी वास्तविक इच्छा से उन्हें अवगत कराया। मैंने राष्ट्रपति मुशर्रफ को उनके 6 जनवरी, 2004 के उस आश्वासन को पूरा करने की गंभीरता पर भी बल दिया कि पाकिस्तान के नियंत्रण वाले किसी भी भूभाग का किसी भी तरह के आतंकवाद को समर्थन देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

हमारी इस बात पर सहमति हुई कि दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत के तहत सभी तरह के विश्वास बढ़ाने वाले उपाय लागू किए जाने चाहिए। यह व्यावहारिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए क्योंकि इनसे विश्वास और आपसी समझ-बूझ का माहौल बनाने में मदद मिलेगी जोकि दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए बहुत जरूरी है।

हमने जम्मू व कश्मीर सहित द्विपक्षीय मसलों पर भी चर्चा की। हमारी इस बात पर सहमति हुई कि जम्मू व कश्मीर के मसले का शांतिपूर्वक और बातचीत द्वारा हल ढूंढने के लिए संभव विकल्पों का सच्ची भावना और उद्देश्यपूर्ण तरीके से पता लगाया जाना चाहिए। मैंने राष्ट्रपति मुशर्रफ को यह स्पष्ट कर दिया कि हालांकि हम विभिन्न विकल्प तलाशने के लिए तैयार हैं किन्तु हम सीमाओं के किसी पुनर्निर्धारण या देश के एक और विभाजन के लिए सहमत नहीं होंगे।

द्विपक्षीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों के सन्दर्भ में, पाकिस्तान के रास्ते भारत आने वाली गैस पाइप लाईन की संभावना पर भी चर्चा हुई। हम महसूस करते हैं कि इस तरह की परियोजना से दोनों देशों को काफी लाभ होगा।

मैंने 23 नवम्बर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री शौकत अजीज जिन्होंने ''सार्क'' के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में भारत का दौरा किया था, के साथ इन्हीं बिन्दुओं पर प्रकाश डाला।

हम दोनों देशों के लोगों से मिले समर्थन के आधार पर और अपने बुनियादी राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना अविश्वास और आतंक से मुक्त माहौल में पाकिस्तान के साथ सहयोग और बातचीत जारी रखना चाहते हैं। विभिन्न विषयों पर तकनीकी स्तर की बैठकें चल रही हैं। दोनों देशों के विदेश सचिव अगले दौर की संयुक्त बातचीत शुरू करने के लिए 27-28 दिसंबर, 2004 को मुलाकात करेंगे।

भारत-यूरोपीय संघ की 5वीं शिखर बैठक 8 नवंबर, 2004 को

हेग में हुई थी। यह शिखर बैठक एक युगान्तरकारी घटना है क्योंकि इससे भारत-यूरोपीय संघ की सामरिक भागीदारी की शुरूआत हुई है। यह भागीदारी प्रमुख क्षेत्रीय और विश्व में प्रभावशील देश के रूप में भारत के बढ़ते कद का सबूत है। भारत और यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार तथा प्रमुख बहुपक्षीय सम्मेलनों, निरस्त्रीकरण और परमाणु अस्त्र अप्रसार सहित कई मुद्दों पर परामर्श तेज करने तथा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत बनाने पर सहमत हुए। हमारे आर्थिक सहयोग के संबंध में हम अपने व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के उपाय ढूढ़ने पर भी सहमत हुए। विशेष रूचि वाले दो प्रस्ताव थे- ऊर्जा मामलों में सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक ऊर्जा पैनल और एक पर्यावरण मंच के गठन का निर्णय।

यूरोपीय संघ और भारत विभिन्न क्षेत्रों में हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने और उन्हें प्रगाढ़ बनाने के लिए अगले कुछ महीनों में कार्रवाई हेतु एक संयुक्त एजेण्डा तैयार करेंगे। हम आशा करते हैं कि इस संयुक्त एजेण्डा को अगले वर्ष नई दिल्ली में होने वाली भारत-यूरोपीय संघ की छठी शिखर बैठक में अनुमोदित किया जाएगा।

मैंने तीसरी भारत-आसियान शिखर बैठक, जो 30 नवंबर, 2004 को हुई थी, में भाग लेने के लिए वियनशेन, लाओ पीडीआर का दौरा किया। आसियान के साथ हमारे संबंधों से हमारी "पूर्वोन्मुख" नीति की एक महत्वपूर्ण आधार-शिला तैयार हुई है। इस शिखर बैठक में आसियान नेताओं तथा मैंने "शांति, प्रगति तथा परस्पर समृद्धि के लिए भारत-आसियान सहभागिता" नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस सहभागिता दस्तावेज में विभिन्न क्षेत्रों में भारत-आसियान सहयोग का एक अल्प-मध्यम कालीन खाका प्रस्तुत किया गया है।

इस तीसरी भारत-आसियान शिखर बैठक ने हमें पिछले दो वर्षों में भारत-आसियान संबंधों में हुई प्रगति का जायजा लेने का अवसर प्रदान किया और इसने आर्थिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और औषधि तथा जन संपर्क जैसे विभिन्न क्षेत्रों में और सहयोग बढ़ाने हेतु नई पहलों तथा उपायों पर विचार करने का भी मौका दिया। हमने वस्तुओं के संबंध में भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता संबंधी बातचीतों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की।

महोदय, भारत-आसियान सहयोग की संभावना केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानव संसाधन विकास, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य तथा औषधि, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी तथा कृषि भी शामिल हैं।

इस शिखर बैठक के दौरान मैंने जापान, चीन, सिंगापुर, लाओ पीडीआर, वियतनाम, आस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया के नेताओं से भी मुलाकात की और परस्पर हित के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। चीन के प्रधानमंत्री के साथ हुई मेरी बातचीत में हमने सीमा के प्रश्न पर हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो दौर की बातचीत में हुई प्रगति की समीक्षा की और यह सहमति जताई कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक ध्यान देने के साथ ये बातचीत आगे जारी रहेगी।

हाल ही में हमने नई दिल्ली में कई महत्वपूर्ण नेताओं का स्वागत भी किया है। मैं माननीय सदस्यों को उनके बारे में जानकारी देना चाहूंगा।

रूस के राष्ट्रपति श्री पुतिन की 3-4 दिसम्बर की यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण थी और इससे हमारी सामरिक भागीदारी के महत्वपूर्ण पहलुओं को काफी गति मिली है। हमारी बातचीत परंपरागत विश्वास और परस्पर भरोसे के माहौल में हुई।

ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर विशेष बल दिया गया; हमने पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग हेतु 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। हमने रशियन सैटेलाइट नेवीगेशन सिस्टम "ग्लोनास" सहित अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित दो समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए।

रक्षा उपस्करों और कल-पुर्जों की आपूर्ति के संबंध में भी उपयोगी बातचीत हुई और हमें स्पष्ट आश्वासन मिला कि कल-पुर्जों की आपूर्ति के संबंध में बार-बार उठने वाले मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।

इसके बदले में हम रूस को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ) की सदस्यता हेतु समर्थन देने और रूस को एन्टी-डम्पिंग इन्वेस्टीगेशन के प्रयोजनार्थ एक बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानने पर सहमत हुए, जिसे रूसी पक्ष बहुत महत्व देता है।

हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ काफी सार्थक संबंध भी बनाए रखे हैं और उनके नेताओं की आगवानी की है।

मैंने 25 नवम्बर को महामहिम भूटान नरेश से मुलाकात की और उनके साथ घनिष्ठ और परस्पर लाभकारी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। वे अगले वर्ष हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने के लिए सहमत हो गए हैं।

श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमती चन्द्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा ने 3 से 7 नवम्बर, 2004 तक भारत का दौरा किया। शीघ्र व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता करके और विद्युत तथा परिवहन जैसे क्षेत्रों

[डा. मनमोहन सिंह]

में ऋण तथा सहयोग के जरिए आर्थिक संबंधों के विस्तार सहित पारस्परिक हितों के विभिन्न द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई थी। राष्ट्रपति महोदया ने हमें श्रीलंका में शांति प्रक्रिया की स्थिति सहित आंतरिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी।

नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा 8 से 12 सितम्बर तक भारत के दौरे पर आए। इस दौरे से हमें नेपाल में घटी ताजा घटनाओं के साथ-साथ नेपाल की विभिन्न विकास परियोजनाओं में भारत की सहायता के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला। हमने नेपाली संविधान के दोहरे स्तंभों के रूप में बहुदलीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र को समर्थन देने की अपनी परंपरागत नीति पर बल दिया। हम नेपाल में सुरक्षा की स्थिति के संबंध में नेपाल के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। महामहिम नेपाल नरेश 23 दिसम्बर को भारत आएंगे।

म्यांमार की राष्ट्र शांति एवं विकास परिषद (स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल) के चेयरमैन, सीनियर जनरल श्री थेन श्वे 24 से 29 अक्तूबर, 2004 तक भारत के राजकीय दौरे पर आए। यह 24 वर्षों में म्यांमार के राष्ट्राध्यक्ष स्तर के नेता का पहला दौरा था। इस दौरे के दौरान गैर-परंपरागत सुरक्षा मुद्दों के क्षेत्र में सहयोग संबंधी एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उद्योग, ऊर्जा, ग्रामीण परिवहन, संचार तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार पर भी बातचीत हुई थी। हमने अवगत कराया कि हालांकि भारत म्यांमार के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहता है फिर भी, हम राष्ट्रीय सामंजस्य और सामूहिक दृष्टिकोण के आधार पर बहुदलीय लोकतंत्र के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने का स्वागत करेंगे।

इस अवधि के दौरान, भारत के दौरे पर आने वाले अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के चांसलर श्री गेरहार्ड श्रोएडर, कोरिया गणतंत्र के राष्ट्रपति श्री रोह-मू-ह्यून, न्यूजीलैण्ड के प्रधानमंत्री राइट ऑन, हेलेन क्लार्क, मोरक्को के प्रधानमंत्री श्री ड्रिस जेट्टू और स्लोवाक गणतंत्र के राष्ट्रपति शामिल हैं। इस समय मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं।

हमारी सरकार को सत्ता सम्भाले अभी सात महीने हुए हैं। हमारा उद्देश्य विदेशों से संबंध बनाने और अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाते समय राष्ट्रीय हितों को केन्द्र में रखना है। हमने अपने हितों के प्रति सजग रहते हुए तथा अपने विकल्पों को खुला रखने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण पहलें की हैं। हमारे प्रयासों के फलस्वरूप भारत के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय माहौल को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिली है।

मुझे विश्वास है कि हमारे विदेशी वार्ताकार भारत के लिए महत्व रखने वाले मुद्दों पर हमारी स्थिति को बेहतर ढंग से समझते हैं। हम इस प्रयास को जारी रखेंगे।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए सदन के पटल पर निम्नलिखित दस्तावेज रख रहा हूं:

(1) भारत-ब्रिटेन: एक नई और गतिशील भागीदारी की ओर - एक संयुक्त घोषणा-पत्र।

(2) अमेरिका-भारत भागीदारी : सहयोग और विश्वास।

(3) भारत-पाकिस्तान संयुक्त वक्तव्य।

(4) भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान (जी- 4) द्वारा वक्तव्य।

(5) भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का संयुक्त प्रेस वक्तव्य।

(6) शान्ति, प्रगति और परस्पर समृद्धि के लिए आसियान-भारत की भागीदारी।

अपराह्न 4.14 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक पुरस्थापित - जारी

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक* 2004

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 23 पर आते हैं,

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक गृहस्थी को

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 21.12.2004 में प्रकाशित।

जिसके वयस्क सदस्य अकुशन शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन ग्रहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपनी सीट पर बैठ जाइए। एक व्यवस्था होती है और एक प्रक्रिया होती है। जिसका अनुपालन किया जाना होता है।

अब, प्रो. रासा सिंह रावत बोलेगें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि सदन इस विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति प्रदान न दे और मैं अपने इस प्रस्ताव को संचालित करना चाहता हूं।

महोदय, इसके पीछे कारण यह है कि - 'खोदा पहाड़ और निकली चुहिया।' इससे बहुत आशाएं लगा रखी थीं, लेकिन वैसा कुछ नहीं निकला।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय उन्हें नियमों को उद्धृत करना चाहिए और जो वह कहना चाहते हैं उसके बारे में बताना चाहिए। यह क्या है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं कारण बताना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत, आपको कारण बताने होगें कि आप विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, मै कारण बता रहा हूं कि मैं इसका, विरोध क्यों कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप विधेयक के गुणावगुणों पर ही नहीं जा सकते है।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, वह विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि वे विधेयक का विरोध किस आधार पर करते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, वह विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध कर रहे है, प्रो. रासा सिंह रावत, आप अपने मुद्दे बताइए।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, केवल विधायी क्षमता ही उनके लिए आधार है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दो दिन से मांग कर रहे थे कि इस बिल लैजिस्लेशन के लिए लाया जाए। अब जब इस प्रकार का बिल सदन में कानून बनने के लिए आया है, तो उन्हें स्वागत करना चाहिए...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यू.पी.ए. सरकार के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति हुई है और उसमें रोजगार के बारे में भी लिखा है, लेकिन मंत्री जी द्वारा पुरःस्थापित किए जाने वाला राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक, 2004 केवल गांवों के लिए ही है। इसमें शहरों की आबादी छोड़ दी गई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रासा सिंह रावत जी, आप सीनियर मैम्बर हैं। आप जानते हैं कि किन कांस्टीटयूशनल इश्यूज के ऊपर इंट्रोडक्शन की स्टेज पर विरोध किया जा सकता है। आप कृपया उनके बारे में बताइए।

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूं। यह विधेयक समग्र नहीं है, पूरा नहीं है, इसमें अधूरापन है। इसमें समाज के कुछ हिस्सों को ही सम्मिलित किया गया है और जो योजनाएं गांवों में चल रही हैं, केवल उन्हीं को शामिल किया गया है। इसमें सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार गांरटी योजना बनाई गई है। इसलिए मैं इसके पुर:स्थापन का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब श्री रामजी लाल सुमन बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत ने अपनी बात रख दी है। अब, मैंने श्री रामजीलाल सुमन को बोलने के लिए कहा है। श्री बंसल आप अपने व्यवस्था के प्रश्न को रिजर्व रखें।

श्री रामजीलाल सुमन, आप जानते है कि किन कारणों से आप इसका विरोध कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सर, मैं सिर्फ एक-दो बातों पर सफाई चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगर सफाई चाहते हैं, तो ठीक है, बोलिए।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा प्रयास है, तब भी आप अपोज कर रहे हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : सर, मैं अपोज नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम नियमों को बनाते हैं और उन्हें तोड़ भी देते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं। निश्चित रूप से यह अच्छा प्रयास है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम था, उसमें जो वायदा किया गया था, यह विधेयक उसी दिशा में उठाया गया, एक कदम है। उस साझा कार्यक्रम के मुताबिक ग्रामीण और शहरी अंचल, दोनों में ही रोजगार देने की बात थी।

महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि देश में 19.36 करोड़ परिवार हैं जिनमें से 15 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो ग्रामीण अंचल में हैं। फिर इस योजना को केवल 150 जिलों में चलाने की बात कही गई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैरिट्स पर बोलिए।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि इस योजना को लागू किया जाएगा, तो आगे आने वाले कितने वर्षों में यह योजना पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। यह इसमें स्पष्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सिंचाई, बंजरभूमि विकास, खाद्य नियंत्रण और गांवों को शहरों से जोड़ना इत्यादि जो कार्यक्रम हैं, वे सब अस्थाई कार्यक्रम हैं। कोई स्थायी व्यवस्था इसके माध्यम से नहीं की जा रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय भी बोलते हैं और अध्यक्ष की सुनते भी नहीं हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट में समाप्त करूंगा।

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, कई प्रदेश ऐसे हैं जहां न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अवसर का दुरुपयोग न करें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जिन प्रदेशों में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जानते है कि आपने इसका एक मंत्री की हैसियत से जवाब दिया है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक, 2004...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : लीव मांग रहे हैं। आप जानते हैं कि लीव मांगने पर रूल के मुताबिक कोई सदस्य इंट्रोडक्शन स्टेज में–

[अनुवाद]

संवैधानिक आधार वाले मामलों पर,

[हिन्दी]

ऑपोज कर सकता है। हम कौन्सटीटयूशन को लम्बा करते हैं, यह हम जानते हैं। लेकिन आप ज्यादा लम्बा मत कीजिए।

(व्यवधान)

डा. सत्यनारायण जटिया : इस विधेयक के अध्याय 2 में अनुच्छेद 3 और 4 के बारे में जो प्रावधान किये गये हैं, उससे इसमें गारंटी नहीं दिखाई देती। जहां तक कौन्सटीटयूशन का मामला है, कौन्सटीटयूशन के प्रीएम्बल में कहा गया है : 'हम भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता' सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के साथ-साथ कहा गया है - प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसमें अवसर की समता भी नहीं है और न उस काम की प्रतिष्ठा है क्योंकि हम काम सौ दिन का देने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि सारे काम में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की भागीदारी रहने वाली है। अध्याय 2 के अनुच्छेद 4 में कहा गया है - केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, किसी स्कीम के अधीन किसी गृहस्थी के प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए उपधारा (1) के अधीन गारंटीकृत अवधि के परे किसी अवधि के लिए, जो समीचीन हो, कार्य सुनिश्चित करने के लिए उपबंध कर सकेगी। इसमें से यह नहीं निकल रहा है कि मोटे तौर पर वह आदमी कितने दिनों तक वहां काम करेगा। इसके साथ इसमें बीपीएल की बात कही गई है। पावर्टी लाइन के बारे में जो कहा गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : संविधान के बारे में बोल रहे थे लेकिन अब उससे ज्यादा हो रहा है। आप बोलिए कि यह हमारे मौलिक अधिकारों के प्रबंध के खिलाफ है।

(व्यवधान)

डा. सत्यनारायण जटिया : मैंने जैसे बताया, सामाजिक समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता - इसमें वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है - परियोजनाओं के मजदूरी घटक को केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया वहन किया जाएगा, जबकि सामग्री घटकों का (जिसके अंतर्गत कुशल और अकुशल कर्मकारों की मजदूरी भी है) पिच्चहत्तर प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप छोड़िए। उनकी बात रिकार्ड नहीं हो रही है, आपकी बात रिकार्ड हो रही है।

(व्यवधान)

डा. सत्यनारायण जटिया : जब आप बोलते हैं तब हम बीच में नहीं बोलते। हम आपका सम्मान करते हैं।...*(व्यवधान)* मैं किसी आधार पर कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका बहुत आभारी हूं कि एक आप ही ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने कौन्सटीटयूशन की बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद।

(व्यवधान)

डा. सत्यनारायण जटिया : मोटे तौर पर यह पूरा नहीं है और इसके कारण लोगों को न रोजगार की गारंटी है न वारंटी है। इसलिए रोजगार की गारंटी देने की दृष्टि से पूर्णरूप से क्योंकि रघुवंश बाबू जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए वह जो विधेयक लाए हैं, यदि उसको पूरा नहीं बनाएंगे तो नीचे जाते-जाते वह पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसे ठीक से लाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, मैने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह समय पर नहीं आया है। यह नोटिस नियमों के अनुसार नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं : मैं एक मिनट के लिए बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह नियमों के अनुसार नहीं है। यह समय से परे है। मैं इसको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री खारबेल स्वाईं : मैने नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैने उन सभी माननीय सदस्यों को मौका दिया है जिन्होंने उचित तरीके से नोटिस दिए थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है।

श्री वरकला राधाकृष्णन, आपका नोटिस उचित रूप में नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं : मेरा नोटिस उचित रूप में था।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन, समय सही नहीं था।

श्री खारबेल स्वाईं : आपने, सदस्यों को कतिपय मामलों में अनुमति दी है। मैं तो एक ही मिनट का समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैने श्री वरखला राधाकृष्णन को अनुमति नहीं दी है। मैंने उन माननीय सदस्यों को अवसर दिया है जिन्होंने नियमों के अनुसार समय पर नोटिस दिए थे, शायद आपने नियमों को थोड़ा इधर उधर कर दिया हो। मुझे खेद है।

श्री खारबेल स्वाईं : आपने श्री सुशील कुमार मोदी को भी अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैने श्री कुशील कुमार मोदी को अनुमति नहीं दी है, मैने श्री प्रधान को भी अनुमति नहीं दी है क्योंकि नोटिस समय पर नही मिला था।

श्री खारबेल स्वाईं : मैं केवल दो मिनट के लिए ही बोलुगां।

अध्यक्ष महोदय : आप बोल सकते है लेकिन यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मुझे खेद है।

श्री खारबेल स्वाईं : कृपया, मुझे अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : यही समस्या है। आप नियमों का पालन नहीं करते हैं। आप समिति के अध्यक्ष हैं। आप यहां अस्थाई रूप से बैठते हैं और निर्णय करते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं : आप मुझे एक मिनट का समय दीजिए। मैं अपनी बात दो या तीन वाक्यों में समाप्त कर दूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप दो या तीन वाक्यों में अपनी बात समाप्त कीजिए और ज्यादा समय मत लीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं : धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु इसे पूर्वोद्धाहरण की तरह नहीं माना जाए।

श्री खारबेल स्वाईं : जी, नही महोदय। हम इसे पूर्वोद्धाहरण की तरह नहीं मानेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपको संविधान की प्रति दूं!

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, जब भी कोई विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है तो मंत्रालय को सात दिन पूर्व सूचना देनी होती है।

अध्यक्ष महोदय : वह संवैधानिक मामला नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं : यह नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस शर्त को खारिज कर दिया है।

श्री खारबेल स्वाईं : दूसरा, इसके पुरःस्थापन से पहले इसे परिचालित कर कम से कम दो दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। हमें यह दो दिन पहले भेजा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब बस करें।

श्री खारबेल स्वाईं : हमें यह आज सुबह ही प्राप्त हुई है। यह राजनैतिक रूप से प्रेरित है। इस विधेयक का पुरःस्थापन बिहार के चुनावों के मद्देनजर किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा था कि आप केवल तीन वाक्य बोलेंगे किन्तु आप बोले जा रहे हैं। अब माननीय मंत्री जी के सम्भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका यह मतलब है कि मैं उन्हें पकड़ लूं और उन्हे दण्डित करवाऊं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक गरीबोन्मुखी, ग्रामीणोन्मुखी है। एनसीएमपी को पूरा करने के लिए देश भर के गरीबों को आकांक्षा थी कि पता नहीं यह विधेयक कब आ रहा है। उस तरफ से श्री शिवराज चौहान, प्रो. रासा सिंह रावत आदि ने कई बार पूछा कि विधेयक कब आयेगा। अब इस विधेयक के आने पर इन्हें स्वागत करना चाहिए लेकिन ये उसका विरोध करने के लिए खड़ा हो रहे हैं।...*(व्यवधान)* इससे देहातों में यह मैसेज जायेगा कि आप लोग गरीब विरोधी हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बिल पर बोलिये।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए नियम में है कि कम्पीटैंसी ऑफ...*(व्यवधान)* इस पर उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया है, इसलिए मुझे इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन ग्रहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.26 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को सभापटल पर रखा हुआ माना जायेगा।

(एक) आन्ध्र प्रदेश में कम्पाउंडरों और किसानों के लिए और अधिक संख्या में वेटरिनरी कालेजों, पोलिटेक्निकों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रोत्साहन देने व उनका शुरू किया जाना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता।

श्री के.एस. राव (एलूरू) : देश के निर्धन और सीमांत कृषक कृषि आय की तुलना में डेयरी विकास और मुर्गी पालन से होने वाली आय पर जीवन यापन कर रहे है इसलिए पशु-चिकित्सालयों, डाक्टरों और कम्पाउण्डरों की बहुत अधिक संख्या में आवश्यकता है। किन्तु

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री के.एस. राव]

देश में और आंध्र प्रदेश में इनकी बहुत कमी है। इसी प्रकार, मवेशियों के बीमा की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसलिए, यह समय अनुसंधान एवं आर्थिक सहायता के अलावा कम्पाउण्डर और कृषकों के लिए और अधिक पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्रों को आरम्भ करने का हैं इसलिए मैं भारत सरकार से केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा और अधिक पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, बहुविध संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को आरम्भ करने और इसे प्रोत्साहित करने तथा इस उद्देश्य हेतु और अधिक धनराशि के आबंटन का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(दो) रांची-गुमला-छत्तीसगढ़ और कुडडु - गुमला राष्ट्रीय राजमार्गों की समुचित मरम्मत और उनका रखरखाव किए जाने की आवश्यकता।

डा. रामेश्वर उरांव (लोहरदगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत से परिवहन मंत्री का ध्यान रांची से गुमला-छत्तीसगढ़ तथा कुडु से गुमला जाने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ की खराब स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन दोनों सड़कों की मरम्मत विगत पांच-छ: वर्षों से नहीं हुयी है। नतीजा यह है कि जगह जगह गड्ढे बन गये हैं। गाड़ियों के चलने में बहुत कठिनाई हो रही है। कई दुर्घटनाएं भी हुयी हैं, जिनमें यात्रियों की मृत्यु भी हुयी है। इन सड़कों के अत्यंत खराब रहने के कारण लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। वाहन मालिकों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं मांग करता हूं कि मंत्री महोदय इन सड़कों की मरम्मत संबंधी कार्रवाई शीघ्र करें।

[अनुवाद]

(तीन) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में "शेल फिशिंग कोन" की संख्या बढ़ाकर घरेलू सीप संग्रहण में कार्यरत लोगों को छूट दिए जाने की आवश्यकता।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न भागों में कई लघु हस्तशिल्प उद्योग हैं जो समुद्री सीपियों के हस्तशिल्प से संबंधित हैं और प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: 2000 से अधिक परिवारों के लिए रोजगार सृजन करते हैं। इन एककों के मुख्य क्रियाकलाप समुद्र और समुद्र तट से सीपियों को एकत्र करना, प्रक्रिया, विनिर्माण करके उन्हे हस्तशिल्प के रूप में शहरों आदि को निर्यात करना है। इसके लिए अवसंरचनात्मक निवेश स्थानीय शिल्पकारों, उद्यमियों और स्व:नियोजित युवकों ने अपने संसाधनों और विभिन्न वित्तीय संस्थानो से ऋण लेकर किया है। पता चला है कि सीपी मत्स्य क्षेत्र के लिए केवल 200 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र निर्धारित है। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का तट लगभग 9000 वर्ग कि.मी. है। लगभग 8000 वर्ग कि.मी. अछूता रह जाता है। आप मुझसे सहमत होंगे कि इतने बड़े समुद्र तट से 15 एमटी. एस सीपियों के संग्रहण से पर्यावरण को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह दिनांक 08.03.1979 की अधिसूचना अनुसूची 1 नियम 5(2) से संबंधित है जो स्पष्ट: दर्शाती है कि यह माना जाता है कि द्वीप समूह की ट्रोकस एवं टर्बो सीप के संग्रहण की क्षमता 135 एम.टी.एस. है जबकि मछुआरें प्रतिबन्धों की वजह से मुश्किल से 8 एम.टी.एस. ट्रोकस और टर्बो सीपियां हस्तशिल्प के लिए एकत्र कर पाते हैं। अंडमान के संबंधित प्राधिकारी मछुआरों को ये सीपियां एकत्र करने की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए, महोदय मेरी यह इच्छा है कि ट्रोकस, नैटिलस, क्लेम्प, शैंक और पुंजा जैसी स्थानीय सीपियों को प्रतिबन्धित मदों की सूची से हटा दिया जाना चाहिए। मैं भारत सरकार से ग्रामीण परिवारों के पुनर्वास हेतु द्वीपसमूह में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उल्लिखित घरेलू सीपियों पर छूट देने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

(चार) सी.जी.एच.एस. अंशदाताओं के लाभार्थ गोवा में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता।

श्री अलीमाऊ चर्चील (मारमुगाओ) : केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सभी संसद सदस्य पूर्व संसद सदस्यों और उनके परिवार के सदस्य तथा आश्रित इसके पास हैं और केवल वे योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिनका आवास, मान्यताप्राप्त अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षेत्र के भीतर है, जबकि अन्य चाहे वे उस क्षेत्र में रह रहे हों, जहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हों, परन्तु वे इसका लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि अस्पताल सी.जी.एच.एस. द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है।

ऐसा ही मामला गोवा का है, जहां कि एक सुपर स्पेशलिटी अपोलोविक्टर अस्पताल है, परन्तु फिर भी सदस्यों को सैंकड़ों मील दूर केवल मुंबई अथवा चेन्नई में सूचीबद्ध अस्पतालों उपचार करवाने की ही अनुमति है।

अत: इन विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि केन्द्र सरकार इस अस्पताल को सी.जी.एच.एस. योजना के अंतर्गत मान्यता

करे जिससे कि लाभार्थियों को पेश आ रही कठिनाई शीघ्र दूर हो सके।

महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि हमें और हमारे परिवार के सदस्यों को यह लाभ प्रदान करने के लिए तत्काल निर्णय लिया जाए।

[हिन्दी]

(पांच) उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को दस्यु आशंकित क्षेत्र घोषित करने तथा क्षेत्र में पर्याप्त केन्द्रीय पुलिस बल तैनात किए जाने की आवश्यकता।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में केवल वर्तमान में ही नहीं अपितु पूर्व से दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा है। यह क्षेत्र कई सामूहिक हत्या कांड से लेकर अपहरण का पनाहगृह माना गया है। वर्तमान में भी यह क्षेत्र दस्यु गिरोंं से गंभीर रूप से प्रभावित है। उक्त गिरोह नवयुवकों एवं विद्यार्थियों को प्रलोभन देकर व्यापक रूप से अपहरण के उद्योग के रूप में स्थापित कर दिया है। स्थिति गंभीर रूप लेकर संवेदनशील हो गयी है। किसानों एवं व्यापारियों के सामूहिक अपहरण का ग्राफ न केवल जनपद जालौन अपितु समीपवर्ती जनपद औरइया, इटावा, कानपुर देहात तथा मध्य प्रदेश के भिण्ड प्रभावित हैं।

जनहित में केन्द्र सरकार से नितांत मांग आवश्यक है कि अविलम्ब जनपद जालौन को पूर्व की भांति दस्यु प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति के साथ ही अतिरिक्त केन्द्रीय पुलिस बल भी तैनात किया जाये, जिससे आम जन-जीवन सामान्य हो सके।

[अनुवाद]

(छह) छत्तीसगढ़ में बिजली की आपूर्ति बढ़ाये जाने की आवश्यकता।

श्रीमती करूणा शुक्ला (जांजगीर) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की बहुत अधिक मात्रा में बिजली की कटौती की गयी है, जिससे प्रदेश में बिजली का भारी संकट व्याप्त हो गया है। प्रदेश सरकार को निजी क्षेत्रों से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही हैं जिस कारण से सरकार तथा जनता के ऊपर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। इस कारण प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है क्योंकि उनको बिजली नियमित रूप से नहीं मिल पा रही है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से की जो बिजली कटौती केन्द्र सरकार ने की है, उसे तुरंत बहाल किया जाये ताकि लोगों को राहत मिल सके।

(सात) महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में गोशीखुर्द सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में नागपुर जोन में गोसेखुर्द प्रकल्प सिंचाई प्रकल्प है। इससे चार जिले में भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गडचिरोठी में सिंचाई होगी। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भूमी पूजन किया था। 1995 में यह प्रकल्प का काम शुरू हुआ। महाराष्ट्र की सरकार ने इसे निधि देना लगभग बंद कर दिया है। तीन सौ करोड़ रुपये पहले लागत थी। अब तीन हजार करोड़ रुपये लागत हो गयी है। जिनकी भूमी ली गयी, उन किसानों को भूमि का मुआवजा भी नहीं दिया गया। केन्द्र सरकार से निवेदन है कि प्रकल्प अपने हाथ में लेकर पूर्ण निधि दे और निर्धारित समय में पूर्ण करे।

(आठ) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आदिवासियों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के विचार से पर्यावरण और वन संबंधी कानून में छूट दिए जाने की आवश्यकता।

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के डेडियापाडा, सागाबारा, मांगरोल एवं उपरवाडा की चार तहसीलों में आदिवासी लोग निवास करते हैं। इन तहसीलों की जमीन समतल है और बांध निर्माण करने की काफी संभावना है। इस समय यहां पर सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। इन तहसीलों में नदियां भी हैं, जिनका पानी रोक कर एवं बांध बनाकर इन तहसीलों में सिंचाई के माध्यम से आदिवासी किसानों को उनके खेतों में जरूरत पड़ने पर पानी पहुंचाया जा सकता है, परन्तु खेद के साथ सदन को बताना पड़ता है कि फोरेस्ट रिजर्व एवं वन संबंधी कानूनों के कारण इन तहसीलों में बांध नहीं बनाया जा सकता है, जिसके कारण यहां के आदिवासी लोगों को अपने खेतों में सिंचाई सुविधा नहीं मिल पा रही है एवं क्षेत्रों के बेरोजगार लोगों को बड़े शहरों में मजदूरी के लिए जाना पड़ता है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन तहसीलों में बांध बनाने के लिए फोरेस्ट रिजर्व कानूनों एवं वन संबंधी कानूनों में ढिलाई बरती जाये, जिससे यहां के गरीब आदिवासी किसानों को सिंचाई मिल सके।

[अनुवाद]

(नौ) पश्चिम बंगाल में रानीचक, भोगपुर और पंसकुरा रेलवे स्टेशनों पर रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने तथा इसके निर्माण के लिए दिशानिर्देशों की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : पूरा देश पर्याप्त रेल उपरिपुलों की कमी से प्रभावित है। रेल उपरिपुलों की अनुपलब्धता के कारण माल की ढुलाई, यात्रियों, स्थानीय लोगों तथा विद्यार्थियों को आने-जाने में कठिन हो रही है।

भारतीय रेलवे द्वारा रेल उपरिपुल के निर्माण के लिए बनाए गए वर्तमान दिशानिर्देश पूरी तरह अव्यवहार्य हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को रेल उपरिपुल की 50% लागत वहन करनी होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को पुल के संपर्क सड़कों की पूरी लागत वहन करनी होती है। राज्य सरकार को परियोजना की 60% से अधिक लागत वहन करनी होती है, जिससे राज्य सरकार को कठिनाई होती है।

दिशानिर्देशों के अतिरिक्त रेल प्राधिकारी रेल उपरिपुल की लागत को वहन करने के लिए तैयार होते है बशर्ते लेवल क्रॉसिंग 1 लाख टी.वी.यू को न्यायोचित ठहराती हो। यह भी एक प्रकार से रेल उपरिपुल के निर्माण के मामले में जिम्मेदारी से बचने का रेल प्राधिकारी का प्रयास है। उपर्युक्त के संदर्भ में, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी देने का आग्रह करता हूं।

(1) रेल उपरिपुल की 75% लागत भारतीय रेल द्वारा वहन की जाए।

(2) रेल उपरिपुल के लिए एक लाख टी.वी.यू. की वर्तमान शर्त वापस ली जाए।

(3) हल्दिया गेटवे से हल्दिया पत्तन तक रानीचक में रेल उपरिपुल का निर्माण किया जाए।

(4) हावड़ा-खड़गपुर लाइन पर भोगपुर स्टेशन तथा पंसकुरा स्टेशन पर रेल उपरिपुल का निर्माण किया जाए।

(दस) उत्तरांचल में रुड़की रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान रुड़की स्टेशन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां से लगभग 500 के आसपास दैनिक यात्री प्रतिदिन अप और डाउन यात्रा करते हैं, जिसमें रुड़की से मुरादाबाद तक अधिकतर दैनिक यात्री यात्रा करते हैं। इसके लिए केवल मात्र एक गाड़ी 3151 अप - 3152 डाउन हैं इसके अलावा और कोई गाड़ी इस लाइन पर रुड़की में नहीं रुकती है। जिस कारण प्रतिदिन यात्रियो को काफी असुविधा होती है। इसके उपरांत प्रात: 9 बजे से रात्रि 11 बजे के बीच अन्य यात्रियों के लिए रुड़की से मुरादाबाद जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है जबकि रुड़की नगर एक औद्योगिक शहर है और कुछ शिक्षा संस्थान आई.आई.टी., सी.बी.आर.आई., आई.आर.आई., सेना की बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप, मुस्लिम समुदाय का अन्तर्राष्ट्रीय पवित्र स्थान पीरान कलियर, दरगाह शरीफ जैसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं। इस कारण रुड़की स्टेशन पर इन गाड़ियों का रुकना अति आवश्यक है।

अत: रेल मंत्री जी से निवेदन है कि रुड़की रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी नं. 5209, 5210, 5211, 5212 और टाटा अमृतसर गाड़ियों का ठहराव किया जाये।

महोदय, आपकी जानकारी हेतु रुड़की से जुड़ा हुआ हरिद्वार एक पावन स्थल है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री दर्शन के लिए आते हैं।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में समुचित जल निकास प्रणाली के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता।

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव के जनपद मुख्यालय उन्नाव पर ड्रेनेज न होने के कारण नागरिकों को बड़ी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं वहां पर ड्रेनेज की व्यवस्था न होने के कारण पानी की निकासी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है, जिससे पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। इससे न केवल पूरे शहर में दुर्गंध की स्थिति बनी रहती है बल्कि भयानक बीमारियां भी फैलती है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव शहर के लिए वित्तीय वर्ष में ड्रेनेज की व्यवस्था करवाये जाने के लिए धन का आवंटन सुनिश्चित करें ताकि वहां के नागरिकों को दुर्गंध से मुक्ति मिल सके और दुर्गंध के कारण शहर में फैल रही बीमारियों पर भी काबू पाया जा सके।

[अनुवाद]

(बारह) तमिलनाडु के करूर में इस क्षेत्र के हैंडलूम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं की स्थापना किए जाने की आवश्यकता।

श्री के.सी. पलनिसामी (करूर) : सर्वप्रथम, करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से डी एम के का सांसद होने के नाते मैं छोटे विनिर्माताओं और हथकरघा बुनकरों की ओर से माननीय वित्त मंत्री को 'सैनवैट' और यार्न एवं फैब्रिक पर से शुल्क हटाने के लिए ऐतिहासिक कदम हेतु धन्यवाद देता हूं। सरकार की नई नीति के अंतर्गत करूर को "उत्कृष्ट निर्यात नगर" घोषित किया गया है और इस क्षेत्र से प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

महोदय, मुझे लगता है कि यदि करूर में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की स्थापना की जाती है तो इससे प्राप्त होने वाली विदेशी आय में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए वस्त्र डिजाइन केन्द्र, कुशलता उन्नयन केन्द्र, एक तकनीकी संस्थान, डॉयस कनेक्शन, प्वाइंट से प्वाइंट तक लीण्ड लाइन कनेक्शन इत्यादि जैसी आधुनिक दूरसंचार सुविधाओं में वृद्धि का प्रावधान, निर्यात सुविधा अधिकारी के पद का सृजन, वित्तीय संस्थाओं द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूतियों और मार्जिन राशि के संबंध में एक बारगी की छूट देना, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, वस्त्र प्रसंस्करण पार्क और टी.सी.आई.डी.एफ. से 20 करोड़ रुपए स्वीकृति कराए जाने की आवश्यकता है जैसाकि अन्य नगरों के लिए किया जाता है।

महोदय मैं सरकार से यह अपील करता हूं कि करूर में ये सुविधाएं जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जाए ताकि करूर राष्ट्र के लिए 2010 तक 5000 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा अर्जित करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

[हिन्दी]

(तेरह) महाराष्ट्र में विद्युत आपूर्ति की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे (उस्मानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य में रोजाना 14-16 घंटे बिजली गायब रहती है। बिजली की कटौती के कारण राज्य के निवासियों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, खास कर इससे ग्रामीण लोगों को व शहरी, जनता तथा विद्यार्थियों, किसानों को इस कटौती की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि विद्यार्थियों, किसानों, नौकरी करने वालों की परेशानी को देख कर पूरे राज्य में ज्यादा से ज्यादा घंटे बिजली प्रसारित करें।

[अनुवाद]

(चौदह) असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों के विकास हेतु विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी ((कोकराझार) : 10 फरवरी 2003 को भारत सरकार, असम राज्य सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स (बी.एल.टी) के बीच एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप असम में भारत के संविधान की अनुसूची 6 के उपबंध के अंतर्गत असम में एक नई राजनीतिक व्यवस्था का सृजन हुआ। जिसे "बोडोलैंड टैरिटोरियल एरियास डिस्ट्रिक्ट (बी.टी.ए.डी) और बोडोलैंड टैरिटोरियल काउंसिल (बी.टी.सी.)" के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त द्वितीय बोडो समझौते में भारत सरकार द्वारा असम के सर्वाधिक पिछड़े बोडोलैंड टैरिटोरियल क्षेत्र के विकास के लिए विशेष विकास पैकेज के रूप में पांच वर्ष की अवधि हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए देने का वायदा किया गया था। इंटरिम बोडोलैंड टैरिटोरियल काउंसिल (बी.टी.सी.) 6 दिसम्बर 2003 को प्रभाव में आई और इसके बाद से अब तक एक वर्ष का समय बीत चुका है। इंटरिम बोडोलैंड टैरिटोरियल काउंसिल (बी.टी.सी.) ने पूर्वोत्तर) क्षेत्र विकास मंत्रालय को काफी समय पहले डी.पी.आर. सहित कम से कम 33 परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे है। लेकिन ये प्रस्ताव आज भी लंबित है।

मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह बी.टी.सी. प्राधिकरण द्वारा भेजे गए सभी परियोजना प्रस्तावों को मंजूर कराने हेतु उचित कदम उठाए और केन्द्र सरकार द्वारा वायदा की गई धनराशि को यथाशीघ्र जारी करने की मदद करें। इसके अतिरिक्त मैं केन्द्र सरकार से यह भी मांग करता हूं कि वह संविधान में उल्लिखित जनजातीय क्षेत्र अर्थात बोडोलैंड टैरिटोरियल एरियास डिस्ट्रिक्ट (बी.टी.ए.टी) में विकास के अन्तर को पाटने के लिए बोडोलैंड क्षेत्र को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष कम से कम 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के लिए और बोडोलैंड क्षेत्र के लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(पन्द्रह) आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद में आवासीय क्षेत्र के समीप की रेल पटरी पर रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : महोदय, आंध्र प्रदेश के आदीलाबाद जिले में पिछले एक दशक से दक्षिण-मध्य रेलवे द्वार रेलवे

स्टेशनों के विकास और विस्तार की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। आदीलाबाद शहर की आबादी दो लाख है तथा रेलवे लाइन के दूसरी ओर इसकी लगभग आधी आबादी दयनीय हालत में जीवन यापन कर रही है। तातीगौड़ा, भैयानगर, लक्ष्मी मंदिर और अन्य क्षेत्रों के निवासी रेलवे स्टेशन के समीप की रेल पटरियो को पैदल ही पार करते है। विस्तार कार्य के कारण इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए रेलवे लाईन को पार करना असंभव हो गया है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और बीमार व्यक्ति इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते है। इसलिए आवासीय क्षेत्रो के समीप रेल लाईन पर उपरिपुलों के निर्माण की तत्काल आवश्यकता हैं ताकि आदीलाबाद के लोगों की कठिनाईयों को समाप्त किया जा सके।

अपराह्न 4.26½ बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) 2004-2005 - जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 2004-05 पर आगे और चर्चा करने हेतु मद संख्या-25 पर विचार करेगी। श्री दुष्यंत सिंह।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़) : महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगे 2004-05 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मांगों में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने 56 अनुदानों की मांग की है और दी जाने वाली कुल राशि 5,063.06 करोड़ रुपए है।

अपराह्न 4.27 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए की मांग की है। जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो इसने कहा था कि वह आम आदमी और आम लोगों के लिए काम करेंगी। इसने कहा था कि वह आम आदमी के साथ है लेकिन इसने अब तक लोगों को उचित दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई हैं अभी भी हम भारत के लोगों को मिलावटी और घटिया दवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए यह नियम-विनियम लेकर नहीं आयी है।

इस समय मैं यह अवश्य कहूंगा कि भारत की जनसंख्या में एक बहुत बड़ा वर्ग कृषक समुदाय से है। वे गांवों में रहते हैं। किसानों को उर्वरक राजसहायता दी जानी चाहिए। इस समय मैं यह अवश्य कहूंगा कि उन्हें उर्वरकों पर कोई राज सहायता नहीं दी जाती है। इसके अलावा, उर्वरकों का मूल्य बढ़ गया है और कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत भी बढ़ गयी है।

इस समय, मैं यह भी उल्लेख कर दूं कि संप्रग सरकार ने यह कहा था कि वह भोपाल जैसे त्रासदी के पीड़ितों के कल्याण के प्रति चिंतित है। उन शिकार लोगों के लिए इसने मात्र एक करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इस समय मैं यह अवश्य कहूंगा कि इसे उन लोगों के लिए अवश्य सोचना चाहिए जो लोग इस त्रासदी से तबाह हुए है और उन्हें पर्याप्त राशि प्रदान की जानी चाहिये ताकि उन्हें एकमुश्त राशि मिल सके।

इस समय मैं यह कहूंगा कि राष्य सरकार ने गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला के संशोधन की मांग की है लेकिन अभी तक सरकार द्वारा गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले पर इतना विचार नहीं किया गया है।

राजस्थान सरकार ने समीक्षा कर केन्द्र से ऋण अनुदान की मांग की थी। लेकिन अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया है। लेकिन, इस समय मैं इस बात को आपके समक्ष अवश्य रखूंगा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें बिहार जैसा अपेक्षित दर्जा दिया गया है। वहां, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत, ग्रामीण आवास के अंतर्गत आपने 400 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन यह कहा चला जाता है? हमने सभा में इस बात का उल्लेख किया है।

आज पहले सभा में हमने एक ऐसी घटना देखी जहां लोग चुनाव के कारण माननीय रेल मंत्री द्वारा पैसा दिये जाने से पूर्णतः उदास दिखाई दे रहे थे। इस समय, इस बात को मैं भी आपके समक्ष रखता हूं कि क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है और राजस्थान को अपना उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है जो कि इसे मिलना चाहिए था बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया जबकि राजस्थान पर अंतर्राज्यीय पन-बिजली के लिए प्रर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं, पुनः, संप्रग सरकार से हमारे राज्य के किसानों को उचित बिजली के लिए सहायता दिए जाने का अनुरोध करता हूं। जब संप्रग सरकार आई थी तो माननीय मंत्री ने कहा था कि पांच वर्षों में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक गांव में बिजली हो। यह पूरी तरह से, आदर्शवादी विचार है। इसलिए, आप इसे बदल ले और आपको ऐसा करने के लिए पांच वर्षों में कम से कम 9 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है।

इस समय, मैं यह भी कहूंगा कि क्षेत्र के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य होने के कारण, पूरे क्षेत्र में जनसंख्या बहुत दूर-दूर तक बसी हुई है। रेलवे ने उचित सहायता नहीं दी है और वहां रेल लाइन भी नहीं है, विशेष रूप से मेरे झालावाड़ चुनाव क्षेत्र में, जो झालावाड़-रामगंज झंडी लाइन को जोड़ती है और जो भोपाल तक जाती है, वहां 712 करोड़ रुपए में से सरकार ने सिर्फ 27 करोड़ रुपए ही स्वीकृत किए हैं। हम परियोजना को शीघातिशीघ्र कैसे पूरा कर सकते हैं? राज्य की सड़कों को विशेष, महत्व नहीं दिया गया है। और राजस्थान राज्य में कम-कम दूरियों पर सड़कें बनाने पर भी उचित ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए, मैं, पुन:, सरकार से हमारे राज्य के लिए धनराशि बढ़ाने और सड़क शेयर बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

हमारे माननीय दूरसंचार मंत्री अभी यहां उपस्थित हैं, माननीय मंत्री ने उल्लेख किया था कि वह मामले को देखेंगे। मैं इस समय उनके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि राजस्थान में दूरसंचार लाइनें खस्ता हालत में हैं। उन्होंने हमेशा यह उल्लेख किया है कि वह लोगों तथा आम आदमी की मदद करेंगे।

अब, अनुपूरक बजट से 1058 करोड़ रुपए की मांग की गई है। लेकिन आप इसे कहां रखेंगे? इसे सही तरीके से रखे जाने की आवश्यकता है।

राजस्थान वह राज्य है जहां पर्यटन की संभावनाएं है। राजस्थान सरकार ने 'कन्वेन्शन सेंटर' की मांग की है। लेकिन आपने 'कन्वेन्शन सेंटर' की अनुमति नहीं दी है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री दुष्यंत सिंह : मैं और पांच मिनट का समय चाहता हूं क्योंकि आपने अन्य माननीय सदस्यों को समय दिया है।

राजस्थान ने 'कन्वेन्शन सैंटर' की मांग की है। जिसकी अनुमति नहीं दी गई है। इससे इन्कार कर दिया गया है क्योंकि यह दिल्ली के निकट है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। भारत में प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन से 2.6 मिलियन की तुलना में सिंगापुर जैसे देश में सात मिलियन पर्यटक आते हैं। मैं यह कहूंगा कि पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय अनुपूरक बजट की मांग करने की बजाय अपना बजट बढ़ा सकता हूं वह इसे अपने आंतरिक स्रोतों से बढ़ा सकता है। राजस्थान सरकार ने जल की मांग की है और इसने ग्रामीण पेयजलापूर्ति और अन्य आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए की मांग की है। लेकिन अनुपूरक बजट में केवल 73.2 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं और मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12.33 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

मैं सरकार से आम लोगों की मदद करने का अनुरोध करूंगा।

मैं एक बार पुन: कहूंगा कि वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत 14.5 करोड़ रुपए की मांग की है। महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आम आदमी के लिए स्व-सहायता समूह के शीर्षक के अंतर्गत आप विशेष रूप से राजस्थान जैसे राज्य के लिए हस्तकला क्षेत्र के वास्ते इसे बढ़ा सकते हैं।

इस समय, मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, जहां लोग भोजन खाने से बीमार हो जाते हैं, इसने 36 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। वहां के लिए सरकार ने क्या स्वीकृत किया है जहां लोग अभी-भी बीमार हो रहे हैं? आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है।

मैं श्रम मंत्रालय के बारे भी कहना चाहूंगा। जब बजट प्रस्तुत किया जा रहा था तो माननीय मंत्री ने कहा था कि जिसके लिए यह योजना है उसके लिए 500 आई.टी.आई किए लोगों को 2 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। आप 500 आई.टी.आई. लोगों में 2 करोड़ रुपए कैसे वितरित करेंगे? मैं यह कहूंगा कि आपको सिर्फ वहां के लोगों को मदद करने की जरूरत है।

अंत में, मैं कहूंगा कि सभा में अनुपूरक मांगों पर वाद-विवाद के दौरान पिछड़े लोगों के बारे में एक राय थी, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए भारत सरकार ने 0.40 करोड़ रुपए की राशि रखी है।

[हिन्दी]

हम पिछड़े वर्गों के लिए हैं, हम माइनोरिटीज के लिए हैं, लेकिन लगता नहीं है कि आप उनकी तरफ कोई निगाह करते हैं, केवल वोट लेने की राजनीति करते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद! अभी इस सरकार का मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी। महीने में हम किसी सरकार के कामकाज का मूल्यांकन

[श्री पी. राजेन्द्रन]

नहीं कर सकते हैं। किंतु बजट पारित हो गया है और अनुदानों की ये मांगें उन लाखों लोगों की आशाओं को पूरा नहीं करती हैं जिन्होंने इस सरकार को वोट दिया था। जब नई नीतियों की घोषणा की गई थी तो राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को ध्यान में नहीं रखा गया था। 70-80 प्रतिशत लोगों की कीमत पर भूमंडलीकरण और निजीकरण की नीतियों का पालन करने का जोखिम उठाया गया है। अब देश की क्या स्थिति है? देश के किसानों की हालत कैसी है? भूमंडलीकरण की वकालत करने वाले यह प्रचार करते है कि देश की पूंजी और प्रौद्योगिकी को किफायती बनाया गया है और उद्योग तथा कृषि में प्रगति होगी, बेरोजगारी की समस्या सुलझेगी तथा जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में पूर्णतः और अंशतः सुधार होगा।

अपराह्न 4.38 बजे

[श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन हुए*]

किंतु, क्या हुआ? किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गए और आत्महत्या करने लगे। कई उद्योग बंद हो गए और लाखों कामगार बेरोजगार हो गए। निचले स्तर के लोगों के लिए क्या प्रगति हुई है?

भारत के उप-राष्ट्रपति ने 16 नवम्बर के अपने सम्बोधन में यह कहा था :

> "स्वतंत्रता के बाद से हमारी महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद हमारा देश अभी भी एक विकासशील देश है। हमारी 26 करोड़ जनता अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। मलेरिया और क्षयरोग के कारण लाखों जाने जाती हैं। कई क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की कमी है। हमारी 35 करोड़ जनता अभी भी निरक्षर हैं। हमारे चार करोड़ लोग मलिन बस्तियों में रह रहे हैं। चार करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं। गरीबी से तंग आकर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और लोग बाल दुर्व्यापार और मुर्दा प्रत्यारोपण रैकेट आदि जैसी सामाजिक बुराईयों को अपनाने के लिए बाध्य हो रहे हैं।
>
> इस विषय पर गंभीरता से आत्मविश्लेषण किये जाने की जरूरत है कि क्या कानून के अंतर्गत गारंटी शुदा इन अधिकारों का गरीब और वंचित लोगों के लिए कोई अर्थ है? उन लोगों के लिए इन अधिकारों का क्या अर्थ है जिन्हें मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सुरक्षित पेयजल अथवा आश्रय तक प्राप्त नहीं है?"

महोदय, हाल में यूनी सेफ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में उन्होंने देश की स्थिति का इस प्रकार व्याख्या और उल्लेख किया है कि विकासशील देशों में उन 140 मिलियन बच्चों में से, जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, 33 मिलियन बच्चे भारत में रहते हैं।

महोदय, उन 640 मिलियन बच्चों जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, में से 147 मिलियन बच्चे भारत में रहते हैं। उन 300 मिलियन बच्चों जिनके पास कोई जानकारी नहीं है, एक-तिहाई बच्चे भारत में हैं। उन 400 मिलियन बच्चों जिनके पास सुरक्षित पानी भी नहीं है, में से 77 मिलियन बच्चे भारतीय हैं। जिन 270 मिलियन बच्चों के पास स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाएं नहीं हैं उनमें से 85 मिलियन बच्चें भारतीय हैं।

इस धर्मनिरपेक्ष परिदृश्य में हमें गरीब लोगों पर ध्यान देना है। वर्तमान नीतियों में ऊपरी वर्ग के लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है। केरल जैसे राज्य, जो सर्वाधिक विकसित राज्य है, में भी पर्यटन, अवसंरचना, उद्योग और कृषि क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इनपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई नीति यथा कुमारकोम पैकेज को लागू ही नहीं किया गया था। इस पैकेज के एक भाग के रूप में यह घोषणा की गई थी कि 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए के एम एम एल और एनडीएमसी के बीच एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु सहयोग है। इसे भी लागू नहीं किया गया था। हमने त्रिवेन्द्रम के एक मेडिकल कालेज को उन्नत करके उसे 'एम्स' के स्तर पर लाने का अनुरोध किया था। इसे भी लागू नहीं किया गया। केरल के प्रति भेदभाव बरता गया है। हम इस भेदभाव के समाधान हेतु लड़ रहे हैं।

हमें गरीब लोगों पर ध्यान देना होगा। हम इस सभा में पुरःस्थापित किए गए अंतिम विधान का स्वागत करते हैं। हमें देश में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल हेतु और अवसर देने होंगे। यह बजट एक शुरूआत भर है। इसलिए मैं इन प्रस्तावों का स्वागत करता हूं। मैं इन प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : श्री किरिप चालिहा। आपको केवल तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त करना है।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : महोदय, मैं इससे भी कम समय लूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं अनुदानों 'की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं तथा इस पक्ष के मेरे अनेक सदस्यों और विपक्ष के उन कुछ सदस्यों, जिन्होंने विकास और अच्छी खबरों,

जो हमारे शासन के गत सात महीनों की अवधि में घटित हुई थी, के लिए स्वयं को श्रेय दिया था, की तरह में भी आशावान हूं। मैं उनकी आशा वादिता से इत्तफाक रखता हूं। मैं कुछ मुद्दों और कुछ क्षेत्रों के बारे में बोलना चाहता हूं किंतु समय की कमी के कारण जब मैं खड़ा हुआ तो माननीय सभापति ने मुझे तीन मिनट का समय दिया और मुझे इन तीन मिनटों में ही हर चीज को थोड़ी-थोड़ी प्राथमिकता देनी है। मैं केवल एक बात पर बल देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

श्री किरिप चालिहा : मैं एक विशेष पहलू पर वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह पहलू क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में हैं।

इस सरकार को 5 वर्ष के लिए जनादेश मिला है। जब आपके पास 5 वर्ष का जीवनकाल है तो पहले 6 या 7 महीने बहुत ही निर्णायक और महत्वपूर्ण हैं। जैसाकि आप जानते हैं कि सुबह का अर्थ दिन निकलना है। इस सरकार के लिए क्षेत्रीय असंतुलन चिंता का विषय है और रहा है। वास्तव में माननीय राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में यह कहकर क्षेत्रीय स्तर पर असंतुलन का उल्लेख किया था कि यह चिंता का विषय है कि न केवल ऐतिहासिक उपेक्षा अपितु योजना आबंटन में गलतबयानी से भी क्षेत्रीय असंतुलन को महत्व मिला है।

जब इस देश में उदारीकरण शुरू हुआ था तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री इसके मुख्य निर्माता थे और मैं समझता हूं कि वर्तमान वित्तमंत्री इसे आगे बढ़ने वालों में से एक थे। हम नौजवान सांसद थे और वित्तमंत्री की तुलना में हमें अर्थशास्त्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी किंतु हमें यह समझने के लिए अर्थशास्त्र की ज्यादा जानकारी होने की जरूरत नहीं थी कि हमारे जैसे पिछड़े राज्यों के लिए उदारीकरण की प्रक्रिया एक खतरा थी। हमारे राज्य के लोगों सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाजार तक पहुंच आदि सारी बातें समझ से बाहर हैं।

हमारे पास कोई अवसंरचना नहीं है। विदेशी निवेश की बात भूल जाइए हमारे पास तो राष्ट्रीय निवेशक तक नहीं हैं। पूर्वोत्तर में देश के भीतर से निवेश नहीं हो रहा है।

जब हमारे सामने इतनी बाधाएं है तो हम बाजार तक कैसे पहुंच सकते हैं? हमारे पास मात्र 10 या 15 मील सड़क है जो हमें शेष भारत से जोड़ती है, जहां पर भारी ऐतिहासिक बैकलॉग, भौगोलिक पृथ्थकरण, मनोवैज्ञानिक वैमनस्य आदि है। स्वभावतः जब उदारीकरण शुरू हुआ था तो हमारे लिए यह कहना आवश्यक है कि उदारीकरण का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि मुंबई खुशहाल होगा, कोलकाता खुशहाल होगा, बंगलौर खुशहाल होगा और गुवाहाटी तथा शिलांग जैसे स्थान भारतीय सभ्यता के कूड़ेदान बन जाएंगें। ऐसा नहीं होना चाहिए और हमने उसके बारे में कहा है। वास्तव में हमारे वित्तमंत्री को वह बात याद रखनी चाहिए जो उनके मार्गदर्शक ने 1985 में लालकिले से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कही थी। स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था:

> "हमें यह देखना है कि हमारे देश के विभिन्न भागों की वृद्धि में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाए और सारे राज्य समान रूप से प्रगति करें। हमें यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को भारत की प्रगति में अपना योगदान देने का पूरा अवसर मिलें।"

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि जब श्री एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे तो उसके पीछे हमारे वित्तमंत्री का ही दिमाग था। उन्होंने ही पूर्वोत्तर में खर्च करने हेतु प्रत्येक विभाग को बजटीय राशि की 10 प्रतिशत राशि आबंटित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। गत चार या पांच वर्षों से इस 10 प्रतिशत राशि को समुचित रूप से खर्च नहीं किया गया है और आज तक कुल राशि लगभग 3,600 करोड़ रुपये है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री किरिप चालिहा : महोदय मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। वित्त मंत्री महोदय इस पैसे का कुल उपार्जन 3600 करोड़ रु. तक पहुंच गया है। यह पैसा डी.ओ.एन.ई.आर को नहीं दिया जा रहा तथा डी.ओ.एन.ई.आर अथवा एन.ई.सी. यह पैसा खर्च नहीं कर रहे है। आपके पास कोई समय अवधि नहीं है तथा इस पैसे को खर्च करने के लिए आपने कोई योजना नहीं बनाई है। तथापि आप पूर्वोत्तर के विकास हेतु अनेक मसौदा योजनाएं बनाने वाले आर्किटेक्ट थे।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री किरिप चालिहा : महोदय मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। पूर्वोत्तर तथा असम जैसे स्थानों के लिए दूसरे विश्वयुद्ध के बाद बने मार्शल प्लान अथवा रूजवेल्ट प्लान जैसी योजना की आवश्यकता है ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र का नव निर्माण हो सके।

अन्य बातों के साथ-साथ असम के लिए अविलम्ब एक उपयुक्त औद्योगिक नीति बनाई जाने की आवश्यकता है। ऐसा विशेष रूप से

[श्री किरिप चालिहा]

असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किया जाना चाहिए। अन्य राज्यों को इसी प्रकार की छूट देकर पूर्वोत्तर क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता को कम नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याएं और विशेषताएं विशेष प्रकार की हैं।

महोदय मैं अपने अंतिम दो मुद्दों पर आ रहा हूं पूर्वोत्तर तथा देश के बाकी हिस्सों में जो अंतर है उसे कम किया जाना चाहिए। यह अंतर बढ़ता जा रहा है और अब यह काफी बढ़ गया है। माननीय वित्त मंत्री महोदय हमें ऋण राहत या 4 प्रतिशत ब्याज पर कम से कम 5 वर्ष के लिए ऋण स्थगन की सुविधा देने पर विचार कर सकते हैं। क्या इस पर विचार किया जा सकता है?

महोदय, मैं अपने अंतिम मुद्दे पर आता हूं जिसका संबंध तेल उपकर से है। तेल उपकर के संबंध में क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय तेल उपकर के रूप में प्राप्त लाभ राशि को 50-50 के अनुपात में राज्य और केन्द्र के बीच बांटने और राष्ट्रीय राजकोष के लाभ की पूरी राशि का प्रयोग न करने पर विचार करेंगे? क्या इस संबंध में भी कुछ किया जा सकता है? हम आशा करते हैं कि आप इस बारे में कुछ करेंगे।

सभापति महोदय : श्री ब्रजेश पाठक। परन्तु श्री ब्रजेश पाठक के भाषण शुरू करने से पहले मैं एक घोषणा करना चाहूंगा। निर्णय लिया गया है कि माननीय वित्त मंत्री अपराह्न 5.30 बजे से पहले वाद-विवाद पर उत्तर देंगे। अत: मैं बोलने के इच्छुक माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात तीन मिनट में पूरी करें। यह अनुरोध सभी माननीय सदस्यों से है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में हम भारत सरकार के बजट की अनुपूरक मांगों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी की विद्वता पर किसी को कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान में सभी लोग उनकी विद्वता के कायल हैं। लेकिन सदन में बजट रखते हुए प्रावधान' किया जाना चाहिए था कि पूरे साल में क्या खर्चा होगा और सरकार कैसे चलेगी। लेकिन अभी छ: माह गुजरे हैं कि 39 हजार करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदानों की मांगें हमारे सामने रखी गई हैं। इसका मतलब यह है कि बजट रखते समय जनता के सामने गलत तस्वीर पेश की गई। हमने लोगों को महसूस नहीं होने दिया कि हमारे देश की क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं। हम इस बात पर खेद व्यक्त करते हैं कि पूरे बजट को बनाते समय इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए था।

सभापति महोदय, आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिंदुस्तान को लूटने का काम कर रही है। उसी क्रम में कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन और इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं के दामों में कमी हुई है, जबकि किसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के दामों में वृद्धि हुई है। किसानों द्वारा उत्पादित गेहूं, चावल, दाल और तिलहन बिचौलियों द्वारा खरीदकर सस्ते दामों पर बेचा जा रहा हैं स तरह से आज किसानों का सरेआम शोषण हो रहा है। हिंदुस्तान के बजट में जब तक सरकार समाज के दबाये गए, कुचले गये, पछाड़े गये लोगों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों के बारे में समुचित प्रावधान नहीं किया जायेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। आज हिंदुस्तान में लगभग 50 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जब तक वित्त मंत्री जी सदन में विस्तृत रूप से चर्चा कराकर नौजवानों को रोजगार देने के बारे में नहीं सोचेंगे, किसानों के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक इन सब लोगों के लिए बजट में पूर्ण रूप से धन का प्रावधान नहीं किया जायेगा, तब तक हम हिंदुस्तान के लोगों को इस बजट का सम्पूर्ण लाभ नहीं दे पायेंगे। इस बजट का लाभ हम गांवों तक नहीं पहुंचा पायेंगे। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की ओर से करोड़ों रुपया उन्नाव जनपद के लिए जाता है, लेकिन दलालों और एन.जी.ओज. के माध्यम से काम करवाकर उस पैसे को लूटने का काम किया जाता है। हमारे अनैतिक खर्चों को रोका जा सकता है। इन खर्चों को रोककर हम भारत सरकार के रोजगारोन्मुखी कार्मों और गरीब जनता के कल्याण के कार्यों को कर सकते हैं। ये सब कार्य कुछ विशेष एजेन्सीस के माध्यम से कराये जाने चाहिए, ताकि गरीब जनता को समुचित रूप से इनका लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, हिंदुस्तान के नौजवान आज बेचारगी की ओर जा रहे हैं। वे देश की मुख्य धारा से कट रहे हैं। आज उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर गई है। जब तक उन्हें देश की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाता है, देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपको उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना होगा। आज देश में चारों तरफ अशांति फैली हुई है। कुछ बाहरी तत्व देश के नौजवानों को चंद पैसों का लालच देकर पूरे हिंदुस्तान में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे जम्मू-कश्मीर हो, चाहे पूर्वोत्तर के राज्य हों, हमारे नौजवानों के रास्ते रोजगार के साधन उपलब्ध न होने के कारण आज बदल गये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि नौजवानों के लिए बजट में अलग से प्रावधान करना पड़ेगा। हमें समाज के

दबाये गये, कुचले गये और पिछड़े लोगों के लिए विचार करना पड़ेगा। इनके लिए हमें दिल से सोचना पड़ेगा, जिनके लिए हमारी नेता बहन मायावती जी ने हमेशा संघर्ष करने का काम किया है। यदि हम इन सब लोगों के बारे में सोचेंगे तभी हम आम आदमी सुख-सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं।

अंत में, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक देश के बजट में दबाये गये, कुचले गये, पिछड़े लोगों और बेरोजगार नौजवानों के लिए समुचित प्रावधान नहीं किया जाता, तब तक हम लोग सुंदर भारत का निर्माण नहीं कर पायेंगे। अगर इन सब बातों को बजट की अनुपूरक मांगों के साथ शामिल किया जाता है और शिक्षा के क्षेत्र को भी इसमें विशेष तरीके से जोड़ा जाता है तो बहुजन समाज पार्टी इसका समर्थन करेगी।

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : माननीय सभापति जी, सदन में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है। मुझे विशेष नहीं कहना है। परंतु मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान कुछ विशेष बातों की तरफ जरूर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर विशेष रूप से इस बात का उल्लेख हुआ कि जब यू.पी.ए. की सरकार बनी तो हमेशा अमीरों और गरीबों के बारे में बात हुई तथा बेरोजगारों के बारे में बात हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप अपने आंकड़े देखें, वर्ष 2003-2004 में जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो गरीबों और बेरोजगार नौजवानों के लिए 13283 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। लेकिन जब यू.पी.ए. की सरकार बनी तो केवल 9239 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इस तरह से दोनों को मिलाकर देखने से मालूम से पड़ता है कि चार हजार करोड़ कम रुपये का प्रावधान इस सरकार द्वारा किया गया है।

दूसरी बात यह है कि जब हम गरीबों के बारे में बात करते हैं तो जब एन.डी.ए. की सरकार थी, उस समय एक महत्वपूर्ण अंत्योदय योजना शुरू की गई थी।

अगर आप देखें तो आपकी सर्वे रिपोर्ट में ऐसा उल्लेख किया गया है कि इस कार्य को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, परंतु वस्तुस्थिति यह है कि इन छः-सात महीनों में उन गरीबों की क्या हालत है जिनको हमने बीपीएल में आइडैन्टिफाई किया है। आज नीचे के स्तर पर क्या स्थिति है, इस पर हमने कभी विचार किया? मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर इस योजना को हम वास्तव में प्रभावी बनाना चाहते हैं तो हमें ये सारे काम थोड़े तेज़ी से चलाने होंगे। आज दो-तीन महीने का समय रह गया है परंतु हम अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं और इस प्रकार का प्रावधान नहीं कर पाए हैं। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के बारे में पिछली सरकार की तुलना में आंकड़े देखें तो पिछले समय 19200 करोड़ रुपये खर्च हुए और यूपीए सरकार आई तो 15998 करोड़ रुपये का प्रावधान वित्त मंत्री जी ने रखा है। कुल मिलाकर 3200 करोड़ रुपये कम हैं। एक तरफ हम सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो यह कहां तक सत्य है? किसानों की ऐसी परिस्थिति के बारे में विचार करना आवश्यक है। किसान क्रैडिट कार्ड पिछली एनडीए की सरकार ने प्रारंभ किया था, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनको और भी प्रभावी बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में यह सच्चाई है। मैं कहना चाहता हूं कि तकनीकी शिक्षा का प्रावधान आपने किया है और कहा है कि हम पांच साल में 500 आईटीआई टैक्निकल एजुकेशन के लिए खोलेंगे, उसके तहत आपने प्रतिवर्ष 100 का लक्ष्य रखा है। मैं बताना चाहता हूं कि देश में जितने भी इस प्रकार के विद्यालय जहां-जहां प्रारंभ हुए हैं, पिछले समय में ही उनके भवनों का निर्माण हुआ, परंतु उनके जितने भी ट्रेड हैं, जितना भी ट्रेनिंग देने का प्रावधान आपने किया है, वहां आज तक स्टाफ की भर्ती नहीं हो पाई है। फिजिकली देश के विभिन्न हिस्सों में देखें तो यह सच्चाई है। एक तरफ हम तकनीकी विद्यालय और आईटीआई खोलना चाहते हैं जिनकी रोज़गार की दृष्टि से महत्ता है। आज स्थिति यह है कि वहां ट्रेड प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जिन तकनीकों के लिए हम योजना को प्रारंभ करना चाहते हैं, इस बारे में भी कुछ नहीं हो पाया।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी योजनाओं के बारे में जरूर किया चाहिए। स्कीम तो ठीक है पर उस स्कीम को प्रभावी बनाना है और लोगों को रोजगार देना है। आज हम बेरोजगारी मिटाने की बात करते हैं। मैं अपने क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में कहना चाहता हूं। पर्यटन विकास के क्षेत्र में मंडला निर्वाचन में पर्यटन की दृष्टि से कान्हा नेशनल पार्क है, जबलपुर में भेड़ाघाट और धुआधार आदि हैं पर इनसे हम टूरिज्म का जितना विकास करना चाहते हैं, उतना नहीं कर पाए हैं। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे आदिवासी इलाकों में जो पर्यटन केन्द्र बनाए गए हैं, उन पर विचार करना चाहिए। इसके लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनको प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। पिछली सरकार ने जो किया है, मैं चाहता हूं कि उस काम को आगे बढ़ाया जाए। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इसके लिए प्रभावी कदम उठाए।

[अनुवाद]

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2004-05 की अनुपूरक अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

मैं सोनियाजी की अध्यक्षता तथा डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की विकास संबंधी नीतियों की सराहना करता हूं। आज श्री पी.चिदम्बरम जी हमारे बड़े योग्य वित्त मंत्री हैं, जिन्हें वित्तीय प्रबंधन तथा वित्तीय योजना में अच्छी जानकारी है। उन्हें वृद्धि प्रक्रिया को बनाए रखने का सारा श्रेय जाता है।

अपराह्न 5.00 बजे

न्यूनतम साझा कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अनेक पहल की गई है। उदाहरण के लिए शिक्षा के लिए दो प्रतिशत उपकर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक प्रशंसनीय कदम है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, जल स्रोतों में नई जान डालने तथा अन्य क्षेत्रों में भी अनेक अन्य कदम उठाए गए हैं। पहली बार कृषि को राष्ट्रीय योजना में सबसे ऊपर रखा गया है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूं जिसे देव भूमि भी कहा जाता है। हमे सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। हमें प्रकृति के सभी भण्डार तथा सभी प्राकृतिक संसाधनों से नवाजा गया है परन्तु इनका दोहन किए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में हम वित्त मंत्री के समक्ष कहना चाहेंगे कि हमारे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य के लिए व्यवहारिक योजना बनाने के लिए एक विकास सिन्ड्रोम हमारे भीतर है। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला महत्वपूर्ण क्षेत्र संचार है। साथ ही कालका-शिमला सेक्टर तथा पठानकोट-जोगिन्दर नगर सेक्टर पर दो छोटी रेल लाइनें हैं। पहली रेल लाइन जो कि महत्वपूर्ण थी, वर्ष 1903 में बनाई गई थी। उस समय लार्ड कर्जन वायसरॉय थे। यह निकृष्ट कार्य नहीं था। इसमें 103 सुरंगे थी। यह इंजीनियरिंग का कमाल है। परन्तु इसके बाद इस क्षेत्र में अधिक कार्य नहीं किया गया।

हमें अच्छे रेल, हवाई तथा सड़कों के नेटवर्क की आवश्यकता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश सेब के उत्पादन से जुड़ा राज्य है और इसकी अर्थव्यवस्था सेब पर आधारित हैं यदि हमे वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आना है और साथ ही हम विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना चाहते हैं तो आधारभूत ढांचे का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता हैं। इतना ही नहीं यदि हम जल विद्युत जैसे प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में विकास करते हैं तो अन्य राज्यों के लिए हम एक आदर्श राज्य बन सकते हैं। इस समय हमारे पास निजी कंपनियां हैं। परन्तु यदि मैं कहूं कि सरकारी सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो ऐसा एक पर्वतीय विकास बोर्ड की स्थापना से ही हो सकता है। इसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। केवल तभी आधारभूत ढांचे का विकास किया जा सकता है। हमारे पास पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए, जिससे औषधीययाद्या और बंजर भूमि का विकास होगा, और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज हमारे क्षेत्र में काफी बेरोजगारी है। यदि हमें केन्द्र का सहायता मिले तभी इस पर ध्यान दिया जा सकता है। वित्त मंत्री जी के आशीर्वाद से मैं आश्वासन देता हूं कि एक दिन हिमाचल प्रदेश राज्य एक आदर्श राज्य बन जाएगा। आपने हमेशा हमें वर्षा जल संचयन करने के लिए बढ़ावा दिया है। हमने इसकी योजनाएं बनाई हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से भी हम इन योजनाओं का वित्तपोषण कर रहे हैं। मैने अपने लोगों को बताने का प्रयास किया है कि हमें वर्षा जल संचयन करना चाहिए क्योंकि एकत्रित प्राकृतिक जल का प्रयोग पुष्पकृषि तथा सब्जी उगाने के लिए भी किया जा सकता है। यह वास्तव में एक व्यवहारिक चीज है।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक बार फिर हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर विशेष ध्यान देने और राज्य के विकास हेतु विशेष पैकेज दिया जाए देने का अनुरोध करूंगा ताकि हमारे आधारभूत ढांचे का विकास हो सके।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, मैंने भी बोलने के लिए नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय केवल दो और सदस्य है जो बोलना चाहते हैं। कृपया इनमें से प्रत्येक को तीन मिनट दें।

सभापति महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति जी, आपने मुझे वर्ष 2004-05 की अनुदान की अनुपूरक मांगों पर सामान्य चर्चा के लिए समय दिया,

इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। विशेषरूप से मंत्री जी का, जिन्होंने समय दिलाया।

मैं कुछ सुझाव अपने उत्तर प्रदेश के बारे में देना चाहता हूं। केन्द्र सरकार की हमेशा यह नीति रही है कि संघ के जो भी राज्य हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनके समाधान हेतु सभी राज्यों को समान सुविधाएं दी जाए।

आपने कुछ राज्यों को स्पेशल पैकेज दिया है, मैं उसका विरोध नहीं करता। वहां की अपनी भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां रही होंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 18,000 करोड़ रुपये को विशेष पैकेज की मांग की थी। अभी आप उत्तर प्रदेश के दौरे पर गये थे। उत्तरांचल क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही एक अंग था, अब वह अलग प्रदेश बन गया है, लेकिन वहां जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं, उनका विपरीत प्रभाव उत्तर प्रदेश पर पड़ रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने उत्तरांचल में जो भी पैकेज दिये हैं, उसका उत्तर प्रदेश पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आप उत्तर प्रदेश की तरफ विशेष ध्यान दें, खासकर उत्तर प्रदेश में चाहे पूर्वांचल हो या बुन्देलखंड का एरिया, वह बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां गरीबी है, बेरोजगारी है। वहां ज्यादातर पथरीला एरिया है। वहां साक्षरता नहीं है, इसलिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी मंत्री जी वहां गये थे। आपने उत्तरांचल के लिए जो विशेष पैकेज की सुविधा दी है, 2003 से लेकर मार्च 2007 के मध्य, उत्तरांचल में स्थापित होने वाली इकाइयों का विस्तार करने हेतु कुछ सुविधाएं दी हैं, जैसे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 8 प्रतिशत से 24 प्रतिशत बढ़ाकर, दस वर्ष के लिए उसे मुक्ति दी है। इसी प्रकार प्रथम पांच वर्ष के लिए आय कर से छूट व अगले पांच वर्ष में 30 प्रतिशत छूट अभी आपने दी है। पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत और अधिकतम 30 लाख की सबसिडी दी है।...*(व्यवधान)* ट्रांसपोर्ट सबसिडी की अवधि 2007 तक बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के लिए कम से कम इतना कर दें कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व आय कर से छूट केवल ऐसी इकाइयों को उपलब्ध कराई जाये जो समुद्र तल से एक हजार मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर स्थापित की जाए, अथवा उत्तरांचल की सीमा से जुड़े 100 किलोमीटर की परिधि के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी उत्तरांचल के समान उत्पादन शुल्क व आय कर में छूट उपलब्ध कराई जाये ताकि वहां भी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो सकें और जो बेरोजगारी है, पिछड़ापन है, वह दूर हो सके।

इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : सभापति महोदय मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं इस वाद-विवाद में बोलने वाला अंतिम वक्ता हूं और आपने अपनी बात संक्षेप में कहने का निदेश दिया है और मेरे पास बोलने के लिए अधिक समय नहीं होगा। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे मेरी बात पूरी करने तक बीच में व्यवधान न पहुंचा जाए।

महोदय मैं वर्ष 2004-05 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि यह सरकार वित्तीय दायित्वों तथा बजट प्रबंधन के सिद्धान्तों का पालन करने में पूरी तरह असफल रही है। यह पहले ही संकट की स्थिति में पहुंच गया है। वर्ष के इस समय तक ही हमारा राजस्व घाटा 59,911 करोड़ रुपये तक पहुंच गया हैं इसे लगभग 35,000 करोड़ रुपये चाहिए और वर्ष के अंत तक इसके 76000 करोड़ रुपये हो जाने की अपेक्षा है।

महोदय राजग सरकार के शासनकाल में हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 करोड़ की सीमा तक पहुंच गया था लेकिन अब इसमें कमी हुई है। पिछले कुछ दिनों से मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं कि हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार कम हो गया हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार आज भारत के इतिहास में सबसे अधिक हैं।

श्री विक्रम केशरी देव : परन्तु यह इस अर्थ में कम हो गया है कि विदेशी मुद्रा भण्डार में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पिछले 6 माह के शासनकाल की तुलना में राजग सरकार के शासनकाल के दौरान तेजी से वृद्धि हो रही थी। अत: मैं यहां सुझाव देना चाहूंगा कि उपयुक्त वित्तीय प्रबंधन तथा वित्तीय अनुशासन होना चाहिए, जिसकी काफी समय से कमी है।

महोदय, यह भाग्य की विडम्बना है कि बिहार और उड़ीसा जैसे राज्य, जो कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं, देश के सबसे गरीब राज्य हैं। आर्थिक सूचक दर्शाते हैं कि हमारी शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, हमारे यहां गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इसके क्या कारण हैं? इसकी वजह यह है कि गत 42 वर्षों से इस देश पर एक ही पार्टी अर्थात् कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और उन्होंने ही अव्यवस्था फैलायी है। आज, पूरे विश्व में भारत में एनिमिया रोग से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है।

[श्री विक्रम केशरी देव]

इसलिए, हम अपने देश पर आक्रमण कर रही इन सभी बुराइयों से कैसे लड़ें? सरकार को इन बुराइयों को दूर करने के लिए कठोर उपाय करने होंगे।

सभापति महोदय : आपके बोलने के लिए समय उपलब्ध नहीं हैं आप कृपया अपनी बात समाप्त करने का प्रयास कीजिए।

श्री विक्रम केशरी देव : महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए एक मिनट का समय दिया है और आप मुझे बात समाप्त करने के लिए कह रहे हैं।

सभापति महोदय : उन्हें दूसरी सभा में भी जाना है। कृपया यह बात ध्यान में रखें।

श्री विक्रम केशरी देव : महोदय, मैं आपका बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद करता हूं। सेवा क्षेत्र में सफल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, वर्तमान और सतत मूल्य पर, पांच से छह प्रतिशत है। यह कृषि के मामले में सबसे कम है जो दो प्रतिशत से भी कम है। मुद्रास्फीति की ऊंची दर लागत में वृद्धि करने वाला कारक है जो दो प्रतिशत से भी कम है। इसलिए कच्चे तेल के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन खाद्य पदार्थों के मूल्य नहीं बढ़ते। इसलिए, पूरे वाद-विवाद के दौरान, हम एक चीज पर जोर देते रहे हैं। सभी माननीय सदस्यों ने किसानों की समस्याओं से संबंधित काफी हो-हल्ला मचाया है। कृषि उत्पादों के मूल्य नहीं बढ़ रहे हैं। उनके द्वारा उपज को बाजार मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जा रहा हैं उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। उनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। सभा में हमें यह पता चला है कि सरकार किसानों को उचित सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है। आज, क्या सरकार ने उन्हें किसी प्रकार की राजसहायता प्रदान करने के बारे में सोचा है? विश्व व्यापार संगठन पर हस्ताक्षर करने के पश्चात्, गैट को समाप्त किये जाने के पश्चात्, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका उभर रही है। आज भारत सार्वभौमिक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बन गया है और हम अपने देश की गिनती विश्व की सबसे अधिक तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं में करते हैं। लेकिन आज विश्व व्यापार संगठन में कृषि के समझौते को अभी तैयार नहीं किया गया है। विकसित राष्ट्र अपने किसानों को राजसहायता प्रदान कर रहे हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह गरीबी, सूखे और बाढ़ में पिस रहे किसानों को राजसहायता प्रदान करेगी। उनकी रक्षा कौन करेगा? वह सुरक्षा कवच कहां है? रा.ज.ग. सरकार के दौरान फसल बीमा योजना और किसान ऋण पत्र जारी किये गये थे।

रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा दूसरा क्षेत्र लघु उद्योग हैं। लेकिन इन लघु उद्योगों को उचित सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। इनकी रक्षा कौन करेगा? आप यह पायेगें कि अधिकांश लघु उद्योग गैर-निष्पादनकारी आस्तियां बन चुके हैं। हमें उन्हें उबारना होगा।

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए कुछ समय प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं। अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र कालाहांडी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो रा.ज.ग. सरकार ने आरंभ किया था। इस सरकार ने इसके लिए कुछ धनराशि आबंटित की थी। इसे प्यूरा (पी.यू.आर.ए.) कार्यक्रम कहा जाता है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए है। इस सरकार ने इसके लिए बहुत कम धनराशि प्रदान की है। आपने केवल आठ करोड़ रुपये दिये हैं। आज, हम यह जानते है कि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत पलायन हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर उच्च स्तर पलायन हुआ है। शहरी क्षेत्र में भीड़ बढ़ती जा रही है। देश की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है। इसलिए, प्यूरा (पी.यू.आर.ए.) योजना को मजबूत बनाया जाना चाहिए... *(व्यवधान)* मैं वित्त मंत्री जी से प्यूरा को अधिक प्रभावी बनाने का आग्रह करता हूं। मैं प्यूरा योजना को कार्यान्वित करने के लिए कालाहांडी को आदर्श जिले के रूप में विकसित करने का आग्रह करता हूं। उड़ीसा राज्य में के.वी.के. कार्यक्रम को भी सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

***प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) :** महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान की मांगों की पहली किस्त का समर्थन करता हूं। 38,621.77 करोड़ रुपये का कुल अतिरिक्त व्यय करने के लिए इन मांगों को इस सभा द्वारा स्वीकृत करने की आवश्यकता है। यदि हम 5,063.06 करोड़ रुपये खर्च की जाने वाली कुल नकद राशि के प्रस्तावों पर विचार करें, तो तकनीकी अनुपूरक मांग 33,558.23 करोड़ रुपए की होगी। मेरे विचार से इस व्यय को स्वीकृति प्रदान करने का पर्याप्त औचित्य है और इसलिए इस सभा को व्यय की इस मात्रा को स्वीकृत करने के लिए अपनी मंजूरी दे देनी चाहिए।

इस व्यय से वर्ष 2004-2005 के बजट में शामिल नये कार्यक्रमों को पूरा किए जाने की आवश्यकता है और अब प्राथमिकता बन चुकी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दसवीं योजना की विभिन्न चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

धनराशि की इस सामान्य आवश्यकता के अतिरिक्त, चार अन्य अतिरिक्त आवश्यकताएं हैं:

1. विस्तृत कवरेज और आपदा राहत कार्यों के भाग के रूप में काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जैसे रोजगार कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित खाद्यान्नों की बढ़ी हुई आवश्यकता।

2. आदानों विशेषकर पेट्रोलियम संबंधी फीडस्टॉक की राशि में हुई वृद्धि के कारण उर्वरक राजसहायता की बढ़ी हुई आवश्यकता। इसमें विशेषकर खाद्य और उर्वरक संबंधी राजसहायताओं के कारण प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।

3. नाबार्ड और अन्य एजेन्सियों से ऊंची ब्याज दरों पर लिए गए ऋण पर ऋण विनिमय योजना की सुविधा प्रदान करके केन्द्र द्वारा राज्यों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण के प्रयासों में सहायता करने की वचनबद्धता के कारण व्यय के लिए अतिरिक्त धनराशि की भी आवश्यकता होगी।

4. सरकार को वित्त सुधार सुविधा के अन्तर्गत राज्यों की मदद भी करनी होगी।

इन सभी और अन्य वचनबद्धताओं के लिए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है जिसका आग्रह इन अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से किया जा रहा है।

इस व्यय का समर्थन करने के साथ-साथ, मैं इस वर्ष जुलाई में प्रस्तुत बजट में घोषित विभिन्न कदमों को कार्यान्वित करने के लिए उनके द्वारा की गयी कार्यवाही के लिए वित्त मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, माननीय वित्त मंत्री ने 39 चयनित सुधार उपाय लागू किए हैं जिनमें से 20 उपायों को पूरी तरह से लागू किया जा चुका है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है: राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम, जो अंत्योदय अन्न योजना के कवरेज को बढ़ायेगा; शिक्षा संबंधी ऋण को सरल बनाना, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष का पुनरुद्धार; राष्ट्रव्यापी जल संचयन योजना, सभी पेयजल योजनाओं को राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत लाना, राष्ट्रीय आवास बैंक की पुन: वित्तीय सहायता की दरों को कम करना, निवेश आयोग की स्थापना, नागर-विमानन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का परिसीमन, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना और एक नयी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आरम्भ करना।

लगभग 19 सुधार उपायों के मामले में कार्यान्वयन का कार्य लगभग 75 प्रतिशत तक पूरा हो गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के मामले में कई विधायी और प्रशासनिक उपाय भी किये गये हैं। तुलनात्मक रूप से कम वरीयता वाले व्यय को कम करने और गैर-कर राजस्व को बढ़ाने के लिए दिनांक 1 अक्तूबर, 2004 को व्यय प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

छह महीने की अल्प अवधि में किये गये इन त्वरित उपायों से वित्त मंत्री जी की फुर्तीलापन और उत्साह प्रकट होता है जिसके साथ वह कार्य कर रहे हैं और बजटीय वचनों को पूरा करने की उनकी वास्तविक इच्छा को भी प्रकट करते हैं और लोगों और संसद के लिए स्वयं को अधिक जवाबदेह बनाने को प्रकट करता है।

यदि, उनकी पहल जारी रहेंगी और यदि वे बजट में शेष वचनों को पूरा करेंगे तो व्यय की उनकी यह मांग उचित है।

फिर भी उनका व्यय करने का निर्णय कतिपय महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर होना चाहिए।

1. इस व्यय से राजकोषीय और राजस्व घाटा नहीं बढ़ना चाहिए। यदि हम राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) नियम, 2004 को देखें तो पाएंगे कि चालू वर्ष की प्रथम छमाही में हुआ 40 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान में निर्धारित 45 प्रतिशत राजकोषीय घाटे से बेहतर हैं परन्तु 78.7 प्रतिशत का राजस्व घाटा, जो बजट अनुमान में निर्धारित 45 प्रतिशत राजस्व घाटे से अधिक है, वस्तुत: चिन्ता का विषय है। ऐसा सम्पूर्ण कर राजस्व में कम वृद्धि होने, राज्यों को अधिक कर का प्रत्यायोजन करने तथा कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों, नॉन अलॉय इस्पात व पोतों पर शुल्क में कमी के परिणामस्वरूप हुआ है। यदि ऐसा होता है तो राजकोषीय समेकन के संबंध में हमारी सभी उम्मीदें झूठी साबित होंगी तथा देश में मुद्रा-स्फीति की दर तेजी से बढ़ेगी। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन के उद्देश्य विफल हो जाएंगें?

2. दूसरी बात यह है कि सरकार को कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, लघु उद्योगों आदि में योग्य व्यक्तियों को राजसहायता देकर

[प्रो. एम. रामदास]

व्यय में बचत करनी चाहिए। राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान द्वारा मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए तथा इसकी सिफारिशों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

3. सरकार द्वारा, विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि हेतु अपेक्षित वास्तविक व्यय की मात्रा को प्रभावित किए बगैर, व्यय को कम करने के लिए घोषित मितव्ययता उपायों को ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। व्यय प्रबंधन प्राधिकारी के पास उपयोगी व अनुपयोगी व्यय में भेद करने का भी विवेक होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि सरकार को राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेन्सियों के पास अप्रयुक्त शेष धनराशियों की स्थिति पर पैनी नजर रखनी चाहिए तथा जारी की गयी निधियों हेतु उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बल दिया जाना चाहिए।

4. जहां भी संभव हो निवेश व्यय अथवा योजना व्यय को कम नहीं किया जाना चाहिए। मैंने पाया है कि चालू योजना के अंतर्गत अप्रैल-सितम्बर 2004 के दौरान मात्र 33,657 करोड़ रुपए खर्च किए गए है जबकि कुल योजना परिव्यय 87,886 करोड़ रुपए है। राज्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित धनराशि 57,704 करोड़ रुपए की तुलना में मात्र 19,617 करोड़ रुपए रखे रखे गए हैं। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह धनराशि 20,0516 करोड़ रुपए थी। इसके अतिरिक्त दस वर्षों की अवधि हेतु योजना सहायता घटकर कुल योजना आबंटन का मात्र 33 प्रतिशत रह गयी है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

5. अंततः, यह व्यय वर्तमान अर्थव्यवस्था में पायी गयी खामियों को सुधारने वाला होना चाहिए। व्यय से कृषि विविधीकरण पर दबाव कम होना चाहिए और इससे कृषि में अधिक बड़ी भूमि का भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। व्यय में अपर्याप्त निवेश और अपर्याप्त अवसंरचना के मुद्दों का समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : सभापति महोदय, मैं उन सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने पिछले ढाई दिनों से इस मिनी-बजट वाद-विवाद में भाग लिया है। वस्तुतः यह सत्र मिनी-बजट सत्र रहा हैं इस सत्र के अधिकांश कार्य वित्त मंत्रालय से संबंधित रहे हैं। महोदय, आपने पांच विधेयक पारित किए हैं, हमने चार ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर और अनेक अन्य चर्चाएं की हैं। हम इस सत्र को मिली-बजट पर एक मिनी चर्चा करके समाप्त कर रहे हैं।

महोदय, मैं इस वाद-विवाद के प्रथम वक्ता, श्री खारबेल स्वाई के भाषण को उद्धृत करना अत्यावश्यक समझता हूं। उन्होंने कहा है:

"इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में काफी वृद्धि दर्ज की गयी हैं बफर स्टॉक सामान्य से 2.2 मिलियन टन अधिक है। भुगतान संतुलन के मामले में चालू खाते और पूंजी खाते में अतिरिक्त धनराशि हैं विदेशी ऋण नहीं बढ़ा हैं यह 112.6 बिलियन डालर है। दीर्घावधि ऋण में 1.1 बिलियन डालर की कमी आयी है। भारतीय रुपया मजबूत हुआ है। विद्युत उत्पादन में 8.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है तथा विद्युत की कमी 6.4 प्रतिशत के घटकर 6 प्रतिशत हो गयी है।

मोबाइल फोनों की संख्या में 81 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, अन्त्योदय अन्न योजना का लाभार्थी परिवारों की संख्या 1.5 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ हो गयी है, कर वसूली उत्साहजनक है; व्यय कम हुआ है; योजना व्यय में 638 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है; राजकोषीय घाटा कम हुआ है तथा राजस्व घाटे में भी 5,473 करोड़ रुपए की कमी गयी है।"

मैं विपक्षी सदस्यों से प्रशंसा की उम्मीद नहीं करता किन्तु मैं विपक्ष द्वारा एक अग्रणी वक्ता को खड़ा करने के लिए कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस बात की सराहना की कि अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा रहा है और अभी इसका प्रदर्शन अच्छा हो रहा है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सदस्यों, मैं काफी सम्मान के साथ अर्द्धवार्षिक समीक्षा पढ़ना चाहता हूं। काफी कार्य किए गए हैं। अर्द्धवार्षिक समीक्षा के बगैर यह समझना कठिन है कि अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है। मैं समझता हूं कि अर्द्धवार्षिक समीक्षा से आपके सामने अर्थव्यवस्था की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। पृष्ठ 5 में, हमने अप्रैल से सितंबर तक के अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से संबंधित आंकड़े दिए हैं। मैं यह स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि मैं अप्रैल और मई के प्रदर्शन का श्रेय राजग सरकार को देता हूं। इसी प्रकार, आपको भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अब अक्टूबर के प्रदर्शन का श्रेय संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को देना होगा।

श्रेय लेने और दोषारोपण करने की प्रतिद्वन्दता के बीच हमें अर्थव्यवस्था और देश को कमजोर बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के वास्तविक उत्पादक हमारे किसान, औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत

हमारे श्रमिक और सेवा प्रदाता हैं। ये देश के लिए सम्पदा निर्माता हैं। ये सामान और सेवाओं के रूप में सम्पदा निर्माण करते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि श्रेय लेने और दोषारोपण करने की प्रक्रिया में, हमें अपने किसानों, श्रमिकों और सेवा प्रदाताओं के गंभीर प्रयासों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह उनके कामों का परिणाम है न कि आपके अथवा मेरे। यह उनके काम, उनकी दृढ़इच्छाशक्ति, उनका पसीना और उनका परिश्रम है जो इन आंकड़ों में झलक रहा है। पृष्ठ 5 पर, मैंने अप्रैल से सितम्बर तक के आंकड़े दिए हैं। अब मेरे पास अप्रैल से अक्टूबर तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। अप्रैल से अक्टूबर की अवधि के दौरान सामान्य औद्योगिक विकास 8.4 प्रतिशत था जो कि पिछले वर्ष 6.2 प्रतिशत था और इसी वित्तीय अवधि के दौरान विनिर्माण में पिछले वर्ष 6.8 प्रतिशत के मुकाबले इस वर्ष 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी और विद्युत क्षेत्र में 2.9 प्रतिशत के मुकाबले 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। खनन में भी पिछले वर्ष के 3.9 प्रतिशत के मुकाबले इस वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है और कैपिटल गुड्स के संबंध में यह आंकड़ा 9.2 प्रतिशत के मुकाबले 15.1 प्रतिशत हैं यह किस बात का संकेत करता है? यह दर्शाता है कि आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई हैं यह दर्शाता है कि औद्योगिक क्रियाकलाप सुदृढ़ स्थिति में है और इनमें वृद्धि हो रही है। यह सिर्फ वर्तमान में ही नहीं बल्कि भविष्य में भी बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता हैं कुल मिलाकर इससे यह संकेत मिलता है कि इस देश की जनता, किसानों, श्रमिकों, व उद्योगपतियों का डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्ववाली इस सरकार और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के स्थायित्व में पूर्ण विश्वास है।

मैं कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। माननीय सदस्य ने बताया कि विदेशी मुद्रा भण्डार में कमी आयी है। आप कहां से आंकड़े ले रहे हैं? 14 मई को, जब चुनाव परिणाम निकले थे, यह भण्डार राशि करीब 118 बिलियन अमरीकी डालर थी।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : यह छोटा आंकड़ा है।

श्री पी. चिदम्बरम : यह छोटा आंकड़ा नहीं हैं मैं उनकी इस आलोचना का जवाब दे रहा हूं कि विदेशी मुद्रा भण्डार घट रहा हैं आज यह भण्डार करीब 129.7 बिलियन अमरीकी डालर के करीब है। मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष नवम्बर के अंतिम दिनों और दिसंबर के प्रारंभ तक समाप्त अवधि के दौरान नॉन-फूड क्रेडिट 53,014 करोड़ रुपये बढ़ा था। इस वर्ष नॉन-फूड क्रेडिट बढ़कर 1,26,423 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले वर्ष, नवम्बर में समाप्त अवधि के लिए फूड क्रेडिट नकारात्मक 13,018 करोड़ रुपये रहा। इस वर्ष, यह धनात्मक 6419 करोड़ रुपये है।...*(व्यवधान)* हमें बीच में टोका-टाकी नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि अच्छी बारिश भी अच्छे शासकों के कारण होती है।

पिछले वर्ष अप्रैल-अक्टूबर की अवधि में 1.45 बिलियन अमरीकी डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। इस वर्ष अप्रैल-अक्टूबर 2004 के दौरान यह 3.46 बिलियन अमरीकी डालर है। वर्ष 2003 के दौरान, अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश 7.59 अमरीकी डालर रहा तथा वर्ष 2004 के दौरान, जिसमें अभी 12 दिन बाकी है, यह 8.77 बिलियन अमरीकी डालर पहुंच चुका हैं। मैं किसी मानदंड अथवा गणना द्वारा श्रेय नहीं ले रहा हूं बल्कि मैं यह कह रहा हूं कि हमारे किसानों, हमारे श्रमिकों, हमारे उत्पादकों और हमारे सेवा प्रदाताओं की वजह से ही अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा हो रहा हैं। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

यह अनुपूरक मांग है। इसलिए, मुझे उन मदों पर प्रकाश डालने दें जिसके लिए हम धन की मांग कर रहे हैं। यह सच है कि अनुपूरक मांगे इसलिए रखी जाती है क्योंकि जब हम बजट प्रस्तुत करते हैं, चाहे वह फरवरी हो अथवा जुलाई, तो हम कुछ क्रियाकलापों का अनुमान नहीं कर पाते हैं अथवा कुछ क्रियाकलापों का तो खाका तक भी तैयार नहीं होता है। अतएव, जब कोई यह प्राक्कलन तैयार करता है जिसमें संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग उस कार्यकलाप के लिए पूर्णत: तैयार है, तो हम संसद में धन की मांग करते हैं। परन्तु यहां स्मरणीय तथ्य यह है कि हम कितने धन की मांग कर रहें हैं और हम किस लिए यह मांग कर रहें हैं?

हम प्राथमिकताओं की बात करते हैं। मैं यहां संप्रग सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा करने के लिए हूं। मैं जो मांग कर रहा हूं और जिस शीर्ष हेतु मैं मांग कर रहा हूं वह इस सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इसलिए मैं और कुछ देर बात करना चाहता हूं। महोदय, हम तकनीकी अनुपूरक अनुदान की मांग कर रहें हैं जोकि पूरी तरह अकेंक्षण का मामला हैं परन्तु हम मात्र 5063 करोड़ रुपए के अतिरिक्त नकद प्रवाह की मांग कर रहे हैं। यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। इस 5063 करोड़ रुपए में से गैर-योजना व्यय नहीं, बल्कि योजना व्यय 2930 करोड़ रुपए है। मैं उस अतिरिक्त धनराशि की बात कर रहा हूं, उसका 60 प्रतिशत योजना व्यय के लिए है, भारत सरकार के उपव्यय के लिए नहीं।

पहले मुझे प्रमुख मदों का उल्लेख करने दें। गत वर्ष संशोधित अनुमानों के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के लिए 2732 करोड़ रुपए दिए गए थे। जब मैंने बजट प्रस्तुत किया और मैंने मांग की और 3,057 करोड़ रुपए मिले। आज, मैं आपसे और 2,000 करोड़ प्रदान

[श्री पी. चिदम्बरम]

करने के लिए कह रहा हूं। इस प्रकार, सर्वशिक्षा अभियान हेतु व्यय गत वर्ष के 2732 करोड़ रुपए से बढ़कर इस वर्ष 5057 करोड़ रुपए हो जाएगा अर्थात् इसमें 85 प्रतिशत की वृद्धि होगी। जोकि, मेरे विचार से, प्राथमिक शिक्षा के प्रति इस सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अगला मद मध्याह्न, भोजन योजना है। गत वर्ष, संशोधित अनुमानों के अनुसार, मध्याह्न भोजन योजना पर 1,375 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। जुलाई में, मैने मांग की और आपने मुझे 1,675 करोड़ रुपए प्रदान किए। आज, मैं आपसे और 1,210 करोड़ रुपए प्रदान करने की मांग करता हूं, जिससे यह कुलमिला कर 2,885 करोड़ रुपए हो जाता है, जो गत वर्ष मध्याह्न भोजन योजना पर पहले की सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि का दोगुणा है। यह मध्याह्न भोजन योजना और भारत के बच्चों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए मैं 220 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की मांग करता हूं। यह कार्यक्रम 14 नवम्बर को आंध्र प्रदेश में आरंभ किया गया था। यह कार्यक्रम बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में सन्निहित हो जायेगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम हेतु कुल प्रावधान 7120 करोड़ रुपए का है जो कि काफी अधिक है।

मैं स्वास्थ्य विभाग के लिए 408 करोड़ रुपए, कृषि विभाग के लिए 440 करोड़ रुपए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 200 करोड़ रुपए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के लिए 50 करोड़ रुपए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 40 करोड़ रुपए, और समुद्र विकास विभाग के लिए 36 करोड़ रुपए की अलग-अलग अतिरिक्त आवंटन की मांग करता हूं। इन शीर्षों में प्रत्येक शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना, स्वास्थ्य देखभाल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और जैव-प्रौद्योगिकी और महासागर विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों के प्रति इस सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

महोदय, मेरे प्रतिष्ठित सहयोगी, संचार मंत्री के बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी। हम ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली हेतु 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन की मांग करते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय वित्तमंत्री जी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने बजट में पहले ही आपसे 200 करोड़ रुपए लिए हैं। गत वर्ष ग्रामीण टेलीफोनी के लिए सरकार ने केवल कुल 200 करोड़ रुपए खर्च किए। इस वर्ष, बजट में आपने मुझे 200 करोड़ रुपए दिए हैं और इस उद्देश्य से मैं आपसे पुनः 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग करता हूं। इस प्रकार हम गत वर्ष के दौरान खर्च की गई 200 करोड़ रुपए की धनराशि की तुलना में हम 1,200 करोड़ रुपए खर्च करेंगे।

सभापति महोदय : कृपया बाधित न करें।

श्री खारबेल स्वाईं : ऐसा दूरसंचार क्षेत्र को हमारे द्वारा खोले जाने का कारण हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया इस बात को समझें कि वर्ष 1991 में दूरसंचार क्षेत्र को खोला गया था और उत्तरवर्ती सरकारों ने इसे और अधिक खोला है।

श्री खारबेल स्वाईं : आपने कितना खोले थे?

श्री पी. चिदम्बरम : आप 1991 में तो वहां नहीं थे।

श्री खारबेल स्वाईं : मैं वहां नहीं था, परन्तु मैंनें बाहर से इसपर गौर किया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : स्वाईं जी, कृपया बैठ जाइए। माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : मैंनें पहले ही आपको अपने भाषण के प्रारंभ में बहुत ही उदास शुभकामनाएं देने के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं।...*(व्यवधान)* मैंनें आपकी बात सुनी हैं अब आपको भी मेरी बात सुननी चाहिए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप कितना समय लेंगे?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं शीघ्र ही अपनी बात समाप्त करूंगा।

इंदिरा आवास योजना के लिए हम 400 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की मांग कर रहें हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है।

अतएव, महोदय, इस 5,063 करोड़ रुपए की धनराशि में से अधिकतम राशि मध्याह्न भोजन योजना, ग्रामीण टेलीफोनी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और इस सरकार की अन्य उच्च प्राथमिकता वाले सभी क्षेत्रों के लिए हैं इस सरकार की प्राथमिकताएं अनूपूरक मांगों में परिलक्षित हैं, जिसे हम आज रख रहें हैं।

कम आबंटन के बारे में एक टिप्पणी की गई थी।

सभापति महोदय : एक घोषणा की जानी है। इन अनुपूरक मांगों को पारित किए जाने के पश्चात्, यह सभा आज की कार्य-सूची में सम्मिलित आधे-घंटे की चर्चा पर विचार करेगी।

श्री पी. चिदम्बरम : मैनें इसपर बजट पर मुख्य चर्चा के दौरान इसका जवाब दिया हैं मुझे दुःख है, मुझे इसे दोहराना पड़ेगा और मैं इसे दोहराता हूं। यदि आप इस पुस्तक के पृष्ठ 50 पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि योजना व्यय के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग को गत वर्ष 10,270 करोड़ रुपए का आबंटन प्राप्त हुआ था और इस वर्ष के बजट में इसे 11,437 करोड़ रुपए मिले हैं।

अब, कभी-कभी 15,518 करोड़ रुपए के आंकड़े को उद्धृत किया जाता हैं यह 15,518 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्या है? 15,518 करोड़ के इस आंकड़े में गत वर्ष के बजट आवंटन के अलावा सूखा राहत के रूप में दिए गए अतिरिक्त 5,230 करोड़ रुपए शामिल हैं। यह कोई नहीं चाहता कि भारत में प्रति वर्ष सूखा पड़े। कोई भी नहीं चाहता कि भारत में हर वर्ष सूखा पड़े। गत वर्ष, सूखा पड़ा था और सूखे के कारण गेहूं और चावल उपलब्ध कराए गए थे। चावल और गेहूं के मूल्यों की गणना की जानी है। जब सूखा पड़ा था तब अतिरिक्त आवंटन किया गया था और 5,238 करोड़ रुपए, जो कि आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों का मूल्य है, ग्रामीण विकास को और दिए गए थे। यह कोई नहीं चाहता कि प्रति वर्ष हमारे यहां सूखा पड़े और प्रतिवर्ष हम चावल और गेहूं अवश्य दें तथा इसे ग्रामीण विकास को दें। ग्रामीण विकास को इस वर्ष किया गया वास्तविक आवंटन गत वर्ष के आवंटन से ज्यादा है।

मुझे एक बात और कहनी है गत वर्ष के 2003-04 के संशोधित अनुमानों में राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता हम सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम सभी अपने अपने राज्यों के लिए पुरजोर तरीके से अनुरोध करते है तथा केन्द्रीय सहायता द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित राज्यों संबंधी योजनाओं के लिए 48,660 करोड़ रुपए निर्धारित थे। जुलाई में इस वर्ष के बजट अनुमान में मैंने आपसे 57,704 करोड़ रु. मांगे हैं और क्योंकि ये अपर्याप्त रहें इसलिए आज में 4703 करोड़ रु. की और मांग कर रहा हूं जिससे केन्द्रीय सहायता कुल 62,407 करोड़ रु. हो जायेगी जो गत वर्ष के आबंटन की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है। यह दर्शाता है कि हम राज्यों की योजनाओं और केन्द्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के वित्त पोषण के लिए प्रतिबद्ध है जिससे कि वे इस देश में वह कर सकें जिसका हम स्वप्न देखते हैं।

महोदय, संक्षेप में, विभिन्न स्थानों पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए थें अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे चिकित्सा संस्थान सर्वाधिक सुविधा वंचित राज्यों में, बिहार में पटना, मध्य प्रदेश में भोपाल, राजस्थान में वंचित राज्यों में, बिहार में पटना, मध्य प्रदेश में भोपाल, राजस्थान में जोधपुर, उड़ीसा में भुवनेश्वर, उत्तरांचल में ऋषिकेश और छत्तीसगढ़ में रायपुर में खोले जायेंगे। इसके साथ-साथ, सात राज्यों में सात चिकित्सा महाविद्यालयों का प्रोन्नयन किया जायेगा। चयन के लिए प्रमुख मानदण्डों में अस्पताल एवं बिस्तर-जनसंख्या अनुपात, राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, बीमारी को चालू दर, सुपर-स्पेशियलिटी विभाग की उपलब्धता आदि शामिल है।

जहां तक जोधपुर का संबंध है मेरी सूचना यह है कि राज्य सरकार ने अब तक भूमि उपलब्ध नहीं करवाई है। मुझे आशा है कि राज्य सरकार जोधपुर में शीघ्र से शीघ्र भूमि उपलब्ध करवा देगी।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : जनजातीय क्षेत्रों के बारे में क्या स्थिति है?

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय वित्त मंत्री जी के सम्भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. चिदम्बरम : उड़ीसा और पी.एम.जी.एस.वाई के बारे में टिप्पणी की गई थी। पी.एम.जी.एस.वाई के अन्तर्गत 2000-01 और 2004-05 के बीच उड़ीसा राज्य को 700 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई जिसमें से लगभग पूरी राशि 699 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी कर दी है। आज की तिथि तक राज्य ने केवल 489 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की है और मेरे रिकार्ड के अनुसार उड़ीसा राज्य के पास 210 करोड़ रुपये की राशि शेष है। इसलिए, गत कुछ वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य को आबंटित धनराशि को खर्च करने के लिए कदम उठाने होंगें।

महोदय, किसी माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र में कपास की खरीद का उल्लेख किया है। जब यह बात मेरे और माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाई गई तो हमने दिशा-निर्देश जारी किये। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक जो सहकारी कपास विपणन परिसंघ का बैंक है, के अनुरोध पर हमारे दिशा-निर्देशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ दिनों में 643 करोड़ रु. की ऋण सीमा की मंजूरी प्रेषित की हैं इससे सहकारी कपास विपणन परिसंघ कृषकों से कपास खरीद और अधिप्राप्त कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश 16 दिसम्बर, 2004 को जारी किये गए...*(व्यवधान)*। मैं बिना सोच-विचार किए उत्तर नहीं दे सकता।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैंने आंध्र प्रदेश के कपास उत्पादकों के बारे में उल्लेख किया था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं कपास की खरीद में एकाधिकार के बारे में बात कर रहा हूं। मैं एम.एस.पी. के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र के कपास सहकारी द्वारा कपास की खरीद में एकाधिकार की बात कर रहा हूं जिस पर यह टिप्पणी की गई थी कि धनराशि उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है।

महोदय, केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान को जारी की गई राशि के बारे में टिप्पणी की गई थी। वर्ष 2003-04 में 59.43 करोड़ रु. जारी किये गए। 14.96 करोड़ रु. खर्च नहीं किये गए हैं। चालू वर्ष में आज की तिथि तक 68.91 करोड़ रु. जारी किये गए हैं। इसमें से 56.77 करोड़ रु. खर्च नहीं किये गए हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे नौजवान मित्र दुष्यंत इस सूचना की ओर ध्यान देंगे और सूचना सही लोगों तक पहुंचाएगें तथा इसे देखेंगे कि यह राशि कैसे खर्च की जाए।

अंत में, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के बारे में कुछ कहा गया था। यह कहना बिल्कुल गलत है कि स्वर्णिम चतुर्भुज अथवा उत्तर-दक्षिण गलियारा अथवा पूर्व-पश्चिम गलियारे का कार्य धीमा या बन्द हो गया है। यह पूरी तरह गलत है। स्वर्णिम चतुर्भुज लम्बाई 5846 किलोमीटर है। आरम्भ में इसको पूर्ण करने लिए लक्ष्य दिसम्बर, 2003 निर्धारित किया गया था किन्तु पूर्व सरकार ने भी यह महसूस किया कि इसे दिसम्बर, 2003 में पूरा नहीं किया जा सकता। लक्ष्य की तिथि को संशोधित किया गया और संशोधित लक्ष्य दिसम्बर, 2005 है। 30 नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार सम्पूर्ण प्रगति 76 प्रतिशत है जो 4203 किलोमीटर मार्ग पूर्ण हो गया है अथवा आंशिक निर्माण हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 19,500 करोड़ रु. खर्च किये हैं। शेष मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और वनों की कटाई, एवं रेल उपरि पुल प्रारूपण के लिए रेलवे की मंजूरी की समस्याओं का समाधान करना है...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : मंत्री महोदय, आपने कहा था...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा महोदय।

सभापति महोदय : माननीय वित्त मंत्री जी के सम्भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : श्री स्वाईं मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा महोदय आपके पक्ष में...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री स्वाईं, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : श्री स्वाईं को अध्यक्षपीठ का सम्मान करना चाहिए। उन्हें बोलने की अनुमति किसी ने नहीं दी है... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री स्वाईं व्यवधान उत्पन्न न करें, कृपया बैठ जाएं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. चिदम्बरम : श्री स्वाईं को अध्यक्ष पीठ का सम्मान करना चाहिए। उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। मैं उनके कहने से अपनी बात समाप्त नहीं करूंगा।

सभापति महोदय : आप कृपया जारी रखें।

श्री पी. चिदम्बरम : राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे की लंबाई दोनों ओर से 7300 किलोमीटर है। यह श्रीनगर को कन्याकुमारी और सिलचर को पोरबन्दर से जोड़ देगा। इसको पूर्ण करने की समय सीमा दिसम्बर, 2007 है। यह अभी शुरू ही हुआ है। इसे पूरा करने की समयसीमा दिसम्बर, 2007 है। महोदय मुझे इस बात की जानकारी है कि इसका वित्त पोषण कैसे किया जाता है। किन्तु मुझे नहीं लगता कि इसे देना आवश्यक है।

कपड़ा क्षेत्र के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। महोदय आज से 8-9 दिनों में कोटा प्रणाली को समाप्त कर दिया जायेगा।

भारतीय कपड़ा उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करने की तैयारी करनी होगी। मेरे विचार में कपड़ा मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय भारतीय उद्योग को तथा भारतीय उद्योग स्वयं भी वैश्विक चुनौती से निपटने के प्रयास कर रहा है।

महोदय, हमारे पास अत्यधिक शक्ति है। कपास के क्षेत्र में हम शक्तिशाली हैं।

भारत में कपास, पटसन, रेशम और कृत्रिम फाइबर के लिए कच्ची सामग्री का आधार बहुत मजबूत हैं कटाई में विश्व की 21 प्रतिशत क्षमता भारत में हैं बुनाई में विश्व की 33 प्रतिशत क्षमता भारत में है। हमारे पास भारी संख्या में कुशल जनशक्ति उद्यमशीलता तथा उत्पादन प्रक्रिया में लचीलापन हैं श्रम लागत के संदर्भ में हमें प्रतिस्पर्धात्मक रूप से लाभप्रद स्थिति हैं। इसमें कुछ बाधाएं भी हैं। ये बाधाएं हैं कपास की खराब गुणवत्ता तथा संगठित क्षेत्र में वस्त्र उत्पादन का बहुत कम हिस्सा। अधिकतर वस्त्र का उत्पादन असंगठित क्षेत्र में किया जाता है। हमारे यहां बड़ी संख्या में हस्त: प्रसंस्करण इकाइयां हैं जहां प्रौद्योगिकी में उन्नयन की आवश्यकता है। इनमें से कई की प्रौद्योगिकी पुरानी है। विद्युत लागत के बारे में चिंताए व्यक्त की जा रही हैं। श्रम सुधारों के लिए मांग की जा रही है। हालांकि अपने वस्त्र उद्योग के लिए हमने न केवल प्रतियोगिता के लिए समान-स्तर के क्षेत्र तथा प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्र का निर्माण किया बल्कि आपको याद होगा कि हमने फाइबर से वस्त्रों तक केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर - सेनवैट हटा लिया है। मैं वस्त्र उद्योग को आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक कपास, रेशम तथा प्राकृतिक फाइबर का संबंध है सेनवैट को समाप्त करने तथा जुलाई में आरम्भ की गई कर व्यवस्था, यूपीए सरकार के पांच वर्ष के पूरे शासनकाल तक लागू रहेगी...*(व्यवधान)*

मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आप इस प्रकार व्यवधान कैसे डाल सकते हैं? कृपया मेरी विचार प्रक्रिया में व्यवधान न डालें।

वस्त्र उद्योग को पूरी तरह आश्वस्त होना चाहिए कि हम कर व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने नहीं जा रहे तथा उनके लिए एक आश्वस्त कर व्यवस्था है और इसका लाभ उठाकर उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बनना चाहिए।

जहां तक कृत्रिम फ़ाइबर का संबंध है बजट पर बहस के उत्तर में मैंने कहा था कि कृत्रिम फाइबर क्षेय पर करों का भारी दबाव हैं पिछले जुलाई के महीने में विषय की जटिलता तथा राजस्व कारणों की वजह से मैं इस बारे में कुछ नहीं कर पाया। परन्तु मैं अब मामले पर ध्यान दे रहा हूं। और हम ऐसे तौर-तरीके ढूंढेगें जिससे कि कृत्रिम वस्त्र क्षेत्र के लिए भी लाभदायक कर व्यवस्था बन जाए और यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने योग्य बन सके। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी वस्त्र निर्माण मेरे बयान को आज गंभीरता से लें तथा एक जनवरी, 2005 से वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाए।

महोदय, वस्त्र मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कई अन्य कदम की उठाए गए हैं। मैं इन कदमों का वर्णन नहीं कर रहा हूं परन्तु इन कदमों का उद्देश्य भारत को वस्त्र क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाना है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : वाइल्ड सिल्क के बारे में क्या विचार है?...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जहां तक पूर्वोत्तर का संबंध है, माननीय सदस्य ने सही टिप्पणी की है कि पूर्वोत्तर के लिए विशेष आवंटन...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय वित्त मंत्री जो कह रहे हैं, उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही नत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जहां तक पूर्वोत्तर का संबंध है। संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा पहली बार विशेष वित्त व्यवस्था की गई। वह जारी रखी गई है। यह वित्त व्यवस्था जारी रहेगी। हमारा अब "डोनर" नामक एक अलग मंत्रालय है। उस क्षेत्र के एक बहुत अनुभवी राजनीतिक नेता हमारे मंत्री हैं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि पूर्वोत्तर को आवंटित धनराशि इस वर्ष और आगे के वर्षों में प्रत्येक वर्ष खर्च की जाती रहे।

अंततः बारहवें वित्त आयोग का हवाला देने के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मैं आपको विवरण नहीं दे सकता। मुझे सभापटल पर रिपोर्ट रखनी हैं बारहवें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हम सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करेंगे। हमारी इच्छा इस देश में सहकारी संघवाद लाने की है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को इस देश को मजबूत बनाने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए और ऐसा करने का एक रास्ता यह है कि राज्य सरकारों को और धनराशि प्रदान की जाए।

प्रेस में कुछ अधूरे समाचार आए हैं। मुझे लगता है कि बारहवां वित्त आयोग राज्यों के लिए बहुत उदार रहा, परन्तु मैं इसे स्वीकार करता हूं। हम बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हैं। हम इस सभा के सामने आएंगे, पटल पर रिपोर्ट रखेंगे तथा जब हम बताएंगे कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मैं सभी राज्यों से अपील करता हूं, वहां चाहे जिस दल की सरकार हो, कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने तथा भारत को एक आर्थिक शक्ति बनाने के लिए वे केन्द्र सरकार के साथ मिलकर कार्य करें।

मैं सभा के सभी वर्गों से अनुपूरक अनुदानों की मांगों को पारित करने का सविनय निवेदन करता हूं।

सभापति महोदय : धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, माननीय मंत्री महोदय, सभा को गुमराह कर रहे हैं। मध्यावधि समीक्षा में उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के अंत में 56 प्रतिशत स्वर्णिम चतुर्भुज कार्य पूरा हो चुका है। अब, वह कहते हैं कि नवम्बर के अंत तक 76 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब मैं 2004-05 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं:-

मांग संख्या 1,3,5 से 7,12 से 15,18,20 और 21,30,32,34, 36,40,42,44,47 से 50,56 से 59,61,65 और 66,68 से 70,72 और 73, 80,82 से 93,95 से 100 और 104.

विवरण

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2004-2005 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें — प्रथम बैच (सामान्य)

मांग सं.	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	397,03,00,000	—
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	94,50,00,000	5,50,00,000
5.	परमाणु ऊर्जा	3,00,000	—

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

1	2	3	4
6.	नाभिकीय विद्युत स्कीमें	—	273,20,00,000
7.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	300,00,00,000	—
12.	वाणिज्य विभाग	1,00,000	1,00,000
13.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	2,00,000	—
14.	डाक विभाग	1,00,000	—
15.	दूरसंचार विभाग	2008,00,00,000	—
18.	उपभोक्ता कार्य विभाग	1,00,000	20,20,00,000
20.	संस्कृति मंत्रालय	2,00,000	1,00,000
21.	रक्षा मंत्रालय	1,00,000	—
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	2,00,000	6,01,00,000
32.	आर्थिक कार्य विभाग	5,00,000	—
34.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	109,87,00,000	500,00,00,000
36.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण	3678,00,00,000	—
40.	पेंशन	321,06,00,000	0,00,00,000
42.	राजस्व विभाग	5,98,00,000	—
44.	अप्रत्यक्ष कर	9,60,00,000	—
47.	स्वास्थ्य विभाग	408,00,00,000	—
48.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी-सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)	33,47,00,000	—
49.	परिवार कल्याण विभाग	280,01,00,000	—
50.	भारी उद्योग विभाग	2,95,00,000	185,71,00,000
56.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	68,60,00,000	—
57.	प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	2000,02,00,000	—
58.	माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग	250,02,00,000	—
59.	महिला और बाल विकास विभाग	2,00,000	—
61.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	1,00,000	—
65.	गैर-पारंपरिक ऊर्जा-स्रोत मंत्रालय	1,00,000	—
66.	अप्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय	3,00,00,000	—
68.	महासागर विकास विभाग	36,00,00,000	—
69.	संसदीय कार्य मंत्रालय	1,00,000	—
70.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	1,00,000	—
72.	योजना मंत्रालय	1,00,000	—
73.	विद्युत मंत्रालय	351,73,00,000	1,00,000
80.	ग्रामीण विकास विभाग	2429,00,00,000	—
82.	पेय जलापूर्ति विभाग	248,00,00,000	—
83.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	191,01,00,000	9,00,00,000
84.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	41,00,00,000	9,00,00,000

1	2	3	4
85.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	40,00,00,000	—
86.	नौवहन मंत्रालय	66,00,000	40,01,00,000
87.	लघु उद्योग मंत्रालय	1,00,000	—
88.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1,00,000	—
89.	अंतरिक्ष विभाग	—	1,00,000
90.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1,00,000	—
91.	इस्पात मंत्रालय	1,00,000	—
92.	कपड़ा मंत्रालय	2,00,000	—
93.	पर्यटन मंत्रालय	3,50,00,000	2,00,00,000
95.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20,00,000	—
96.	चंडीगढ़	20,40,00,000	—
97.	दादरा और नागर हवेली	4,10,00,000	—
98.	दमन और दीव	8,10,00,000	—
99.	लक्षद्वीप	2,05,00,000	—
100.	शहरी विकास विभाग	500,00,000	500,00,00,000
104.	जल संसाधन मंत्रालय	500,00,000	—
	कुल योग	13356,17,00,000	1550,67,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : वर्ष 2004-2005 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) पारित की गईं।

अपराह्न 5.48 बजे

[अनुवाद]

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक* 2004

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाता है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 21.12.2004 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.51 बजे

आधे घंटे की चर्चा

नए विमानपत्तनों के प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा में आधे घण्टे की चर्चा आरंभ होगी। श्री वी.के. ठुम्मर।

[हिन्दी]

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली) : सभापति महोदय, 9 दिसम्बर को प्रश्न संख्या 122 के बारे में संसद सदस्यों को पूछने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं उसके ऊपर आधे घंटे चर्चा उठा रहा हूं। विश्व में कई ऐसे देश प्रगति कर रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है और यह तरक्की कर रहा है। उस हिसाब से हिन्दुस्तान के एयरपोर्टों में सुविधा नहीं मिल रही है, इसलिए इसके लिए मैं संसद के माध्यम से इसके विस्तार के लिए दरख्वास्त करना चाहता हूं। व्यापारी एवं उद्योगपति कम समय में कई जगहों की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन एयरपोर्ट नहीं है। इस संबंध में 9 दिसम्बर के प्रश्न संख्या 122 के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं।

महोदय, प्रश्न के भाग "क" में एयरपोर्ट के लिए नगरों की पहचान करने के लिए एवं शहरों में नागर विमानन की सेवाओं की आवश्यकता के संबंध में जवाब बताया गया है कि यह सतत प्रक्रिया है। मैं इस बारे में पूछना चाहता हूं नये एयरपोर्ट की स्थापना करने की प्रक्रिया क्या हैं इसकी सतत प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया के लिए मंत्री जी को सही जवाब देना चाहिए ताकि संसद और लोगों को पता चले कि वास्तव में यह प्रक्रिया चल रही है। प्रश्न के भाग "ख" में विमानों और पत्तनों की धावन पट्टियों के उन्नयन, उनके विस्तार और आधुनिकीकरण एवं एयरपोर्टों के बारे में क्या कार्यवाही की गई, उसका उत्तर में कोई वर्णन नहीं किया गया है। प्रश्न के भाग "ग" में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत योजनाओं के बारे में पूछा था, जिनका कोई जवाब नहीं मिला है। देश में जो एयरपोर्ट्स हैं, वे विश्व स्तर के नहीं हैं, जब कि हम दुनिया के छोटे-छोटे देशों में जब जाते हैं, जैसे दुबई, सिंगापुर, मलेशिया आदि, वहां जो एयरपोर्ट पर सुविधा देखते हैं, यहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वे सुविधाएं बहुत कम हैं। आज भारत के एयरपोर्ट में कई उपकरण काम नहीं कर रहे हैं ऐसे कई उपकरण खराब पड़े हैं, जिनकी वजह से एयरपोर्टों पर ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है। वहां धीमी गति से कार्य हो रहा है। एयरपोर्ट की ढिलाई एवं धीमी गति के संबंध में किसी अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है। एयरपोर्ट के अधिकारी एवं कर्मचारियों की अक्षमता और एयरपोर्ट में चल रहे कार्यों एवं अधिकारियों की भूमिका की कोई समीक्षा नहीं की जाती है। एयरपोर्ट की कहां जरूरत है, हमारे देश में ऐस कोई मशीनरी नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता कि कौन से एयरपोर्ट को ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है।

महोदय, मेरे पास इसके तीन उदाहरण हैं, पहला गुजरात के सूरत का है। सूरत में विश्वस्तर की टैक्सटाइल मार्केट है। सारे देश में डायमंड उद्योग सबसे जयादा सूरत में चल रहा है। डायमंड नगरी के नाम से आज सूरत पहचाना जाता है। कई दिनों से सुनने में आ रहा है कि सूरत एयरपोर्ट बना कर बोइंग सेवा शुरू करने का कार्य स्वीकृत हुआ है, लेकिन वह कछुए की गति से चल रहा हैं उसमें जल्दी से काम पूरा करना चाहिए। अगर वहां जल्दी काम पूरा हो जाएगा तो मुंबई एयरपोर्ट पर दबाव कम हो जाएगा। यह मैं इसलए कह रहा हूं, क्योंकि मंत्री जी भी गुजरात से जुड़े हुए हैं। इसलिए उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए।

[श्री वी.के. दुम्मर]

अब मैं अहमदाबाद के बारे में बोलना चाहूंगा। आज वहां सरदार पटेल के नाम से जुड़ा हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं है। फॉरेन से लोग आते हैं तो उन्हें वहां दो-दो, तीन-तीन घंटे खड़ा रहना पड़ता है। उनका लगेज भी नहीं मिलता है। यह सरदार पटेल के नाम से जुड़ा हुआ एयरपोर्ट है और प्रफुल्ल भाई जिस कम्युनिटी से आते हैं, वह भी गुजरात, मुंबई से संबंधित हैं, तब अहमदाबाद के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, ऐसी मैं रिक्वैस्ट उनसे करना चाहता हूं और अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा देने मात्र से इण्टरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता है इसे इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए मैं प्रफुल्ल भाई से कहूंगा कि वे मलेशिया और सिंगापुर बहुत बार गये होंगे, कम से कम उसका थोड़ा सा हिस्सा तो अहमदाबाद को दें।

मैं राजकोट के बारे में आपके जरिये जानना चाहता हूं कि राजकोट में कोई सुविधा ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट एथारिटी के साथ एम.ओ.यू. साइन किया है, लेकिन एथॉरिटी ने अभी तक कोई काम वहां चालू नहीं किया है। एम.ओ यू. साइन करने के बाद इतने सालों से राजकोट एयरपोर्ट, जैसा पहले बनाया था, वैसा ही है, आगे कुछ काम नहीं चल रहा है। इसका कुछ काम, आगे बढ़ाने के लिए मैं मंत्री महोदय से अपनी रिक्वैस्ट कर रहा हूं।

आदरणीय उड्डयन मंत्री जी से अनुरोध है कि इन बिन्दुओं की जांच करें एवं कार्य करने में लापरवाह पाये गये अधिकारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनायें। मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली, जहां से मुझे इतनी बड़ी पार्लियामेंट में नेतृत्व करने का मौका मिला है, वहां हवाई अड्डा है, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है इतने दिनों से मैं अखबारों में पढ़ता हूं कि हवाई अड्डा आ रहा है, हवाई जहाज आ रहा है, मैं वहां वेट कर रहा हूं, लेकिन वहां हवाई अड्डा जाने की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ अखबार में ही हम पढ़ते हैं। अमरेली एयरपोर्ट के लिए भी प्रफुल्ल भाई कुछ करें, ऐसा मैं उनसे कहना चाहता हूं। माननीय उड्डयन मंत्री जी से अनुरोध है कि वे सख्त रवैया अपनायें और जिस कार्य की हमने उम्मीद रखी है, वह कार्य समय से पूरा किया जाये। सांसदों के अन्दर जो इस प्रश्न के संबंध में संशय एवं संदेह है, उसे स्पष्टीकरण देकर दूर करें, जिससे आधे की इस चर्चा का उद्देश्य पूरा हो जाये।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि फॉग की वजह से आजकल कई जहाज उड़ नहीं पाते हैं, उतर नहीं पाते हैं अगर फॉरेन कंट्रीज ने इस संबंध में कोई टेक्नोलोजी अख्तियार की गई है तो वह टेक्नोलोजी आप हिन्दुस्तान में लायें। फॉग की वजह से लोग जा नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, दिन भर उनको बैठना पड़ता है, इसलिए उसे टेक्नोलोजी को इंडिया में लायें, ऐसी मैं मंत्री जी को रिक्वैस्ट करता हूं।

इस आधे घण्टे की चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका मिला है, इसलिए मैं बहुत आनन्द के साथ यह प्रस्ताव देता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, जब हम उस प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे तब मैंने केरल में कुन्नुर विमानपत्तन की स्थिति के बारे में पूछा था। तब माननीय मंत्री ने बताया था कि वहां पर विकास की कुछ गतिविधियां चल रही है जिनके बारे में वे बाद में बताएंगे।

मैं माननीय मंत्री और सभा को यह बताना चाहता हूं कि कुन्नुर एक महत्वपूर्ण स्थान हैं और यहां शीघ्र ही नौसेना अकादमी को प्रारंभ किए जाने की बारी है। यह पर्यटन का विशेष क्षेत्र भी है और यह उसके समीप ही है।

निर्यात-आयात नीति के संदर्भ में हथकरघा उद्योग में नया उछाल आने की संभावना हैं कुन्नूर में एक अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने संबंधी सभी आवश्यकताएं विद्यमान है जिससे यहां पर एक अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन बनाया जा सके माननीय मंत्री ने कहा है कि वहां पर सयुंक्त उद्यम स्थापित किए जाने का बहुत अच्छा प्रस्ताव हैं। मैं उसे समझ सकता हूं जहां तक मैं समझता हूं यह प्रस्ताव होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा दिया गया है। किसी मामले में, जैसाकि माननीय मंत्री कह रहे है कि वह इस बारे में विस्तार से बताएगें, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, यदि माननीय मंत्री यह बताएगें कि कन्नूर विमानपत्तन के संबंध में वास्तव में क्या हो रहा है। यह कब तक शुरू होगा या यह कार्य कब तक पूरा होगा? मुझे इस बारे में जानकर प्रसन्नता होगी।

सभापति महोदय : अन्य सदस्य को बुलाने से पूर्व, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सभा अनुमति दे तो मैं आधे घण्टे की चर्चा के समय को बढ़ा सकता हूं जब तक आधे घण्टे की चर्चा का समय समाप्त न हो जाए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : हां, महोदय।

सभापति महोदय : इसलिए, आधे घण्टे की चर्चा समाप्त होने तक सभा के समय को बढ़ाया जाता है।

सायं 6.00 बजे

अब श्री वरकला राधाकृष्णन बोलेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, कृपया मेरी ओर से श्री अब्दुल्लाकुट्टी को बोलने की अनुमति दी जाएं।

सभापति महोदय : नहीं, आपका नाम बैलेट में आया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं इसे अभ्यार्पित करता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : केवल उन्हें बोलने की अनुमति दी जाएगी जिनका नाम बैलेट में है।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : महोदय, मेरा नाम वहां भी है।

सभापति महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, यदि आप नहीं बोलना चाहते तो मैं शैलेन्द्र कुमार को बोलने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, नागर विमानपत्तनों के प्रस्ताव के आधे घंटे की चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इलाहाबाद में एयरफोर्स का बमरोली एयरपोर्ट है। वहां सिविल ऐवीएशन ट्रेनिंग सैंटर भी है। हम बराबर जहाजों का आवागमन देखते रहते हैं लेकिन कभी ऐसी विशेष जहाज की सुविधा वहां के स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाती जबकि इलाहाबाद अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। वहां हाई कोर्ट है, तमाम पर्यटन की सुविधाएं भी हैं। वहां संगम तीर्थ स्थल है जहां तमाम तीर्थ यात्रियों का आवागमन रहता है, खासकर कभी-कभी जब वहां से प्राइवेट फ्लाइट शुरू होती है, एयरफोर्स का एयरपोर्ट होने के नाते वहां तमाम यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, क्योंकि मिलिट्री एयरफोर्स के अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशन्स होते हैं। वहां सिविल ऐवीएशन को जो काम रहता है, वह बहुत कठिनाई का होता है, खासकर यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां हाफा-माऊ में जब बहुत पहले लड़ाई हुई थी, वहां एक एयरपोर्ट स्थापित है, उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है। इस प्रकार बमरोली एयरपोर्ट के बगल में भी थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। मैं चाहूंगा कि वहां एक नया एयरपोर्ट बने जिससे सिविलियन यात्री, प्राइवेट फ्लाइट के यात्री और फॉरेनर्स आदि का आवागमन वहां से हो सके। उनको विशेष सुविधा हो सके। वह पर्यटन स्थल इसलिए है क्योंकि वहां संगम है, तमाम ऐतिहासिक चीजें जैसे अकबर का किला है, कौशाम्बी ऐतिहासिक स्थल है। वहां इंडोनेशिया, चीन और जापान से भी बुद्धिस्ट और जैन लोग आते हैं। इसलिए यात्रियों के दृष्टिकोण से, फॉरेन सैलानियों के दृष्टिकोण से वह एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। वहां एक नया सिविलियन एयरपोर्ट बनाकर इस तरह की सुविधा दें जिससे इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया को विशेष सुविधा मिल सके, मुनाफा हो सके। उधर संगम में एक महीने का माघ मेला लगता है जिसमें तमाम फॉरेन यात्रियों का आवागमन रहता है। मैं चाहूंगा कि वहां प्राइवेट एयरपोर्ट स्थापित करके इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया के विमान चालू किये जायें ताकि एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस जो घाटे में है, उसे मुनाफा हो सके।

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन (तिरूपति) : महोदय, तिरूपति एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। तिरूपति में पूरे विश्व से लोग आते है। तिरूपति आने के लिए वे चेन्नई, हैदराबाद और बंगलौर के विमानपत्तनों का उपयोग करते है। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह दिल्ली से तिरूपति के लिए एक सीधी उड़ान आरंभ करें। इससे वहां जाने वाले तीर्थयात्रियों को बहुत लाभ होगा।

मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध भी करता हूं कि वह तिरूपति विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करें। तिरूपति में पूरे विश्व और पड़ोसी स्थानों से तीर्थयात्री आते है। इसके अतिरिक्त यहां के लोग कुवैत और अन्य स्थानों पर भी जाते है। इसलिए मैं आपसे तिरूपति विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : अब, श्री वरकला राधाकृष्णन बोलेगें। यदि आप बोलना चाहते है तो आप बोलिए। वह नहीं बोल सकते।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी : महोदय, मैने पहले ही नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : मैं क्षमा चाहता हूं। आपका नाम प्राथमिकता सूची में नहीं है। इसलिए आप बाद में बोल सकते है लेकिन अभी नहीं। आप केवल प्रश्न पूछ सकते है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : जब हम नए विमानपत्तनों के मुद्दे पर बात कर रहे है तो मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह उत्तर केरल को कन्नूर में एक विमानपत्तन का निर्माण करें। उस क्षेत्र के लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे है। मेरे मित्र, श्री अब्दुल्लाकुट्टी इसके बारे में बोलना चाहते है। मैं उनकी ओर से बोल रहा हूं। केरल सरकार ने वहां पर विमानपत्तन के निर्माण के उद्देश्य

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

से 400 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है और यदि आवश्यक हुआ तो वह 1000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। उत्तर केरल के कासरगौड और कन्नूर जिलों के लोग लम्बे समय से इसकी मांग कर रहे है। इस क्षेत्र के अधिसंख्य लोग मध्य-एशिया में कार्य करते है और अधिसंख्य लोगों के पास पासपोर्ट है। इसलिए यदि आप वहां पर एक नए विमानपत्तन का निर्माण करते है तो उनके लिए एक वरदान होगा।

निदमबासरी में एक अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन है जिसका निर्माण सरकार द्वारा नहीं किया गया है बल्कि इसका निर्माण लोगों के सहयोग से किया गया था। इसके लिए संपूर्ण धनराशि अप्रवासी भारतीयों द्वारा दी गयी थी। इसलिए यदि आप कन्नूर में विमानपत्तन के निर्माण की स्वीकृति देते है तो इसके लिए धनराशि की व्यवस्था करने के लिए अप्रवासी भारतीय आगे आएंगे और वे कोई संस्था या इस जैसी ही किसी संस्था का निर्माण करेंगे। मध्य-एशिया में कार्य करने वाले लोग अपनी क्षमतानुसार धनराशि देगें। इस प्रकार हम विमानपत्तन के निर्माण के लिए अधिकतर धन का संग्रह कर लेंगे। इसके लिए केवल भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता है। यदि सरकार अनुमोदन देने के लिए तैयार है तो मुझे पूरा विश्वास है कि अप्रवासी भारतीय और स्थानीय निवासी आगे आएंगे और उत्तर केरल के लोगों की इस बहुप्रतिक्षित मांग को पूरा किया जा सकेगा।

इसलिए मैं, केरल में उत्तर मालाधार में एक नए विमानपत्तन के निर्माण की स्वीकृति दिए जाने संबंधी प्रश्न पर विचार करने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों अब माननीय मंत्री उत्तर देगें। यदि आप सहमत है तो आप इनके उत्तर के पश्चात प्रश्न पूछ सकते है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री को महत्वपूर्ण कार्य के लिए कहीं जाना है। इसलिए उनके पास भी थोड़ा ही समय है।

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : यदि माननीय सदस्य प्रति पांच मिनट में एक प्रश्न पूछते है तो मैं उन प्रश्नों का विस्तृत उत्तर दूंगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : धन्यवाद। अब श्री अलीमाऊ चर्चील बोलेंगे। लेकिन इसे उदाहरण के रूप नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत से सदस्य बोलना चाहते है, मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री अलीमाऊ चर्चील (मारमुगाओ) : सभापति महोदय, मैं आपको दाभोल विमानपत्तन का इतिहास बताना चाहता हूं। मुझे सभा में पता चला है कि मोपा में एक अन्य विमानपत्तन के निर्माण का कार्य किया जाना है। मैं बताना चाहता हूं कि मोपा विमानपत्तन महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। इससे गोवा वालों को कोई लाभ नहीं मिलता। मैं दाभोल विमानपत्तन का पूरा इतिहास बताना चाहता हूं। यह विमान एक नागरिक विमानपत्तन है मैं माननीय मंत्री को इससे संबंधित सभी कागजात दिखाना चाहता हूं ताकि मंत्री जी इनका अवलोकन कर सकें। मैं चाहता हूं कि डबहोल विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन बनाया जाए, क्योंकि यहां पर 400 से ज्यादा होटल है और इन होटलो में 6 से 7 लाख लोग भोजन करते है। यदि इस विमानपत्तन को शुरू किया जाता है तो इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार और केन्द सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग से सबसे अधिक राजस्व प्राप्त किया जाता है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि डबहोल विमानपत्तन को जारी रखा जाए और इसका उन्नयन इस प्रकार किया जाए जिससे यह विमानपत्तन अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में विकसित हो सके।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़) : महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं।

मेरे दो प्रश्न है। पहला, ग्वालियर विमानपत्तन का नाम इस सभा की एक भूतपूर्व सदस्या स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया के नाम पर रखा गया है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इस विमानपत्तन को नागरिको के लिए खोले जाने के लिए भी विचार किया जाएगा। क्योंकि वर्तमान में इस विमानपत्तन पर वायुसेना बेस स्थित है।

राजस्थान पर्यटकों का आकर्षित करने वाला राज्य है। एक पर्यटक राज्य के नाते हमारे पास 32 फेयर वैदर स्ट्रिप्स है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमारी सहायता करेंगे और कोटा, हड़ौती सर्किट जैसे और राजस्थान के अन्य भागों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी सहायता करेंगे।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहले, मैने माननीय मंत्री को उत्तर गुजरात में पालमपुर में नया विमानपत्तन बनाने के लिए पत्र लिखा है। यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

दक्षिण राजस्थान का भी हिस्सा है। यदि माननीय मंत्री इस विषय पर विचार करें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मुझे उनका उत्तर मिल गया है लेकिन मैं इस बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं हूं कि वह वास्तव में क्या करना चाहते हैं।

दूसरे, क्या सरकार छोटे विमानपत्तन पर छोटे विमान इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। निजीकरण हो रहा है और शहर का विकास भी हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस शहर को 20 या 30 या 40 सीटों वाले छोटे विमान सेवा से जोड़ा जाए। उसके लिए हैलीपेड या कुछ इसी प्रकार के छोटे रनवे की आवश्यकता है। क्या सरकार इस दिशा में विचार कर रही है?

तीसरे, मैं इन विमानपत्तनों पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बात करना चाहूंगा। हमारे विमानपत्तनों पर स्वच्छता, यात्री सुविधाओं आदि के बारे में कहा जाता है, लेकिन वहां पर कार्य कर रहे व्यक्तियों का और मंत्रालय का मूल रवैया अन्य छोटे विकासशील देशों के स्तर की यह सुविधाएं प्रदान करने हेतु अभियान चलाने का होना चाहिए। मेरा विचार से काफी देश यह प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से ऐसा करने का अनुरोध करूंगा मेरे विचार से, चूंकि वह गुजराती है तो हमें उनसे यह कहने का अधिकार है। कृपया गुजरातियों के लिए कुछ कीजिए। धन्यवाद।

सभापति महोदय : अगले, श्री अब्दुल्लाकुट्टी, लेकिन आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : महोदय, दो अति विशिष्ट माननीय सदस्य, श्री वरकला राधाकृष्णन और सी.के. चन्द्रप्पन ने मुझसे पहले कन्नूर विमानपत्तन परियोजना के बारे में कहा। यह उत्तर केरल की जनता की लंबे समय से की जा रही मांग है। यह प्रस्ताव अति अर्थक्षम है। नागर विमानन विभाग इस परियोजना की व्याहार्यता के बारे में पहले ही अध्ययन कर चुके है और उसने इसे आर्थिक रूप से अर्थक्षम पाया है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को इसके लिए किसी वित्तीय वचनबद्धता की आवश्यकता नहीं है अत: अनिवासी भारतीयों ने नेदुंना चेरी विमानपत्तन माडल जैसे विमानपत्तन बनाने की दिशा में अंशदान देने के लिए आगे आए हैं। यह अति महत्वपूर्ण परियोजना है, और मैं माननीय मंत्री से वाद-विवाद का उत्तर देते समय इसे स्वीकृति देने का अनुरोध करूंगा।

बकेल और दुर्ग में भी पर्यटन के विकास की संभावना है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से कन्नूर में नया विमानपत्तन बनाने को स्वीकृति देने का अनुरोध करूंगा धन्यवाद।

सभापति महोदय : धन्यवाद। अब, श्री चन्द्रकांत खैरे। कृपया कोई भाषण मत दीजिए। आप माननीय मंत्री से केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो हमारे अनन्ता एलौरा प्रोजेक्ट में जबीआईसी, जापान सरकार से हमारे चिकलथाना एयरपोर्ट को 60 करोड़ रुपये की सहायता मिल रही है, और 13 करोड़ रुपये एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने दिए हैं। इस तरह से यह 73 करोड़ रुपये को प्रोजेक्ट है। लेकिन अभी तक इसमें कुछ शुरूआत नहीं हुई है। माननीय अनंत कुमार जी और जगमोहन जी ने इसमें बहुत मेहनत की है। हम लोगों ने भी इसके लिए बहुत परसुएशन किया था। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि यह कार्य जल्दी से जल्दी आरम्भ हो जाए, यह हमारी पुरानी मांग है। दूसरे, दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-सम्भाजीनगर-औरंगाबाद और मुंबई इंडियन एयरलाइन्स की फ्लाइट चलती थी। आप किसी एयरलाइन्स को डायरेक्शन दे दीजिए, वह चालू कर देंगे क्योंकि टयूरिज्म की दृष्टि से भी यह बहुत अच्छा रहेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे : पिछले मंत्री महोदय को पिछले समय में हमने चिकलथाना एयरपोर्ट का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव दिया था कि इसका नाम बदलकर राजे सम्भाजी भोंसले कर दिया जाए, यह प्रस्ताव आपके मंत्रालय में पड़ा है। आप इसका क्रेडिट ले लीजिए। तीसरे, जहां एयरपोर्ट है, जिस सांसद के एरिया में एयरपोर्ट है, उसकी एडवाइजरी कमेटी होती है, वहां का सांसद उस कमेटी का अध्यक्ष होता है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उस कमेटी का फॉर्मेशन किया जाए।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : महोदय, मुझे माननीय मंत्री से तीन विशिष्ट प्रश्न पूछने है। पहले, क्या यह सच है कि माननीय मंत्री की इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने में रूचि है, लेकिन इस निर्णय की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के साझेदारों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह]

दूसरे, क्या यह सच नहीं है कि इंडियन एयरलाइन्स के विमान 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और किसी अन्य देश में अंतर्राष्ट्रीय रूप में इन विमानों को मियाद वास्तव में पूरी हो चुकी है; और आपको उन्हें बदलने को आवश्यकता नहीं है।

तीसरे, क्या यह सच नहीं है कि पर्यटन सीधे विमान संपर्क से जुड़ा है ओर राजस्थान में पर्यटन की बड़ी इतनी अधिक संभावना है कि यदि उसे हम एक अवसर दें तो हम उसका वास्तव में फायदा उठा सकते हैं? क्या आप इस क्षेत्र को छोटे निजी उद्यमियों के लिए खोलने को तैयार है जिससे कि हम बेहतर विमान संपर्क की सुविधा पा सकें?

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी) : मैं माननीय मंत्री से केवल दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। कोयंबटूर शहर को दक्षिण भारत के मानचेस्टर के रूप में जाना जाता है। यह शहर वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। पिछले एक वर्ष से, कायंबटूर में शाम के समय कोई विमान नहीं उतरता है। यह कार्य कब पूरा होगा?

दूसरे, चेन्नई दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध शहर है। इस क्षेत्र के विस्तार की मांग की जा रही है। यह कार्य कब पूरा होगा?

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : सभापति जी, मुंबई का एयरपोर्ट है यह यह झुग्गी-झोंपड़ियों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। क्या इन लोगों को रिहैबिलिटेर करने का कोई प्रस्ताव है? मुंबई में और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। जो नागपुर में कार्गो हब का काम चालू है, इसमें क्या कोई बाधा आ रही है और यह कब तक पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री के विमानन क्षेत्र में पुनः जान फूंकने और विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण करने की बधाई और शुभकामना देते समय, उनका ध्यान चंडीगढ़ की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा जो कि आसपास के क्षेत्र के साथ तेजी से उभरता हुआ महत्वपूर्ण पर्यटन, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, वित्तीय और औद्योगिक केंद्र है। लेकिन हम आधुनिक अच्छे विमानपत्तन जैसी बेहतर सेवाओं की आवश्यकता भी महसूस करते हैं। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इसे भी विमानपत्तनों के उन्नयन की अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से हुबली विमानपत्तन के बारे में जानना चाहता हूं। हुबली विमानपत्तन कर्नाटक राज्य में स्थित है। दक्कन विमानसेवा वहां पहले से कार्यरत हैं। किन्तु वहां काफी समय से इण्डियन एयरलाईंस की उड़ानों की मांग की जा रही है। मैं इसके आधुनिकीकरण और विमान पट्टी के विस्तार तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिए अनुरोध करता हूं। बैंगलोर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के बारे में, आपने अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे चैन्नै विमानपत्तन पर कॉल-टैक्सी और ऑटो-रिक्शा सेवा आरम्भ करने की अनुमति देंगे। वहां टैक्सियों का एकाधिकार होने की वजह से यात्रियों का शोषण और उनसे बहुत कर वसूला जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : प्रश्नों से ही यह सिद्ध होता है कि छोटे कस्बों को वायु सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता है। सरकारी अथवा निजो वायुसेवाएं महानगरों पर अपनी नजर रखती है। किन्तु छोटे कस्बों तक भी वायुसेवाओं की आवश्यकता है। एक विमानपत्तन का अर्थ ताजमहल जैसी विशाल इमारत से नहीं होता है सिर्फ टर्मिनलों की आवश्यकता होती है। वहां कुछेक तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं जिससे कि छोटे विमान और छोटी विमान सेवाएं वहां कार्य कर सकें और लोगों को महानगरों तक ला सकें। यह चाहे सरकारी हो या निजी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न यह है कि क्या सह सुविधा उपलब्ध करवाना चाहते हैं। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अन्तर्गत माल्दा, बालूरघाट और कूच बिहार जैसे विमानपत्तन एवं वायुक्षेत्र पहले ही मौजूद हैं। समस्त देश में ऐसे लगभग 100 वायुक्षेत्र हैं। कुछ स्थानों पर कर्मचारी भी मौजूद हैं। किन्तु क्या आप उन्हें प्रचालन योग्य बनायेंगे?

श्री पी. मोहन (मदुरै) : महोदय, क्या मदुरै को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने का कोई प्रस्ताव है? क्या मदुरै से सिंगापुर और मदुरै से कोलम्बो तक नई उड़ान आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है?

श्री धनुषकोडी आर. अथितन (तिरूनेलवेली) : महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र तूतीकोरिन भारत के दक्षिणी भाग में है। दस वर्ष पहले तूतीकोरिन में एक विमानपत्तन बनाया गया था, परन्तु दो वर्ष बाद इसे बंद कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता

हूं कि क्या तूतीकोरिन विमानपत्तन को फिर आरम्भ किया जाएगा? यह तूतीकोरिन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि तूतीकोरिन में एक पत्तन है। बहुत जल्दी सेतु समुन्द्रम नहर योजना क्रियान्वित होने वाली है। तूतीकोरिन विमानपत्तन को फिर से आरंभ करना अत्यावश्यक मामला है। मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय नागर विमानन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र मेहसाना में 22 साल से लैंड एक्वायर की है लेकिन वहां न आज तक हवाई पट्टी बनी है, न उसको कोई उपयोग हुआ है और न ही एरोड्रोम बना है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह वहां एक एरोड्रोम और हवाई पट्टी बनाने वाले हैं या नहीं?

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन) : मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद महोदय। मैं त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन के विकास की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। सरकार ने इस विमानपत्तन पर धनराशि खर्च की है। राज्य सरकार द्वारा सब कुछ किया जा चुका है। त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन के विस्तार और विकास के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर) : महोदय, कोलकाता में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस विमानपत्तन के बारे में और बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इंडियन एयरलाइंस की बाजार में पैठ तेजी से कम होती जा रही है। इंडियन एयरलाइंस की बाजार में पैठ कम न हो, इसके लिए मंत्री महोदय क्या कदम उठाने वाले हैं?

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, मैं देश के नागर विमानन क्षेत्र में इतनी गहरी खर्च दिखाने के लिए सभी सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या मंत्री महोदय अपने उत्तर में त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के विकास संबंधी ब्यौरा भी देंगे?

श्री प्रफुल पटेल : यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे सभी सदस्य अपने क्षेत्रों, राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों को विमान सेवा से जोड़ना चाहते हैं। यह देखकर अच्छा लगा। मैं भी 1991 से इस सभा का सदस्य हूं। नि:संदेह हमारी और अधिक ट्रेनों और कनेक्टिविटी बढ़ाये जाने की मांग है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है जो तुष्टीकरण के लिए उत्साह का एक बड़ा स्रोत बन गया है और कनेक्टिविटी मुहैया कराना और विकास करना भी उत्साह का एक बड़ा स्रोत बन गया है मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हम पर्यटकों की संख्या बढ़ाकर रोजगार सहित पर्यटन, वाणिज्य, व्यापार और चहुंमुखी विकास के अवसरों का सृजन कर सकते हैं। पर्यटन से, वास्तव में ये सभी चीजें की जा सकती है।

महोदय, सदस्यों द्वारा अनेक मुद्दे उठाए गए हैं। मैं सबसे पहले मौटे तौर पर इसकी संभावनाओं के बारे में बताऊंगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा देश में मौटे तौर पर 80 विमानपत्तनों का परिचालन किया जा रहा है और इनमें से 40 से 45 विमानपत्तनों को परिचालित नहीं किया जा रहा है। जिसके बारे में श्री मो. सलीम ने बताया है। यह ध्यान में रखते हुए कि बड़े विमानपत्तन बड़े महानगरों या भारत के कुछ बड़े शहरों में हैं इन 80 विमानपत्तनों में से केवल 11 विमानपत्तन लाभ कमा रहे हैं और बाकी विमानपत्तन इन 11 विमानपत्तनों द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता से चल रहे हैं। वास्तव में भारत में इन सभी वर्षों के दौरान एयर कनेक्टिविटी उस स्तर तक नही पहुंच पाई है जिस स्तर पर इन्हें होना चाहिए। हमें साफतौर पर इसे स्वीकार करना चाहिए। यदि आप भारत के एयर कनेक्शनों की तुलना विश्व से करेंगे तो आपको पता चलेगा की अभी काफी कुछ किया जाना है। विशेषकर, हमारे यहां 20 से 30 लाख की आबादी वाले शहर हैं लेकिन आज भी इन शहरों मे एयर कनेक्टिविटी नहीं है। यह एक गंभीर चिंता का क्षेत्र है। मैं सोचता हूं कि हम सभी को इस बारे में बोलना चाहिए और इन चिंताओं पर गौर करने के लिए यह मामला नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हाथों में चला गया है।

अब विभिन्न विमानपत्तनों पर आते है मुझे नहीं पता कहां से शुरू करूं क्योंकि कई विमानपत्तनों के संबंध में बात की जा रही है। जब से श्री ठुम्मर द्वारा सूरत विमानपत्तन के संबंध में चर्चा शुरू की गई है, मैं बताना चाहता हूं कि सूरत के लिए 35 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। कार्य पहले ही प्रगति पर है। रनवे का कार्य चल रहा है। आप्रेशन साइट, टर्मिनल बिल्डिंग कंट्रोल टॉवर, नेवीगेशनल सहायता इत्यादि सभी कार्य लगभग जारी हैं सभी कार्यों पर 35 करोड़ रुपए व्यय होगें। जहां आज विमानपत्तन है उसी विमानपत्तन के परिक्षण में एयर ढेकन ने सूरत के लिए पहले ही अपनी उड़ानें शुरू कर दी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही अगस्त, 2005 तक यह कार्य पूरा होगा, सूरत के लिए एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। मुझे विश्वास है कि सूरत, गुजरात और हमारे समग्र राष्ट्र के

[श्री प्रफुल पटेल]

हिसाब से व्यापार और वाणिज्य के हिसाब से एक महत्वपूर्ण शहर है। हमें सूरत पर निश्चित रूप से अपेक्षित ध्यान देना होगा।

एक अन्य विमानपत्तन जिसका यहां उल्लेख किया गया है वह कन्नौर हैं कन्नौर के बारे में, मैं आपको बता सकता हूं कि यह उत्तरी केरल में स्थित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विमानपत्तन है, इसको और उन्नत किया जाना चाहिए। इसके बारे में मेरे पास कुछ ब्यौरा है। माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि इसके नेदुम्बचेरी नामक विमानपत्तन कोचिन विमानपत्तन की तर्ज पर बनाया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा जैसी इच्छा की गई थी उसी के अनुसार कन्नौर से 20 किलोमीटर दूर भूखपट्टनम के निकट निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया और इसे बड़े आकार के विमानों के लिए उचित समझा गया। भारत सरकार ने राज्य सरकार को सैद्धान्तिक रूप से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और विमानपत्तन स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमति हेतु संयुक्त उद्यम साझेदार का पता लगाने की भी अनुमति दे दी है। इसलिए, मूलत: आप जो बात कह रहे हैं वह यह है कि इसे नेदुम्बचेरी विमानपत्तन की तर्ज पर बनाया जाना चाहिए। इसे किया जा सकता है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम समय के रहते कैबिनेट के पास इसे ले जायेंगे और एक बार पूरी प्रक्रियाएं पूरी हो गईं तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि भारत सरकार नेदुम्बचेरी विमानपत्तन की तर्ज पर कन्नौर में विमानपत्तन बनाने के लिए बड़ी उत्सुक होगी। मै समझता हूं इससे जो प्रश्न आपने उठाया था उसका जवाब मिल गया होगा।

अनेक सदस्यों ने अनेक प्रश्न उठाये है, मैं आपको कह सकता हूं कि श्री दुष्यंत सिंह और श्री वी.पी. सिंह ने राजस्थान और ग्वालियर का मुद्दा उठाया है, राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण राज्य है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है इस पर अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिए, मैं आपको यह बता सकता हूं कि जयपुर और उदयपुर दोनों विमानपत्तन भारत के सर्वश्रेष्ठ विमानपत्तनों की तुलना में शीर्षस्तर के विमानपत्तन होंगे। इसी के साथ, मैं प्रत्येक विमानपत्तन पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, ग्वालियर में वायु सेना का एयरफील्ड है लेकिन वहां सिविलियन एन्कलेव भी है दुर्भाग्यवश, इसमें अभी उड़ाने संचालित नहीं हो रही है, लेकिन अल्प समय में ही ग्वालियर से उड़ाने संचालित होंगी। वस्तुत:, हमारे मंत्रालय का मुख्य जोर इस बात पर है कि जिन छोटे विमानपत्तनों को अभी तक जोड़ा नहीं गया है उन्हें निकट भविष्य में जोड़ दिया जाना चाहिए।

जहां तक हुबली का सवाल है, वहां भी ऐसी ही स्थिति है। औरंगाबाद में एक नया टर्मिनल स्थापित किए जाने की स्थापना है क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण व्यावसायिक और पर्यटन केन्द्र है तथा यह मेरे राज्य में भी स्थित है। मैं इस संबंध में आपकी तरह ही समान रूप से चिन्तित हूं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होनी चाहिए कि औरंगाबाद से इस वर्ष हज के लिए उड़ानें पहले ही शुरू हो चुकी हैं आप शायद उतना खुश नहीं होंगे क्योंकि हमने यह किया है। औरंगाबाद हमारी प्राथमिकता सूची वाले विमानपत्तनों में से एक है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है।

अब मैं तिरूपति की चर्चा करता हूं। मैं भी भगवान बालाजी का भक्त हूं।...*(व्यवधान)*

महोदय, जहां तक तिरूपति का प्रश्न है, मैं भी भगवान बालाजी का भक्त हूं। इसलिए मुझे तिरूपति जाने का महत्व बताने की जरूरत नहीं है। वहां जाने वाले लोगों की संख्या के मद्देनजर इसे बेहतर हवाई सम्पर्क की जरूरत है। उन माननीय सदस्यों के सूचनार्थ, जो दिल्ली-तिरूपति विमान सेवा चाहते थे, मैं यह बताना चाहता हूं कि पहले से ही दिल्ली-हैदराबाद-तिरूपति विमान सेवा की व्यवस्था है जो उन्हें हैदराबाद से जोड़ते हुए तिरूपति ले जाती है। यहां मात्र डेढ़ घंटे का ठहराव है। यहां के लिए हवाई संपर्क की व्यवस्था बुरी नहीं हैं परन्तु यहां बेहतर हवाई संपर्क की आवश्यकता है।

गोवा के संबंध में, मेरे मित्र श्री अलीमाऊ चर्चील ने कहा है कि मोपा उपयुक्त स्थान नहीं है। अभी मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि मोपा का चयन किया गया है परन्तु अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। डाबोलिम विमानपत्तन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है। इसलिए गोवा में अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन की बात कोई मुद्दा नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन है। परन्तु यह हमारे मानकों के अनुसार नहीं है। क्योंकि गोवा के पास नौसैनिक विमान-क्षेत्र है तथा हमारे पास मात्र एक सिविलियन अंत:क्षेत्र है। हम जो कुछ भी निवेश कर सकते के उसकी एक सीमा हैं इस बात पर हमेशा चर्चा हुई है कि गोवा के पास एक नया विमान - क्षेत्र होना चाहिए। इसलिए, हम एक ऐसी परिस्थिति के बीच फंसे हुए हैं कि आखिर हम पुराने विमान - क्षेत्र में निवेश करें अथवा भावी नए विमान - क्षेत्र में। इस प्रकार, यह एक मुद्दा है।...*(व्यवधान)* हां, हमलोग भी यही विचार रखते है।

महोदय मेरे ख्याल से पिछले सप्ताह मैंने सभा में उल्लेख किया था कि अहमदाबाद हमारे देश के महत्वपूर्ण शहरों में से है। यहां एक विश्व स्तर का विमानपत्तन बनाया जाने वाला है। वास्तव में यह सबसे अच्छे विमानपत्तनों में से है जिसकी हाल में हमने योजना बनाई है।

नए विमानपत्तनों की श्रृंखला आ रही है। श्रीनगर में कार्य शुरू हो चुका है। इसके बाद संभवतः अहमदाबाद विमानपत्तन की बारी है। वास्तव में एयरो-ब्रिज, एस्कालेटर आदि सुविधाओं सहित नए प्रस्थान डोमेस्टिक ब्लॉक का निर्माण प्रगति पर है। इसके जून, 2005 तक पूर्ण होने की संभावना है। एक नए अरम्डूबल डोमेस्टिक टर्मिनल ब्लॉक की भी योजना है। एक नए अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, जिसकी बात चल रही है, की योजना बनाई गई है और इसका अभिकल्पन उस अंतर्राष्ट्रीय निर्माण कम्पनी द्वारा किया गया है, जिस कंपनी ने सिंगापुर के चांगी विमानपत्तन का अभिकल्पन किया था। वे इस किस्म के विमानपत्तनों की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि अहमदाबाद विमानपत्तन ऐसा ही बनाया जाएगा। वे सभी हमारे पास आ सकते हैं हम उन्हें यह दिखाएंगे कि हम अहमदाबाद तथा देश के कई अन्य विमानपत्तन के लिए किस प्रकार का अभिकल्पन कर रहे हैं। इस पर उचित ध्यान दिया जा रहा है।

महोदय राजकोट में हवाई जहाजों की उड़ान भरने की वर्तमान क्षमता की तुलना में बड़े हवाई जहाजों के लिए हवाई पट्टी के विस्तार का कार्य चल रहा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : त्रिवेन्द्रम के विकास के बारे में क्या विचार है?

श्री प्रफुल पटेल : मैं त्रिवेन्द्रम की भी बात करने वाला था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री प्रफुल पटेल : राजकोट का विस्तार किया जा रहा है।

इलाहाबाद में पहले से ही विमान पत्तन हैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य बहुत खुश नहीं है, क्योंकि यह वायुसेना क्षेत्र है। लेकिन, वायुसेना क्षेत्र के अलावा परिचालन के लिए, कोई समस्या नहीं है। यहां सिविलियन इन्कलेव है। हम टर्मिनल का भी उन्नयन करना चाहते हैं। निश्चित रूप से कुछ सीमाएं हैं। लेकिन मैं समझता हूं, वहां पहले से ही एक निजी एयरलाइन, एयर सहारा है, जो चल रही है। हम वहां इंडियन एयरलाइन्स और अन्य एयरलाइन को भी रखेंगे और यह भी समीक्षा करेंगे कि क्या वे उस क्षेत्र में भी उड़ानों का परिचालन कर सकती हैं।

यहां कई वायु क्षेत्र (एयरफिल्ड्स) हैं। अमरेली, मूल रूप से वायु क्षेत्र है जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आएगी, नागर विमानन मंत्रालय के लिए देश में प्रत्येक विमान पत्तन के लिए निर्णय लेना असंभव है। आखिरकार, कोई सीमा है, लेकिन इन्हीं सीमाओं में विमानपत्तन प्राधिकरण राज्य सरकारों को और अधिक क्षेत्र स्थापित करने में समर्थ बनाने और अधिक उड़ानों की सुविधाएं देने तथा उन स्थानों में जाने के लिए छोटे विमानों को समर्थ बनाने हेतु सहायता और समर्थन देने की इच्छुक है। मैं समझता हूं, कि राज्य सरकारों को भी अपनी जिम्मेदारी का और सकारात्मक रूप से निर्वाह करना होगा।

महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि कम से कम महाराष्ट्र में, मैं जानता हूं, हमारी राज्य सरकार ने इस संबंध में पहल की है। कोल्हापुर, जो अभी नियमित वायु क्षेत्र है, उस पर राज्य सरकार का स्वामित्व है। अन्य राज्यों में अन्य क्षेत्र भी हैं जहां राज्य सरकारों ने पहल की है। मैं समझता हूं, हमें इसके लिए कार्य करना चाहिए, नहीं तो यदि आप भारत जैसे बड़े देश पर नजर डालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि प्रत्येक शहर और गांव को केवल केन्द्र सरकार की सहायता से जोड़ा जा सकता है। राज्य सरकारों को भी बहुत सक्रिय होना पड़ेगा।

त्रिवेन्द्रम विमान पत्तन, जैसा कि मैंने अहमदाबाद के बारे में उल्लेख किया, निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता में है। वर्ष 2005 में, हमारा ध्यान त्रिवेन्द्रम पर भी है।

मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वर्ष 2005 में त्रिवेन्द्रम में नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है। इस पर उचित ध्यान दिया जाएगा जिसका वह पात्र है। मदुरई भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है। मैं आपको यह बता दूं कि जिन 30 विमानपत्तनों के बारे में हमने वर्ष 2005 से लेकर एक या दो वर्षों में काम करने की योजना बनाई है उसमें अनेक महत्वपूर्ण शहरों में काम किया जाना हैं जहां तक तूतीकोरिन का संबंध है वहां कोई फील्ड नहीं है।

डा. चिन्ता मोहन : इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाया जाए। यहां पर सम्पूर्ण विश्व से पर्यटक आते हैं।

श्री प्रफुल पटेल : किसी विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हम इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के विचारार्थ रखें और इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बना दें तो उससे आपका प्रयोजन पूरा नहीं होगा। मुख्य प्रयोजन विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है। मैं समझता हूं कि यह किसी ऐसे विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने, जहां पर कोई उड़ान न आती हो, से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका कोई अर्थ नहीं है।

[श्री प्रफुल पटेल]

कई प्रस्ताव हैं। हम विमानपत्तन अवसंरचना को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। मेरा माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि भारत में नागर विमानन के निर्माण हेतु वास्तविक बाधा विमानों की खरीद नहीं है। जैसे-जैसे दिन बीतते जाएंगे और विमान आ जाएंगे। किंतु हमारे मंत्रालय और विशेषरूप से विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए वास्तविक चुनौती विश्वस्तरीय अवसंरचना का निर्माण करना है।

आज आप सब यह जानते हैं कि जब आप दिल्ली विमानपत्तन पर उतरते हैं तो वहां से उड़ान भरने या उतरने में 30 से 45 मिनट का समय लगता है। आज, दिल्ली और मुंबई विमानपत्तन पहले ही पूर्णव्याप्ति के स्तर तक पहुंच चुके हैं। देश में कई अन्य विमानपत्तनों के पास विश्वस्तरीय सुविधाएं नहीं हैं। हमारे अधिकांश विमानपत्तनों के पास इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं हैं हमारे पास कैट-एक और कैट-दो प्रणालियां नहीं हैं। यह काफी बड़ा काम है। हमें पूरी प्रक्रिया से काम करना होगा। हमें भारतीय विमानपत्तन अवसंरचना को नयी पीढ़ी का बनाना है। यदि हम ऐसा करते हैं तभी हम आपकी इच्छानुसार भारत को जोड़ पाएंगें और देश अपेक्षित प्रगति और विकास कर पाएगा।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि भारत में विमानपत्तन अवसंरचना पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा हैं आगामी वर्षों में हम विमानन क्षेत्र में और अधिक उदार नीतियां लाएंगें ताकि विमानपत्तन विकास के साथ-साथ अवसंरचना विकास, दोनों में निजी क्षेत्र की और अधिक भागीदारी हो। एक माननीय सदस्य ने नेदुम्बचेरी का उल्लेख किया है जो कि एक निजी क्षेत्र है। यदि आप इस तरह की परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेंगे तो देश में यात्रियों के लिए अन्य सुविधाओं से युक्त बेहतर विमानपत्तन होंगे। ...*(व्यवधान)*

हम इंडियन एयरलाइन्स को दाव पर लगाकर कुछ नहीं कर रहे हैं। इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया भारत के गर्व का विषय हैं। मैं समझता हूं कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों की भागीदारी होनी चाहिए। हम घरेलू क्षेत्र में नागर विमानन में गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी देख चुके हैं और यह सारा क्षेत्र विकसित हुआ है। इसके लिए इंडियन एयरलाइन्स अथवा एयर इंडिया को दाव पर नहीं लगाया गया है। हम यह देखते हैं कि छोटे विमानों को न केवल राष्ट्रीय विमान कंपनियों के बेड़े में बल्कि अन्य विमान कंपनियों के बेड़े में शामिल किया जाता है ताकि आपको बेहतर कनैक्टेविटी मिल सके। आज, मेहसाना अथवा अन्य विमानपत्तन इसी ढांचे में हैं कि राज्य सरकार को अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सदस्यों की भावनाओं का हमें बहुत ध्यान है और हम उनकी इच्छाओं का सम्मान करेंगे और प्रत्येक हर संभव कार्य करने का प्रयास करेंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

श्री प्रफुल पटेल : जहां तक परामर्शदायी समितियों का संबंध है, इस समय उनका गठन नहीं हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगा और हम सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करेंगे।

सभापति महोदय : अब सभा कल, दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.40 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 22 दिसम्बर, 2004/ 1 पौष, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रमांक	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री राजनरायन बुधौलिया श्री रघुराज सिंह शाक्य	283
2.	श्री जे.एम. आरून रशीद श्री प्रभुनाथ सिंह	284
3.	डा. एम. जगन्नाथ श्री उदय सिंह	285
4.	श्री जुएल ओराम श्री विजय कृष्ण	286
5.	श्री गिरधारी लाल भार्गव	287
6.	श्री सुरेश कुरूप श्री सी.के. चन्द्रप्पन	288
7.	श्री अबदुल्लाकुट्टी	289
8.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	290
9.	श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	291.
10.	श्री थावरचन्द गेहलोत श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	292
11.	श्री रामदास आठवले श्री तथागत सत्पथी	293
12.	श्री असादुद्दीन ओवेसी	294
13.	श्री बी. विनोद कुमार	295
14.	प्रो. महादेवराव शिवनकर श्री मुन्शी राम	296
15.	श्री हंसराज जी. अहीर	297
16.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	298
17.	श्री मदनलाल शर्मा	299
18.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	300
19.	श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल	301
20.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	302

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	3248, 3263, 3350, 3404
2.	आदित्यानाथ, योगी	3269
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3338, 3403, 3407
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	3310, 3364, 3374
5.	अंसारी, श्री फुरकान	3405
6.	आठवले, श्री रामदास	3330, 3384, 3415
7.	आजमी, श्री इलियास	3230, 3240
8.	बैठा, श्री कैलाश	3198, 3336
9.	बंसल, श्री पवन कुमार	3215, 3320, 3376, 3408
10.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	3273, 3344, 3363, 3399
11.	बर्मन, श्री हितेन	3196
12.	बर्मन, श्री रनेन	3228
13.	भगोरा, श्री महावीर	3290

1	2	3
14.	भक्त, श्री मनोरंजन	3277
15.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3233, 3273, 3364
16.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3287, 3328, 3366
17.	चन्देल, श्री सुरेश	3199, 3316, 3422
18.	चन्द्र कुमार, प्रो.	3199
19.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	3328, 3418
20.	चारेनामै, श्री मणि	3252
21.	चव्हाण, श्री हरिशचंद्र	3211
22.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3253, 3353, 3362
23.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	3254
24.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	3242, 3354
25.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	3276, 3335, 3351, 3392, 3416
26.	चौधरी, श्री पंकज	3258, 3266, 3328
27.	चौधरी, श्री अधीर	3205, 3324, 3396
28.	चौधरी, श्री विकास	3275
29.	दूबे, श्री चन्द शेखर	3246
30.	फैन्थम, श्री फ्रान्सिस	3257
31.	गादाख, श्री तुकाराम गंगाधर	3220, 3273
32.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3274
33.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	3278, 3352
34.	गमांग, श्री गिरिधर	3229, 3326
35.	गांधी, श्रीमती मेनका	3307
36.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	3271
37.	हम्जा, श्री टी.के.	3236
38.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	3302
39.	जगन्नाथ, डा. एम.	3337
40.	जटिया, डा. सत्यनारायण	3239
41.	झा, श्री रघुनाथ	3206, 3313, 3380
42.	जोशी, श्री कैलाश	3300, 3335
43.	कलमाडी, श्री सुरेश	3273, 3286, 3359, 3416
44.	कामत, श्री गुरूदास	3257, 3301
45.	कनोडीया, श्री महेश	3258
46.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3266, 3343, 3388
47.	खां, श्री सुनील	3214
48.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3197, 3318, 3385
49.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3227, 3254, 3297, 3325, 3417
50.	कोया, डा. पी.पी.	3219, 3370, 3421
51.	कृष्ण, श्री विजय	3258, 3371, 3402, 3419
52.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	3221, 3335
53.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3373, 3405
54.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3218, 3327
55.	महाजन, श्री वाई.जी.	3200, 3314
56.	महतो, श्री बीर सिंह	3230

1	2	3
57.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3203, 3279
58.	माझी, श्री परसुराम	3265, 3344
59.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	3282
60.	मंडल, श्री सनत कुमार	3303, 3414
61.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	3267, 3344, 3402, 3407
62.	माने, श्रीमती निवेदिता	3267, 3348
63.	मांझी, श्री राजेश कुमार	3289
64.	मिडियम, डा. बाबू राव	3223, 3379
65.	मेघवाल, श्री कैलाश	3244, 3257, 3258, 3266, 3334
66.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3207, 3262
67.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3247, 3341, 3387
68.	मैन्या, डा. टोकचोम	3249
69.	मिश्रा, डा. राजेश	3283
70.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	3237, 3288
71.	मोदी, श्री सुशील कुमार	3273, 3349, 3391
72.	मोघे, श्री कृष्ण मुरारी	3299, 3347, 3368
73.	मुकीम, मो.	3234, 3329, 3406
74.	मोल्लाह, श्री हन्नान	3212, 3333
75.	मूर्ति, श्री ए.के.	3388
76.	मुन्शी राम, श्री	3226, 3331, 3405
77.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3284, 3358, 3395
78.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	3225, 3369, 3401

1	2	3
79.	नरबुला, श्री डी.	3224
80.	नायक, श्री अनन्त	3204, 3265, 3311, 3381
81.	निखिल कुमार, श्री	3223, 3336
82.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	3328
83.	ओराम, श्री जुएल	3258, 3309, 3383, 3410
84.	ओसमानी, श्री ए.एफ.जी.	3413
85.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3273, 3321, 3378, 3423
86.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3241, 3353, 3393
87.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3245, 3411
88.	पासवान, श्री राम चन्द्र	3256
89.	पासवान, श्री सुकदेव	3263
90.	पाठक, श्री ब्रजेश	3195, 3245, 3319, 3382, 3412
91.	पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	3292
92.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3194
93.	पिंगले, श्री देविदास	3209, 3315
94.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3238, 3342
95.	प्रसाद, श्री लालमणि	3301
96.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	3255
97.	राजगोपाल, श्री एल.	3289
98.	रामदौस, प्रो. एम.	3232

1	2	3
99.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3304
100.	राणा, श्री काशीराम	3203
101.	राव, श्री के.एस.	3222
102.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3263, 3291, 3328, 3352, 3365
103.	राव, श्री डी. विट्टल	3260
104.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3296
105.	रावले, श्री मोहन	3213, 3317, 3390, 3414
106.	रावत, श्री कमला प्रसाद	3250, 3340
107.	रावत, प्रो. रासा सिंह	3285, 3297
108.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3347, 3389
109.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3207, 3328
110.	रेड्डी, श्री मधुसूदन	3295
111.	रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	3216
112.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3270
113.	साहु, श्री चंद्रशेखर	3306
114.	साई प्रताप, श्री ए.	3261
115.	सज्जन कुमार, श्री	3360, 3397, 3420
116	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3263, 3289, 3328, 3361, 3398
117.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	3294, 3367
118.	सत्पथी, श्री तथागत	3231
119.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3264, 3347
120.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3354
121.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3258, 3338, 3346, 3407
122.	शिवन्ना, श्री एम.	3235
123.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3254
124.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	3305, 3372
125.	सिंह, श्री लक्ष्मण	3259
126.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	3238, 3245
127.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3281, 3328, 3357
128.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3208
129.	सिंह, चौधरी लाल	3251
130.	सिंह, श्री दुष्यंत	3297
131.	सिंह, श्री गणेश	3210, 3355, 3394
132.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3258, 3339, 3371, 3402, 3419
133.	सिंह, श्री मोहन	3226
134.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3308, 3375, 3406, 3409
135.	सिंह, श्री राकेश	3276
136.	सिंह, श्री सुग्रीव	3356
137.	सुब्बा, श्री एम.के.	3217, 3322, 3377
138.	सुमन, श्री रामजीलाल	3243
139.	स्वाईं, श्री हरिहर	3202
140.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3201, 3361

1	2	3
141.	टुम्मर, श्री वी.के.	3237, 3274, 3332, 3400
142.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3264, 3293, 3407
143.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3211, 3272
144.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3203
145.	विनोद कुमार, श्री बी.	3312, 3386
146.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	3280
147.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3348, 3407

1	2	3
148.	यादव, श्री बालेश्वर	3289
149.	यादव, श्री गिरिधारी	3203
150.	यादव, श्री पारसनाथ	3242, 3245, 3298
151.	यादव, श्री राम कृपाल	3263
152.	यादव, श्री रमाकान्त	3256
153.	यादव, श्री सीता राम	3207
154.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3268, 3337, 3345

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	283, 290, 291
उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास		
गृह		294, 296, 299
मानव संसाधन विकास	:	287, 288, 289
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	297, 301
संसदीय कार्य	:	
विद्युत	:	284, 285, 295
इस्पात	:	286, 293, 300
जनजातीय कार्य	:	
शहरी विकास	:	298, 302
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	292

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	3194, 3205, 3228, 3233, 3248, 3259, 3263, 3266, 3272, 3273, 3274, 3293, 3297, 3307, 3309, 3312, 3315, 3324, 3331, 3332, 3339, 3343, 3350, 3354, 3388, 3398, 3400
उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास	:	3294
गृह	:	3198, 3199, 3211, 3215, 3217, 3218, 3222, 3226, 3230, 3234, 3240, 3241, 3243, 3244, 3249, 3250, 3251, 3252, 3258, 3265, 3271, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3288, 3291, 3305, 3306, 3325, 3334, 3342, 3353, 3356, 3357, 3361, 3365, 3366, 3370, 3376, 3380, 3384, 3390, 3393, 3395, 3396, 3402, 3408, 3411, 3412, 3413, 3419, 3423
मानव संसाधन विकास		3200, 3201, 3204, 3213, 3232, 3236, 3237, 3242, 3245, 3254, 3256, 3257, 3261, 3269, 3279, 3283, 3286, 3299, 3301, 3302, 3303, 3304, 3310, 3328, 3338, 3347, 3351, 3352, 3363, 3364, 3368, 3372, 3373, 3377, 3386, 3389, 3292, 3399, 3403, 3405, 3407, 3416, 3417, 3418

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	3197, 3264, 3318, 3385
संसदीय कार्य	:	
विद्युत	:	3209, 3212, 3223, 3267, 3268, 3292, 3314, 3317, 3341, 3346, 3348, 3349, 3367, 3369, 3378, 3383, 3387, 3391, 3394, 3410
इस्पात	:	3214, 3246, 3247, 3253, 3275, 3289, 3359
जनजातीय कार्य	:	3208, 3221, 3224, 3225, 3229, 3290, 3295, 3296, 3300, 3311, 3316, 3321, 3322, 3323, 3326, 3335, 3344, 3345, 3379, 3421
शहरी विकास	:	3195, 3196, 3203, 3206, 3207, 3216, 3219, 3220, 3231, 3235, 3238, 3239, 3255, 3260, 3262, 3270, 3276, 3284, 3287, 3298, 3308, 3313, 3319, 3320, 3327, 3329, 3330, 3333, 3336, 3337, 3340, 3358, 3360, 3362, 3371, 3374, 3375, 3397, 3401, 3404, 3406, 3409, 3414, 3422
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	3202, 3210, 3227, 3278, 3355, 3381, 3382, 3415, 3420.

पी०एल०एस०-48/6/15/2004 (एन०)
251

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।